(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 11] दसवीं विधान सभा के ग्यारहवां सत्र का पन्द्रहवां दिवस [संख्या : 8

सोमवार

20 जुलाई, 1998

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा, भवन जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न श्री हीरालाल विश्नोई ।

तहसील सांचौर की पेयजल योजनाएं

142. **श्री हीरालाल विश्नोई** (सांचौर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक जिला जालौर, तहसील सांचौर में कौन-कौनसी जलदाय योजनाएं कहां-कहां के लिये स्वीकृत की गयीं ?

(2) क्या स्वीकृत योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो कौन-कौनसी योजना का कार्य अपूर्ण है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सांचौर तहसील में जी.एल.आर. एवं सोर्सेज (कुएं) भी स्वीकृत हुए हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां पर और क्या वे सभी पाइप-लाइन से जोड़ दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (श्री राजेन्द्र गहलोत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, (1) वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक जिला जालौर, तहसील सांचौर में 102 विभिन्न पेयजल योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं। संलग्न परिशिष्ट "अ" में है।

(2) जी, नहीं। उक्त 102 स्वीकृत योजनाओं में से 66 योजनाओं के कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं शेष 36 का कार्य अपूर्ण है। अपूर्ण कार्यों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर है।

(3) जी, हां। उक्त स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत 6 कुएं व 70 भूतल जलाशय बनाने का कार्य स्वीकृत हुआ था। डी. सी. बी. के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण परिशिष्ट "स" पर है तथा भूतल जलाशयों के सम्बन्ध में विवरण परिशिष्ट "द" पर है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री हीरालाल विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी मार्फत मंत्री महोदय से जानकारी के सम्बन्ध में प्रश्न किया था। अब यह मंत्री महोदय तो नये हैं। मैं

(श्री हीरालाल विश्नोई)

माननीय मंत्री श्री भंवरलालजी से यह जानकारी चाहता हूं कि हमारे एरिये में कौन-कौनसी योजनाएं अधूरी हैं । आप हमारे साथ गये थे। इसलिए मैं आपसे जानकारी चाहता हूं कि आपके जाने के बाद दो साल में एक भी योजना पूर्ण हुई क्या? आपने जो विवरण दिया कि 66 स्कीमें पूरी हो गयी हैं। मगर इनमें से एक-दो को छोड़ कर एक भी स्कीम आज दिन तक पूर्ण नहीं हुई और यह गोल-मटोल जवाब इन्होंने दिया है। मैंने यह भी जानकारी चाही थी कि कौन-कौनसी स्कीमें स्वीकृत हुई हैं ? कई ऐसी स्कीमें स्वीकृत हुई थीं जिनका उन्होंने इसमें जवाब ही नहीं दिया। जैसा कि पादरली से हेमागुड़ा 12 लाख की स्कीम सेंक्शन थी। इसमें उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और एक सेंक्शन थी—

श्री उपाध्यक्ष : आपने जवाब को पढ़ लिया न ?

श्री हीरालाल विश्नोई : जवाब पढ़ लिया। उपाध्यक्ष महोदय, एक भी स्कीम, इन्होंने जो 66 पूर्ण स्कीमें बतायी हैं बलाइयों की ढाणी सुराचंद, अभी तक वहां पानी नहीं पहुंचा है। खराब पाइपें लगायी थीं। पाइपें अभी तक ही बदली नहीं गयी हैं और पानी नहीं पहुंचा है। जो भी स्कीमें इन्होंने बतायी हैं, विस्तार योजना होती गांव-सिलावास, शिवपुरा, पादरली, टैम्बी, मरटवा, भाटवास, रतोड़ा इसमें 3 लाख 51 हजार रुपये का खर्च बताया है और वहां पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैंने एक प्रश्न 1995-96 में लगाया था उसमें भी मेरे को यह जानकारी मिली थी कि विधान सभा क्षेत्र सांचौर के 1990-91, 1991-92 के क्रमांक 960, 38 लाख, 77 लाख की धनराशि बाढ़ से प्रभावित योजना में कार्य हेतु सहायता विभाग को दी गयी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत यह जानकारी देना चाहता हूं कि 38 लाख की राशि में से आज दिन तक कोई काम वहां पूर्ण नहीं हुआ। जो नहरी इलाके के हमारे गांव हैं, उन्हें आज भी इस जवाब के अन्दर अपूर्ण गांव बता रहे हैं। हमारे मंत्री महोदय वहां पधारे थे, नहरी इलाके के अंदर जो भी जल योजनाएं थीं, मैं इनको 50 स्कीमों पर लेकर गया था। वहां पर किसी स्कीम में पानी नहीं था और —

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, यह प्रश्नोत्तर काल है। थोड़ा ध्यान रखें।

श्री हीरालाल विश्नोई : प्रश्नोत्तर काल है मगर मैं वही पूछ रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि गोल-मटोल जवाब देने से क्या फायदा है? एक भी पूर्ण स्कीम नहीं और आप कह रहे हैं कि पूर्ण हो गयी है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बैठिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मैंने विवरण दिया है वह बिलकुल स्पष्ट है। आपको स्थिति साफ कर दी है। जो काम पूरे हो गये हैं मैंने बताया हैं, जो नहीं

(श्री भंवरलाल शर्मा)

हैं वह भी बताये हैं। अब आप एक मिनट बैठ जाएं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बीच में नहीं, माननीय सदस्य। यह परम्परा ठीक नहीं है। पहले सुन लें आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : देखिये, जो काम हो गये हैं वह भी मैंने बता दिये...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : इसलिए गांव में रहना चाहिए विधायक को।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी विराजें।

श्री भंवरलाल शर्मा : जो योजनाएं पूरी हो गयी हैं, उसका विवरण मैंने दिया है। आप बार-बार यह कहते हैं कि मेरे गांव में, मेरे गांव में तो आपके गांव का तो पता नहीं है। आपके जो विधान सभा क्षेत्र के गांव हैं उनका मैं विवरण दे रहा हूं।

श्री हीरालाल विश्नोई : मैं उन्हीं के लिये कह रहा हूं। मेरे गांव के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं पूरी तहसील के मेरे गांव ही गिनता हूं। मैं आपके गांव नहीं गिनता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह तो मुझे जानकारी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : सुनें, आप सुनें।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह विवरण तो मैं दे रहा हूं न आपको। आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं ? अगर काम नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ और हुआ है तो हुआ है । जांच हो जाएगी।

श्री हीरालाल विश्नोई : नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, साहब ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं कहता हूं न, हुआ है। कैसे नहीं हुआ।

श्री हीरालाल विश्नोई : नहीं हुआ न। मैं यही तो कह रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : और मैं कहता हूं हुआ है।

श्री हीरालाल विश्नोई : आप इस सम्बन्ध में विधान सभा की एक कमेटी बना लीजिए और मैं साथ चलता हूं। अगर आपने यह विवरण दिया है उसमें से कोई बात आपकी सत्य निकल जाए, एक भी बात आपकी सत्य निकल जाए तो मैं विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप यह काम मत करें।

श्री हीरालाल विश्नोई : वह नहीं करूं, मैंने पानी के लिए बार-बार वहां पर भूख-हड़ताल की, मुख्य मंत्री को चिट्ठी लिखी। मगर उसका कोई जवाब नहीं, वही गोल-मटोल जवाब।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय का जवाब पहले पूरा सुनें।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : आपने कह दिया कि 66 योजनाएं पूर्ण हो गयी... (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय परसादीलाल जी, आप कैसे कहते हो कि गलत जवाब दे दिया ?

श्री परसादीलाल मीणा : ये कह रहे है। ... (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : वह तो कह रहे हैं लेकिन मैं भी दे रहा हूं। मेरी सुनिये आप।

श्री परसादीलाल मीणा : उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि सही जवाब है।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, बिलकुल।

श्री परसादीलाल मीणा : आपको कह दिया कि यह 66 योजनाओं में से 3-4 योजनाओं को छोड़कर के सारी की सारी अधूरी हैं, माननीय सदस्य चैलेंज दे रहे हैं आप अपने अधिकारियों से जांच करवा लें......(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : ठीक है। नहीं, मेरी बात सुने न आप ...... (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आप अपने अधिकारियों को भेजकर जांच करावा लें ...(व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : सांचौर तहसील के लोग गंदा पानी पी रहे हैं। यह पत्रिका का जवाब है।

श्री भंवरलाल शर्मा : उत्तर दे रहा हूं न तो ... (व्यवधान) उत्तर नहीं सुन रहे हैं आप।

श्री परसादीलाल मीणा : आप क्या जवाब देंगे ? ... (व्यवधान) जवाब क्या देंगे आप ?

श्री हीरालाल विश्नोई : आप क्या जवाब देंगे ? आपके पास कोई जवाब नहीं है। गंदे पानी से कई तरह की बीमारियां फैलती हैं। कुबड़ापन फैल गया है और आप कह रहे हैं पानी ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा लगता है कि आप जवाब नहीं सुनना चाहते माननीय मंत्री महोदय का। मुझे विवश होकर के ... (व्यवधान) बैठिये आप, विराजिये आप। मुझे नैक्स्ट सवाल पूछना पड़ेगा। आप सुनिये शांति से।

श्री हीरालाल विश्नोई : एक भी जवाब, सत्य दें तो मैं सुनने के लिये तैयार हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : देखिये, मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूं। मेरे पास जो जानकारी है वह मैंने आपको बतायी है और मैं आपकी बात पर ज्यादा विश्वास करूंगा। मुझे अधिकारियों ने जो बात कही है वह मैंने आपको लिखकर दी है। जो काम अब हो गये वे भी बताये हैं और जो नहीं हुए वे भी बताये हैं। आप यह फरमा रहे हो कि जो काम बताये हैं कि पूरे हुए, वे भी नहीं हुए तो उसका तरीका तो यही है कि यदि आप चाहें तो मैं हमारे मंत्री महोदय को आपके साथ भेज देता हूं विधान सभा के बाद दोनों चले जाएं। यदि एक भी स्कीम, जो मुझे दी है कि पूर्ण हो गयी और वह कमी रह गयी तो निश्चित रूप से एक्शन करूंगा और ... (व्यवधान) अब मैं तो मानता हूं हुई है। मेरे पास जो रिपोर्ट है वह यही है।

श्री हीरालाल विश्नोई : मंत्री महोदय, आप खुद पधारे थे। आप कितने जी.एल.आर. पर गये थे और वहां कहां पानी मिला था आपको ? यह बता दीजिए आप। कितनी स्कीम पर आपको हम ले गए और कौनसी स्कीमों में आपको पर्याप्त पानी मिला यह आप बता दीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह उसके बाद की रिपोर्ट है।

श्री हीरालाल विश्नोई : उसके बाद की वही रिपोर्ट है जो पहले आपको दी थी। वही भिजवायी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विश्नोई जी। आप उत्तर में व्यवधान नहीं डालें। सरकार की ओर से उत्तर आ रहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : अब क्या हो इसका ? अब क्या करें इसको आप बता दीजिए। मेरी जो सूचना है उस सूचना के आधार पर जो मैंने लिस्ट दी है वह पूर्ण हो गयी। आप कहते हैं कि नहीं हुई। उसका तरीका यह होगा कि या तो कोई जांच करवा लें या ज्यादा अच्छा होगा कि हमारे जो मंत्री महोदय हैं और आप विधान सभा के बाद पधार जाऐ । अगर एक भी स्कीम, जो पूर्ण दिखाई गयी है अगर अपूर्ण मिले तो आप जो कहेंगे एक्शन लूंगा और अगर मान तो कि वह पूर्ण हो गयी होगी, तो आपको इस्तीफा नहीं देने दूंगा फिर भी। यह है कहना।

श्री हीरालाल विश्नोई : आप खुद ही पधारे थे उस समय नहीं हुई थी।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर पर्याप्त है।

प्रश्न संख्या –143

श्री रतनलाल ताम्बी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री हीरालाल विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई जवाब नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर पर्याप्त है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय मंत्री महोदय मनोहरपुर और शाहपुरा में खुद उद्घाटन करके आये। स्कीम पूरी नहीं थी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर पर्याप्त है। श्री अमराराम जी । जोर से बोलिये अमराराम जी।

श्रीमती कमला : टंकी की लाइन जुड़ी हुई नहीं थी और उसके बाद में....... (व्यवधान) उसका क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : जोर से बोलिये अमराराम जी।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : जो कर्मचारी, जो अधिकारी खामी कर रहे हैं पानी जैसे मामले को लेकर उनके ऊपर सख्त कार्यवाही की जाए........ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें। माननीय मंत्री महोदय को आपके साथ भेज रहे—

(6)

(श्री उपाध्यक्ष)

(व्यवधान) माननीय सदस्य, इससे बड़ा उत्तर नहीं हो सकता। राज्य सरकार आपके साथ जा रही है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, यह स्वय पधारे थे...... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, राज्य सरकार आपके साथ जा रही है... (व्यवधान) इसकी जांच होगी। विराजें आप।

श्री हीरालाल विश्नोई : कोई कार्यवाही नहीं की इन्होंने। कौन जा रहा है ? जांच, यह स्वयं जाकर आये थे। कोई जांच नहीं की है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात पूरी सुननी पड़ेगी। पानी का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराज जाएं माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी जनता तरस रही है और मैं यहां पर बैठकर आपकी यह असत्य बात सुनने के लिये तैयार नहीं हूं..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने काफी पेशेंस रखा, आपकी बात को सुना, लेकिन आपने उत्तर नहीं सुना।

श्री हीरालाल विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, पेयजल योजना का मामला है — (व्यवधान) आज का पेपर बता रहा है, इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुई ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इस अखबार से इस सदन का कोई मतलब नहीं है, विराजें आप।

श्री हीरालाल विश्नोई : हमने इसके लिए भूख हड़ताल भी की, कोई कार्यवाही नही हुई ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : पानी का मामला है। बहुत गम्भीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय, दुबारा जवाब दीजिए, सुना नहीं गया, आप दुबारा जवाब दे दें (व्यवधान)... आप जवाब नहीं सुनना चाहते हैं।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही गम्भीर मामला है, पानी से सम्बन्धित मामला है।

(माननीय सदस्य श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : कोई भी स्कीम आज तक पूरी नहीं हुई है।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, जब सांचौर के माननीय सदस्य ने कहा कि वे उनके साथ गये थे। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, दो साल में कोई कार्यवाही नहीं हुई और आप गोलमाल जवाब दे रहे हैं। मैंने मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखा, मैंने स्वयं ने भूख हड़ताल की (व्यवधान)... आज वहां की जनता गंदा पानी पीने को मजबूर हो रही है।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : बहुत गम्भीर मामला है... (व्यवधान)... जो स्कीमें शुरू की

(श्री महेन्द्र कुमार मीणा)

वे कोई भी पूरी नहीं हुई, सब अधूरी की अधूरी रहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आप नियमों का पालन करें। आदरणीय विश्नोई जी, आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य, आप बार-बार उठ रहे हैं, यह ठीक नहीं है। आपके सचेतक महोदय कुछ व्यवस्था की बात कह रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह नम्र निवेदन है कि माननीय सदस्य जो सांचौर से आ रहे हैं, यहां बहुत कम सवाल पूछते हैं। इनके यहां पानी की भयंकर समस्या है, इसमें कोई दोराय नहीं। माननीय मंत्री महोदय स्वयं भी वहां पधारे और वहां आदेश भी देकर आए, उनकी पालना हुई नहीं और इसके बावजूद उन्होंने यह सवाल उठाया था कि आप उधर पधारे, सब कुछ करके आए लेकिन उसके बाद भी कार्यवाही नहीं हुई, योजनाएं अधूरी की अधूरी पड़ी हैं और वहां पर पानी के हालात बहुत नाजुक है। पीने का पानी नहीं मिले यह बहुत बड़ी समस्या है। लिहाजा मेरा यह निवेदन है कि आप माननीय स्टेट मिनिस्टर साहब को कृपापूर्वक एम.एल.ए. साहब के साथ इस सत्र के दौरान ही भेजकर जांच करवाकर उचित आदेश दिलवाएं तो वह ज्यादा उचित होगा।...... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराज जाएं। अब कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। अब आप विराजें, विश्नोईजी, बार बार बोलने से कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। इससे अधिक आपके सचेतक महोदय ने कह दिया। मंत्री महोदय आपके साथ जाएंगे, आप कृपया उनके साथ जाएं।

श्री हीरालाल विश्नोई : मैं भंवरलालजी के साथ भी गया था, दो साल हो गये, दो बार मेरे एरिये में गये, एक कार्यवाही नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष : वे अकेले चले जाएंगे, आपको साथ लेकर नहीं जाएंगे और वो क्या करें। अब आपके साथ जाने से कोई कुछ सार्थक अर्थ नहीं निकलता तो मंत्री महोदय अकेले चले जाएंगे। आप साथ नहीं जाना चाहते, मत जाइए। श्री अमरारामजी।

श्री हीरालाल विश्नोई : पानी की वहां जो ज्वलंत समस्या है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बैठिए, मंत्री महोदय, विराजें आप, कोई जवाब नहीं होगा। बैठ जाइए आप। ....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : प्रश्न संख्या 144.

जिला सीकर में शराब की अधिकृत दुकानें

144. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या उप मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सीकर में देशी एवं अंग्रेजी मदिरा की अधिकृत दुकानें कहां-कहां स्थित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(8)

(श्री अमराराम)

(2) क्या यह सही है कि जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में शिकायत निवारण समितियों का गठन किया हुआ है ? यदि हां, तो जिला सीकर में गत दो वर्षों में उक्त समिति की कितनी बैठकें किस-किस तारीख को हुई, तथा उन बैठकों में कौन-कौन जन प्रतिनिधि उपस्थित हुए ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत दो वर्षों में सरकार को अवैध शराब की दुकानों के सम्बन्ध में कितनी शिकायतें मिली तथा द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

राज्य मंत्री, आबकारी (श्री अनंग कुमार जैन) : (1) जिला सीकर में स्वीकृत देशी एवं अंग्रेजी दुकानों की सूची संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार है।

(2) राज्य में जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मदिरा की स्वीकृत अवस्थिति के विरुद्ध प्राप्त परिवाद पर विचारार्थ जिला स्तरीय समिति का गठन किया हुआ है। जिला सीकर में गत दो वर्षों में उक्त समिति की दो बैठकें दिनांक 22.10.96 एव 26.11.97 को हुई। उक्त दोनों ही बैठकों में कोई भी जन प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ।

(3) गत दो वर्षों में सीकर जिले में शराब की दुकानों के सम्बन्ध में 45 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनकी जांच कराई जाकर नियमानुसार कार्यवाही की गयी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जो लिस्ट इन्होंने उत्तर में बताई है उसमें मात्र 181 गांव सीकर जिले के हैं, जहां स्वीकृत दुकानों की लिस्ट इन्होंने दी है, शहर की दुकानों की लिस्ट अलग है।

मेरा मंत्रीजी से पहला सवाल यह है कि सीकर जिले के 945 गांवों में से एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां शराब के ठेकेदारों की दुकानें नहीं चलती हों।

श्री उपाध्यक्ष : सूची संलग्न है, पढ़ लें।

श्री अमराराम (धोद) : वह पढ़ ली मैंने, 181 के अलावा 764 गांवों में जो अवैध दुकानें चल रही हैं वे क्या मंत्री महोदय और सरकार की आज्ञा से चल रही हैं ? और क्या इसलिए चल रही है कि मुख्य मंत्रीजी का गृह जिला सीकर है ? अगर सरकार की इजाजत से नहीं चल रही है तो मंत्री महोदय बताएं कि इन 764 गांवों में जो अवैध दुकानें हैं, वे तारीख बताएं कि कब तक बन्द हो जाएंगी।

मेरा दूसरा प्रश्न है कि सरकार की मंशा इस बारे में क्या है ? अवैध शराब की दुकानों को लेकर इस सदन में बार-बार आवाज उठी सरकार ने आदेश दिया कि जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कलेक्टर की अध्यक्षता में, वहां का आबकारी अधिकारी इसका सैक्रेटरी होगा, मीटिंग होगी। दो साल में सीकर जिले में दो

(श्री अमराराम)

मीटिंग हुई और उनमें एक जन प्रतिनिधि भी नहीं पहुंचा। इसका कारण मात्र यह रहा, मैं मेरा तो कह सकता हूं कि जब दो दफा मीटिंग बुलाई गयी तो इन मीटिंगों का पत्र सात दिन और चार दिन बाद मिला। यह जो दो मीटिंगें बताई हैं आपने, इनके पत्र पहली का सात दिन बाद और दूसरी का चार दिन बाद में मिला। पत्र इसी मकसद से डाला गया मीटिंग निकलने के बाद क्योंकि मैं वहीं सीकर में रहता हूं।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) : हमें तो आज तक मिला ही नहीं। हमें तो आज तक मीटिंग की सूचना मिली ही नहीं। कभी करते ही नहीं मीटिंग।

श्री अमराराम (धोद) : यह लो, मंत्री महोदय, क्या जनता को केवल + + + बनाने के लिए कमेटी बनाई गयी थी और अगर सरकार सह मंशा रखती है कि अवैध शराब की दुकानें बंद हो, जनता को इस तरह से पीड़ित और इस तरह की शिकायतें उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि स्कूलों के सामने, सीनियर सैकण्डरी स्कूल के एकदम गेट के सामने ये दुकानें हैं और आपका आबकारी विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन पूर्णतया ठेकेदार के अधीन है। क्या सरकार ने यह आदेश दिये है ? यदि नहीं दिये हैं, तो इन मीटिंगों में कार्यवाही समय पर नहीं करके जनता की शिकायतें दुरुस्त नहीं कर सकें, उन अधिकारियों के और कलेक्टर के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है, ? यह दो प्रश्न हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : एक प्रश्न मेरा भी है। सीकर का तो माननीय सदस्य ने बताया। मैंने निवेदन किया कि छोटे-से-छोटे गांव, जो जोधपुर जिले में है, वहां पर भी शराब मिलती है, लाइसेंसधारी हैं, उन्होंने उप केन्द्र वहां खोल रखे हैं। इतनी शराबखोरी बढ़ी है कि सीधे से सीधे गांव में शाम पड़ने के बाद में राह चलने वालों का निकलना मुश्किल हो रहा है, यह स्थिति है।

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री अनंग कुमार जैन : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी बताया कि चार दिन और सात दिन बाद शिकायत मिली, इस प्रकार की कोई शिकायत आपने पत्र द्वारा राज्य सरकार को तो कभी भेजी नहीं।

श्री अमराराम (धोद) : शिकायत नहीं, मीटिंग की सूचना बता रहा हूं।

श्री अनंग कुमार जैन : मीटिंग की सूचना आपको नहीं मिली, इस प्रकार की बात आज तक मेरे ध्यान में नहीं लाई और न राज्य सरकार के ध्यान में लाई। लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपनी तरफ से माननीय सदस्य की संतुष्टि के लिए और बहुत विनम्र तरीके से निवेदन करता हूं

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अनंग कुमार जैन)

क्योंकि यह विषय ऐसा है कि हर विधान सभा सत्र में विभिन्न सदस्यों द्वारा कई तरह से उठाया जाता है और यह सच है कि कहीं न कहीं हो सकता है कि कुछ अवैध दुकानें भी चल रही हों लेकिन दुकान के रूप में वह नहीं चलती, गांवों में जो अधिकृत दुकानें हैं, उन दुकानों को तो राज्य सरकार द्वारा लाइसेंस दिया हुआ है, वे दुकानें चलती हैं लेकिन हो सकता है कि किसी गांव में कोई व्यक्ति पड़ौस की दुकान से शराब खरीद कर 2-2, 3-3 बोतलें इकट्ठी कर लेता है।

श्री नारायण सिंह : स्वीकार करो।

श्री उपाध्यक्ष : सुनिए माननीय, उत्तर तो पूरा आ जाने दीजिए। थोड़ा धैर्य तो रखिए।

श्री अनंग कुमार जैन : कृपया जवाब सुन लें। अगर गांव में कोई आदमी इकट्ठी कर लेता है शराब और अपने निजी इन्टरेस्ट के लिए, निजी फायदे के लिए वह शराब बेचता है लेकिन जब -जब भी राज्य सरकार के ध्यान में लाया जाता है। जैसा मैंने इस प्रश्न के उत्तर में भी निवेदन किया कि एक साल के अंदर 45 केसेज सीकर जिले में बनाये गये जिसमें अधिकांश केसेज ऐसे बनाये गये जहां किसी के पास मिली अवैध शराब 10 बोतल, 20 बोतल, 25 बोतल, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, उसको गिरफ्तार किया गया और उसमें चालान पेश किया गया। तो यह कहना कि सरकार चाहती है, सरकार तो पूर्ण रूप से सजग है और जैसे ही सरकार से ध्यान में आता है कोई अवैध दुकान चल रही है, जो हमारी पैट्रोलिंग ऑफिसर्स की ब्रान्च है वह लगातार पैट्रोलिंग करती है और लगातार इस बात को ध्यान में रखती है कि कोई अवैध शराब गांवों में नहीं बिके।

इन सबके बावजूद एक प्रकरण माननीय सदस्य खुद जिला आबकारी अधिकारी के यहां पहुंचे थे, उस मामले में भी आपने शिकायत की थी, उस मामले में 100 बोतल शराब की एक व्यक्ति के पास नाजायज मिली। उसको तत्काल गिरफ्तार करके उसकी शरारब जब्त की गयी और उसके खिलाफ कार्यवाही की गयी और अंत में चालान पेश किया गया। जो भी कदम कानून के अंदर हैं उनके मुताबिक सरकार कदम उठाती रही है। उसके बावजूद भी माननीय सदस्यों को मैंने पहले भी निवेदन किया था और यह कमेटी बनाने का मतलब भी यही था जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और माननीय सदस्यों को उसमें शामिल किया गया था। अधिकांश जिलों में इसकी बैठकें रैगुलर होती हैं। यह जरूर होता है कि शराब से सम्बन्धित या इससे सम्बन्धित कोई शिकायत ही प्राप्त नहीं हो तो वहां के जिलाधीश मीटिंग नहीं बुलाते हैं। लेकिन एक शिकायत भी हमारे पास पैंडिंग रह जाती हैं तो तत्काल एक महीने के अंदर मीटिंग बुलाई जाती है,उसके अंदर माननीय सदस्यों के सुझाव लिए जाते हैं। माननीय सदस्य जैसा सुझाव देते हैं उसके अनुसार निर्णय लिया जाता है। इसलिए सरकार तो

(श्री अनंग कुमार जैन)

पूर्ण रूप से सजग है, फिर भी माननीय सदस्य यदि कोई शिकायत बताना चाहते हैं तो वह मुझो बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें, प्रश्न के माध्यम से आ गयी आपके पास। आप इस पर क्या कदम उठाना चाहते हैं ?

श्री अनंग कुमार जैन : इस पर तो पिछले एक साल के अंदर हमने 45 केस दर्ज किये है। फिर भी विशेष रूप से आप ऐसी कोई जगह बताते हैं, आप मुझे व्यक्तिगत रूप से लिस्ट दे दें मैं उस लिस्ट के मुताबिक यहां के जो एडिशनल कमिश्नर लेवल के अधिकारी हैं उनको भेज दूंगा। आप चाहें तो आपके साथ भेज दूंगा। वे आपके साथ जितने गांवों में आप चाहेंगे, जितनी जगह चाहेंगे और जितने दिन चाहेंगे उतने दिन आपके साथ दौरा कर लेंगे और कोई दुकान अवैध पायी गयी तो उसको तत्काल बंद करा देंगे।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कह रहे हैं कि आप जो बताएंगे। मैं तो बता रहा हूं 764 गांव। एक गांव जिसमें गये थे (व्यवधान) महावीर जी, क्या कह रहे हैं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : इन्होंने यह कहा कि यह 764 गांवों का वैध है। आप लिस्ट दे देना।

श्री अमराराम (धोद) : मैं तो यह कह रहा हूं कि एक गांव भी ऐसा-

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न पूछिए।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा। ये जो अवैध शराब की दुकानें हैं वे कितनी तारीख तक मंत्री महोदय हटवा देंगे? मंत्री महोदय कह रहे हैं आप बताएंगे। मैं कहता हूं पूरे के पूरे गांवों में हैं। ऐसा कोई गांव नहीं है। नेशनल हाइवे पर म्युनिसिपैलिटी के अलावा कोई रख नहीं सकता, वहां भी है।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि जिस सरकार की मंशा को आबकारी अधिकारी और कलेक्टर ने पूरा नहीं किया, दो साल में दो मीटिंगें भी सही-सलामत नहीं बुलायी, केवल खानापूर्ति की है उनके खिलाफ क्या करेंगे ? आपने उत्तर दिया है कि नियामानुसार कार्यवाही की गयी। ये तो वे शिकायतें हैं जो आपके ठेकेदार आबकारी विभाग को ले जाकर जो अवैध शराब के ठेकेदार हैं उनके अलावा बेचते हैं, उन पर आपने 45 मुकदमे किये हैं। लेकिन जो अधिकृत ठेकेदार हैं उनके खिलाफ आपने दो साल के अंदर एक भी मुकदमा दर्ज किया ? जहां तक मंत्री महोदय, मेरी शिकायत करने की बात है, उसी रजिस्टर्ड ठेकेदार ने वहां के गांव वालों के प्रतिवाद करने के बाद अपहरण के दो मुकदमे दर्ज करवाए। 200 लोग आपके अधिकारी के पास आए और आपके अधिकारी से पूछा कि यह लिस्ट कहां है ? एक घण्टे के बाद में आपके आबकारी कार्यालय में अनधिकृत की लिस्ट आयी थी। किसी भी व्यक्ति को जितनी अधिकृत दुकानें हैं उनकी लिस्ट नहीं देते। मेरा तो यही स्पेसिफिक प्रश्न है कि जिस सरकार की जो मंशा है, आप कह

(12)

(श्री अमराराम)

रहे हैं मंशा है, तो जिस आबकारी अधिकारी और जिला प्रशासन व कलेक्टर ने दो साल में उसको लागू नही किया उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करते हैं और नियमानुसार आपके क्या-क्या कार्यवाहियां की हैं ? इनमें ठेकेदार के कितने लोग पकड़े गए, यह बता दीजिए ।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है। माननीय मंत्री महोदय ने अभी जिस कमेटी का जिक्र किया, पहली बात यह बताइए कि उस कमेटी को क्या अधिकार है ? दो-तीन साल पहले एक कमेटी की मीटिंग में मैं गया था तो वहां यह कहा कि लाइसेंस वाली दुकानें हैं वे अगर कोई धार्मिक स्थान के नजदीक हों उसके बारे में यहां शिकायत आती है तो उसी के बारे में सुनवाई होती है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि राजस्थान में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां आपके ठेकेदार की अनधिकृत दुकान नहीं है। आप कह रहे हैं कार्यवाही कर रहे हैं। कार्यवाही आपने वो ही की है जो ठेकेदार ने जाकर पकड़ाया। आप आपका पुलिस प्रशासन आबकारी विभाग, सरकार सब ठेकेदार के इशारे पर चल रहा है। आप कमेटी का बहाना बनाकर इस बात को दबाएं नहीं ।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को दबाने का सवाल नहीं है, लेकिन जो कमेटी बनायी गयी वह भी इसी कारण से बनायी गयी थी कि बार-बार यह शिकायतें आती थीं तो माननीय सदस्य को उस कमेटी में शामिल किया गया ताकि जिला अधीक्षक, जिला कलक्टर ....

श्री नारायण सिंह : उस कमेटी का उद्देश्य क्या है यह तो बताओ।

श्री अनंग कुमार जैन : उनके माध्यम से जो शिकायतें आती हैं उन पर तत्काल निर्णय लिया जाता है।

दूसरा, यह कहा कि पूरे राजस्थान के अंदर 38 हजार गांव हैं और 38 हजार गांव या ढाणियों में दुकानें चल रही हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि यह तो वही प्रश्न है कि 38 हजार गांवों में सरकार चैकिंग कराए और 38 हजार गांवों में दुकानें ढूंढें, क्यों यह सरकार का काम नहीं है कि वह अवैध दुकानें जाकर के ढूंढ़े।

श्री हरिसिंह (महुवा) : और किसका काम है यह ?

श्री अनंग कुमार जैन : सरकार का काम यह है कि –

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह सरकार का काम नहीं है तो किसका काम है ?

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : यदि यह सरकार का काम नहीं है तो फिर किस बात की सरकार है ?

श्री अनंग कुमार जैन : जब चल ही नहीं रही है तो कहां से ढूंढेगी ?

श्री हरिसिंह (महुवा) : छोड़ दो वहां पर और कोई जाकर कब्जा कर लेगा। (व्यवधान) सरकार का काम क्या है ?

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की बराबर पैट्रोलिंग टीम चलती है। वह कार्यवाही करती है। (व्यवधान) जो भी एरिया है ..... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप नहीं ढूंढेंगे, आप एक्शन नहीं लेंगे तो कौन एक्शन लेगा? आप रोकेंगे नहीं तो कौन रोकेगा ? (व्यवधान) अनधिकृत दुकानों को आप नहीं रोकेंगे तो कौन रोकेगा ?

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : क्या यह सरकार का काम नहीं है ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह +++ (व्यवधान) शराब माफिया चुनाव में करोड़ों रुपयों का धन देते हैं। इसलिए यह सरकार माफियाओं के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। शराब माफियाओं से सरकार मिली हुई है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया बिराजें। सब एक साथ बोल रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं है। एक साथ न बोलें, माननीय सदस्य। (व्यवधान) मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं, स्पष्ट करना चाहते हैं। माननीय सदस्य रामस्वरूप जी, कृपया बिराजें। बैठें। (व्यवधान) बैठें तो सही। कृपया बिराजें। आप सुनें तो सही। आप बिराजें।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : शराब के ठेकों के अंदर किन-किन मंत्रियों की हिस्सेदारी है? (व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : यह कहना गलत है कि सरकार मिली हुई है। यह एक तरह की कल्पना है। (व्यवधान) शराब इन्होंने चालू की है और ये ही आज इस तरीके से उसका विरोध कर रहे हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : यह यहां पर इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं_ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए आप।

श्रीमती कमला (बैराठ) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ राजस्व गांवों का ही सवाल नहीं है। राजस्व मामों के अलावा जो ढाणियां हैं, गांव हैं उनके अंदर भी_

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं और आप अपने तरीके से उठकर बोलना शुरू कर देते हैं। आप बिना आसन की आज्ञा से बोलकर, इतनी वरिष्ठतम सदस्य होने के नाते मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप बार-बार न बोलें।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय,_

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, कृपया, कृपया। मंत्री महोदय को सुन लें आप।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस जनता पार्टी की सरकार ने ही राजस्थान के अंदर शराबबंदी की थी। अगर

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री अनंग कुमार जैन)

यह पाप किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसने 1980 में शराबबंदी को हटाकर शराब को चालू किया। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : ये शराब माफियाओं के धन से चुनाव लड़ने की कार्यवाही कर रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप आचार्य तुलसी के भक्त हो, यह पाप अपने हाथ से मत करो। जिस सरकार का जैन मंत्री अपने हाथ से यह पाप करे...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह सरकार शराब माफियाओं के काले धन से चुनाव जीतना चाहती है। यह सरकार कुछ भी नहीं कर सकती।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : यह सरकार माफिया से मिली हुई है। (व्यवधान) आज सरकार के प्रोटेक्शन के अन्दर गुजरात में शराब चल रही है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह सरकार शराब माफिया को प्रोटेक्शन दे रही है।

श्री रामस्वरूप मीणा: हरियाणा में चालू की थी फिर पीने लग गये। हरियाणा में फिर छूट दे दी। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : यह आरोप प्रत्यारोप तो...

श्री उपाध्यक्ष : बैठ जाएं। प्रश्नकर्ता। क्या कुछ और रह गया ? क्या रह गया? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अभी रह गया, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : एक सवाल और पूछ लीजिए। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : जवाब आया नहीं और बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : जवाब आने से पहले, कृपया बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : मैंने यह पूछा कि सरकार की जो मंशा थी उसको नहीं किया गया। अगर यह सरकार यह मानती है कि लागू नहीं किया तो उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नही की ? इसलिए मैं यही समझता हूं कि सरकार कार्यवाही नहीं करना चाहती तो मंशा ही नहीं थी। सरकार उन ठेकेदारों से मिली हुई है।

जहां तक प्रश्न अवैध शराब की दुकानों का हैं, मंत्री महोदय फरमा रहे हैं कि कुछ आबकारी विभाग का लवाजमा तो बिलकुल ठेकेदार का नौकरी ही है, सरकार से नौकर की तरह व्यवहार नहीं करता है।

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : बिलकुल सही है, नौकर है उनका।

श्री अमराराम (धोद) : वह हटाने की बात नहीं कर सकता। अगर सही तरीके से नहीं हटाया चाहते, एक भी गांव ऐसा नहीं है, एक गांव में चार-चार हैं। मंशा यह है कि जो स्वीकृत हैं, मैंने प्रश्न में यह भी नहीं पूछा कि कौनसी सरकार ने शराबबन्दी लागू

(श्री अमराराम)

की और कौनसी ने लागू नहीं की, मैंने यह नहीं पूछा, मैंने यह पूछा है कि क्या रामराज की सरकार यहीं गंगाजल पिलाना चाहती है?

श्री शैलेन्द्र जोशी : शराब माफिया के +++ हैं।

श्री अमराराम (धोद) : और नहीं पिलाना चाहती तो इनको रोकने की जो सरकार की मंशा थी उसको आबकारी विभाग के अधिकारियों और कलेक्टर ने लागू नहीं किया तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही होगी और जो नियमानुसार आपने बतायी है इसमें ठेकेदार के कितने लोगों के खिलाफ चालान किया ? यह बताइये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठें। श्री वैरवा साहब।

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा सीधा प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : सीधा ही पूछिये। कृपा करके सीधा ही पूछिये।

श्री बनवारीलाल बैरवा : मैं सीधा ही पूछ रहा हूं। उपाध्यक्षजी, आपने जो यह बात फरमाई है कि हमने मीटिंग आयोजित की है जिला मुख्यालय पर तो। आज तक मेरे ख्याल से कोई मीटिंग ऐसी आयोजित नहीं हुई जिसके अन्दर विधायकों को बुलाया गया हो। खास तौर से इनके विधायकों को बुला लिया हो मैं नहीं जानता लेकिन मुझे उसके अन्दर नहीं बुलाया गया।

दूसरी बात, मैंने जिलाधीश महोदय से मुख्य रूप से यह बात कही कि हमारे निवाई बस स्टैण्ड पर सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल के ठीक सामने शराब की बहुत बड़ी दुकान है। आप और कुछ नहीं कर रहे हैं तो कम से कम इसको तो बन्द करवा दो।

श्री उपाध्यक्ष : कौनसे जिले की बात है, टौंक जिले की ?

श्री बनवारीलाल बैरवा : टौंक जिले की है, मेरे क्षेत्र की बात कह रहा हूं। और जैसा आपने फरमाया, कोई अपवादस्वरूप ही कोई गांव होगा जहां गांव में दुकान नहीं हो।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : आप अलवर की वता दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप तो जनता पार्टी में है न ?

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : जनता पार्टी में दारू की छूट है क्या ? जनता पार्टी वालों को दारू की छूट है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : जनता पार्टी में हैं न ?

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : जनता दल में हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रशंसा की है मंत्री महोदय ने इस पार्टी की।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : फिर हरियाणा विकास पार्टी, बीजेपी. का हरियाणा का भी बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : आपको तो खुशी होनी चाहिए। बिराजिऐ। बैठिये।

श्री बनवारीलाल बैरवा : उपाध्यक्षजी, मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि जो दुकानें स्वीकृत हैं उन्हीं दुकानों पर आप बिकवायें। गांव-गांव में तो नहीं फैलायें इस व्यवस्था को। इससे कम से कम गरीब लोग तो बहुत ही परेशान हैं। उनके घरवाले परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं इसलिए आप जरा इस पर गौर फरमायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री धनखड़ साहब। आपकी तरफ से बोल रहे हैं। आपकी तरफ से हो रहा है। (व्यवधान)...

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उम्मीद की जाती है कि मंत्री महोदय ने पुनर्विचार कर लिया होगा और वह ऐसी बात नहीं कहेंगे कि जवाब देने की आवश्यकता सरकार की इस बारे में नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या पूरे राजस्थान में किसी भी शराब के ठेकेदार के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपने अपने पूरे काल में कोई मुकदमा दर्ज किया है ?

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न ।

श्री जगदीप धनखड़ : कहीं नहीं किया। सीकर में भी नहीं किया, कहीं नहीं किया। दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में 15 हजार से ज्यादा अवैध शराब की दुकानें हैं, क्या एक पर भी आपने कार्यवाही की ?

श्री उपाध्यक्ष : यह संख्या कैसे इकट्ठी की ? 15 हजार की।

श्री जगदीप धनखड़ : 15 हजार से ज्यादा कहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐसी चीज है जिसका सेवन मैं करता नहीं हूं। इसलिए मेरे को ज्यादा जानकारी है । (व्यवधान)

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्षों में एक संस्कृति उत्पन्न हुई है कि शराब माफिया ने सरकारी तंत्र पर पूरा कब्जा कर लिया है और यदि अगर आबकारी विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार कानून के तहत कुछ भी आप कार्यवाही करें तो पता चलेगा कि अरबों रुपयों का उन्होंने घोटाला किया है। यह शुरूआत आपने आज तक साधारण अधिकारियों के खिलाफ की है पर ऐसे विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नहीं की है जहां भ्रष्टाचार का पूरा बोलबाला है। क्या मंत्री महोदय, इस मामले में कोई जांच कराने को तैयार हैं ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से प्रश्न है ...

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती कमला।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि मैं राजस्थान भर में कहां-कहां दुकानें

(श्रीमती कमला)

ढूंढता फिरूं। आप तो शुरू यही से, विधान सभा के नीचे से ही कर लीजिए और ठेठ बोर्डर तक चले जाइये, न सिर्फ राजस्व ग्रामों में बल्कि ढाणियों में भी ढाणियों के अलावा थैलों में, बोतलें भरकर, एक-एक हैलमेट के अन्दर यह सारे के सारे घूम रहे हैं और उनको देखने वाला, मानीटर करने वाला, इनको पकड़ने वाला, सजा देने वाला नहीं है।

मैं दूसरा आपसे यह पूछना चाहती हूं कि इनको तो देर से बुलाया, हमें तो आज तक भी कोई इस कमेटी की मीटिंग का नोटिस नहीं आया। माननीय बनवारीलाल जी ने कहा कि उनको भी नहीं आया तो मैं समझती हूं कि बहुत-से माननीय विधायकों को इस कमेटी का पता ही नहीं है कि कोई कमेटी है और उसकी आज तक कोई मीटिंग हुई है क्या । इसलिए आप इसको हल्का और सामान्य तरीके से मत करिये और किसी का उदाहरण देकर भी इसको इतना हल्का मत करिये। यह बहुत गम्भीर समस्या हो रही है और आने वाली सारी पीढ़ी इस शराब के नीचे आकर बरबाद होती जा रही है, यह गहन चिन्ता का विषय है।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है। यह शराब का मामला बारबार आता है । राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर रखा है कि विद्यालयों के पास, धार्मिक स्थानों के पास, बस स्टैण्डों के पास दुकान नहीं होनी चाहिए लेकिन राजस्थान में कई जगह है और उन पर कार्यवाही नहीं होती है। मेरे क्षेत्र में जहाजपुर विद्यालय भंवरकला गेट है उसके ठीक 40 फीट पर शराब की दुकान चल रही है। रोज वहां झगड़े होते हैं। बच्चे आते हैं। बस स्टैण्ड पर चलती है। ऊंचा जो देवली के पास है, वहां पर बिलकुल सड़क पर जहां पर महिलाएं पानी भरती हैं पनघट पर, अस्पताल जाती हैं...

श्री उपाध्यक्ष : मामला केवल सीकर का है, सवाल पूछिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : सवाल यह है कि जो नीति से आपने आदेश जारी किया उसका इम्प्लीमैंट ही नहीं हो रहा है। कहीं कोई शराबप्रेमी मंत्री बहुत हस्तक्षेप कर रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि बच्चों के भविष्य का सवाल है, वहां पर विद्यालय के पास में दुकानें हैं, आपके निर्देश की पालना नहीं हो रही है। उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करते आप ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। बिराजें आप।

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जब यह पहले सवाल उठा था तब यह यह कहा था कि नेशनल हाई-वे पर हम कोई दुकान नहीं लगाने देंगे। आप भी जाते हैं राजगढ, बस्सी में नेशनल हाई-वे पर दुकान लगी हुई है। भण्डाणा में अभी बिलकुल नया शो-रूम ...

श्री उपाध्यक्ष : मेरी तो उधर निगाह ही नहीं जाती।

श्री परसादीलाल मीणा : भण्डाणा में लगा रखी है आपने। आपने नेशनल हाई-वे को भी नहीं छोड़ा। वहां पर भी आप दुकानों की अनुमति दे रहे हैं या बिना अनुमति लगा रहे हैं ? नेशनल हाई-वे पर सरकार की क्या नीति है ? उससे कितनी दूर दुकान लगाने की अनुमति देते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : पूछिये आप।

श्रीमती बीना काक : मैं तो आपसे यह पूछना चाहती हूं कि आज जितने सप्लीमैंट्री क्वेश्चंस हुए हैं, क्या मंत्री महोदय ने उन्हें नोट किया है और उनका जवाब आज आ जाएगा या हमेशा की तरह अगला प्रश्न बगैर जवाब आये बुला लिया जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : शैलेन्द्र जी जोशी ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, इन शैक्षणिक संस्थाओं, भीड़ भरे माहोल में और मंदिरों के आसपास के जो जिला कलेक्टर के यहां प्रावधान पैण्डिग हैं उन पर गये दो सालों से कोई एक्शन नहीं हुआ है। मैंने दौसा जिलाधीश महोदय के यहां गवर्निंग काउन्सिल में और जो हर महीने डी. एल. ओज. की हमारी मीटिंग होती है, उसमें भी यह बोला है। उसके बाद भी हमारे स्टेट हाई-वे नम्बर 25 और आभानेरी में शिवजी के मन्दिर के पास, बांदीकुई में मैन मार्केट में...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। श्री राजेन्द्र जी चौधरी। कृपया बैठें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : और बसवा में महादेव के मंदिर के पास स्कूल है और बन्द नहीं हो पा रही है। कारण यह है कि यह जो शराब माफिया है इनका करोड़ों रुपयों का अवैध धन बी.जे.पी. को चुनावों के लिए चन्दे के लिए चाहिए। इसलिए यह कोई कुछ नहीं करते।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये आप। ऐसी बातें करते हैं। बिराजें।

श्रीमती बीना काक : जवाब आएगा ?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : + + +

श्री राजेन्द्र चौधरी : सिंघवी साहब, आप भी पूछ लेना। आप भी पूछ लेना।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये। माननीय सदस्य, यह प्रश्न नहीं है। बिराजें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, सीकर जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाया, चूंकि यह प्रश्न सीकर जिले से सम्बन्धित है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का यह सर्वोच्च सदन इस महत्वपूर्ण विषय पर शराब की जो नीति है, जो सरकार की नीति है, सरकार उस नीति के अनुसार उसकी पालना के अन्दर कोई सख्त कदम नहीं उठाती है उस पर चर्चा कर रहा है। आज हालात यह है कि शराब

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

माफिया के ठेकेदारों ने अपनी खुद की पार्टी लेकर के एक्साइज वाले इनके पीछे रहते हैं और मैं मेरे वहां का उदाहरण देता हूं। वहां पर मर्डर किया है, गोली चलाई पीछा करके, उनको मारा गया है। मैं पीपाड़ क्षेत्र की बात बताता हूं और हालात यह हुए कि ....(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, बात यह नहीं है ...

श्री उपाध्यक्ष : इस सवाल से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है जो आप पूछ रहे हैं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, हम यहां पर जनहित के अन्दर बात कर रहे हैं, सरकार के विरुद्ध बात नहीं कर रहे हैं। हम तो सरकार की जो नीति है, उस नीति को कठोरता से सरकार उसकी पालना नहीं कर रही है और शराब माफियाओं के दबाव के अन्दर एक्साइज डिपार्टमेंट काम कर रहा है, इसलिए वह चिन्ता की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अहारीजी।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह कहा कि धार्मिक स्थानों पर हम दुकानें बन्द करेंगे, मैं ऐसा ही एक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं कि डूंगरपुर जिले में राजकीय माध्यमिक विद्यालय है झोंतरीपाल में, उसके पास में दुकान खोली है और दारू पीकर खिड़की के पास में अन्दर खिड़की में बोतल डाल देते हैं। वहां लड़कियों की शाला है और वहां पीकर बोतलें फेंक देते हैं। यह एक नीतिगत प्रश्न है इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि क्या आप शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास में जो भी दुकानें हैं, बन्द करेंगे। ऐसा हमारे डूंगरपुर जिले में है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीणाजी।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकराय में बालाजी मोड़ ....(व्यवधान) बालाजी मोड़ जो कि बहुत धार्मिक आस्था का केन्द्र है और जहां देश-विदेश से, पूरे राजस्थान से ही नहीं, देश-विदेश से यात्रीगण आते हैं। उस बालाजी के मोड़ के ऊपर शराब की बहुत बड़ी दुकानें खुली हुई हैं। वहां उत्तर प्रदेश से भी यात्री आते हैं, राजस्थान से भी यात्री आते हैं और कुछ गुंडे बदमाश लोग भी शराब पीकर बालाजी मन्दिर में जाते हैं और वहां जेब काटते हैं, महिलाओं को छेड़ते हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि बालाजी मोड़ की जो दुकानें हैं उनको तुरन्त बन्द की जाएं और उस पवित्र स्थान का, धार्मिक स्थान का ध्यान रखा जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शराब की बिक्री सबसे ज्यादा इसलिए हो रही है हर दुकान में यह लिखा हुआ है कि हमारे इधर, हमारे सब-डिविजन के अन्दर पूरी सड़क के पास सबसे ज्यादा सस्ती कोई शराब है तो हमारे यहां से खरीदो और उन्होंने वहां तुलनात्मक

(श्री रामस्वरूप मीणा)

लिस्ट भी पेश कर रखी है क्या इस प्रकार से यह सस्ती शराब हमारे यहां ही क्यों बिक रही है, कारण क्या है इसके पीछे, यह सबसे ज्यादा गुंडे तत्व हमारे यहां आते हैं और शराब ले-लेकर के बस वाले अपनी सीटों के नीचे शराब भर-भरकर दूसरे स्टेट में ले जा रहे हैं और ऐसे शराब का अवैध धंधा हमारे यहां सस्ती होने के कारण चल रहा है। इससे अपराध बढ़ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। बिराजिए। श्री पूनमचन्दजी विश्नोई।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : ऐसा है, सब गड़बड़ी का कारण यह है कि पहले एक तहसील में 5-6 में लाइसेंस थे और अब स्थिति यह बनी है, हर गांव के अन्दर लाइसेंसधारियों ने अपनी शाखाएं खोल दी हैं। क्या उनको शाखाएं खोलने का अधिकार है, यह प्रश्न है। यह सब उत्पात का कारण अवैध शराब तो है तो पकड़ियेगा, लेकिन क्या उनको हुआ यह है कि हर गांव के अन्दर उन्होंने शाखा खोल दी है आपकी इसलिए शाम को हरेक ही दारू पी लेता है, इसका जवाब दो कि वह खोल सकता है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : वैसे सारे प्रश्न अलग से हैं, मंत्री महोदय, आप जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं ।

श्री अनंग कुमार जैन : उपाध्यक्ष महोदय, जो सम्बन्धित प्रश्न है, उनका जवाब दे देता हूं। इस प्रश्न के ऊपर सदन के अधिकांश माननीय सदस्य भी उद्वेलित रहें। मैं आपके माध्यम से जो भी सम्बन्धित प्रश्न है, उनका जवाब माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहूंगा। पहली शंका तो आपने यह उठाई कि क्या कोई ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही की गयी तो अकेले सीकर जिले के अन्दर 45 मुकदमे बने, उसमें से 11 मुकदमों में ठेकेदार की दुकान को वहां से हटवाई गयी और जहां कमेटी चाहती है वहां पर स्थानीय लोगों की राय थी, उनकी जन भावनाओं का आदर करते हुए 11 जगह उनकी दुकानों से वहां से बन्द करवाकर दूसरी जगह स्थानान्तरण करवा दिया गया है। अब भी ऐसे कई जिले हैं जिनके अन्दर ठेकेदारों के आदमियों के खिलाफ बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज हैं और उन मुकदमों पर कार्यवाही हो रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। हजारों की संख्या में पूरे राजस्थान के अन्दर ठेकेदारों के आदमियों को गिरफ्तार किया गया है। अब मैं झालावाड़ जिले के बारे में इस समय बता सकता हूं आपको कि वहां ठेकेदारों के खिलाफ 15-20 मुकदमे बने हैं, उसके कई आदमियों को गिरफ्तार किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : फिर तो सारे जिलों के बारे में बताना पड़ेगा।

श्री अनंग कुमार जैन : नहीं, मैं तो एक निवेदन कर रहा हूं उदाहरण के रूप में। सीकर जिले में किया है, झालावाड़ का पता है। इस प्रकार दूसरी जगहों पर भी...

श्री अमराराम (धोद) : आपने मीटिंग नहीं बुलाई, उसको तो बता दो।

श्री अनंग कुमार जैन : वह रिकार्ड तो आपके प्रश्न में आपने पूछा नहीं था, इसलिए वह रिकार्ड लाया नहीं लेकिन बड़ी संख्या में ठेकेदारों के लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसलिए आपकी जो शंका है कि ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती, ठेकेदारों के ऊपर भी कार्यवाही होती है अगर वह नियम तोड़ता है और जो भी दुकान राज्य सरकार के नियमों में दी हुई है, उसके अलावा जो भी दुकान है, अगर लाइसेंसधारी की उसमें अंकित है उसके अलावा दुकान चलती है तो वह निश्चित रूप से अवैध दुकान होती है और उस अवैध दुकान के बारे में राज्य सरकार भी चिंतित है कि उसको बन्द करवाई जाए। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि अपने विभाग की ओर से पूरे राजस्थान के अन्दर एक मास चैकिंग चलवाकर उच्चाधिकारियों की पैट्रोलिंग टीम को उसमें लगाकर और राज्य सरकार की ओर से और यह प्रयास किये जाएंगे कि ये दुकानें अगर कहीं अवैध चल रही हैं तो अवैध दुकानें बन्द करवाई जाएं।

दूसरा, मैं बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा, जैसे एक माननीय सदस्य ने यह कह दिया कि ठेकेदारों से भारतीय जनता पार्टी चुनावों में चंदा लेती है तो माननीय सदस्य, यह तो परिस्थितियों का अगर आप आकलन करें ना तो ये परिस्थितियों स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है लिखी हुई कि चंदा किसने लिया 1980 में? भारतीय जनता पार्टी ने लिया ? कांग्रेस पार्टी तब चुनाव जीतकर आई, जनता पार्टी तो चुनाव हारी उस समय, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतकर आई और जो वायदा इन्होंने इन माफियाओं से किया और ये माफिया कब से बने हैं ? 1952 से लेकर 1990 तक (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप हैं, यह भारतीय जनता पार्टी + + + है शराब माफियाओं की, भारतीय जनता पार्टी + + + (व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : 38 साल तक इनको माफिया नजर नहीं आये। (व्यवधान) जब इनके हाथ से राज चला गया तब इनको माफिया नजर आये तो इन्होंने चंदा लेकर के शराबबंदी यहां खोली और जो चुनावों में वायदे किये, उसके आधार पर पैसा लेकर के ...(व्यवधान) वह चंदा तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही इन शराब माफियाओं से ले रही है, माननीय सदस्य अपने दिल पर हाथ रख कर देख लें कि किसको पैसे शराब माफियाओं से मिलते हैं।

श्रीमती बीना काक : आरोप लगाना छोड़ो। आरोप लगाना भाभड़ाजी पर छोड़ दो, आपको शोभा नहीं देता। आरोप-प्रत्यारोप तो भाभड़ाजी पर छोड दो आपके शोभा नहीं देता। हाथी के पैर में सबके पैर। (व्यवधान) भाभड़ा जी बहुत हैं आरोप लगाने के लिए तो। (व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी ने न तो कभी शराब माफिया से कोई चंदा लिया, न पहले लिया न आज

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री अनंग कुमार जैन)

लिया न आइन्दा लेगी। यह कांग्रेस पार्टी का कल्चर रहा है कि शराब माफियाओं से चंदा लेना उनके काले धन के आधार पर चुनाव जीतकर आना और यहां स्वतंत्रता दे रखी है बोलने की, स्वतंत्रता से बोले जाते हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : शराब माफिया की इन्कम से आप जीते हुए हैं।.......

श्रीमती बीना काक : भाभड़ाजी बहुत हैं। (व्यवधान) भाभड़ाजी काफी है। (व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : ... और परिस्थितयां स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है कि 1980 के अन्दर, ये शराब माफिया, उपाध्यक्ष महोदय, एक साल, दो साल छह महीनों में नहीं बने, लम्बा काल लिया है। 1952 से लेकर 1990 तक, 38 साल के अन्दर जो माफिया बने, वे किसके राज में बने ? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपकी गवर्नमेंट शराब माफिया चलाते हैं, शराब माफिया आपके डिसीजन लेते हैं।

श्री अनंग कुमार जैन : 1977 से 1980 में ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : मंत्रीजी, आप तो यह बता दो, आपने निर्णय तो लागू नहीं किया ?... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपकी कैबिनेट के डिसीजन शराब माफिया लेते हैं। ... (व्यवधान) कैबिनेट के डिसीजन शराब माफिया के इशारे पर लिये जाते हैं। (व्यवधान) पता है कि नहीं आपको ? आप तो + + + शराब माफिया के हाथों ...(व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन ; 1977 में शराबबंदी की..... (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, + + + ।

श्री अनंग कुमार जैन : सरकार ढूंढ रही है दुकानें... (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे हिन्दुस्तान में मैंने कोई वकील नहीं देखा आज तक, मैंने भी 30 साल तक वकालत की कि कोई वकील गांव जाकर घूमें कि भई मुझे वकील करना है क्या, आ भई, मुझे वकील कर लो, कोई नहीं जाता गांवों में। मैंने भी की है 30 साल तक वकालत तो यह तो सरकार के ध्यान में आता है, शिकायत करते हैं। हां, अगर माननीय सदस्य मुझे यह बतायें कि राज्य सरकार के ध्यान में कोई प्रकरण लाया गया हो, उस पर तत्काल कार्यवाही नहीं हुई हो और आपको सूचना नहीं मिली हो । ... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह सरकार शराब माफिया के + + + यह सरकार उनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार शराब माफियाओं के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती है । (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि सरकार ने आदेश लागू किये कि नहीं किये ?

+ + + शब्द /अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : लाइसेंसधारी को कहीं अपनी शाखा खोलने की इजाजत है क्या ? किसी गांव में अपनी शाखा खोलने की इजाजत है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये। माननीय सदस्य, बिराजिये। नैक्स्ट, शिव किशोर सनाढ्य।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : प्रश्न संख्या 145.

श्री उपाध्यक्ष : जवाब सुनिये, मंत्री जवाब दे रहे हैं। कृपया बिराजिये।

श्री भरतसिंह (खानपुर) : आपने बोलने ही नहीं दिया, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री रतनलाल ताम्बी : उपाध्यक्ष महोदय, रास्ता बन्द होने से, रास्ता अवरुद्ध हो गया इसलिए मेरा प्रश्न नहीं आ सका। कृपा करके मेरे प्रश्न को पहले ले लें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन :...उस समय मैं भी सदस्य था। जब शराबबंदी खोली तो मैंने पूनमचन्दजी साहब से बहुत निवेदन किया कि शराब को मत खोलने दो और हमको बोलने दो, उस समय बहुत कोशिश की थी। ...... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया माननीय सदस्य, बिराजिये। मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान) आसन पैरों पर है। आप बैठिये, माननीय श्री रतनलालजी ताम्बी साहब। मंत्री महोदय।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : प्रश्न संख्या 145। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय आप बिना इजाजत बोल रहे हैं। आप बैठिये। पहले आप बैठिये। मैं अनुमति नहीं दे पाऊंगा। कृपया सुनिये। आप मंत्रीजी को सुनिये। आप पहले बिराजिये। बिराजिये आप। बिराजिये। अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं होगा। आसन पैरों पर है। अंकित नहीं होगा। माननीय मंत्री महोदय।

श्री भरतसिंह : x x x

उदयपुर में उच्च न्यायालय बैंच की स्थापना प्रकरण

145. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर में उच्च न्यायालय की बैंच की स्थापना के लिए वकीलों और जनता द्वारा नियमित रूप से मांग की जाती रही है ? यदि हां, तो बैंच की स्थापना के प्रस्ताव सरकार को कब प्राप्त हुए और अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार उदयपुर के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के गरीबों को शीघ्र एवं सस्ता न्याय दिलाने की बात सिद्धान्ततः स्वीकार करती है ? यदि हां, तो बैंच की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकार करने में सरकार को क्या कठिनाई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

(3) उदयपुर में सैशन जिला न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय कुंल कितने हैं ?

राज्य मंत्री, विधि (श्री कालीचरण सराफ) : (1) जी, हां। उदयपुर में उच्च न्यायालय की बैंच स्थापित करने के लिए अधिवक्ता संघ एवं जनता द्वारा बराबर मांग की जाती रही है। बैंच स्थापना के प्रतिवेदन 15.02.82 से निरन्तर सरकार को प्राप्त होते रहे हैं। इस सम्बन्ध में सरकार के स्तर से माननीय उच्च न्यायालय के परामर्श हेतु निरन्तर पत्र व्यवहार किया जाता रहा है परन्तु उच्च न्यायालय ने सहमति व्यक्त नहीं की है बल्कि उच्च न्यायालय ने पत्र दिनांक 14.2.97 द्वारा यह सूचित किया है कि उदयपुर में बैंच स्थापित करने के बारे में उच्च न्यायालय का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(2) सरकार आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के गरीबों को शीघ्र व सस्ता न्याय दिलाने की बात सिद्धांततः स्वीकार करती है तथा इस हेतु विभिन्न स्तर के 27 न्यायालय उदयपुर जिले में स्थापित किये गये हैं। साथ ही लोक अदालत के द्वारा भी शीघ्र व सस्ता न्याय दिलाने जाने की कार्यवाही जारी है। उच्च न्यायालय की बैंच स्थापना का मामला राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार का नहीं होकर केन्द्र सरकार से सम्बन्धित है। संविधान की अनुसूची सात के क्रम संख्या 78 में उच्च न्यायालय की स्थापना से सम्बन्धित मामले संघीय सूची में आते हैं। इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की सहमति होने पर संसद द्वारा कानून बनाया जा सकता है। राज्य सरकार इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय एवं केन्द्र सरकार से विस्तृत परामर्श का विचार रखती है।

(3) उदयपुर न्याय क्षेत्र में ...

श्री उपाध्यक्ष : उदयपुर क्षेत्र में।

श्री कालीचरण सराफ : जिला एवं सैशन न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या 27 है। इन न्यायालयों में 10 न्यायालय सैन्शन स्तर के तथा 17 अधीनस्थ न्यायालय हैं।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके माध्यम से, कि यह स्वीकार कर रहे हैं कि आज 18 साल से उदयपुर के लोग वहां के अधिवक्ता निरन्तर इस मांग को रखते रहे हैं। 18 साल के अन्तर्गत आज यह कह रहे हैं कि हम केन्द्र सरकार से बातचीत करेंगे और उससे मालूम करेंगे। उच्च न्यायालय ने इनका 14.2.97 को वापस लिख दिया कि इसके विषय में नहीं। एक तरफ तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जब स्टेट्स का मर्जर हुआ था तब मेवाड़ में हाई कोर्ट की बैंच थी और जब स्टेट्स के मर्जर हुए तो कुछ समझौते हुए थे और उन समझौतों का भी पालन नहीं किया जाए, अगर उच्च न्यायालय जोधपुर में है और उसकी एक

(**श्री शिवकिशोर सनाढ्य**)

बैंच जयपुर में आती है तो जयपुर में जिस तरीके से वह बैंच आई क्या उस प्रोसीजर को लागू करके यहां नहीं किया जा सकता था। मैं जानना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि उस प्रोसीजर को लागू क्यों नहीं किया गया? आपका कहना है कि यह तो संसद कानून बनाएंगी, तो क्या उस समय संसद ने कानून बनाया था ? अगर हाई कोर्ट की बैंच यहां आ सकती है और आपने जैसा कहा कि वहां पर 27 हमने अदालतें खोल रखी हैं उसमें से 10 सैन्शन कोर्ट्स हैं और यह 10 सैन्शन कोर्ट्स जो फैसले देती है उनकी सारी रिट या उनकी अपीलें सब हाई कोर्ट में होती है। हजारों केसेज पेण्डिग हैं हाई कोर्ट के अन्दर, आप एक बैंच ही लगा देते, कुछ समय के लिए आप हाई कोर्ट के जजेज का एक कैम्प लगा देते...

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न है या भाषण ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : जब आप यह मानकर चलते हैं कि वह आदिवासी क्षेत्र है, 55 प्रतिशत आदिवासी वहां रहते हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या हुआ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मेरा प्रश्न यह है कि श्रीमन् कि यह जो कह रहे हैं आज कि हम परामर्श करेंगे तो 18 साल से सरकार परामर्श नहीं कर सकी और ...

श्री उपाध्यक्ष : क्या यह सही है ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मेरा यह निवेदन है कि अगर आदिवासियों का, 55 प्रतिशत आदिवासी हैं जिनकी सैकड़ों रिटें, सैकड़ों अपीलें, दस सैशन्स कोर्ट जो फैसले देती हैं, उनकी हाई कोर्ट में पेण्डिग हैं तो क्या वहां पर एक कैम्प नहीं लगाया जा सकता, क्या एक सर्किट बैंच नहीं लगायी जा सकती उदयपुर के अन्दर ?

श्री उपाध्यक्ष : नम्बर दो।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : ताकि इन केसज को निपटाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : नम्बर तीन। सवाल नम्बर तीन। कृपया बिराजें। (व्यवधान) तसल्ली रखें।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य उदयपुर से आने वाले ने पूछा है कि 18 साल से आपने विचार क्यों नहीं किया है, तो मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि हाई कोर्ट की बैंच खोलने के लिए तीन स्टेसेज होती हैं। पहली स्टेज यह है कि माननीय उच्च न्यायालय इसकी परमीशन दे। फिर दूसरी स्टेज है कि उच्च न्यायालय के परमीशन देने के बाद केन्द्र सरकार को हम अनुरोध करें, वह संसद में कानून बनाये और हमें परमीशन दे और तीसरी स्टेज राज्य सरकार की आती है। अभी तो प्रथम स्टेज पर ही उच्च न्यायालय ने 14.2.97 को हमें मना कर दिया कि

(श्री कालीचरण सराफ)

माननीय उच्च न्यायालय का फिलहाल कोई भी बैंच खोलने का विचार नहीं है। जहां तक जयपुर की उच्च न्यायालय की बैंच का मामला है, जिस प्रक्रिया को अभी अपनाया जा रहा है, जब जयपुर में उच्च न्यायालय की बैंच खुली थी उस समय भी इसी प्रक्रिया के अनुरूप हमने कार्यवाही की थी और माननीय उच्च न्यायालय ने परमीशन दे दी, केन्द्रीय सरकार ने परमीशन दे दी तो हमने जयपुर में उच्च न्यायालय की बैंच खोल दी। अभी आपका जो मामला है उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने ही मना कर दिया तो प्रथम स्टेज पर ही मामला अभी चल रहा है तो दूसरी और तीसरी स्टेज आने के बाद राज्य सरकार का मामला तो तीसरी स्टेज का आएगा इसलिए अभी जो स्थिति थी वह मैंने आपको बता दी।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : किस आधार पर मना किया ?

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। स्टेट्स का मर्जर हुआ उस वक्त में यह तय किया गया कि यूनिफाइड हाई कोर्ट जोधपुर में रहेगा। उसके बाद में आपने यह बैंच स्थापित कर दी, एजीटेशंस वगैरह किये यहां पर। उसके बाद सरकार ने यह निर्णय लिया था कि यूनिफाइड हाई कोर्ट वहां, यहां बैंच तो लगाई जाएगी लेकिन तीन डिपार्टमैंट्स के हैडक्वार्टर्स जोधपुर में किए जाएंगे। न तो वह तीन डिपार्टमैंट्स के हैडक्वार्टर्स आपने जोधपुर शिफ्ट किये, अब वहां पर वापस एजीटेशन चल रहे हैं, एडवोकेट्स यह कह रहे हैं कि जब मर्जर के वक्त में यह तय हुआ कि जोधपुर दूसरे नम्बर की रियासत थी...

श्री उपाध्यक्ष : यह तो शायद उदयपुर का मामला है.(व्यवधान) यह प्रश्न, यह सवाल...

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : हाई कोर्ट तो उस समय मेवाड़ में भी थी.(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : उस वक्त भी यह तय हुआ कि यूनिफाइड हाई कोर्ट एक रहेगा, न तो बैंच जयपुर में रहेगी और उदयपुर में बैंच होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : यह अलग से प्रश्न है कि आप मेरे से अलग से बात कर लें तो मैं विभाग से जानकारी प्राप्त करके आपको जानकारी दे दूंगा। पर अभी इस प्रश्न से सम्बन्धित आपका प्रश्न नहीं है इसलिए...

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रश्नकर्ता का जवाब दीजिये, मंत्री महोदय। प्रश्नकर्ता ने कुछ सवाल पूछे हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, हमसे भी पूछ लें। हम भी पूछ रहे हैं साहब, एक साथ दे देंगे।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बात कही जा रही है, उच्च न्यायालय से, जैसा आपने कहा, उच्च

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)
न्यायालय जोधपुर से, अगर इस केस को ठीक तरह से प्लीड किया जा सकता है, उनके सामने इस तथ्य को रखा जाता कि वह आदिवासी क्षेत्र है और उस आदिवासी क्षेत्र के कारण से वहां एक बैंच खोलना आवश्यक है, गरीब लोग आकर के जोधपुर में न तो अपील कर सकते हैं, न अपनी पैरवी करा सकते हैं क्योंकि उसके लिए बहुत पैसा चाहिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मुंसिफ कोर्ट खुलवाओ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मुंसिफ कोर्ट से तो, साहब, सजाएं होती हैं और अपील वहां होती है। उसमें हाई कोर्ट बैंच होनी चाहिए और सर्किट बैंच होनी चाहिए, कैम्प होना चाहिए। (व्यवधान) गरीबों के लिए, ऐसी मैं राज्य सरकार से अपील करता हूं और मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं। (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : यह उदयपुर का विषय है, जरा इधर आपकी नजर डाल दें।

श्री उपाध्यक्ष : भीखा भाई बोल रहें हैं, माननीय सदस्य श्री भीखा भाई। (व्यवधान)

श्री भीखाभाई (सागवाड़ा) : आदिवासी क्षेत्र में जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच बार्डर के रहने वाले लोग हैं वह नहीं जानते हैं कानून, न उनके पास पैसा हैं, न उनके पास बात है इसलिए जो माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है, वहां पर हाई कोर्ट बांसवाड़ा में होनी चाहिए। यह मेरी मांग है।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : मैं भी माननीय भीखा भाई की बात का समर्थन करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह आदिवासी क्षेत्र है, वास्तव में हाई कोर्ट की बैंच नहीं होने के कारण कई आदिवासी ...

श्री रामस्वरूप मीणा : प्रश्न संख्या 146. (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : जो प्रकरण होते हैं उनमें सजा हो जाती है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (वल्लभनगर) : महावीरजी, आप तो बैठें।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ हैं, मुझे बोलने दें जरा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : खेतसिंहजी और आप तो एक हो जाओ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : हम दोनों एक हैं, आप चिंता मत करो।

श्री रामस्वरूप मीणा : प्रश्न संख्या 146।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे इजाजत दी है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलिये-बोलिये।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : मुझे परमीशन दी है। उपाध्यक्ष महोदय, यह उदयपुर सम्भाग में वास्तव में एक अहम मुद्दा है, आदिवासी जो बंधु है, पैसा नहीं होता है, आर्थिक तंगी के कारण कई केसों में इनको सजाएं हो जाती हैं, इसलिए मैं निवेदन करना

(28)

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

चाहूंगा, प्रश्न आपके माध्यम से पूछ रहा हूं कि क्या मंत्री महोदय दोबारा उदयपुर में बैंच खोलने के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी है, बिहार में भी है जनजाति क्षेत्र, जबलपुर वगैरह में, इस प्रकरण को..... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं, कि मंत्री महोदय..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान) आपके उप नेता महोदय बोल रहे हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक जानकारी चाहता हूं, हाई कोर्ट ने जिस आधार पर...

श्री उपाध्यक्ष : इनके बाद भी लक्ष्मणसिंह जी बोलेंगे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : बैंच नहीं खोलने का निर्णय लिया है या राज्य सरकार के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है, क्या राज्य सरकार उससे संतुष्ट है ? हाई कोर्ट ने जिन आधारों पर बैंच नहीं खोलने का निर्णय लेकर आपको अवगत कराया, क्या राज्य सरकार अपने पक्ष को उसके आधार पर दबा कर बैठी है या वह संतुष्ट है ? क्या करना चाहती है ?

(12.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मणसिंह रावत ।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार आदिवासियों के हितों को पूरी तरह से नैग्लेक्ट कर रही है। माननीय मंत्री महोदय के उत्तर में पूर्णतः विरोधाभास है। पहले पार्ट में इन्होंने कहीं पर भी ज़िक्र नहीं किया है कि इन्होंने सैन्ट्रल गवर्नमैंट से 8 साल में क्या किया ? 8 साल में इन्होंने सैन्ट्रल गवर्नमैंट के पास अपना केस प्लीड ही नहीं किया और सिर्फ हाईकोर्ट तक ही अपनी बात ले जाते रहे। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : प्रश्न संख्या 146.

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : मैं मंत्री महोदय से पाइंटेडली पूछना चाहता हूं कि क्या शिड्यूल सेवन्थ के अन्दर एन्ट्री नं. - 78 में...

श्री रामस्वरूप मीणा : बहुत ही इम्पोर्टेंड है, साहब। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : यह जरूर है कि हाई कोर्ट से सम्बन्धित मामले। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीप धनखड़।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : कहीं पर भी संसद के द्वारा कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। हाउस को मिसगाइड कर रहे हैं। कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : राजस्थान के रोडवेज विभाग का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीप धनखड़।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कभी भी राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को इस सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन भेजा है ? दूसरा, उच्च न्यायालय ने जो 1997 में कहा कि उदयपुर में बैंच की स्थापना नहीं हो सकती। उसके कारण क्या हैं ? उनके आधार क्या हैं ? मना करना एक अलग है। आप उच्च न्यायालय से तो एक साजिशपूर्ण तरीके से मनाही करवा करके (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें, माननीय मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : और केन्द्र सरकार जो कानून बना सकती है उनसे...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय सदस्यों ने जो बात कही, मैं पहले स्पष्ट रूप से कह चुका हूं कि हाई कोर्ट की बैंच खोलने की तीन स्टेजेज हैं। पहली स्टेज माननीय उच्च न्यायालय इसकी परमीशन दे, दूसरी स्टेज केन्द्रीय सरकार परमीशन दे और तीसरी स्टेज राज्य सरकार फिर इस पर विचार करे।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आपने मांग की क्या ?

श्री कालीचरण सराफ : केन्द्रीय सरकार से अभी पूछने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। प्रथम स्टेज पर माननीय उच्च न्यायालय ने भी मना कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय जब परमीशन देगा उसके बाद हम केन्द्रीय सरकार से विचार-विमर्श करेंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सरकार संतुष्ट है। (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

विकास अधिकारी पंचायत समिति सुवाणा के विरुद्ध शिकायत प्रकरण

143. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सुवाणा के विकास अधिकारी द्वारा पंचायत समिति एवं स्थाई समितियों के संकल्प, विनिश्चियों पर कार्यवाही नहीं की गयी है ? यदि हां, तो किस -किस संकल्प आदि की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रधान द्वारा उक्त वर्णित कार्यवाही को क्रियान्वित नहीं करने की विकास अधिकारी की शिकायतें सरकार, जिला परिषद तथा जिला कलेक्टर को की गयी ? यदि हां, तो अब तक उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सुवाण के द्वारा पंचायत समिति एवं स्थाई समितियों के संकल्पों एवं विनिश्चियों पर सामान्यतः सभी पर कार्यवाही की गयी है, किन्तु वित्त कर प्रशासन स्थाई समिति, पंचायत समिति, सुवाणा की बैठक दिनांक 31.12.96, 17.7.97 के समस्त प्रस्ताव एवं 20.6.98 के प्रस्ताव संख्या 4 व 5 एवं साधारण बैठक दिनांक 12.6.98 के पारित प्रस्ताव संख्या 12 की क्रियान्विति नियम विरुद्ध होने से नहीं की गयी। विवरण संकग्न है।

(2) जी, हां। प्रधान द्वारा उक्त वर्णित कार्यवाही को क्रियान्वित नहीं करने बाबत शिकायत जिला कलेक्टर तथा जिला परिषद को प्राप्त हुई है। राज्य सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। संबंधित रेकार्ड मंगाया जाकर उन पर जल्द निर्णय की कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

तहसील बौंली (सवाईमाधोपुर) के पंजीयन प्रकरण

186. **श्री हीरालाल** (बामनवास) : क्या उप मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(1) वर्तमान तहसीलदार बौंली (सवाई माधोपुर) द्वारा अपने कार्यकाल में कब कितनी-कितनी राशि की किन-किन काश्तकारों की जमीन के विक्रय-पत्र (रजिस्ट्री) तस्दीक किये गये हैं ?

(2) वर्ष 1997-98 व 1998-99 में किन व्यक्तियों के चरागाह से अतिक्रमण हटाये एवं किन-किन से कितनी-कितनी राशि शास्तिस्वरूप वसूल की एवं किन-किन लोगों को कारावास का दण्ड दिया गया ? सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त तहसीलदार द्वारा भूमि की कीमत कम आंकी जाकर भी रजिस्ट्री की गयी है ? क्या इससे सरकार को स्टाम्प ड्यूटी के रूप में प्राप्त होने वाली राशि की हानि हुई है ? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और किस अधिकारी से ?

उत्तर

(1) वर्तमान तहसीलदार बौंली श्री कल्याण मल सोनी (उप पंजीयक) द्वारा दिनांक 21.1.97 से 30.6.98 तक की अवधि में संलग्न सूची (परिशिष्ट-अ) में दर्शाये गये काश्तकारों के उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथियों को कुल 404 विक्रय पत्र तस्दीक किये गये।

(2) वर्ष 1997-98 में तहसील क्षेत्र बौंली में 1443 व्यक्तियों द्वारा 1204 बीघा 12 बिस्वा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया था। उनके विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

(उप मुख्य (वित्त) मंत्री)

कार्यवाही करते हुए भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने, फसल नीलामी करने एवं पश्चातवर्ती होने की स्थिति में तीन माह तक के लिए सिविल कारावास से दण्डित किया गया है। सिविल कारावास से दण्डित व्यक्तियों की संख्या 15 है। वर्ष 1998-99 में चार अतिक्रमणियों को कारावास से दण्डित किया गया है। अतिक्रमणियों की सूचियों तथा आरोपित पेनल्टी का विवरण संलग्न है। **(परिशिष्ट-ब)**

(3) उप पंजीयक, बौंली द्वारा सामान्य रूप से कम स्टाम्प ड्यूटी लेकर विक्रय पत्र को पंजीकृत करना नहीं पाया जाता है। फिर भी जिला पंजीयक द्वारा उप पंजीयक का निरीक्षण करते समय एक दस्तावेज सं38 दिनांक 10-2-97 श्रीमती सावित्री देवी बेवा बृजमोहन कुर्मी नि. बौंली का ऐसा पाया गया है जिसमें 190/- रुपये की दर से पूर्व में पंजीकृत मुताबिक इन्डैक्स-2 में अंकित विवरणानुसार समानता लिये हुये दस्तावेज सं. 34 दिनांक 6-2-97 से तुलना करने पर रु. 190/- प्र.व.ग. के स्थान पर रुपये 100/- प्र.व.ग. का मूल्यांकन किया हुआ पाया गया उक्त कम दर के आधार पर तथाकथित सम्पति का मूल्यांकन रु. 80,000/- किया जाकर तद्नुसार 10 प्रतिशत की दर से स्टाम्प ड्यूटी ली गई जबकि वास्तविक मूल्यांकन 1,52,000/- रुपये माने जाने पर स्टाम्प डयूटी रु. 15,200/- होती है। इस प्रकार स्टाम्प ड्यूटी की 7,200/- रुपये की हानि हुई। पंजियन शुल्क भी 2000/- रुपये के स्थान पर 1000/- रुपये की वसूली की गयी थी तद्नुसार 1000/- रुपये की हानि इस पर हुई है, जिसके क्रय में कलेक्टर (मुद्रांक) सवाईमाधोपुर द्वारा जांच कार्यवाही की जा रही है।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्न संख्या - 187
(स्थगित)

पेंशनर्स को एन्जियोग्राफी सुविधा

188. **श्री बनवारी लाल (निवाई) :** क्या उप मुख्य (वित्त) मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों/पेंशनभोगियों की एन्जियोग्राफी राजकीय अस्पतालों में निःशुल्क करने के लिये बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, राजस्थान राज्य पैंशनर्स चिकित्सा योजना द्वारा 5-4-97 को कोई निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार द्वारा अस्पतालों के अधिकारियों को कोई आदेश/ निर्देश जारी किये गये ? यदि हां, तो इन आदेशों/निर्देशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस निर्णय/ आदेश के उपरांत भी राज्य के पेंशनरों को एन्जियोग्राफी से संबंधित कन्ज्युमेबल सामग्री बाजार से क्रय करने के लिये बाध्य किया जाता है ?

(3) सरकार द्वारा वर्ष 1997-98 की अवधि में कितने रोगियों की एन्जियोग्राफी निःशुल्क की गयी, उनमें से कितने पेंशनर्स को इस हेतु दवाइयां बाजार से क्रय करनी पड़ी तथा अन्य रोगियों को कितनी ?

(श्री बनवारी लाल)

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पेंशनर्स की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए एन्जियोग्राफी परीक्षण निःशुल्क किये जाने की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो कमजोर आर्थिक स्थिति से सरकार का क्या तात्पर्य है और इसके अंतर्गत किस-किस श्रेणी के पेंशनर आते हैं ?

उत्तर

(1) दिनांक 5.4.97 को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा योजना की कोई बैठक नहीं हुई। दिनांक 27.8.97 को ग्रुप ऑफ आफिसर्स की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सदस्य सचिव, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को पेंशनर्स की निःशुल्क एंजियोग्राफी करने व उस पर हुए व्यय का पेंशनर्स मेडिकल फण्ड से पुनर्भरण प्राप्त करने हेतु निवेदन करें। इस संबंध में चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग द्वारा आदेश क्रमांक प. 13 (48)एमई/ग्रुप-1/97, दिनांक 20.02.98 जारी किया गया जिसकी प्रति संलग्न हैं। इस आदेश के पश्चात सभी पेंशनर्स की एंजियोग्राफी निःशुल्क की जाती है।

(2) जी, नहीं। उक्त आदेश के पश्चात सभी पेंशनर्स की एंजियोग्राफी निःशुल्क की गई व सभी कन्ज्युमेबल सामग्री चिकित्सालय से दी गयी।

(3) वर्ष 1997-98 की अवधि में 285 रोगियों की निःशुल्क एंजियोग्राफी की गयी। इनमें 139 राज्य पेंशनर्स है। किसी भी पेंशनर को कन्ज्युमेबल सामग्री बाजार से क्रय करने हेतु बाध्य करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट - 2 देखें)

पेंशनर्स को अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र

189. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या उप मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना के अन्तर्गत राज्य के पेंशनरों को अधिक सुविधा देने हेतु अभी कई महत्वपूर्ण संशोधन किये गये हैं ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पेंशनर अधिकृत चिकित्सकों द्वारा लिखी गयी दवाइयों के सहकारी उपभोक्ता अथवा सहकारी समिति द्वारा संचालित दुकानों पर उपलब्ध नहीं होने की दशा में अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र के आधार पर अन्य दुकानों से दवाइयां ले सकते हैं ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र के आधार पर दवाइयां लेने के लिये कोई आदेश जारी किये गये हैं ? यदि नहीं, तो अब कब तक जारी हो जाएंगे ?

(3) क्या सरकार सेवारत कर्मचारियों की भांति अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र के आधार

(श्री खेतसिंह राठौड़)

पर बाजार से दवाइयां क्रय करने की सुविधा पेंशनरों को देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। आदेश दिनांक 12.5.98 की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी, हां। आदेश की प्रति प्रश्न के बिन्दु संख्या 1 के जवाब में सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) राज्य सरकार द्वारा पेंशनरों को अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र पर दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है जबकि सेवारत कर्मचारियों को अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र के आधार पर दवाइयां क्रय करने के पश्चात् पुनर्भरण किया जाता है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट - 3 देखें)

भामाशाह पुरस्कार का वितरण

190. **श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत) : क्या उप मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(1) राज्य सरकार द्वारा भामाशाह पुरस्कार कब शुरू किया गया ?

(2) जिला पाली में आज तक किन-किन को क्या-क्या दान के कार्य करने पर यह पुरस्कार दिया गया ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शिक्षा विभाग द्वारा "भामाशाह योजना" का सूत्रपात वर्ष 1990 में किया गया तथा राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह वर्ष 1995 से, मण्डल स्तरीय समारोह वर्ष 1996 से तथा जिला स्तर पर 1997 से शुरू किया गया।

(2) पाली जिले के भामाशाहों की वर्षवार सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

भीमपुरा (आमेर) की अपूर्ण सड़क का निर्माण कार्य

191. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या उप मुख्य (उद्योग) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(1) क्या सरकार भीमपुरा तहसील आमेर (जयपुर) की सड़क को कांट औद्योगिक क्षेत्र और विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र से मिलाकर दिल्ली मार्ग से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क के निर्माण से दोनों औद्योगिक क्षेत्रों के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा ?

(3) क्या यह भी सही है कि इससे इस क्षेत्र के मजदूरों को सुविधा के साथ-साथ रोजगार भी मिलेगा ? क्या सरकार जनहित में उक्त सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) भीमपुरा तहसील आमेर (जयपुर) की सड़क को कांट कालवाड़ औद्योगिक क्षेत्र और विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र से मिलाकर दिल्ली रोड से जोड़ने हेतु रीको के यहां कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) यह क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 से डामर सड़क से जुड़ा हुआ है। प्रस्तावित सड़क के भीमपुरा से कांट व कांट से बिलोंची वाया कालीघाटी बनाने से रीको के औद्योगिक क्षेत्रों के कर्मचारियों को कोई विशेष सुविधा मिलने की सम्भावना नहीं है।

(3) चूंकि दोनों औद्योगिक क्षेत्र पहले से ही मुख्य सड़क से जुड़े हुए हैं अतः सड़कों को जोड़ने से मजदूरों को कोई अलग से रोजगार मिलने की सम्भावना नहीं। इसलिए सरकार एवं रीको के यहां इस सड़क निर्माण का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

औद्योगिक क्षेत्र कुशलगढ़ में कार्यरत उद्योग

192. **श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़)** : क्या उप मुख्य (उद्योग) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कुशलगढ़ औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा कब की गई ? उसके विकास हेतु क्या कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त औद्योगिक क्षेत्र में कितने उद्योग अब तक स्थापित हुए हैं ? उनमें से कितने चालू हैं और कौन-कौन से बन्द हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि मुर्गीपालन (पोल्ट्री फार्म) लकड़ी का पीठा एवं खाद गोदाम उद्योग की श्रेणी में आते हैं ? यदि नहीं, तो ऐसे कितने आवेदकों को औद्योगिक क्षेत्र में रियायती दरों पर प्लाट आबंटित किये गये ? क्या सरकार ऐसे प्लाटों का आबंटन निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या सरकार कुशलगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में लम्बे समय से आबंटित प्लाट पर कोई उद्योग न लगाने वाले प्लाटों को निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) क्या सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कोई वृहत सीमेन्ट उद्योग या अन्य उद्योग/ संयुक्त उपक्रम लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कुशलगढ़ औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना वर्ष 1978-79 में की गयी थी। इस क्षेत्र के विकास की योजना है जिसके अनुरूप सड़क, पुलियों का निर्माण किया गया है तथा पानी की लाइन पी.एच.ई. डी. से डलवाई गयी है। साथ ही उद्यमियों की

(उप मुख्य (उद्योग) मंत्री)

आवश्यकताओं के अनुसार विद्युत लाइन डाली जा रही है।

(2) उक्त औद्योगिक क्षेत्र में 8 उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने हेतु भूमि का आबंटन किया गया है। इस क्षेत्र में वर्तमान में तीन इकाइयां निर्माणाधीन एवं एक इकाई उत्पादन आरम्भ होने के बाद बन्द है। विवरण की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) मुर्गीपालन एवं खाद गोदाम उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है। लकड़ी का पीठा (आरा मशीन) उद्योग की श्रेणी में आता है एवं आरा मशीन लगाने हेतु वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना आवश्यक है। मुर्गी पालन एवं खाद गोदाम हेतु भूखण्ड आबंटित नहीं किये गये हैं। एक इकाई मैसर्स अम्बर इलैक्ट्रिकल्स राजस्थान वित्त निगम द्वारा अधिग्रहित करके अन्य उद्यमों को नीलाम की गयी है। इस इकाई को भूखण्ड संख्या जी-6 के आंशिक परिसर के गोदाम के रूप में उपयोग लेने पर रीको द्वारा उद्यमियों को नोटिस दिया जाकर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

(4) औद्योगिक क्षेत्र कुशलगढ़ में लम्बे समय से उद्योग नहीं लगाने पर रीको द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। नियमानुसार 3 वर्ष के पश्चात् उद्योग स्थापित नहीं करने की स्थिति में भूखण्ड निरस्त करने की कार्यवाही की जाती है लेकिन 19 वर्ष के अंतराल में केवल एक उद्योग स्थापित होना यह प्रदर्शित करता है कि यह स्लो मूविंग क्षेत्र है, इसलिए रीको द्वारा आवंटित भूखण्डों को निरस्तीकरण में उदारता बरती गयी है।

(5) वर्तमान में सीमेंट उद्योग अथवा अन्य कोई वृहद सीमेंट कुशलगढ़ क्षेत्र में लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राज्य सरकार स्वयं उद्योग नहीं लगाती है अपितु उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। अतः किसी उद्यमी से ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार अथवा रीको को प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

मंडावा (झुन्झुनूं) में आबादी क्षेत्र में स्थापित उद्योग

193. **श्री रेवती प्रसाद (वैर)** : क्या उप मुख्य (उद्योग) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि झुन्झुनूं जिले के कस्बा मंडावा में मैसर्स हाईलेण्ड हाउस लिमिटेड नामक फैक्टरी की स्थापना की गई है ? यदि हां, तो कब ? फैक्टरी स्थापित करने के सम्बन्ध में हुए अनुबन्ध की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त फैक्टरी में किस वस्तु का उत्पादन किया जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त फैक्टरी कस्बे के बीचों बीच आबादी क्षेत्र में स्थापित की गयी है ? यदि हां, तो किन कारणों से ऐसी स्वीकृति जारी की गयी ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि झुन्झुनूं जिले के कस्बा मंडावा में मैसर्स हाईलेण्ड हाउस प्राइवेट लि. नामक फैक्टरी स्थापित है। उद्योग विभाग के अभिलेखानुसार सितम्बर, 1996 में इकाई द्वारा एंटीक्स, ब्रासलेम्प्स एण्ड एसेसरीज, स्टीलबेस मार्बल, टेबल्स, लैथराइट वूड़न (फैक्ट्रीकल बोर्ड) फनीर्चर विनिर्माण हेतु भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय से अनुमति प्राप्त की गयी है। अनुमति की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) इस फैक्टरी में निम्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है: -

1. ऐंटीक्स
2. ब्रासलेम्प्स एण्ड एसेसरीज
3. स्टीलबेस मार्बल ट्रेबल्स
4. लेदरराईट वूडन (फैक्टीकल बोर्ड) फर्नीचर।

(3) जी, हां। उक्त फैक्ट्री कस्बे के बीचों-बीच आबादी क्षेत्र में व्यावसायिक कार्य हेतु क्रयशुदा हवेली की कुल 5457.1 वर्गगज क्षेत्रफल की भूमि पर स्थापित है। नगरपालिका मण्डल, मंडावा से दिनांक 24.1.96 को व्यावसायिक कार्य हेतु उपयोग में लेने के लिए प्रेषित पत्र की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

नगरपालिका झुन्झुनूं द्वारा विकास पर व्यय

194. **श्री दीपेन्द्र सिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(1) गत तीन वर्षो में नगरपालिका झुन्झुनूं क्षेत्र में विकास हेतु किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? वार्डवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में पालिका बोर्ड की बैठकों में किन-किन विकास कार्यों हेतु प्रस्ताव कब-कब प्राप्त हुये, उनमें से कौन से कार्य कब स्वीकृत किये गये तथा कौन से कार्य विचाराधीन हैं ?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षो में नगरपालिका झुन्झुनूं क्षेत्र में विकास हेतु जिस-जिस कार्य पर जितनी-जितनी राशि व्यय की गयी, वार्ड वार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) उक्त अवधि में पालिका बोर्ड की बैठकों में जिन विकास कार्यो हेतु प्रस्ताव जब-जब प्राप्त हुये तथा उसमें से जो कार्य जब स्वीकृत किये गये इत्यादि का विवरण संलग्न है। वर्तमान में ऐसा कोई कार्य विचाराधीन नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

(37)

अग्निशमन कर्मियों को प्रशिक्षण

195. डॉ. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान स्वायत्त शासन संस्थान टोंक रोड, जयपुर द्वारा वर्ष 1995 से फायरमैन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ? यदि हां, तो इस प्रशिक्षण का क्या उद्देश्य है ? इस प्रशिक्षण के लिये क्या कोई नियम/उप नियम बनाये गये हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त प्रशिक्षण दिये जाने की जानकारी समाचार पत्रों में दी जाती रही है? यदि हां, तो कब-कब और नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त प्रशिक्षण कितनी अवधि का है, इसका क्या उद्देश्य है और वर्ष में कितनी बार आयोजित किया जाता है ? प्रशिक्षण हेतु आयु, योग्यता, निर्धारित शुल्क का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त प्रशिक्षण में किस स्तर के अधिकारियों द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है ? क्या वह अधिकारी प्रशिक्षित हैं ? क्या उनको इस कार्य का भत्ता दिया जाता है ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत व कितना ?

उत्तर

(1) जी, हां। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य राजस्थान की समस्त निगमों/परिषदों/पालिकाओं तथा अन्य संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना है। इस प्रशिक्षण के लिये नियम/उप नियम बनाये गये हैं। नियमों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त प्रशिक्षण को जानकारी समय पर नगर निगमों/परिषदों/पालिकाओं व अन्य संस्थाओं को दी जाती रही एवं समाचार पत्रों में यदाकदा विज्ञप्ति सुविधानुसार दी जाती है। जैसे 5-9-97 को दी गयी थी। इसके अतिरिक्त औद्योगिक, शैक्षणिक प्रतिष्ठान होटल्स, अस्पताल, पेट्रोल पम्प सिनेमाघरों तथा राजकीय उपक्रमों को भी सूचित किया जाता है। संस्था के नोटिस बोर्ड पर भी सूचना लगायी जाती है। इसलिये अखबारों में विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं करवाई जाती है।

(3) उक्त प्रशिक्षण की अवधि एक माह को है, इसका उद्देश्य प्रशिक्षण देना है और एक वर्ष में साधारणतया चार बार प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं। न्यूनतम योग्यता व आयु का विवरण सिलेबस में अंकित है। नगर पालिका के कर्मचारियों को विशेष परिस्थितियों में शैक्षणिक योग्यता में छूट दी जाती है। वर्तमान में इस प्रशिक्षण का शुल्क 700/- रुपये है, जिसमें परीक्षा फीस, उपकरण फीस इत्यादि शामिल है। समस्त विवरण सिलेबस में अंकित है, जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(4) उक्त प्रशिक्षण नगर निगम, जयपुर

(स्वायत्त शासन मंत्री)

के मुख्य अग्निशमन अधिकारी के निर्देशन में चलाया जाता है, जो प्रेक्टिकल ट्रेनिंग भी देते हैं। यह अधिकारी प्रशिक्षित एवं अनुभवी हैं। प्रशिक्षण देने वाले व्याख्याताओं को 70/- रुपये प्रति लेक्चर की दर से संस्था के आदेशानुसार भत्ता दिया जाता है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

नगरपालिका करौली के लम्बित निर्माण कार्य

196. **श्री हंसराम गुर्जर (करौली)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या नगरपालिका, करौली में धन के अभाव के कारण विकास कार्य रुके हुये हैं? यदि हां, तो सरकार उक्त नगरपालिका को अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

जी, नहीं। नगरपालिका करौली में आवश्यक विकास कार्य करवाये गये हैं एवं सरकार द्वारा लगभग 6 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। नगरपालिका को अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं।

नगर निगम जोधपुर के अग्निशमन वाहन

197. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर निगम जोधपुर में फायर ब्रिगेड के कितने वाहन हैं ? इनमें से कितनी चालू हालत में है और कितनी खराब हैं ?

(2) वर्ष 1997-98 में उक्त वाहन ने कहां-कहां कार्य किया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त वाहनों के स्थान पर नये वाहन क्रय किये जाने की कोई योजना है ? अग्निशमन व्यवस्था को और चुस्त करने की निगम की क्या योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर निगम जोधपुर में कुल 14 फायर ब्रिगेड वाहन हैं। इनमें से 6 वाहन 1965 में नागरिक सुरक्षा विभाग से प्राप्त हुए जो अत्याधिक पुरानी होने से नाकारा हैं। इसके अलावा 8 अन्य वाहन हैं जिसमें 5 फायर वाहन अच्छी चालू हालत में है। एक फायर वाहन मामूली रिपेयर होना है तथा दो नई चैसिस पर फायर वाहन बोडी फेब्रिकेट करवायी गयी हैं। ये वाहन भी तैयार हो चुके हैं।

(2) वर्ष 1997-98 में उक्त वाहनों ने

(स्वायत्त शासन मंत्री)

जहां-जहां कार्य किया है उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी, हां। फायर ब्रिगेड को और चुस्त करने के लिए बजट वर्ष 1998-99 में लगभग 37.00 लाख की राशि स्वीकृत की गयी है। शास्त्री नगर तथा बासनी औद्योगिक क्षेत्र में दो नये फायर सब स्टेशन चालू करने की योजना है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नगरपालिका, लाडनूं को प्राप्त राशि

198. **श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) नगरपालिका लाडनूं जिला नागौर के कोष में 30 जून, 1998 को कितनी राशि शेष रही तथा किस-किस मद में कितनी-कितनी ? सरकारी सहायता व निजी आय के अलग-अलग मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) चालू वर्ष के प्रारम्भ में किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि थी तथा इसमें निजी आय, सरकारी सहायता तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण नागौर द्वारा दी गयी राशि कितनी थी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत वित्तीय वर्ष में सरकार, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण व निजी आय से कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु प्राप्त हुई तथा उसमें कितनी-कितनी राशि खर्च हुई तथा वर्ष के अन्त में कितनी-कितनी शेष रही और इसमें गत वर्ष की कितनी राशि सम्मिलित हैं ?

(4) इस अवधि में किस-किस मद में स्वीकृत राशि से अधिक व्यय हुआ और यह किस मद से किया गया तथा किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि व्यय नहीं हो सकी ?

उत्तर

(1) नगरपालिका लाडनूं जिला नागौर के कोष में 30 जून, 1998 को राशि 61,93,886.06 शेष रही तथा मदवार सरकारी व निजी आय का अलग-अलग विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) चालू वर्ष 1998-99 के प्रारम्भ में राशि 49,57,540.31 शेष थी। इसमें निजी आय, सरकारी सहायता तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण नागौर द्वारा दी गई राशि इत्यादि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) गत वित्तीय वर्ष 1997-98 में सरकार, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण व निजी आय से जिस-जिस कार्य हेतु जितनी-जितनी राशि प्राप्त हुई उसका विवरण संलग्न है। उक्त में से जितनी-जितनी राशि खर्च की गई व वर्ष के अन्त में शेष रही राशि व पिछले वर्ष की शेष रही राशि का विवरण संलग्न है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(4) इस अवधि में किसी भी मद में स्वीकृत राशि से अधिक व्यय नहीं हुआ है तथा जिस मद में राशि व्यय नहीं हो सकी उसका विवरण संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अधिशासी अधिकारी का आरोप-पत्र प्रकरण

199. **श्री प्रभुराम गरासिया** (पिंडवाड़ा), **श्री अमरचन्द मिढ्ढा** (सूरतगढ़) एवं **श्री पूराराम चौधरी** (भीनमाल) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 310 के तहत अधीनस्थ कर्मचारियों का नियुक्ति अधिकारी बोर्ड/भंग नगरपालिका की दशा में प्रशासक/ अध्यक्ष है ?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की सपठित चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 1964 की धारा 5 के तहत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का नियुक्ति अधिकारी प्रशासक/अध्यक्ष है ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 307 के तहत अधिशासी अधिकारी को नियुक्त किये जाने का प्रावधान है व साथ ही क्या धारा 307 (3) के तहत अधिशासी अधिकारी जैसी भी स्थिति हो परिषद या बोर्ड के अध्यक्ष/सभापति के नियंत्रणाधीन कार्य करने की उल्लेख है ? यदि हां, तो क्या अध्यक्ष/प्रशासक द्वारा पारित किये गये निर्णय की क्रियान्विति हेतु अधिशासी अधिकारी बाध्य है ?

(4) क्या यह भी सही है कि निदेशालय द्वारा नियम 310 व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा नियम, 1964 की धारा 5 के तहत कितनी अधिशासी अधिकारियों को नियुक्ति संबंधित आरोप-पत्र दिये गये ? निदेशालय द्वारा विभिन्न नगरपालिकाओं में नियुक्ति के आदेश प्रशासक/अध्यक्ष को देने तथा भारतीय/राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नियुक्ति अधिकारी होने के उपरान्त भी अध्यक्ष/प्रशासकों को आरोप-पत्र नहीं दिये गये ?

(5) क्या सरकार उक्त प्रकरण में सम्बन्धित नगरपालिका के प्रशासकों व अध्यक्षों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार विभिन्न नगरपालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों को दिये गये आरोप-पत्र निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां।

(3) यह सही है कि अधिशाषी

(स्वायत्त शासन मंत्री)

अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 307 में है तथा यह भी सही है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 307 (3) के तहत अधिशासी अधिकारी प्रेसीडेन्ट या चेयरमैन के नियंत्रणाधीन कार्य का उल्लेख है। अधिशासी अधिकारी/कर्मचारी केवल नियमानुसार निर्णय की क्रियान्विति करने के लिये ही बाध्य है।

(4) विभिन्न नगर निगम/परिषद/पालिकाओं में कर्मचारियों की नियुक्तियों में जांच के दौरान अनियमितताओं के लिये दोषी पाये जाने पर 19 अधिशासी अधिकारियों को सी.सी.ए. नियम 16 व 17 के तहत आरोप पत्र जारी किये गये हैं तथा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी के विरुद्ध सी.सी.ए. 16 के तहत अरोप पत्र कार्मिक (क-3) विभाग को भिजवाया गया है एवं अध्यक्ष/प्रशासकों को भी आरोप-पत्र दिये गये हैं।

(5) जी, हां। दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। विभिन्न नगरपालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों के दिये गये आरोप-पत्रों का जवाब प्राप्त होने पर नियमानुसार जांच कराई जाकर जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही आरोपों के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाता है।

नगर विकास प्रन्यास उदयपुर की समर्पित योजना

200. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर विकास प्रन्यास उदयपुर द्वारा समर्पित योजना के अन्तर्गत भू-खण्डों का आबंटन अवाप्त की गई भूमि के बदले किया गया था ? यदि हां, तो वर्ष 1992-93 में इस योजना के अन्तर्गत कुल कितनी योजनाओं का आउट प्लान स्वीकृत किया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि स्वायत्त शासन विभाग में पत्रावली संख्या एफ-3 (78) नविआ/3/93 पत्रावली उदयपुर की भूमि अवाप्ति की स्वीकृति के सन्दर्भ में विचाराधीन है ? यदि हां, तो कितनी योजनाओं की स्वीकृति दी गई और कितनी शेष है ?

(3) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर, उदयपुर ने स्वायत्त शासन विभाग राज्य सरकार को 20-11-97 को पत्र लिखकर समर्पित योजना में शेष रही 20 योजनाओं के भू-खण्ड धारियों के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण रखते हुए नक्शे पारित करने और अनुमति देने का आग्रह किया है ? यदि हां, तो वे योजनाओं कौन-कौन सी हैं और इस सम्बन्ध में कब तक अनुमति दे दी जायेगी ?

(4) क्या यह सही है कि इन योजनाओं

(42)

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

की स्वीकृति के अभाव में नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के कार्यालय में भू-खण्डधारियों द्वारा निरन्तर आग्रह किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) हां, यह सही है कि समर्पित योजना के अन्तर्गत भूखण्ड का आबंटन तत्कालीन आरक्षित दर से अवाप्तिधीन भूमि के बदले दिया गया था। जिसके अन्तर्गत कुल 33 ले आउट प्लान स्वीकृत हुये उनमें से 20 योजनाओं में ही भूखण्ड आबंटन किये गये हैं।

(2) जी, हां। यह प्रकरण राज्य सरकार में विचाराधीन है।

(3) जी, हां। यह प्रकरण राज्य सरकार में विचाराधीन है। सूची संलग्न है।

(4) जी, हां।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

स्वायत्तशाषी संस्थाओं द्वारा बहेती/टी.पी. की वसूली

201. **श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कौन-कौन सी नगर पालिकायें/परिषदें/निगम राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित हैं ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कलक्टरों/सक्षम अधिकारियों को आदेश दिये गये थे, कि यातायात की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इनके क्षेत्र से गुजरने वाले वाहनों से टी.पी./बहेती वसूल न की जाए ? यदि हां, तो परिपत्र/आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में राज्य की कौन-कौन सी नगरपालिकाओं/परिषदों में टी.पी. की वसूली की जा रही है ? सूची सदन की मेज पर रखें। सरकार उक्त प्रकरण में अब क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नगर निगम/परिषद/पालिकाओं की सूची संलग्न है।

(2) जी, नहीं। टी.पी./बहेती वसूल नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया है। जिला कलक्टरों व अन्य को यातायात की सुविधा को ध्यान में रखते हुये राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नगर निगमों/परिषदों/पालिकाओं को यह आदेश दिये गये थे कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर आई चुंगी चौकियों को हटाया जाकर शहर की सीमा के प्रवेश बिन्दु पर स्थापित करने की कार्यवाही करे। आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) वर्तमान में राज्य की सभी नगर पालिकाओं परिषदों द्वारा टी.पी. वसूल की जा रही है। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। राज्य सरकार द्वारा 1-8-98 से चुंगी समाप्ति की घोषणा की गयी है।

(सूची एवं प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा भूमि की अवाप्ति

202. **श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा)** : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) क्या यह सही है कि नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर ने ग्राम सविना एवं गोवर्धन विलास की आराजी नम्बर की भूमि को अवाप्त करने हेतु आदेश जारी किये हैं ? यदि हां, तो किन-किन आराजी नम्बर की भूमि के ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ग्रामों के किन-किन खातेदारों की भूमि पर नगर विकास प्रन्यास ने सड़क निर्माण किया है/कर रही है तथा भूमि का आराजी नम्बर क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) नगर विकास प्रन्यास ने जिन-जिन आराजी नम्बर की भूमि पर सड़क निर्माण किया है/कर रहा है, उस भूमि के किन-किन खातेदारों को सूचित किया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) नगर विकास प्रन्यास ने पिछले 5 वर्षों में उक्त ग्रामों की भूमि के किन-किन खातेदारों को अवाप्ति या सड़क में भूमि जाने के कारण भूमि आबंटित की है ? आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त ग्रामों की भूमि के किन-किन खातेदारों ने भूमि अवाप्ति/सड़क में जाने के कारण भूमि आबंटन की मांग की है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार ऐसे खातेदारों जिन्होंने अवाप्त भूमि के बदले भूमि आबंटन की मांग की है, उन्हें भूमि आबंटित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर ने ग्राम सवीना व गोवर्धन विलास की भूमि न्यास की सब सिटी सेन्टर योजना एवं ट्रांसपोर्ट नगर योजना हेतु अवाप्त अथवा आपसी समझौते से ली गयी है, जिसमें ग्राम गोवर्धन विलास की भूमि के निम्नलिखित आराजी को अवाप्त कर खातेदारों को मुआवजा राशि चुका कर कब्जा लिया गया है तथा यह भूमि ट्रांसपोर्ट नगर योजना में आ रही है : गोवर्धन विलास के ख.नं. 553, 555, 556 से 559, 517, 518, 554, 1092/510, 1094/1004, 548 से 550, 491, 495, 544 से 547, 539, 540, 543, 551, 552, 500 से 507, 508 से 510, 531 से 533, 536मी., 998, 1020, 1005 से 1010, 1011 से 1013, 1015, 1019, 1093/1029, 1018, 1032 से 1044.

ग्राम गोवर्धन विलास के निम्नलिखित आराजी के खातेदारों द्वारा मुआवजा राशि नहीं लेकर आपसी समझौते से भूमि न्यास

(५१)

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

को समर्पित की गयी जिसके ख.नं. इस प्रकार हैं : - 537, 538,523 से 530, 522, 1025 से 1028, 1113/1029, 1029मी., 1030, 1031, 535 है।

ग्राम सवीना की भूमि न्यास की सब सिटी सेंटर योजना में आने से अधिकांश खातेदारों द्वारा आपसी समझौते से भूमि समर्पित की गयी, जिसके ख.नं. इस प्रकार हैं : - 2 से 22, 61 से 112, 117 से 134, 142 से 148, 256, 262 से 277, 281 से 284, 4134 / 270, 4121 / 262, 4122 / 256

उक्त गांवों की भूमि न्यास की सब सिटी सेंटर एवं ट्रांन्सपोर्ट नगर योजना में होने से राज्य सरकार की स्वीकृति क्रमशः दिनांक 19.2.94 व 5.3.94 अनुसार खातेदारों को भूमि के बदले 12% व्यवसायिक भूखण्ड आबंटन करने की कार्यवाही जारी है।

(2) उक्त गांवों के जिन-जिन खातेदारों की भूमि अवाप्त अथवा आपसी समझौते से कब्जा लिया गया है एवं भूमि का नामान्तरण न्यास के नाम हो चुका है अथवा नामान्तरण की कार्यवाही में है उस भूमि अधिकांश भूमि पर न्यास द्वारा सड़क निर्माण हो चुका है एवं कुछ पर हो रहा है जिसके आराजी नम्बर इस प्रकार हैं : - ग्राम गोवर्धन विलास के खसरा नम्बर 500 से 520, 524 से 535, 536मी., 1116/536, 537 से 542, 545 से 559, 997 , 998, 1000 से 1004, 1094/1004, 1005 से 1029, 1113/1029, 1030, 1046, 1047, 1040/1047मी.

सवीना के ख.नं. 2 से 12, 61 से 90, 93 से 103, 105 से 112, 117 से 134, 142 से 148, 256, 262, 263, 265, 266, 268 से 277, 281 से 284, 4134/278, 4121/262, 4122/256.

(3) नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर ने जिन-जिन आराजी नम्बर की भूमि का मुआवजा राशि का भुगतान खातेदारों को कर दिया है अथवा आपसी समझौते से भूमि समर्पित करायी गयी एवं भूमि का कब्जा न्यास द्वारा लिया जा चुका है उनमें सड़क निर्माण किया है/चल रहा है। सड़क निर्माण हेतु इस प्रकार के खातेदारों को सूचित किया जाना आवश्यक नहीं है।

(4) नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर ने उक्त गांवों की भूमि जो योजनान्तर्गत है एवं जिन खातेदारों ने भूमि का मुआवजा प्राप्त नहीं किया, उन्हें राज्य सरकार की स्वीकृति अनुसार 12% व्यवसायिक भूमि देने के आशय पत्र जारी किये हैं, आबंटन की कार्यवाही जारी है।

(5) उक्त गांवों की भूमि जिन-जिन खातेदारों ने भूमि की मुआवजा राशि प्राप्त नहीं कर राज्य सरकार के निर्देशानुसार भूमि समर्पण कर 12% व्यवसायिक भूखण्ड देने

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

की इच्छा जाहिर की है, उन्हें व्यवसायिक भूखण्ड देने के आशय पत्र जारी किये जा चुके हैं तथा भूखण्ड देने की कार्यवाही जारी है। उक्त आराजीयात उत्तर के बिन्दु संख्या-1 के अनुसार है।

(6) जिन खातेदारों ने अवाप्त भूमि का मुआवजा प्राप्त नहीं किया एवं भूमि न्यास को समर्पित कर दी, उन्हें राज्य सरकार की स्वीकृति अनुसार 12% विकसित भूखण्ड देने की कार्यवाही की जा रही है।

महाजन शेरपुरा (लूणकरणसर) की पेयजल योजना

203. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) महाजन शेरपुरा, ढाणी खोडा व ढाणी छीला की पेयजल योजना कब स्वीकृत हुई तथा उसका निर्माण कार्य कब पूरा हुआ?

(2) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों से शेरपुरा-ढाणी छीला की पाइप लाइन की टेस्टिंग का कार्य सम्पन्न नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इस के लिये कौन जिम्मेदार है ?

(3) अब उक्त लाइन का टेस्टिंग कार्य कब तक पूरा करके पेयजल उपलब्ध करा दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना महाजन शेरपुरा दि. 13.8.93 को 30.64 लाख की स्वीकृत की गयी थी इस योजना का निर्माण कार्य 7/98 में पूरा हुआ है।

(2) क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना महाजन शेरपुरा के अन्तर्गत ग्रम महाजन से शेरपुरा की पाइप लाइन का कार्य तथा शेरपुरा से ढाणी खोडा तथा ढाणी छीला तक पाइप लाइन डालने का कार्य दिनांक 18.7.95 को पूर्ण कर दिया था। लेकिन महाजन से शेरपुरा तक पाइप लाइन के मध्य रेलवे ट्रेक के नीचे से पाइप निकालने का कार्य रेलवे की स्वीकृति पश्चात् माह अगस्त-1996 में पूर्ण हुआ तत्पश्चात् ही शेरपुरा तक तथा शेरपुरा से ढाणी छीला तक की पाइप लाइन की टेस्टिंग का कार्य माह जुलाई, 1998 तक पूर्ण किया जाकर इस ढाणी को पेयजल उपलब्ध करवा दिया गया है।

(3) शेरपुरा से ढाणी छीला तक की पाइप लाइन की टेस्टिंग का कार्य पूरा किया जाकर ढाणी छीला के ग्रामवासियों को पेयजल उपलब्ध करवा दिया गया है।

निर्वाचन क्षेत्र मकराना के स्वीकृत ट्यूबवैल

204. **श्री रूपाराम** (मकराना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(1) वर्ष 1995 से जून, 1998 तक विधान सभा क्षेत्र मकराना के किस-किस ग्राम में कब-कब कितने-कितने ट्यूबवैल स्वीकृत हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री रूपाराम)

(2) उक्त ग्रामों में किन-किन स्थानों के ट्यूबवैल सफल हुए हैं और किन-किन स्थानों में खारा/मीठा पानी निकला है ?

(3) क्या सरकार जहां पर पूर्व में ट्यूबवैल सफल नहीं हुए तथा खारा पानी मिला है, उनके लिए और ट्यूबवैल स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों के लिए और कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मकराना में वर्ष 1995 से 1998 तक स्वीकृत नलकूपों का विवरण परिशिष्ट "क" पर है।

(2) चाही गयी सूचना परिशिष्ट "क" पर है।

(3) विवरण परिशिष्ट "क" पर है। 7 असफल नलकूपों में से 5 असफल नलकूपों के स्थान पर नये नलकूप भू-जल वैज्ञानिक की राय के पश्चात् निर्मित किये जायेंगे। एक स्थान पर स्थानीय कुंआ चालू कर दिया गया है व एक स्थान पर स्थानीय कुंआ शीघ्र ही चालू किये जाने के प्रयास जारी है।

(विवरण एवं सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना के नाकारा हैण्ड पम्प

205. श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में कितने हैण्ड पम्प नाकारा हो चुके हैं ? ग्रामवार सूची सदन को मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त नाकारा हैण्ड पम्पों की जगह नये हैण्ड पम्प लगाने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या सरकार जिन हरिजन मोहल्लों में पाइप लाइन नहीं है वहां शीघ्र पाइप लाइन डालने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में कुल 308 हैण्ड पम्प नाकारा हो चुके हैं। नाकारा हैण्ड पम्पों की ग्रामवार सूची परिशिष्ट "क" पर है।

(2) राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार ऐसे ग्राम जहां सर्विस लेवल 50 प्रतिशत से कम है वहां परित्यक्त हैण्ड पम्पों के स्थान पर नये हैण्ड पम्प चरणबद्ध तरीके से लगाना प्रस्तावित है।

(3) विभागीय नीति के अनुसार शहरी एवं ग्रामीण पाइप्ड जल योजनाओं एवं पाइप लाइन की आवश्यकता एवं बजट की उपलब्धतानुसार हरिजन मोहल्लों में लाइन डालने हेतु विचार किया जाना संभव होगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

निर्वाचन क्षेत्र कामां (भरतपुर) की पेयजल योजनाएं

206. **श्री तैयब हुसैन** (कामां) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कामां कस्बे के नागरिकों को पेयजल सुविधा सुचारू रूप से उपलब्ध है? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या उक्त क्षेत्रों में उपलब्ध पेयजल पीने योग्य है ? यदि हां, तो कैसे?

उत्तर

(1) कामां कस्बे को वर्तमान में 47 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल, स्रोत की कमी के कारण, उपलब्ध हो रहा है जो विभागीय मापदण्डों के अनुरूप नहीं है। कामां पेयजल योजना के पुनर्गठन की आवश्यकता है योजना बनाने हेतु स्रोत की जांच की जा रही है।

(2) जी, हां। कामां कस्बे में वितरित किया जा रहा पेयजल विभागीय मापदण्डों के अनुरूप है तथा पानी का रसायनिक विश्लेषण निम्न है : -

क्लोराइड 350 पी.पी.एम., फ्लोराइड 0.65 पी.पी.एम., नाइट्रेट 20 पी.पी.एम. व टी.डी. एस. 1248 पी.पी.एम. है।

कंटिन्जेन्सी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हैण्ड पम्प

207. **श्री भीखा भाई** (सागवाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1997 से जून, 1998 तक जिला दौसा के लिए कंटिंजेंसी योजना के तहत हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये थे ? यदि हां, तो कहां-कहां के लिए और कब-कब ? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्वीकृत हैण्ड पम्प अभी तक नहीं लगाये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक लगा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जनवरी, 1997 से जून, 1998 तक कंटिंजेन्सी योजना के तहत जिला दौसा में कोई हैण्ड पम्प स्वीकृत नहीं किया गया। लेकिन 7 ग्रामों में जहां सर्विस लेवल 50 प्रतिशत से कम था में 7 हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये। उनका विवरण परिशिष्ट "क" पर है।

(2) विवरण परिशिष्ट "क" पर है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

जिला दौसा हेतु स्वीकृत हैण्ड पम्प

208. **श्री भीखा भाई** (सागवाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला दौसा के लिए वर्ष 1997 से जून, 1998 तक कितने हैण्ड पम्प कहां-कहां तथा कब-कब स्वीकृत किये गये ?

(श्री भीखा भाई)

विवरण स्थान के नाम, स्वीकृत राशि एवं दिनांक सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्वीकृत हैण्ड पम्प चालू कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां, कब-कब और नहीं तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अब उक्त स्वीकृत हैण्ड पम्पों को यथाशीघ्र लगवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला दौसा में 1 जनवरी, 1997 से जून, 1998 तक 1270 हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये हैं। चाही गयी सूचना विवरण परिशिष्ट "क" पर है।

(2) स्वीकृत हैण्ड पम्पों में से 871 हैण्ड पम्प चालू कर दिये गये हैं तथा 35 हैण्ड पम्प खोदे जा चुके हैं जिन्हें 9/98 तक चालू किया जाना प्रस्तावित है। शेष बचे स्वीकृत हैण्ड पम्पों का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उपरोक्त 2 के अनुसार

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम पंचायत पचार (सीकर) को पेयजल

209. **श्री शांतिकुमार धारीवाल** (हिण्डौली) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि मोहल्ला प्रहलादपुरा, ग्राम पंचायत पचार, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर में वर्तमान में पेयजल के लिए एक हैण्ड पम्प लगा हुआ है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस हैण्ड पम्प में पानी का स्तर काफी गहरा चला गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे गहरा कराने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार उक्त ग्राम में पर्याप्त पेजयल व्यवस्था के लिए एक अतिरिक्त हैण्ड पम्प लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। मोहल्ला प्रहलादपुरा पचार में एक हैण्ड पम्प वर्ष 1988-89 से लगा हुआ है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं। ग्राम पचार पाइप्ड जलप्रदाय योजना से लाभान्वित है एवं ग्राम में 17 हैण्ड पम्प भी कार्यरत हैं।

दयालपुरा (बस्सी) की पेयजल योजना

210. **श्री रेवती प्रसाद कोली** (वैर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि बस्सी तहसील के ग्राम दयालपुरा (जयपुर) में फ्लोराइडयुक्त पानी है ? क्या सरकार ने

(श्री रेवती प्रसाद कोली)
उक्त ग्रामवासियों को मीठा पेयजल उपलब्ध कराने की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो कब व कितनी राशि की ?

(2) क्या उक्त योजना की स्वीकृति मिल चुकी है ? यदि हां, तो कब और कितनी राशि की ? उक्त योजना की वर्तमान में क्या स्थिति है ? क्या सरकार उक्त योजना को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। उल्लेखित ग्राम को विभागीय मापदण्ड अनुसार पेयजल उपलब्ध कराने हेतु एक क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना मदनपुरा दयालपुरा बनायी गयी है, जिसकी तकनीकी जांच की जा रही है।

(2) जी, नहीं। योजना की तकनीकी जांच की जा रही है। तकनीकी उपयुक्तता तथा धन उपलब्धता अनुसार योजना को स्वीकृत किया जाना संभव हो सकेगा।

तहसील बौंली (सवाईमाधोपुर) में सामाजिक वानिकी कार्य

211. **श्री हीरालाल** (बामनवास): क्या वनराज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) जिला सवाईमाधोपुर में वर्तमान वन प्रसार अधिकारी (सामाजिक वानिकी) बौली के कार्यकाल में कब-कब, कितना-कितना कार्य किस-किस ठेकेदार द्वारा करवाया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1995-96 से 1997-98 में करवाया गया कार्य विभागीय अधिकारियों के सम्बन्धी द्वारा लगातार कराया जा रहा है ? वर्ष 1995-96 से 1998-99 तक के कार्यों की जी-शिड्यूल व बिल वाउचरों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है वन प्रसार अधिकारी रेंज बौंली के विरुद्ध जांच (विभागीय) विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार शिकायतों की उच्च स्तरीय जांच करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं किस अधिकारी द्वारा ?

(4) क्या यह सही है कि लक्ष्य से कम पौधे लगाये गये एवं पुराने पौधों को भी लक्ष्य पूर्ति हेतु सम्मिलित कर लिया गया? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या उक्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर लिया गया ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा एवम् कब-कब और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला सवाईमाधोपुर में वर्तमान वन प्रसार अधिकारी सामाजिक वानिकी बौंली के कार्यकाल के दौरान 1994-95 से 1997-98 तक कराये गये वन विकास

(राज्य मंत्री, वन)

कार्यों का ठेकेदारों के नाम सहित विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) वर्ष 1995-96 से 1997-98 की अवधि में जिन 18 ठेकेदारों से पीसरेट कांट्रेक्ट प्रणाली के अन्तर्गत कार्य कराया उनमें से एक ठेकेदार क्षेत्रीय का रिश्तेदार रहा है जो विभाग में प्रचलित पीस रेट कांट्रेक्ट प्रणाली के नियम एवं शर्तों के अन्तर्गत "निजी सम्बन्धियों" की श्रेणी में नहीं आता। वर्ष 1995-96 से 1997–98 तक के कार्यों की जी-शेड्यूल व बिल वाउचर्स की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है। वर्ष 1998-99 में कोई जी-शेड्यूल जारी नहीं हुआ है।

(3) कोई विभागीय जांच विचाराधीन नहीं है। शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(4) जी, नहीं।

(5) कराये गये वन विकास कार्यों का निरीक्षण अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किया जाता है। अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण का विवरण परिशिष्ट "क" के अनुसार संलग्न है।

(विवरण एवं प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

वन्य जीव अभ्यारण्य जमवारामगढ़ में खानों की स्वीकृति

212. **श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) :** क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जवारामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26ए के अन्तर्गत पशु आश्रय स्थल घोषित कर दिया गया है एवं राजस्थान राज-पत्र में इसकी विज्ञप्ति प्रकाशित हो चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार ने उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना की है ?

(3) उक्त वन्य जीव अभ्यारण्य में कितनी खदानों के प्रस्ताव फोरेस्ट (कंजरवेशन) एक्ट की धारा 2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की अनुमति के लिए भेजे गए और उनमें काम करने की स्वीकृति भी प्राप्त हो गयी है ? शेष प्रस्तावों को केन्द्र सरकार को नहीं भेजने का क्या कारण है ? क्या इसमें कुछ खदान मालिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया है ?

उत्तर

(1) जमवारामगढ़ अभ्यारण्य में सम्मिलित अधिकांश क्षेत्र "आरक्षित वन" है। जिसकी पूर्व में ही राजस्थान वन अधिनियम 1953 के अन्तर्गत विज्ञप्ति प्रकाशित है अतः वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत विज्ञप्ति के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है। अभ्यारण्य क्षेत्र में सम्मिलित गैर वन भूमि की वन्य

(राज्य मंत्री, वन)

जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26 ए के अन्तर्गत विज्ञप्ति प्रकाशन संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रसारित आदेशों की पालना में विज्ञप्ति प्रकाशन संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) उक्त वन्य जीव अभ्यारण्य में संबंधित 49 खनन प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को भेजे गये है। एक प्रस्ताव के संबंध में स्थाई स्वीकृति तथा 48 प्रस्तावों के संबंध में अस्थाई कार्य अनुमति केन्द्र सरकार से प्राप्त हो चुकी है। अवशेष प्रस्तावों को नियमानुसार पूर्ण न होने तथा कुछ प्रस्तावों को राज्य सरकार द्वारा निरस्त किये जाने के कारण केन्द्र सरकार को अभी तक नहीं भेजा गया है। प्रत्येक प्रस्ताव के परीक्षण उपरान्त भेजने अथवा न भेजने का निर्णय गुणावगुण के आधार पर लिया गया है।

जिला नागौर में वन भूमि पर अतिक्रमण

213. **श्री रिछपालसिंह** (डेगाना) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) जिला नागौर में विभाग को कुल कितनी भूमि सरकार द्वारा आबंटित है ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर कई जगह अतिक्रमण हुए हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां पर कितनी जमीन पर ?

(3) क्या सरकार उक्त जिले में वनों के विस्तार हेतु और भूमि आबंटित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब और कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला नागौर में वन विभाग के अधीन 23593.02 हैक्टेयर्स वन भूमि है। तहसीलवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) तहसील नावां के ग्राम पालडी के 1.46 हैक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण हुआ है।

(3) विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत वनारोपण एवं चरागाह विकास हेतु आवश्यकतानुसार सरकारी पड़त भूमि एवं सामुदायिक भूमि वन विभाग को उपलब्ध करायी जाती है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

जिला बीकानेर के कृषकों को अनुदान

214. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ाने, जल उपभोग में किफायत बरतने, सेम की समस्या से निपटने हेतु सिंचित क्षेत्रों में डिग्गी निर्माण एवं फव्वारा पद्धति से सिंचाई करने

(श्री भीमसेन चौधरी)

को प्रोत्साहन देने हेतु कृषकों को राजकीय अनुदान का शुभारम्भ कब से किया गया ? गत दो वर्षों में बीकानेर जिले में कुल कितने कृषकों को डिग्गी निर्माण एवं फव्वारा सैट हेतु कितनी-कितनी राशि अनुदान में दी गयी ? सूची मय वल्दियत व चक के सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में कुल कितने कृषकों ने डिग्गी व फव्वारा सैट अपनी भूमि में स्थापित कर लिये हैं तथा कितने कृषकों को अनुदान मिल चुका है ?

(3) चालू वर्ष में कुल कितनी राशि उक्त कार्यों के लिए स्वीकृत हैं तथा कुल कितने कृषकों को अनुदान स्वीकृत करने का लक्ष्य है ?

(4) उक्त क्षेत्र के अब तक कुल कितने आवेदन प्राप्त हो चुके हैं ?

उत्तर

(1) डिग्गी/फव्वारा अनुदानित योजना वर्ष 1994-95 से प्रारम्भ हुई थी। वर्ष 1996-97 में बीकानेर जिले में 186 कृषकों को 96 लाख रुपये एवं वर्ष 1997-98 में 160 कृषकों को 76.70 लाख रुपये अनुदान स्वीकृत किया गया है। कृषकों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट -1)

(2) जिन 346 कृषकों को अनुदान स्वीकृत किया गया है उनमें से 340 कृषकों को कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अनुदान राशि भुगतान किया जा चुका है। शेष कृषकों को कार्य पूर्ण होने के बाद भुगतान किया जाएगा।

(3) वर्ष 1998-99 में इस योजना हेतु सम्पूर्ण सी.ए.डी. क्षेत्र के लिए 125 लाख रुपये का प्रावधान है तथा 250 कृषकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

(4) बीकानेर जिले के कृषकों के 107 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें से 102 पर स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। शेष स्वीकृतियां प्रक्रिया में है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधि सहायकों की पदोन्नति प्रकरण

215. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :** क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधि सहायकों की पदोन्नति के लिये भी कोई पद है ? यदि हां, तो कौन-कौन से तथा उनमें से कौन-कौन से पद गत पांच वर्षों से रिक्त हैं ?

(2) उक्त पदों पर पदोन्नति करने के लिये क्या-क्या कदम कब-कब उठाये गये और कौन-कौन से पद कब-कब भरे गये ? सम्बन्धित नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इन पदों को भरने के लिये गत पांच वर्षों में पदोन्नति समिति की बैठक भी हुई ? यदि हां, तो कब-कब तथा उसमें

(श्री हरजीराम बुरडक)

क्या-क्या निर्णय लिये गये तथा निर्णयों की अनुपालना कब-कब हुई ?

(4) क्या पदोन्नति समिति के निर्णयों की अनुपालना अभी भी करना शेष है ? यदि हां, तो किस-किस निर्णय की और क्यों ?

(5) उक्त रिक्त पद पदोन्नति द्वारा कब तक किस प्रक्रिया से भर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी, हां। विधि सहायकों की पदोन्नति के लिए मुख्य सहायक का पद है। वर्तमान में मुख्य विधि सहायक के 6 पद रिक्त हैं जो वर्ष 1997-98, 1998-99 के है। गत 5 वर्ष से कोई पद रिक्त नहीं है।

(2) वर्तमान में मुख्य विधि सहायक के 6 पद रिक्त हैं। गत 5 वर्षों में वर्षवार डी.पी.सी. की बैठकें निम्न प्रकार आयोजित कर पदोन्नति से पदों को भरा गया है :-

(3) जी, हां। पदोन्नति समिति की बैठकों का विवरण प्रश्न 2 के उत्तर में अंकित है।

(4) जी, नहीं।

(5) वर्ष 1997-98 तक की डी.पी.सी. आयोजित की जा चुकी है तथा वर्ष 1997-98 की डी.पी.सी. में समस्त अनुभव प्राप्त एवं अनुभव में नियमानुसार छूट दी जाकर उनकी पात्रता पर विचार किया जा चुका है। अब इस वर्ष 1998-99 में कोई भी विधि सहायक निर्धारित 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त नहीं है इसलिए शेष 6 रिक्त पर फिलहाल भरना संभव नहीं है। ज्यों ही अनुभव प्राप्त विधि सहायक उपलब्ध होंगे इनके लिए डी.पी.सी. की बैठक आयोजित कर पदोन्नति की कार्यवाही कर ली जायेगी।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

क्र.सं	वर्ष	डी.पी.सी.का दिनांक	रिक्तियां	चयनित/ पदोन्नत व्यक्तियों की संख्या	पदोन्नति आदेश का दिनांक	शेष रहे रिक्त पद
1.	1994-95	29-11-95	42	7	22-12-95	35
2.	1995-96	29-11-95	37	16	22-12-95	21
3.	1996-97	7-5-98	15	1	18-7-98	2
4.	1997-98	30-5-98	44	41		
5.	1998-99	--	6			

5 वर्ष का अनुभव प्राप्त विधि सहायक उपलब्ध नहीं है। इससे संबंधित सेवा नियमों की प्रति संलग्न है।

अतारांकित प्रश्न संख्या-216

(स्थगित)

टोडारायसिंह (टौंक) के यात्री विश्राम भवन

217. **श्री बनवारी लाल बैरवा** (निवाई) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत दो वर्षों में पंचायत समिति टोडारायसिंह (टौंक) की कौन-कौन सी पंचायतों में कितने-कितने यात्री विश्राम भवन स्वीकृत किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति टोडारायसिंह में जितने यात्री विश्राम भवन स्वीकृत किये गये उनका निर्माण कार्य पूर्ण करवाया जाकर भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस-किस को, कितनी-कितनी राशि का एवं कब-कब ?

(3) क्या समस्त स्वीकृत यात्री विश्राम भवनों का कार्य पूर्ण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत दो वर्षों में टोडारायसिंह पंचायत समिति की पंचायतों में यात्री विश्राम शाला की एक स्वीकृति दी गयी है, जिसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) ग्राम पंचायत, दुहाड़ा बुजुर्ग के ग्राम कोटड़ी के यात्री विश्राम भवन कार्य प्रारम्भ करवाने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 26.6.98 को मस्टररोल प्राप्त किये गये हैं। अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है।

(3) जी, नहीं। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य को करवाने हेतु मस्टररोल दिनांक 26.6.98 को प्राप्त किये गये हैं। अभी निर्माण कार्य कराया जाना है। इतनी कम अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण होना संभव नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

टोडाभीम (करौली) में नवीन प्राथमिक विद्यालय

218. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में जिला करौली में कितने प्राथमिक विद्यालय खोले गये ? पंचायत समितिवार आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में गत पांच वर्षों में नये प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां और आगामी वर्ष में कहां-कहां खोलने का विचार है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों की स्वीकृति के संबंध में क्या नीति तय कर रखी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) करौली जिले में वर्ष 1996-97 में 10 एवं वर्ष 1997-98 में 13 प्राथमिक विद्यालय खोले गये। खोले गये प्राथमिक विद्यालय के नामों की सूची पंचायत समितिवार संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(2) जी, हां। विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के अन्तर्गत पंचायत समिति नादोती में 11 एवं पंचायत समिति टोडाभीम में 19 प्राथमिक विद्यालय गत पांच वर्षों में खोले गये। वित्तीय वर्ष 1998-99 में निर्धारित मानदण्ड में आने वाले विद्यालयविहीन गांवों/ढाणियों/मजरों में उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुये प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में खोले गये प्राथमिक विद्यालय के नामों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट -2)

(3) नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने के मापदण्ड निम्न है : -

1. गैर राजस्व ग्राम/ढाणी/मजरे जिनकी जनसंख्या 300 से अधिक हो।

2. उक्त ग्राम/ढाणी/मजरे विद्यालय विहीन हो।

3. उक्त ग्राम/ढाणी/मजरे से 3 किमी. क्षेत्र में अन्य शिक्षण सुविधा न हो।

ऐसे ग्राम/ढाणी/मजरे में नवीन विद्यालय खोलने की नीति है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

जिला परिषद झुन्झुनूं के सेवामुक्त कर्मी

219. **श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)** : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1998 में जिला परिषद झुंझुनूं के कुछ कर्मचारियों को सेवा से हटाया गया है ? यदि हां, तो किन-किन को तथा क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि जिला संस्थापन समिति की वैधानिक बैठक में ही इस प्रकार का निर्णय लिया जा सकता है ? यदि हां, तो यह निर्णय किस बैठक में लिया गया एवं इसमें किस-किस ने भाग लिया ?

(3) क्या यह भी सही है कि जिला संस्थापन समिति का चेयरमैन जिला प्रमुख होता है और वही बैठक आयोजित कर सकता है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। जिला परिषद झुन्झुनूं के दो कर्मचारी सर्वश्री लक्ष्मण सिंह राणा एवं हरिसिंह यादव को उनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध एवं कार्यक्षमता क्षीण पाये जाने पर राजस्थान सेवा नियम 244 (2) के तहत अनिवार्य सेवा निवृत्त किये गये।

(2) जी, हां। निर्णय जिला स्थापना समिति की बैठक दिनांक 4.4.98 में लिया गया। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव जिला परिषद, वरिष्ठ उप

56

(राज्य मंत्री, पंचायती राज)

जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परिषद झुंझुनूं एवं जिला कलेक्टर झुंझुनूं के मनोनीत प्रतिनिधि सदस्य उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं ने भाग लिया।

(3) जी, हां। जिला स्थापना समिति का चेयरमैन जिला प्रमुख होता है। बैठक प्रमुख ही आयोजित कर सकता है, का स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

जिला परिषद झुंझुनूं की कार की मरम्मत पर व्यय

220. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला परिषद झुंझुनूं को नई कार सरकार द्वारा कब उपलब्ध करायी गयी या जिला परिषद द्वारा खरीदी गयी है ?

(2) उक्त कार की मरम्मत हेतु जून, 1998 तक कितनी राशि व्यय की गयी, व्यय का भुगतान किसने किया तथा चैक पर हस्ताक्षर किसने किये ?

(3) क्या इस व्यय की स्वीकृति जिला परिषद/सम्बन्धित स्थाई समिति या प्रमुख से ली गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या इस प्रकार का भुगतान वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है ?

उत्तर

(1) दिनांक 20.5.97 को जिला परिषद झुंझुनूं द्वारा नई कार निजी आय मद से राज्य सरकार की अनुमति से खरीदी गयी।

(2) माह जून, 1998 तक कार की मरम्मत में 13,025/- रुपये की राशि व्यय की गई। 7,424/- रुपये का व्यय जिला प्रमुख के द्वारा किया गया। शेष राशि का भुगतान मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव, जिला परिषद झुंझुनूं द्वारा किया गया एवम् चैक पर हस्ताक्षर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झुंन्झुनूं द्वारा किये गये।

(3) उक्त अवधि में जिला परिषद की स्थाई समिति अस्तित्व में नहीं थी। 7,424/- की मरम्मत राशि का भुगतान स्वयं प्रमुख द्वारा कराया गया। शेष राशि का, मरम्मत पर समय-समय पर आये अल्प राशि व्यय, भुगतान मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया गया जिसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी सक्षम हैं।

(4) जी, नहीं।

पंचायत समिति करौली में कार्यरत पंचायत सचिव

221. **श्री हंसराम गुर्जर** (करौली) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति करौली में ग्रुप सचिवों के स्थान पर राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को नियुक्त कर रखा है ? यदि हां, तो कितने तथा कहां-कहां पर ? नाम तथा

(श्री हंसराम गुर्जर)

कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त अध्यापकों को तुरन्त प्रभाव से विद्यालयों में वापस भेजने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति करौली में ग्रुप सचिवों के रिक्त स्थान पर ग्रुप सचिव के अतिरिक्त कार्य हेतु राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के 7 वरिष्ठतम अध्यापकों को लगाया गया। नामों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। उक्त अध्यापक ग्राम पंचायतों के कार्य को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिए जारी किये गये विभागीय आदेश दिनांक 31.10.95 के अनुसार लगाये गये थे।

(2) उक्त सभी कार्यरत अध्यापकों को ग्रुप सचिव के कार्य से दिनांक 16.6.98 को मुक्त कर विद्यालयों में वापस भेज दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

पंचायत समिति झोटवाड़ा के निर्माण कार्य

222. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) पंचायतें एवं पंचायत समितियों द्वारा किस-किस प्रकार के निर्माण कार्य कराये जाते हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति झोटवाड़ा के विकास अधिकारी ने बेगस एवं सरणाचौड़ के खुर्रा निर्माण का कार्य किन नियमों के अन्तर्गत कराया है ? संबंधित नियमों एवं परिपत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार को उक्त अवैध निर्माण कार्य कराने की शिकायत प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो कब और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

(4) क्या सरकार उक्त विकास अधिकारी के विरुद्ध पद का दुरुपयोग करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सरकार पंचायत समितियों एवं पंचायतों के द्वारा विभिन्न विकास कार्य जे.आर. वाई. जैसी योजनाओं के अन्तर्गत स्कूल भवन, बाउण्ड्रीवाल, पटवारघर, ग्राम सेवक भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, औषधालय भवन, सड़क, खुर्रा, जलग्रहण क्षेत्र आदि निर्माण कार्य कराती है।

(2) बेगस एवं सरनाचौड के खुर्रा निर्माण कार्य विशिष्ठ योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका, 1997 के प्रावधानानुसार एवं पत्र क्रमांक एफ 4 (एस.एस.

(राज्य मंत्री, पंचायती राज)

ओ)/जरीया/97/3493-3563 जयपुर दिनांक 22.4.97 के निर्देशों के अनुरूप कराये जा रहे हैं। ग्रामीण कार्य निर्देशिका के संबंधित प्रावधान एवं पत्र दिनांक 22.4.97 की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) पंचायत समिति झोटवाड़ा के प्रधान एवं विकास अधिकारी द्वारा पद के दुरुपयोग एवं सरकारी धन के दुरूपयोग के संबंध में एक शिकायत अप्रेल, 1998 में प्राप्त हुई जिसमें बेगस एवं सरनाचौंड के खुर्रा निर्माण का भी उल्लेख है, कि जांच एस.डी.ओ. , जयपुर द्वारा की जा रही है।

(4) अभी शिकायत पर जांच कार्यवाही जारी है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायत समिति पाली व रोहट के प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल

223. **श्री भीमराज भाटी (पाली)** : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) पंचायत समिति पाली व रोहट के अन्तर्गत कुल कितने प्राथमिक विद्यालय कार्यरत हैं ? इनमें से कितने विद्यालयों में पेयजल के लिए हैण्ड पम्प की व्यवस्था है ? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नये विद्यालय खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्राथमिक विद्यालयों में से कितने विद्यालयों की चारदीवारी का निर्माण हो चुका है व कितने विद्यालयों की चारदीवारी का निर्माण नहीं हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त पंचायत समिति के किन-किन विद्यालयों में कमरे अपूर्ण हैं तथा उन्हें कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

(5) क्या यह सही है कि पुराने विद्यालयों की मरम्मत हेतु कोई राशि सुरक्षित रखी जाती है ? यदि हां, तो उक्त राशि में से पाली व रोहट पंचायत समिति के विद्यालयों की टूट-फूट व मरम्मत पर कितनी-कितनी राशि व्यय करने का प्रावधान है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति पाली व रोहट में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या एवं हैण्ड पम्प पेयजल सुविधा का विवरण निम्न प्रकार है:-

पेयजल सुविधा का विवरण

पं.सं.	प्रा.वि.	हैण्ड पम्पसे	अन्य स्रोतों से
पाली	74	-	74
रोहट	75	1	73

विद्यालयवार हैण्ड पम्प एवं पेयजल सुविधा का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट 1)

(राज्य मंत्री, पंचायती राज)

(2) नये प्राथमिक विद्यालय खोलने के मापदण्ड निम्न है : -

1. वर्ष 1991 की जनगणना में घोषित राजस्व ग्राम जिनका जनसंख्या 250 से अधिक हो व उक्त राजस्व ग्राम विद्यालयविहीन हो।
2. गैर राजस्व ग्राम/ढाणी/मजरा जिनकी जनसंख्या 300 से अधिक हो।
3. उक्त ग्राम/ढाणी/मजरें विद्यालय विहिन हो उक्त ग्राम/ढाणी/मजरें से 3 किमी. क्षेत्र में अन्य शिक्षण सुविधा उपलब्ध न हो।
4. ऐसे ग्राम/ढाणी/मजरे में प्रावि. खोलने की नीति है।

(3) पंचायत समिति पाली एवं रोहट के प्राथमिक विद्यालयों में चारदीवारी से संबंधित सूचना निम्न है : -

नाम पं.सं.	चारदीवारी वाले प्राथमिक विद्यालय	चारदीवारी रहित प्राथमिक विद्यालय
पाली	42	32
रोहट	26	49

परिशिष्ट 1 में चारदीवारी से संबंधित सूची भी शामिल है।

(4) पंचायत समिति पाली एवं रोहट के प्राथमिक विद्यालय जहां अपूर्ण कमरें हैं उनमें नाम निम्न है :-

पाली में (1) रा.प्रा. वि. बाला

(2) रा.प्रावि. खैरवा नं. 2

रोहट में (1) रा.प्रावि. धाटलाव

प्राथमिक विद्यालय के अपूर्ण कमरों का निर्माण कार्य शीघ्र ही पूर्ण करा दिया जायेगा।

(5) जवाहर रोजगार योजना (पंचायत का हिस्सा) में से 10 प्रतिशत राशि मरम्मत पर खर्च की जा सकती है। इसके अलावा ग्राम पंचायत की निजी आय, निबन्ध योजना, शिक्षा उपकर की राशि में से भी विद्यालय भवनों की मरम्मत कराई जा सकती है। उपलब्ध संसाधनों की व विद्यालयों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मरम्मत पर राशि खर्च की जाएगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्न संख्या– 224 (स्थगित)

पंचायत समिति मण्डोर (जोधपुर) के कर्मियों का निलम्बन प्रकरण

225. **श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या किसी पंचायत समिति की प्रशासन स्थाई समिति किसी कर्मचारी को निलम्बित करने का निर्णय लेने में सक्षम है? क्या ऐसे निर्णयों की अनुपालना विकास अधिकारी को रोकने का अधिकार है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत तथा किस प्रक्रिया से ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति मण्डोर (जोधपुर) की प्रशासन स्थाई समिति की बैठक 10-10-96 के प्रस्ताव सं. 3 (3) के द्वारा वहां के वरिष्ठ लिपिक को प्रथम दृष्ट्या गंभीर आरोपों के कारण निलम्बित करने का निर्णय लिया गया ? यदि हां, तो उसके बाद अनुपालना के संबंध में विकास अधिकारी के स्तर से व स्थाई समिति के स्तर से क्या-क्या कार्यवाही हुई ? उक्त प्रकरण में जारी पत्रों तथा निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें। उक्त प्रकरण में विकास अधिकारी, द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उक्त कार्यवाही/नियमों के अनुकूल तथा उनके अधिकार क्षेत्र में है ? यदि हां, तो नियमों के उल्लेख सहित विवरण सदन की मेज पर रखें। सरकार अब विकास अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या स्थाई समिति द्वारा लिये गये संदर्भित निर्णय नियमों के विरुद्ध है ? यदि हां, तो संबंधित विकास अधिकारी ने तत्कालीन नियम 29 (5) व नवीन नियम 44 (2) तथा (3) के तहत विपरीत राय देने के बावजूद भी निर्णय लिया और राय के विपरीत निर्णय लेने से क्या विकास अधिकारी ने तत्संबंधी प्रतिलिपि पूर्व नियम 29 (5) व नवीन नियम 44 (3) के तहत 24 घंटों में जिला परिषद को भेजी ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या उक्त मामले में परामर्श प्राप्त करने हेतु मामला जिला स्थापना समिति में धारा 90 (2) (घ) के तहत रखवाया गया ? यदि हां, तो क्या परामर्श दिया और नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या उक्त स्थाई समिति के निर्णय के संबंध में धारा 59 के तहत पुनरीक्षण हेतु पंचायत समिति की साधारण बैठक में प्रस्तुत किया गया ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया और नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या सरकार समिति के निर्णय की अनुपालना कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं केवल प्रस्ताव पारित कर सकती है। जी, नहीं। विकास अधिकारी पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 44 (2) एवं (3) के अनुसार ऐसे संकल्प जो उसकी राय में अधिनियम या किसी भी अन्य विधि तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंध या राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों से असंगत हो, को अभिलिखित करते हुये मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला परिषद को रिपोर्ट कर सकता है, तथा राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 59 के तहत पंचायत समिति की साधारण सभा में पुनरीक्षण हेतु रख सकता है।

(2) जी हां। विकास अधिकारी द्वारा

(राज्य मंत्री, पंचायती राज)

उक्त प्रस्ताव संख्या 3 (3) का संकल्प पारित होने पर प्रस्ताव की जांच अपेक्षित है। जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी का नोट अंकित किया एवं दिनांक 10.10.96 को पारित किये गये समस्त संकल्पों को दिनांक 6.1.97 की पंचायत समिति की बैठक में पंचायती राज अधिनियम की धारा 59 के तहत पुनरीक्षण हेतु रखा। साधारण सभा ने दिनांक 10.10.96 के प्रस्ताव 3 (3) की पुष्टि नहीं की। पंचायत समिति की प्रशासन स्थाई समिति की बैठक दिनांक 29.5.98 में प्रस्ताव संख्या-एक में बैठक दिनांक 10.10.96 के प्रस्ताव संख्या 3 (3) की पुष्टि की। इस पर विकास अधिकारी ने अपनी असहमति टिप्पणी अंकित की। पंचायती राज अधिनियम 44 (2) एवं (3) के अन्तर्गत नियमों से असंगत संकल्प की सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद- जोधपुर को प्रेषित की। प्रशासन स्थाई समिति की दिनांक 10.10.96 एवं 29.5.98 में पारित प्रस्ताव की प्रतियां, साधारण सभा की बैठक दिनांक 6.1.97 की कार्यवाही विवरण एवं विकास अधिकारी द्वारा मु.का.अ., जि.प. जोधपुर को लिखित पत्र दिनांक 29.5.98 की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

विकास अधिकारी द्वारा उक्त कार्यवाही पंचायती राज नियम 44 (2) एवं (3) तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 59 के तहत की गयी है। नियम एवं अधिनियम की संबंधित धारा की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है। विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित एवं विचाराधीन नहीं है।

(3) जी, हां। स्थाई समिति की बैठक दिनांक 10.10.96 की प्रस्ताव 3 (3) की पुष्टि की धारा 59 के तहत पंचायत समिति की साधारण सभा द्वारा पुनरीक्षण कर नहीं की गयी इसलिये दिनांक 29.5.98 को पुनः संकल्प पारित कर दिनांक 10.10.96 के प्रस्ताव संख्या 3 (3) की अनुपालना किया जाना नियमानुकूल नहीं है। विकास अधिकारी द्वारा तत्कालीन नियम 29 (5) व नवीन नियम 44 (2) एवं (3) के तहत विपरीत राय अंकित नहीं की थी, "जांच अपेक्षित है, जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी नोट अंकित किया था" इस लिये पूर्व नियम 29 (5) व नवीन नियम 44 (3) के तहत 24 घण्टे में जिला परिषद को प्रतिलिपि भेजने की आवश्यकता नहीं थी।

(4) जी, नहीं।

(5) जी, हां। साधारण सभा द्वारा बैठक दिनांक 6.1.97 में स्थाई समिति की बैठक दिनांक 10.10.96 के प्रस्ताव संख्या 3 (3) की पुष्टि नहीं की।

(6) विकास अधिकारी द्वारा स्थाई समिति की बैठक 10.10.96 के प्रस्ताव संख्या 3 (3) सहित अन्य प्रस्ताव धारा 59

(राज्य मंत्री, पंचायती राज)

के तहत पंचायत समिति की साधारण सभा के समक्ष पुनरीक्षण हेतु रखें एवं साधारण सभा में उक्त प्रस्ताव संख्या 3 (3) की पुष्टि नहीं की इसलिये विकास अधिकारी द्वारा अनुपालना नहीं की गयी। चूंकि पंचायत समिति मण्डोर की साधारण सभा द्वारा प्रशासन स्थाई समिति की बैठक दिनांक 10.10.96 के प्रस्ताव संख्या 3 (3) की पुष्टि नहीं की साथ ही जांच रिपोर्ट भी विचाराधीन है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सहायक प्रबन्धक का निलम्बन

226. **श्री भीमराज भाटी (पाली)** : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा दिनांक 20.12.97 को किस सहायक संचालक प्रबन्धक को आरोप पत्र दिया जाकर निलम्बित किया गया था ? प्रबन्धक के नाम व पद सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सहायक संचालन प्रबन्धक को निलम्बन काल में बिना जांच किये ही जून, 1992 में अनिवार्य सेवा निवृत्त कर दिया गया था ? यदि हां, तो किन कारणों से उन्हें सेवा निवृत्त पूर्व बहाल नहीं किया गया ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त सहायक संचालन प्रबन्धक को अग्रिम आदेश या याचिका के फैसले तक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सेवा निवृत्ति दिनांक से वेतन भुगतान करने के लिये निगम प्रशासन को आदेश दिया गया था ? क्या न्यायालय के निर्णयानुसार वेतन का भुगतान किया गया? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या उक्त सहायक संचालन प्रबन्धक को अनिवार्य सेवा निवृत्ति दिनांक 27.6.1992 के बाद माह जून, 1998 तक नियमित पेंशन, ग्रेच्यूटी, कम्यूटेशन पेंशन, बोनस, प्रावधायी निधि की राशि, निलम्बन काल के बकाया वेतन का एक मुश्त भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त प्रकरण में समय पर भुगतान नहीं करने से कौन दोषी है ?

उत्तर

(1) राजस्थान परिवहन निगम में सहायक संचालन प्रबन्धक के नाम का कोई पद नहीं है, बल्कि सहायक संभाग प्रबन्धक का पद है। दिनांक 20.12.97 को किसी सहायक संभाग प्रबन्धक को आरोप पत्र दिया जाकर निलम्बित नहीं किया गया था, किन्तु आ.सं.1136 दिनांक 20.12.91 के द्वारा श्री भोपाल सिंह, सहायक संभाग प्रबन्धक, मुख्यावास, जयपुर को निलम्बित कर ज्ञापन संख्या 166 दिनांक 15.2.92 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया था।

(2) श्री भोपाल सिंह, सहायक संभाग

(राज्य मंत्री, यातायात)

प्रबन्धक को सेवा में बनाये रखना निगम हित में नहीं मानते हुए निगम सेवा नियम, 57 (ए) के तहत नियमानुसार सेवानिवृत्त किया गया था, उस समय ये निलम्बित थे, अनिवार्य सेवानिवृत्ति के समय इनके विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 166 दिनांक 15.2.92 की जांच पूर्ण नहीं होने के कारण इन्हें बहाल नहीं किया गया। इनके विरुद्ध विचाराधीन जांच राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम, 16 (10) के तहत बन्द कर दी गयी थी। अतः जांच पूर्ण नहीं की गयी है।

(3) श्री भोपाल सिंह की रिट याचिका संख्या 5841/92 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस शर्त पर आदेश दिया था कि "अप्रार्थी, प्रार्थी को भुगतान देंगे प्रार्थी वेतन प्राप्त करने से पहले अप्रार्थीगण को इस बात की जमानत देंगे कि यदि उसकी याचिका निरस्त हो गयी तो वह वेतन लौटायेगा।" उक्त आदेश की पालना में आदेश संख्या 116 दिनांक 16.2.93 के तहत सेवानिवृत्त दिनांक 31.7.95 तक का निर्वाह भत्ते का भुगतान किया गया।

(4) श्री भोपाल सिंह की दिनांक 27.6.92 के बाद माह जून, 1998 तक नियमित पेंशन, ग्रेच्यूटी, कम्यूटेशन पेंशन, बोनस, जी.पी.एफ. की राशि निलम्बन काल का शेष वेतन का भुगतान नहीं किया गया है चूंकि इनकी उक्त अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश के विरुद्ध याचिका संख्या 5841/92 का निर्णय माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 25.4.97 को पारित किया, जिसमें इनकी याचिका को निरस्त किया गया, जिसके विरुद्ध श्री भोपाल सिंह द्वारा डी.बी. में अपील कर दी गयी है जो कि न्यायालय में विचाराधीन है। जिसके फलस्वरूप पेंशन, ग्रेच्यूटी, कम्यूटेशन का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं हो सका। पेंशन की कार्यवाही के सम्बन्ध में इनके द्वारा नोड्यूज व सम्बन्धित वांछित दस्तावेज वर्ष 1992 से दिनांक 3.12.97 तक प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप पेंशन पूर्व में स्वीकृत नहीं की जा सकी, पेंशन के सम्बन्ध में कार्यवाही विचाराधीन है। यह भी उल्लेखनीय है कि इनकी रिट याचिका खारिज होने के फलस्वरूप न्यायालय के आदेशानुसार इनको दिनांक 27.6.92 से 31.7.95 तक का किया गया भुगतान राशि 1,50,351.00 रु. की वसूली हेतु नोटिस पत्रांक 463 दिनांक 16.7.97 जारी किया गया जिसके विरुद्ध श्री भोपाल सिंह द्वारा न्यायालय से स्थगन आदेश की प्रति प्रस्तुत करने के फलस्वरूप उक्त राशि की वसूली की क्रियान्विति नहीं की जा सकी।

मण्डावा (झुंझुनूं) में प्रदूषण पर रोक

227. **श्री रेवती प्रसाद कोली (वैर)** : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रेवती प्रसाद कोली)

(1) क्या यह सही है कि झुन्झुनूं जिले के कस्बा मंडावा में मैसर्स हाईलैण्ड हाउस लिमिटेड नामक फैक्टरी स्थापित है ? क्या यह भी सही है कि इस फैक्टरी की चिमनियों से निकलने वाले धुएं से कस्बे के नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है? यदि हां, तो प्रदूषण की रोकथाम के सम्बन्ध में अनुबन्ध की शर्तों में क्या उल्लेख किया गया है और क्या उनकी पालना हो रही है? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि इस फैक्टरी में अत्यन्त ज्वलनशील पदार्थ थिनर, जो कि प्रतिबन्धित हैं, प्रयोग में लिया जा रहा है ? क्या इस थिनर की दुर्गन्ध हर वक्त कस्बे में बनी रहती है तथा इससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या कभी सरकार ने इसकी जांच करवाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस कारखाने में ईंधन की आपूर्ति इसी कस्बे के हरे वृक्ष काटकर की जा रही है ? यदि हां, तो सरकार ने इसकी रोकथाम हेतु क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि फैक्ट्री में निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ को जलाने हेतु फैक्टरी के बाहर खुली जगह में कई खड्डे खोदे गये हैं ? क्या यह भी सही है कि इन में कई मवेशी गिरकर मर चुके हैं? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि झुंन्झुनूं जिले के कस्बा मण्डावा में मैसर्स हाईलैण्ड हाउस लिमिटेड नामक फैक्टरी स्थापित है। यह सही है कि फैक्टरी में धुआं निकालने के लिये चिमनी लगी हुयी है, परन्तु नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के संबंध में कोई रिपोर्ट अब तक प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में उक्त उद्योग राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल की सम्मति के बिना कार्यरत है। अतः उद्योग को जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत जुलाई, 1998 में नोटिस जारी किया जा चुका है।

(2) जी, हां। यह सही है कि इस फैक्टरी में ज्वलनशील पदार्थ थिनर को प्रयोग में लिया जा रहा है। जो कारखाना अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत बने नियमों में प्रतिबंधित नहीं है। उक्त फैक्टरी में बूथ बने हैं जिन पर फिल्टर लगा रखे हैं इन फिल्टरों के कारण वायु प्रदूषण नहीं होता तथा नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का कोई भी मामला सामने नहीं आया है।

(3) कारखाने में देशी बबूल की लकड़ी की आपूर्ति जयपुर से होती है तथा उसका सिजनिंग कार्य भी जयपुर में ही करवाया जाता है। कारखाने में सिजनिंग की हुई लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है

(राज्य मंत्री, पर्यावरण)

कारखाने में मण्डावा कस्बे के आसपास के लकड़ी की आपूर्ति नहीं होती है।

(4) फैक्टरी से कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं निकलता है, रद्दी कागज आदि को फैक्टरी की भूमि में ही गड्ढा खोदकर जलाया जाता है तत्पश्चात् उस गड्ढे को बन्द कर दिया जाता है। इस भूमि के चारों ओर तारबन्दी की हुई है। इन गढ्डों में गिरकर किसी मवेशी के मरने की रिपोर्ट नहीं है।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। (व्यवधान) कृपया बात नहीं करें।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है : –

(1) श्री लक्ष्मण सिंह रावत एवं 8 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में ऊर्जा की उपलब्धता दिनों दिन कम होने एवं मीटर राडर्स द्वारा बिना मीटर रीड किये बिल बनाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले के थाना भुसावर में हत्या के मामले में दर्ज मुकदमा नं. 205/98 में नामजद अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करने के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

(3) श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला परिषद बीकानेर में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ कथित सौतेला व्यवहार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। (व्यवधान) कृपया बात न करें।

(4) श्री हीरालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामनवास में सिवाय चक भूमि का आबंटन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जहाजपुर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने एवं माडा योजनान्तर्गत चल रहे लघु प्रशिक्षण संस्थान के बंद होने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। प्रस्तावक माननीय सदस्य को प्रस्ताव में उल्लेखित विषयवस्तु पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है : –

(1) श्री भीमराज भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के विभिन्न जिलों में नील गायों की बढ़ती आबादी एवं उनके द्वारा किसानों की खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव के विषय में आज एक अन्य माननीय सदस्य के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होगी अतः प्रस्तावक माननीय सदस्य को चर्चा के समय इस विषय पर बोलने की अनुमति होगी। प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(2) श्री रघुवीर सिंह मीणा एवं 8 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से टौंक जिले की उनियारा पंचायत समिति के कतिपय सदस्यों का अपहरण किये जानें की घटना पर पुलिस द्वारा समुचित कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों की विषय वस्तु पर सदन में चर्चा हो चुकी है, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्रीमती मीना अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के तिलहन मिलों को कृषि उपज मण्डियों में तिलहन की खरीद के लिये दुकानें उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से डूंगरपुर नगरपालिका क्षेत्र के गांव मालपुर में अस्पताल हेतु अवाप्त की गई भूमि का उचित मुआवजा तय करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री हरसिंह (कुम्हेर) सदस्य, विधान सभा की ओर से कुम्हेर कस्बे से गुजरने वाले स्टेट हाईवे पर बाईपास रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा की गणेशगंज लिफ्ट स्कीम की बैड कटिंग व सफाई नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री रिछपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र डेगाना के कतिपय माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

(6) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर शहर की सड़कों की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री महादेव सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से खंडेला मोड पर 132 के.वी. का ग्रिड स्टेशन स्थापित करने के सम्बन्ध में।

(8) श्री आर.पी. शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर स्थित जनरल इंजीनियरिंग वर्क्स फैक्टरी के मालिकों द्वारा गैर कानूनी अवैधानिक व नियम विरुद्ध लॉक आउट कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री राकेश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला नागौर की उप तहसील पीलवा में चिकित्सालय भवन हेतु भूमि का आबंटन शीघ्र करने के सम्बन्ध में।

(10) श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर),

(श्री उपाध्यक्ष)

सदस्य, विधान सभा की ओर से राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल जैसलीसर में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री किशन मोटवानी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा इस शिक्षा सत्र से पाठ्य पुस्तकें बदल दिये जाने से बोर्ड को 25 लाख रुपये वार्षिक का कथित नुकसान होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री भवानी जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से माही कमाण्ड क्षेत्र में माही परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि पर किये गये अतिक्रमण के नियमन सम्बन्धी नियमों को शिथिल किये जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्री राजेन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान क्षेत्र बिलाड़ा के ग्रामों में विद्युत आपूर्ति एवं वोल्टेज में उतार-चढ़ाव से ग्रामीणों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(14) श्रीमती तारा भण्डारी, सदस्य विधान सभा की ओर से सिरोही जिले के शिवगंज नगर में पेट्रोल पम्प नहीं होने से जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(15) श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी, सदस्य, विधान सभा की ओर से उपखण्ड कार्यालय माण्डलगढ़ स्थान पर महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

(16) श्री ओमप्रकाश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बून्दी जिले के केशवरायपाटन में निजी विद्युत इकाइयां स्थापित करने हेतु मांगी गयी निविदाओं को स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

(17) श्री नन्दलाल व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य हित में सचिवालय के शिक्षा समन्वय कक्ष को समाप्त करने एवं प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा से जुड़ी सभी एजेन्सीज को बीकानेर में स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में।

आज तीन विभाग हैं आपको जानकारी है इसलिए माननीय सदस्यों द्वारा दी गई सूचना पढ़ी हुई मानी जाएगी।

(नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख के प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री भीमसेन चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में ...

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

माननीय गृह मंत्रीजी ने, उदयपुर में जो लाठीचार्ज हुआ था, उदयपुर में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है...

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसी...

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उस यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चरल की मांग पर वहां

(68)

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ। सात लोगों को चहां चोटें आई थीं। पांच दिन पहले मैंने यह मामला यहां पर हाउस में उठाया था। माननीय गृह मंत्रीजी ने उस वक्त कमिट किया था कि वे तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे और उसके बाद में यहां हाउस में उस विषय के ऊपर स्टेटमैंट दिया जाएगा लेकिन यह सरकार... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। श्री भीमसेन चौधरी ।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी उदयपुर में जो कृषि विश्वविद्यालय खोलने के लिए आंदोलन चल रहा है उस विषय में बोलना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। श्रीमान् रामस्वरूप जी, बैठिये कृपया। अब आप बिराजें। आसन पैरों पर है आप बोल रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : मंत्री जी से जवाब दिलवायें। आप तो.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप कानून को पूरा जानते हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर इस समय होता नहीं है ना।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : पाइंट ऑफ आर्डर पर पूरी बात सुन लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सुनूं तो जब, नियमों में प्रावधान नहीं है। श्री भीमसेन चौधरी।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जीरो ऑवर में आपको स्लिप लिख कर दी थी मुझे बोलने दिया जाए।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर सम्भाग में कृषि यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर के पूरे उदयपुर संभाग के अन्दर ... (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : कृषि विश्वविद्यालय के बारे में जो उदयपुर में आंदोलन चल रहा है मैं चाह रहा हूं कि मुझे उस पर दो मिनट बोलने का मौका दिया जाए ... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आज एग्रीकल्चर की मांग भी है... (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : उदयपुर में आम जनता सड़कों पर आ गयी है। हमारे उदयपुर के साथ अहित हुआ है। सरकार थोड़ा ध्यान दे। कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में खोले उसके लिए शिक्षक जगत के साथ-साथ आम जनता और जनजाति क्षेत्रों में ऐसा एक आंदोलन चल रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस विषय में मुझे दो मिनट बोलने का मौका दिया जाए, मैं चाहता हूं कि आप मुझे परमीट दें।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए हमारी यह मांग है कि उदयपुर में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए और वहां पर जो लाठीचार्ज हुआ है...

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय उदयपुर क्षेत्र के सारे सदस्य चाहते हैं कि उस बारे में बोलने का मौका दें...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें, माननीय सदस्य। बैठें। कृपया आप भी बिराज जाएं। कृपया आप बिराजिये माननीय सदस्य। (व्यवधान) सनाढ्य साहब, आप तो नियमों से पूर्ण वाकिफ हैं। आप बिराज जाएं।

डॉ. शंकर भानूदा (कपासन) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि ...

श्री उपाध्यक्ष : क्या फरमा रहे हैं ? एक मिनट आप बैठिये।

डॉ. शंकर भानूदा : 24 घंटे में सरकार से जवाब आ जाएगा, आपने यह फरमाया था।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार से आज संभवतः जवाब आ जाएगा, आप बिराज जाएं। मैंने इस संदर्भ में काफी ताकीद की है, आप बिराजें। डाक्टर साहब, बिराजें कृपया। श्री भीमसेन चौधरी। बिराजें आप, माननीय सदस्य। आप स्वयं जानते हैं मैं राज्य सरकार को जवाब के लिये बाध्य नहीं कर सकूंगा। कृपया बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : उपाध्यक्ष महोदय, सारे उदयपुर संभाग का विषय है। कई माननीय सदस्य इस विषय पर बोलना चाह रहे हैं और यह बड़ा सेंसिटिव विषय है, जरा ध्यान दे। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर में जो आंदोलन चल रहा है, कृषि विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में उस सम्बन्ध में यहां घोषणा करें, क्योंकि उदयपुर क्षेत्र जनजाति क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है। तत्कालीन सरकार ने उदयपुर में चल रहे कृषि विश्वविद्यालय को बीकानेर में स्थानान्तरित कर दिया था जिसके कारण इस समय आंदोलन चल रहा है...... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं उनसे कुछ कहलवाओ।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उदयपुर में कृषि विश्वविद्यालय की मांग को लेकर आज पूरा उदयपुर.... (व्यवधान) लाठीचार्ज करते हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें, कृपया बैठ जाएं। श्री रामस्वरूपजी, कृपया बिराजें।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : उपाध्यक्ष महोदय, क्या आप उस स्लिप पर बोलने के लिये इजाजत देंगे ? (व्यवधान) जीरो आवर्स में बोलने के लिये हमने आपको जो स्लिप दी है क्या आप हमें बोलने की इजाजत देंगे, हम इतना ही जानना चाहते हैं ?

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : लाठीचार्ज कर देते है, हाउस चल रहा है, सैशन चल रहा है और वहां पर लाठीचार्ज होता है... (व्यवधान) जिसको लेकर......(व्यवधान)

70

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी जवाब दें। गृह मंत्री जी से जवाब दिलाओ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। अब आपने अपनी बात कह दी, अब आप बिराज जाएं। कृपया, माननीय सदस्य ताम्बी साहब, मैं यह निवेदन कर रहा हूं, ताम्बी साहब आप काफी वरिष्ठ हैं कृपया बिराजें। जोशीजी, श्री भवानी जोशी साहब, आसन पैरों पर है। श्रीमान् भवानी जोशी साहब, बिराजें। कृपया बार-बार नहीं, व्यवधान नहीं। अब बार-बार व्यवधान नहीं, माननीय श्री भवानी जोशीजी बिराजे। श्री भीमसेन जी।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : उपाध्यक्ष महोदय, आपको जो स्लिप दी है उस पर हमें बोलने के लिये इजाजत देंगे आप ? उपाध्यक्ष महोदय, जीरो आवर्स में हम लोगों ने आपको बोलने के लिये स्लिप दी है... (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (बल्लभनगर) : उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय को लेकर के...

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : इस विषय पर हम हाउस में धरना देंगे।

(माननीय सदस्य श्री लक्ष्मणसिंह रावत, श्री रामस्वरूप मीणा, श्री शंकरलाल अहारी एवं श्री दयाराम परमार ने सदन के वैल में धरना दिया)

श्री उपाध्यक्ष : एक बार आप वापस पधारें उप नेता महोदय बोल रहे हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर कृषि विश्विद्यालय की मांग को लेकर.......

श्री चुन्नीलाल गरासिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो + + + हैं।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : हमने जो स्लिप दी है आपको जीरो आवर्स में बोलने के लिये आप पर उस हमें इजाजत देंगे, हम इतना ही जानना चाहते हैं देंगे आप ?

श्री उपाध्यक्ष : नम्बर आ रहा है अभी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उदयपुर में कृषि विश्वविद्यालय की मांग को लेकर वहां के सभी दलों ने मिलकर आंदोलन किया, उन आंदोलनकारियों पर जिस ढंग से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया उस सम्बन्ध में भीम से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया था और उन्होंने यह कहा था कि अगर आज तथ्य नहीं हो, तो तथ्य इकट्ठे करके अगले दिन सदन में इसका जवाब दे दिया जाए। मैं गृह मंत्री जी, हाउस में बैठे हुए हैं, केवल मुस्करा रहे हैं। आप लाठी मारकर मुस्कराइए मत। लाठीचार्ज करके, बर्बरतापूर्वक अन्याय करके, लाठी मार कर आप मुस्कराएं यह सदन को शोभा नहीं देता। आपका व्यवहार शोभा नहीं देता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं या तो इनसे स्टेटमेंट दिलवाइए

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

नहीं तो हमें और कोई रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। आखिर लाठीचार्ज हुआ है और सरकार कुछ कहना नहीं चाहती, विश्वविद्यालय की मांग को दबा देना चाहते हैं। राजस्थान सरकार ने 1987 में कमिटमेंट किया था कि इसका दक्षिणी परिसर उदयपुर में स्थापित होगा, विश्वविद्यालय में प्रो-वाइस चांसलर का पद वहां पर बढ़ाया जाएगा। लेकिन आप सारी चीजों को नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। उदयपुर डिवीजन के साथ यह अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा। उसके लिये जो भी संघर्ष करना होगा, हम संघर्ष करेंगे। मैं गृह मंत्रीजी से कहना चाहता हूं , मेहरबानी करके वक्तव्य दे ताकि स्थिति पर सही तथ्य सामने आ सके। (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। 1987 में उदयपुर से कृषि विश्वविद्यालय का बीकानेर स्थानान्तरण किया गया था। तत्कालीन सरकार ने कमिटमेंट भी किया था कि हम उधर दक्षिणी परिसर को खोलेंगे। अभी हमारे वरिष्ठ सदस्य जो बोले हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस समय जो ताकत दिखा रहे हैं वह उस समय अगर दिखाते तो शायद दक्षिणी परिसर खुल गया होता। मैं सरकार को भी आगाह करना चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार करके उदयपुर जो जनजाति क्षेत्र है उस उदयपुर संभाग से विश्वविद्यालय छीना गया है और जब एक संभाग में दो विश्वविद्यालय हो सकते हैं, कोटा में हो सकते हैं, बीकानेर में हो सकते हैं तो उदयपुर में क्यों नहीं हो सकते हैं ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि उदयपुर में निश्चित रूप से विश्वविद्यालय खोलें और जब तक विधान सभा की बैठकें चल रही हैं उसके बीच में ही इसकी घोषणा करें। हमारे उदयपुर की सारी जनता सड़कों पर आ गयी है इसलिए उनकी मांग पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें, आपके माध्यम से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

धन्यवाद।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो अभी मुद्दा उठाया है इसमें मुझे कहीं भी कोई गृह मंत्री जी को...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठे-बैठे नहीं। रामस्वरूप जी, वैल में बोलते नहीं है, वैल में उठकर + + + नहीं करते हैं, बिराजें।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस मुद्दे को लेकर माननीय सदस्य यहां बैठे हैं इसमें मुझे नहीं लगता है कि माननीय गृह मंत्रीजी को कहां गुरेज होना चाहिए कि जो लाठीचार्ज हुआ है, चोटें आई हैं उसके बाबत में वक्तव्य दें। यह कोई

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्रीमती कमला)

ऐसा मुद्दा नहीं है जिसमें उनको परेशानी पैदा हो। उनको सब जानकारी भी है और वह जवाब देने की स्थिति में भी है। दूसरा सवाल है कि जो मौजूदा विश्वविद्यालय है उसके अलावा एक उदयपुर में अलग विश्वविद्यालय कायम किया जाए इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छोटे-छोटे राज्यों में दो-दो विश्वविद्यालय हैं और हमारा इतना बड़ा राज्य है कि न सिर्फ उदयपुर में होना चाहिए बल्कि जयपुर में भी एक और विश्वविद्यालय होना चाहिए एक पहाड़ी क्षेत्र का, एक डेजर्ट एरिया का और एक नार्मल क्षेत्र का। माननीय सदस्यों ने तो यहां पर यह कहा है कि उस वक्त यह तय हुआ था...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। श्री भवानी जोशी, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर संभाग जनजाति क्षेत्र है...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। अब आपने अपनी बात कह दी, बैठिये आप।

श्रीमती कमला : माननीय मंत्रीजी से पूछिए कि वह वक्तव्य देने में क्यों हिचक रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी से मैं बात नहीं कर पाऊंगा, वह सुन रहे हैं सारी बात।

श्री भवानी जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर संभाग जनजाति क्षेत्र है और वहां की जनता और वहां के पक्ष और विपक्ष के सारे नेता, एम.एल.ए. चाहते हैं कि उदयपुर में कृषि विश्वविद्यालय खुलना चाहिये। हमारा सबका आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन है कि उदयपुर में तत्काल कृषि विश्वविद्यालय खोला जाए।

श्री भीमसेन चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर में जो कृषि विश्वविद्यालय है उसमें कोई फैकेल्टीज ही नहीं है, हमारे विश्वविद्यालय में कोई फैकेल्टीज ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप बैठें, यह बीकानेर की बात नहीं है। कृपया विराजें, बीकानेर की कोई बात नहीं है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा प्रतिपक्ष के उप नेता ने कहा 1987 में बीकानेर में कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर से स्थानान्तरित हुआ, हमने कभी नहीं कहा कि बीकानेर से वापस उसको उदयपुर लाया जाए और जैसा आपने कहा कि दक्षिणी परिसर और प्रो-वाइस चांसलर वहां रहना चाहिये। उस समय के जो मुख्य मंत्री थे माननीय श्री हरिदेव जी जोशी, उन्होंने इस सदन में बजट भाषण में कहा था, माननीय श्री लक्ष्मण सिंहजी ने उस दिन पढ़कर सुनाया था और यह आश्वासन दिया था। 1987 से 89 तक कांग्रेस की ही सरकार थी, मार्च, 1990 तक कांग्रेस की ही

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

सरकार थी। उस समय उन्होंने नहीं किया, उस समय वह नहीं कर सके। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज एक भी पैसा राजस्थान सरकार का उस पर खर्च नहीं होने वाला है। जहां पर सारे सैटअप..

श्री उपाध्यक्ष : आप भी माननीय सदस्य, जो वेल में विराजमान हैं वे अपने-अपने स्थान पर पधारें कृपया। आप पधारिए अपने-अपने स्थान पर।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : मैं इनकी बात का प्रतिकार करने के लिये आया हूं। यह पूरे तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं। दक्षिणी परिसर आज भी वहां स्थित है। माननीय हरिदेव जोशीजी ने राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिये दूरदर्शितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वहां पर यूनिवर्सिटी स्थापित की थी लेकिन दक्षिणी परिसर को वहां कायम रखा था।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई दोषारोपण नहीं कर रहा कि उस समय उन्होंने नहीं किया। मैं तो सिर्फ याद दिला रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आपका मंत्री कार्यकाल याद दिला रहे हैं, दोषारोपण नहीं कर रहे हैं।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं दोषारोपण नहीं कर रहा, मैं तो आपका बहुत आभारी हूं कि आज उदयपुर के लोग जिस तरह से उद्वेलित हैं और आज राजस्थान की विधान सभा में उदयपुर के जनप्रतिनिधि आकर बैठे हुए हैं और जिस तरीके से आपने इस प्रश्न को उठाया है, मैं तो बधाई देता हूं आपको और आपके सहयोग के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। उदयपुर का जहां तक सवाल है, मैं तो केवल आपको यह याद दिला रहा था कि उस समय अगर कर देते तो शायद यह झगड़ा पैदा नहीं होता और आज स्थिति यह आ गयी कि उदयपुर की जनता, उदयपुर के जितने राजनैतिक दल हैं, सामाजिक संस्थाए हैं, वे सारे के सारे आज उद्वेलित हैं। वहां पर एक आन्दोलन चल रहा है, बहुत शांतिपूर्ण आन्दोलन चल रहा है और उनके जन-प्रतिनिधि आज राजस्थान की विधान सभा में आये हुए हैं। मैं तो आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी का और राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक भी पैसा खर्च नहीं होगा..

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजें।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : कोई वित्तीय सवाल उसमें पैदा नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष : राज्य सरकार ने बड़े धैर्य से आपकी बात को सुना है, विराजें आप।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : नहीं, आपकी बड़ी कृपा है। मैं तो राजस्थान सरकार का आभारी हूं।

श्री उपाध्यक्ष : वैल के अन्दर जो माननीय सदस्य विराजमान हैं।

74

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य और यहां विराजमान अन्य माननीय सदस्यों ने जो बीकानेर विश्वविद्यालय के साउथ कैम्पस यहां कायम करने का और वहां पर प्रो-वाइस चांसलर रखने का उल्लेख किया है, मैं उस वक्त में कृषि मंत्री थी। मुझे अच्छी तरह मालूम है...

श्री उपाध्यक्ष : विरोधी दल के नेता महोदय बोल रहे हैं, आप विराजें अब। अब आप बैठ जाएं।

श्रीमती कमला : उन्होंने मुझे मौका दे दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी आज्ञा का आप पालन करिये, कृपया विराजें।

श्रीमती कमला : मैं यह प्रश्न करने के लिए खड़ी हुई हूं।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : विरोधी दल का नेता मानते ही नहीं हैं।

श्रीमती कमला : वह जो उल्लेख कर रहे हैं, वह गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें। विरोधी दल के नेता महोदय बोल रहे हैं। विरोधी दल के नेता महोदय की बात, आप क्यों बोल रही हैं ? विरोधी दल के नेता महोदय बोलना चाहते हैं।

श्रीमती कमला : विधान सभा के अन्दर भी उस मांग को माना नहीं गया है ..

श्री चुन्नीलाल गरासिया : ये नेता मानते ही नहीं हैं।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं कोई असत्य बात कह रहा हूं तो यह मुझे बाद में बता दें।

श्रीमती कमला : कि आप नया विश्वविद्यालय कायम करना चाहते हैं, वह जरूर करें लेकिन बीकानेर विश्वविद्यालय को तोड़कर, खण्डित करके जो आप इस बात को चाह रहे हैं वह सही नहीं है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : लेकिन जो राजस्थान विधान सभा की प्रोसीडिंग्स में लिखा है मैंने उसी बात का उल्लेख किया है। उसके अलावा कुछ नहीं कहा।

श्री उपाध्यक्ष : विरोधी दल के नेता महोदय।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैंने तो उसी का उल्लेख किया है।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तो कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में रहें, उसका स्थानान्तरण नहीं किया जाए। (व्यवधान) ठहरिये आप।

श्री उपाध्यक्ष : बीच में नहीं बोलें आप।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, यह हमने कभी नहीं कहा कि उदयपुर में..

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप बात सुनें, सनाढ्य साहब। सदन के नेता या विरोधी दल के नेता महोदय जब भी बोलते हैं उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता ।

श्री परसराम मदेरणा : इस सम्बन्ध में जो शांतिपूर्ण आन्दोलन उदयपुर में चल रहा है और इस सदन के माननीय सदस्य जो आज उद्वेलित हैं और आक्रोश में जो बात कह रहे हैं वह जन-भावनाओं को यहां पर दर्शा रहे हैं। आज प्रश्न यह था कि भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बात न करें। श्री हीरालालजी इन्दौरा, बात न करें।

श्री परसराम मदेरणा : जो शांतिपूर्ण आन्दोलन चल रहा है उस पर बर्बर लाठीचार्ज किया गया उस सम्बन्ध में गृह मंत्री जी को एक वक्तव्य देना चाहिए। लोकतंत्र की प्रक्रिया के अन्दर जन-भावनाएं शांतिबद्ध प्रदर्शन के जरिये अगर उजागर हो जाती हैं, तो गृह मंत्री बार-बार या लाठीचार्ज करना और लाठीचार्ज करने के सम्बन्ध में जब कभी भी इस सदन में चर्चा हुई है, तो पूर्व में जब आपने पुरजोर शब्दों में कई दफा उसका प्रतिकार भी किया है और सरकार की ओर से तथ्य रखें हैं लेकिन इस वक्त मुझे दिख रहा है कि आप धैर्य को खोकर खुद ही आक्रोश में आ जाते हैं। अब प्रश्न यह हैं कि आप उस सम्बन्ध वक्तव्य दे दीजिये। एक प्रश्न तो आज यह है।

दूसरा, जैसा कि श्रीमती कमलाजी ने कहा कि बीकानेर में यूनिफाइड यूनिवर्सिटी स्थापित हुई थी और दोनों जगह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मांग है, क्योंकि उदयपुर की अभी तक फैकल्टी भी ट्रांसफार नहीं हुई है, जैसा कि लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे और जन आन्दोलन इसीलिए हो रहा है। यूनिवर्सिटी वह है जिसकी फैकल्टी हो और जब फैकल्टी वहां पर उदयपुर में हैं, अब उसका स्थानान्तरण नहीं किया जाए। राज्य सरकार उस सम्बन्ध में क्या, शिक्षा मंत्रीजी इस सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी आप निर्णय लें, अच्छा कृषि मंत्री के पास है, कृषि मंत्री जी, इस सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी निर्णय लें, क्योंकि जोइंट रेस्पांसिबिलिटी है, मैंने सोचा शायद उच्च शिक्षा के अन्दर आपके पास हो। कृषि मंत्री जी, इस सम्बन्ध में उचित निर्णय लेकर सदन को आश्वस्त करें ताकि एक जगह नहीं हिन्दुस्तान के कई प्रान्तों में 2-2, 3-3 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं और क्योंकि वहां के लोगों की जन-भावनाएं हैं और बीकानेर के लोगों की भी जन भावनाएं हैं इसलिए मैं यह कहता हूं कि आपको दो यूनिवर्सिटी स्थापित करनी चाहिए और दो यूनिवर्सिटी स्थापित करके दोनों जगह के लोगों की जो मांग है वह उचित मांग है, उस क्षेत्र के लोगों की भी उचित मांग है और गंगानगर भी इर्रिगेटेड एरिया में आया हुआ है इसलिए उन लोगों की भी उचित मांग है। इस मांग को देखते हुए जैसा कि आपने बजट भाषण में दो यूनिवर्सिटी की यहां पर घोषणा की थी, अब आप निश्चित तौर पर तीन यूनिवर्सिटी की घोषणा कीजिए

(श्री परसराम मदेरणा)

और जाते-जाते करने में आपको ज्यादा इसमें मुसीबत का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। आप तो जाते-जाते कर जाओ और जाते-जाते कर जाओगे तो उसका राजनैतिक लाभ शायद अगली दफा मिलेगा। होगी कि नहीं होगी लेकिन आपको यह निश्चित तौर पर घोषणा करनी चाहिए और गृह मंत्रीजी, आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि आज अगर आपके पास कोई तथ्यों की जानकारी नहीं है तो करके कल एक स्टेटमेंट दे दीजिए।

अब मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि आपकी उचित मांग के सम्बन्ध में सदन का और माननीय उपाध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित कर दिया है, अतः आप अपने-अपने स्थानों पर विराजें।

श्री केलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब यह प्रश्न उठ था, मैंने उस समय निवेदन किया था कि जितने तथ्य हैं पुलिस एक्शन के, उदयपुर से जानकारी मंगाकर मैं आपके सामने रख दूंगा और उसके बाद आप जैसा निर्णय करेंगे अगली कार्यवाही चलेगी। माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय से मेरा निवेदन है कि मैं आज या कल तक सारे तथ्य उपाध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत कर दूंगा और उसके बाद जैसा भी निर्णय देंगे, जो यहां की प्रक्रिया है, उसके हिसाब से अगर उनका आदेश होगा कि वक्तव्य दिया जाए, वक्तव्य भी दिया जाएगा। जैसी भी स्थिति होगी तो मैं आपसे सहमत हूं लेकिन निर्णय तो आपको लेना है और तथ्य मुझे प्रस्तुत करने हैं तो आज या कल में प्रस्तुत कर दूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : आप तथ्यों की जानकारी उपाध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत कर दीजिए।

श्री कैलाश मेघवाल: आज या कल में कर दूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : आज या कल में कर दीजिए। उसके बाद हम उपाध्यक्ष महोदय से मिलेंगे और उनसे हमारा निवेदन करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : मेरे स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्ति कर रहा हूं । जिला परिषद बीकानेर द्वारा 1.1.96 को 338 तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की नियुक्ति के बारे में विज्ञप्ति जारी की थी जिसके अनुसार 51 प्रतिशत तृतीय श्रेणी के सामान्य वर्ग और 49 प्रतिशत अन्य आरक्षित वर्गों के तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की नियुक्ति करनी थी। उसके सम्बन्ध में सारी औपचारिकताएं कर ली गयी, साक्षात्कार हो गये उसके बाद राज्य सरकार ने इंटरफियरेंस किया और दो वर्ष से वहां पर सारे गांवों में स्कूलें खाली पड़ी हैं और अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो रही है। मैं स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं

(श्री भीमसेन चौधरी)

कि जो विज्ञप्ति जारी की गयी थी उसके अनुरूप तृतीय श्रेणी अध्यापकों की नियुक्ति वहां करवायी जाए। यह मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल मीणा।

श्री भीमसेन चौधरी : पंचायती राज मंत्री नाथूसिंह जी बैठे हैं, इस बारे में कोई अपना रिएक्शन तो दें।

श्री हीरालाल मीणा (बामनवास) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सन् 1992 के बाद सरकार द्वारा आबंटन नहीं करवाया गया। आबंटन न होने के कारण हमारे क्षेत्र में हजारों काश्तकार पैनल्टी से दण्डित होते हैं, फसल नीलामी से दण्डित होते हैं, 3-3 महीने के कारावास में जा रहे हैं और जो लोग आबंटन की पात्रता रखने वाले हैं उनको भी आबंटन नहीं हो रहा है और उनको भी जेल जाना पड़ रहा है। क्यों नहीं जो नियमन काबिल हैं उनका नियमन किया जा रहा है। सरकार बार बार घोषण करती है कि बार बार आगे सरकाती है और काश्तकारों का + + + करती है। जो पात्रता रखते हैं भूमिहीन काश्तकार हैं, अगर एक बीघा जमीन उसने भी बो ली तो वह भी जेल जाता है और उसे भी फसल (व्यवधान) देनी पड़ती है। हर छठे महीने उनको दण्ड भोगना पड़ रहा है।

दूसरा मुद्दा मैं सरकार को ध्यान दिलाऊं कि 1975 में सरकार द्वारा चरागाह का आबंटन किया गया था। चरागाह में से भूमि परिवर्तन करके आबादी घोषित की गयी थी उस भूमि को सैटलमेंट द्वारा पुनः सिवायचक कर दिया गया और आज उनके मकान टूटने की नौबत आ रही है। जो लोग बसे हैं बस्तियों में, पट्टा दिया, पंचायत ने पट्टा दिया, तहसील ने पट्टा दिया, वह पट्टे की जमीन पर आज मकान 3-3, 5-5 लाख रुपये की बिल्डिंग है। उनको रोजाना राजस्व अधिकारी, पटवारी तथा तहसीलदार परेशान कर रहे हैं। दूसरा जिन लोगों ने उसमें एक कुआं बनवा लिया, उस आबंटन हुई भूमि के अन्दर, उस भूमि को आज अतिक्रमण कर दिया। जैसे सजा में जा रहे हों, वे लोग जो पेनल्टी नहीं दे रहे हैं, उनका कुआं तोड़ने में उस भूमि को बर्बाद करने वाले राजस्व विभाग के अधिकारी नाजायज फायदा उठाने के लिए उनको बार-बार परेशान कर रहे हैं। अभी सरकार ने 3 महीने पहले लगातार घोषणा की कि समाधान शिविर रखेंगे। उसमें रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों ने एक अरब रुपया इकट्ठा कर लिया, राजस्थान के अन्दर उन लोगों ने फर्जी गिरदावरियां कर आबंटन के नाम पर उनको भफ्फा दे देकर अपनी जेबें भर लीं। आज वे काश्तकार रोते फिर रहे हैं और वे आबंटन नहीं करवा रहे हैं। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि तुरन्त आबंटन की कार्यवाही करें। जो लोग आबंटन के काबिल

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हीरालाल मीणा)

हैं उनका आबंटन होना चाहिए, और जो लागू नियमन के काबिल हैं उनका नियमन होना चाहिए और 1975 में जिनको जमीन आबंटित की गयी थी और आबादी में परिवर्तित है वह जमीन वापस आबादी में आनी चाहिए और वह आबंटन लागू होना चाहिए। यही मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री भीमसेन चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज्य मंत्री बिराजें हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। आपने अपनी बात कह दी है। अब आप बार- बार ....(व्यवधान) बिराजें, बिराजें। श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहाजपुर निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 2 लाख है। उसमें से सवा लाख से अधिक जनसंख्या एस.सी., एस.टी. और बैकवर्ड क्लास की है। पिछले कई वर्षों से लगातार वहां पर आई.टी.आई. स्थापित करने की मांग की जाती रही है। पहले यह कहा गया कि वहां मिनी आई.टी. आई. माडा योजना के अन्तर्गत चलती है। सरकार ने उसको समाप्त कर दिया और इस वर्ष 5 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रावधान रखा है। पहले विभाग द्वारा यह मांग की गयी थी कि जमीन वगैरह उपलब्ध कराने की बात है तो उसके लिये जमीन भी आरक्षित की हुई है। गरीबी उस इलाके में सर्वाधिक है। भीलवाड़ा जिले की पंचायत समिति में इस वर्ष गरीबी रेखा के नीचे जो परिवार चयनित हुए हैं, उपाध्यक्ष महोदय, सर्वाधिक जहाजपुर क्षेत्र में 19 हजार परिवार चयनित हुए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस वर्ष राज्य सरकार इस क्षेत्र के साथ लगातार उपेक्षा और सौतेला व्यवहार कर रही है। जो 5 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने वाले हैं मैं उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि उस पिछले क्षेत्र में जहां गरीबी और बेरोजगारी प्रचुरता से है वहां पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान इस वर्ष स्थापित किया जाए ताकि उस क्षेत्र के नौजवान, एस.सी., एस.टी. और बैकवर्ड क्लास के युवकों में जो असंतोष का वातावरण बना हुआ है, वह समाप्त हो सके। मुझे यही निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महेन्द्र कुमार मीणा।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकराय के अन्दर जो एन.एच. 11 से बांदीकुई रोड जा रहा है सिकन्दारा होकर, वह रोड ग्राम सिकन्दरा के अन्दर करीब 10 फीट ऊंचा है। इस बरसात के मौसम में दोनों साइड पानी भरा हुआ है। वहां दोनों तरफ बस्ती है। वहां बस्ती के अन्दर सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। कच्चे मकान तो सभी गिर चुके हैं जो पक्के मकान हैं, जिसके अन्दर एक शाला भी है,

(श्री महेन्द्र कुमार मीणा)

वह भी कल परसों गिर जाएंगे। इस तरह की हालत हो रही है। मैं पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि उस ऊंची सड़क के अन्दर होकर करीब 3 मोटी सीमेन्ट के पाइप डाल दिए जाएं ताकि दोनों तरफ जो पानी भरा हुआ है वह निकल जाएगा और लोगों को राहत मिल जाएगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र चौधरी।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जोधपुर जिले के मेरे क्षेत्र के पीपाड़ कस्बे में रामस्नेह सम्प्रदाय के एक सन्त रामसुखदासजी महाराज की रिछोला के अन्दर हत्या कर दी गई है। उपाध्यक्ष महोदय, हत्या इतनी निर्मम हुई कि 27 चाकू उनके शरीर पर लगे। मैं उनकी शव-यात्रा में, पीपाड़, जोधपुर के अन्दर उनका दाह संस्कार हुआ उस वक्त मैं मौजूद था और जो लोग साथ में आए थे उन सबसे मैंने बात की।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : कौनसे कस्बे में हुई ?

श्री राजेन्द्र चौधरी : एक मिनट, एक मिनट। गृह मंत्रीजी, एक मिनट मेरे को सुन लो, सुन के बोल लेना।

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं, कस्बा समझ में नहीं आया, इसलिए पूछ रहा हूं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : सुन के बोल लेना।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो कुछ क्वेरीज कर रहे हैं आपसे।

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैं बता दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूं।

मैं यह कह रहा था कि 27 चाकू उनके शरीर पर लगे। उनके साथ जो लोग रिछोला से आए थे, कुछ जोधपुर से भी वहां गये हुए थे तो वहां पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा और वहां पर अखबारों में भी यह छपा कि इसके अन्दर जो साजिश है वह उत्तराधिकार को लेकर के जो विवाद चल रहा था उसमें बिराई जो जोधपुर के अन्दर राम-चौकी है, उसके सन्त सुन्दरदास का हाथ उसमें बताया गया है। सुन्दरदास ने पहले भी इस तरह की हत्या का प्रयास वहां किया था, परन्तु वे कामयाब नहीं हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, ये जो सन्त सुन्दरदास हैं उनके खिलाफ दुनिया भर के आरोप, फ्रोजरी के आरोप उनके ऊपर लगे हैं। उसकी एफ.आई.आर. दर्ज हुई। (व्यवधान) चालान पेश हुआ और चालान पेश होने के बाद में हाई कोर्ट ने उपाध्यक्ष महोदय, उनकी जमानता को निरस्त किया। (व्यवधान) हाईकोर्ट ने यह कहा (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, ये सुन्दरदासजी का नाम

(८०)

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

कैसे ले रहे हैं। (व्यवधान) ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। माननीय सदस्य सरासर गलत कह रहे हैं और एक इतने उच्च, ऊंचा पद पर बैठा..(व्यवधान) नहीं आप मत बोलिये।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह बाद में बोल देंगें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, बिलकुल उनके नाम से एफ.आई.आर. दर्ज हुई, चालान नाम से पेश हुआ है और उनके खिलाफ सरकार ने सारी जांच की सी.आई.डी. इंटेलीजेंस ने जांच की..(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, सुन्दरदासजी का नाम ही कैसे ले लिया आपने, यह गलत बात है। बिलकुल गलत कह रहे हैं आप। (व्यवधान) उनके खिलाफ कोई षड़यंत्र किया होगा आप जैसे लोगों ने..

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो घटना है, वह उत्तर प्रदेश की घटना है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या यह बात यहां उठायी जा सकती है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : सरकार के सी.आई.डी. इंटेलीजेंस डिपार्टमेंट ने जांच की और उन्होंने यह आरोप भी पाया कि महिला के खिलाफ उसका अत्याचार ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, राजेन्द्रजी सुनिये। गृह मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : यह उत्तर प्रदेश की घटना है। ये जो घटना कह रहे हैं, मर्डर जो हुआ है जो चाकू लगाये गये हैं, यह उत्तर प्रदेश की घटना है और उत्तर प्रदेश के किसी थाने के अन्तर्गत यह अपराध हुआ है। मैं आपसे निवेदन करूं कि क्या वहां के अपराध को यहां सनसनीखेज रूप से पेश करना उचित है।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें चर्चा नहीं होगी। श्री उगमराज मेहता। (व्यवधान) श्री उगमराज मेहता। अगर उत्तर प्रदेश का मामला है तो इसमें चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य। सरकार ने कह दिया।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) मैं क्या कहना चाहता हूं। ऐसा है, उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : यह मामला राजस्थान का नहीं है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुन लो आप। गृह मंत्रीजी ने बीच में खड़े होकर.. क्यों बोले बीच में खड़े होकर जब मैं अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाया, बीच के अन्दर खड़े होकर क्यों बोले, आप ? (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को चिट्ठी लिखी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : हां, यही तो बता रही थी। (व्यवधान) घटना कहां हुई (व्यवधान) सुन्दरदासजी का आपने कह दिया, कुछ ऐसा हुआ एक मिनट के अन्दर वहां पहुंच गये... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैंने हिन्दुस्तान के गृह मंत्रीजी को चिट्ठी लिखी। उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी ने मुझे जवाब दिया। (व्यवधान) मेरी बात सुनिये। गृह मंत्रीजी ने मुझे जवाब दिया कि मैं इस सारे मामले की जांच करवा रहा हूं। पर राजस्थान के मुख्य मंत्री का जवाब मेरे पास नहीं आया। मैंने यह बात इसलिए कही है कि राजस्थान की पुलिस ने खुद ने जांच की है, राजस्थान के इंटेलीजेंस, सी.आई.डी. ने जांच की है और उसने इसको विभिन्न अपराधों में, इस सन्त को दोषी पाया है। उसके अन्दर हालत यह है कि पूरे इलाके के अन्दर, इनके खिलाफ तहसीलदार ने रिपोर्ट लिखी है, दुनिया भर के अतिक्रमण इन्होंने किये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराज जाएं। श्री उगमराजजी मेहता।

श्री राजेन्द्र चौधरी : यह सारा मामला है, इसके अन्दर इस तरह की कोई बात नहीं है। आप इस मामले को देखिये। आप जब...(व्यवधान) मैं यह कह रहा हूं कि राजस्थान पुलिस ने ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, माननीय सदस्य, आप बैठिये। बिराजिए, बिराजिए। माननीय सदस्य, आप बैठिये। बिराजिए। मामला सम्बन्धित नहीं है, इसलिए आपने ध्यान आकर्षित कर दिया, दोनों बातें हो गयीं, बैठिये, बैठिये।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मतलब यह है कि इतनी गम्भीर जांच है। गृह मंत्रीजी यहां सदन के अन्दर यह कह कर कि हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है, मैं यह कहता हूं कि आज पीपाड़ में, जोधपुर में लोग उद्वेलित हैं, आन्दोलन यहां होगा तो क्या गृह मंत्रीजी उत्तर प्रदेश सरकार...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार ने कह दिया, मामला यहां का नहीं, उत्तर प्रदेश का है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी से यह तो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार से इस बारे में त्वरित कार्यवाही के लिये हम प्रयास करेंगे। यह क्यों नहीं कह सकते हैं ? वहां पर भी सरकार चल रही है, जन-प्रतिनिधियों की सरकार है। गृह मंत्रीजी यह बात क्यों नहीं कहते ? यह कह कर के काम कैसे चलाएं। आग यहां लगी है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उगमराज मेहता।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सदस्य, मुझे तथ्य दे देंगे तो मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि उन तथ्यों को उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री जी को मेरी तरफ से भेज दूंगा।

82

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये सारी सूचनाएं टेबल पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराज जाएं, सरकार ने निवेदन कर दिया।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की जवाजा पंचायत समिति के ग्राम देबाता पंचायत के अनाकर ग्राम के पास में एक पुलिया टूट गयी। उससे 50 गांवों का आवागमन बिलकुल बंद हो गया। मोटर साइकिल या साइकल भी नहीं आ सकती है। मैंने सहायता मंत्रीजी से निवेदन किया कृषि मण्डी समिति से निवेदन किया कि वहां पर हालत बड़ी खराब है और मेरे क्षेत्र के एक गांव पालूना का आवागमन बिलकुल बंद है। भीम से आने वाले माननीय सदस्य के 50 गांव हैं उनका भी आवागमन बंद है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि तुरन्त आप वायरलैस करके उस पुलिया को जल्दी, आज ही ठीक करने के आदेश प्रदान करिये।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। श्री रामस्वरूप मीणा। यह विभाग आज चर्चा में है, पशुपालन विभाग, उसी समय आप बोल देना।

श्री रामस्वरूप मीणा : हां, पशु की ही बात कह रहा हूं। एक मिनट। मैं तो एक मिनट ले रहा हूं। साहब आप...

श्री उपाध्यक्ष : उसी समय बोल लेना।

श्री रामस्वरूप मीणा : साहब, माननीय मंत्रीजी विराजमान हैं। मैं तो एक मिनट में ही अपनी मुख्य बात कह दूं...

श्री उपाध्यक्ष : तो फिर उस समय आपको चर्चा में भाग लेने के लिये मैं मना करूंगा तो फिर आप कहेंगे.........

श्री रामस्वरूप मीणा : साहब, आप तो फिर लास्ट में लेंगे तो फिर मेरी बात कौन सुनेगा ? मैं तो एक मिनट में ही बोल देता हूं। बाद में मर्जी आये जब आप ले लेना।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो यह विनम्र निवेदन है कि मेरी विधान सभा टोडाभीम की तहसील नादौती के अन्दर कम से कम बीस भैंसें अब तक मर चुकी हैं। वहां पर एक रोग हुआ है। उनके गले में एक रोग होता है, जानवरों के, माननीय मंत्रीजी विराजमान हैं, इसको गलघोंटू का रोग बोलते हैं। उसके होने के बाद में भैंस चक्कर खाकर के यूं चक्कर लगाती रहती है, बहुत देर तक चक्कर खाने के बाद में जमीन पर गिर जाती है और गिरने के बाद में उसकी मौत हो जाती है। ऐसे बीस जानवर अब तक मर चुके हैं। एक-एक भैंस बीस-बीस हजार की, लाखों रुपयों का नुकसान किसानों को हो गया है हेमड़ा, पुंजेला, सोच, भिलापाड़ा और आपके सलावद और गड़खेड़ा इन गांवों में सबसे ज्यादा यह रोग फैला है और धीरे-धीरे रोग बढ़ता हुआ चला जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय, आप कोई विशेष टीम भेजकर के इन जानवरों की मौत होने से रोके। क्योंकि

(श्री रामस्वरूप मीणा)

मूक जानवर हैं, घोर कष्ट पाता है। वह तो जाता है जो जाता है लेकिन अपने मालिक को भी ले जाता है। आज किसानों के पास इसके अलावा कोई दूसरा धंधा नहीं है। छाछ भी उनको नसीब नहीं हो रही है, ऐसी बुरी दशा हमारे क्षेत्र में हो रही है। चारों तरफ हा-हाकार मचा हुआ है। जानवर मर रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : गांव में बदबू फैल रही है। बीमारियां फैल रही हैं उन जानवरों के मरने के कारण। कुत्ते खाते हैं तो हुड़क जाते हैं वे कुत्ते मनुष्यों को खा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजिये। मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (राज्य मंत्री, पशुपालन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस बात पर ध्यान आकर्षित किया, अच्छा तो यह होता कि मुझे यदि पूर्व में सदन के माध्यम से बता देते तो भी ठीक था, वैसे बता देते तो आज दिन तक वहां पर एक टीम पहुंच जाती लेकिन आज जो इन्होंने ध्यान आकर्षित किया है, मैं अभी इसके बारे में व्यवस्था करना देता हूं ताकि वहां पर कोई टीम चली जाए और वहां जाकर उसको देख लें।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत बढ़िया।

श्री अमरचन्द मिड्ढा (सूरतगढ़) : आपको तुरन्त व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये, श्री चुन्नीलाल गरासिया और श्री शिवकिशोर सनाढ्य, यह अभी-अभी उठ गया, कृषि विश्वविद्यायल, उदयपुर वाला मामला, इसलिए अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बूंदी के बारे में, बांई मुख्य नहर के बारे में निवेदन किया है।

श्री उपाध्यक्ष : देखिये, मेरे पास जो कुछ पर्चियां आई हैं वे ग्यारह बजे बाद आयी हैं। ग्यारह बजे बाद जो भी पर्ची आएगी, उसको मैं अनुमति नहीं दे पाऊंगा।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : मेरा एक निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये, कोई निवेदन नहीं।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : मेरा तो इतना ही निवेदन है, श्रीमान्...

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

श्री अर्जुनदास मदान, सभापति, जनलेखा समिति, 1997-98 जन लेखा समिति के दस प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे। नहीं है। (अनुपस्थित) ।

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री कमल कोली, सदस्य, विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

याचिका का उपस्थापन

स्टेट हाईवे संख्या 24 पर स्थित जगर नदी पर पुल निर्माण

श्री कमल (हिण्डौन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्टेट हाईवे संख्या 24 पर स्थिर जगर नदी पर पुल निर्माण कराने हेतु चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि वहां पर किसान बहुत परेशान है, आन्दोलन होगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे यह कहना पड़ेगा कि अंकित नहीं हो, यह आपके लिये शोभा नहीं देगा। आप विराजिये। कृपया आप विराज जाएं, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक, सदस्य, विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे। नहीं हैं ?

(अनुपस्थित)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बाड़मेर जिले के कतिपय गांवों में नील गायों द्वारा फसलों को नुकसान

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। प्रक्रिया नियम 131 के अन्तर्गत श्री पूनमचन्द विश्नोई, सदस्य, विधान सभा जिला बाड़मेर के कतिपय गांवों में नील गायों द्वारा खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति की ओर वन राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सब लोग जानते हैं कि विश्नोइयों के गांव के अन्दर हरे वृक्ष कोई नहीं काट सकता, किसी वन्य प्राणी की हत्या नहीं की जा सकती। इसलिए मदेरणा साहब भी यह अच्छी तरह से जानते हैं कि हिन्दुस्तान का 90 प्रतिशत चिनकारा जिसको इंडियन गेजल कहते हैं और वे यह, विश्नोइयों के ग्राम में पूरे भारत के 90 प्रतिशत जानवर हमारे यहां पर है। अब इनके साथ-साथ दो नये मेहमान और आये हैं। एक नील गाय और एक सूकर होते हैं न गडसू, यह पहले शहरों में ही रहते थे, इनकी बढ़ोतरी बहुत तेजी से होती है। एक-एक मादा आठ-आठ, दस-दस बच्चे देती है और साल में दो बार। पहले तो ये छोटे-छोटे कस्बों तक ही सीमित होते थे और कुछ लोग इनको खाते थे, ये खा जाते थे लेकिन अब यह गांवों में विचरने लगे हैं। नतीजा यह हो रहा है कि गाजर, मूली, और खोद-खाद कर के सब फसल को नुकसान कर देते हैं और नील गाय इतना एक उत्पाती जीव है, कद में बहुत बड़ा, बहुत ही बोरेसियस इटर, दस फुट ऊंची

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

बाड़बंदी हो या तारबंदी हो, उसके ऊपर से कूद जाए और खाने के बाद में वहां चक्कर लगाकर इधर-उधर दोड़ेंगे, फसल को कतई तौर पर बरबाद कर देते हैं। यह वैसे है तो हिरण प्रजाती का, लेकिन फिर भी इसका गाय का नाम है इसलिए इसका शिकार होता नहीं है। नतीजा यह हो रहा है कि यह बहुत बड़ी संख्या बन गयी है। मेरा इसमें सुझाव यह है, राज्य सरकार को अभी तक कोई, यूं तो संख्या पुराने हिसाब से तो बहुत बढ़ गयी है लेकिन एक-एक तहसील में डेढ़-डेढ़, दो-दो हजार से ज्यादा नहीं है। अब तो आधुनिकता का युग है और एयर गन से एक इंजेक्शन की सूई आती है, अगर आप लगाते हैं तो वह बेहोश होकर गिर जाएगा और छोटा-सा टांका लगाकर के उसकी नसबंदी की जा सकती है, तो जितने भी नर बछड़े हो, चाहे नर बड़े हो चुके हो, अगर उनकी नसबंदी कर दी जाती है तो यह संख्या वही रुक जाएगी, वरना भविष्य में इन निर्दोष प्राणियों का भविष्य भी बहुत अंधकारमय है। लोग तंग आकर के या तो इनको जहर देकर के मारेंगे या यू.पी. वगैरह में इनको मारने की छूट दे दी है तो मेरे ख्याल से इस तरह के दल बनाने चाहियें जो उनको सूई लगाकर के, बेहोश कर के इनका छोटा-सा एक आपरेशन होगा, नाड़ी काट दें तो आगे वृद्धि नहीं होगी। यह मेरा सुझाव है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मणसिंह।

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले में भी–

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधेश्यामजी।–(व्यवधान) कोई सवाल पूछ रहे हैं ? पहले मंत्री महोदय बोलेंगे।

श्री जसवन्त सिंह विश्नोई (राज्य मंत्री, वन) : हमारा प्रदेश वन्य जीव प्रबन्ध की दृष्टि से देश का अग्रणी राज्यों में से एक है। प्रदेश में वन्य जीवों की कानूनी सुरक्षा के साथ-साथ लोगों का भावनात्मक संरक्षण भी प्राप्त है। जो पूरे विश्व के लोगों के लिये एक अजूबा है। रोजड़ा ऐंटिलोप प्रजाती का प्राणी है तथा मैदानी क्षेत्रों में विचरण करता है। मैदानी क्षेत्र अत्यधिक जैविक दबाव की वजह से वन्य जीवों की दृष्टि से सुरक्षित क्षेत्र नहीं रहे हैं इसलिए कुछ प्रीडेटर्स जैसे भेड़िया, जरख, सियार आदि जो रोजड़ा, हिरण आदि को मारते थे कि संख्या में कमी हुई है। साथ ही रोजड़ा जिसे नील गाय भी पुकारा जाता है, के नाम के पीछे गाय शब्द लगने की वजह से यह लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ गया है। यह भी इसकी संख्या में आशातीत वृद्धि का मूल कारण रहा है। इसके साथ वन्य जीव सुरक्षा कानून का कड़ाई से पालना भी इनकी संख्या बढ़ाने में सहायक रही है। इसकी आबादी में कुछ वृद्धि की वजह से यह प्रदेश में फसल उजाड़ने वाला आतंककारी प्राणी बन गया है। राज्य के सभी जिलें इस फसल उजाड़ने वाले रोजड़ा की समस्या से ग्रस्त हैं। जिनमें बाड़मेर

(श्री जसवन्त सिंह विश्नोई) जिले की पचपदरा तहसील आदि में भी यह संख्या पिछले कुछ वर्षों से बढ़ी है। इस समस्या से राज्य सरकार भली भांति परिचित है एवं सजग है। नील गाय वास्तव में गाय नहीं होने के बावजूद भी इसे गलत फायदा मिलने की दृष्टि से ध्यान रखते हुए वन्य जीव सलाहकार मण्डल की 38वीं बैठक में इसे नील गाय के स्थान पर सही नाम रोजड़े से पुकारे जाने हेतु सुझाव दिये जाने पर राज्य सरकार द्वारा इसे रोजड़ा पुकारने हेतु प्रचारित कराया गया है। वन्य जीव अधिनियम, 1972 में 1991 के संशोधन के बाद इस अधिनियम के अन्तर्गत जारी अनुसूची एक से चार में वर्णित वन्य प्राणियों के शिकार पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। जबकि अनुसूची पांच में वर्णित प्राणियों का शिकार किया जा सकता है। रोजड़ा अनुसूची तीन का प्राणी है, इसके शिकार की स्वीकृति नहीं दी जा सकती। नर रोजड़ों के खसीकरण किए जाने के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि समूचे राजस्थान में रोजड़ो की संख्या बहुत अधिक है। इनके बहुत बड़े क्षेत्र में फैले होने तथा रोजड़ो को पकड़ने का कार्य अत्यन्त कठिन एवं अव्यावहारिक होगा।

वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान, भारत सरकार ने सन् 1989 से 1992 के बीच हरियाणा में एक रिसर्च project ecological studies to evaluate crops damaged by Nilgai in Haryana ने किया था। इस कार्य के आधार पर रोजड़ो की संख्या एवं नुकसान पर नियंत्रण करने के लिए निम्नांकित पांच तरीके सुझाए गये। पहला बिजली की फेंसिंग का इस्तेमाल, दूसरा कलिंग द्वारा संख्या पर नियंत्रण, तीसरा रेगुलेटेड पब्लिक हंटिंग, चौथा कैप्चरिंग रिमूवल और पांचवां फर्टिलिटी कंट्रोल। क्रम संख्या दो व तीन को इस संस्था ने अपनी स्टेडी में व्यावहारिक माना। क्रम संख्या एक, चार व पांच के तरीके अव्यावहारिक माने हैं। निदेशक, वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान, भारत सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर उन्होंने अवगत कराया कि रोजड़ो को पकड़ने ट्रेंकुलाइजिंग करना अत्यन्त कठिन काम है जिसमें सफलता बहुत कम मिलती है। 1986 में पंजाब में एक एमुनेशन डिपो में जो कि पूर्णतया बाड़ाबन्दी किया हुआ था, में रोजड़ो को पकड़ने के प्रयास किए गये। अथक प्रयास एवं आर्मी के कई जवानों की मदद के बावजूद एक माह में सात रोजड़ो को ट्रेंकुलाइज किया जाना सम्भव हो सका। इस प्रकार पकड़ने में कुछ रोजड़ो के मरने की आशंका भी रहती है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि रोजड़ो को जीवित स्थिति में खुले क्षेत्र में पकड़ पाना व्यावहारिक नहीं है। उक्त संस्थान के निर्देशक महोदय ने यह भी अवगत कराया कि कलिंग करना है, रोजड़ो की संख्या में कमी करने का एक ही व्यावहारिक तरीका है। राज्य के पशुपालन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार आवारा पशुओं को ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगर परिषद्, नगर निगम द्वारा पकड़कर काजी हाउस में भिजवाने का प्रावधान है। गडसूर

(श्री जसवन्त सिंह विश्नोई)

पालतू होते हैं इनके बारे में पृथक् से कोई व्यवस्था नहीं है। प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में जंगली सूअरों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है एवं उनके द्वारा फसल उजाड़नें की गुहार किसानों द्वारा की जाती रही है। ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में उन्हें नष्ट करने हेतु राज्य के वन्य जीव सलाहकार मण्डल द्वारा यह सिफारिश की गयी है जिसे दृष्टिगत रखते हुए समस्याग्रस्त क्षेत्रों में जंगली सूअरों को नष्ट करने हेतु अनुमति देने के अधिकार संबंधित उप वन संरक्षक को दिए जा रहे हैं।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान हेतु समुचित कार्यवाही की जा चुकी है। फिर भी किसानों की इस समस्या के समाधान हेतु उनकी अपेक्षित कार्यवाही हेतु आगे नहीं आ रही है जिससे स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है, अतः ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को ध्यानार्थ लिया जाना उचित नहीं होगा।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो बिन्दु पर मैं अपनी बात कहना चाहूंगा, आपने मेरा नाम पुकारा था। पहला तो यह कि मंत्री महोदय सही फरमा रहे हैं नील गाय और रोजड़ा, इन दो शब्दों के कारण से कन्फ्यूजन है। हकीकत में रोजड़े में और नील गाय में अन्तर है और जो अभी किसानों का यह नुकसान कर रहे है, यह रोजड़े हैं। इनमें बेसिकली चार अन्तर है। नील गाय होती है वह पोठा करती है, रोजड़े होते हैं वह मीगणी करते हैं। गाय की पूंछ लम्बी होती है, रोजड़े की पूंछ छोटी होती है। गाय के थन चार होते हैं और रोजड़े के थन दो होते हैं और खुर गाय के होते हैं वह अलग प्रकार से हैं और रोजड़े के खुर अलग प्रकार से होते हैं। इससे भविष्य में इस नील गाय शब्द का तो कोई प्रयोग ही नहीं करे। यह तो कम से कम इंश्योर करें। दूसरा, आपने जो उपाय बताए उसमें से एक या दो उपाय ही व्यावहारिक हैं। लेकिन यह पकड़ने जैसी बात बिलकुल पूरी तरह से अव्यावहारिक है। इसमें सरकार की तरफ से इसको बहुत सीरियसली लेकर के कोई कांशियस एफर्ट्स करने चाहिए क्योंकि आज किसान वास्तव में 15-16 जिले हैं, जो बरबादी के कगार पर हैं, रात-रात भर उसको जागना पड़ता है और उसके बाद में वह कुछ नहीं कर सकता। मेरे विचार में दबाव डालकर के किसी भी प्रकार से केन्द्र सरकार पर और इनको मारने के लिए अनुमति लें। जब तक आप इन रोजड़ो को मारने की स्वतंत्रता नहीं देंगे और राज्य सरकार इसमें एफर्ट्स नहीं जोड़ेगी तब तक उन किसानों को मदद नहीं हो सकेंगी।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मारने का प्रस्ताव नहीं है, हमारा तो सिर्फ इसकी नसबन्दी करने का, जो आसानी से चीज हो सकती है जीवहत्या के हम खिलाफ हैं। मेरा मारने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

एक माननीय सदस्य : रोजड़े की नसबन्दी करना बड़ा मुश्किल है।

(३४)

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्षजी, वन मंत्री ने कहा कि हमने वन्य जीव अधिनियम के अन्तर्गत जो बोर्ड है, उसके सामने हमने इस मुद्दे को रखा है। यह गाय है कि रोजड़ा है इसके बारे में भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि ये गाय नहीं है। जहां-जहां पर ट्यूबवैल है या कुएं से खेती होती है, वहां इन्होंने जबर्दश्त उत्पात मचा रखा है। आपको मालूम होना चाहिए चार साल पहले निवरी मथानिया के आसपास इन्होंने एक आदमी को मार दिया था और खास तौर से जैसा विश्नाईजी ने एक सुझाव दिया है कि आप इसको स्टरलाइज क्यों नहीं करते और यह दस फीट की जो बाड़ कूदते हैं यह मर्द रोजड़े हैं, मादा रोजड़ा इतनी ऊंची बाड़ को नहीं कूद सकती और यह मर्द रोजड़ा तो आदमियों को मारता है और सामने आता है और अकेला आदमी मिल जाए तो वह भागना शुरू हो जाता है उसके सामने। वो जानता है कि यह खूंखार रूप अगर इसने धारण कर लिया तो मुझे मार देगा।" फर्टिलिटी कंट्रोल की और जो स्टरलाइज की आपने बात की है, जो सजेशन आपको इवेल्यूएशन में हरियाणा गवर्नमैंट ने दिया था उस सम्बन्ध में आपने एक उदाहरण दे दिया है कि आर्मी के जवानों ने वहां पकड़ने की कोशिश की, वह आए नहीं। विश्नोईजी ने कहा कि उनके ट्रेंकुलाइजर ऐसा देना चाहिए और वह भी एक बुलेटप्रूफ की ट्रेंकुलाइज ऐसा कारतूस बनाकर के ताकि इनको स्टरलाइज किया जा सके। आप स्टरलाइज और फर्टिलिटी के मल्टीप्लीकेशन के लिए कोई आपके दिमाग में विचार है या नहीं है और नहीं है तो इसका मतलब यह है कि यह लोगों की फसल बरबाद करते रहेंगे और आप उसके सम्बन्ध में कोई कारगर कार्यवाही करना नहीं चाहते।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भरत सिंह।

श्री भरत सिंह (खानपुर) : उपाध्यक्षजी, इस विषय के ऊपर इस सदन में पहले भी चर्चा हो चुकी है। मैं वाइल्ड लाइफ बोर्ड का मैम्बर हूं। मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया है, इस उत्तर से इस समस्या की जो गंभीरता है, उसका कोई समाधान निकले, ऐसी कोई आशा नहीं बनी है। कुछ इस प्रकार के सुझाव हैं, पांच पाइंट उन्होंने जिक्र करे कि इनको मारा जा सकता है, बाड़ की फेंसिंग की जा सकती है और इस प्रकार के जो पांच बिन्दु इन्होंने बताएं। मेरी राय में तीन विकल्प हैं राज्य सरकार के सामने आज स्थिति यह है कि कुछ वन्य जीवों की संख्या तो बढ़ गयी जिससे किसान परेशान हैं और उसके विपरीत परिस्थितियां इस प्रकार हैं कि अधिकांश सुरक्षित वन क्षेत्रों में जानवर देखने को नहीं मिलबे। आवश्यकता आज इस बात की है कि वन्य जीव सलाहकार की जो पिछली बैठक हुई थी अड़तालीसवीं बैठक, उस में यह प्रोवीजन आया था, फसल बीमा की बात कही गयी। बीमा के पैसे हम कहां से लाएं। जिस जिले में यह समस्या है, राजस्थान के 19 जिले ऐसे हैं जिनमें ब्लूगल्स की समस्या है, इनका

(श्री भरत सिंह)

चरागाह क्षेत्र में जिसके ऊपर किसी जमाने में वन्य जीव चरा करते थे उस पर व्यापक प्रेशर है। दो हजार एकड़ चरागाह भूमि बाड़मेर जिले की, जिसका माननीय विश्नोई साहब ने जिक्र किया है, उसके ऊपर दो हजार एकड़ जमीन चरागाह बाड़मेर में अतिक्रमण है, 75 हजार हैक्टेयर राजस्थान में चरागाह पर अतिक्रमण है जिस पर जुर्माना वसूल किया जाता है। आप जिला कलेक्टर को पॉवर दीजिए। इस चरागाह राशि से जो वसूल करते हैं उन किसानों को-

श्री उपाध्यक्ष : आप पूरे वाइल्ड लाइफ पर डिस्कस कर रहे हैं। रोजड़ो के बारे में कहिए।

श्री भरत सिंह : मैं इसी की प्रॉब्लम कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि वह पैसा जो आप चरागाह से वसूल करते हैं उन काश्तकारों को कम्पनसेट करिए। यह सुझाव है मेरा क्योंकि आर्थिक दृष्टि से काश्तकार को आर्थिक नुकसान नहीं दें और उसके खेत में जाकर खाद दे दे तो रोएगा नहीं। उसकी फसल खा रहा है। वह आर्थिक पूर्ति करने के लिए आप यह करें।

दूसरी चीज, इसके साथ ही नील गाय और रोजड़े वाली जो बात कही गयी है, मैं रोजड़ो को मारने की अनुमति 19 जिलों में मेरे पास प्रश्न का उत्तर है कि हमने 19 जिलों में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके रोजड़े को मारने की अनुमति दी है। गाय के नाम से इसलिए डरते हैं कि गाय के नाम के ऊपर राजनैतिक कोई कहे कि इन्होंने गाय को मारने की इजाजत दे दी है। गाय के नाम से रोजड़े को मारने से इसलिए चमक रहे हैं क्योंकि गाय मारने की इजाजत देंगे तो इससे वोटों पर फर्क पड़ेगा। वोटों की राजनीति में नहीं आएं ।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : आज से चार साल पहले मैंने यह प्रश्न उठाया था।

श्री उपाध्यक्ष : अभी इनका पूरा तो होने दीजिए।

श्री भरत सिंह : और तीसरी चीज वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने यह प्रपोजल दिए हैं कि जो हमारा अभयारण्य है, जिनको हम सैंक्चुरीज कह रहे हैं, उनमें आज देखने को जानवर नहीं हैं। वहां हर्बीवोरा की कमी है। हर्बीवोरा वह है जिसको शेर, तेंदुआ और चीते, चीते तो हैं नहीं पैंथर और टाइगर खाते हैं। उसमें हर्बीवोरा को इंट्रोड्यूज किया जाए। वाइल्ड लाइफ बोर्ड के अन्दर निर्णय ले रखा है कि हर्बीवोरा को हम इंट्रोड्यूज करें तो क्यों नहीं ब्लूगल को, दो-पांच-दस मर जाते हैं, ट्रेंकुलेट करने में, तो मरने दीजिए। मगर आपने जब निर्णय लिया उसकी पालना नहीं करें और पालना करने के लिए वन विभाग ने अलग से कोई राशि वाइल्ड लाइफ ने इनको दे नहीं रखी है। आप राशि आबंटन करिए, इनको ट्रेंकुलेट करिए ताकि हमारा अभयारण्य है उनमें जानवर रह सकें और इस समस्या का समाधान हो सके, यह मेरा सुझाव है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधेश्याम जी । शोर्ट में।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : मैं प्रार्थना कर रहा था कि चार वर्ष पूर्व मैंने इसी सदन में यह मामला उठाया था उस पर मंत्री महोदय का जवाब यह था कि मारने के आदेश कर दिये गए हैं, आदेश कर भी दिए गए थे, वह सर्कुलर भी है लेकिन तीन महीने बाद पुनः आदेश हो गए कि आप वन विभाग के लोगों से पहले इजाजत लें फिर एक नया आदेश आ गया कि आप इनको मार नहीं सकते। बिना मारे किसानों को कोई फायदा नहीं हो सकता और कोई इलाज नहीं है इसका। यह किसी काम की चीज नहीं है। इसकी वजह से लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। हमारे गंगानगर जिले में 20 हजार हैं। मेरे खुद के खेत में चारदीवारी की हुई है, इंदौराजी पास बैठे हैं, इनका भी नजदीक है, ऊपर से कूद-कूद कर बीस बार चारदीवारी तोड़ दी, मूंग की फसल थी वह सारी बरबाद कर दी। इसका एक ही इलाज है, मेरे ख्याल से सारे हाउस का मन है, उपाध्यक्ष महोदय, कृपया आप आदेश दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। मंत्री महोदय।

श्री रमाकान्त शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : हां, श्री रमाकान्तजी।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : मैं भी तो एक मिनट ही बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विश्नोईजी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत गम्भीर विषय पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। कम से कम मेरे क्षेत्र के अन्दर सरिस्का के चारों तरफ थानागाजी विधान सभा क्षेत्र है और वहां पर इतनी स्थिति खराब है कि एक तकमीना लगाया था कि प्रति वर्ष 20 लाख रुपये का किसानों का नुकसान होता है और प्रति वर्ष दो-चार आदमी मर जाते हैं। पिछले साल तो एक बहुत बढ़िया कम्पाउण्डर था, वह ही मर गया। वह जा रहा था कि सड़क पर और रोजड़ा आया और उसने उसको फटकार दी और वहां की वहां उसी स्थान पर मर गया। आदमी भी मर रहे हैं, किसानों की फसल को भी बहुत भारी नुकसान हो रहा है। दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मन के अन्दर यह भाव होगा कि नील गाय है, आज गांव का किसान पूरी तरह से स्पष्ट है अपने दिमाग में, वह नील गाय नहीं जानता वह तो रोजड़ा जानता है। और उसके दिमाग में यह बात कतई खतम हो चुकी है कि यह नील गाय है। एक जमाना था सौ-दो साल पहले वोकेबलरी कम थी जब हम किसी को सफेद चिड़िया, पीली चिड़िया, नीली चिड़िया बोल दिया करते थे। और उसको उसी तरह से गाय की जैसी शक्ल दिखाई देती थी तो नील गाय, काली गाय, अतः नील गाय बोल दिया

(श्री रमाकान्त शर्मा)

करते थे। आज का किसान प्रबुद्ध है, समझदार है और उसको बताने की जरूरत नहीं है, वह जानता है कि यह गाय नहीं है। यह स्पष्ट रूप से रोजड़ा है और जिसका इतना ज्यादा प्रोलिफरेशन हो गया है। राजाओं के जमाने में किसानों के मामले में बहुत अच्छी तरह ध्यान दिया जाता था और वन्य जीव, जितने भी विभिन्न जीव होते थे उनकी संख्या को सीमित रखा जाता था, बैलेंस रखा जाता था। यदि सूअर ज्यादा हो गये तो सूअर खतम कर दिये जाते थे, बघेरे ज्यादा हो गये तो बघेरे खतम कर दिये जाते थे। आज इनकी जो अनकंट्रोल्ड तरीके से आबादी बढ़ रही है उसकी वजह से किसान बहुत परेशान है और किसान की बड़ी हालत खराब हो रही है।

मेरा निवेदन है कि एक परिपत्र जारी हुआ था कि यदि आपके खेत के अन्दर वह आकर कुछ खराबी करे तो आप उसे मार सकते हैं पर उसके ऊपर क्वालिफाइंग क्लाज यह लगा दिया गया कि आप मारने का लाइसेंस लेकर मार सकते हैं। वह भी बात सही थी। परन्तु यह कहा कि लाइसेंस वन विभाग उसको देगा जिसके पास बंदूक का लाइसेंस है। अब हमारे जैसे शांत थानागाजी क्षेत्र के अन्दर किसी के पास भी बंदूक का लाइसेंस ही नहीं है तो उसके लिए यह परिपत्र बिलकुल बेकार हो गया। किसान स्वयं अपना इंतजाम कर लेगा परन्तु आप तो सिर्फ यह कह दीजिये कि किसान के खेत में चाहे शेर आये, चाहे बघेरा आये, चाहे रोजड़ा आये, चाहे दूसरे जानवर आएं यदि किसान के खेत को खराब करेगा तो किसान उसको अपने बचाव के लिए मार देगा। यह एकमात्र उपाय है, इस उपाय को करना चाहिए और बाकी और सारे उपाय भी कर सकें तो करें। वैसे तो सरकार का फर्ज है, एक अच्छी बिनाइन सरकार का फर्ज है कि वह किसान की रक्षा करे।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजें। विश्नोई जी।

श्री रमाकान्त शर्मा : और किसान की रक्षा के लिए स्वयं इस बात का इंतजाम करे कि खेतों में रोजड़े नहीं जाएं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि जानवर को बेहोश करके उसकी नसबंदी कर दी जाय। एक छोटी-सी नाड़ी काटनी पड़ती है, बेहोश हो जायेगा। मेरा तो यह सुझाव है।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर में हजारों की तादाद में यह रोजड़ा टोले के टोले में घूमता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोविन्द सिंह गुर्जर।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपना जो उत्तर दिया है इस प्रस्ताव में, वह उत्तर पहले इनके पूर्ववर्ती मंत्री थे, कौशलजी, उसके बिलकुल विपरीत है।

श्री उपाध्यक्ष : उससे पहले कौन थे ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैंने नहीं, पहले जो मंत्री थे, आप से पूर्ववर्ती।

श्री परसराम मदेरणा : वह ब्राह्मण थे और यह विश्नोई हैं।

श्री अमराराम (धोद) : गड़बड़ यही हो गयी।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : उनका इसी सदन में आप उत्तर पढ़ लीजिये और उस उत्तर को पढ़ने से आप पायेंगे कि आपका उत्तर और उनका उत्तर एक-दूसरे से बिलकुल विपरीत है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल इन्दौरा।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आप कह रहे हैं इसको किसी भी तरीके से, यानि आपका जो जवाब है उस जवाब से ऐसा लगता है कि विभाग बिलकुल असहाय है । इसका मोटा कारण यह है, मैं भी मानता हूं कि जब तक इसको मारने की इजाजत नहीं दी जायेगी, जैसे बकरे को, मुर्गे को और दूसरे जानवरों को मारने की इजाजत है उसी तरह से पहले की तरह इसको मारने की इजाजत नहीं दी जाएगी, मंत्री महोदय, इसकी संख्या बढ़ने का एक कारण यह भी है कि हमने इसकी हंटिंग पर पाबंदी लगा दी। उस समय यह लुप्तप्राय जाति थी लेकिन अब बहुत तादाद में है अब कोई लुप्त होने का सवाल नहीं है। यह पूरे उत्तर भारत में बहुत बढ़ी समस्या काश्तकार के सामने है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालालजी इन्दौरा।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैं निवेदन करूंगा कि आप इस समस्या को दूर करने के लिए इसको खोल दें बिलकुल और 25 दिसम्बर से एक जनवरी तक अगर आप खोल दें तो इनका सफाया अपने आप लोग कर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, विदेशों में इसके मांस की इतनी मांग है कि आप इसका एक्सपोर्ट करें। सबसे अच्छी डिश मानी जाती है। सबसे अच्छी डिश है यह।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया अब आप बिराजें।

श्री हीरालाल इन्दौरा : उपाध्यक्ष महोदय, रोजड़ा टोले के टोले में दौड़ता है तो कई बार सड़कों पर आता है तो कार से भी एक्सीडेंट हो जाता है। तीन साल पहले मेरे साथ भी ऐसा हादसा हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, इतनी चर्चा हुई है, इसमें कोई प्रश्न कर लीजिये।

श्री हीरालाल इन्दौरा : मैं यह कहना चाहता हूं कि गंगानगर में किसानों की मंशा है कि इस रोजड़े को खतम कर दिया जाय और हंटिंग की परमीशन दी जाए, मारने की परमीशन दी जाए। मैं आम किसानों की भावना बता रहा हूं। मैं गांव में जाता हूं, क्योंकि वह सीमावर्ती इलाका है, पाकिस्तान में मार कर खा जाते हैं इसलिए जानवर छुप कर हमारी सीमा में आ जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंहजी। कृपया बिराजें।

श्री हीरालाल इन्दौरा : आम किसान चाहता है कि इसको मारने की परमीशन मिले।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, विश्नोई जी समस्या तो बड़ी खड़ी कर दी लेकिन जब उसके उपाय ढूंढने लगे कि दर्द होने लग गया। माननीय विश्नोई जी ने एक तो सबसे बड़ा सुझाव दिया कि इनकी नसबंदी की जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मनुष्यों की तो नसबंदी नहीं हो पा रही है, बराबर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इनकी नसबंदी आप कहां से करोगे, कैसे होगा ? यह संभव नहीं है।

दूसरा, विश्नोईजी को अपने मन में साफ होना चाहिये कि इनको मारने की इजाजत मिलनी चाहिये। जब तक इनको मारने की इजाजत नहीं मिलेगी तब तक इस समस्या का निराकरण नहीं होगा। जैसे माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि बिजली तारों की बाढ़ लगा दी जाए, वह भी मारने का एक साधन है। बिजली के तारों से छुएगा तो वो अपने आप मरेगा इसलिए मारने के अलावा कोई साधन नहीं। विश्नोई जी को यह अपने दिमाग से निकाल देना चाहिये नसबंदी वाली बात, नसबंदी वाला हो ही नहीं सकता। मनुष्य की नसबंदी नहीं हो पा रही है तो इन पशुओं की नसबंदी कहां से होगी ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने इनको मारने की अनुमति दे रखी है तो आपकी सरकार को मारने की अनुमति देने में क्या आपत्ति है ? आप काश्तकारों को यह अधिकार दे दीजिये कि अगर उनके क्षेत्र में वह प्रवेश करते हैं, काबू में नहीं आते हैं तो उनको अपनी सुरक्षा के लिए और अपनी खेती की सुरक्षा के लिए उनको मारने का अधिकार है। यह आप करवा दीजिये। (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हमारे विश्नोईयों के गांव में क्या करेंगे ? मारते तो हैं नहीं, वो क्या करेंगे ? (व्यवधान) तो मेरा सुझाव है कि इनको बेहोश कर के आसानी से, क्योंकि कितने हैं, मनुष्य तो लाखों की संख्या में हैं रोजड़े तो एक तहसील में हजार-डेढ़ हजार से ज्यादा नहीं है, इनको बेहोश करके और एक इतना सा चीरा लगा दें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराज जाएं। श्री खेतसिंह जी।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि इनका ठेका दे दिया जाय और ठेका देकर इनके मांस की बहुत डिमांड है, तो एक्सपोर्ट कर दिया जाए।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को भी बोलने दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री खेत सिंह जी के बजाय श्री जगदीप धनखड़।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, दो दिन पहले का एक किस्सा है। करकेड़ी एक बहुत बड़ा गांव है जिसकी एक ढाणी है, घासी बाबा की ढाणी। वहां करीब 96-97 वर्ष की एक वृद्ध महिला है। जब बात हुई तो मैंने कहा, दादी, कायं को डर भी लागै हैं के ?

श्री उपाध्यक्ष : लम्बा मत करिये, माननीय सदस्य।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आधा मिनट।

बोली, पेली न तो शेर को डर लागतो न बघेरे को लागते टपकले को लागतो, इब तो बेटा, डर ई रोजड़ा को लागे है। उपाध्यक्ष महोदय, रोजड़ा किसान के लिये सागे ड़ो आतंकवादी हो र्‌यो है। माननीय शिवनाथ सिंहजी ने जो सुझाव दिया है इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अगर आप इसको मारने की इजाजत नहीं देंगे, किसी की धार्मिक भावना जुड़ी हो सकती है हर पशु के बारे में, तो मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि क्या वे इजाजत देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री मेघवालजी, बोलिये। अब आप मेघवालजी को सुनें।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : उपाध्यक्ष महोदय, जब यह सदन में क्लियर हो गया कि यह रोजड़ा ही है नील गाय नहीं है, नील गाय तो है भी नहीं, यह पुराने जमाने में लोग कहते थे। आज जब राजस्थान में पूरी जनता को, किसानों को और इस सदन को पता है कि यह रोजड़ा है, तो माननीय विश्नोईजी तो रोजड़ा मारने की परमीशन दे नहीं सकते क्योंकि इन्होंने तो कभी चिड़ी भी मारने की परमीशन नहीं दी। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय विश्नोईजी ने जो प्रश्न उठाया, वह भी कई बार कह रहे हैं कि नसबन्दी कराओ। नसबन्दी इसका इलाज नहीं है। नसबन्दी अभी है उनकी तो कर दो लेकिन कितनी की कराओगे ? गांवों में खेतों में लोग रोजाना रात को जाग रहे हैं। यह इतना खतरनाक जानवर है कि इससे डरकर किसान भाग जाता है। अगर किसान रात को अकेला है तो वह रोजड़े को बाहर नहीं निकालता। इतना डरता है। आमना-सामना करता है और सड़क पर रोजाना एक्सीडेंट होते हैं। ये एकदम से सड़क पर धू गति से आते हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आज ही इसकी घोषणा की जाए कि इसको तत्काल मारने की व्यवस्था की जाए। (व्यवधान)

श्री दलजीत सिंह (बाड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक सवाल करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : एक सवाल केवल खेतसिंह का होगा।

श्री दलजीत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अलग पाइन्ट है। मेरा अलग विषय है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक मिनट, मैं बोल लेता हूं।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

उपाध्यक्ष महोदय, 1977 के अन्दर भैरोंसिंहजी की सरकार थी। उन दिनों में सवाईमाधोपुर में सूअरों ने बहुत उत्पात मचा रखा था। पास के जितने भी गांव थे उनकी फसल खा जाते थे। उन दिनों फोरेस्ट के मिनिस्टर जैन थे। भैरोंसिंहजी ने इसी जगह से यह फरमाया था कि सूअरों को मारने की हम इजाजत दे देंगे ताकि गांव वालों की यह दिक्कत दूर हो जाए। आज मुख्य मंत्रीजी यहां नहीं हैं। मैं विश्नोईजी से यह निवेदन करूंगा कि आप विश्नोई हैं, आप ऐसा काम नहीं करते हैं। आप लिखकर के फाइल भैरोंसिंहजी के पास भेज दीजिये और उनसे आर्डर ले लीजिये कि रोजड़ों को मारने की इजाजत दी जाती है। इसके सिवाय इसका कोई इलाज नहीं है। चाहे आप कितनी ही कोशिश कर लीजिये। रोजड़ा आज इतना फैल गया हैं और वो इतने निर्भीक हो गये हैं कि इंसान के सामने दौड़कर के भेंटी मारने के लिए तैयार हैं। दो चार आदमी मार दिये। सात-आठ फीट की दीवार से कूदकर के वो आ जाते हैं और दिनभर फसल को मजे से खाते हैं। लोग उनसे डरने शुरू हो गये हैं। इनको मारने के सिवाय दूसरा कोई इलाज नहीं होगा और लोग मारने को तैयार हैं। आप कृपया फाइल इस हिसाब से भेजिये कि साहब, इनको मारने की इजाजत दे दी जावे।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय मंत्रीजी के सामने अगर इस सदन की आम राय है कि वाइल्ड लाइफ एक्ट की जो अनुसूची है, उसके हिसाब से प्रतिबन्ध है क्योंकि यह सैन्ट्रल एक्ट है। जो अनुसूची तीन की आपने बात की, अनुसूची 3 में जो बन्ध दिये गये हैं उनके अनुसार आप मार नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले, मुख्य मंत्रीजी के पास फाइल भेजने से पहले वन्य जीव एक्ट में अमेंडमेंट के लिए आपको भारत सरकार को लिखना चाहिए और इसके अलावा कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए जब तक आप एक्ट में अमेंडमेंट नहीं करेंगे और अनुसूची में अमेंडमेंट नहीं करेंगे तब तक यह मारने की इजाजत सरकार नहीं दे सकती। आप मेहरबानी करके इस अनुसूची में, क्योंकि अभी राज्य सरकार ने दूसरा फोरेस्ट एक्ट के अमेंडमेंट के लिए भारत सरकार को लिखा है। तो वन्य जीव एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। उप मुख्य मंत्रीजी यहां पर बैठे हैं, अमेंडमेंट के लिए आपको मुख्य मंत्रीजी के सामने रखना चाहिए। कोंसिल आफ मिस्टिस में निर्णय करके वाइल्ड लाइफ एक्ट को अमेंड कराना चाहिए।

श्री दलजीत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, श्री भरतसिंह द्वारा 20.3.97 को राज्य सरकार से प्रश्न पूछा गया था रोजड़ों के मामले में। राज्य सरकार का जवाब यह आया था कि किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले रोजड़ों की इस

(श्री दलजीत सिंह)

समस्या से निपटने के लिए 19 जिलों में मारने का अधिकार वन अधिकारियों को दे दिये हैं। यह इन्होंने जवाब दे दिया पहले। अब ये पलट क्यों रहे हैं। इसका जवाब है। इस सदन में दिया गया है भरतसिंह जी के सवाल के ऊपर। मैं यह जानकारी देना चाहता हूं सदन को।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जनता मारने नहीं देगी रोजड़ों को। आप + + + मारने की बात कर रहे हैं। मारने की हिरण को कहां इजाजत है ? हिरण सब के सब गायब हो गये क्योंकि हिरण का लोग शिकार कर लेते हैं ? सारे हिरण गायब हो गये। (व्यवधान)

श्री गोपीचन्द गुर्जर (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सच है कि निश्चित रूप से इसको जनता नहीं मारने देगी और यदि रोजड़ों को मारने के बाद किसान सुखी हो सकता है कि तो ये इंसान कितना बढ़ गया है और यह कितने अपराध कर रहा है। कहां-कहां आप मारने की बात करोगे ? निश्चित रूप से यह गलत है। रोजड़ों को मारने का हम लोग विरोध करते हैं। जनता में भी विरोध करेंगे, किसी कीमत पर रोजड़ों की हत्या करके किसानों का भला नहीं किया जा सकता। किसानों का भला करने के लिए आप बहुत सारे फैसले ले सकते हो लेकिन आज सदन के अन्दर शर्म से सिर नीचा होता है कि यहां बैठे हुए माननीय सदस्य एक मत होकर यह फैसला करने की हिम्मत कर रहे हैं। इस प्रकृति के अन्दर इस सृष्टि के अन्दर क्या इन जीवों का शेयर नहीं है। केवल इन दो पैर के जानवरों का शेयर है? किसानों के हक के लिए आप लोगों के दिलों में..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराज जाएं। माननीय सदस्य। आसन पैरों पर है। पहले आप अपने स्थान पर जाएं माननीय सदस्य।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी कीमत पर यहां यह इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ आधा मिनट।

गतवर्ष भी जब यह चर्चा आयी थी तो मैंने निवेदन किया था कि जालौर विधान सभा क्षेत्र में रोजड़ों से भी ज्यादा आतंक आज की तारीख में सूअरों का है। वो फसल को जड़ से खोदकर निकाल देते हैं। बहुत बड़ी संख्या में हो गये हैं। सरकार उनका कोई प्रबन्ध कर रही है क्या ? माननीय मंत्री महोदय बतायें।

श्री जसवन्त सिंह विश्नोई (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण) : उपाध्यक्ष महोदय, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 की अनुसूची 3 में रोजड़े वन्य प्राणी है। सन् 1991 में जो संशोधन हुआ उसमें शिड्यूल 1 से

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जसवन्त सिंह विश्नोई)

लेकर शिड्यूल 4 तक किसी भी वन्य प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता। इसलिए रोजड़ों को मारने की परमीशन भारत सरकार ही दे सकती है राज्य सरकार परमीशन नहीं दें सकती। फ़लौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, जहां तक खसीकरण का प्रश्न है वैसे तो सन् 1985 में पंजाब के अन्दर एमिनेशन डिपो के अन्दर कैप्टिन मेजर और जवानों ने मिलकर एक महीने तक प्रयत्न किया और एक महीने के प्रयत्न के बावजूद भी सिर्फ सात रोजड़ों का ही खसीकरण कर सके लेकिन मैं सारी भावनाओं को देखते हुए इतना ही बताऊंगा कि बाड़मेर की पचपदरा तहसील है, उसमें जन सहयोग के साथ एक अभियान के रूप में हम खसीकरण करने का कार्यक्रम अपना रहे हैं और इस महीने में हम शुरू कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है। धन्यवाद।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी फसल नष्ट हो रही है...

श्री उपाध्यक्ष : भूतपूर्व वन मंत्री महोदय, बिराजें। सवाल यह है कि इसमें दो विश्नोई फंस गये हैं सदन के बीच में। इसलिए आप बिराजें।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : खोदा पहाड़ निकली चुहिया।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : वे किसान के हित की नहीं सोचते। क्या जानवर किसानों से भी ज्यादा प्यारे हो गये ? हमें औरतें रोक-रोक कर कहती हैं कि हमारे हाथ में है और हम गांवों में रहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसका क्या इलाज करें।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन

जन लेखा समिति, 1997-98 का 108 से 110,112 से 116, 118 एवं 95 वां प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : अब प्रश्न नहीं होगा।

श्री अर्जुनदास मदान, सभापति जनलेखा समिति, 1997-98 के दस प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे। कृपया बिराजिये।

श्री अर्जुनदास मदान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किये गये...

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर इसी मुद्दे पर।

श्री उपाध्यक्ष महोदय : ये जीरो आवर और फिर पाइन्ट आर्फ आर्डर। आप तो कानून के बहुत बड़े विद्वान हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं। जीरो आवर क्या? इसीलिए बात कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आप देखिये। सी. ए. जी. की रिपोर्ट कब आयी ? 1985-86 में। उस पर भारत के संविधान में व्यवस्था है कि गवर्नर के माध्यम से वह विधान सभा में रखी जायेगी। उसका उद्देश्य क्या है? कि इस पर कार्यवाही की जायेगी। 13-14 साल बाद, 15-16 साल बाद इधर कार्यवाही की जाती है और मान लो आप

(श्री जगदीप धनखड़)

पाते हो कि किसी अधिकारी ने दुराचरण किया है। आपने नियम बना रखे हैं कि चार साल बाद आप कुछ कर नहीं सकते।

मान्यवर, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि जो संवैधानिक व्यवस्था की गई है कि सी.ए.जी. की रिपोर्ट की जो प्रासंगिकता है, उसके अन्दर आवश्यकता थी कि उस रिपोर्ट पर एक कम समय में इस प्रकार की कार्यवाही की जाती। अगर एक दशक से ज्यादा समय लगता तो मैं समझता हूं कि सी.ए.जी. की रिपोर्ट का अनादर है और भारत के संविधान में जो व्यवस्था की गयी है, उसका अनादर है। तो पहले यह बतायें कि इतनी देरी क्यों हुई है। अचानक आपने सब फाइल अप कर दी 1985-86 की कर दी। 1993 तक आ गये। क्यों ? और बाद की रिपोर्ट्स का क्या हुआ ? ये कम से कम जवाब दें। यह मुद्दा है।

श्री उपाध्यक्ष : पाइन्ट आर्फ आर्डर रिजेक्ट। श्री अर्जुनदास मदान।

श्री अर्जुनदास मदान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जनलेखा समिति 1997-98 के निम्नांकित दस प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूं : -

(1) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट सहायता विभाग से संबंधित वर्ष 1985-86 का अनुच्छेद संख्या 3.13, वर्ष 1987-88 के अनुच्छेद संख्या 3.7, 6.4 व वर्ष 1991-92 का अनुच्छेद संख्या 6.2, 6.3 व 6.4 के मामलों पर समिति का 108 वां प्रतिवेदन,

(2) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1986-87 में समाविष्ट इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग से संबंधित अनुच्छेद संख्या 4.1 वर्ष 1987-88 का अनुच्छेद संख्या 4.1, 4.2 वर्ष 1988-89 का अनुच्छेद संख्या 4.1, 4.2 वर्ष 1989-90 का अनुच्छेद संख्या 4.1, 4.2 वर्ष 1991-92 का अनुच्छेद संख्या 4.2, 4.3 वर्ष 1992-93 का अनुच्छेद संख्या 4.4, 4.5, 4.7 से संबंधित मामलों पर समिति का 109 वां प्रतिवेदन,

(3) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1989-90 अनुच्छेद संख्या 4.7, 4.8 वर्ष 1990-91 का अनुच्छेद संख्या 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, वर्ष 1991-92 का अनुच्छेद संख्या 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 वर्ष 1992-93 पैरा 3.8, 5.2, 4.13, 4.14, 4.15 वर्ष 1993-94 का अनुच्छेद संख्या 4.14 में समाविष्ट जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 110 वां प्रतिवेदन,

(4) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1989-90 का अनुच्छेद संख्या 4.9 वर्ष 1990-91 का

(श्री अर्जुनदास मदान)

अनुच्छेद संख्या 5.2 वर्ष 1991-92 का अनुच्छेद संख्या 4.11 एवं वर्ष 1993-94 का अनुच्छेद संख्या 4.15, 4.16, 4.17, 4.19 तथा वर्ष 1994-95 का अनुच्छेद संख्या 4.1 से संबंधित मामलों पर समिति का 112 वां प्रतिवेदन,

(5) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट उद्योग विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1985-86 का अनुच्छेद संख्या 3.7, 6.2 एवं वर्ष 1986-87 का अनुच्छेद संख्या 2.6, 6.7 वर्ष 1987-88 का अनुच्छेद संख्या 3.5 वर्ष 1988-89 का अनुच्छेद संख्या 3.6, 6.2, 6.3 तथा वर्ष 1989-90 का अनुच्छेद संख्या 6.2 से संबंधित समिति का 113 वां प्रतिवेदन,

(6) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट सहायता विभाग के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1989-90 का अनुच्छेद संख्या 6.3 एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1990-91 का अनुच्छेद संख्या 3.6 तथा राज्य लाटरी विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 का अनुच्छेद संख्या 3.9 तथा भू-प्रबन्ध विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1994-95 का अनुच्छेद संख्या 5.3 से संबंधित मामलों पर समिति का 114 वां प्रतिवेदन,

(7) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट नगरीय विकास एवं आवासन विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1986-87 का अनुच्छेद संख्या 3.5, 3.6 वर्ष 1987-88 का अनुच्छेद संख्या 3.12 तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 का अनुच्छेद संख्या 6.7 से संबंधित मामलों पर समिति का 115 वां प्रतिवेदन,

(8) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1989-90 अनुच्छेद संख्या 5.1, 5.2 वर्ष 1992-93 के अनुच्छेद संख्या 4.7 वर्ष 1993-94 के अनुच्छेद संख्या 4.6 वर्ष 1994-95 का अनुच्छेद संख्या 4.2, 4.3 व 5.2 से संबंधित मामलों पर समिति का 116 वां प्रतिवेदन,

(9) जनलेखा समिति वर्ष 1991-92 के 63 वें प्रतिवेदन (नवीं विधान सभा) में आबकारी विभाग से संबंधित समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 118 वां प्रतिवेदन, एवं

(10) विनियोग लेखे वर्ष 1991-92 में बताये गये दत्तमत अनुदानों तथा प्रभृत विनियोगों में अतिरेक के मामलों पर जनलेखा समिति, 1197-98 का 95 वां प्रतिवेदन।

श्री उपाध्यक्ष : अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।

श्री अमराराम चौधरी, कृषि राज्य मंत्री अनुदान की मांग संख्या 37 कृषि, श्री अर्जुनसिंह देवड़ा, पशुपालन राज्य मंत्री अनुदान की मांग संख्या 39, पशुपालन एवं चिकित्सा एवं श्री सुजानसिंह यादव, सहकारिता मंत्री, अनुदान की मांग संख्या - 36 सहकारिता को विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था...

अनुदान की मांग संख्या 37 की प्रस्तुति

श्री अमराराम चौधरी (कृषि, राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या - 37, कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 के समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,75,73,44,000 (दो अरब, पिचहत्तर करोड़, तिहत्तर लाख, चवालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

मांग संख्या 37 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 37 मुख्य शीर्षक कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगी/करेंगे कि :-

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी)

(1) राज्य में बंजर भूमि, नालों, खालों की भूमि के समतल करके कृषि योग्य उपजाऊ भूमि बनाये जाने की अवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला (बैराठ)

(2) कृषि उत्पादनों की समुचित विपणन व्यवस्था करने व कृषि आधारित उद्योगों की कोई उपयुक्त योजना बनाकर शीघ्र क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़)

(3) कृषि अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किसानों को किसी प्रकार की तकनीक व प्रशिक्षण नहीं देने के कारण कृषकों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

(4) कृषि उपज मण्डी समितियों के लम्बे समय से चुनाव नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(5) किसानों को बीज व खाद समय पर नहीं देने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(6) कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा निर्मित सड़कों की समय पर मरम्मत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(7) ग्राम पलसाना में कृषि गोण मण्डी को चालू कराने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़)

(8) राज्य सरकार द्वारा कृषि फसल का पूरा-पूरा मूल्य कृषकों को दिलवाये जाने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

(9) फसल बीज योजना लागू किये जाने में हो रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (खानपुर)

(10) राज्य बीमा निगम में भुगतान व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(11) ग्राम सेवकों के क्षेत्र में नहीं रहने से कृषि विस्तार कार्यक्रम में आये व्यवधान से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई)

(12) बांदीकुई में निर्माणाधीन कृषि उपज मण्डी समिति की धीमी निर्माण गति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कालूलाल गूजर (मांडल)

(13) भीलवाड़ा जिले में कृषि विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप पौधे उपलब्ध कराने व हॉर्टीकल्चर विभाग द्वारा किसानों को समुचित लाभ पहुंचाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(14) भीलवाड़ा जिले में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा भीलवाड़ा कृषि उपज मण्डी के माध्यम से स्वीकृत करोई सांगवा सड़क को बदलकर रामपुरिया एप्रोच एवं सागवा गुन्दली रोड की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद)

(15) चित्तौड़गढ़ कृषि विभाग द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग को निःशुल्क फलदार पौधे उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)

(16) उन्नत किस्म के बीजों की अनुपलब्धता से कृषि उत्पादन पर पड़ रहे विपरीत असर से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर)

(17) केसरीसिंहपुर क्षेत्र में छोटे-छोटे ग्रामों को मण्डी सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(18) केसरीसिंह पुर क्षेत्र की टूटी-फूटी मण्डी सड़कों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(19) अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों को मण्डी सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर)

(20) राजस्थान में बून्द-बून्द सिंचाई की विभिन्न कम्पनियों द्वारा लगाई गई यूनिट के सही ढंग से कार्य नहीं करने से किसानों को हो रही हानि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(21) चूरू जिले में विभाग द्वारा किसानों को उद्यानिक फसलों के पौध नहीं दिये जाने के कारण व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

(श्री इन्द्रसिंह पूनिया)

(22) चूरू जिले में आगामी माह में कातेरस फसल को होने वाले नुकसान से बचाने की महती आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(23) चूरू जिले में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कालूलाल गूजर (मांडल)

(24) फल एवं सब्जी मण्डी जयपुर में नियम विरुद्ध ख़रीदी गई वातानुकूलित कार के अन्यत्र दुरुपयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद)

(25) कृषि विपणन बोर्ड द्वारा राजसमंद जिले के "कुरज जुनदा" निर्मित अधूरी रोड को 3 वर्ष बाद भी पूरी नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन)

(26) कार्यालय बूंदी जिला विस्तार अधिकारी (कृषि) में पदस्थापित अधिकारियों द्वारा मनमानी कर कई कृषि पर्यवेक्षकों के मुख्यालय हटाने से हो रही कृषकों को असुविधा पर चर्चा के लिये।

(27) बून्दी जिले में रेशम की खेती योजना के अपर्याप्त प्रचार प्रसार से किसानों को हो रही क्षति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(28) केशवरायपाटन क्षेत्र से विभागीय कर्मचारियों के अपने ही क्षेत्रों में वर्षों से कार्यरत होने व वर्षों तक एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने से भ्रष्टाचार में लिप्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(29) केशवरायपाटन क्षेत्र में कृषि विभाग द्वारा जल वितरण सहकारी समितियों के गठन में भारी अनियमितता बरतने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(30) कृषि विभाग बूंदी के उच्च अधिकारियों द्वारा केशवरायपाटन क्षेत्र में विभाग द्वारा वितरित मिनिकिट्स प्रदर्शन एवं पौध संरक्षण दवाइयों के अनुदान में भारी हेराफेरी एवं पूर्व में अनुदानित कृषकों को बार-बार अनुदान देने से कृषक वर्ग में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं)

(31) कृषि अनुसंधान का लाभ काश्तकारों तक पहुंचाने पर विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

(32) काश्तकारों को ट्रेक्टर खरीद पर भारत सरकार द्वारा दिये जा रहे अनुदान का दुरुपयोग करने तथा जिलों से निर्धारित कोटा नहीं देकर हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिलों में ही सारी राशि खर्च किये जाने से अन्य जिलों के काश्तकारों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

(33) कृषि उद्योग निगम द्वारा नगरपालिका, लाडनूं जिला नागौर को अभी हाल ही में दिये गये ट्रेक्टर की कीमत डी. आई. इंजन के ट्रेक्टर के बराबर ली गई और सप्लाई दूसरे इंजन वाले ट्रेक्टर की गई

(श्री हरजीराम बुरडक)

इससे किसानों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

(34) राज्य से नकली बीज व खाद की बिक्री को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

(35) पंचायत समिति क्षेत्र लाडनूं में अनुदान हेतु प्रस्तुत आवेदनों पर अभी तक भी निपटारा नहीं होने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी)

(36) एक हजार की आबादी के पंचायत मुख्यालय को मण्डी सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी)

(37) कृषि उपज मण्डियों द्वारा स्थानीय ग्रामीण कृषि उत्पादन केन्द्रों में सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डॉ. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी)

(38) खेतड़ी तहसील में जल स्तर बढ़ने के कारण कृषकों के हितार्थ डाईक जोन हटाकर पुनः ग्रीन जोन में देने हेतु विभाग द्वारा पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)

(39) कोटा जिले के इटावा में कृषि अनुसंधान केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(40) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में रामपुरिया से कागली रोड का निर्माण कार्य शुरू करने में हो रहे विलम्ब से कृषकों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा)

(41) जन जाति क्षेत्र में उन्नत कृषि संबंधी जानकारी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई)

(42) निवाई विधान सभा क्षेत्र में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा एक पैकेज में ;

1. चिरोंज - हतौणा रोड, 2 पराना - नटवाड़ा रोड, 3. झिलाय - सिरोही रोड, 4 निवाई - डांगरथल रोड के कार्य में ठेकेदार द्वारा किये गये 20 लाख के गबन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

(43) जहाजपुर में उप जिला कृषि अधिकारी का कार्यालय सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद)

(44) कृषि उपज मण्डियों एवं विपणन बोर्ड के चुनाव नहीं कराकर प्रशासकों द्वारा मण्डी प्रशासन को चलाने से कृषकों के हितों को हो रही हानि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(45) कीटनाशक दवाइयों, उर्वरक आदि में मिलावट एवं गुणवत्ता में कमी आदि को रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

(46) कृत्रिम खाद के अत्यधिक प्रयोग से हो रही भूमि की उर्वरकता शक्ति के

(104)

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

ह्रास को रोक पाने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

(47) कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जन जाति के व्यक्तियों की नियुक्तियों में सभी श्रेणियों में आरक्षण-रोस्टर की पालना नहीं करने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

(48) कृषि उपज मण्डियों द्वारा निर्मित व उसके अधीन सड़कों की मरम्मत नहीं कराने से कृषकों को आवागमन में हो रही परेशानी से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

(49) कृषि के उपयोग में आने वाले उपकरणों फव्वारा आदि पर दी जाने वाली सब्सिडी में बरती जा रही अनियमितता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)

(50) राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्रों द्वारा उन्नत किस्म के बीजों के सम्बन्ध में और प्रभावी तरीके से अनुसंधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भगराज चौधरी (आहौर)

(51) सरकार द्वारा खरीफ की फसल बोने हेतु बाजरे एवं अन्य जिन्सों के प्रमाणित बीज समुचित मात्रा में उपलब्ध नहीं करवाने के कारण व्यापारियों द्वारा रोगयुक्त एवं अप्रमाणित बीज काश्तकारों को बेचने से फसलों को नुकसान होने पर चर्चा के लिये।

(52) फव्वारा सिंचाई योजना के तहत कुओं पर फव्वारा सैट लगाने हेतु काश्तकारों को दिये जाने वाले ऋण में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी)

(53) किसानों को समय पर खाद बीज नहीं मिलने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री भीमराज भाटी (पाली)

(54) कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा किसानों को कृषि सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(55) जिला पाली के गिरादड़ा, केरला, चाटेलाव, जैतपुर, चवड़िया, धोलेरिया-शासन, धोलेरिया जागीर, मांडावास, फेकारिया, मुरडिया आदि गांवों की जल प्रदूषण से खराब हुई कृषि भूमि को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(56) कृषकों को उन्नत बीजों की गुणवत्ता की जानकारी आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)

(57) कृषकों को खाद एवं बीज उचित मूल्य एवं समय पर नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(58) कृषि को उद्योग का दर्जा देने में

(श्री रामस्वरूप मीणा)

विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर)

(59) गंगापुर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में मूंगफली की फसल में गत कई वर्षों से सफेद लट के प्रकोप के कारण उत्पादन में गिरावट आने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(60) गंगापुर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में समय पर कीटनाशक दवाइयां एवं बीज का वितरण नहीं होने तथा विभाग द्वारा अन्य आवश्यक डेमोस्ट्रेशन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(61) गंगानुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सेवकों द्वारा कृषकों से सम्पर्क कर उनका सही मार्गदर्शन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(62) गंगापुर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में कृषि विभाग द्वारा फसल उत्पादन हेतु कैम्प व बीज़ वितरण में अनियमितता करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(63) गंगापुर विधान सभा क्षेत्र में फव्वारा पद्धति अपनाने हेतु कृषकों में जागृति का अभाव होने, मांग के अनुसार फव्वारे नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

(64) क्षारीय भूमि के सुधार हेतु जिप्सम जैसी आवश्यक वस्तुएं किसानों को अनुदानित कीमत पर दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(65) किसानों को उनकी पैदावार का सही मूल्य मिले इसलिये उनकी पैदावार को मण्डियों में रखकर ऋण देने की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(66) किसानों को उन्नत किस्म के बीज उचित मूल्य एवं सही समय पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर)

(67) ब्यावर कृषि उपज मण्डी में व्यवसाइयों को 48 गोदाम लाटरी पद्धति के आधार पर आबंटित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(68) ब्यावर कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा देवखेड़ा-शोनगरी मिसिंग सड़क का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर)

(69) मण्डी समिति सरदारशहर के सचिव द्वारा जनहित के कार्यों के प्रति उपेक्षा बरतने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(70) कृषि उपज मण्डी समिति सरदारशहर द्वारा क्षेत्र की निर्मित सड़कों की मरम्मत नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(71) सरदारशहर क्षेत्र की कृषि उपज

(श्री भंवरलाल शर्मा)

मण्डी समिति के सचिव द्वारा भ्रष्टाचार से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

(72) चूरू जिले की कृषि उपज मण्डियों में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा)

(73) कृषि उपज मण्डी समिति भवानी मण्डी (झालावाड़) द्वारा स्वीकृत सड़क सुमेल ने रोशन बाड़ी व पिड़ावा से ओडीया खेड़ी के कार्य 5-6 वर्ष से प्रारम्भ नहीं करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(74) विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा कृषि विपणन बोर्ड द्वारा स्वीकृत कडोदिया से दूबलिया का एलाइनमैन्ट बदल का सलौतिया से दूबलिया किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा)

(75) बिलाड़ा एवं पीपाड़ कृषि मण्डी जिला जोधपुर द्वारा प्रस्तावित सड़कों के निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़)

(76) प्रदेश में किसानों की उपज का पूरा पैसा दिलाने में राज्य सरकार की असफलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(77) बांसवाड़ा जिले में किसानों को उन्नत किस्म के बीज वितरण कराने में राज्य सरकार की असफलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

(78) कृषि उपज मण्डी समितियों की आय से समुचित मात्रा में धन सड़कों के निर्माण हेतु खर्च करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(79) उन्नत किस्म के नाम से वितरित व बेचे जाने वाले बीजों में हो रही धांधली व घटिया किस्म के बीजों को बेचे जाने पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री आर.पी. शर्मा (भरतपुर)

(80) कृषि उपज मण्डी समितियों में हो रहे भ्रष्टाचार को समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट)

(81) लालसोट कृषि उपज मण्डी के सब यार्ड मण्डावरी का कार्य शुरू नहीं करवाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (महुवा)

(82) राजस्थान में राजस्थान सीड कारपोरेशन के खाद्यान्न एवं तिलहन के बीजों की उपलब्धता में कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(83) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा खाद्यान्न एवं तिलहन के बीजों के अनियंत्रित मूल्य वसूल किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जयंतिलाल कोली (रेवदर)

(84) कृषि उपज मण्डी की रेवदर से

(श्री जयंतिलाल कोली)

मीठन सड़क व अनादरा से सैलवाड़ा की अधूरी पड़ी सड़कें को पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिनारायण (खण्डार)

(85) कृषि उपज मण्डी सवाईमाधोपुर द्वारा कृषि उपज मण्डी की छाण से बाढ़पुर-बेरना तक अधूरी बनी सड़क को पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(86) कृषि उपज मण्डी सवाईमाधोपुर की भगवतगढ़ से चौथ का बरवाड़ा अधूरी सड़क को पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीखा भाई (सागवाड़ा)

(87) आदिवासी क्षेत्रों में कृषि कालेज खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर)

(88) कृषि मण्डी समिति ब्यावर में बने 48 गोदामों को लाटरी द्वारा आबंटित करने व कृषि मण्डी समिति अजमेर से दुकानों के किराया निर्धारण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर)

(89) श्री गंगानगर जिले में ओलावृष्टि से तबाह हुई फसलों के मुआवजा दिलाने में विभागीय कार्यवाही की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(90) श्री गंगानगर जिले में घटिया कीटनाशक दवाइयों की रोकथाम के उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(91) जिला श्री गंगानगर में कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हेतु उन्नत बीज उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(92) कृषि उपकरणों व खाद पर पड़ोसी राज्यों के सामान बिक्री कर लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)

(93) कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में इन्स्टीट्यूट आफ फूड टेक्नोलॉजी व बॉयो टेक्नॉलोजी कायम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद)

(94) सीकर जिले में खाद बीज एवं कीटनाश्क दवाइयों की जांच की उपयुक्त व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(95) बाजरे की फसल को सफेद लट एवं कातरे से बचाने के उपायों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(96) नकली खाद एवं बीज की बिक्री से राज्य के किसानों की फसल पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(97) श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं बीकानेर में नकली कीटनाशक दवाइयों से कपास उत्पादक किसानों को हुये नुकसान की भरपाई की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कमल (हिण्डौन)

(98) हिन्डौन क्षेत्र की हुक्मी खेड़ा सम्पर्क सड़क की पुलिया क्षतिग्रस्त हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(99) हिन्डौन क्षेत्र के सीपकापुरा, बाढ़, मुकन्दपुरा, डेयरा, कलवाड़ी मण्डी की सम्पर्क सड़क नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(100) विभाग द्वारा हिन्डौन क्षेत्र निर्माणाधीन मण्डी सड़कों को अधूरा छोड़ दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(101) कृषि उपज मडी समितियों के चुनाव नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(102) हिन्डौन में प्रस्तावित नवीन मण्डी निर्माण में हो रहे विलम्ब से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर)

(103) राजस्थान की भौगेलिक स्थिति के अनुसार पहाड़ी तथा पठारी भाग तथा एक तरफ रेगिस्तानी भाग होने से अनुसंधान की दृष्टि से राजस्थान में दो कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(104) कृषि उपज मण्डी उदयपुर में बनी दुकानों तथा चबूतरों को व्यापारियों को उपयोग करने हेतु दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(105) कृषि उपज मण्डी उदयपुर में अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों पर शीघ्र कार्यवाही की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(106) राजस्थान के किसानों को उनकी फसलों का पूरा मूल्य नहीं मिल पाने से उनकी समस्याओं के निदान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(107) उदयपुर में फल सब्जी मण्डी में मूलभूत सुविधाओं की कमी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी)

(108) झुन्झुनूं जिले में खाद व बीज की समुचित व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा)

(109) कृषि उपज मण्डी द्वारा बनाई गई सड़क विजयनगर से बरल की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(110) कृषि उपज मण्डी समिति में थोक सब्जी की दुकानें आबंटित कर उनमें बिक्री की व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर)

(111) कृषि मण्डी की कोष से बालवाड़ा से आबलोज के बीच सड़क बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(112) कृषि मण्डी के कोष से उम्मेदाबाद से कुवेर तक सड़क बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर)

(113) किसानों को मानक अनुरूप खाद बीज मुहैया कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(114) कृषि विपणन बोर्ड कार्यालय धौलपुर में पद स्थापित सचिव व कृषि पर्यवेक्षक के भ्रष्टाचार में लिप्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

अनुदान की मांग संख्या 39 की प्रस्तुति

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (राज्य मंत्री, पशुपालन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या - 39 पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में लिये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,8,92,44,000 (एक अरब, आठ करोड़, बयानवें लाख, चम्वालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

मांग संख्या 39 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 39 मुख्य शीर्षक पशुपालन एवं चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/ करेंगी : -

श्री रामनारायण किसान (फुलेरा)

(1) फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम त्यौहारलावता, सांगाकाबास, बिजारनियबास आदि में पशु उपस्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

(2) जहाजपुर क्षेत्र के लुहारीकला, इटून्दा, टीकड़, गणिथला, बांकरा, टीठोड़ा, भगुनगर, गंधरे, बावड़ी, भरणिकला में नये पशु, चिकित्सालय व गंधरे, विहाड़ा, पंडेर, खजूरी, आमल्दा, शंकरगढ़ घोड में नये केन्द्र कायम कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़)

(3) निर्वाचन क्षेत्र दांतारामगढ़ (सीकर) के पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक व अन्य स्टाफ के नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री भरता सिंह (खानपुर)

(4) राज्य में मत्स्य पालन के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(5) लघु कुकुट पालकों के सामने आ रही कठिनाई के निवारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई)

(6) बांदीकुई उपखण्ड पर स्थित पशु चिकित्सालय में ऑपरेशन की सुविधा न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कालूलाल गूजर (मांडल)

(7) भीलवाड़ा जिले की पशु चिकित्सालय की मोबाइल यूनिट के समाप्त होने पर उसे ग्राम भोपालगढ़ में पशु

110

(श्री कालूलाल गूजर)

चिकित्सालय में परिवर्तन करने हेतु विभाग में प्राप्त प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(8) भीलवाड़ा जिले में ग्राम गुरला, बावलास एवं कारोई में पशु औषधालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद)

(9) राजसमंद जिले में बामनिया कलां एवं पीपलीडोडीयान में पशु चिकित्सालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(10) सब सेंटर मिश्रो की पीपली (चित्तौड़गढ़) में केटल सहायक (कम्पाउण्डर) का पद एक वर्ष से रिक्त होने पर पशु पालकों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा)

(11) जोधपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के ग्राम हरियाड़ा, रामड़ावास कला में पशु चिकित्सालय व उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)

(12) ग्राम पंचायत मुख्यालय आनेदगढ़ पंचायत समिति, बीकानेर में पशुओं की संख्या को मद्देनजर रखते हुए पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़)

(13) विधान सभा क्षेत्र, शेरगढ़ में नियुक्त पशु चिकित्सक तथा कम्पाउण्डर के चिकित्सालयों में उपलब्ध नहीं रहने तथा पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला)

(14) खण्डेला विधान सभा ग्राम भोजपुर में पशु चिकित्सालय नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(15) खण्डेला विधान सभा क्षेत्र के ग्राम गुरारा में पशु चिकित्सालय नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(16) खण्डेला विधान सभा क्षेत्र के ग्राम होद में पशु चिकित्सालय के अभाव में ग्रामीणों को हो रही कठिनाइयों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन)

(17) उन्नत नस्ल के सांडों एवं दुधारू पशुओं आदि की खरीद पर अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(18) लाखेरी, कापरेन आदि स्थानों पर पशु चिकित्सालयों के भवनों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(19) विभाग में नियमानुसार अनुसूचित जाति, जनजाति के कर्मचारियों के आरक्षित कोटे को सभी स्तरों पर पूरा न करने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए।

(20) केशवरायपाटन क्षेत्र के बड़ाखेड़ा, सूनगर, मायजा, रेबारपुरा आदि ग्राम पंचायतों

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

में पशु चिकित्सा सुविधा न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(21) केशवरायपाटन क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में विभाग द्वारा कोई सुविधा मुहैया नहीं कराये जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं)

(22) राजस्थान डेयरी फेडरेशन को बिना किसी प्रकार के एग्रीमेंट व सिक्योरिटी के नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड को सौंपने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(23) पशु आहार निर्माताओं द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पशु आहार निर्माण नहीं करने व घटिया पशु आहार बनाने वाले निर्माताओं पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(24) निर्वाचन क्षेत्र लाडनूं के पशु चिकित्सालयों में डाक्टरों के रिक्त पदों को नहीं भरने के कारण हो रही असुविधाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(25) निर्वाचन क्षेत्र लाडनूं जिला-नागौर के ग्राम हुडास व दुदौली में एडपोस्ट में मांग बराबर किये जाने के उपरांत भी एडपोस्ट नहीं खोले जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

(26) सरकार द्वारा लाडनूं क्षेत्र में आवश्यकतानुसार पशु चिकित्सालय नहीं खोले जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी)

(27) टौंक तहसील में घास व छाण में पशु चिकित्सालय नहीं होने से पशुपालकों के अत्यधिक असुविधा व नुकसान से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(28) फागी व चाकसू में नये पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी)

(29) पशु बाहुल्य क्षेत्र, खेतड़ी के ग्राम चारावास, मेघड़ा, जाटवास, पपुसा में पशु औषधालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा)

(30) जनजाति क्षेत्रों में पशुओं की नस्ल सुधारने व अच्छे पशु उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)

(31) बीकानेर जिले में ऊंटों की सर्राकी बीमारी के बचाव के लिये मोबाइल यूनिट की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद)

(32) राज्य कोआपरेटिव डेयरी फैडरेशन के आज तक चुनाव नहीं कराने एवं निर्वाचित जिला संघों को भंग कर

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

प्रशासक नियुक्त करने के प्रयासों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(33) राज्य में पशुओं को पौष्टिक आहार व चारा उपलब्ध कराने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

(34) विभाग द्वार नस्ल सुधार के लिए स्थानीय नस्लों की उपेक्षा कर विदेशी नस्लों को प्रोत्साहित करने से स्थानीय स्वदेशी पशुओं की संख्या में निरन्तर हो रही कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(35) विभाग की "गोपाल योजना" की क्रियान्विति में हो रही धांधली, पक्षपात व अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(36) नसीराबाद क्षेत्र के गांव रामसर में अवस्थित बकरी फार्म की अनुपयुक्तता एवं गीर नस्ल की गायों के नस्ल सुधार को घोर अवघात करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

(37) झुन्झुनूं में अवस्थित पशु अस्पताल के क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही)

(38) पंचायत समिति सिरोही में पशु औषधालय खोलने की बढ़ती आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा)

(39) विधान सभा क्षेत्र सराड़ा के ग्राम सल्लाड़ा, सिंगरवाड़ा में पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी)

(40) डूंगरपुर जिले के ग्राम गंधवा, मेवाड़ा, गैंजी में पशु औषधालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भगराज चौधरी (आहौर)

(41) जालौर जिले की आहौर तहसील के ग्राम भोरड़ा एवं नोसरा में पशु चिकित्सालय में खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)

(42) राजस्थान के पशु धन सुधार कार्यक्रम तथा कृत्रिम गर्भाधान व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भीमराज भाटी (पाली)

(43) जिला पाली के ग्राम पंचायत मुख्यालय गेलावास में पशु चिकित्सालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(44) जिला पाली पंचायत समिति रोहट एवं पाली के पशु औषधालय में चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों के रिक्त पर भरने की महती आवश्यकता पद चर्चा के लिए।

(45) जिला पाली के पंचायत मुख्यालय बाणियावास, सांवलता कल्ला, खारडा में पशु औषधालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)

(46) कृत्रिम गर्भाधान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

(47) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

(48) भरतपुर जिले में पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(49) पशु बाहुल्य क्षेत्र भरतपुर जिले में पशुओं के इलाज हेतु नये पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(50) कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में पशु चिकित्सालयों के अभाव को दूर करने हेतु नवीन पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा)

(51) विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा के ग्राम सिरपोई व ग्राम माथनिया में पशुओं के उपचार हेतु सब सेंटर खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामरिछपाल नुवाल (भीलवाड़ा)

(52) भीलवाड़ा बीएफ का खर्चा पशुपालन विभाग द्वारा अनुपयुक्त व अनियमित तरीके से प्राइवेट सेक्टर से कराये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिए।

(53) भीलवाड़ा जिले के ग्राम कोदुकोटा, रूपाहेली, दान्थल में उप प्राथमिक पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(54) भीलवाड़ा पशु चिकित्सालय को क्रमोन्नत कर सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रेवती प्रसाद कोली (वैर)

(55) विधान सभा क्षेत्र वैर के जीवद ग्राम में पशु चिकित्सालय न खोले जाने से जनता में व्याप्त आक्रोश पर चर्चा के लिए।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना)

(56) डंडाली पंचायत समिति सिणधरी में पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(57) दाखां पंचायत समिति, सिणधरी व नई कोटड़ी पंचायत समिति सिणधरी में पशु चिकित्सालय व एड पोस्ट खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(58) कुण्डल पंचायत समिति सिवाना में जन सहयोग से तैयार कराये गये भवन में पशु चिकित्सा हेतु एड पोस्ट नियमित प्रारंभ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(59) सिवाना क्षेत्र के अथेण्डी ग्राम में पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी)

(60) केकड़ी तहसील में पिपलाज व धून्धरी में पशु चिकित्सालय न होने से पशुपालकों को अत्यधिक असुविधा व नुकसान होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

114

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)

(61) राज्य सरकार की बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में मवेशियों के लिए पेयजल मुहैया कराने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(62) राज्य सरकार की प्रदेश में पशुधन को बचाने में असफलता पर चर्चा के लिए।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

(63) पशुधन (भेड़-भैंस) में आने वाले रोगों पर प्रभावी नियंत्रण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(64) पशु बीमा कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(65) पशुपालकों की आर्थिक दशा सुधारने हेतु पशुपालन को उद्योग के समान सुविधा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(66) राजस्थान में चरागाह विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री आर.पी. शर्मा (भरतपुर)

(67) चकदारापुर ग्राम पंचायत अद्याहपुर में पशु शल्य चिकित्सा इकाई खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट)

(68) पशु चिकित्सालय अणुवेती में सरकार द्वारा भवन नहीं बनाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जयन्तिलाल कोली (रेवदर)

(69) जावल तहसील रेवदर जिला सिरोही में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरिनारायण (खण्डार)

(70) ग्राम खिजूरी, कुशतला, भूरी, पहाड़ी, बहरावण्डा कलां, बहरावण्डा खुर्द व लहसोड़ा जिला सवाईमाधोपुर में नये पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीखा भाई (सागवाड़ा)

(71) आदिवासी क्षेत्रों में कुकुटशाला खोलने एवं आदिवासियों में कुकुटों के निःशुल्क वितरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(72) सागवाड़ा (डूंगरपुर) में डेयरी संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर)

(73) नील गायों द्वारा किसानों की फसल उजड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(74) सीकर विधान सभा क्षेत्र में 1990 से आज तक एक भी पशु चिकित्सालय व उप केन्द्र आदि न खोले जाने से व्याप्त जनाक्रोश पर चर्चा के लिए।

श्री अमराराम (धोद)

(75) सीकर जिले में भैंस व बकरियों की चिकित्सा के अभाव में हुई मौतों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(श्री अमराराम)

(76) धोद विधान सभा क्षेत्र में धोद एवं फगलवा में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कमल (हिण्डौन)

(77) ढिढोरा, विजयपुरा में पशु चिकित्सा उप केन्द्र नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(78) पशुधन संख्या के अनुपात में हिण्डौन क्षेत्र में पशु चिकित्सालय न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(79) हिण्डौन क्षेत्र के ग्राम शेरपुर, करकड़ में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर)

(80) पशुपालन विभाग में डाक्टर्स के ऊपर के अधिकारियों के वेतन भत्तों में विसंगतियों के निराकरण में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(81) राज्य के श्रेष्ठतम पशु चिकित्सालय, उदयपुर में चिकित्सा उपकरणों तथा भवन के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(82) दुर्घटनाओं से सुरक्षा एवं स्वच्छता की दृष्टि से राजस्थान के बड़े शहरों में सूअरों की बढ़ रही संख्या को नियंत्रित करने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(83) राजस्थान में पशुधन की सुरक्षा करने के विभागीय उपायों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(84) पशु चिकित्सालयों में एन्टीरैबीज टीका (इंजेक्शन) सभी पशुपालकों के पशुओं को मुफ्त उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न अंसतोष पर चर्चा के लिए।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा)

(85) पंचायत रामगढ़ पंचायत समिति मसूड़ा में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(86) विजयनगर में पशु चिकित्सालय के लिए भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर)

(87) धौलपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम टहरी, नोनेरा, बरूई नीम, झालौनी, डबरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 36 की प्रस्तुति

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता मंत्री जी यहीं थे लेकिन वह नेचुरल काल की दृष्टि से अभी गये हैं। मैं उनकी तरफ से आपकी सहमति से, अनुमति से...

श्री सुजान सिंह यादव (सहकारिता मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 36 सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 89,17,91,000 (नवासी करोड़, सत्रह लाख, इक्यानवें हजार) तक की

(श्री सुजान सिंह यादव)

राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित हैं, प्रदान की जाए।

मांग संख्या 36 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 36 मुख्य शीर्षक सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :-

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

(1) जहाजपुर, कोटड़ी तहसील मुख्यालय में भूमि विकास बैंक की शाखाएं स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़)

(2) ग्राम सहकारी समितियों, क्रय विक्रय संघ एवं जिला सहकारी बैंकों के चुनाव नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(3) सरकार द्वारा किसानों को समय पर सहकारी ऋण उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(4) सहकारिता में बढ़ते हुये भ्रष्टाचार को रोके जाने में राज्य सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई)

(5) बांदीकुई पंचायत समिति क्षेत्र में सहकारी समितियों से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा वितरण व्यवस्था हटाने पर चर्चा के लिये।

श्री कालूलाल गूजर (मांडल)

(6) भीलवाड़ा जिले की करेडाग्राम सेवा सहकारी समिति में किये गये भ्रष्टाचार एवं दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही नहीं करने तथा जिन लोगों के नाम पर बिना ऋण लिये ही फ़र्जी ऋण उठाया गया उनको ऐसे ऋणों से मुक्ति नहीं दिलाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(7) भीलवाड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायतों पर उचित कार्यवाही न करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद)

(8) सहकारी समिति पीपली अचार्यान (राजसमंद) में आर्थिक घोटाले की जांच त्वरित गति से नहीं किये जाने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा)

(9) जोधपुर जिले में पिपाड़ मार्केटिंग सोसायटी की भूमि को कब्जे में नहीं लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(10) जोधपुर जिले में सहकारी संस्थाओं मार्केटिंग सोसौयटी बहुधंधी सोसायटी बिलाड़ा व अन्य की ऑडिट में पायी गयी अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)

(11) क्रय विक्रय समिति छत्तरगढ़ के मैनेजर द्वारा किये गये गबन एवं उक्त

(श्री भीमसेन चौधरी)

कारण क्रय विक्रय समिति, छत्तरगढ़ को हो रहे घाटे से समिति को उबारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर)

(12) सहकारिता विभाग के अधिकारियों में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन)

(13) केशवरायपाटन सहकारी शुगर मिल के घाटे की पूर्ति हेतु विशेष अनुदान गन्ना योजना, गन्ना क्षेत्र में सड़कें बनाने, पानी की व्यवस्था आदि न होने से विभाग एवं जनता को हो रही परेशानी को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(14) सहकारी संस्थाओं में पंचायती राज की भांति अनुसूचित जाति, जन-जाति पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं को सभी स्तर पर आरक्षण न देने से पनप रहे जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

(15) विभाग में लम्बे समय से चल रहे गबन घोटालों एवं भारी अनियमितताओं के मामलों को शीघ्र न निपटाने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

(16) सहकारिता विभाग में राज्य सरकार की नीति अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षित कोटे को सभी स्तरों पर पूर्ण न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(17) केशवरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स में सीजनल कर्मचारियों के स्थाईकरण की वरियता में हो रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

(18) सहकारी प्रशिक्षण स्थानों से सेवानिवृत्त अधिकारियों को देय लाभ का भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(19) राजस्थान आवास विकास संस्थान का पंजीयन संस्थाएं रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन होने के उपरान्त भी इस के कार्यकलापों की जांच नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(20) ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों की सेवाओं को राज्य सेवा और बैंकों की सेवाओं में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(21) सहकारी संस्थाओं के अंकेक्षण चार्टेड एकाउन्टेंटों से कराने के कारण विभाग को हो रही क्षति पर चर्चा के लिये।

(22) सहकारी संस्थाओं के चुनाव समय पर नहीं कराने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)

(23) क्रय विक्रय सहकारी समिति इटावा जिला कोटा में हो रहे लगातार नुकसान के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)

(24) मण्डी खाजूवाला के लिये भूमि

(श्री भीमसेन चौधरी)

विकास बैंक की प्रस्तावित शाखा को नाबार्ड में शीघ्र स्वीकृति दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़)

(25) केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के लम्बे समय से चुनाव नहीं कराने जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(26) सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक, सीकर में घोटालों की जांच के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई)

(27) सहकारी संस्थाओं में चुनाव नहीं कराये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(28) भूमि विकास बैंक, टौंक के अध्यक्ष के रिक्त पद पर चुनाव नहीं कराने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

(29) सहकारिता क्षेत्र में चलाये जाने वाले उद्योगों में सुधार लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद)

(30) अरबन कोआपरेटिव बैंक अजमेर में व्याप्त धांधलियों, अनियमितताओं एवं एकाधिकार प्रवृत्तियों के पनपने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(31) अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में व्याप्त अनियमितताओं व भ्रष्टाचार पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(32) अजमेर केन्द्रीय सहकारी बैंक में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(33) राज्य में "अपना बाजार" अवधारणा के फलीभूत होने तथा महंगाई कम करने के लक्ष्य प्राप्त करने में असफलता पर चर्चा के लिये।

(34) राज्य में सहकारी क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के प्रबन्धन में कृषकों की भागीदारी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

(35) सहकारिता क्षेत्र में सरकारी दखल को बन्द किया जाकर सहकारिता के सरकारीकरण की दिशा में किये जा रहे प्रयासों को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)

(36) सहकारिता क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भगराज चौधरी (आहौर)

(37) भूमि विकास बैंक जालौर की सॉपला शाखा द्वारा भूड़वा ग्राम के काश्तकारों का ट्रेक्टर गैर कानूनी तरीके से कूड़क करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भीमराज भाटी (पाली)

(38) जिला पाली में सहकारी बैंक एवं विभाग के धारा (74) के अन्तर्गत आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में राज्य सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

(39) जिला पाली के पंचायत समिति मुख्यालय रोहट पर भूमि विकास बैंक की शाखा खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(40) पाली सैण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि., पाली एवं भूमि विकास बैंक, पाली के कर्मचारियों के कल्याण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)

(41) टोडाभीम में सहकारी समितियों में हानि-लाभ की स्थिति पर चर्चा के लिये।

(42) टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में सहकारी विभाग द्वारा किसानों को सुविधाएं मुहैया नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर)

(43) गंगापुर सिटी में स्थापित राजफैड की ऑयल मिल में लगातार नुकसान की स्थिति के बाद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(44) गंगापुर सिटी मार्केटिंग क्रय-विक्रय संघ में घाटे की स्थिति में भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

(45) भरतपुर जिले की सहकारी बैंकों से गत वर्षों में दिये गये ऋणों में हुये घोटालों के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(46) भरतपुर जिले में कुम्हेर क्रय विक्रय समिति व अन्य सहकारी समितियाँ जो अवसायन में हैं उन्हें अवसायन से मुक्त कराने के उपायों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा)

(47) विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा की ग्राम पंचायत सिरपोई में सहकारी समिति खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़)

(48) सहकारी समितियों द्वारा जनता को खाद्यान्न सामग्री वितरण कराने में असफलता पर चर्चा के लिये।

(49) राज्य सरकार द्वारा किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से समय पर खाद, बीज, दवाइयां आदि का वितरण कराने में असफलता पर चर्चा के लिये।

(50) कुशलगढ़ क्षेत्र के रिमेन्डा, छोटी सखा, कसारवाड़ी, कुन्दनी आदि सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों से गबन की रकम वसूल करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा)

(51) राजस्थान राज्य सहकारी संघ, जयपुर की स्थिति सुधारने तथा सहकारी

(श्री शिवनाथ सिंह)

शिक्षा व प्रशिक्षण पर ध्यान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(52) फव्वारा सैटों की उचित कीमत निर्धारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(53) फव्वारा सैटों पर दी जाने वाली सब्सिडी में फैले भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट)

(54) दौसा जिले का गठन होने के बाद भी जिला सहकारी भूमि विकास बैंक एवं सैंट्रल कॉआपरेटिव बैंक का गठन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जयन्तिलाल कोली (रेवदर)

(55) आबू रोड कृषि क्रय विक्रय सहकारी समिति पर सरकार की तरफ से मैनेजर (अधिकारी) लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद)

(56) धोद विधान सभा क्षेत्र की सहकारी समितियों में हुये आर्थिक घोटालों की जांच कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(57) फतेहपुर मार्केटिंग सोसायटी में राशन विक्रेताओं की दो वर्ष से जमा राशि नहीं लौटाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कमल (हिण्डौन)

(58) सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सहकारी समितियों का गठन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(59) भूमि विकास बैंक द्वारा किसानों को ऋण/सहायता न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर)

(60) विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी सहकारी समितियों का वार्षिक टर्न ओवर लाखों रुपयों का होने के उपरान्त भी उनका ऑडिट निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(61) भूपाल चिकित्सालय उदयपुर में नर्सों द्वारा चलाई जा रही दवाइयों की दुकान में गबन घोटालें, अस्पताल की दवाइयों की बिक्री आदि की अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

(62) भूपाल कोआपरेटिव सोसायटी, उदयपुर के अवसायन के कारण विस्थापित सिंधियों को मकान, जमीन आदि महाराणा भूपाल सिंह द्वारा दी गई थी, उन्हें नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(63) सहकारिता के क्षेत्र में चलने वाले बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(64) सूरजपोल, उदयपुर में मठ की सम्पत्ति को सहकारिता विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से खुर्द-बुर्द कर उसमें भ्रष्टाचार बेईमानी, आपाधापी करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी)

(65) सहकारी समितियों में खाद, बीज की व्यवस्था हेतु किसानों की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा)

(66) विजयनगर में सहकारिता क्षेत्र में उपभोक्ता भण्डार खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर)

(67) धौलपुर क्षेत्र की सहकारी समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं गबन घोटालों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कुछ बोलना चाह रहे थे ?

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं नहर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बूंदी जिले में बायीं मुख्य नहर है। बूंदी जिले में बारिश नहीं हुई, जितनी बारिश होनी चाहिए थी, पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं हुई । नहरों में पानी छोड़ दिया गया । वहां बासमती चावल होता है। आज नहरों में पानी बन्द कर दिया तीन रोज से। किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। बासमती चावल जो पैदा होकर विदेशों में जाता है, विदेशी मुद्रा मिलती है। नहरों की स्थिति, ड्रेनों की स्थिति भी खराब है उसके बावजूद भी अगर वहां पानी नहीं आया और किसानों को पानी नहीं दिया गया तो वहां पर चावल की फसल नहीं होगी। किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं वहां। कल मैं गांवों में गया था, गांवों में स्थिति बड़ी खराब है। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पानी छोड़ा जाए और किसानों को नहरों के माध्यम से पानी दिया जाए। मंत्री महोदय से मैंने निवेदन किया है और मंत्री महोदय से इसका जवाब दिलवाया जाए। यह मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है, मामला किसानों का है। लाखों किसान बरबाद हो जाएंगे अगर समय पर पानी नहीं पहुंचा तो। यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

मांग संख्या 36, 37 एवं 39 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरडक।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो तीन विभागों की डिमाण्ड एक साथ रखी है उसके सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करूंगा। वैसे यह तीनों पब्लिक से सम्बन्धित विभाग हैं। उनकी अलग-अलग डिमाण्ड प्रस्तुत करनी चाहिए थी। सबसे पहले मैं सहकारिता के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा।

मैंने यह मामला कई बार सदन में उठाया है कि अपेक्स सहकारी संस्थाओं के चुनाव नहीं करवाकर जो यह प्रशासक नियुक्त करते हैं और उसमें प्रशासक नियुक्त करने में सिवाय रजिस्ट्रार और कोआपरेटिव

(श्री हरजीराम बुरडक)

सैक्रेटरी को बड़ी बड़ी संस्थाओं में प्रशासक नियुक्त किया। कोअपरेटिव एक्ट के अनुसार अगर कोई रजिस्टर्ड संस्था कोई गड़बड़ी करें तो उस पर एक्शन लेने का अधिकार है रजिस्ट्रार को। अगर रजिस्ट्रार खुद ही प्रशासक है और वह खुद ही गड़बड़ी करें तो उसकी जांच कौन करेगा ? आपने कई बार इस मामले में यहां मेरे प्रश्नों के उत्तर में उत्तर दिया था। आपके पास और भी कई अधिकारी हैं। अपैक्स सहकारी संस्था में अगर आप रजिस्ट्रार को प्रशासक बनाएंगे तो उसके खिलाफ कार्यवाही कौन करेगा ? ऐसे मामले आपके ध्यान में आये हैं। आडिट रिपोर्ट के माध्यम से करोड़ों का घपला हुआ है लेकिन उसकी कार्यवाही कौन करे। इसके अलावा अपैक्स कोआपरेटिव बैंक में आपने सैक्रेटरी को प्रशासक बना दिया, अब बताइये उस मामले में रजिस्ट्रार क्या करेगा ? जब उसके ऊपर उसका हायर ग्रेड का अधिकारी प्रशासक बैठा है और आप कोआपरेटिव एक्ट के हिसाब से उनमें जो भी कोई गड़बड़ी हो, जो भी उसका गलत प्रस्ताव हो, उसको रद्द करने का..

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं एक मिनट। आज तीन विभाग हैं और इसमें करीब चालीस से ज्यादा सदस्य बोलना चाहते हैं। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि दस मिनट से ज्यादा मैं किसी को भी समय नहीं दे पाऊंगा।

श्री हरजीराम बुरडक : आप इसको सख्ती से लागू करिये। मैं तो दस मिनट से भी कम में ही बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : शुरू से आखिर तक यही रहेगा।

श्री हरजीराम बुरडक : आपके अपैक्स कोआपरेटिव बैंक के ऐसे मामले मैं आपके ध्यान में लाया था, क्रय विक्रय सहकारी संघ के ऐसे मामले ध्यान में लाया था लेकिन वहां रजिस्ट्रार प्रशासक है और वहां सैक्रेटरी प्रशासक है। आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगें। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि आप स्पष्ट तौर से यह आदेश दीजिये कि अगर प्रशासक लगाना कोई आवश्यक हो तो ऐसे अधिकारी को लगाइये जिसमें कोआपरेटिव रजिस्ट्रार कोई एक्शन ले सके।

दूसरा, मेरा यह निवेदन था, पिछले दो साल पहले यह मामला यहां मैंने ही डिस्कस किया था कि आप चार्टेड अकाउंटेंट से जो आडिट करवाते हैं और विशेष कर अपैक्स संस्थाओं की, तो चार्टेड अकाउंटेंट की रिपोर्ट न तो उनको कोआपरेटिव एक्ट का अनुभव है। अब दूसरी बात यह है कि उनको अलाट ही तभी करते हैं जब वह उनके कहने से जिस संस्था के लिये आप अलाट करेंगे और उनके माफिक वह रिपोर्ट देंगे। इसलिये इस आडिट का कोई औचित्य नहीं है। करोडों रूपया आपने इस आडिट खर्चे

(123)

(श्री हरजीराम बुरडक)

में उनमें भुगतान कर दिया। आपके आडिटर जो पहले थे वह ज्यों के त्यों बैठे हैं। यह बात नहीं है कि आपने खर्चे में कोई बचत की हो। इसलिये मेहरबानी करके जो भी अपैक्स संस्थाएं हैं उनका आडिट आय चार्टेड अकाउंटेंट से मत करवाओ। वह आपका इतना ही आडिट कर रहा है कि कितने आये और कितने बचे और कितने खर्च कर दिये। जोड़ लगाने कि सिवाय उनका कोई मतलब नहीं है। आप यह भी देख लीजिये कि चार्टेड अकाउंटेंट की आडिट रिपोर्ट से आपने कितने केस धारा 74 में दर्ज किये ? क्योंकि ऐसे मामले वह ध्यान में ही नहीं लाते हैं। आपने पूर्व में यह बताया था कि आडिट तो वह करता है परन्तु हमारा आडिटर भी वहां रहता है तो आपके आडिटर को आपने पावर क्या दे रखा है ? फाइनल रिपोर्ट करते हैं चार्टेड अकाउंटेंट, उनको कोई अधिकार नहीं। उनको आपने इसलिये बैठा रखा है कि उनको आडिट तो आपने दे नहीं रखी, फालतू वहां बैठे हैं उनको वहां बैठा दिया। इसलिये मेहरबानी करके कम से कम अपैक्स संस्थाओं में आडिट की व्यवस्था आप अपने डिपार्टमेंट की रखिये।

एक मेरा निवेदन यह था कि आपने अभी कृषि विभाग आपके पास था तब एक स्टेटमेंट दिया था कि किसानों को सिंचाई के लिये फव्वारों का अनुदान सिर्फ भूमि विकास बैंकों द्वारा दिया जाएगा। अब भूमि विकास बैंक में क्या चल रहा है, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। आप यह अनुदान और इनको मोनोपोली देकर के किसानों के हितों की रक्षा नहीं कर रहे हैं। जैसा पूर्व में चल रहा था जितनी क्षमता आपकी भूमि विकास बैंकों की है और जहां उनकी शाखाएं हैं वहां पर आप कीजिये। लेकिन पूरे राजस्थान का भूमि विकास बैंक को देकर आप इसमें काश्तकार को कोई भला नहीं कर पाएंगें । जो पूर्व में व्यवस्था थी उसी हिसाब से आपको चलाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अभी आपने ट्रेक्टरों का अनुदान भूमि विकास बैंकों के थ्रू दिया। तो नागौर जिले में आपके भूमि विकास बैंक ने, एक काश्तकार ने जो एप्लाई किया उसको छह महीने तक तो घुमाया । बाद में कह दिया कि आपकी फाइल रिजेक्ट हो गयी। बाद में टार्गेट पूरा नहीं हुआ तो यह कहा कि आपकी फाइल सेंक्शन हो गयी और उसने कोटेशन दिया था एग्रो इण्डस्ट्रीज का और उसको ड्राफ्ट पकड़ा दिया किसी दूसरी फर्म का। इस प्रकार से आपके भूमि विकास बैंकों मे जो धांधली है उस हिसाब से आप इसको मोनोपोली नहीं सौंपें।

तीसरा, यह था कि सहकारी व्यवस्थापकों का, ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापक हैं उनका मामला अभी तक आप सुलझा नहीं पाये हैं। पूर्व में आपने कैडर आथोरिटी बनायी और उस कैडर आथोरिटी को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। उसे रद्द किये हुए चार, पांच साल हो

(श्री हरजीराम बुरडक)

गये, अब न तो उसको आप बैंक की सेवा मान रहे हैं, न आप राज्य सेवा मान रहे हैं और बीच-बीच में आपके बैंकों के एम.डी. चाहे जहां तो उनका ट्रांसफर कर देते हैं, चाहे जिसको सस्पेंड कर दें, जब न तो आपकी सर्विस में है, न वह राज्य सर्विस में है, न बैंक की सर्विस में है फिर आप ट्रांसफर किस बात का कर रहे हैं। कल आप किसी रास्ते चलते आदमी का ट्रांसफर कर दें कि इस गांव में नहीं रहने देंगे आपको, फलां गांव में चले जाओ। इस प्रकार की धांधली हो रही है। मामला आपके ध्यान में कई बार आ चुका है लेकिन आपकी तरफ से इसमें कोई कदम नहीं उठाया गया है। आज उनकी सेवा किसकी है इसका कोई अता-पता नहीं है।

एक मामला यह था कि आपके रजिस्ट्रार को संस्था रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन का अधिकार मिला हुआ है। तो उसमें जो भी कार्यवाही होगी वह संस्था रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार होगी, न कि कोआपरेटिव एक्ट के अनुसार। आपके विभाग ने आवास विकास संस्थान का रजिस्ट्रेशन किया और उसमें बहुत बड़े घपले हुए। उनका जो रजिस्टर्ड विधान था उनकी अनुपालना कही नहीं हुई है। न उनका चुनाव हुआ, न अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विधान में व्यवस्था के अनुसार चले..

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जब आपके रजिस्ट्रार ने उस संस्था के निरीक्षण के लिए या जांच के लिये कोई दल भेजा तो उन्होंने मना कर दिया और आपके सैक्रेटरी बीच में आ गये कि आपको कोई अधिकार नहीं है। तो संस्था रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्ट्रार को अधिकार है लेकिन आपके सैक्रेटरी को कहां अधिकार आ गये? यह कोई कोआपरेटिव एक्ट का फंक्शन नहीं है जो कि कोआपरेटिव सैक्रेटरी उसमें हस्तक्षेप करें। उस एक्ट में केवल रजिस्ट्रार को अधिकार दिया हुआ है और रजिस्ट्रेशन एक्ट व बाई लॉज में सारे अधिकार रजिस्ट्रार को हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके सैक्रेटरी ने हस्तक्षेप करके उस घोटाले को दबा रखा है। आप जब उत्तर दें इस सम्बन्ध में आप जरूर कुछ कहें।

एक सवाल यह था कि यह जो सहकारी डेयरी फैडरेशन है, इसमें आज तक आपके डिपार्टमेंट का क्या रोल है ?

(13.34 बजे)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

कोआपरेटिव डेयरी फैडरेशन, पशुपालन विभाग ने एक दूसरी संस्था को संभला दिया। कोआपरेटिव एक्ट के अन्तर्गत जब तक उसका रजिस्ट्रेशन खारिज नहीं होता तब तो वह सारे अधिकार आपको हैं और बिना शेयर होल्डर्स की परमीशन के उसको कैसे

(श्री हरजीराम बुरडक)

आपने संभला दिया और आपका डिपार्टमेंट चुप बैठा है। आज भी इसमें एग्रीमेंट वगैरह हो रहे हैं। वह सारा पशुपालन विभाग कर रहा है। यह पशुपालन विभाग कहां से बीच में आ गया ? जब तक यह रजिस्टर्ड संस्था है, कोआपरेटिव एक्ट के प्रोवीजन लागू हैं, तब तक आप चुप क्यों बैठे हैं ? इसका भी आप उत्तर दीजिये कि अब आप इसमें क्या करना चाहते हैं? क्या आप ऐसे चुपचाप देखते रहें और कोआपरेटिव को दूसरे लोग चलाते रहें और जो भी पशुपालन विभाग ने भी इसको अगर सौंपा तो बिना एग्रीमेंट में सौंपा और तीन, चार साल तक एग्रीमैंट हुआ नहीं। पिछले सैशन में यह मामला आया तब तक तो हुआ नहीं था। अब आज हुआ है कि नहीं लेकिन कोआपरेटिव डिपार्टमैंट ने क्या किया? इस पर आपकी क्या भूमिका रही है? आपको किसने मना किया ?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कृषि के सम्बन्ध में मैं थोड़ा-सा निवेदन करना चाहूंगा। भारत सरकार ने ट्रेक्टरों का अनुदान देना शुरू किया। मैंने एक सवाल पूछा था उसमें उत्तर आया । उस उत्तर में सिवाय गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के, वहां पर सैकड़ों काश्तकारों को अनुदान दे दिया और नागौर जिले में पांच ट्रैक्टरों को दिया। क्या गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों से नागौर में ट्रेक्टर कम हैं ? लेकिन न तो कोई प्रोसीजर बना है। उत्तर यह दिया कि पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दिया है। तो किसको इत्तला दी है आपने? कहां कोई नोटिफिकेशन निकाला, अखबार में कोई सूचना दी, कोई लेना जाना चाहे उसको ऋण दो। आज आपको तीन साल हो गये ऋण देते, तीन साल में पांच से ज्यादा नागौर जिले को नहीं दिये और गंगानगर को सैकड़ों दे दिये। आपको पूरे राजस्थान में इसकी कोई व्यवस्था करनी चाहिये कि आप किस प्रकार देंगे। जिलेवाइज अगर कोई आप टार्गेट रखना चाहें, तो उसके लिये भी कोई फार्मूला होना चाहिये। आपने बांसवाड़ा में सात दे दिये, नागौर में तीन दे दिये, यह कोई तरीका हुआ ? इसका क्या करना चाहते हैं ? आप इसकी स्पष्ट नीति बताइये कि इस अनुदान को हम इस हिसाब से देंगे। जिले में ट्रैक्टरों की संख्या देख लीजिये, या आप कोई नोटिस निकालकर जिलेवाइज एप्लीकेशन इकट्ठी कर लीजिये। कोई न कोई तरीका आपको अपनाना चाहिये। इस प्रकार से चुपचाप से लाखों-करोड़ों रुपये आपने बरबाद कर दिये।

आपका कृषि उद्योग निगम है। यह केवल घाटे का उपक्रम है इसमें तो कोई राय नहीं है। लेकिन यह ट्रैक्टर बेचने को जो काम कर रहे हैं, जैसे यह अनुदान वाले ट्रैक्टर सारे वहीं थे। अब हाल ही में नगर-पालिका लाडनूं को एक ट्रैक्टर दिया। बिल

(श्री हरजीराम बुरडक)

बना दिया डी. आई. का । पैसे ले लिये डी.आई. के और ट्रैक्टर दिया आर्डिनरी। मेरे कटौती प्रस्ताव में भी यह है।

श्री अमराराम चौधरी (कृषि, राज्य मंत्री): जो रेगुलर लिखना था उसमें डी.आई. वन लिख दिया। चेसिस नम्बर आपके वही हैं जो ट्रैक्टर दिया गया है। इसलिये कोई अनियमितता नहीं हुई है, सिर्फ इसमें डी.आई लिख दिया, चेसिस नम्बर वही हैं जो आप चाहते थे और रेगुलर लिखना था, इतनी जरूर इसमें त्रुटि हुई है।

श्री हरजीराम बुरडक : दिया ही-नहीं है न।

श्री अमराराम चौधरी : मैं यह कह रहा हूं रेगुलर लिखने के बजाय, बाकी चेसिस नम्बर वही जो हैं आपके रेगुलर वाले के ही हैं। चेसिस नम्बर एक ही इसलिये इसमें कोई नेम डी.आई लिखना, यह एक त्रुटि हुई है।

श्री हरजीराम बुरडक : मैं बात दूसरी कह रहा हूं, आप दूसरी कह रहे हैं। मैं यह कह रहा हूं कि चार्ज किया है डी.आई. का और दिया है आर्डिनरी। मैं यह कह रहा हूं ..(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : हां, तो रेगुलर के डी.आई. में, इसमें चेसिस नम्बर जो आप चाहते हैं वह डी.आई.के हैं।

श्री हरजीराम बुरडक : चेसिस नम्बर कहां चाहता हूं।

श्री अमराराम चौधरी : चेसिस नम्बर एक ही हैं । (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आर्डिनरी और डी.आई. के दोनों का दस हजार का फर्क है और जानकारी कर लेंगे।

श्री हरजीराम बुरडक : ऐसा है कि न कोई चेसिस नम्बर की बात कर रहा हूं, न इंजन नम्बर की बात कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं रेट चार्ज किये डी.आई. के और दिया है आर्डिनरी। मैं तो यह कह रहा हूं। इसकी आप जांच कर लीजिये।

दूसरा निवेदन यह था कि यह जो फव्वारों को अनुदान आप दे रहे हो इसमें भी बड़ी अनियमितताएं हो रही हैं। इसके लिये आप कोई न कोई प्रोसीजर ऐसा अपनाइये कि सबको समान रूप से यह अनुदान मिलता रहे । हमारे लाडनूं क्षेत्र के बहुत से अनुदान के फार्म आज तीन साल से पैंडिंग पड़े हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमको अनुदान मिले। अनुदान आज तक मिला नहीं और जब कोई ज्यादा चक्कर लगाया तो कह देंगे टार्गेट खतम हो गये, पैसे हमारे पास आए नहीं। तो कोई न कोई ऐसी प्रक्रिया आप अपनाओ जिससे सबको समान भाव से यह मिल सके।

पशुपालन विभाग के सम्बन्ध में मेरा निवेदन था कि पिछले साल में करीब-करीब मेरे क्षेत्र में तो सभी जगहों में डाक्टर्स की पोस्टें खाली रहीं और अगर कहीं डाक्टर था तो कम्पाउण्डर नहीं, कम्पाउण्डर है तो वहां

(श्री हरजीराम बुरडक)

डाक्टर नहीं । इसलिये मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह पोस्टें खाली नहीं रखें।

एक बात ऐसी भी चल रही थी कि जहां पशु चिकित्सालय नहीं खोल सकें वहां हम एड पोस्ट खोलेंगे। तो जिन स्थानों पर पशुओं की संख्या अधिक हो और एड पोस्ट वहां चलायी जा सकती हो, वहां एड पोस्ट चलायी जानी चाहिये। इसी के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : अर्जुनदास मदान।

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : सभापति महोदया, विषय और सारी मांगें इतनी लम्बी हैं लेकिन केवल मात्र मैं अभी सबसे पहले तो सहकारिता के ऊपर ही अपने आपको केन्द्रित रखूंगा। मेरी ऐसी मान्यता है कि सहकारिता आन्दोलन के पीछे एक सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक संस्था जो भी इसकी परिधि में आती है वह स्वावलम्बी बने। क्योंकि आज भी गांव के 3/4 नागरिक सहकारिता से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंधित हैं। इसलिए मैं अपने आपको पहले सहकारिता के ऊपर ही केन्द्रित रखूंगा। अभी लोग कहते हैं कि सहकारिता का आन्दोलन जर्मनी से आया या विदेशों से आया। लेकिन मेरी यह मान्यता है कि सहकारिता का आन्दोलन हिन्दुस्तान की रग-रग में था और यदि हम देखें, प्रारम्भ में भी शादी के टाइम पर भी क्या होता था कि लड़की का विवाह होता है तो सारे समाज के आदमी थोड़ी-बहुत भेंट देते थे लेकिन खाना नहीं खाते थे। लेकिन उस लड़की के विवाह में कुछ अपना योगदान देते थे। गांव में आज भी दूर या तलहटी में यदि कोई आदमी मर जाता है, आज भी गांवों की स्थिति ऐसी है कि हर कोई व्यक्ति ही दो-दो लकड़ी, एक-एक लकड़ी अपने साथ लेकर जाता है, कंडे साथ लेकर जाता है और अगर श्रद्धा हो तो नारियल भी साथ लेकर जाता है। यह केवल मात्र इसलिए कि क्योंकि एक व्यक्ति के सुख और दुःख में हम भागीदारी निभा सकें। यदि सुख की घड़ी है या दुःख की घड़ी है तो एक व्यक्ति का काम सभी लोगों का काम हो और सभी लोगों का काम एक व्यक्ति का काम हो। यही सहकारिता का मूल सिद्धान्त है और मेरी तो यह मान्यता है कि हिन्दुस्तान, भारतवर्ष में भी उपासना गृहों में ले लें, मंदिरों में ले लें, मंदिरों में भी क्या होता है, शादी-ब्याह के टाइम हर आदमी 5 थाली या 10 थाली दे दिया करता था और सारे लोग मिलकर के सारे समाज का काम करते थे।

लेकिन आज जो यह प्रस्तावना दी जाती है कि जर्मनी से आया लेकिन वैचारिक दृष्टि से जो हम मानते हैं कि इसका प्रारूप विधिवत रूप से बना वह जर्मनी में बना होगा और इस प्रकार की रूपरेखा सबसे पहले सहकारिता की

128

(श्री अर्जुनदास मदान)

हिन्दुस्तान में भी यदि बनी तो 1904 में बनी। उस समय स्थिति ऐसी थी कि जितने भी खेत-खलिहानों में, खेतों पर काम करने वाले किसान थे उनको सरकारों से, पठानों से, धनवानों से इतना कर्जा लेना पड़ता था कि जीवन भर अर्थोपार्जन करने के उपरान्त भी उनके शिकंजों से छूट नहीं पाता था और एक व्यक्ति को छोड़ दिया जाए, बल्कि मेरी तो यह मान्यता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उस कर्जे में बंधा रहता था और सरकार ने यह सोचा कि किस प्रकार से किसान का भला किया जाए। उससे सबसे पहला कानून जो 1904 में हमारे इस देश में आया जिसको कि कोआपरेटिव एक्ट, 1904 के नाम से संबोधित किया गया। उसके बाद दूसरा कानून जो बना वह 1912 में बना और देश के किसानों के अतिरिक्त कन्जूमर्स को भी इसकी चारदीवारी के भीतर लाया गया ताकि उपभोक्ता भी इसकी परिधि के छाते के नीचे आकर के कुछ ठण्डी सांसें ले सके।

लेकि सबसे ज्यादा हिन्दुस्तान में या राजस्थान प्रदेश में जो कानून पारित हुआ वह कोआपरेटिव एक्ट, 1965 है। सभापति महोदया, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस समय यह कानून बना था उस समय केवल मात्र हमारा यह मन्तव्य था, सारे लोग यह सोचते थे कि सहकारिता का क्षेत्र एक स्वावलम्बी क्षेत्र बने और स्वतंत्र हो लेकिन आज हम देखें तो स्वावलम्बी की जगह वह परावलम्बी बन गये और स्वतंत्र की जगह परतंत्र बन गया । आज सारा का सारा अंकुश सिमटकर के 1965 एक्ट के अंतर्गत एक व्यक्ति विशेष या उसको आजादी देने के नाम पर केन्द्रित नहीं है। आज हम सिमट गये उस कानून की परिधि में। मैं तो यहां तक कह सकता हूं, इसे दोषारोपण न माने, यदि मंत्री महोदय इसे आत्मविवेचन के विषय माने तो मेरा उनसे विनम्र आग्रह है कि उसके ऊपर मनन करें, मंथन करें, चिंतन करें, तो यह आपका निश्चित रूप से आज यह सहकारिता आन्दोलन एक सरकारी आन्दोलन बनकर के रह गया है। कौनसा ऐसा परिधि क्षेत्र है कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में जो सरकार उसके ऊपर नियंत्रण नहीं रखती। सारे के सारे क्षेत्रों में आज कोआपरेटिव एक्ट के अंतर्गत एक व्यक्ति तो गौण हो गया और सरकार के क्रिया-कलाप सर्वोपरि हो गये।

आज यदि आप देखें कि 1996-97 में 20212 सोसायटियां पंजीकृत थीं लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि क्या कोई एक सोसायटी बता सकते हैं आज की तारीख में जो स्वावलम्बी है ? जो अपने पांव पर खड़ी हो ? जो किसी से अनुदान लेने की बात न करती हो ? लेकिन आज देश में आजादी के बाद इतना समय बीत जाने के बाद भी हम कितनी सोसायटियों को

129

(श्री अर्जुनदास मदान)

स्वावलम्बी बना सके हैं ? हम नहीं बना सके और उसका कारण केवल मात्र यही है कि स्वावलम्बी इस कारण से नहीं क्यों कि सारे के सारे नियंत्रण, सत्ता पक्ष की तरफ से या सरकार की तरफ से , चाहे वह कांग्रेस की रही हो या किसी भी दल की रही हो। हमने कानून की परिधि में व्यक्ति विशेष को घेरना चाहा और यही कारण है कि आज अल्प मध्यम या दीर्घकालीन ऋणों के आधार पर या कृषि मित्र योजना चला कर या कृषक जीवन ज्योति योजनाएं चला कर हम केवल मात्र किसान को कर्ज में ही बांध देना चाहते हैं।

यह तो हम सोचते हैं कि राजस्थान आज किसानों को कर्जा देने में सर्वोपरि है, सर्वप्रथम स्थान है आज हमारा। लेकिन वह बिलकुल सत्य है कि आज हम किसानों को कर्जा देने में आगे हैं। क्या यही उद्देश्य रह गया सहकारिता, स्वावलम्बी बनाने का, उसको स्वतंत्र रखने का कानून सहकारिता का उस समय नहीं था, जिन लोगों ने इसको सोचा और विचारा था।

सभापति महोदया, हमारे 1965 की परिधि में सैक्शन 32 है। आज परतंत्रता है कि सहकारिता के अधिनियम से कोई कार्यकारिणी जब इस प्रस्ताव को पारित करती है तो धारा 32 के अंतर्गत उसको परतंत्र किया जा सकता है। धारा 36 के अन्तर्गत चुनाव हुए, कार्यकारिणी का सदस्य, एक पूरा मंत्रिमण्डल या पूरी कार्यकारिणी, समिति यदि चाहे, रजिस्ट्रार की इच्छा हो, उसकी कृपा पात्र बनी रहे तो ठीक। रजिस्ट्रार महोदय हों या उसके द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति विशेष क्यों न हो, कोई अधिकारी विशेष क्यों न हो वह धारा 36 के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति विशेष को और किसी भी डायरेक्टर को या डायरेक्टर की पूरी कार्यकारिणी को निष्कासित कर सकता है, समाप्त कर सकता है।

नाम लेते हैं हम प्रजातंत्र का। नाम लेते हैं हम कि यह केवल मात्र स्वावलम्बी बनाने की स्थिति में हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जनता के द्वारा चुना हुआ कोई भी कार्यकारिणी का सदस्य या कोई भी कार्यकारिणी यदि उसका कोपभाजन बन जाए सहकारिता के रजिस्ट्रार महोदय की या उसके अधीन काम करने वाले किसी भी अधिकारी महोदय का, धारा 36 के अन्तर्गत उस डायरेक्टर को निकाल सकता है। पूरी की पूरी कार्यकारिणी को समाप्त कर सकता है। अब धारा 74 के ऊपर मैं अपना बयान देना चाहूंगा। धारा 74 एक ऐसी धारा है जिसकी तरफ से मैं तो यह मानता हूं कि कोई भी स्वाभिमानी आदमी, जिसके भीतर थोड़ी सी भी अपने मन में स्वाभिमान से जीने की इच्छा है, थोड़ी-सी भी लालसा है, थोड़ी सी भी तमन्ना है वह व्यक्ति इसके

(श्री अर्जुनदास मदान)

अंदर काम करने की इच्छा ही नहीं रखता। क्योंकि 1974 के अंतर्गत सारे के सारे आदमी बेईमान मान लिये गये। मैं तो कहता हूं कि किसी आदमी को, किसी भी राजनेता को, किसी भी जन नेता का यदि राजनीतिक जीवन हनन करना हो, उसको संसार से लोगों की नजरों से गिराना हो, तो आप धारा 74 की परिधि में ले आये उसके। दोषी अपराधी है और दुर्भाग्य इतना है कि मान लीजिये कि किसी कार्यालय में रबड़ की मुहर तो रखी हुई हो और वाउचर उसका न हो तो गबन की परिभाषा में आ गया। मोहर को देखकर कोई न कोई अंकेक्षक महोदय कोई भी आडिटर उस पर ध्यान नहीं देगा। नहीं साहब, वाउचर क्यों नहीं है। वाउचर नहीं है तो रबड़ की मुहर तो रखी है उसके ऊपर विचार कर लो। लेकिन नहीं होता। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि आज ऐसी स्थिति बन गयी है कि हम किसान को अधिक से अधिक ऋणी बनाते चले गये। आज कई तरह की प्रकृति की ओर से विपदाएं आती हैं। कभी अतिवृष्टि हो जाती है, कभी अनावृष्टि हो जाती है, कभी ओलावृष्टि हो जाता है, कभी भूकम्प आ जाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या हम सोचते हैं कि किसान का साथ देना चाहिए, निश्चित रूप से। मैं यह नहीं कहता आखिर विपदा की घड़ी में हम उसका साथ नहीं देंगे तो कब देंगे। लेकिन आपने लोन के ऊपर डेफर्ड कर दिया। डेफर्ड कर करके तीन साल के लिए सरका दिया। नये लोन दे दिये, तो आज कौन सा किसान इन सहकारिता की परिधि में आने वाला ऐसा है जो यह कह दे कि ऋण से मुक्त हूं। यह मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई लोन नहीं है या मैं बिलकुल किसी के ऊपर आश्रित नहीं हूं। यह आज है लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी मैं निश्चित रूप से वर्तमान मंत्री महोदय को इसके लिये साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इनके कार्य क्षेत्र में, इनके कार्यकाल में सहकारिता में थोड़ी सी प्रगति जरूर आयी है। मैं भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से भी निवेदन करूंगा और निश्चित रूप से आज जो सहकारिता मंत्री यहां पर बिराजें हैं यह मानना पड़ेगा कि संसार में आदमी दो चीजों के लिये काम करता है। मैं उन लोगों की बात नहीं करता जो कंदराओं में और गुफाओं में बैठे हुए भगवान का नाम लेते हैं। जो संसार से विरक्त होकर के बिलकुल उनकी आसक्ति संसार में नहीं रही। कंदराओं में, गुफाओं में चले गये और भगवान की आराधना, साधना, उपासना करते हैं। किन्तु कोई भी संसारी पुरुष आज दो चीजों के लिए काम करता है। एक अर्थोपार्जन के लिए या यशोपार्जन के लिए। अर्थोपार्जन की भावना यदि किसी व्यक्ति विशेष में नहीं भी होती और उसको आप यश भी न दें, उसको आप सम्मान भी ना दें तो इस समाज में आखिर काम करेगा क्यों? उसके भीतर की आत्मा उसके

(श्री अर्जुनदास मदान)

कचोटेगी कि भैया आपको अर्थोपार्जन का कोई साधन नहीं। जब जीवन का ध्येय यह बना ही लिया कि मुझे अर्थोपार्जन नहीं करना और संसार तुझको सम्मान नहीं देता, तुझको प्रतिष्ठा नहीं देता तो किसके लिए रोता फिरता है ? तो भीतर की आत्मा कचोटती है और आत्मा भीतर से एक आवाज बुलंद करती है कि भैया, आप किसके लिए काम करते हो। इसलिए जो लोग संसार में काम करते हैं, अर्थोपार्जन यदि वह नहीं करते हैं और यदि उन्होंने अच्छा काम किया तो मैं यह मानता हूं कि समाज का यह दायित्व बनता है कि कम से कम उनकी पीठ तो थपथपाये। उनकी हिम्मत बढ़े और समाज में ऐसे लोग काम करने वाले और अधिक से अधिक शक्ति लगाकर के अग्रसर हों और उसके लिए जैसा कि मैंने निवेदन किया कि मंत्री महोदय को निश्चित रूप से साधुवाद देता हूं क्योंकि आज जो पंजीकृत सोसायटियां थीं वह 1990-91 में 20101 थीं जो बढ़कर के 20212 हो गयीं। कुल सदस्यता 70.98 लाख थी जो 84.41 लाख हो गयी। समितियों में विनियोजित सदस्यों की कुल हिस्सा पूंजी जो कि 272 करोड़ रुपये थी वह 502 करोड़ रुपये हो गयी। कुल कार्यशील पूंजी जो 2614 करोड़ रुपये थी वह 5744 करोड़ रुपये हो गयी। इसी प्रकार केन्द्रीय सहकारी समितियों की अंश पूंजी थी वह 54.23 करोड़ रुपये थी जो बढ़कर 1996-97 में 101 करोड़ 95 लाख हो गयी। केन्द्रीय सहकारी बैंकों की कार्यशील पूंजी जो 587 करोड़ रुपये थी वह बढ़कर 1996-97 में 1418.21 करोड़ रुपये हो गयी। केन्द्रीय सहकारी बैंकों में जो अमानत की राशि थी उसमें वृद्धि हुई है वह 315.09 करोड़ रुपये से बढ़कर 811.23 करोड़ रुपये हो गयी है। सदस्यों का अल्पकालीन जो ऋण था वह 103 करोड़ रुपये का था जो बढ़कर 508 करोड़ रुपये हो गया। ये सब आंकड़े निश्चित रूप से बताते हैं, इसके अलावा भी मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि जो अल्पकालीन ऋणों की राशि में 87 प्रतिशत रिकवरी करके आज राजस्थान ने देश में दूसरा स्थान बनाया है। केवल अब पंजाब ही हमसे आगे हैं। बाकी सारे प्रांत हमने पीछे रह गए हैं।

दीर्घकालीन ऋणों में भी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दीर्घकालीन ऋणों की रिकवरियों में हमारा प्रदेश राजस्थान 72 प्रतिशत रिकवरी करके आज सारे देश में तीसरे स्थान पर है। इसके अतिरिक्त कोआपरेटिव सोसायटीज में 1990-91 तक केवल 3 बैंक ऐसे थे, सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक जो लाभ की स्थिति में थे। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि सबसे पहले कोआपरेटिव मूवमैंट दो रियासतों, कोटा और भरतपुर में प्रारम्भ हुआ और केवल मात्र तीन बैंक ही ऐसे थे जो लाभ की स्थिति दिखाते थे। आज 27 में

132

(श्री अर्जुनदास मदान)

से 22 बैंक ऐसे हैं जो लाभार्जन की स्थिति में हैं। मैं यह केवल मात्र इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि सारे आंकड़ें यह दर्शाते हैं कि नये सोपानों की तरफ बढ़ने वाले हमारे कदम निश्चित रूप से जिनके मार्गदर्शन में हम बढ़ रहे हैं, वह हमें आगे के लिए प्रोत्साहित करते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए अग्रेषित करते हैं। इसलीए मैंने मंत्री महोदय को साधुवाद दिया और सरकार को साधुवाद दिया।

सभापति महोदया, अगर सहकारिता के क्षेत्र में हम देखना चाहें तो मेरा ऐसा स्वयं का निर्णय है, हालांकि हमारे इस राजस्थान प्रांत में बहुत कम काम हुआ है, गृह निर्माण सहकारी समितियों का, किन्तु फिर भी गृह निर्माण सहकारी समितियें का थोड़ा बहुत अंशदान ही क्यों न रहा हो, चाहे उन्होंने किसी किसान से पांच रुपये गज की जमीन खरीदी और दस रुपये से ज्यादा का ऋण मिल गया। यू. आई. टी. की तरफ देखें, चाहे वह कोटा की हो और अन्य स्थानों की हो, चाहे जे.डी.ए. को ले लें, तो भी आप पाएंगे कि पांच रुपये गज की जमीन किसान से खरीदी और हो सकते है वह दो हजार रुपये गज, तीन हजार रुपये गज बिकी हो लेकिन इन गृह निर्माण सहकारी समितियों के माध्यम से जो भी भूमि किसान से खरीदी गयी पांच रुपये में यदि खरीदी गयी तो केवल मात्र जनहित हो, लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित हो सकें इस दृष्टि से लाभ अर्जन की मान्यता कम रही। इससे लोगों को ज्यादा लाभ हो सके, इस दृष्टि से ज्यादा काम किया गया। आज तो 1311 पंजीकृत गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं जिनमें 29378 मकान बनाने के लिए सरकार ने 38.38 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया है। यह राशि केवलमात्र मकान, मैं मानता हूं, जैसा मैंने आपसे पहले निवेदन किया, ज्यादा संख्या में तो नहीं बन सके, आज हम कल्पना करें कि हम गुजरात से मुकाबला करना चाहें, महाराष्ट्र से मुकाबला करना चाहें इस दिशा में तो हम नहीं कर सकते। हम निश्चित रूप से पीछे हैं। उसका एकमात्र कारण यही है कि इस दिशा में जो कुछ काम हुआ है वह चाहे कम है लेकिन सराहनीय हुआ है इसके लिए मैं प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता।

मेरी ऐसी मान्यता है कि जब तक हम किसी को काम करने की स्वतंत्रता नहीं देंगे तो वह व्यक्ति हिम्मत नहीं कर सकता, उसको काम करने की, चाहे परिवार का एक बच्चा ही लीजिये, हम परिवार में भी छोटे-छोटे बच्चों को टोकना चाहें, किसी बच्चे से नया काम भी प्रारम्भ करवाना चाहें, मेरा तो जीवन का अनुभव है, मैंने अगर अपने किसी बच्चे को काम करने की स्वतंत्रता दी एकाध, पन्द्रह दिन या दो महीने उसको टोका होगा फिर बाद में उसको नहीं टोका क्योंकि मेरी यह मान्यता

(श्री अर्जुनदास मदान)

है कि बच्चा एक गलती करेगा, दो गलती करेगा, कम से कम निर्णय लेने की क्षमता तो उस व्यक्ति विशेष में आएगी। यदि आप प्रत्येक बात के लिए लोगों को टोकते रहेंगे, पूछते रहेंगे कि यह काम गलत है, यह काम गलत है तो आदमी स्वावलम्बी कभी भी नहीं बन पाएगा। यदि आदमी को स्वतंत्रता देंगे तो ठीक है एक पिता होने के नाते, या एक सरकार होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप निश्चित रूप से उस पर नियंत्रण करें लेकिन सरकार लोगों को नागपाश में बांध कर इस प्रकार से रखना चाहे कि वह अपने विचार रख ही न सके और अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति नहीं कर सके, इस प्रकार की स्थिति सहकारिता में आती चली जा रही है, यह बहुत खेद का विषय है।

मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपने जहां धारा 74 के अंदर निवेदन किया है, महोदय, मेरे जीवन के 15-20 साल भी सहकारिता के क्षेत्र में बीते हैं, मैंने मेरे जीवन के 26-27 वर्षों तक सेवा की है, नौकरी में रहा तो उसमें 15 वर्ष ऐसी कोई संस्था प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से नहीं रही, अपैक्स सोसायटी को छोड़कर, जहां से मैं सम्बन्धित न रहा। मेरे जीवन का बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र भी सहकारिता रहा है और इसी कारण से मैं सन् 74 की धाराओं के बीच में भी बंधा हूं, मेरे ऊपर भी कई केस चले हैं लेकिन मैं कोई प्रमाणीकरण नहीं लेना चाहता। अपने जीवन में परमात्मा की कृपा से मुझे किसी ने दबोचा नहीं है, कोई केस मुझे नियंत्रित नहीं कर पाया लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जिस जगह था, एक मजदूर जिसके घर में शादी थी, उसको लोन मिलना था, पन्द्रह हजार रुपये और लोन मिलेगा 20 दिन बाद, वह वाउचर पर दस्तखत करता हूं, पन्द्रह दिन पहले यदि हम पन्द्रह हजार रुपये के लोन में से पांच हजार रुपये उसको दे दिए तथा उसके प्रमाणीकरण ले लिया और अगले 15 दिन बाद जब लोन की निश्चित रूप से स्वीकृति होगी और उसके वाउचर को लेकर हम कैश बुक में एडजस्ट करेंगे तो उसको भी गबन माना जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि क्या यह गबन है ? आखिर मजदूर के लिए सोसायटी है या सोसायटी के लिए मजदूर हैं ? कोआपरेटिव मूवमैंट व्यक्ति विशेष के लिए है या व्यक्ति कोआपरेटिव सोसायटी के लिए है ? अगर व्यक्ति की हित साधना, व्यक्ति का परोपकार का कोई ध्येय नहीं रहा तो सहकारिता का जो मूलमंत्र है कि एक सबके लिए, सब एक के लिए, यह निश्चित रूप से प्रभावित होगा। हम जो प्रगति करना चाहते हैं उस ध्येय से निश्चित रूप से हम विचलित हो जाएंगे।

अभी बीच में आया था, धारा 139 है, उसमें शिथिलीकरण दिया गया। बहुत कम सोसायटीज थीं जिनमें वह सोसायटी भी थी जिसमें मैं काम करता था, जिसका 12 वर्ष

(134)

(श्री अर्जुनदास मदान)

तक मैं पदेन सचिव रहा। इस सोसायटी जिसको 35 लोगों से प्रारम्भ किया और 35 सौ लोगों पर छोड़ा, केवल मात्र साढ़े आठ सौ रुपये की शेयर कैपिटल से प्रारम्भ किया और जब मैंने उसका कार्यकाल छोड़ा तो 32 लाख रुपये शेयर कैपिटल हो गयी लेकिन उसके उपरांत भी यदि मजदूर का हित कर सकता मैं कोई वाउचर दे दिया तो भी धारा 74 के मामले में मेरा सम्मन आ गया। मुझसे पूछा गया, पुलिस में केस चले गये।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो आदमी काम करना चाहता है, यदि आप यह महसूस करें कि वह बेईमानी कर रहा है तो निश्चित रूप से उसको दण्डित किया जाए, वह अपराधी है, वह दोषी है। उस पर कोई दयाभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन धीरे-धीरे शिकंजा सोसायटीज पर आपके विभाग का बढ़ता चला जा रहा है, वह इसको निश्चित रूप से पल्लवित नहीं होने देगा, कभी अग्रेसर नहीं होने देगा, यह मेरे स्वयं के विचार हैं।

जैसा मैं निवेदन कर रहा था, 139 के अंदर कुछ सोसायटीज थीं जो स्वावलम्बी थीं, 15 या 20 सोसायटीज होंगी, उनको कुछ धाराओं से मुक्त कर दिया, धारा 32 आप पर लागू नहीं होगी, धार 36 आप पर लागू नहीं होगी, धारा 74 आप पर लागू नहीं होगी और 139 के अंतर्गत राज्य सरकार को कुछ अधिकार हैं, उन अधिकारों के अंतर्गत वह चाहे तो मैं पढ़कर भी सुना देता हूं कि धारा 139 क्या है -

"Power to exempt a class of society _ The Government may, by general or specific order, exempt any cooperative society or any class of societies from any of the provisions of this Act or may direct that provision shall apply to such society or class of societies with such modifications as may be specified with the oreder."

अब तक 185 के अंतर्गत आपने इसमें शिथिलीकरण तो दिया है लेकिन उसमें धारा 74 फिर आ गयी फिर नियम 117 में, 118 में उसको फिर छीन लिया है। सरकार ने एक तरफ तो दिया है, दूसरी तरफ नियम बनाकर, उसमें शिथिलीकरण को वापस ले लिया है। मेरी सोसायटी है, उसके रिकवरी के अधिकार तो मुझे दो, मुझे स्वतंत्र रहने दो, मैं केवल मात्र आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो मूलमंत्र था, जो मूल उद्देश्य था, हम प्रगति में चाहे आगे बढ़ रहे हों लेकिन जहां शिथिलीकरण दिया है, वहां भाव दबोचने का नहीं होना चाहिए। किसी आदमी को यदि आप स्वतंत्रता दे रहे हैं तो उसमें परतंत्रता मत लाओ। मैं तो कहता हूं कि किसी का सत्कार करना चाहते हो तो

(श्री अर्जुनदास मदान)

उसको तिरस्कार की भावना से देखना छोड़ दीजिए। यह जो स्थिति कोआपरेटिव मूवमैंट में आती चली जा रही है उसके कारण से आज काम करने की स्थिति कम है।

अंत में मैं इन सोसायटीज की बात समाप्त करता हूं, बहुत कुछ है सोसायटीज के बारे में बोलने को लेकिन समय का अभाव है। मैं कृषि मंत्रीजी से दो बातें कहना चाहूंगा।

(14.00 बजे)

महोदय, कृषि में भी आपके सामने बहुत बड़ी समस्या है। आज मंत्रीजी, आप सड़कों का निर्माण कार्य करते हैं विपणन बोर्ड के माध्यम से, मण्डी समितियों के माध्यम से। आज आपने एक नीति बना ली। नीति बननी चाहिए, मैं मानता हूं, आज एक गांव तो ऐसा है जहां चारों तरफ सड़क बन गयी हो और एक गांव ऐसा है जिसमें एक तरफ भी सड़क नहीं है। निश्चित रूप से उसमें भी बननी चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मान लीजिए कोई सोसाइटी या मण्डी समिति प्रारम्भ से इतना कमाती रहती है जिससे सड़कों का निर्माण पहले करवा लिया। आज आपने नियम बना दिए कि कोई सड़क बनेगी नहीं। आखिर आदमी किसके लिए कमाता है। आखिर जो आदमी परिवार में कमाता है या समाज में कमाता है तो कम से कम उसको और कुछ नहीं तो कुछ न कुछ रिकग्नाइजेशन तो दीजिए।

मैं कोटा कृषि उपज मण्डी समिति की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज तीन-साढ़े तीन करोड़ रुपये उसके पास सरप्लस है। मैं मानता हूं मेरे क्षेत्र में काफी सड़कें बनी हैं और ये मैंने अकेले ने बनायी है ऐसी बात नहीं है, मेरे से पहले कांग्रेसी भी रहे हैं, वे भी यहां के विधायक हैं उन्होंने भी बनायी हैं। मैंने भी बनायी, लेकिन आज आपने कानून की परिधि में ऐसा जकड़ दिया, ऐसा नागपाश में हम लोगों को बांध दिया कि आज हम चाहें तो भी कुछ नहीं बनवा सकते। आखिर इतना तो आप विचार करते कि और भी कई काम उस पर्टीकुलर स्थान पर हो सकते थे। जो आज मण्डियां कमा रही हैं और कमाने के बाद आप थोड़ा बहुत पैसा छोटी मण्डियों को दीजिए, लेकिन उस मण्डी को केवल मात्र अछूता तो मत छोड़िए। अछूता आप छोड़ देंगे तो काम करने में फिर शिथिलता आएगी। आखिर किसान मजदूर क्या चाहता है। किसान मण्डी से सामान लाता है उसको भी कुछ मिलना चाहिए।

आपने अभी एक नयी मण्डी कोटा में बनायी। नयी कमेटी में उसका अलाटमैंट हो रहा है। अब नये अलाटमैंट के साथ-साथ उन लोगों को कोई दुकानें नहीं मिल रही हैं जो बीज का काम करते हैं, जो खाद का

(श्री अर्जुनदास मदान)

काम करते हैं। आदमी बेचेगा तो माल मण्डी में है और खाद खरीदेगा बाजार में। आदमी अपने माल को मण्डी में बेचेगा और यदि उसके बाद कोई चीज लेनी है, खाद लेना है या उपकरण खरीदने हैं तो उसकी व्यवस्था उस मण्डी में नहीं रखना चाहते। ये छोटी-छोटी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर निश्चित रूप से आपको ध्यान देना चाहिए।

अंत में मैं पशुपालन मंत्री महोदय से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मैं कई बार आपसे निवेदन कर चुका हूं, मेरे क्षेत्र में कई जगह ऐसी हैं जहां पर पशुधन बहुत उपलब्ध है। लेकिन बंटवारे के टाइम पर आपने कई बार डिस्पेंसरीज खोलीं या पशु चिकित्सालय खोले हैं उसमें भेदभाव है। आप वचन दे चुके हैं। आपने मुझे कई बार विश्वास दिलाया है कि आपके विधान सभा क्षेत्र में भी निश्चित रूप से विचारूंगा। लेकिन मैं इतना ही कहता हूं कि आपने मेरे साथ खेद तो व्यक्त किया, लेकिन मदद नहीं की और फिर मुझे वो ही शेर याद आता है-

"जो शाहिल के तमाशायी अफसोस तो सब करते हैं इमदाद नहीं करते।"

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे प्रति अफसोस न करें, मेरी मदद करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती कमलाजी।

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय सभापति महोदय, आज जिन विभागों की मांगें प्रस्तुत हैं उसमें मैं सबसे पहले कृषि से संबंधित कुछ मुद्दे माननीय मंत्री महोदय के लिए और सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूं। हम सब जानते हैं कि कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। यह सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि यह तथ्य पिछले 50 वर्षों के दौरान हमने इस बात को आजमाइश भी किया है कि जितना हम कृषि के उन्नयन के लिए, उसको सामर्थ्यवान बनाने के लिए, उसमें लगे लोगों को अपनी स्थिति को सुधारने के लिए मदद करते रहेंगे और उतनी ही हमारे देश की आधारभूत व्यवस्था हमें कभी डगमगाने नहीं देगी। इसीलिए आजादी के तुरन्त बाद से आने वाली जो सरकारें थीं उन्होंने कृषि के संबंध में तमाम वो व्यवस्थाएं करने की बहुत मुस्तैदी के साथ करने की कोशिश की, चाहे वो बांध बनाने का काम हो, चाहे नहरें हों, चाहे विद्युत के लिए करखाना बनाने का काम हो, चाहे खाद के कारखानों का काम हो और चाहे कृषि और खेती से संबंधित सुधारों का मामला हो उन सरकारों ने बहुत मुस्तैदी से, बड़े व्यापक पैमाने से और सर्वाधिक पूंजी उसके विकास में लगाने के कारण से इसीलिए जो देश आजादी के समय बाहर से अन्न मंगाकर अपनी रोटी की पूर्ति करता था आज वो स्वावलम्बन में

(श्रीमती कमला)

इतना स्थायी हो चुका है कि हम उसके कारण कभी भी अपनी मजबूती को आशंका से नहीं देख सकते। इसी दौरान जो कृषि के लिए काम किए गए उसके कारण से बहुत से मुद्दे देश के अंदर और हमारे राज्य के अंदर तैयार हुए। चाहे वो खाद्यान्न था, चाहे तिलहन था, चाहे दलहन था, चाहे कपास था और चाहे गन्ना और दूसरी जो व्यापारिक फसलें हैं उनके ऊपर हमारा काश्तकार आया और उन्होंने खेती को काफी तरजीह दी। आज मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि आप और हम सब सालाना जब कृषि का बजट आता हैं मांगें आती हैं उसमें हम यह तो कहते हैं कि हमने इस साल में इतना उत्पादन खाद्यान्न में और इतना उत्पादन फलों में रखा है, लेकिन सिर्फ कृषि तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए।

मैं माननीय कृषि मंत्रीजी से जिन्होंने नया भार संभाला है और स्वयं भी एक कृषक हैं उनसे निवेदन करना चाहती हूं कि कृषि और किसान के बारे में आप एक मौलिक चिन्तन कीजिए। सिर्फ उत्पादन तक ही सीमित मत रहिए। वो जरूरी है, उसका लक्ष्य भी जरूरी है, उनको उपलब्ध करना भी जरूरी है, लेकिन कृषि को सिर्फ अन्न उत्पादन करने का एक साधन मानकर ही मत रहिए। इसको हमारे अर्थव्यवस्था का और भी अधिक व्यापक संसाधन बनाने के लिए काम करें। पिछले जो मंत्री महोदय थे उन्होंने बार-बार घोषणाएं भी कीं, अखबारों में भी आया कि राज्य सरकार कृषि नीति बनाने जा रही है। वह आज तक सदन में आयी नहीं और आएगी भी तो मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आप अपनी कृषि नीति बनाएं उस समय सिर्फ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठकर या आपके कुछ सहयोगियों को बिठाकर कृषि नीति न बनाएं बल्कि आप विपक्ष के लोगों को भी और यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों को और जो इस प्रकार के लोग जो कृषि से अलग से विशेषज्ञता रखते हैं उनको भी आप उसके लिए बुलाएं और कृषि नीति को बहुत सार्थक और सक्षम नीति के तौर पर तैयार करके प्रदेश के सामने प्रस्तुत करें।

मेरा दूसरा निवेदन है कि कृषि को मात्र खाद्यान्न उत्पादन का दृष्टिकोण छोड़कर इसको उद्योग का दर्जा दिया जाए। बहुत समय से देश में इसकी मांग उठती रही है और हमारे राज्य में भी मांग उठती रही है। उसका कारण क्या है ? वह कारण यह है कि आप कृषि के अलावा जो कृषि आधारित है प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनकी बाबत एक कार्ययोजना बनाइए। हमारे राज्य में जिस तरह की जलवायु जहां-जहां हैं उन क्षेत्रों में जोनल प्रोफाइल्स के तौर पर कहां पर कौन सी फसलें जो व्यापारिक फसलें हैं वे किस तरह से, कितनी मियाद में, कितनी पैदा की जा सकती हैं और उसके लिए

(श्रीमती कमला)

आपके कौन-कौन से कृषि उद्योग और प्रोसेसिंग यूनिट्स की जरूरत है जिससे कि आप न सिर्फ किसान को उसकी पैदावार का अच्छा मूल्य दिया पाएंगे और न सिर्फ उद्योग धंधें कायम करके लोगों को रोजगार दे पाएंगे और न सिर्फ आपके यहां पैदा हुए सामान को फिनिश्ड गुड्स के तौर पर तैयार कर पाएंगे बल्कि आप उसका देश में और विदेशों में विपणन करके न सिर्फ किसान को बहबूदी देंगे बल्कि इस राज्य को भी अच्छी आमदनी देकर कृषि की मजबूत आधारित अर्थव्यवस्था बना सकेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको उद्योग का दर्जा देकर आप सारे राज्य में जो विभिन्न जोन्स हैं उन जोन्स के आधार पर कृषि आधारित उद्योग और प्रोसेसिंग यूनिट्स का एक नेटवर्क तैयार कीजिए और उनको इंसेंटिव दीजिए जो इस तरह के उद्योग लगाना चाहते हैं जैसा आप दूसरे तरह के उद्योगों के अंदर देते हैं।

मेरा दूसरा निवेदन है कि न सिर्फ खाद्यान्न और व्यापारिक फसलें बल्कि आज के दिन में यह भी कहना चाहूंगी कि दुनिया के मार्केट में आने वाले समय में आयुर्वेद का, आयुर्वेदिक औषधियों का, आयुर्वेदिक दवाइयों का बहुत जबर्दस्त प्रचलन और बाजार बनता जा रहा है। तो काश्तकारों को इन आयुर्वेदिक औषधियों को उगाने के लिए वहां की जलवायु, वहां की जमीन, वहां के वातावरण के हिसाब से कहां-कहां, किस-किस क्षेत्र के अंदर ये हर्बल औषधियां उगायी जा सकती हैं इसके लिए भी एक योजना बनाइये। न सिर्फ योजन बनाएं बल्कि इस बात की भी कोशिश करिए कि हम तत्परता के साथ में दुनिया के मार्केट को कैप्चर करने के लिए इनको सफलतापूर्वक चला सकें। (व्यवधान) इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि किसान को आप सिर्फ पैदावार के लिए लोन दे दें और उसको कुछ रियायतें दे दें उससे कुछ होने वाला नहीं है। किसान का सबसे ज्यादा शोषण अगर किसी स्टेज पर होता है तो वह विपणन की स्टेज पर होता है। इसलिए किसान, जो उत्पादक है उसको उत्पादन का सही मुआवजा देने के लिए आप अपने स्टेट के अंदर एक कोल्ड स्टोरेज का, संरक्षण का, संग्रहण का, पैकिंग का, ग्रेडिंग का, मार्केटिंग का जगह-जगह पर आप अपने स्टेट्स के विभिन्न भागों में व्यवस्थाएं कायम कीजिए। वरना आप लोन देने के साथ में किसान की स्थिति सुधार नहीं सकते। यह बहुत जरूरी है।

तीसरा मुद्दा मुझे कहना है कि आपने अपने इसके अन्दर लिखा है कि 250 कृषि उत्पाद वितरण केन्द्र रखे हैं। मेरी समझ में यह उत्पाद शब्द आपने गलत प्रिंट करा दिया है, इसको आप कृषि आदान लिखिये। क्योंकि आपका मतलब इनपुट से ही होना

(श्रीमती कमला)

चाहिए, कृषि उत्पाद वितरण केन्द्र से कोई मतलब नहीं है। तो कृषि आदान में इस प्रदेश के जो बीज और खाद के अलावा सबसे जरूरी चीज है वह पानी है और पानी आम तौर से जिन क्षेत्रों में नहरे हैं, बांध है उनका काश्तकार तो पानी निरन्तर ले सकता है, कभी कम हो सकता है लेकिन रुकता नहीं। लेकिन ज्यादा क्षेत्र राजस्थान का ऐसा है जो कुओं से पानी लेता है और कुआं से पानी लेने का मतलब बिजली से पानी लेता है। लेकिन बिजली के मामलें में जो आपका महत्वपूर्ण आदान है कृषि का, उसमें आपने जिस तरह से किसान को रौंदा है, जिस तरह से उसका शोषण किया है और जिस तरह से उसकी मेहनत को आपने खींचा है वह अपने आप में बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। आपने एक तरफ तो कह दिया कि किसान के लिए हम यह कर रहे हैं, उसकी लैण्ड रेवेन्यू माफ कर दी और दूसरी तरफ उस लैण्ड रेवेन्यू का 50 गुना सिक्योरिटी के नाम पर, उसके वनपोल चार्जेज के नाम पर वसूल रहे हैं। अभी माननीय विद्युत मंत्रीजी ने घोषणा की है कि दो साल से पहले ही हम उनको आम रेट में लाकर डाल देंगे, हम उनकी सिक्योरिटी का यह कम करेंगे और इसके विपरीत अभी शायद 10-20 दिन पहले ही 9 हजार रुपये जो वनपोल का चार्जेज लिया जा रहा था उसको 3 हजार रुपये बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रति पोल का चार्जेज लगाया और जो रेट्स लगा रखे हैं वह भी हम लोग जान रहे हैं। इसलिए यह जो बिजली का इतना इम्पोर्टेण्ट आदान है और इतनी बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो किसान आज आपको पैदा करके दे रहा है उसको आप क्या दे रहे हैं? आप उसको यह दे रहे हैं कि उसकी पैदावार को, उसकी मेहनत की कमाई को जितना सरकार खींच सकें खींच ले और उसको मण्डल में लाकर भर्ती कर दे। इसके अलावा आपने काश्तकार को कुछ नहीं दिया।

दूसरी बात, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि पानी का एक सोर्स कुआं है उस कुएं के लिए एनीकट बनाने की जरूरत है। मैं बहुत समय से इस बात पर जोर दे रही हूं हम तो इधर के एरिया के लोग हैं, राजस्थान 2/3 हिस्सा ऐसा है जिसे वाटर कंजर्वेशन की बेहद जरूरत है और अगर वाटर कंजर्वेशन के प्रोग्राम हमने नहीं लिये तो हमारा जल स्तर नीचे से नीचे चला जा रहा है। आपने एक बिल लाकर पेश कर दिया था, वह तो भला हुआ संसदीय चुनावों का कि चुनावों के कारण से वह बिल रोक दिया। आप तो यह ला रहे थे कि पानी को बचाने के लिए हम किसान को पाबंद कर देंगे कि वह अपने खेत में एक से ज्यादा कुआं नहीं खोदे और जो कुआं खोदेगा उसको सरकार ग्रहण कर लेगी। लेकिन वह रुका। मेरा आपसे निवेदन यह है कि इस तरह से जल स्तर बढ़ने वाला नहीं है। खेती

(१५०)

(श्रीमती कमला)

के लिए जरूरत है जल की, उसको ज्यादा बनाने की जरूरत है।

यह जो वाटरशेड का प्रोग्राम है, उसको आप एनीकट का प्रोग्राम बता कर यह कहते हैं कि एनीकट उसी में आ जाएंगे लेकिन उसमें नहीं आते। आप कृषि के अन्तर्गत एनीकट का विशेष प्रोग्राम बनाइये और वाटर कंजर्वेशन के लिए इसको प्रतिपादित करिये एवं उसके लिए अलग से एक फण्ड कायम करिये।

इसके साथ में मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप जिस तरह से इस कृषि के मामले में, इसके उत्पादन के मामले में, किसान की बहबूदी के मामले में चल रहे हैं वह आपकी बहुत धीमी गति है। इसलिए विपणन चाहे वह खाद्यान्न का हो, चाहे वह फलों का हो, चाहे सब्जी का हो, चाहे फूलों का हो, किसान की एक-एक पत्ती को सुरक्षित रखने की आपको चेष्टा करनी चाहिए। आज लाखों टन सब्जी सड़ रही है, फल-फूल सड़ रहे हैं और काश्तकार उनको पैदा करके दुःखी हो रहा है क्योंकि विपणन की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए जब तक विपणन के लिए आप यह सारी व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक काश्तकार को आप बहबूदी नहीं दे सकते।

मैं आपसे यह निवेदन भी करना चाहती हूं कि आप इस तरह से किसानों को और जो खेती में पैदावार करके इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, उनका इस तरह से जो शोषण अपने किया है और जिस तरह से उनको परेशान किया है उसी का नतीजा था कि आपको संसदीय चुनावों में जनता ने काश्तकार ने आगाह किया कि आप इस तरह का हमारे साथ में अन्याय मत करिये। लेकिन आज भी इस सरकार के दिमाग में कोई इस तरह का विचार नहीं है और आज अगर आप विचार भी करेंगे तो भी आपको वह पहचानने में गलती नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे और आने वाला समय इस बात को बतायेगा कि आपकी इस तरह की कृषि नीति जो थी उसने किस तरह का सबक सिखाया लेकिन देश को नुकसान हुआ।

मैं अन्त में आपको एक बार यह भी कहना चाहती हूं कि जो कनेक्शन दिये जाते हैं ...

श्री सभापति : आप पूरा करिये।

श्रीमती कमला : मैं यह भी कहना चाह रही हूं कि कृषि उत्पादन, कृषि विपणन और कृषि उत्पादों का उपभोक्ता द्वारा आदान यह जो चीज है यह अपने आप में सहकारिता के माध्यम से हमने तय की है। अगर राजनीति के क्षेत्र में पंचायत राज और प्रजातांत्रिक संस्थाएं अपने आप में श्रेष्ठतम व्यवस्था मानी है तो हमने इस सहकारिता को आम आदमी के, आम कृषक के, आम उत्पादक के शोषण को खतम करके और उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के हितों के

(श्रीमती कमला)

रक्षण के लिये हमने सहकारिता की आर्थिक व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ माध्यम माना है लेकिन आज हमारे राज्य में इस सारी व्यवस्था का इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है और इतनी विकृति हो रही है कि यह सहकारी समितियां मात्र सिर्फ सरकार के आदेशों को पालन करने वाली रह गयी हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि यह हमारी सहकारी समितियां सैल्फ रेगुलेटिंग और सैल्फ रिलाइंट डेमेक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, वायेबल इकोनोमिक यूनिट्स बने इस तरफ आपको पूरी तरह से ध्यान देने की जरूरत है न उनको चम्मच से दूध पिलाने की जरूरत है। जब तक आप यह नहीं करेंगे तब तक इसको सिर्फ गठित करके छोड़ देने में कोई मतलब नहीं है। अभी इधर बैठने वालो माननीय सदस्य ने...

श्री सभापति : आप पूरा करें अब इसको।

श्रीमती कमला : डेयरी कोआपरेटिव का जिक्र किया। आज राजस्थान की डेयरी कोआपरेटिव को, उसकी तमाम यूनिट्स को स्टेट को बाहर की एक आटोनामस इंस्टीटयूशंस, जो खुद कोआपरेटिव इंस्टीटयूशन नहीं है, के सारे मूवमैंट से उनको हैण्ड-ओवर अनौपचारिक रूप से तो किया हुआ है लेकिन एक एग्रीमैंट करके बाकायदा उनके हैण्ड ओवर कर रहे हैं और इस तरह की बेचान की स्थिति पैदा की है। मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी बात की है, भाभड़ाजी से भी बात की है, वे इस बात को देखेंगे और मैं समझती हूं कि देख रहे हैं कि इस तरह की स्थिति नहीं आनी चाहिए। कोआपरेटिव मूवमैंट राजस्थान का किसी बाहर की किसी आटोनॉमस बाडी को हैण्डओवर हो जाए, यह हमारे जिए बहुत लज्जाजनक बात होगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, बिराजिये अब आप।

श्रीमती कमला : अन्त में मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि कृषि को नीति के अन्तर्गत नये पैमाने के साथ तैयार करिये, उसको उद्योग का दर्जा दीजिये और कृषक को बहबूदी देने के लिए और अपनी अर्थनीति को मजबूत करने के लिए विपणन की जो व्यवस्था है उसको आप व्यापक और मजबूती के साथ अपने प्रदेश में कायम करिये जिससे कि आने वाला समय आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री ओमप्रकाश शर्मा। श्री राकेश मेघवाल।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : माननीय सभापति महोदय, आज कृषि पर और अन्य विभागों की मांग पर जो चर्चा हो रही है उसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुए आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि राजस्थान में किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है और हम जितनी भी किसानों को सुविधाएं दे सकते हैं वह उनके लिए दें चाहें हमें कुछ भी करना पड़े। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की हितैषी रही है और आगे भी रहेगी।

मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो आप जो

(152)

(श्री प्रकेश मेघवाल)

भी प्रक्रिया है, जैसे फव्वारा सैट पर लोन देने की है, उसमें सरलीकरण किया जाए। कई बार सब्सिडी के लिए किसान बैंकों इधर-उधर भागते फिरते हैं और किसानों को समय पर सब्सिडी नहीं मिलती है। तो क्यों नहीं जब लोन देते हैं तो उसी समय उसी के साथ सब्सिडी दे दी जाए और किसान को यह बार-बार तहसील मुख्यालय पर तहसील में चक्कर काटने के बजाय अपने खेत में काम करने का पर्याप्त समय दिया जाए। आज किसान को सही मायने में देखा जाए तो जितनी वह मेहनत करता है, अपने खून का पसीना करता है उतनी आय नहीं मिलती है। वास्तव में किसान इतनी दिन-रात मेहनत करता है उसको सही मुआवजा दिया जाए। जगह-जगह कृषि उपज मण्डी है वह सुचारू रूप से चलती नहीं है इसलिए आप सभी कृषि उपज मण्डी की बराबर मानीटरिंग करें और देखें। वैसे आप खुद ही एक किसान हैं, किसान का दर्द आपसे ज्यादा इस सदन में कोई नहीं समझ सकता इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आपको विभाग का भार सौंपा है। माननीय कृषि मंत्रीजी, आप एक बार इस सदन के बाद में एक सडन दौरा कर प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर जाकर आप किसानों की बैठक लीजिये जिसमें रूबरू किसानों की जो समस्याएं हैं आपके सामने आएंगी। अलग-अलग क्षेत्र की समस्याएं आपके सामने आएंगी। सदन में हम लोग चर्चा अपने स्वार्थ के लिए करते हैं लेकिन वास्तविकता किसानों का दर्द है, आप इस जगह जाएंगे और किसान अपने मुंह से आपको बताएंगे तो सच्चाई का वाकई में पता लगेगा कि किसान के दिल में कितना दर्द है। आज समय पर किसान को बीज नहीं मिलता और वह जगह- जगह भटकता है। वह कभी ग्राम सेवक के पीछे भागता है, कभी सरपंच के पीछे भागता है, तो क्यों नहीं एक अलग से दुकान खोल दी जाए, किसान चाहे जब वहां से बीज ले जाए। ग्राम सेवक गांव में मिलता नहीं है। फसल पर बीज नहीं मिलने से ग्राम सेवक के पीछे किसान जगह जगह दर भटकता है और उसमें उसको बीज में जितना फायदा होना चाहिए था उससे डबल तो दौड़ धूप करने में और जगह -जगह कभी कोई जीप लेकर जाता है, मोटर साइकिल लेकर जाता है, उसमे खर्चा हो जाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, समय पर उसको हर जगह, हर पंचायत मुख्यालय पर ही नहीं बल्कि प्रत्येक गांव में बीज उपलब्ध कराया जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि इस सदन में आप यह घोषणा करें कि किसानों को आप किस तरह से कितनी रियायतें देंगे। आप खुद नये मंत्री बने हैं तो नयापन दिखाइये और एक जोरशोर के साथ दिखाइये कि जो आज नहीं हुआ, वह आप कृषि मंत्रीजी, किसानों के लिए घोषणा करेंगे।

(श्री राकेश मेघवाल)

आज जगह-जगह पशुपालकों की बात आती है। पशुपालक हमारे तो विश्वविख्यात जो नागौरी बैल हैं जो आज दिखने को नहीं के बराबर मिलते हैं। नहीं तो देश के कोने-कोने से नागौरी बैल खरीदने के लिए आते थे। इसमें कमी का कारण राज्य सरकार बराबर नागौर की ओर ध्यान नहीं दे रही है। मैं सभापति महोदया, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में साख है नागौर के नागौरी बैल की इसलिए नागौर के पशुपालकों को विशेष सुविधा दी जाए और जगह-जगह उप स्वास्थ्य केन्द्र और अस्पताल खोले जाएं। आज 20-20 किलोमीटर तक कोई अस्पताल नहीं है। अब अगर कोई बैल बीमार हो जाए तो 20 किलोमीटर कहां से किसान ले जाएगा हालांकि उसको कोई बहुत आय नहीं मिलती है लेकिन नागौर के किसानों का एक शौक है, हमारा बछड़ा, नागौरी बछड़ा, नागौरी बैल विश्वविख्यात हैं, इसलिए वह अपनी मेहनत से उसको पालता है और उसको बराबर सुविधा दी जाए। जगह-जगह गौशाला खोली जाए, पशुपालकों के लिए उप स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएं।

माननीय सभापति महोदया, सहकारिता की तो मैं बात क्या करूं। सहकारिता में सह अलग है और कारिता अलग है, इन दोनों को मिलाकर सहकारिता कहा गया। आपसे विशेष विनम्र शब्दों में निवेदन है कि इस सहकारिता को जोड़िये, किसानों से जोड़िये, जनता से जोड़िये। यह सिर्फ आंकड़ों में हैं और कुछ राजनीति के प्रभावशाली लोगों के बीच ही सहकारिता चल रही है, बाकी आम आदमी, आम किसानों को कहीं कुछ फायदा नहीं है। क्यों नहीं है ? प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर एक समिति कायम की जाए, वह समिति उसकी देखरेख करे उसमें चुने हुए चुनिंदा लोग हैं वे अपने मन की मर्जी चला रहे हैं। राजस्थान में सरकार से क्या उसकी मानीटरिंग हो रही है ? पंचायत मुख्यालय तक, तहसील मुख्यालय तक किस प्रकार से जांच होती है, कुछ नहीं होता है। आज नागौर में सहकारिता का हाल बुरा है। सबसे पहले माननीय हरजीराम जी बुरड़क ने कहा था, यह बात सही है कि नागौर पर कोई ध्यान ही नहीं देता है क्योंकि इसके नाम में सबसे पहले ही 'ना' आ जाता है, 'गौर' बाद में आता है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि नागौर से 'ना' हटा दीजिए और "गौर" करवाइये और ज्यादा से ज्यादा ध्यान नागौर जिले पर दीजिए। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति : राजेन्द्र जी चौधरी।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : सभापति महोदया आप इस सदन में सहकारिता, पशुपालन डेयरी, कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर डिमाण्ड पर चर्चा हो रही है। कृषि मंत्रीजी से मेरा यह अनुरोध है कि बहुत से सुझाव आये हैं परन्तु किसानों काम बीज से शुरू होता है। यदि हम उनको समय पर

(१४५)

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

बीज उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं तो यह हमारी असफलता है और यह अभी तक हो रहा था। इस सीजन के समय में बीज उपलब्ध नहीं हुए। कृषि मंत्रीजी, आज जो फसल हो गयी है, उसको रोग लग गया कातरे का तो हमने प्रीवेंटिव मैजर्स किये लेकिन उसके बारे में क्या कार्यवाही कर रहे हैं, आप अपना जवाब देते समय इस बात की जानकारी जरूर दें क्योंकि किसान उसी बात पर बरबाद हो जाएगा। आज विभिन्न योजनाएं कृषि विभाग के द्वारा चलाई जा रही हैं। बहुत बड़ा विभाग है यहां इस विभाग के अन्दर आपस में कोर्डिनेशन नहीं है और कोर्डिनेशन के अभाव में वह परिणाम हम नहीं दे पाते। आप आपने वैसे ही इसको अलग कर दिया। सुजानसिंह जी सहकारिता मंत्री, इनको कृषि विपणन दे दिया, आपको कृषि दे दिया। वैसे ही इस विभाग को साथ ही रखना चाहिए था, सोइल कंजर्वेशन भी आपको देना चाहिए था (व्यवधान) अब अलग कर दिया, मंत्री ज्यादा हो गये हैं तो क्या करें।

आज सदन में जब हम सहकारिता की बात कर रहे हैं तो सहकारिता मंत्रीजी, आपकी सबसे छोटी यूनिट है ग्राम सेवा सहकारी समिति। उस ग्राम सेवा सहकारी समिति के ऊपर सरकार का क्या कंट्रोल है? आपके जो व्यवस्थापक हैं, सहकारिता मंत्रीजी, आपका उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि सोसायटी कभी भी उसको हटा सकती है और कोई भी गबन करके कभी भी भाग सकता है। उसकी कोई एकाउंटेबिलिटी नहीं है। सभापति महोदया, मेरा आपसे अनुरोध है कि इन व्यवस्थापकों को सरकारी दर्जे में लाइये, उनको राज्य सरकार का कर्मचारी बनाइये, इनका नियंत्रण अपने हाथ में लीजिये। आज जब आडिट होती है तो मैं यह जानना चाहूंगा कि उन आडिट पैराज के ऊपर कितनी कार्यवाही होती है , उनके ऊपर कार्यवाही नहीं होती है फिर इस आडिट विभाग में जो सबसे अहम् भाग है, मुझे लगता है कि उसमें कोई अर्थ नहीं है। आज मैं आपको यह जानकारी दूं, मैंने आपसे पहले भी चर्चा की। जोधपुर में मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के अन्दर वृहद बहुधंधी सहकारी समिति है, उसके अन्दर घपला पकड़ा गया और करीब 22 लाख रुपये जमा हुए हैं, अभी और जांच चल रही है, आपके सारे अधिकारी वहां लगे हुए हैं। इतना बड़ा गबन हुआ और सहकारिता मंत्री, आपका जो प्रशासक लगा हुआ था वहां पर जिसकी वजह से सारा घपला हुआ, उसमें भी शरीक है। मैंने अनुरोध किया आपसे, सहकारिता सचिव से, आपने उसको हटावा दिया परन्तु आडिटर भी वही है आज भी। अब आप मुझे बताइये, वही तो प्रशासक है, वही आडिटर लगा हुआ है, वह क्या जांच करेगा ? उस व्यक्ति की तो छाया भी नहीं पड़नी चाहिए जो वहां पर रहे। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो भी व्यक्ति उस प्रकरण के अन्दर वहां पर रहा है या विभाग के अधिकारी भी बैठे हैं जिनका वहा संबंध रहा है वह कोई भी

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

उस जांच के अन्दर शरीक नहीं होना चाहिए, नहीं तो उस जांच का परिणाम नहीं आएगा। मैंने आपसे यह भी अनुरोध किया कि जो सभा के मेम्बर हैं, करीब 2400 के मेम्बर हैं, उनकी जो पासबुक हैं, जिसमें एन्ट्री की गयी हैं, यदि उसमें जमा ही नहीं हुआ है तो कैसे होगा, उनको सबको बुलवाइये, उनके सारे खाते को देखा जाए और आपने निर्देश भी दिये हैं और इस सम्बन्ध में, अभी तक कोई कार्यवाही शुरू नहीं हुई। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा, यदि हम सहकारिता के बारे में यह नहीं कहते कि सहकारिता को हम भ्रष्टाचार का दूसरा रूप दें, ऐसा नहीं है, सहकारिता के आन्दोलन की वह भावना नहीं थी...

श्री महावीर प्रसाद जैन : बहुत सुधार आया है। सुधार आया है, वह गलत बात है क्या ?

श्री राजेन्द्र चौधरी : आप क्यों बोल रहे हैं ? हम बोलने के लिए खड़े हैं ना। ये कब सुधरेंगे, सभापति महोदया। आज जब सहकारिता की बात कर रहे थे, हम यह नहीं चाहते कि सहकारिता आन्दोलन को हम कोई भ्रष्टाचार का रूप दें।

यह एक बहुत ही पवित्र आंदोलन था और यह जब शुरू हुआ तो इसके अन्दर बहुत ही उत्साह था। आज, सहकारिता मंत्रीजी, इसके अन्दर क्या कमियां हैं, आप पांच साल के बहुत प्रयास कर रहे हैं, हम आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाते हैं, किसी भी आरोप में आप शामिल नहीं हैं, परन्तु हम आपसे यह अनुरोध जरूर करना चाहते हैं कि कहीं से कोई भी बात की जानकारी आपके पास आये तो आप उसकी स्टडी जरूर करवायें, उसके ऊपर पूरा गौर करवायें। आज जब हमारा सहकारी आंदोलन, जब सहकारी कर्मचारी ही डिमोरलाइज हो जाएगा, सभी उसको चोर कहेंगे तो हम उसके रिजल्ट कहां से लायेंगे। मैं सहकारी विभाग के लोगों को चोर नहीं कहता। आज आप देखते हैं कि आपके अधिकारियों की स्थिति, यह पांचवां वेतनमान लागू हो गया है, तो क्या स्तर रह गया है आपके सहकारी अधिकारियों का, समझाइये मेरे को। वह आर.आई. लेवल के ऊपर चला गया है, तहसीलदार के नीचे, उनकी पे-स्केल और कहां उनकी पहले स्थिति थी, पहले आर.ए.एस. के बाद में उनका नम्बर था तो आज उनका स्तर इतना नीचे चला जायेगा तो आप उनसे रिजल्ट की कैसे उम्मीद कर सकते हैं। डिटीरिओरेशन हो रहा है उनका। उनके अधिकारियों का आपकी जो सर्विसेज हैं कोआपरेटिव सर्विसेज, उसका महत्व उसमें कम हो गया। आप डेयरी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर, जो हमारे मंत्रीजी को नया भार मिला है, आप इधर मुखातिब होइये मंत्री महोदय...

श्री नसरू खां (राज्य मंत्री, डेयरी) : सुन रहा हूं, आप चिंता मत करो।

श्री राजेन्द्र चौधरी : आप आ गये इसलिए अब चिंता नहीं है हमको। सबसे

146

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

बड़ी बात, सभापति महोदया, आप भी सदन में थीं, आज से तीन साल पहले मैंने इस विषय के ऊपर एन.डी.डी.बी. और आर.सी.डी. एफ. की जो समझौते की बात थी उस पर चर्चा की थी और उस समय जिनके पास प्रभार था देवड़ाजी, यह भी बिराज रहे थे और मुख्य मंत्रीजी ने चर्चा के अन्दर भाग लिया था और मैंने जो मुद्दे उठाये थे उन बातों को मुख्य मंत्रीजी ने, स्वीकार किया था कि या जिन बातों के आधार पर हमने एन.डी.बी.बी. को दिया वह हम उसमें पैरामीटर्स को पूरा नहीं कर रहे। अब मैं अभी हाल ही का उदाहरण आपको देना चाहूंगा। अभी मंत्रीजी ने आप थे नहीं और आपकी जगह उत्तर इन्होंने दिया था और उत्तर देते वक्त उन्होंने यह कहा कि हमने एन.डी.बी.बी. से 1992 में इसलिए समझौता कि कि नहीं तो वह घाटे में चल रही थी, उसको बंद करना पड़ता। अब मैं आपसे जानकारी चाहूंगा, आज एन.डी.बी.बी. को देने बाद में मंत्रीजी महोदय, क्या स्थिति है ? 1992 के अन्दर जिस समय एन.डी.बी.बी. के साथ में हमने मौखिक समझौते के आधार पर जो इसको दिया गया था, उस समय हमारा जो घाटा था वह 45 लाख रुपये था अब उसके अन्दर घाटे को दूसरी तरफ जोड़ दिया, उसमें डेप्रिसिएशन के रुपये भी शामिल कर दिये, 31 करोड़ शामिल कर दिये, 28 करोड़ का कैपिटलाइज्ड ब्याज था वह भी उसमें जोड़ दिया गया। यों करके 60 करोड़ रुपये उसमें बताये गये, जबकि 60 करोड़ का कोई घाटा नहीं था और यदि यह भी मान लें तो उस स्थिति में केवल पांच वर्षों में एन.डी.बी.बी. ने केवल 47 करोड़ रुपये, प्रति वर्ष 10 करोड़ रुपयों के हिसाब से 1992 से अब तक 113 करोड़ का घाटा हो गया। तो मंत्री महोदय मुझे यह समझायें कि इन्होंने यह उत्तर दिया कि हम 1992 में बंद कर देते यदि एन.डी.बी.बी. से समझौता नहीं होता, तो क्या अब आपके हालात खुले रखने के हैं एन.डी.बी.बी. के साथ में। इतना जो घाटा बढ़ गया है इसका जिम्मेदार कौन है ? पहले जो उन्होंने कहा था कि वह तो बंद कर देते, और अब इतना घाटा बढ़ गया इसके लिए कौन जिम्मेदार है। दूसरी बात आपने फरमायी कि साहब, वह सारे संघ पहले घाटे में थे और अब लाभ में चल रहे हैं। लाभ में चलने की स्थितियां नहीं है। इसकी अभी तक बैलेंसशीट भी नहीं है डेयरी मंत्रीजी, आप पता करना, खाली उत्तर देने से नहीं होता। इसकी बैलेंस शीट भी नहीं बनी है और उसको देखा जाए तो लाभ की स्थिति में एन.डी.बी.बी. के प्रबंधन का कोई, इसके आने के बाद में कोई लाभ की स्थिति नहीं आई है और जो फेसेलिटीज हम दे रहे थे पहले दुग्ध उत्पादकों को, आज एन.डी.डी.बी. के बाद में किसी दुग्ध उत्पादक को वह फेसेलिटीज नहीं मिल रही हैं। न तो आपके डाक्टर्स जा रहे हैं चैकिंग के लिए, न कोई मोबाइल यूनिट जा रही है।

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

एनडीडीबी. ने जो रेट दे रखी है, मैंने उस दिन पिछली बार चर्चा में मंत्रीजी को कहा था, रानीवाड़ा आपका क्षेत्र है, पास में गुजरात पड़ता है और आपके पास में दिल्ली पड़ता है, मंत्री महोदय, गुजरात के अन्दर दूध की क्या रेट है ? सभापति महोदया, गुजरात के अन्दर, हमारे यहां एनडीडीबी. जो दूध खरीद रही है उसकी रेट में बहुत अंतर है। मैं महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, कोई रिपीट नहीं कर रहा हूं यह बात।

श्री सभापति : महत्वपूर्ण हो तो भी आपको समय के अनुसार समापन करना है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : नहीं। सभापति महोदया, इसके अलावा जो हालात डेयरी की है, आपकी जोधपुर डेयरी को पेमेंट नहीं मिल रहा है लम्बे अरसे से।

श्री सभापति : आपको जो सुझाव देने है वह दे दीजिये क्योंकि एक-एक बात का विश्लेषण करेंगे तो समय की सीमा है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : आप उपाध्यक्ष बनने वाली हैं थोड़े दिनों में, हमारा ध्यान तो रखो।

श्री सभापति : कोई बात नहीं, आज भी ध्यान रख रही हूं मैं तो आपका।

श्री राजेन्द्र चौधरी : सभापति महोदया, जोधपुर डेयरी का पेमेंट, मंत्रीजी, नहीं किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से जोधपुर डेयरी का पेमेंट करवायें। इसके अलावा बिलाड़ा के अन्दर एक डेयरी काम कर रही है, सोसाइटी है, डेयरी सोसाइटी उसको लम्बे अरसे से परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं, किसी तरह से उसके निर्वाचित बोर्ड को भंग किया जाए। मैंने सहकारिता मंत्रीजी से भी पहले अनुरोध किया था, इन्होंने भी इस संबंध में कार्यवाही की, मैंने देवड़ा साहब से भी अनुरोध किया था, अब आपसे भी अनुरोध करता हूं, यह जो बहुत अच्छी तरह से सोसायटी काम कर रही है, निर्वाचित बोर्ड काम कर रहा है, यदि उसको भंग करने का प्रयास करेंगे तो किसी भी रूप में यह उचित नहीं होगा। इसके अलावा मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, आरसीडीएफ. और एनडीडीबी. के बारे में, हमारे अभी जो निर्वाचित बोर्ड हैं, जो अध्यक्ष हैं, हिन्दुस्तान में कहीं ऐसा नहीं है, इनका जो कार्यकाल है निर्वाचित बोडर्स का, वह कार्यकाल अपना पूरा करें, बीच में भंग करने का प्रयास नहीं किया जाए, यह हमारा जो सहकारी आंदोलन है सहकारिता मंत्रीजी, उसके ऊपर कुठाराघात होगा और जितनी भी सोसाइटीज हैं उनके चुनाव जल्दी से जल्दी आपको अविलम्ब करवाने चाहिए, लम्बे अरसे से पेंडिंग हो रहे हैं।

पशुपालन के मामले में मेरे को, मंत्रीजी, सिर्फ इतना ही कहना है कि यह पांचवां बजट है, पांचवें बजट में जरूर कुछ उपकेन्द्रों की बात आई है। सभापति महोदया, आप भी देखती हैं, आप रोज बजट पर बोलती हैं, कहीं पर भी, वेस्टर्न राजस्थान में जो आधार

(१५४)

(श्री राजेन्द्र चैधरी)

हैं हमारे किसानों का, वह पशुपालन हैं और पशुपालन को लेकर, पशुपालन विभाग की तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। मंत्रीजी ने जरूर अपने स्तर पर प्रयास किया है।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (राज्य मंत्री, पशुपालन): सभापति महोदया, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि इस बार कुछ प्रावधान रखा है जो मैं मेरे बजट भाषण में बता दूंगा।

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैं स्वयं कह रहा हूं न। मैं यही कह रहा हूं कि चार बजट मैं यह प्रावधान नहीं रखा और आपने प्रयास भी किये। हमने भी मुख्य मंत्रीजी को बहुत अनुरोध किया कि वेस्टर्न राजस्थान में, आप भी वेस्टर्न राजस्थान से आती हैं, हमारा यह कहना था कि आप आज एक भी पशु चिकित्सा केन्द्र नहीं खोल रहे हैं, आप कोई तरह की फेसेलिटी नहीं दे रहे हैं तो यह कैसे होगा ? पिछली बार मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था पर कर नहीं पाये। तो पशुपालन विभाग, जो महत्वपूर्ण विभाग है, पश्चिमी राजस्थान में जिस पर आधारित हैं आर्थिक व्यवस्था हमारी, तो लोगों की तो उसमें अब नहीं है, खाली उप केन्द्र हैं आपके, हास्पिटल्स तो हैं नहीं, उसके अन्दर। तो मैं चाहूंगा कि हास्पिटल का भी प्रावधान उसमें होना चाहिए। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलालजी गरासिया।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : माननीय सभापति महोदया, आज माग संख्या 36, 37 और 39 पर चर्चा हो रही है।

श्री परसादीलाल मीणा : मंत्रिमण्डल का विस्तार हो रहा है, क्या करोगे बोलकर। सत्र ही समाप्त के दो दिन बाद।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : मैं आपके माध्यम से कृषि विभाग पर कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था- 'जय जवान जय किसान'। मैं समझता हूं कि दूरदर्शिता यह थी कि उनकी कि अगर किसान समृद्ध होगा तो हमारा देश समृद्ध होगा और किसान समृद्ध होगा तो सीमा पर रहने वाला जवान भी उसी मनोबल से सीमा पर अपने आप दुश्मनों से मुकाबले के लिए तैयार रहेगा। देश आजाद होने के बाद कृषि को जिस तरह का दर्जा मिलना चाहिए था, नहीं मिला। बराबर मांग आती रही, चाहे राज में सामने वाले प्रतिपक्ष में बैठने वाले लोग रहे हों, चाहे हम अभी राज में बैठे हैं, कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए। यह सब की मांग रही है लेकिन व्यवहार रूप में नहीं ला सके। कृषि पर किस तरह से देश में विकास और अनुसंधान को ताकि हमारा किसान समृद्ध बने। उसको उन्नत बीज मिले, समय पर खाद मिले उसके लिए आवश्यक है कि हमारी सरकारें मन-भावना से व्यवहार रूप में लाकर के अधिक से अधिक उसका हर क्षेत्र में विकास करें। हमारा राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

अलग-अलग स्थितियों में है। अगर राजस्थान के दक्षिणांचल में जाएं तो वहां का सारा क्षेत्र अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है। वहां के किसान के पास औसतन दो बीघा, चार बीघा, पांच बीघा से अधिक जमीन नहीं है। उसी तरह पश्चिम में अगर जोते हैं तो रेगिस्तान से लगा लम्बा-चौड़ा मरूस्थल हैं। इन्दिरा गांधी नहर आने से सिंचाई की सुविधा मिली है। किसान के पास वहां अनुपात से अधिक जमीन है। लेकिन जिस तरह से किसान की कृषि में वैज्ञानिक दृष्टि से जो प्रगति होनी चाहिए, नहीं होने के कारण औसतन जो पैदावार होनी चाहिए वह जमीन में नहीं हो पा रही हैं। उसी तरह से हमारा चित्तौड़ और कोटा वाला एरिया जो पठारी एरिया है वहां की दृष्टि से वहां की कृषि के हिसाब से हमारे को योजना बनानी चाहिए। हम जब तक बंजर भूमि, नाले पहाड़ियों को समतल करके किसानों को नहीं देंगे तो मैं समझता हूं कि पैदावार में जिस तरह की बढ़ोतरी हम चाहते हैं वैसे नहीं हो पाएगी। किसान के पास इतने साधन नहीं, उसके पास आय के इतने स्रोत नहीं, आर्थिक दृष्टि से इतना सम्बल नहीं है कि वह अपने स्तर पर उसको समतल कर सके, उसका विकास कर सके और वह अपनी पैदावार बढ़ा सके।

मैं कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि भौगोलिक दृष्टि से योजनाएं बना कर, किस क्षेत्र में किस तरह की जमीन है, किस तरह की वहां की किसानों की माली हालत है उसको उसी हिसाब से आर्थिक सहयोग करके, योजनाएं बना करके वहां की जमीन का विकास करके किसान को सहयोग करें तो मैं समझता हूं कि हमारी कृषि में काफी कुछ वृद्धि होगी। जहां तक दक्षिणांचल भाग है जहां जनजातीय भाई रहते हैं, वनवासी भाई रहते हैं, आदिवासी भाई रहते हैं वहां पर जमीन कम है। केवल अनाज के आधार पर रहेंगे तो उसका स्वयं का पेट भी नहीं भर पाता है। वहां पर विचार करना पड़ेगा उनको उन्नत हमारे जो फल होते हैं उनके पौधे वितरित किये जाएं उन्नत पशु दिए जाएं। उन्हें उन्नत बीज, खाद समय पर दिये जाएं तो मैं समझता हूं कि वहां के किसानों की माली हालत सुधर सकती हैं वहां पर जो हमारे कृषि अनुसंधान केन्द्र खुले हुए हैं, हर जिले में कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान केन्द्र खुले हुए हैं लेकिन केवल वे अनुसंधान केन्द्र अपने तक ही सीमित हैं। वहां जिस तरह का काम होना चाहिए जिस तरह के अनुसंधान होने चाहिए, जिस तरह का एक वातावरण होना चाहिए किसानों के संदर्भ में वैसा नहीं है। मैं कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अधिक से अधिक इनको एक्टिव करेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा प्रचार-प्रसार आधुनिक कृषि में जो हो रहा है उसका किसान तक लाभ पहुंच पाएगा और किसान उन अनुसंधान केन्द्रों का लाभ उठा पाएगा। आज ऐसा कोई जिला नहीं है जहां

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

अनुसंधान केन्द्र नहीं है लेकिन वहां के पास-पड़ोस के गांव में रहने वाले किसान भी नहीं जानते हैं कि यहां किस तरह का अनुसंधान होता है। यहां किसान को किस तरह मार्गदर्शन दिया जाता है, यहां किसान के जाने से क्या लाभ मिलता है तो मैं समझता हूं कि यह बहुत आवश्यक है कि इन अनुसंधान केन्द्रों का बहुत ज्यादा प्रचार-प्रसार होना चाहिए और किसान को जितना प्रशिक्षित कर पाएंगे तो वह अपने सीमित साधनों से अधिक पैदावार कर पाएगा और स्वयं के परिवार का और हमारे देश के लिए वह अनाज की पैदावार में बढ़ोतरी कर पाएगा। हमारे यहां नाम मात्र का बीज वितरण किया जाता है। कई किसान भाई तो जानते ही नहीं कि कृषि विभाग से हमारे को बीज वितरण भी किया जाता है। वहां का ग्राम सेवक, वहां का कर्मचारी उन बीजों को पता नहीं कहा किस समय वितरण करता है इसकी जांच यहां तक कि जनप्रतिनिधियों को भी भनक नहीं पड़ती है।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों की एक कमेटी हो, ग्राम स्तर पर हो, तहसील स्तर पर हो, पंचायत समिति स्तर पर हो और मानसून के पहले इस तरह की कमेटी बैठकर के तय करे कि कितना बीज आया, कितना खाद आया, समय पर बंटा कि नहीं बंटा तो मैं समझता हूं कि इसमें बहुत कुछ हम किसानों को सहयोग कर पाएंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपना किसान अनाज पैदा करता है लेकिन उसका सही समय पर विपणन नहीं हो पाता है और सही समय पर विपणन नहीं होने के कारण उसको सही दाम जो मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। इस कारण से किसान और उसका पूरा परिवार उस खेती में, कृषि कार्य में लगता है लेकिन पूरी आय नहीं मिलने के कारण उनकी माली हालत और बिगड़ती जाती है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसका समय पर विपणन हो, समय पर उसको सहयोग हो, उसके साथ-साथ उसको अनुदान मिले और उसकी जो दैनिक समस्याएं हैं उन समस्याओं के निराकरण के लिए भी कृषि विभाग अपने आधार पर अनुसंधान करके सहयोग कैसे दिया जा सकता है उस पर भी विचार करें, यह मेरा निवेदन है।

माननीय सभापति महोदया, हमारा किसान मानसून पर निर्भर करता है। समय पर अगर मानसून आया तो उसकी पैदावार हो जाएगी और समय पर मानसून नहीं आया तो नहीं होगी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम फसलों का बीमा हो, अगर मानसून से, ओलावृष्टि से और अतिवृष्टि से उसकी फसलें नष्ट होती हैं तो कम से कम उसका जो नुकसान होता है उसकी भरपाई हो। यह भी मैं मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा। कृत्रिम खाद के अधिक उपयोग से

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

आज ऐसी परिस्थिति बनी है कि जो उसी नेचुरल उर्वरक क्षमता है वह खतम होने जा रही है, यह भी एक सोचने का बिन्दु है आपके सामने कि किसान अधिक खाद का अगर उपयोग करेगा तो निश्चित रूप से उसकी जो नेचुरल उर्वरक क्षमता है वह खतम होगी और आने वाले समय में एक जटिल समस्या किसान के सामने खड़ी हो जाएगी तो उस सन्दर्भ में भी सरकार को और मंत्री महोदय को विशेष रूप से एक अनुसंधान के माध्यम से कि कैसे इसकी जो नेचुरल उर्वरक क्षमता है उसको बचाया जा सकता है और किसान कम मात्रा में खाद का उपयोग करे मैं समझता हूं इस बिन्दु पर भी विचार करना चाहिए।

कृषि उपज मण्डियों के बारे में भी मैं बोलना चाहूंगा कि अभी विभिन्न जिलों में, विभिन्न तहसीलों में कृषि उपज मंडियां बनी हुई हैं लेकिन जिस तरह का वहां वातावरण है, जिस तरह दुकानों का आबंटन होता है, जिस तरह की धांधली होती है मैं समझता हूं अगर माननीय मंत्री महोदय एक्टिव होकर जांच करवाएंगे तो बहुत कुछ उनमें कमियां आपको मिलेंगी। विशेष रूप से उदयपुर की कृषि मण्डी के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे वहां दुकानें आबंटित की जाती हैं लेकिन जिस तरह का आबंटन हुआ है उसे वहां के व्यापारियों में बड़ा आक्रोश है। वहां विभिन्न ट्रेड्स के व्यापारी रहते हैं, उन ट्रेड्स के आधार पर आप उसका मूल्यांकन करायें कि समान रूप से उन ट्रेड्स के व्यापारियों को वे दुकानें आबंटित हुई हैं या नहीं हुई हैं। कुछ ट्रेड्स के लोगों को दो-दो दुकानें और कुछ ट्रेड्स की दुकानों को केवल चबूतरे मिले हुए हैं तो मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां के व्यापारियों की मीटिंग ले करके सचिव स्तर पर जिससे समान रूप से किस तरह दूकानें आबंटित की जाएं, इस समय भी उदयपुर में व्यापारियों में इसके कारण आक्रोश है और असंतोष है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां के व्यापारियों को समान रूप से समान हक मिले और सभी ट्रेड्स वाले लोग वहां बैठ सकें, ऐसी व्यवस्था की जाए यह मेरा व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह है, निवेदन है। कृषि मण्डियां सड़कें बनाती हैं जनजाति क्षेत्र में। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में वहां की आबादी की अगर तुलना करेंगे तो मैं समझता हूं कि आबादी के अनुसार सड़कें बनेगी लेकिन जिस तरह का सहयोग हमारे जनजाति के किसान भाई जो सहयोग देना चाहते हैं वह नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बिखरे हुए गांव हैं, हजार की आबादी, सात सौ की आबादी नहीं मिलेगी और उसका लाभ जो सड़कों का कृषि मण्डी के माध्यम से मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है तो इस पालिसी पर पुनर्विचार करें कम से कम यह जो आपने नीति बनाई है उस नीति में पहाड़ी क्षेत्रों में, जनजाति क्षेत्रों

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

में इस नीति में शिथिलता बरतें ताकि अधिक से अधिक जनजाति के गांवों को हम सड़कों से जोड़ सकें और कृषि मण्डी तक अपने सामान को ला सकें, यातायात के साधन मिल सकें। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है। माननीय सभापति महोदया, मेरा कृषि मंत्रीजी से विशेष अनुरोध है कि हमारे उदयपुर से 1987 में तत्कालीन सरकार ने वहां के कृषि विश्वविद्यालय को स्थानांतरित करके बीकानेर ले जाया गया। पता नहीं उस समय क्या परिस्थितियां थीं। तत्कालीब सरकार जाने, उस समय के मंत्री अभी वर्तमान में यहां विधायक के रूप में विराजमान हैं। वास्तव में यह जनजाती क्षेत्र उदयपुर संभाग के लिए एक अहित का कार्य किया है और आज सारा उदयपुर संभाग , सारा जनजाति क्षेत्र, सारे किसान उद्वेलित हैं कि हमारे साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों किया ? हमारे को दी हुई चीज क्यों छीनी? हमारे कई साथी बन्धुओं ने जीरो आवर में अभी यह बात उठाई थी कि कृषि विश्वविद्यालय खुलना चाहिए, हमारी मांग है। बीकानेर से उसका स्थानान्तरण हम नहीं चाहते हैं। कई छोटे-छोटे राज्य हैं जहां 2-2, 4-4 कृषि विश्वविद्यालय हैं भौगोलिक दृष्टि से राज्य वहां इस प्रकार की व्यवस्था है तो राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय क्यों नहीं हो सकते ? यह प्रश्न मैं सरकार के सामने छोड़ रहा हूं। उदयपुर वास्तव में जनजाति क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है और जिस तरह वहां का किसान रहता है मैंने पहले भी निवेदन किया कि जिस तरह से वहां के किसान को कृषि के बारे में ज्ञान देना चाहिए वह ज्ञान नहीं है। आज कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर से बीकानेर स्थानान्तरित होने के कारण वहां की जनता, वहां के किसानों के साथ अहित किया है मैं चाहता हूं कि वर्तमान सरकार हमारे उदयपुर सम्भाग के साथ न्याय करें। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी सरकार पर कोई आर्थिक भार नहीं पड़ने वाला है वहां सारे कालेज स्थित हैं, सारी क्लासेज हैं, सारे अनुसंधान केन्द्र हैं और मेरे पास यह सारा एक प्रफोर्मा है जो मैं सदन की टेबल पर रखना चाहूंगा, इससे सरकार पर कोई आर्थिक भार अभी नहीं पड़ रहा है। मान्यवर जैसा अभी दो-तीन दिन पहले मुख्य मंत्रीजी और उप मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया था, उन्होंने शंका जाहिर की थी कि बहुत बड़ा आर्थिक भार और पड़ेगा और हम कैसे खोल पाएंगे। माननीय सभापति महोदय, इस वर्तमान समय में अगर कृषि विश्वविद्यालय की घोषण कर दे तो उसमें जितना आर्थिक भार वह सोचते हैं उतना नहीं पड़ने वाला है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उदयपुर में कृषि विश्वविद्यालय खोलें ताकि जनजाति क्षेत्र में रहने वाले हमारे किसान भाइयों को उसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

मैं कुछ विवरण देना चाहूंगा, कुछ प्रदेश

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

है जहां एक से अधिक कृषि विश्वविद्यालय है, उसको ध्यान में रखेंगे तो कम से कम सरकार की मंशा जाहिर होगी कि छोटे-छोटे प्रदेश, हिमालय प्रदेश एक छोटा राज्य है, हमसे बहुत छोटा है लेकिन वहां दो कृषि विश्वविद्यालय हैं। उसी तरह तमिलनाडु में दो है, कर्नाटक में दो हैं, उत्तर प्रदेश में चार हैं, महाराष्ट्र में चार हैं। मैं समझता हूं कि आपके माध्यम से सरकार को यह मैसेज पहुंचेगा कि इन प्रदेशों में जब कृषि विश्वविद्यालय एक से अधिक हो सकते हैं तो हमारे वहां क्यों नहीं हो सकते हैं। आपने घण्टी बजा दी है लेकिन मैं पुनः पुरजोर शब्दों में आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे, आप भी उदयपुर संभाग के पड़ोसी हैं, माननीय सभापति महोदया, सिरोही ज्यादा दूर नहीं है, कृषि विश्वविद्यालय वहां खुलेगा तो आपके क्षेत्र के छात्र, आपके क्षेत्र के किसान भी उससे लाभान्वित होंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी सरकार से आप भी परोक्ष रूप से आग्रह करेंगी कि कृषि विश्वविद्यालय खोलें। हमारे कृषि मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, मैं समझता हूं नये मंत्री बने हैं और नई घोषणा होगी, इतिहास में आपका नाम हो जाएगा और हम सारे राजस्थान के लोग याद करेंगे कि नये कृषि मंत्री आये तो हमारा कल्याण करके गये और पिछली सरकार ने जो भूल की थी, गलती की थी उसे यह सरकार सुधारेगी, यह मैं आपके माध्यम से कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भारत, जय रामजी की।

श्री परसादीलाल मीणा : भैरों सिंहजी से कहो।

श्री हरि सिंह (महुवा) : आपकी घण्टी तो भैरों सिंहजी ने पहले ही बजा दी थी, अब कोई नई बात है क्या ?

श्री सभापति: श्री हीरालालजी इन्दौरा (अनुपस्थित) । श्री लक्ष्मण सिंहजी रावत। माननीय सदस्य आपस में बात नहीं करें। श्री लक्ष्मण सिंहजी रावत।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली): माननीय सभापति महोदया, लक्ष्मण सिंहजी एक सुझाव दे गये थे, कोई आवश्यक कार्य की वजह से वे चले गये। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं...

श्री सभापति: आप क्या निवेदन करना चाहते हैं ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : शेखावाटी से गंगानगर तक...

श्री सभापति : नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है कि इनको कह गये हों।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं कह रहा हूं, मेरी अर्ज तो सुन लें आप। एक ही मिनट का सुझाव है। शेखावटी से गंगानगर तक जितनी भी मूंगफली, मोठ और ग्वार की फसल है उसको यह कातरा रोग चपाट कर गया बिलकुल और उस पर...

श्री सभापति: आपको तो मालूम ही क्या है कातरा क्या होता है ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और उसके बाद मंत्रीजी आपके विभाग ने उस बारे में किसानों को सूचित तक नहीं किया कि इस तरह के रोग लग रहा है। इतनी बड़ी लैप्स हुई है आपके विभाग के नाम पर और करोड़ों रुपयों की फसल का बिल्कुल सत्यानाश हो गया।

श्री अमराराम चौधरी (कृषि, राज्य मंत्री): माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बता दूं, हमने सारी कीटनाशक दवाइयां और सारा अनुदान दे दिया है, वह इस डिमाण्ड के जवाब के समय आपको बता दिया जाएगा कि हमने सारा प्रबन्ध कर दिया है, सारे अधिकारियों को निर्देश दे दिये हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कहां प्रबन्ध कर दिया, किसान तो रो रहे हैं। आपने उनको इत्तिला तक नहीं करी।

श्री अमराराम चौधरी : वर्षा होने के पहले कोई पता नहीं था।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कोई इत्तिला आपके द्वारा नहीं दी गयी। फसल चौपट हो चुकी है।

श्री सभापति : विराजिए, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, मंत्रीजी को सुनना भी नहीं चाहते और सुझाव भी मांगते हैं, यह तो बातें नहीं चलेंगी। श्रीमती शशी दत्ता।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदया, टोडाभीम क्षेत्र के ...

श्री सभापति : माननीय श्री रामस्वरूप जी, बिराजिए। बीच में नहीं। बिराजिए आप, बीच में नहीं।

श्री रामस्वरूप मीणा : फसल काट दी उन्होंने, कितना बड़ा नुकसान हुआ किसानों का। मंत्रीजी अपने-अमने घर में ही कर लेते हैं उपाय। हमारे टोडाभीम क्षेत्र में कुछ करो आप।

श्री अमराराम चौधरी : कोई नुकसान नहीं होने देंगे हम।

श्री सभापति : माननीय रामस्वरूप जी, बिराजिए आप।

श्रीमती शशीदत्ता (टोंक) : माननीय सभापति महोदया, आज इस सदन में मांग संख्या 36, 37 और 39 पर, जोकि तीनों ही बहुत अहम मांगें हैं, चर्चा हो रही है। सहकारिता मंत्रीजी का ध्यान मैं कुछ बातों की तरफ आकर्षित करूंगी। हालांकि उन्होंने मंत्री बनने के बाद सबसे पहले इस सदन के माध्यम से कहा था कि इस महकमे में चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है और काफी कुछ उन्होंने कंट्रोल किया मिनिस्टर बनने के बाद। मैं यह तो नहीं कहूंगी कि कहां तक कंट्रोल कर पाये, लेकिन काफी हद तक किया। इस महकमे में, इस विभाग में जो सबसे बड़ी धुरी है, यहां सचिव भी है, सहकारिता मंत्रीजी भी हैं और माननीय सदस्यगण भी इस बात को जानते हैं कि सहकारिता का मेन उद्देश्य हर सदस्य को, हर उस गरीब को, हर उस व्यक्ति तक पहुंचाना था जहां तक अन्य एजेंसीज नहीं पहुंच पाती, वहां पहुंचने का उद्देश्य लेकर के यह सहकारिता विभाग अपने आपको इस धुरी

(श्रीमती शशीदत्ता)

से इन्होंने चालू किया। इनका एक नारा भी है एक सबके लिये और सब एक के लिये आज इस विभाग में जो सबसे बड़ी अहम कमजोरी है या जो सबसे बड़ी आधारभूत इनकी कमजोरी है वह है इनके अपेक्स सैक्रेटरीज, जहां से इनका सहकारिता विभाग चालू होता है। उसमें सबसे अहम भूमिका इन सचिवों की होती है जो ग्रामों में रखे जाते हैं। उनका वेतन जो निर्धारित है, मैं सोचती हूं कि इनका वेतन इतना कम है कि सहकारिता मंत्रीजी को भी इसमें महसूस नहीं होना चाहिये यह कहते हुए कि सारा महकमा ही भ्रष्ट है। मैं कहती हूं कि शायद एक आध ही सैक्रेटरी ऐसा होगा, क्योंकि उसको समय पर वेतन नहीं मिल पाता, समय पर उसको सुविधाएं नहीं मिल पाती तो अमूमन क्या करते हैं कि जो पैसा किसानों का, खाद का, बीज का होता है, उसमें सबसे बड़ा जो घपला ये करते हैं, सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार करते हैं उसमें एडजस्टमैंट का, खाद का पैसा बीज में एडजस्ट कर देंगे और जब इनका ऑडिट होता है, माननीय सभापति महोदया, तो लाखों-करोड़ों में, एक छोटा सा, पांच-सात सौ रुपये पाने वाला इनका जो सैक्रेटरी है, उसका जो डीलिंग है वह लाखों-करोड़ों रुपयों में होता है। उससे ये क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वह जनता के साथ न्याय करेगा कि वह उनकी कोई अमानत में खयानत नहीं करेगा। मैं माननीय मंत्रीजी से पहला निवेदन यह करूंगी कि सहकारिता विभाग में जो सचिव हैं उनके वेतन में सुधार करें उनके ऊपर जो लायबिलिटीज आपने इतनी ज्यादा दे रखी है, उनका जो साल दर सल एक आडिट पैरा होता है, इनके विभाग में आडिट कराया जाता है, दो पैंसिलें दी जाती हैं, एक लाल और एक नीली, उस आडिट का बड़ा फिक्स होता है। माननीय सभापति महोदया, मैं मंत्रीजी के नालेज में भी ला दूं।

श्री सभापति : दत्ताजी से खबर मिली क्या?

श्रीमती शशीदत्ता : नहीं, मेरा बहुत नजदीकी सम्बन्ध है । मेरे हस्बैंड इस डिपार्टमैंट में है I know this Department very closely. उनको पैंसिलें देते हैं एक नीली और एक लाल और उस लाल और नीली पैंसिल से वह क्या करते हैं, आज तक तो मेरे ख्याल में आडिट में कोई पकड़ा नहीं गया होगा और कोई पकड़ा जाता है, तो उसका प्रोसीजर इनका इतना लम्बा है कि उस गरीब आदमी के जो आडिट के माध्यम से न्याय पाना चाहता है वह असिस्टेंट रजिस्ट्रार से लेकर ऑडिट से जाते-जाते शायद रजिस्ट्रार तक उसको कोई न्याय नहीं मिल पाता। माननीय सभापति महोदया, मैं सहकारिता मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि आडिट विंग जो आपकी है, जिसका महज काम ही इस भ्रष्टाचार को रोकना है, इस घपलेबाजी को रोकना है, उस ऑडिट विंग को आप इतना सर्तक करें कि

(156)

(श्रीमती शशीदत्ता)

जो रिपोर्ट वह दे उसके ऊपर तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिये। सहकारिता मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जो इस विभाग में-

श्री नन्दलाल मीणा : टाइम हो गया।

श्रीमती शशीदत्ता : नन्दलालजी प्लीज, डोंट डिस्टर्ब। माननीय सभापति महोदया, सहकारिता मंत्रीजी से मैं एक निवेदन और करना चाहूंगी कि इन अपैक्स सैक्रेटरी के साथ-साथ दूसरे जो अहम सवाल हैं, इस सहकारिता विभाग में लोन लेने और देने की जो प्रक्रिया है, क्योंकि यह किसानों से सीधा जुड़ा हुआ विभाग है, इसलिए इस प्रक्रिया को थोड़ा सरल करें ताकि लोग इस प्रक्रिया में उलझ कर ज्यादा समय खराब न करें। और ईजी वे में उनको लोन मिल जाए तामिक इसका जो मूल उद्देश्य है वह उनको मिल सके।

माननीय सभापति महोदया, दूसरी डिमाण्ड आज कृषि की है । कृषि मंत्रीजी नये-नये बने हैं, मेरे सहयोगी हैं, निर्दलीय हैं, मेरे पास से उठकर गये हैं, मैं उधर से इधर आयी और वे उधर गये हैं तो एक्सचेंज आफ पावर्स हुआ है इसलिए थोड़ा सा ध्यान मेरी तरफ देवें आप। माननीय मंत्री महोदय, कृषि महकमे के, कई पार्ट कर दिये हैं, कोई सी.ए.डी. में चला गया, कहीं विपणन बोर्ड में चला गया और कहीं कृषि में चला गया। जो इसका मूल उद्देश्य था, कई भागों में बंट गया इसलिए लगता नहीं कि कुछ कार्यवाही हो पाएगी, तो माननीय मंत्रीजी आज कृपया मेरी बात को गौर से सुनें और मुझे उम्मीद है कि आप इस पर काम करेंगे।

माननीया सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में आज जो कृषि का स्कोप है, बहुत ज्यादा है। मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आती हूं, माननीय मंत्री महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक बहुत ही उन्नत किस्म का चावल पैदा होता है जिसकी बहुत बड़ी डिमाण्ड है और पानी की भी कमी नहीं है। लेकिन एक झमेले में वह उलझकर रह गया है कि यह विभाग कई विभागों में बंट गया है। मेरी लम्बी समय तक, कृषि मंत्रीजी, यह डिमाण्ड रही है कि जब इन्दिरा गांधी नहर में पानी की बहुतायत हो जाती है। जैसा अभी रैनी सीजन चल रहा है। एक मिन्ट,

(समय- समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत ही I am going to raise this question माननीय मंत्रीजी, इन दिनों में जब बारिश होती है उन दिनों में आई. जी. एन. पी. में पानी बहुत ज्यादा आता है और उस एक्सेस आफ वाटर को अप घग्घर फ्लड में डाइवर्ट कर देते हैं। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल करना चाहूंगी कि इन दिनों में वह पानी एक्सेस हो जाता है

(श्री मती शशीदत्ता)

और उस एक्सेस पानी को, जो वेस्टेज आफ वाटर होता है, मैं यह चाहती हूं कि इन्हीं दिनों में राइस का प्लांटेशन होता है अगर वह पानी आपकी घग्घर फ्लड का राइस बैल्ट को दे दिया जाए जिसका आपके यहां कोई यूज नहीं है, न नहरी विभाग को कोई यूज है, न कृषि विभाग को कोई यूज है। अगर उस पानी को, उस बैल्ट को राइस बैल्ट घोषित करके पानी दे दिया जाए तो, माननीय सभापति महोदया, मैं कृषि मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि वह खुद यह मौका देखें और आने वाले समय में कृषि मंत्रीजी आपका नाम होगा कि कृषि मंत्रीजी ने नहीं किया लेकिन निर्दलीय मंत्री थोड़े समय के लिए बने थे, मेरी तरह आप भी राठौड़ी नें कर जाना । एक और, सभापति महोदया, मैं इनसे—

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्रीमती शशीदत्ता : आप तो महिला हैं। सभापति जी, आप ध्यान दें थोड़ा।

श्री सभापति : देखिये आप समापन करें, समाप्त हो गया।

श्रीमती शशीदत्ता : माननीय सभापति महोदया, जो मेरे सामने एक अहम सवाल है, हालांकि यह कृषि मंत्रीजी से सम्बन्धित नहीं है लेकिन सी. ए. डी. से सम्बन्धित है।

श्री सभापति : फिर आप अभी नहीं बोलें, अगर अपके विषय में सम्बन्धित नहीं है तो समापन कर दें।

श्रीमती शशीदत्ता : बताना पड़ेगा।

श्री सभापति : नहीं, बताना नहीं। आज डिमाण्ड है, विषय पर बोलिये और विषय नहीं है तो बैठ जाइये।

श्रीमती शशीदत्ता : अच्छा, एक और सुझाव है। दूसरा मेरा एक सुझाव, कृषि विपणन के शायद माननीय सुजान सिंहजी मंत्री है, तो मैं यादव साहब से यह निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला कृषि प्रधान होने के साथ-साथ वहां पर फलों का भी बहुत उत्पादन होता है, जैसे किन्नू माल्टा काफी मात्रा में होता है लेकिन माननीय मंत्री जी, आज तक आप लोग पांच साल के इस पीरियड में ढोल तो बहुत पीटते हैं कि हमारी भाजपा ने यह कर दिया, भाजपा ने वह कर दिया लेकिन माननीय सभापति महोदया, हमारे एरिया में इन्होंने आज तक सोचा तक नहीं कि कोई ऐसा प्लांट लगाया जाए जिससे वहां के रहने वाले लोगों को उसका बेनिफिट मिल सकें, उसका उचित दाम मिल सकें। किन्नू जो दिल्ली में 58 रुपये प्रति किलो मिलता है, माननीय सभापति महोदया, तीन रुपये किलो, हमारे यहां गाय भी नहीं खाती तो यह कहते हैं कि कृषि के क्षेत्र में हम उन्नति कर रहे हैं लेकिन उन लोगों को जो कृषि उत्पादन करते हैं, माननीय गुरजंट सिंहजी अगर यहीं हो, तो उनको पूछें कि जब किन्नू ज्यादा मात्रा में होता है तो 2 रुपये, 3 रुपये किलो मिलता है तो आपसे मेरा निवेदन है कि कोई आप ऐसा प्लांट जैसे पंजाब में लगे

(श्रीमती शशीदत्ता)

हुए हैं, ऐसे प्लांट हमारे व जिले में लगाए ताकि हमारे लोगों को रोजगार मिले और उसके माध्यम से उनके उचित मूल्य भी मिले।

दूसरा, मैं कृषि विपणन के मंत्रीजी से निवेदन और करूंगी कि, माननीय मंत्रीजी, सबसे बड़ी समस्या बीज की है। बीज समय पर नहीं मिल पाता। जैसे पिछली बार हमारे

(15.05 बजे)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

यहां जो नरमा और कपास का बीज लोगों ने बेचा, दुकान वालों ने बेचा, दुकानें में जो उपलब्ध था वह पिछली बार हालात यह थी, कृषि मंत्री महोदय, कि एक बीघा जमीन में एक क्विंटल नरमा कपास नहीं हुआ। उसका यह कहा आपने कि कीड़ा लग गया, सूण्डी लग गयी लेकिन बीज ही ऐसा था कि बिलकुल टीण्डा बहुत बड़ा लगा लेकिन उसमें बिलकुल फसल नहीं हुई माननीय मंत्री महोदय, आपसे यह निवेदन करना चाहूंगी कि आपके पास एजेंसीज है, आपके पास एक्सपेरीमेंट के साधन हैं, आप पहले उन बीजों का कृपया एक्पेरीमेंटल तौर पर यह देख लें कि क्या इसमें किसानों को कुछ फादया होने वाला है या आप नॉन कमीशन्ड जो लोग हैं उनको वितरित करते हैं उन पर थोड़ा कंट्रोल रखें। अगर उस किसान को इस जमीन में लास होता है तो उसके ऊपर कोई ऐसी धारा होनी चाहिए कि जो उस बीज को बेचता है, कितने महंगे बीज और दवाइयां किसान खरीदते हैं, उसके बाद अगर उनको कोई फायदा नहीं मिलता, तो नुकसान होता है, तो यह कमीशन एजेंट्स जो मण्डियों में बैठते हैं, इनके यहां लाइसेंस लेकर जाते हैं दवाइयों का, खाद का, बीज का, उनके ऊपर थोड़ा बहुत दोषारोपण होना चाहिए ताकि वह भविष्य में थोड़ा डर मानें कि ऐसी दवाई या ऐसे बीज हमने दुबार दिये तो इसके नुकसान के भागीदार हम भी होंगे।

मैं सबसे लास्ट में माननीय पशुपालन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगी कि पशुपालन मंत्रीजी से मुझे कोई शिकायत नहीं। वे पहले ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने शायद किसी को नाराज नहीं किया और...

श्री जोगेश्वर गर्ग : नाराज करने का तो मौका ही अब आएगा।

श्री सभापति : नाराज ही नहीं किया तो फिर कहना क्या है, बिराजें आप।

श्रीमती शशीदत्ता : एक मिनट, आप तो सुन लें, अभी मंत्री बने ही नहीं, नाराज करने का सवाल कब पैदा हो गया। सभापति महोदय, मैं माननीय पशुपालन मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि हमारे यहां पशुपालन का काम बहुत ज्यादा है, माननीय सचिवजी भी बैठें हैं, जिलाधीश रह चुके हैं गंगानगर में, वे जानते हैं इस बात को। दूध भी बहुत ज्यादा वहां से कलेक्शन होता है लेकिन माननीय मंत्री महोदय, सबसे ज्यादा जो दिक्कत है आपके चिकित्सालयों में पशु

(श्रीमती शशीदत्ता):

चिकित्सक बहुत कम हैं। आपने जो नार्म्स पहले रखे थे, मैंने भी आपके नार्म्स पढ़े थे आपने जो दिये थे। जो प्रोसीजर इन्होंने रखा है वह बहुत ज्यदा काम्पलीकेटेड है। उन नार्म्स को अगर कोई गांव पूरा नहीं कर पाता वहां रेल सेवा होनी चाहिए, वहां सड़क सुविधा होनी चाहिए और वह होना चाहिए तभी हम पशु चिकित्सालय खोलेंगे। माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे इस सदन के माध्यम से निवेदन है कि गांवों को सुविधा उपलब्ध करवाना आपका काम है इसलिए अगर कहीं सड़क पहुंचने से रह गयी है तो आपने इतनी सारी नीतियां बनायी हैं, सड़क नीति और इन नीतियों से हटकर के, आप थोड़ा सा अब तक नाराज नहीं किया इसलिए इस बार भी नाराजा नहीं करें। मैं कहूंगी कि 2-4 ऐसी जगह हैं जहां हमारे यहां पशु चिकित्सालय खोले जाएं और मुझे उम्मीद है कि देवड़ा साहब निश्चित रूप से ध्यान देंगे। आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय शांतिलाल खोईवाल- (अनुपस्थित) । माननीय मांगीलाल मेघवाल- (अनुपस्थित) ।माननीय शिव किशोर सनाढ्य ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय सभापति महोदय, आज कृषि सहकारिता और पशुपालन ये तीनों अपने आप में ऐसे विषय हैं जिन विषयों के ऊपर बोलने के लिये बहुत समय चाहिए। क्योंकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इसके अन्दर जितना सहकारिता के क्षेत्र में काम हुआ है, पशुपालन क्षेत्र में जितना काम हुआ है और कृषि में हुआ है उन सबका वर्णन करने के लिये काफी समय चाहिए।

सबसे पहले मैं सहकारिता मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं कि इनके आने के बाद, जैसा अभी शशीदत्ताजी बता रही थीं कि भ्रष्टाचार, जिस भ्रष्टाचार के बारे में इस सदन में वर्षों तक सहकारिता विभाग के ऊपर आरोप लगते रहे और जिस तरीके से आरोप लगे, वह इस सदन की पुरानी कार्यवाही में अगर पढ़ें उन सबको तो लगता है जैसे सारी सहकारिता का जो काम था जैसे वह भ्रष्टाचार में ही अनन्त डूबी हुई थी। लेकिन यादव साहब के मंत्री बनने के बाद जिस तरीके से सहकारिता विभाग में काम हुआ है और उसकी जितनी सराहना की जाए, क्योंकि केवल राजस्थान के लोग नहीं बल्कि जो केन्द्र में भारतीय कृषि अनुसन्धान है उसने भी इनकी तारीफ की है। इनकी, राजस्थान की जो चार सहकारी संस्थाएं हैं उनको पुरस्कृत करने की दृष्टि से उन्होंने पुरस्कार दिये हैं। इनके प्रबन्ध, इनकी क्षमता और इन्होंने जिस तरीके से व्यवस्थाएं की हैं उसका ही परिणाम है कि अगर उन आंकड़ों को उठाकर देखा जाए, मैं सदन का बहुत समय आंकड़ों में नहीं लूंगा लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि क्रय-विक्रय समितियां जितना काम करती थीं कैनफेड उपभोक्ता भण्डार, राजफैड स्पिनफैड, तिलम

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

संघ, केशवराय शुगर मिल, कॉटन कॉम्पलेक्स ग्राम सेवा सहकारी समितियां इन सबका अगर आप विवरण देखें तो इन्होंने करोड़ों रुपये का व्यवसय किया है। उनके अगर मैं आंकड़ें दूं तो 1990-91 में और 1996-97 में कितना फर्क आया है, चौगुना, कहीं पांच गुना, कहीं छह गुना इतना फर्क आया है। इसके लिये इनका जो प्रबन्ध है, इनकी जो कुशलता है उसके कारण से आया है। चाहे वह ऋण देने की क्षमता हो, चाहे ऋण की वसूली की क्षमता है, इन सबके अन्दर सहकारी समितियों ने कमाल किया है।

मैं एक निवेदन निश्चित रूप से करना चाहूंगा कि तिलम संघ घाटे में है लेकिन तिलम संघ के घाटे में रहने के बावजूद भी जिस तरीके से राजस्थान के अन्दर तिलम संघ ने आज मिलिट्री के अन्दर यहीं का तेल जाता है और वे सारा तेल यहां से खरीदते हैं। उसकी इतनी प्रशंसा उन्होंने की है कि अन्य स्थानों से जो तेल खरीदते हैं उसमें और यह जो तेल है यह बहुत अच्छा है। (व्यवधान) अब यह घाटे में तो जाता है, इन्हें सेल टैक्स देना पड़ता है, पूरा तौलना पड़ता है। तो जब पूरा तोलेंगे, पूरा काम करेंगे तो घाटे में जाएगा ही।

मैं सहकारिता मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि महाराष्ट्र में जिस तरह से उन्होंने प्रबन्ध किया है कि दूसरा कोई कॉटन नहीं खरीद सकता है। केवल सहकारी समितियां ही खरीद सकती हैं। उसी तरीके से जो तिलहन है, क्योंकि यहां पर जो तिलहन उत्पादन की 167 उत्पादक सहकारी समितियां हैं जिनमें 1.7 लाख परिवारों के लोग लगे हुए हैं तो क्यों नहीं ऐसा कानून बना देते महाराष्ट्र की तरह से केवल सहकारिता के लोग ही तिलहन उत्पादन को राजस्थान में खरीद सकें।

मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 1990-91 में साढ़े दस करोड़ का तिलम संघ ने व्यवसाय किया था लेकिन 1996-97 में यह व्यवसाय 105...... (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : घाटा कितना हो गया ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : वही मैं निवेदन कर रहा हूं कि घाटे का कारण क्या है। घाटे का कारण बेईमानी नहीं है। घाटे का कारण तो पूरा तौलना है।

श्री परसादीलाल मीणा : आपको यह बात किसने समझा दी कि पूरा तौलना घाटे का कारण है, किसने समझा दिया आपको।

श्रीमती शशीदत्ता : आप कृषि सचिव रहे हैं, साहब। समझाइये इन्हें।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि साढ़े दस करोड़ थे। 1990-91 के अन्दर लेकिन 1996-97 के अन्दर 105.62 करोड़ रुपये इनका हो गया तो इन्होंने इतना उसका उत्पादन किया है, सेल बढ़ायी है, व्यापार किया है। इसके

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

लिये निश्चित रूप से, और जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि घाटे का क्या कारण है, घाटे का कारण तो टैक्स देने पड़ते हैं, वह भी इन्हें देने पड़ते हैं ईमानदारी के साथ में। इनको अच्छी चीज भी देनी पड़ती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : माननीय सदस्य, घाटे का मेन कारण है इनके प्लान्ट चालू होने से पहले तिलहन खरीदकर रख लेना। कोटा सोयाबीन प्लान्ट कब चालू हुआ है और इन्हें सोयाबीन खरीदे हुए कितने वर्ष हो गये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से ऐसा होता होगा। मैं इससे सहमत हूं लेकिन उसको दूर किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए इन सहकारी समितियों को समाप्त कर दिया जाए। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : और मशीन खरीद ली, मशीन का पेमेंट आज तक नहीं हुआ। आप प्रोफिट की बात कर रहे हैं। (व्यवधान) मशीनें जो खरीदीं उसका भुगतान आज तक नहीं हुआ । (व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : आपका जब राज था तब तो आपने किया नहीं। अब सारे उपदेश चले जा रहे हैं। जब आपका राज था तब आप देते न इन सजेशंस को और उसके आधार पर आप करते।

श्री हरि सिंह (महुवा) : यह आपके राज की देन है।

श्री परसादीलाल मीणा : यह तो आपके राज की देन है तिलम संघ। हमारा कोई लेना देना नहीं है। (व्यवधान) मीठालालजी करके गये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : हम तो, तब से +++ करते रहे और कल तक तो घोटाले होते रहे और आज उपदेश दे रहे हैं।

श्री हरि सिंह (महुवा) : यह तो मीठालालजी का औरस-पुत्र हैं। हमारा कोई लेना देना नहीं है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मेहरबानी करके सुनियेगा और प्रशंसा कीजिएगा सहकारिता मंत्रीजी की कि सहकारी मंत्रीजी ने किसी तरीके से सहकारिता के क्षेत्र में करप्शन मिटाकर अच्छा प्रबन्ध करके, राजस्थान की इज्जत बढ़ाई है। और इसलिए इनको राष्ट्रीय स्तर पर, 4-4 इनकी संस्थाओं को पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ऐसा मैं कहना चाहता हूं।

श्री हरजीराम बुरड़क : आज ही यह कोआपरेटिव बैंक का घोटाला, सहकारिता मंत्रीजी भी यहां हैं और आप भी यहीं खड़े हैं और आज ही अखबार में आया है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : कोआपरेटिव

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

घोटाला हुआ है। जो घोटाले होते रहे हैं उन घोटालों की तरफ ही नजर डालें, अब तो कोई घोटाला होने की सम्भावना नहीं है।

सभापति महोदय, मैं पशुपालन विभाग के लिये भी मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि किस तरीके से पशुपालन विभाग में जो असंतोष को उन्होंने दूर किया है। जिस तरीके से इन्होंने, जो पशुपालन चिकित्सालय थे, वहां जिनका इलाज होता है वह मूक होते हैं वे अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर सकते, वह बता भी नहीं सकते हैं लेकिन इन अस्पतालों का जिस तरीके से प्रबन्ध किया है और खास करके डाक्टर्स को नियुक्त करके जो बरसों से खाली पड़े हुए थे उन अस्पतालों में भी इन्होंने चिकित्सक भेजे हैं।

इन्होंने अपनी कई एजेंसियों के द्वारा ऐसे लोग तैयार किये जो गांव में ऐसे लोग मिल सकें कि छोटी-मोटी चिकित्सा कर सकें, छोटे-मोटे काम कर सकें। इसके लिए भी उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन मैं इसका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पांचवां वेतन आयोग जब यहां राजस्थान में लागू हुआ तो जो मूक प्राणियों की चिकित्सा करते हैं और एक जो बोलते हुए प्राणी की, जो अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है कि मुझे कहां तकलीफ है, उन डाक्टर्स के वेतनमान में और इन वेतनमानों में बहुत अंतर था। उस वेतनमान को केन्द्र के बराबर करके इन्होंने दूर कर दिया और एक असंतोष डाक्टर्स का इन्होंने मिटाया है लेकिन एक दूसरा असंतोष यह बढ़ गया कि जो अन्य डाक्टर्स हैं, जो मेडिकल में काम करते हैं जो वरिष्ठ लोग हैं उनके वेतन में और इनके वेतन में अन्तर रह गया। जिस समय यह किया गया था उस समय एक आश्वासन दिया था कि हम एक समिति बना कर निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे और असंतोष को हटाएंगे। क्योंकि प्रमोशन नहीं होने की वजह से आज प्रमोशन नहीं हो तो भी 9,18,27 में आदमी को लाभ मिल जाता है। लेकिन जिन लोगों को यह लाभ नहीं प्राप्त होता है, उनके प्रमोशन निश्चित रूप से होने चाहिए। और अगर 20-20 साल तक प्रमोशन नहीं हो और जिस तरीके से आपने वेतनमान वरिष्ठ लोगों के और कनिष्ठ लोगों के आप अगर कर देंगे, फिर 30-35 साल तक किसी को प्रमोशन नहीं मिलेगा तो इस दृष्टि से निश्चित रूप से विचार करें। क्योंकि आपने बहुत संतोष दिया है अपने विभाग को। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप पुनः इस बात के ऊपर समिति का गठन करके ध्यान दें। कुछ विशेष वेतन वृद्धियां जो अन्य डाक्टर्स हैं,उनको मिलती हैं लेकिन पशु चिकित्सालय के लोगों को नहीं मिलती तो उनको भी मेहरबानी करके देने की कृपा करें। कृषि के ऊपर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मत्स्य विभाग पर भी मैं यह निवेदन

करना चाहूंगा कि यह जो तालाब हैं, जो धार्मिक स्थानों के तालाब हैं, एक तो वहां पर मछली के ठेके नहीं दिये जाएंगे। और जैसे उदयपुर जैसा शहर है, जिसमें सारे नाले और गन्दगी गिरती है और वहीं का पानी पीते हैं तो वहां पर मछली के ठेके नहीं दिये जाएं। निश्चित रूप से यह एक ऐसा काम होगा कि वह मछली गन्दगी खा जाएगी और लोग उससे बच सकेंगे। यह मेरा आपसे निवेदन है। (व्यवधान) मान्यवर सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, 1960 के अन्दर सारे देश में जब कृषि विश्वविद्यालय खोलना प्रारम्भ हुआ तो 1962 में सबसे पहले दूसरा कृषि विश्वविद्यालय इस देश में अगर कहीं खुला तो वह उदयपुर में खुला। 1962 में कृषि विश्वविद्यालय बनने के बाद इस विश्वविद्यालय को बहु-संकाय बना दिया गया। उसके बाद 1987 में इस कृषि विश्वविद्यालय को बीकानेर ट्रांसफर कर दिया गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इन कृषि विश्वविद्यालयों को खेलने के पीछे जो उद्देश्य है, वह यह था कि वहां पर जो सम्बन्धित तकनीकी विकास किया जाए, उस कृषि के लिये वहां के कृषकों को उसका लाभ मिले और उससे उत्पादन बढ़े, यह उसके पीछे था और इसीलिए इनके साथ में सारे राजस्थान के अन्दर कृषि विज्ञान केन्द्र खोले गये ताकि वहां के कृषकों को यह लोग जो तकनीकी लाभ है, जो तकनीकी लाभ पहुंचा सकें, उन फील्ड के लोगों में इस तरीके का इसका प्रबन्ध किया गया था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं। वह जो सारा सम्भाग है वह रेतीला प्रदेश है, इधर का जो सम्भाग है, वह पहाड़ी, सिंचित क्षेत्र और उसके बाद में पठारी है। दोनों ही जो रिसर्च हैं, दोनों के जो काम हैं, वह भिन्न भिन्न हैं। इसलिए दो कृषि विश्वविद्यालय अगर बनते हैं तो उसकी रिसर्च पर निश्चित रूप से लाभ होगा। यहां के किसानों का आज गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर के जो क्षेत्र हैं, वहां जो कुछ विकास होना है, उसका विकास तो बीकानेर की रिसर्च कर सकेगी और जो उदयपुर के साथ में होना है, वह यहां की कर सकेगी, जिसमें आपका उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ यह सारा क्षेत्र आ जाता है। राजसमंद भी आता है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जोबनेर का जो कालेज है, यहां दुर्गापुरा का जो काजेल है, वह सारा का सारा बीकानेर के साथ ही रहने वाला है, जो बहुत डवलप्ड है। अपने आप में डवलप्ड है और यह कहा जा रहा है कि एक नया कृषि विश्वविद्यालय बनाने के लिये बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इसलिए आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पर

164

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

आलरेडी जब कृषि विश्वविद्यालय खुला था, तो जिस भवन में खुला था, वह भवन आज भी है। जहां पहले विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बैठते थे, वह स्थान आज भी है। रजिस्ट्रार बैठते थे, वह स्थान आज भी वहां पर है और इस तरीके से कहा गया कि वहां भवन बनाने के लिये आवश्यकता पड़ेगी। और भवन बनाने के लिए आई.सी.ए.आर. पैसा नहीं देगा। एक बहुत पुराने पत्र का, सात-आठ साल पहले एक पत्र आया वहां से, उसका जिक्र किया गया, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को कहना चाहता हूं कि उस पत्र के आने के बाद क्या कोई पत्र दिल्ली को लिखा गया ? दिल्ली में सरकार बदल गयी, कई सरकारें बदल गयीं और उसके साथ नीतियां भी बदल गयी, तो यह नहीं हो सकता कि कृषि के क्षेत्र में....

श्री परसादीलाल मीणा : अब जल्दी लिखो वरना अब वहां की सरकार बदलने वाली है। अब वह जल्दी लिखवा दो।

श्री सभापति : धन्यवाद, समाप्त करिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात कहकर के मेरी बात को समाप्त कर रहा हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कहा गया कि कई करोड़ों रुपये उस पर खर्च होगा। यह करोड़ों रुपया खर्च इसलिए इन्होंने बताया कि वहां पर इंजीनियरिंग कालेज खोलना पड़ेगा। वेटेनरी कालेज खोलने पड़ेगा । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भारत वर्ष के अन्दर 29 कृषि विश्वविद्यालय हैं। 17 के अन्दर वेटिनरी कालेज नहीं है, इंजीनियरिंग कालेज नहीं है। अभी उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हिमाचल जैसा छोटा-सा प्रदेश उसमें दो कृषि विश्वविद्यालय हैं लेकिन दोनों कृषि विश्वविद्यालय के पास में वहां पर अपने इंजीनियरिंग कालेज नहीं है। वहां पर ...

सूचना

अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का विधान सभा के समक्ष प्रदर्शन

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : माननीय सभापतिजी, बाहर दस हजार आदमियों का जुलूस, शिड्यूल्ड कॉस्ट का और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का आया हुआ है। जो जुल्म-ज्यादतियां इस दौर में इस सरकार की रहनुमाई में हो रही है उसके खिलाफ एक जुलूस चलकर आया है इसलिए सदन की कार्यवाही स्थगित करके उस विषय पर चर्चा की जानी चाहिये। क्योंकि अनुसूचित जाति, जनजाति की जो दुदर्शा हुई है ... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। आपने बहुत लम्बा समय ले लिया।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं समाप्त कर रहा हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा : अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्ग के साथ जो अत्याचार हो रहा है ... (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : यह बहुत करंट इश्यू है, माननीय सभापति महोदय, (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : दस हजार आदमी खड़े हैं, बाहर ... (व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मेहरबानी करके, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय सभापति महोदय, यह बाहर जो नीचे जुलूस खड़ा है, कृपया, आप पहले इस पर गर्वनमैंट का जवाब दिलवाइये।

श्रीमती शशीदत्ता : माननीय सभापति महोदय, दस हजार आदमी बाहर आये हुए हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : यह अत्याचार हो रहा है। (व्यवधान) अनुसूचित जाति पर अत्याचार हो रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति आदि के दस हजार आदमी बाहर आये हुए हैं। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : यह अत्याचार हमार कॉस्ट और ट्राइब्स के लोगों के साथ हुआ है... (व्यवधान)

श्रीमती शशीदत्ता : माननीय सभापति महोदय, एस. सी. और एस.टी. के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप मीणा : पहले जवाब दिलाना चाहिये।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : अनुसूचित जाति और जनजाति पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : आप अध्यक्ष हो कल के...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आप विराजें, कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

श्री रामस्वरूप मीणा : अनुसूचित जाति और जनजाति के दस हजार आदमी बाहर आये हुये हैं।

श्री सभापति : अब आपने सूचना दे दी, अब आप विराजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : दस हजार आदमी बाहर खड़े हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री भरत सिंह जी।

श्रीमती शशीदत्ता : आप व्यवस्था दें।

श्री सभापति : माननीय श्री भरत सिंह जी।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर बहुत अत्याचार हो रहा है।

श्री सभापति : कृपया, विराजिये। आपने सूचना दे दी, ठीक है।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिए आप उनकी रक्षा करें। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय सभापतिजी, इस दौर के अन्दर ...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ अत्याचार हुए हैं। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : और उनको खूटे से बांध दिया गया है। (व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप मीणा : और इसके बारे में दस हजार आदियों का जुलूस राजस्थान के सदन के भवन के सामने बैठा हुआ है (व्यवधान)... घोड़ी पर से उतार लिया (व्यवधान)....

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : दलितों के लोगों को न्याय मिलना चाहिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : पहले अनुसूचित जाति के बारे में बोले, पहले एस. सी. और एसटी. के बारे में बोलें।

श्री सभापति : कृपया विराजिये। माननीय भरत सिंहजी। आर्डर प्लीज। माननीय भरत सिंहजी बोलना चाहते हैं ? मैं दूसरे का नाम ले रहा हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा : पहले दलितों के बारे में बोलो, पहले एस. टी., एस. सी. के लोगों के बारे में बोलो।

श्री राधेश्याम गंगानगर : पूरे राजस्थान के अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग ... (व्यवधान)...

श्री सभापति : माननीय श्री भरत सिंह जी। कृपया प्रारम्भ करें।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : हजारों की संख्या में पूरे राजस्थान से कोने-कोने से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हजारों की संख्या में अपने ऊपर अत्याचार को लेकर विधान सभा के सामने आये हैं। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : अनुसूचित जाति और जनजाति के हजारों ... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजें। आप जो बोल रहे हैं, वह अंकित नहीं होगा। अब जो आप बोल रहे हैं, कोई अंकित नहीं होगा।

श्री बनवारीलाल बैरवा : xxx

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : xxx

श्री परसादीलाल मीणा : xxx

श्री राधेश्याम गंगानगर : xxx

श्री रतनलाल ताम्बी : xxx

श्री हरि सिंह (महुवा) : xxx

श्रीमती कमला : xxx

श्री रामस्वरूप मीणा : xxx

श्री सभापति : माननीय सदस्य, हम चाहते हैं कि आप सदन को नियमों के अन्तर्गत चलायें, +++ नहीं बनाये इसको। (व्यवधान)...

श्री रामस्वरूप मीणा : xxx

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

x x x अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री परसादीलाल मीणा : xxx

श्री बनवारीलाल बैरवा : xxx

श्री राधेश्याम गंगानगर : xxx

श्री रतनलाल ताम्बी : xxx

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : xxx

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय रामस्वरूप जी, आप विराजिये। आप पहले ही– मैं माननीय रामस्वरूपजी, आपका नाम ले रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं–

श्री रामस्वरूप मीणा : xxx

श्री सभापति : आप विराजिये।

श्री बनवारीलाल बैरवा : xxx

श्री रामस्वरूप मीणा : xxx

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : xxx

श्री सभापति : अपने स्थान पर विराजें।

श्री परसादीलाल मीणा : xxx

श्री राधेश्याम गंगानगर : xxx

श्री रामस्वरूप मीणा : xxx

श्री सभापति : वे आवश्यक समझेंगे तो ले लेंगे। मैं निर्देश ही दे सकता हूं उनको। अब आप विराजिये। विराजो। वह सही है परन्तु मैं ऐसा निर्देश नहीं दे सकता। कृपया विराजिये। आप अपना स्वयं का समय बरबाद कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : xxx

श्री राधेश्याम गंगानगर : xxx

श्री सभापति : मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि अब आप विराजिये और सदन की कार्यवाही चलने दें। यह क्या हो गया ?

श्री रतनलाल ताम्बी : xxx

श्री रामस्वरूप मीणा : xxx

श्रीमती कमला : xxx

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये। आप सबसे निवेदन है कि आप विराजिये। माननीय भरत सिंहजी।

श्री बनवारीलाल बैरवा : xxx

श्री सभापति : हां, हां, सुन लिया। मैंने देख लिया।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय सभापति महोदय, दलित वर्ग का एक बहुत बड़ा जुलूस कांग्रेस के तत्वावधान में बाहर आया है। हजारों लोगों का और वे ज्ञापन देना चाहते हैं। उनके साथ में जो भेद भाव, अत्याचार, छेड़छाड़ के मामले और एट्रोसिटीज एक्ट के सम्बन्ध में उनको आर्थिक सहायता से महरूम रखा जा रहा है। रोस्टर प्रणाली में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया गया और मितव्ययता के नाम पर आपने भर्ती पर जो रोक लगा रखी है इससे बेरोजगारी में लगातार वृद्धि हो रही है और भी एक तरत से इनके साथ क्रूर अत्याचार और अन्याय हो रहे हैं उसके सम्बन्ध में एक ज्ञापन देना चाहते हैं और इसका सीधा सम्बन्ध सरकार के कुछ दूसरे विभागों से हैं, पर जो आज नकेल डालकर घुमाना, इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं,

---

x x x अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री परसराम मदेरणा)

इसका सीधा सम्बन्ध गृह मंत्रीजी से हैं। गृह मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि आप पधारकर वह ज्ञापन लेने का कष्ट करें।

श्रीमती कमला : शांतिपूर्वक देंगे।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मेरा ऐसा ख्याल है कि प्रतिपक्ष के नेता महोदय इस बात से सहमत होंगे कि उनका ज्ञापन पांच व्यक्ति, सात व्यक्ति जितने भी आप चाहें, वह यहां आकर विधान सभा में यह पहली बार नहीं है, हमेशा प्रदर्शन आते रहे हैं, और चालीस वर्ष तक आपके वक्त भी आते रहे थे, प्रतिनिधि मण्डल भी आते रहे हैं, प्रदर्शन भी होते रहे हैं और मैं इसलिए, सभापति महोदय, आपके द्वारा प्रतिपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह पांच आदमियों, सात आदमियों का प्रतिनिधि मण्डल बुला लें, मैं उनसे वहां ज्ञापन ले लूंगा और उस पर यथोचित कार्यवाही करूंगा। उस पर मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री सभापति : सही है, हो गया। माननीय श्री भरत सिंहजी। ... (व्यवधान)... आपका पूरा हो गया। (व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मेरी एक-दो बात रह गयी। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपका पूरा हो गया। आप बातें रिपीट कर रहे हैं।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : एक मिनट की बात रह गयी है। अगर आप टाइम दे तो मैं पूरा कर लेता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : हां, करिए पूरा।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं निवेदन कर रहा था, सभापति महोदय...(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : जैनियों का ज्ञापन देने के लिए मुख्य मंत्रीजी स्वयं बाहर गए। क्या आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का ज्ञापन लेने बाहर नहीं जा सकते ? नहीं जा सकते तो आप कह दो नहीं जा सकता। आपको जाना चाहिए। जाना चाहिए वहां पर ... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह व्यवस्था हो गयी, अब आप बिराजें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बिराजें। व्यवस्था हो गयी है। व्यवस्था हो गयी है उन्होंने कह दिया पांच सात आदमी आ जाएं, ज्ञापन ले लेंगे। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : व्यवस्था क्या हो गयी ?

श्री रामस्वरूप मीणा : यह वहां तक नहीं जा सकते। वहां से तो सात आदमी आएंगे और ये वहां नहीं जा सकते। इतने बड़े + + + हैं क्या यह जो यह तो नहीं जा सकते ? (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : मुख्य मंत्रीजी स्वयं गये थे... (व्यवधान)

श्री सभापति : बात हो गयी है। जा रहे हैं, लेने गये हैं।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री परसादीलाल मीणा : बात क्या हुई है ? (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : आदरणीय सभापति महोदय, इसी हाउस में पिछले सत्र में जैन मुनि की मृत्यु के बाद माननीय मुख्य मंत्रीजी स्वयं पधारे थे नीचे...... (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : पूरे राजस्थान के जैनी नीचे आए थे। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपके नेता महोदय ने ध्यान आकर्षित कर दिया है, व्यवस्था हो गयी है। (व्यवधान) मेरा आपसे नम्र निवेदन है कृपया बिराजें। (व्यवधान) सदन की कार्यवाही को आगे चलने दें। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : कार्यवाही नहीं चलेगी। पहले गृह मंत्रीजी वहां पधारे और उन एस.सी. और एस.टी. के लोगों से वहां जाकर ज्ञापन लें। यह पूरे राजस्थान...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सनाढ्यजी, अब आप समाप्त करें। माननीय सनाढ्यजी, समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था... (व्यवधान) आई.सी. ए.आर. उसके लिए पैसा देगा ...... (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : एस.सी. और एस.टी. के लोगों का अपमान होगा। गृह मंत्रीजी स्वयं उस कोटे से मंत्री बने हुए हैं और उन एस.सी. और एस.टी. के लोगों से ज्ञापन लेने से कतरा रहे हैं, यह उचित नहीं है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : दिल्ली से और उन्होंने कहा हम कृषि विश्वविद्यालयों को अनुदान नहीं देते। हम तो जो योजनाएं चलती हैं उनको देते हैं और कालेज के हिसाब से देते हैं । (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सनाढ्यजी, समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : तो पैसे की कहीं दिक्कत नहीं है। उदयपुर के अन्दर न किसी तरह का अनुसंधान केन्द्र बनाने की आवश्यकता है। न वहां डायरेक्टर रिसर्च की जरूरत है। (व्यवधान) वहां पर किसी तरह की कोई...... (व्यवधान) आवश्यकता नहीं है और बीकानेर के अन्दर जितनी बिल्डिंग्स बननी थी उन सबके लिए अनुदान दिया हुआ है और वर्ल्ड बैंक का जो पैसा मिला है, उससे बीकानेर का कृषि विश्वविद्यालय पल्लवित हो रहा है। (व्यवधान) तो इससे पैसे की कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।

श्री सभापति : जब बात आपने कही है तो आप बिराजिए न। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : गृह मंत्री महोदय ज्ञापन ले लें यह हमारा गृह मंत्री महोदय से कि वह नीचे पधारकर जो 10 हजार, 20 हजार एस.सी. और एस.टी. के लोग आए हैं, उनका ज्ञापन ले लें। (व्यवधान)

श्री सभापति : अब बिराजिए न। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : पूरे राजस्थान से लोग पधारे हैं। एस.सी. और एस.टी. के लोग पधारे हुए हैं। गृह मंत्रीजी, आप यह न भूले कि आप भी एस.सी. के कोटे से मंत्री बने हैं। (व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : (व्यवधान) यह जो कर्मचारियों के सम्बन्ध में कहा जा रहा है, कर्मचारी लोग..... (व्यवधान) जो लोग यहां रह जाएंगे और वहां रह जाएंगे तो उनका भी बंटवारा हो जाएगा। उसमें भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है और टी.ओ. और टी.ए. (व्यवधान)

श्री सभापति : धन्यवाद। अब आप विराजें, सनाढ्य साहब। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : ज्ञापन देने के लिए पधारे हैं तो उनका भी सम्मान होगा और आपका भी सम्मान होगा इसलिए अब (व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : बाकी सारे खर्चे निकल जाएंगे ऐसा मेरा निवेदन है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से अपील करना चाहता हूं कि उदयपुर की जनता की ओर से, उदयपुर से बाहर जाम हुये जो लोग बैठे हैं (व्यवधान) उनका मंत्री मण्डल, मुख्यमंत्रीजी सभी की ओर से मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार..... (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : सब संवेदनशील होकर उस आदिवासी क्षेत्र की तरफ देखें। एस.सी. और एस.टी. के लोग आए हैं। (व्यवधान) ज्ञापन लेने के लिए गृह मंत्री महोदय पधारें।

श्री सभापति : माननीय सनाढ्यजी, समाप्त करें। विराजें। यह बात आप कई दफा कह चुके हैं। अब विराजें न। (व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मेरा यही निवेदन है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय शिवनाथ सिंह जी।

एक माननीय सदस्य : पाइंट आफ आर्डर रेज कर रहा हूं।

श्री सभापति : क्या पाइंट आफ आर्डर है, बोलिए न..... (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आप हमारे साथ..... (व्यवधान) मना कर दिया न गृह मंत्रीजी ने..... (व्यवधान)

श्री हरि सिंह (महुवा) : दोहरी व्यवस्था नीति..... (व्यवधान)

श्री सभापति : पाइंट आफ आर्डर तो सुन लीजिए । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : पहले पाइंट आफ आर्डर यह है कि उठकर के गृह मंत्री जी को नीचे आना चाहिए। यह पहला पाइंट आफ आर्डर है । (व्यवधान)

श्री सभापति : इनका पाइंट आफ आर्डर सुन लीजिए पहले (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : गृह मंत्रीजी नीचे जाएं। यह पाइंट आफ आर्डर है। पाइंट आफ आर्डर है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय रामस्वरूपजी, बिराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : नहीं बिराजें। जब तक यह नीचे नहीं जाएंगे____

श्री सभापति : मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं आपका नाम____ (व्यवधान) इनका अंकित नहीं किया जाए।

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री सभापति : माननीय श्री रामनारायण जी। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सभापति महोदय, एक धर्म विशेष का जुलूस विधान सभा के सामने आया और उस जुलूस को सुनने के लिए और उनको सम्बोधित करने के लिए मुख्य मंत्रीजी नीचे गए थे और गवर्नमेंट के चीफ व्हिप (व्यवधान) और इधर से_(व्यवधान)

श्री हरि सिंह (महुवा) : यह जैनियों के _(व्यवधान) दलित वर्ग आया है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, चौधरीजी को भी सुनिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य बिराजिए। माननीय कोगटाजी, बिराजिए। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, नीचे डेपुटेशन का, जुलूस का ज्ञापन लेने ही नहीं गए थे, उनको सम्बोधित किया (व्यवधान) एक मिनट____ (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया आप उन्हें सुनिए तो सही। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : उनको सम्बोधित किया। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी___ (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री सभापति : यह उचित नहीं है_(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : उनकी बात को सुनकर मुख्य मंत्रीजी ने उनको सम्बोधित किया था। सम्बोधन ही नहीं किया था, सरकार क्या करने जा रही है, क्या निर्णय लिया था, वह नीचे जाकर उनको संदेश दिया था। आज इस प्रदेश के सबसे गरीब तबके के लोग, जो राजस्थान के अन्दर 30 प्रतिशत की एक संख्या बनती है, उनके ऊपर इस अर्से के अन्दर इन चार, साढ़े चार वर्षों में जो जुल्म और ज्यादतियां हुई हैं, उनकी गाथा लेकर और ज्ञापन लेकर विधान सभा के सामने आए हैं। मुख्य मंत्रीजी यहां नहीं है, माननीय गृह मंत्रीजी, क्योंकि उनके स्थान पर हैं, आप उनको क्या एक्शन लेने जा रहे हैं यह मत कहिए और आप क्या करने जा रहे हैं, यह भी मत कहिए। उनका ज्ञापन लेने के लिए वहां जाने तक क्या आपके +++ जो आप वहां तक नहीं जा सकते। अगर आपके +++ दुख रहे हैं तो हम आपको अपने हाथों में ले चलेंगे।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।
x x x अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री रामनारायण चौधरी)

हमारे हाथों पर चल कर के आप उनकी बात सुनिए, उनका ज्ञापन ले लीजिए। हम आपसे यह अनुरोध नहीं करना चाहते हैं कि वहां जाकर के आप उनको भाषण दें। आप उनका ज्ञापन लीजिए। मान्यवर, यह भारी भेदभाव है। यह जबरदस्त भेदभाव है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : xxx

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : एस.सी. और एस.टी. के लोगों के साथ में घोर भेदभाव है। गृह मंत्रीजी जो कि इसी वर्ग से सम्बन्धित हैं, इसी कोटे में गृह मंत्री बने हुए हैं और आज...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : यह जैनी लोग नहीं है, यह सम्पन्न वर्ग नहीं है...(व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : गृह मंत्रीजी, जिस बात पर चर्चा हो रही है...

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने अपनी बात कही, उसके बाद गृह मंत्रीजी ने कही। प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने वह बात मान ली..... (व्यवधान) अब आप अपने नेता की बात नहीं मानते। (व्यवधान) अतिरंजित बनावटी बातें यहां पर करते हैं ...(व्यवधान) और किसी प्रकार से सदन में व्यवधान पैदा करते हैं ।

श्री सभापति : क्या सब एक साथ बोलने से ... (व्यवधान) क्या सब एक साथ बोलें..... (व्यवधान) तो उन्हें बोलिए न आप ...(व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : सभापति महोदय, गृह मंत्रीजी को तुरन्त पहले वहां भेजा जाए चार-पांच मिनट के लिए..... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रतिपक्ष के नेता महोदय के बोलने के बाद और प्रतिपक्ष और सरकार के बीच में बात हो गयी, परन्तु..... (व्यवधान)

श्री हरि सिंह (महुवा) : सचेतक महोदय से पूछिए, भीनमाल प्रकरण में मुख्य मंत्रीजी स्वयं नीचे क्यों गए थे ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : परन्तु आपके कहने के बाद भी उन्हें अपने नेता के प्रति विश्वास नहीं है और उनके नेता ने कहा, उनका उन्हें कोई भरोसा नहीं है और इस प्रकार की जो घटनाएं हुई हैं, इस प्रकार की अतिरंजित बनावटी..... (व्यवधान) ज्ञापन लेने में कोई एतराज नहीं है। (व्यवधान) प्रतिनिधि मण्डल आ रहा है..... (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : सभापति महोदय, बहुत ही गंभीर मामला है। (व्यवधान) बहुत ही गंभीर मामला है आज राजस्थान के 30 परसेंट एस.सी. और एस.टी. के लोग, आदिवासी लोग, अल्पसंख्यक लोग, दलित लोग आए हैं ज्ञापन देने के लिए, उसको गृह मंत्रीजी लेने भी नहीं जा रहे हैं। (व्यवधान)

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री जगदीप धनखड़ : Chief whip will never sit.

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कहा है कि ज्ञापन देने के लिए आ रहे हैं ओर उनसे मिलने की बात हो मयी। अब उसके बाद (व्यवधान) पहले इन्होंने कहा लाठीचार्ज हो गया या ऐसा हो गया। अतिरंजित बनावटी बातें और जहां तक मिलने का सवाल है, यह यहां पर केवल भाषण देने के लिए कहते हैं, मैं पूछता हूं आप तो मिल आए क्या ? आपके +++ लगी है, क्या आपके +++ हैं ? मैं पूछता हूं आप लोग मिल आए क्या ? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : हमारे नेता महोदय गए हुए हैं। हाउस खाली कर दें क्या ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसका मतलब यह लगाया जाए कि आप मिलने नहीं गए तो आपके +++ और आपकी श्रद्धा नहीं है जाने की। आपका कोई +++ (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपको जाना चाहिए...(व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : हम जाएंगे, पहले गृह मंत्रीजी को भेजकर जाएंगे। (व्यवधान) पहले गृह मंत्रीजी को भेजेंगे फिर महावीर जी, हम जाएंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बनावटी बातें, अतिरंजित बातें (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : बनावटी बातें आप कर रहे हैं। (व्यवधान) आप एस.सी., एस.टी. विरोधी हो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : परम्पराओं को बनाये रखें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : +++ बैठ जाइये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एम.पीज को छुपा कर रखा था (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : एस.सी., एस.टी. के बारे में ...(व्यवधान)...

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : आप एस.सी., एस.टी. विरोधी हो, महावीरजी, बनावटी बातें आप कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : उनियारा के मामले में भी यहां इन्होंने.... (व्यवधान)

श्री सभापति : एक साथ आप बोलेंगे तो कुछ मतलब नहीं है। आप एक-एक करके बोलें तो सब की बात सुनी जा सकती है। (व्यवधान) यहां आप सब लोग खड़े हो गये (व्यवधान) क्या बात सुनी जा सकती है।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : आप उनका अपमान कर रहे हैं। गृह मंत्रीजी को जाना चाहिए। (व्यवधान) त्याग पत्र दे देना चाहिये।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : आप बिराजें। एक-एक करके बोलें। (व्यवधान) सभी क्यों खड़े हो गयें ? यह सुनने की बात ही नहीं है यह तो आवाज करने की बात है। (व्यवधान) सब लोग एक साथ आवाज करेंगे तो फिर कौन सुनेगा ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : हाउस को + + + कर रखा है। (व्यवधान)

श्री सभापति : एक की बात खतम हो तो दूसरे की बात हो, तीसरे की बात हो तो बात सुनी भी जाए, अंकित भी हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, यह सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री सभापति : जब पांच माननीय सदस्य खड़े हो रहे हैं तो क्या अंकित होगा और क्या सुना जाएगा ? बिराजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, पहले मेरी बात तो पूरी होने दें।(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : आप बैठाइये इनको, ask him to sit down. This is not the decorum of the House.

श्री सभापति : बिराजिये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या डेकोरम है। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भीनमाल प्रकरण को लेकर इस सदन में चर्चा हुई। इस सदन में चर्चा के पश्चात् सदन के नेता महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि मैं सुपरिन्टेन्डेंट आफ पुलिस को सस्पैंड नहीं करूंगा और मैं उसका तबादला करूंगा। यहां पर काफी लोगों ने कहा कि अत्यन्त गम्भीर मामला है। उन्होंने कहा, देखो, सरकार ने मानस बना लिया है और सरकार ने मानस बनाया है कि एस.पी. को हम तबादला रखेंगे हम उसको सस्पैंड नहीं करेंगे। सभापति महोदय, उसके बाद जुलूस आता है। इस सदन में कही हुई बात को मुख्य मंत्रीजी ने बाहर बदला और बाहर बदल कर उनसे मिले, उनसे ज्ञापन स्वीकार किया। सदन चल रहा था फिर भी घोषणा की कि उसको निलंबित करते हैं। आज भी स्थिति यह है कि दलित बाहर खड़े हैं और गृह मंत्रीजी जो उसी वर्ग के हैं, बड़ी सरलता से कह दिया परम्परा नहीं है और मिलेंगे नहीं। सदन का अनादर करते हुए कटारियाजी उद्वेलित हो गये और मुख्य मंत्रीजी ने खुद बाहर जाकर (व्यवधान).

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : इनके द्वारा प्रायोजित है। पैसे देकर लोगों का इकट्ठा कर के ला रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : अब बिराजें, माननीय गृह मंत्री महोदय बोल रहे हैं। (व्यवधान) अब आप बिराजें, गृह मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : आजादी के पचासवें साल के...... (व्यवधान)

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : लम्बा भाषण नहीं।

श्री जगदीप धनखड़ : आज यह करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : सभापति महोदय, यह दल 40 साल तक शासन में रहा है और दलितों के लिए आज +++ बहा रहा है। (व्यवधान) आज अगर 40 साल तक एस.सी., एस.टी. को पक्का वोट बैंक मान कर और पीछे रखने वाले..... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : दलित और कांग्रेस का चोली दामन का साथ है। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : उनको अशिक्षित रखने वाले, उनको आर्थिक दृष्टि से कमजोर रखने वाले, उनको सामाजिक दृष्टि से पीछे रखने वाले, उनको सांस्कृतिक दृष्टि से आगे नहीं आने देने वाले... (व्यवधान) इतिहासकार कहेंगे कि..... (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : आपके नाम का जुलूस लेकर आये हैं वो (व्यवधान)

आपने जो अत्याचार किये हैं चार साल में (व्यवधान) आपके नाम का जुलूस लेकर आये हैं वो। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : अगर किसी के साथ धोखा हुआ है तो उस कांग्रेस पार्टी ने एस.सी. और एस.टी. के साथ धोखा किया है। यह एस.सी., एस.टी. के अपराधी हैं (व्यवधान) आज +++ बहा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : गृह मंत्रीजी, आप भी कांग्रेस की देन हो। (व्यवधान) आप भी कांग्रेस की देन हो, आपको गृह मंत्री बना दिया, यह कांग्रेस की देन है। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : 40 साल तक आपने एस. सी., एस. टी. को बरगलाए रखा .. (व्यवधान) वोट लेते रहे... (व्यवधान)..

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : यह कांग्रेस की देन है आपको गृह मंत्री बना दिया । .. (व्यवधान) उसके फलीभूत ही आप गृह मंत्री बने बैठे हैं और आप उनका अपमान कर रहे हैं .. (व्यवधान).. आप राजस्थान के 30 परसेंट लोगों का .. (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : मैं कहना चाहता हूं कि, जो घटना इन्होंने बतायी (व्यवधान) यह घोड़े से उतारने वाले कौन थे? ..(व्यवधान)..

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : आप बनावटी बातें कर रहे हैं, गृह मंत्री जी +++ आप बहा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : सारे कांग्रेस के समर्थक थे। मीणा लोग, गूजर लोग कांग्रेस के समर्थक .. (व्यवधान)..

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : यह कांग्रेस की देन है कि आप गृह मंत्री बने बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : राजनीति करना चाहते हैं .. (व्यवधान)..

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह जमींदार हैं, यह राजा है। .. (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराजें। माननीय धनखड़जी, विराजें। इस बात का पटाक्षेप करें।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : आपके बी. जे. पी. के टाइम में एस. सी., एस. टी. के साथ ...(व्यवधान)... बलात्कार, अत्याचार, दुराचार ...(व्यवधान)... भारतीय जनता पार्टी के राज में हुए हैं।

श्री सभापति : अब आप विराजें, माननीय सदस्य । (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : कांग्रेस के समर्थकों ने जगह-जगह पर एस.सी., एस. टी. के लोगों को घोड़े से उतारा...(व्यवधान)...मीणों ने उतारा, गूजरों ने उतारा ...(व्यवधान)...यह एस. सी. , एस. टी. के नाम पर राजनीति करने वाले...(व्यवधान)...

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : एस. सी. और एस. टी. पर आपने अत्याचार किये हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति : माननीय धनखड़जी। यह उचित नहीं है। आपसे निवेदन कर दिया उन्होंने जो कहना था कह दिया उसके बाद अगली बात चलने दीजिये न ... (व्यवधान)... आप किसी पर दबाव नहीं डाल सकते।

श्री कैलाश मेघवाल : आप एस. सी., एस. टी. के अपराधी हैं। इतिहासकार ...

श्री परसादीलाल मीणा : अत्याचार करवा रहे हो आप ...(व्यवधान)...

श्री कैलाश मेघवाल : एस. सी., एस. टी.+ + + हैं आप लोग । (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : गृह मंत्रीजी, कांग्रेस के टाइम में ऐसा नहीं था । (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय भरत सिंह जी। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : यह तो भारतीय जनता पार्टी के राज में एस. सी., एस. टी. पर अत्याचार हो रहे हैं — (व्यवधान)... यह आपके राज में हो रहा है।

श्री कैलाश मेघवाल : एस. सी., एस. टी. की तरक्की में 40 साल तक आपने बाधा डाली है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय भरत सिंह जी कृपया बोलें। (व्यवधान) आप बोलना शुरू कीजिये यह विराज जायेंगे। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : 40 साल तक धोखा दिया एस. सी., एस. टी. को, 40 साल तक एस. सी., एस. टी., को पक्का वोट बैंक माना है, 40 साल तक उनकी स्थिति ठीक नहीं होने दी।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : बनावटी बातें कर रहे हो, गृह मंत्रीजी।...(व्यवधान)...

श्री कैलाश मेघवाल : राजस्थान के मुख्य मंत्री ने कहा एस. सी. की आर्थिक सम्पन्नता के लिए कुछ करो, 1977 में पहली बार ...(व्यवधान)...

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : आप +++ वहां चलिये आपके लग रही है क्या ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मीणों, गूजरों के बारे में कहा, वह गलत कहा है । (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : प्राथमिकता के आधार पर एस. सी., एस. टी. के लोगों के लिए ..(व्यवधान)..

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : अब अगले चुनाव में .. (व्यवधान).. लोक सभा चुनाव में तो आप हार गये हो दुबारा एक वोट नहीं मिलेगा आपको एस. सी., एस. टी. का।

श्री कैलाश मेघवाल : सभापति महोदय 40 साल में भी पुलिस में कभी कोटा पूरा नहीं दिया..(व्यवधान).. मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने 1977 में, सम्पत रामजी गृह मंत्री थे, पुलिस की भर्ती में कोटा पूरा किया गया। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : गृह मंत्रीजी, आपने यही हठधर्मिता की ..(व्यवधान)..

श्री कैलाश मेघवाल : पांच सालों से पुलिस की भर्ती का कोटा पूरा किया जा रहा है।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : मैं वायदा करता हूं कि एस.सी., एस.टी. का आपको एक वोट भी नहीं मिलेगा। (व्यवधान) आप एस.सी., एस.टी. विरोधी हैं। सिंगल वोट नहीं मिलेगा आपको।

श्री कैलाश मेघवाल : और इनके वक्त में सिपाही भी नहीं थे। (व्यवधान) इतिहासकार इस बात को कहेंगे बीसवीं सदी में इस देश के दलितों के साथ, गरीबों के साथ, एस.सी., एस.टी. के साथ अगर कोई राजनैतिक धोखा हुआ है तो वह धोखा करने वाली.... (व्यवधान) यह कांग्रेस के पास है।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : गृह मंत्रीजी बनावटी बातें करते हैं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : इनको पूछिये कि गूजर कौन हैं, मीणा कौन हैं ? (व्यवधान) मीणा अनुसूचित जनजाति है राजस्थान में और गूजर.... (व्यवधान) यह इस प्रकार की बातें कर रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : आज यह मुझे कहते हैं। (व्यवधान) आज इनके हाथ से वोट बैंक खिसक गया है। आज एस.सी., एस.टी. गुलाम नहीं रहा है। आज एस.सी., एस.टी. इनके कब्जे में नहीं रहा है। (व्यवधान) इसलिए

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : गृह मंत्रीजी, आज पूरे राजस्थान से अनुसूचित जाति, जनजाति के दलितों के हजारों लोग विधान सभा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर आप उस वर्ग को रिप्रजेंट करते हैं तो उनका ज्ञापन लीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : योजनाबद्ध तरीके से नाक में नकेल डाली व नकेल डालने वाले सब कांग्रेस के समर्थक गूजर हैं।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री कैलाश मेघवाल)

(व्यवधान) वो कांग्रेस को वोट देने वाले लोग हैं, कांग्रेस का प्रचार करने वाले लोग हैं उन्होंने वह नकेल डाली है। गुलाम बना रखा है। यह तर्क नहीं है। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : + + +

श्री सभापति : माननीय रामस्वरूप जी, अपने स्थान पर जाएं। मैं माननीय रामस्वरूप जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे अपने स्थान पर जाएं। अपने स्थान पर जाकर बोलें।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : सभापति महोदय, गृह मंत्रीजी को आप प्रताड़ित करें, + + + बातें कर रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : आज 50 साल बाद भी एस.सी., एस.टी. का व्यक्ति गरीब है, पिछड़ा हुआ है, आर्थिक दृष्टि से... (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : सभापति महोदय, आप गृह मंत्रीजी को प्रताड़ित करें कि ऐसी अनर्गल बातें नहीं करें। (व्यवधान)

श्री सभापति : श्री रामस्वरूप जी, आप अपने स्थान पर जाएं। (व्यवधान) यह नहीं चलेगा जैसा आप कर रहे हैं। आप अपने स्थान पर जाएं। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : सभापति महोदय, सदन का समय नष्ट कर रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : यह एस.सी. के अपराधी लोग, यह एस.सी. के + + + लोग.... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मुझे विवश होकर आगे कार्यवाही करनी पड़ेगी। आप कृपया अपने स्थान पर जाएं। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : उनका ज्ञापन लेने के लिए नीचे जाया जाय। (व्यवधान) यह समय नष्ट कर रहे हैं।

श्री सभापति : मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे कि आप अपने स्थान पर जाएं।

श्री कैलाश मेघवाल : 40 साल तक क्या किया है ? तथ्य लाओ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपको मंत्री बनाया, यह हमने किया है। (व्यवधान) राजस्थान का होम मिनिस्टर बनाया है।

श्री कैलाश मेघवाल : राजनीतिक भागीदारी नहीं दी, इन्होंने आर्थिक भागीदारी नहीं दी।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह कांग्रेस की व्यवस्थाएं हैं। यह किया है 40 साल में हमने।

श्री कैलाश मेघवाल : इन्होंने 40 साल तक राजनीतिक भागीदारी नहीं दी।

एक माननीय सदस्य : गृह मंत्री के नाम पर + + + हैं। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : यह भैरोसिंहजी शेखावत और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजनीतिक भागीदारी दी है।

श्री रामस्वरूप मीणा : गृह मंत्रीजी + + + हो गये। (व्यवधान)

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : हमारे यह गृह मंत्री एस.सी., एस.टी. विरोधी हैं। (व्यवधान) गृह मंत्री ने नाम पर +++ हैं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : अन्याय कर रहे हो आप। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : यह +++ लोग, यह एस.सी., एस.टी. के दुश्मन (व्यवधान) बीसवीं सदी में गरीबों के सबसे बड़े दुश्मन__ (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : सभापति महोदय, सदन का अमूल्य समय नष्ट कर रहे हैं, इनको आप प्रताड़ित करें। ज्ञापन लेने के लिए जाएं। (व्यवधान) एस.सी., एस.टी. विरोधी भाषण दे रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : सभापति महोदय, आज एस.सी., एस.टी. की साक्षरता कितनी है? (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : काहे की साक्षरता ?

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : उन पर जुल्म हो रहा है और आप साक्षरता की बात कर रहे हो__ (व्यवधान) एस.सी., एस.टी. पर जुल्म हो रहा है। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : 40 साल तक राज करने वालों ने उनको अंगूठा छाप बना कर रखा है__ (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : गृह मंत्रीजी, कृपया आप उनके पास जाइये और उनका ज्ञापन लीजिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह कांग्रेस की नीति का सवाल है कि आज राजस्थान का गृह मंत्री एस.सी. का है। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : पढ़ाई लिखाई हो जाएगी तो एस.सी. में ताकत भी आ जाएगी और ताकत आ जाएगी तो _(व्यवधान)_

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : आप दोनों ही एस.सी. विरोधी हैं।

श्री सभापति : कृपया आप बिराजें। आपके गृहमंत्रीजी बोल रहे हैं, आप तो बिराजें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, इन लोगों ने अभी धोरीमन्ना के अन्दर__ (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : आपने फर्जी सर्टिफिकेट लेकर एस.सी., एस.टी. (व्यवधान) ऐसा प्रतीत होता है, सभापति महोदय, यह दोनों एस.सी., एस.टी. के कोटे के नहीं है। (व्यवधान) फर्जी सर्टिफिकेट लेकर जगह रोक रखी है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : एस.सी., एस.टी. +++ के बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : दलित विरोधी हो, एस.सी., एस.टी. विरोधी हो।

श्री रामस्वरूप मीणा : घोड़ी पर से उतार रहे हैं, नाक में नकेल डल रही है ।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के ओदशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : दोनों + + + हो। (व्यवधान)

(15.50 बजे)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री कैलाश मेघवाल : न्यायिक सेवा में 50 साल के बाद एस.सी., एस.टी. के पात्र लोग नहीं है, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में 50 साल के बाद एस.सी., एस.टी. के लोग नहीं है। इनको पीछे रखने में, अशिक्षित रखने में और गरीब रखने में कांग्रेस का हाथ रहा है...... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : गलत बयानबाजी कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : आसन पैरों पर हैं तो हम क्या करें । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, गुर्जरों पर अत्याचार..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमान् गुर्जर साहब, आप बिराजें। कृपया बिराजें। आसन पैरों पर है माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रामस्वरूप मीणा : xxx

श्री हरिसिंह (महुवा) : xxx

श्री परसादीलाल मीणा : xxx

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : xxx

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है। कृपया बिराज जाएं। आप पहले बिराज जाएं।

श्री रामस्वरूप मीणा : xxx

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : xxx

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : xxx

श्री रामनारायण चौधरी : xxx

श्री परसादीलाल मीणा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामनारायणजी, श्री रामस्वरूपजी, श्री गोविन्दसिंहजी गुर्जर साहब, बिराजें।

श्री परसादीलाल मीणा : xxx

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : xxx

श्री जगदीप धनखड़ : xxx

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायणजी, बोलें।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय गृह मंत्रीजी ने कुछ जातियों के बारे में नाम लेकर के बहुत आपत्तिजनक...

श्री परसादीलाल मीणा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : वह बोल लेंगे अपने आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : xxx

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराज जाएं।

श्री कैलाश मेघवाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्री महोदय, आसन पैरों पर हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : मैंने रामनारायणजी को समय दिया है। आप सुन तो लें। आप सुनें, रामस्वरूप जी।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : XXX

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : XXX

श्री परसादीलाल मीणा : XXX

श्री हरिसिंह (महुवा) : XXX

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री कैलाश मेघवाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमान् गृह मंत्री महोदय।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : XXX

श्री परसादीलाल मीणा : XXX

श्री हरिसिंह (महुवा) : XXX

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायणजी चौधरी।

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र रावत : XXX

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : XXX

श्री जगदीप धनखड़ : XXX

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री किशन गोपाल कोगटा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायणजी।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, सारी बात बहुत अच्छी तरह से चल रही थी। माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे थे। इस बीच में माननीय गृह मंत्री महोदय खड़े हुए...... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सुन लें।

श्री रामनारायण चौधरी : ...और सत्तापक्ष की तरफ बोलते हुये दो जाति विशेष का खास तौर से नाम लेकर इन्होंने बहुत आपत्तिजनक स्टेटमैंट दिया। जो राजस्थान के इतिहास में ...... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री किशन गोपाल कोगटा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : गलत है या सही है। गृह मंत्रीजी कह देंगे अपने आप।

श्री हरिसिंह (महुवा) : XXX

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप जी मीणा साहब, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं। श्री हरिसिंहजी (महुवा) साहब।

श्री रामनारायण चौधरी : ...इस तरह

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री रामनारायण चौधरी)

स्टेटमैंट दिया कि आज तक विधान सभा के गठन होने के बाद किसी भी मंत्री ने सत्ता पक्ष की तरफ से इस प्रकार के अनर्गल आरोप दो जाति विशेष जो स्वयं पिछड़ी जाति है एक और दूसरी, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हुए हैं। अनादिकाल से हुए हैं। आज, मान्यवर, आपके संविधान में उनके लिए व्यवस्था है एस.सी. और एस.टी. दोनों के लिए। अत्याचार, या तो कोई भी समाज में हुए नहीं है और अगर हुए हैं तो सबसे ज्यादा भुक्तभोगी समाज के अन्दर ये दो ही वर्ग है। एक एस.सी. और एक एस.टी.।

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री रामस्वरूप मीणा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराज जाएं। सुनिये। गृह मंत्री महोदय।

श्री रामस्वरूप मीणा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये। आप बिराजिये रामस्वरूप जी। आप बार-बार आसन की अवहेलना कर रहे हैं। रामस्वरूपजी, कृपा बिराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा है। आसन पैरों पर हैं। कृपया बिराज जाएं। एक मिनट।

श्री जगदीप धनखड़ : xxx

श्री रतनलाल ताम्बी : xxx

श्री उपाध्यक्ष : इसको ज्यादा लम्बा मत करिये, माननीय सदस्य।

श्री अनंग कुमार जैन : xxx

श्री रतनलाल ताम्बी : xxx

श्री जगदीप धनखड़ : xxx

श्री परसादीलाल मीणा : xxx

श्री रामस्वरूप मीणा : xxx

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने सरकार से अनुरोध किया कि सदन के नेता नहीं हैं (व्यवधान) कहने तो दीजिये मुझे।

श्री राकेश मेघवाल : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप बिराज जाएं। मैं सुनना चाहता हूं, वे क्या कहना चाहते हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : कि राजस्थान के दलितों का एक डेलीगेशन बाहर आया हुआ है। हजारों की संख्या में हैं। आप जाकर उनके मांग पत्र ले लें। इस पर माननीय गृह मंत्रीजी ने कहा कि उनके पांच आदमी मेरे पास आ जाएं, क्योंकि ऐसी परम्परा नहीं है कि मैं डेलीगेशन से मिलने जाऊं। उस समय इस तरफ से यह कहा गया कि जब भीनमाल प्रकरण चल रहा था

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री जगदीप धनखड़)

तब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस सदन में घोषणा की कि मैं एस.पी. को निलम्बित नहीं करूंगा। सिर्फ उसका तबादला करूंगा। उसके बाद जैनियों का डेलीगेशन आया। स्वयं मुख्य मंत्री वहां गये। उनसे प्रतिवेदन लिया। सदन चल रहा था। सदन में पहले कही हुई बात को उन्होंने बदला। वहां घोषणा की कि मैं इसका निलम्बन करूंगा। यहां आकर कहा कि निलम्बन हो गया। सरकार के मंत्री उद्वेलित हो चुके। मुद्दा उठाया। हमने गृह मंत्रीजी से यही कहा कि आप दलित वर्ग के हैं। ऐसी परिस्थिति में आप वहां जाएंगे तो कौनसा गलत काम होगा। उनके जख्मों के ऊपर आप मल्हम लगाइये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, मैंने सुन ली आपकी बात। अब आप बिराज जाएं। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय गृह मंत्रीजी को खेद व्यक्त करना चाहिए और आपत्तिजनक शब्दों को निकलवाना चाहिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें, माननीय मंत्री महोदय।

श्री रामस्वरूप मीणा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है रामस्वरूपजी। माननीय सदस्य, हमेशा की यह व्यवस्था रही है कि इस प्रकार के डेलीगेशंस आते हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय और मंत्री महोदयों से मिलना चाहते हैं तो वे आकर के मिल जाएं। दिक्कत कहां है इसमें?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : xxx

श्री रामस्वरूप मीणा : xxx

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : नहीं। अब आप मेरी बात सुनिये गुर्जर साहब, मीणा साहब। अगर इसमें कोई असंसदीय भाषा होगी तो मैं देख लूंगा उसको।

श्री रामस्वरूप मीणा : xxx

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर xxx

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : xxx

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : xxx

श्री हरिसिंह (महुवा) : xxx

श्री परसादीलाल मीणा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। आप सुन नहीं रहे। मेहरबानी करके सुनें। गुर्जर साहब। श्री गोविन्द सिंह गुर्जर साहब, आसन पैरों पर है और आप खड़े हो रहे हैं। यह कौनसा तरीका है ? यह कौनसी संसद की भाषा है ? कृपया बिराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : xxx

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, रामस्वरूपजी।

श्री रामनारायण चौधरी : xxx

श्री उपाध्यक्ष : क्या सुन लूं ? मैं व्यवस्था दे रहा हूं। इनको क्या सुनूंगा ? मैं व्यवस्था दे रहा हूं, मैंने व्यवस्था दे दी। इसमें मैं देख लूंगा। अगर कोई असंसदीय भाषा होगी तो मैं देख लूंगा और देखकर उसको कार्यवाही से निकलवा दूंगा।

श्री जगदीप धनखड़ :xxx

श्री रामस्वरूप मीणा :xxx

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें माननीय सदस्य। श्री भरत सिंहजी।

श्री हरिसिंह (महुवा) : xxx

(16.00 बजे)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में आकर नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : व्यवधान अंकित नहीं होगा। माननीय मुख्य सचेतक महोदय, कृपया बिराज जायं। व्यवधान अंकित नहीं होगा। व्यवधान अंकित नहीं होगा। आप पहले अपने अपने स्थानों पर पधारें। पहले आप अपने स्थानों पर जायं। विरोधी दल के नेता महोदय आ चुके हैं। वह अपनी बात कहना चाहते हैं। आप अपने-अपने स्थानों पर पधारें, माननीय सदस्यगण। (व्यवधान)

श्री दलजीत सिंह (बाडी) : पाइंट आफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : नेता महोदय कुछ कह रहे हैं।

श्री दलजीत सिंह : पाइंट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा गया है कि गुर्जर ने एक नकेल डाली किसी जाटव के नाक में। यह दो कास्टों के बीच में लड़ाई नहीं है। यह दो व्यक्तियों ने की है। इसके बिलकुल ही विपरीत मैं बताना चाहता हूं गृह मंत्रीजी को जब एक जाटव का कत्ल हुआ था, एक जाटव ने उसका कत्ल किया उसके बाद...(व्यवधान)...

श्री हरिसिंह (महुवा) : xxx

श्री दलजीत सिंह : मेरी बात तो सुनिये। उसके तुरन्त बाद उन जाटवों ने, जिसने कत्ल किया है अपने गांव ले गये और जिसने कत्ल किया...(व्यवधान)...

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : मैंने सुन लिया। कृपया बिराजें। कृपया बिराजें। अंकित नहीं होगा।

श्री दलजीत सिंह : xxx

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजें। मैं आपका पाइंट आफ आर्डर रिजेक्ट करता हूं।

श्री दलजीत सिंह : xxx

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपका पाइंट आफ आर्डर रिजेक्ट करता हूं। विरोधी दल के नेता महोदय।

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय उपाध्यक्षजी, गृह मन्त्रीजी ने अभी दो जाति विशेष को लेकर के उन पर लांछन लगाया और अपमानित किया है। गृह मंत्रीजी, मैं आपसे यह पूछता हूं कि चित्तौड़गढ़ में जो एक शिड्यूल्ड कास्ट की महिला के साथ बलात्कार किया उसमें कोई गुर्जर और मीणा था ? यह मुख्य मंत्री जी को मैंने एक पत्र लिखा है उसका उन्होंने मुझे वापस उत्तर दिया है। आज मैं लाया नहीं हूं, मैं आपको बता दूंगा। उन्होंने कहा यह-यह मुलजिम हैं। वह किसी दूसरी जाति के हैं। इसलिये मुलजिम की या अपराध करने वाले की कोई जाति नहीं होती। जे.सी.बोस काण्ड हुआ उस वक्त मैंने यह बात कही थी, यहां सदन में कहा था तो कोई जाति पक्ष नहीं लिया जा रहा है। यह जो कुछ भी हुआ है इससे यूनिवर्सिटी कलंकित हुई है, राजधानी कलंकित हुई है, पूरा समाज कलंकित हुआ है। इसलिये आपने इस तरह की यह जो अभिव्यक्ति दी है, मेरा निवेदन यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि उसको सदन की कार्यवाही से एक्सपंज किया जाए और गृह मंत्रीजी से कहा जाए कि वह इसके लिये माफी मांगे। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, यहां पर बड़ी संजीदा चर्चा हम कर रहे हैं और संजीदा चर्चा करने के बाद कुछ तथ्य आते हैं। उन तथ्यों के आधार पर जब मैं कोई बात बोलता हूं। मैंने बजीराबाद से हरिजन बैरवा दूल्हे को जो घोड़ी से नीचे उतारा है, उसके सम्बन्ध में जितने मुलजिम हैं वह सब मीणा जाति के हैं और मैंने कहा कि नामजद मुलजिम हैं। जांच से भी वही मुलजिम पाये गये हैं। (व्यवधान) मीणा जाति के हैं।

श्री बनवारीलाल बैरवा : xxx

श्री रामस्वरूप मीणा : xxx

श्री कैलाश मेघवाल : मैं इन तथ्यों को कैसे उल्टा करूं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : xxx

श्री बनवारीलाल बैरवा : xxx

श्री कैलाश मेघवाल : स्कूल के मामले में झगड़ा हुआ था उसमें कौन थे। (व्यवधान) आप भी कई बार आये। यह जो जातिवादी तनाव है।

श्री बनवारीलाल बैरवा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्रीजी कोई बात कह रहे हैं। श्री बैरवा साहब, आप बिराजें। पहले आप बैठ जाइये। आप पहले बिराजिये। कोई समाधान तो होना चाहिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : xxx

श्री कैलाश मेघवाल : यह प्रवृत्ति उचित नहीं है। मैंने पुलिस विभाग की बहस के समय कहा था कि आज इस देश में जातिवाद और जातिवादी संगठन सक्रिय होकर राजनीतिक लाभ उठाने के लिये —

श्री रामस्वरूप मीणा : xxx

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

186

श्री कैलाश मेघवाल : जिस तरह मसल पावर का... (व्यवधान) ऐसी प्रवृत्ति को रोकना चाहिये। आज हम अपराधी को अपराधी नहीं कह सकते।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : xxx

श्री कैलाश मेघवाल : यह बजीराबाद में इन्होंने एक बैरवा जाति के दूल्हे को घोड़ी से उतारा। यह सब मीणा जाति के थे। क्या मैं यह नहीं कहूं कि मीणा जाति ने इसके साथ अत्याचार किया है। क्या वह नक्सोदा में जिसकी नाक मे नकेल डाली गयी, इससे... (व्यवधान) क्या मैं नहीं कहूं कि वह अनुसूचित जाति के थे... (व्यवधान) इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, चालीस साल तक जिन लोगों ने शिड्यूल्ड कास्ट को नोच कर रखा।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : xxx

श्री कैलाश मेघवाल : शिड्यूल्ड कास्ट से वोट लेने के तौर-तरीके शराब पिलाकर, दबाकर, अशिक्षित रखकर, गरीब रखकर, समाज और राजनीति की मुख्य धारा —

श्री हरिसिंह (महुवा) : xxx

श्री कैलाश मेघवाल : से दूर रखकर के वोट लिये हैं। पिछले दस साल से भारतीय जनता पार्टी ने बराबर की हिस्सेदारी दे रखी है। हमने खानों का आरक्षण किया। हमने पुलिस की भर्ती में आरक्षण पूरा किया है। हमने बीस प्रतिशत ग्रेनाइट और मार्बल की खानों में आरक्षण किया...

श्री कृजेन्द्र सिंह सूपा : xxx

श्री कैलाश मेघवाल : हमने राजनैतिक हिस्सेदारी दी, भागीदारी दी। आज शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के सारे राजस्थान में शिक्षा संस्थाओं का जाल फैलाकर अशिक्षा दूर करने का प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चालीस साल के शासन में तीन परसेंट शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स की महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत चालीस साल में ढाई प्रतिशत इन्होंने किया है।

श्री रामस्वरूप मीणा : xxx

श्री कैलाश मेघवाल : ये पुरुषों की साक्षरता चालीस साल में 11 परसेंट लाये हैं। यह शिड्यूल्ड कास्ट शिड्यूल्ड ट्राइब्स के अपराधी नहीं हैं जो यहां... (व्यवधान)

श्री कृजेन्द्र सिंह सूपा : xxx

श्री रामस्वरूप मीणा : xxx

श्री हरिसिंह (महुवा) : xxx

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। कृपया बिराज जाएं, गृह मंत्री महोदय। कृपया बिराजें। मेहरबानी करके बिराज जाएं। कृपया बिराजें। मैंने आपसे निवेदन कर दिया कि कोई असंसदीय होगा तो उसको मैं निकाल दूंगा...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सुनें। शांत रहें।

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले सदन में निवेदन किया कि मुलजिम की कोई जाति नहीं होती और यह बात निश्चित है। फिर जो हठधर्मी के साथ यह कह रहे हैं कि मैं उनके नाम किस किसके हैं, तो नाम किसके हैं या किसके नहीं हैं, आगे भी आपने कई दफा मुलजिमों की बात की है लेकिन जाति विशेष का उल्लेख नहीं किया। आपने यहां पर दो जातियों को अलग करके अपमानित किया है, लांछित किया है।

श्री कैलाश मेघवाल : जातियों को नहीं किया है प्रतिपक्ष के नेता महोदय। (व्यवधान) मैं जो कह रहा हूं बार-बार कह रहा हूं (व्यवधान) मैंने दो केस में जो अपराधी थे उन अपराधियों के बारे में बताया है। जातियों को आरोपित नहीं किया है।

श्री वृजेन्द्र सिंह सूपा : xxx

श्री हरिसिंह (महुवा) : xxx

श्री रामस्वरूप मीणा : xxx

श्री कैलाश मेघवाल : (व्यवधान) और इस प्रकरण को जातिवादी वैमनस्य पैदा करने के लिये, इस प्रांगण को राजनैतिक दृष्टि से___ (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : xxx

श्री हरिसिंह (महुवा) : xxx

श्री बनवारीलाल बैरवा : xxx (व्यवधान)

श्री वृजेन्द्र सिंह सूपा : xxx

श्री रामस्वरूप मीणा : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि गृह मंत्री शिड्यूल्ड कास्ट का है और वह किसी काबिल नहीं है। क्या यह अपमानित नहीं किया गया है ? इस प्रकार से घोर आपत्तिजनक बात कही है___ (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : xxx

श्री राधेश्याम गंगानगर : xxx

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कोई (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी कोटा : xxx

श्री राधेश्याम गंगानगर : xxx

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, जब सम्माननीय कैलाशजी मेघवाल गृह मंत्री बने थे और इस सदन में आप विराजमान थे। इस आसन पर नहीं थे, उस आसन पर बैठे थे। मैंने यह बात कही यहां पर कि आज दलित वर्ग का और अनुसूचित जनजाति का गृह मंत्री बना है, यह राजस्थान के लिये गर्व की बात है, मैंने यह बात कही थी। मैंने यह भी कहा था कि आज डी. जी. से लेकर नीचे तक के अफसर शोषित वर्ग के गृह मंत्री के सामने अटेंशन होकर उनको सलामी देंगे। यह भी हमारे लिये बहुत खुशी की बात है। हमने कभी भी, मैंने हमेशा आपको कभी संबोधित भी किया तो बहुत सम्मानपूर्वक किया था

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री परसराम मदेरणा)

और कोई भी ऐसा असंसदीय शब्द नहीं कहा कि जो किसी तरह से भी लायक, अयोग्य या योग्य की बात अलग छोड़ दीजिये...

श्री कैलाश मेघवाल : आपसे मेरी कोई शिकायत नहीं है। आपसे कभी कोई शिकायत नहीं रही। मैं अपका बहुत आदर करता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : यह तो कई दफा प्रश्न आया है। यह कोई अनपार्लियामेंटरी नहीं है। लेकिन आज जो आपने दो जातियों को अलग करके, मुलजिम की कोई जाति नहीं होती। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि निश्चित तौर पर यहां जो बात कही गयी, उसको आप देखकर एक्सपंज करने वाली बात है वह नहीं करके यह जो जातियों को लांछित और अपमानित करने की जो बात कही है, क्योंकि मुलजिम की कोई जाति नहीं होती, किसी भी जाति का हो। मैंने एक उदाहरण दिया है वह भी किसी और जाति के हो सकते हैं। लेकिन मुलजिम मुलजिम है, अपराधी अपराधी है। इसलिये आप इसको एक्सपंज करके...

श्री कैलाश मेघवाल : मैं आपकी राय से सहमत हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इसको आप देख लें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें ...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये, आप तो मानें। पक्ष, विपक्ष से चाहे इस पक्ष से हो, चाहे इस पक्ष से हों, जो भी असंसदीय या आरोपित करने वाले शब्द हैं, उनको मैं कार्यवाही से हटाता हूं।

श्री दलजीत सिंह : xxx

श्री उपाध्यक्ष : कृपय बिराज जाएं माननीय सदस्य।

श्री दलजीत सिंह : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री परसराम मदेरणा : मेरा गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि आप इसमें, क्योंकि एक्सपंज कर दिया तो आप खेद प्रकट कर दीजिये...

श्री उपाध्यक्ष : वह कार्यवाही से... मैंने कर दिया ना... (व्यवधान) मैंने कर दिया। सुनिये, बिराजिये कृपया।

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने खेद प्रकट करने जैसी कोई बात नहीं कही है प्रतिपक्ष के नेता, आप स्वयं, मेरी सारी बोली हुई रेकार्ड है, वह आप पढ़ लें...

श्री उपाध्यक्ष : वह मैं देख लूंगा।

श्री कैलाश मेघवाल : और वह करके यह आप कह देंगे कि एक भी शब्द मैंने असंसदीय या मिथ्या, या अनावश्यक रूप से आरोपित करने वाले कहे हैं, मैं आपसे क्या सदन से माफी मांग लूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा। आप सुनें। सुनी सुनायी बातों

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री कैलाश मेघवाल)

पर विश्वास मत करो। आपकी यह जमात तो कई बार आपको भ्रमित करती है मिस-गाइड करती है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भरत सिंह।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराज जाएं। अब आप बिराज जाएं। मैंने यह चर्चा समाप्त कर दी, विराधी दल के नेता महोदय। मैंने यह चर्चा समाप्त कर दी। अब बिराज जाएं। माननीय सदस्य, आप बिराज जाएं। श्री रामस्वरूप जी आगे-पीछे देखने की जरूरत नहीं है। आप बिराज जाएं। श्री भरत सिंहजी।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत की विनम्र शब्दों में गृह मंत्रीजी से यह कहा कि आप इस सम्बन्ध में खेद प्रकट कर दीजिए ताकि इन जातियों के जो विधान सभा के सदस्य हैं और हम सबका, यह लांछित हुए हैं, अपमानित हुए हैं, अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो हम...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जब उन शब्दों को मैं निकाल रहा हूं तो वह बात शेष कहां रह जाती है। शब्दों को निकाल रहा हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : सारी चर्चा होने के बाद और आसन की व्यवस्था के बाद इसका मतलब तो यह होगा कि आसन की व्यवस्था के खिलाफ वाक आउट कर रहे हैं आप। इसका मतलब यह होगा।

श्री परसराम मदेरणा : गृह मंत्री जी, आप जिद और हठधर्मिता मत कीजिये। अगर आप जिद और हठधर्मिता करेंगे तो यह सदन सुप्रीम है और लोकतंत्र में बड़प्पन आपको रखना चाहिये। अगर आप बड़प्पन रख रहे हैं...

श्री अर्जुनदास मदान : xxx

श्री परसराम मदेरणा : तो हम विरोष स्वरूप इस सदन से बहिर्गमन करते हैं। विरोधस्वरूप । (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री कालूलाल गूजर : xxx

श्री राकेश मेघवाल : xxx

श्री उपाध्यक्ष : श्री भवानी जोशी।

श्री राकेश मेघवाल : xxx

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंहजी ...(व्यवधान) आप बोलिये। कृपया बिराजें।

श्री शिवनाथ सिंह : आपने मेरा नाम पुकारा बोलने के लिये ?

श्री उपाध्यक्ष : जी, हां।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : वाक आउट कर रहे हैं?

श्री शिवनाथ सिंह : मैं बोल रहा हूं। आप कहें तो वाक आउट करूं, नहीं तो बोल रहा हूं।

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री राकेश मेघवाल : xxx

श्री उपाध्यक्ष : सॉरी-सॉरी। सुनिये, भरत सिंहजी बोल रहे थे, मुझे पता नहीं था यह बोल रहे थे। भरत सिंहजी कन्टीन्यू करेंगे।

मांग संख्या 36, 37 एवं 39 पर विचार

श्री भरत सिंह (खानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत गंभीर विषय पर चर्चा चल रही थी, उस विषय का सारे राजस्थान के काश्तकारों से सम्बन्ध था। जब मेरे बोलने का समय आया, उस समय एक अन्य महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने आ गया ..

श्री उपाध्यक्ष : अब आप इधर ही आ जाइये। इधर ही आ जाइये। विषय पर ही आ जाइये।

श्री भरत सिंह : मैं विषय पर ही आ रहा हूं। एक सदस्य जो व्यवस्था में बोलना चाहता है वह साढ़े चार साल तक सदन की अव्यवस्था का शिकार हुआ। जो अव्यवस्था में विश्वास करता है वह सदन में बोलता है और जो अनुशासन में विश्वास करता है उसे सदन में बोलने की इजाजत नहीं दी जाती ।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा नहीं है।

श्री भरत सिंह : ऐसा हो रहा है। उपाध्यक्षजी, मुझे बोलने दीजिये मेरी बात..

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा नहीं हो रहा है।

श्री भरत सिंह : यहां पर इस सदन में जैन मुनि का जब प्रकरण आया तो गृह मंत्री महोदय और मुख्य मंत्रीजी वहां गये..

श्री कालूलाल गूजर : यह डिमाण्ड पर बोल रहे हैं या जैन मुनि प्रकरण पर बोल रहे हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, यह डिमाण्ड पर बोल रहे हैं या जैन मुनि प्रकरण पर बोल रहे हैं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, .. (व्यवधान) आज विषय पशुपालन का है, सहकारिता का है .. (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : उपाध्यक्ष महोदय, आपने इनको अनुदान की मांगों पर बोलने के लिये कहा है। आपने अनुमति इनको मांगों पर बोलने की दी है और यह पता नहीं कौनसा प्रकरण लेकर बोलने लग गये। इनको डिमाण्ड पर ही बोलने के लिये अलाउ किया जाए, बाकी डिस-अलाउ किया जाए।

श्री भरत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, डिमाण्ड के ऊपर ही मैं अनुरोध करूंगा, मगर यह दोहरी व्यवस्था की वजह से इस प्रकार की अव्यवस्था पैदा होती है। आसन की व्यवस्था करना आपका दायित्व है। सामान्य व्यवस्था कायम रखते हुए करेंगे तो सभी उसका पालन करेंगे। दो व्यवस्था होने के कारण से यह नौबत आयी है।

पशुपालन विभाग की डिमाण्ड है उसके बारे में मैं माननीय पशुपालन मंत्री का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री भरत सिंह)

राजस्थान की जो जनसंख्या है, हमारे पशुओं की संख्या और मवेशियों की संख्या इस प्रदेश के अंदर सामान्य है और उनकी देखभाल के लिये पशु आधारित जिलों के अंदर जो व्यवस्था हमने, हमारे पशुपालन विभाग ने कर रखी हैं, वह पर्याप्त नहीं हैं। कृषि के साथ पशुपालन के लिये जो योगदान काश्तकार को मिलना चाहिये आज उसकी स्थिति खराब है। मैं पशुपालन मंत्री जी से एक ही बात का अनुरोध करूंगा, जिसकी व्यवस्था यह कर सकते हैं कि इनके खुद के डिपार्टमेंट के जो अधिकारी, डाक्टर्स पंचायत समिति में विकास विभाग को ठीक कराने के लिये लगाये हैं वहां से उन्हें हटा लें। उनकी आवश्यकता पशुपालन विभाग में है। इससे पशुपालन विभाग का भी भला होगा और विकास विभाग का भी भला होगा, क्योंकि वहां पर यह भ्रष्टाचार का बोलबाला इन डाक्टरों ने मचा रखा है। इन डाक्टरों को बुलाएं और पशु पालन विभाग में लगाऐं यह पशुपालन से सम्बन्धित हैं।

कुक्कुट पोल्ट्री के सम्बन्ध में मैं पशुपालन मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार की पोल्ट्री का विस्तार होना चाहिए और जिस प्रकार से इससे...

श्री उपाध्यक्ष : समय 10 मिनट का है यह ध्यान रखें।

श्री भरत सिंह : कितने मिनट हो गये आप मुझे बता दें। मैं उसके हिसाब से बोल लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो 10 मिनट में कह दूंगा।

श्री भरत सिंह : कुक्कुट के विस्तार के लिये, अजमेर शहर ऐसा है वहां पर बड़े पोल्ट्री फार्म हैं उनको तो आप छोड़ दें मगर राजस्थान में जो छोटे पोल्ट्री फार्म हैं वहां पर 100 से 1000 बर्ड्स हैं। आब उन पोल्ट्री फार्म की दशा बहुत खराब है। जितने भी आपके फार्म्स थे चाहे ब्रायलर फार्म्स थे, चाहे लेयर फार्म्स थे वह अव्यवस्था के कारण, घाटे में चलने के कारण गवर्नमेंट ने, सिर्फ एक जयपुर के अंदर एक फार्म चल रहा है बाकी लेयर्स फार्म्स और ब्रायलर फार्म्स सब बंद पड़े हुए हैं। उसका परिणाम यह हो रहा है कि शाहबाद जैसी जगह, बारां जिले में शाहबाद शहरी एरिया है कोटा का, वहां पर आपने जो छोटी- छोटी कुक्कुट शालाएं खोली हैं उनको आपको जो चूजें सप्लाई करने हैं, उनको जो प्रोत्साहन आपको देना है वह आप नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के फार्म्स बंद हो गये तो प्राइवेट फार्म्स ने अपने चूजों की रेट बढ़ा दी और उससे सीधा प्रभाव इसका हुआ है। गवर्नमेंट के फार्म्स बंद होने के विभिन्न कारण थे और सरकारी व्यवस्था जो है फायदे में चल जाए वह अपने आपमें बात नहीं है। अगर घाटे में चलेगी, एक्सटेंशन वर्क्स के प्रोग्राम हैं, लोगों को इनसे रोजगार मिलता था। उनका इनवाल्व करने के प्रोग्राम थे। इसलिए इसको

(श्री भरतसिंह)

घाटे और लाभ से नहीं जोड़ा जाए। अगर इर्रिगेशन के डैम्स की आपकी वसूली नहीं होती तो आप सिंचाई तो बंद नहीं करते। यह ऐसे प्रोग्राम हैं जिनसे सीधे काश्तकारों को लाभ होता है, चलायें जाए यह मेरा अनुरोध है।

दूसरा, मत्स्य पालन से जो सम्बन्धित है, पहले पशुपालन मंत्री के पास था अब अलग मंत्री बना दिये हैं। जो रेवेन्यू गवर्नमेंट आफ राजस्थान को मत्स्य पालन से हो रही है वह अभी 10 करोड़ से कम है। अगर इसके ऊपर ध्यान दिया जाए तो इसकी रेवेन्यू पश्चिमी बंगाल और अन्य जो स्टेट्स हैं, जिन्होंने पशुपालन पर व्यापक ध्यान दिया है, मैं समझता हूं इस रेवेन्यू के अंदर 100 करोड़ के करीब गवर्नमेंट को इनकम मिल सकती है। उसके लिये बुनियादी जो विभिन्न विभाग हैं, जो आपका मत्स्य पालन होता है, इर्रिगेशन के जो टेक्स हैं उनमें जब उनका निर्माण होता है उसमें बुनियादी बातें हम ध्यान नहीं रख पाते हैं। जब एक तालाब बन रहा है फोरेस्ट एरिया के अंदर, फोरेस्ट से क्लीयरेंस आप ले लेंगे, डैम बन जाएगा। मैं झालावाड़ की आपको मिसाल देता हूं छापल बांध बन रहा है। जब बांध बनेगा उसमें बैक वाटर के अंदर जो पेड़ हैं, आप पेड़ नहीं कटवाएंगे, पानी रोक देंगे। उसके अंदर जितनी मछलियां हैं उसकी आहार व्यवस्था आप नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार के अनेक डैम्स हैं राजस्थान के अंदर, इर्रिगेशन का डैम बनता है तो लकड़ी नहीं कटती और उसके बाद उसमें कम से कम डैड स्टोरेज 5-6 फीट पानी रहना चाहिए। आप इर्रिगेशन के लिये हर साल पूरा पानी ड्रेन आउट कर देंगे तो मछली जो हैं उसका बीज हर साल बिलकुल खतम हो जाऐगा। वह सीधा नुकसान होगा जहां तक फिशरीज का स्कोप है, यह दुःर्भाग्य रहा है राजस्थान के जो हमारे मंत्री हैं इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट को लेकर वह अपने जिले तक सीमित है। पशुपालन मंत्री हैं, चाहें कृषि मंत्री हैं वह राजस्थान के पूरे जिलों को, इतना बड़ा विशाल राजस्थान है। अलग-अलग जिलों में डिविजनल हैडक्वार्टर पर जाकर के डिविजन को समझने की कोशिश नहीं करते।

एक मुद्दा जो पशुपालन मंत्री से सीधा संबंधित है। वह भेड़ों की मूवमैंट से, लाखों की तादाद में राजस्थान में हर वर्षा के अंदर भेड़ों का निस्तारण होता है। कुछ जिलों से मारवाड़ की साइड से साउथ ईस्ट राजस्थान जिसका मैं रहने वाला हूं, वहां जाती हैं। उसका वहां पर क्या प्रभाव हो रहा है। आप डिपार्टमेंट की मीटिंग करते हैं। चीफ सैक्रेटरी मीटिंग होती हैं। भेड़ पालकों के लिये होती हैं, उनके विकास के लिए होती हैं, जगह-जगह इनके नाके लगते हैं मगर जिस क्षेत्र में वे जा रही हैं वहां के मवेशियों का क्या विकास हुआ है। एक गांव में अगर 100 मवेशी हैं हाड़ौती के अंदर तो

(श्री भरत सिंह)

एक लोटा दूध आपको मिल जाएं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उन लोगों के जो पूरे ग्रासलैण्ड्स पास्चर हैं वह पूरा साफ हो रहा है। हमारे बारिश के पैटर्न को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जब आपकी मीटिंग हो उस जिले में जहां पर भेड़े जा रही हैं वहां के जन-प्रतिनिधि, एम.एल.एज., प्रधान हैं उनको आप इनवोल्व करें। आप उनको इनवोल्व करेंगे तो इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा।

कृषि की डिमाण्ड है इसलिए राजस्थान सीड्स कारपोरेशन के संबंध में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान सीड्स कारपोरेशन की मैं प्रशंसा भी करना चाहूंगा, क्योंकि एक काश्तकार की हैसियत से मैं नेशनल सीड्स कारपोरेशन से भी मेरा काम पड़ा है, राजस्थान सीड्स कारपोरेशन से भी पड़ा है। उनकी तुलना में हमारा राजस्थान सीड्स कारपोरेशन बहुत अच्छा है। मगर मेरा सुझाव है कि जो आप काश्तकार को पैसा देते हैं वह अधिकांश जो खरीद आप करते हैं वह बाजार दर की मैक्सिमम प्राइज होती है उससे 200 रुपये और 150 रुपये उसे बढ़ाकर देते हैं मगर जब पेमेंट आप करते हैं, तो उसमें जब विलम्ब होता है और बाजार में दर उससे ज्यादा बढ़ जाती है तो उस काश्तकार को कुछ नहीं मिलता। अभी मैं मिसाल के तौर पर कहना चाहूंगा कि मूंग की खेती कहीं करवायी थी, इन्होंने गर्मी के अंदर अलसी की खेती थी, जब पेमेन्ट काश्तकारों को नहीं हुआ, जो इनका रिजेक्टेड माल है उसकी कीमत बाजार में ज्यादा है, तो जो खरीद ये करते हैं उसका भुगतान तत्काल करें। भुगतान तत्काल करें तो यह योजना काश्तकारों के लिए लाभदायक होगी, यह योजना जो बीज उत्पादक हैं, उनको लाभ देगी तभी जाकर उसका पूरा लाभ हो सकेगा और इनकी जो बेचने की दर है वह बेचने की दर को भी कम करें ताकि इनका टर्न ओवर ज्यादा होएं। आज जो सोयाबीन की बीज ये बाजार में बेच रहे हैं, जो बीज दे रहे हैं उसका मार्जिन आफ प्राफिट कम हो, टर्न ओवर ज्यादा हो। उससे लोगों को जो खुद का बीज, घर का बीज रखते हैं, काश्तकार यूज करता है उसको वह इस्तेमाल नहीं करेगा और वह सीड्स कोरपोरेशन के बीज को इस्तेमाल करेगा। उससे काश्तकार को भी फायदा हो और सीड्स कोरपोरेशन को भी उसका लाभ मिलेगा।

दूसरी चीज मैं आपसे निवेदन करूं कि कृषि बोर्ड का जो आपको जितना भी रिसर्च वर्क है, एक्सटेंशन वर्क, वह आपके ग्राम सेवक पर टिका हुआ है और ग्राम सेवक ग्राम में रह नहीं रहा। आपके प्रोग्राम, जो बात इस सदन में पहले आ चुकी है।जब ग्राम सेवक वहां रह नहीं रहा तो आपका पूरा एक्सटेंशन वर्क प्रभावित है और इनकी मंथली मीटिंग्स हो जाती है सब डिविजनल हैडक्वार्टर पर। कागजों में पूरी खानापूर्ति होती है। इनके अधिकारी मीटिंग्स में जाते

(श्री भरत सिंह)

नहीं हैं। जिला स्तर पर नहीं जाते और विभिन्न विभाग के अंदर एग्रीकल्चर का का-आर्डिनेशन इर्रिगेशन से नहीं हैं।

मैं आपको बताता हूं झालावाड़ में एक भीमसागर बांध है, जहां पर व्यापक स्कोप है। उसके अंदर हरिशंकर सागर है, बरसात का पानी डायवर्ट होता है। कभी भी यह प्रयास नहीं करें । जिला स्तर की मीटिंग में मैंने कहा है कि इस नदी का, इसका बरसात का पानी व्यर्थ में बहकर जा रहा है। पेडि कल्टिवेशन की यहां पर व्यापक स्कोप है। पेडि कल्टिवेशन होगा तो काश्तकारों को पैसा मिलेगा और स्टेट में उत्पादन बढ़ेगा मगर ऐसे गंभीर विषयों पर ध्यान नहीं देते हैं। यह जो रोजगार के साधन हैं, जो कुक्कुट पालन है, मत्स्य पालन है, दूसरी जो चीजें हैं इनसे अगर इसकी वृद्धि होती है तो सीधे स्टेट के युवकों को रोजगार मिलेगा। आज व्यापक फ्रस्टेशन है। एग्रीकल्चर सस्टेन नहीं कर पा रही है और आने वाले टाइम के अंदर अगर हमारा ध्यान इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर नहीं रहा तो इनके दुष्परिणाम भी हमें भुगतने पड़ंगे। आपने मुझे जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, डिमाण्ड पर चर्चा की जो औपचारिकता भुगताई जा रही है उसमें मैं भी अपने आपको सम्मिलित करता हूं। तीनों मांगें ऐसी हैं जे बहुत इम्पोर्टेंट हैं और बहुत समय होना चाहिए था। लेकिन जो समय है उस समय में ही अपनी बात कहना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रिसर्च वर्क हमारे राजस्थान में बहुत कमजोर है। जब हम पंत यूनिवर्सिटी का नाम सुनते हैं, हरियाणा की हिसार यूनिवर्सिटी का नाम सुनते हैं और वहां के बीज हमारे राजस्थान में आकर बिकते हैं, बोये जाते हैं तो हमें महसूस होता है कि राजस्थान का कृषि विभाग, राजस्थान के स्टेट में हम बीज उत्पादन अच्छा नहीं कर सकते। एक चिन्ता का विषय है। इस संबंध में मेरा इतना निवेदम करना है कि अच्छी किस्म के बीज हम उत्पादन करें और खास तौर से हमारा क्षेत्र बाजरा, मक्का और ज्वार का क्षेत्र है। इस ओर कोई भी रिसर्च वर्क आज तक नहीं हुआ है। हमारे यहां महाराष्ट्र, गुजरात का और मद्रास का बाजरा जो हाई ब्रीड का है वह लाकर के यहां बोया जाता है तो यह हमारे लिये सोच का विषय है और इस संबंध में हम रिसर्च वर्क में जितना भी अधिक ध्यान दें, हमें देने की आवश्यकता है। हमारा रिसर्च बहुत नीचा है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों हिसार यूनिवर्सिटी को देखने का मौका मिला। वहां 126 से अधिक किस्में उन्होंने बनाई हैं और

(श्री शिवनाथ सिंह)

वे दवाई के काम आती हैं, जो मिर्च-मसाले हैं उनके काम में आती हैं, उन किस्मों को उन्होंनें डवलप किया है। एक उदाहरण उन्होंने देश के सामने पेश किया है इसलिए हमारे यहां भी यूनिवर्सिटी है वे इस और सक्रियता से भाग लें और दूसरी यूनिवर्सिटीज से निगाह करके उस प्रोग्राम को आगे बढाएं।

माननीय उपाध्यक्षजी, दूसरी समस्या है किसान को अच्छा बीज मिलने की। आज अच्छे बीज के नाम पर दुकानदार खराब बीज बेचते हैं, 90 रुपये में बाजरे की एक थैली बाजार में बिकती है और जब किसान बोता है, उगने के समय नहीं उगता है तो अपने कर्म को फोड़ता है। इसलिए विभाग को यह व्यवस्था करनी चाहिए कि खराब बीज अच्छे बीज के नाम पर नहीं बिके। अब अच्छा बीज हमारे पास नहीं है तो हम न बेचें लेकिन खराब बीज देकर अच्छे बीज के दाम लेते हैं, यह हमारे लिए चिंता का विषय है।

श्री अमराराम चौधरी : माननीय सदस्य ने जैसा बताया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होगी जो खराब बीज बेचते हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्षजी, यह तो इस सदन का तकिया कलाम है कि सख्त से सख्त कार्यवाही होगी। माननीय गृह मंत्रीजी कहते हैं आप भी क्यों कहो इस मामले में, उनके लिए बहुत है। यह तो तकिया कलाम है। किसी भी मिनिस्टर से पूछ लो, वह कहेगा, सख्त से सख्त कार्यवाही करूंगा लेकिन मैं तो इशारा कर रहा हूं। हम भुगतभोगी हैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्षजी, दूसरी बात सहकारिता के लिए है। इसमें मेरा निवेदन है कि सहकारिता के क्षेत्र में क्या भ्रष्टाचार है, नहीं है, कितना रोका गया है, इन बातों में मैं नहीं जाऊंगा। मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस विभाग को सरकारी तंत्र से मुक्त कीजिए। छोटे लेवल पर सहकारी समितियां जिनमें सरकार की भागीदारी नहीं है, उनके चुनाव कराने का अधिकार उनको दे दिया लेकिन अपैक्स लेवल की जितनी भी संस्थाएं हैं, जिला लेवल की जितनी भी संस्थाएं हैं, स्टेट लेवल की जो संस्थाएं हैं, उनमें आज पूरा सरकारी तंत्र हावी है। उधर से बोलने वाले माननीय सदस्य ने शुरू में कहा था कि जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें एडमिनिस्ट्रेटर कायम हैं, क्यों कायम हैं ? क्या हमारे पास सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले आदमी नहीं हैं ? लेकिन यह सरकारी तंत्र का अपना कब्जा रखने की बात है। इसलिए मैं संकेत रूप में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस एडमिनिस्ट्रेटर व्यवस्था को आप खतम कीजिए और समय पर चुनाव कराइए, समय पर चुनाव नहीं

(श्री शिवनाथ सिंह)

होता है तो आप उसके बाद में एक्सटेंड कर सकते हैं लेकिन बोर्ड को भंग करके, एडमिनिस्ट्रेटर कायम करना बहुत खतरनाक चीज है, यह सहकारिता विभाग और सहकारिता की भावना को खतम कर रहा है।

माननीय उपाध्यक्षजी, ग्राम सेवा सहकारी समितियों में आपने व्यवस्थापक को सहकारिता सेक्रेटरी से ऊंचे पावर दे रखे हैं। उस संस्था का व्यवस्थापक पर कोई अधिकार नहीं है। मर्जी आए वैसे काम करता है और जो एसेंशियल गुड्स को लाने का काम है, बेचने का काम है, वह व्यवस्थापक अपनी मर्जी से करता है। सोसायटी का अध्यक्ष, सोसायटी की मैनेजमैंट कमेटी उसमें कोई दखल नहीं दे सकती है, इसको हमें देखना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पीड़ा होती है, राजस्थान में राज्य सहकारी संघ बना था, उसकी बहुत बड़ी अहमियत थी, शिक्षा के लिए, ट्रेनिंग के प्रोग्राम के लिए और वह सहकारी संघ एक समय में हिन्दुस्तान में, राजस्थान का सहकारी संघ बहुत ऊंचा था। आज उसकी हालत इस तरह से कर दी गयी है कि उसके सब पंख काट दिए गये हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम उससे ले लिया गया है और एजुकेशन का प्रोग्राम उससे ले लिया गया है। जब तक कोआपरेटिव सेक्टर में, कोआपरेटिव एजुकेशन हम पैदा नहीं कर पाएंगे, लोगों में भावना पैदा नहीं कर पाएंगे तब तक कोआपरेटिव का क्षेत्र, कोआपरेटिव संस्थाएं आगे नहीं बढ़ पाएंगी। कोआपरेटिव के माध्यम से हमको लीडरशिप डवलप करनी पड़ेगी और जब तक यह लीडरशिप डवलप नहीं होती है, कोआपरेटिव एजुकेशन की तरफ, कोआपरेटिव के माध्यम से लीडरशिप डवलप करना बंद कर दिया। इससे पता नहीं सरकार को क्या खतरा है। ग्राम पंचायतों के मार्फत, रूरल लीडरशिप डवलप होती है, उनको इन्होंने बंद कर दिया और वहां पर किसी का भी दखल नहीं है और इसी तरह से सहकारिता के क्षेत्र के माध्यम से हमारी रूरल लीडरशिप डवलप हो सकती थी, उसको इन्होंने खतम कर दिया। सहकारी संघ जो राजस्थान का है, उसको आप फिर से डवलप कीजिए और उसको काम दीजिए, उसको काम देंगे तो पूरे राजस्थान का जो सहकारी विभाग है, सहकारी प्रोग्राम है, उसमें सफलता मिलेगी।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारी संस्थाओं के चुनाव समय पर हों। माननीय मंत्री महोदय ने चेष्टा की है और कई पोलिटिकल हर्डल्स इसमें आती है। एम. एल. ए. कभी लिख कर देते हैं कि चुनाव इस वक्त न किए जाएं, सब बातें ठीक हैं लेकिन इन सब दबावों को फेस करते हुए आप सुनिश्चित कीजिए कि जिस प्रकार से पंचायतों के चुनाव सुनिश्चित हो गये, पंचायत समितियों

(श्री शिवनाथ सिंह)

और जिला परिषद के चुनाव सुनिश्चित हो गये, उसकी समय सीमा बांध दी गयी है, इसी तरह से आप व्यवस्था सहकारी क्षेत्र में कीजिए और सहकारी संस्थाओं के चुनाव, वह समयबद्ध सीमा में हो जाएं, चाहे आप इसे इलेक्शन डिपार्टमेंट को दें या कहीं और दें, लेकिन समय पर यदि चुनाव होते रहेंगे, आप इस बात से क्यों डरते हैं कि आज सहकारी क्षेत्र में गलत आदमी आ रहे हैं। बार-बार आप चुनाव कराएंगे, कूड़ा छंट जाएगा, क्रीम-क्रीम आपके पास आएगी इसलिए सहकारी क्षेत्र के चुनाव आप समयबद्ध तरीके से कराएं, यह मेरा आपसे निवेदन है।

माननीय उपाध्यक्षजी, पशुधन के सम्बन्ध में एक - दो बात निवेदन करना चाहता हूं कि हाई ब्रीड पशुओं की तरफ हमारा बहुत ध्यान जा रहा है, जाना चाहिए लेकिन जो लोकल ब्रीड हैं, उनकी कोस्ट पर यह प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। हमारी हरियाणा की गायें, हमारे नागौर के बैल, हमारी दूसरी किस्म की गायें, हमारे भैंसें, इस प्रकार का हमारा जो पशुधन है आज हमारे क्लाइमेट के हिसाब से सूट करता है और किसान के लिए फायदेमंद होता है। सिर्फ एक दूध के पक्ष को देखकर हम इस ओर अधिक ध्यान नहीं दें, जितना आवश्यक हो, उतना ध्यान दें लेकिन लोकल ब्रीड के कोस्ट पर हाई ब्रीड की व्यवस्था जो आप कर रहे हैं वह उचित नहीं है, नहीं करनी चाहिये।

उपाध्यक्षजी, हमारे यहां ऊंटों का बहुत बड़ा महत्व है। ऊंटों पर रिसर्च के लिए, ब्रीड सुधारने के लिए बीकानेर में फार्म है लेकिन वह सीमित है। इसलिए ऊंटों की नस्ल सुधारने के लिए भी हमें कार्यवाही करनी चाहिए।

घोड़े आज 50-50 हजार और 1-1 लाख रुपये में बिकते हैं, उस ओर भी हम ध्यान दें और इस ब्रीड को भी सुधारने की हम चेष्टा करें।

श्री उपाध्यक्ष : ऊंटों की नस्ल कैसे सुधरे, यह बताएं।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब जानता हूं, बता भी दूंगा लेकिन समय लम्बा हो जाएगा, आधा घंटा लगेगा इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं अपनी दूसरी बात कह दूं, बाद में आप इजाजत देंगे तो पूरा नस्ल सुधारने का प्रोग्राम आपको दे दूंगा (व्यवधान).

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारा जो पशुधन राजस्थान में है वह बहुत कीमती है और हमारा किसान इससे जुड़ा हुआ है लेकिन इस पशुधन को लगने वाली बीमारियों का टीकाकरण हम समय-समय पर करते हैं लेकिन आज भी हम किसानों को इस पीड़ा से मुक्त नहीं कर पाए हैं। इसलिए इस प्रोग्राम को हाथ में लेकर हमारे पशु, भेड़, बकरियां, भैंस में खास तौर से ये बीमरियां फैलती हैं, कभी गलघोटू हो जाता है, कभी और, इसलिए इस ओर सरकार

(198)

(श्री शिवनाथ सिंह)

ध्यान दे और रिसर्च वर्क को बढ़ाए और ये सहूलियतें पैदा करें।

आज हमारे जो अस्पताल हैं उनमें पशुओं के लिए दवाइयां नहीं है, न टीके हैं, न उनमें जाने के लिए साधन है, कोई गाड़ी नहीं है और न उनमें पूरा स्टाफ है इसलिए इस ओर भी माननीय मंत्रीजी की बहुत बड़ाई की थी, मैं भी करता हूं लेकिन वह कुछ कर दिखाएं तब वास्तव में उनकी सच्ची बड़ाई होगी।

माननीय उपाध्यक्षजी, एक और निवेदन करना चाहता हूं। दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां, दुग्ध का उत्पादन जो हो रहा है, माननीय पूनमचन्दजी बिश्नोईजी बार-बार कहते हैं, आज दुग्ध उत्पादकों का बहुत शोषण हो रहा है, उनको अपनी पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिलता है। उपाध्यक्षजी, आप तो जानते हैं, गांव के रहने वाले हैं कि इस जमाने में सबसे सस्ती वस्तु है कोई तो वह दूध है जो 10 रुपये, 11 रुपये किलो शहर में मिलता है। लोगबाग अपने बच्चों को कहते हैं कि सब्जी छोड़ दो, 40 रुपये किलो टमाटर नहीं ला सकते, तोरई नहीं ला सकते, प्याज भी नहीं ला सकते, आज तो प्याज से भी सस्ता दूध है। इसलिए हमारे जो दुग्ध उत्पादक है, उनका बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। कोई व्यवस्था ऐसी हो जिससे कि उत्पादकों को पूरा मूल्य मिले। आज दूध देहली के लिए भेजते हैं या कहीं और भेजते हैं, उसमें सुधार होकर हमारे दुग्ध उत्पादकों को पूरा पैसा अपना मिले और दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां हैं, माननीय यादव साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह उनको सक्रिय बनाएं और इस प्रकार की सशक्त संस्थाएं बनाएं ताकि वह अपने शेयर होल्डर्स को अच्छे दाम दिला सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन तीनों मांगों में जो धन मांगा गया है, उसका समर्थन करता हूं लेकिन इन सुझावों को अमल में लाने का निवेदन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भवानी जोशी।

श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में आज सहकारिता, कृषि और पशुपालन पर चर्चा हो रही है। मैं इसमें अपने आपको सम्मिलित करते हुए कृषि मंत्री और पशुपालन मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि बांसवाड़ा एक जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है और वहां का काश्तकार बिलकुल अनपढ़, अशिक्षित और बिलकुल निर्धन परिवार से हैं। वहां माही का बहुत बड़ा डैम बना हुआ है। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि विभाग, पशुपालन विभाग और सिंचाई विभाग में आपस में किसी प्रकार का कोई सामंजस्य नहीं है। हमारे काश्तकार के पास कोई 50 बीघा या 100 बीघा जमीन नहीं होती वहां मात्र दो बीघा, तीन बीघा या डेढ़ बीघा जमीन होती है।

(श्री भवानी जोशी)

उन्हें पानी लेने का तौर-तरीका भी याद नहीं रहता। वे पानी अधिक ले लेते हैं जिससे जमीन सीपेज हो जाती है और उसमें अधिक पैदावार नहीं होती है। उनकी कृषि का पूरा ध्यान करने की आवश्यकता है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कृषि मंत्री महोदय से निवेदन है कि कम से कम वहां के काश्तकारों को इस तरह की कोई ट्रेनिंग दीजिए कि किस तरह से अपने व्यापार को या अपनी कृषि को आगे बढ़ा सकें। फलदार पौधे मिलें, ऐसी सब्जियों का उत्पादन करें जो कामर्शियल हो और उनको तत्काल पैसा का लाभ हो जाए। लेकिन उनको कृषि का ज्ञान नहीं होने के कारण वहां का अधिकांश काश्तकार गुजरात में मजदूरी करने के लिए चला जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में भी आया होगा कि बांसवाड़ा के 10-12 मजदूर कांडला बंदरगाह पर मर गए और सैकड़ों की संख्या में मजदूरों का आज तक पता नहीं है। वे अपने घर वापस नहीं आए। नहीं तो एक ही बारिश में अपने घरों की तरफ लौटते हैं। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से भी निवेदन है कि उन लोगों की खोज करायी जाए।

बांसवाड़ा में पशु नस्ल के बारे में मेरा आपसे निवेदन है कि वहां पशुओं की स्थिति ठीक नहीं है। पशु नस्ल के बारे में उस जनजाति क्षेत्र में कोई प्रोग्राम नहीं चलते हैं। उन्हें पशुओं के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। वहां जो पशु हैं वे मात्र एक या आधा लीटर दूध देते हैं जबकि इधर के पशु 10 या 15 लीटर दूध देते हैं। इसलिए कम से कम उस जनजाति क्षेत्र में पशु नस्ल सुधार के कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाए।

कृषि मण्डी के मार्फत वहां के क्षेत्र में जो सड़कों का निर्माण हो रहा है।

(16.43 बजे)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

उसमें किसी प्रकार की नीति नहीं बरती जाए और जनजाति के लिए एक अलग से नीति बनायी जाए और वहां की सड़कों का निर्माण किया जाए।

फसलों का भी समय-समय पर वहां नुकसान हो जाता है। फसलों का पूरा पैसा उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है, इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि फसलों का भी बीमा कराया जाए।

हमारे उदयपुर संभाग में अभी कृषि विश्वविद्यालय के लिए जबर्दस्त मांग है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि कृषि विश्वविद्यालय भी वहां खोला जाए। आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामनारायणजी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ा दिया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया गया।

मांग संख्या 36, 37 एवं 39 पर विचार

श्री रामनारायण चौधरी (मंडाता) : सभापति महोदया, आपने मुझे समय दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं।

श्री सभापति : हम भी आपके आभारी होंगे यदि आप समय सीमा में समाप्त कर लेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं आपके आदेश की पालना करूंगा। मेरी समय-सीमा आपका आदेश है। सभापति महोदया, आज सदन के सामने कृषि, पशुपालन और सहकारिता तीन विभागों की मांग हमारे यहां विचारार्थ हैं, स्वीकृति के लिए पेश हुई हैं। उन पर विचार हो रहा है और माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं।

गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। सत्ता पक्ष से माननीय कृषि मंत्री उत्तर दे रहे थे कि एक भी गड़बड़ कहीं होगी तो आप मुझे बताओ मैं एक्शन लूंगा। सभापति महोदया, मंत्री महोदया की जानकारी में बताना चाहता हूं कि जाली, फर्जी बीज बेचने वाली दुकानों और कम्पनियों की फाइल आपके विभाग के अंदर आपके पास है। विधान सभा सत्र के बाद आप वह फाइल मंगा लीजिए। जिन लोगों के खिलाफ जांच हुई है उन पर एक्शन लीजिए। आपके हिसाब से जांच ठीक नहीं हुई है तो उनकी जांच कराएं। आपको दूसरी शिकायत मांगने की जरूरत नहीं है, बहुत पहले से हैं।

माननीय सभापति महोदया, सहकारिता के बारे में गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर रहे थे उनके बहुत उत्तम विचार थे। लेकिन, सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो सहकारिता का प्रोग्राम इस देश को दिया था उसके जनक प्रथम प्रधान मंत्री स्वर्गीय पण्डित जवाहरलाल नेहरू थे। उनका जो कंसेप्ट था वह आज बिल्कुल बदल दिया। उनका कंसेप्ट यह था कि सहकारी समितियों के अंदर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वे बहुत सख्त खिलाफ थे जो हस्तक्षेप करते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है। शिवनाथ सिंहजी कह रहे थे कि आज हमारे अपैक्स इंस्टीट्यूशन की हालत क्या है। अपैक्स की नहीं, सहकारी समितियों की हालत क्या है। मान्यवर, सहकारी समितियों में आज ...(व्यवधान)... मेरी बात सुनें। मैं गंभीरता से बात कर रहा

(श्री रामनारायण चौधरी)

हूं। मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं सरकार के विचारार्थ मेरी गंभीर बात रख रहा हूं। आज सहकारी समितियों के अंदर पूरी सरकारी दखल है। आप कहेंगे कैसे ? सारे चुनाव सरकार करवाती है और चुनाव कैसे होते हैं। गांवों में दो पक्ष हैं। चुनाव अधिकारी इंस्पेक्टर ग्रेड का आदमी जाता है और वह सदस्यता के फैसले सुनाता है। जिस पक्ष का चुनाव अधिकारी और जिस पक्ष के अंदर वहां का सी.सी. बैंक है, ये दो एजेंसी जिसके पास हैं, अगर हमारे दोनों पक्षों में विवाद है तो जिसकी मदद करना चाहेंगे उसकी 50 मैम्बरशिप एक्सेप्ट कर लेंगे उसी वक्त ऑन दी स्पाट। वे नाम दे देंगे और वे एक्सेप्ट कर लेंगे और बराबर वाले के यहां रुपये जमा है। तो दोनों पक्ष जो चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके 50 मतदाता, 50 शेयर होल्डर्स एकदम से बढ़ गए। चुनाव हो गए। जिसके बढ़ गए वह जीत गया। सरकार जिस तरह से चुनाव करा रही है यह बिल्कुल फिक्टिसिचस चुनाव है। आपकी ग्राम सेवा सहकारी समिति है उसकी मेम्बरशिप है, उस सहकारी समिति की मेम्बरशिप लायबिलिटी लिमिटेड है और उस सहकारी समिति के अंदर आपका एक पैसा नहीं है। आप जो कुछ भी उसको दे रहे हैं उस सहकारी समिति के बोनाफाइड पर , उनकी जिम्मेदारी पर, उनकी रिस्क पर लोन देते हैं। उस लोन की सारी जिम्मेदारी सहकारी समिति के मैनेजर को आपने सौंप रखी है। सहकारी समिति का अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष, कार्यकारिणी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी कानून में सब दे रखी है, लेकिन उनके पास कोई अधिकार नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेम्बर भी बनाता है तो मैनेजर ही बनाता है। लोन का डिस्बर्मेंट भी करता है तो वही करता है। रिकवरी भी वही करता है।

सहकारी समिति का अध्यक्ष रिकवरी नहीं कर सकता, कोषाध्यक्ष रिकवरी नहीं कर सकता, सैक्रेटरी रिकवरी नहीं कर सकता। बॉडी एज ए होल कोई रिकवरी नहीं कर सकती। वह व्यवस्थापक ही करेगा। व्यवस्थापक ही बोनोफाइड का ही पता नहीं कि वह क्या है। एक साधारण एम्प्लाई है और सारी सहकारी समिति की को अपने थैले में रखता है। आज सौभाग्य से एक भी सहकारी समिति राजस्थान के अंदर यदि सही-सलामत मिल जाए, मैनेजरों से मुक्त होगी तो माननीय सहकारिता मंत्री महोदय बता दीजिएगा। उसको आप और देखेंगे कि उसमें कितना बड़ा अंकुश और कितनी बड़ी गड़बड़ उस व्यवस्थापक ने कर रखी है। लेकिन आप विश्वास ही नहीं करते। सहकारिता पर आपको विश्वास ही नहीं है। आप उनको जिम्मेदारी दीजिए। वह उनका काम है कि वे अपनी संस्था को किस प्रकार से चलाएं। चुनाव आप कराते हैं, व्यवस्थापक को रखते हैं, चुनाव फर्जी कराते हैं। कहां से सहकारिता पनपेगी ?

(श्री रामनारायण चौधरी)

शिवनाथ सिंहजी कह रहे थे अपैक्स बॉडी है। उसकी वह हैसियत थी जब चौधरी कुम्भारामजी उसके अध्यक्ष थे इसीलिए हैसियत थी कि उसकी मेम्बरशिप लिमिटेड थी। जो जिम्मेदार थे, जो कोऑपरेटर्स थे वे एक प्रकार से रेस्पोंसिबल थे, उनके दिलों में सहकारिता के प्रति लगन थी, उत्साह था। आज कोआपरेटर कौन हैं ? आज उसके अंदर वे कोआपरेटर हैं जो या तो ठेकेदार हैं या ठेकेदारों के साथ के लोग हैं। आप जब अपैक्स बॉडी के अंदर ठेकेदारों को अध्यक्ष बनाएंगे तो उसकी शक्ल क्या बनेगी ? वहां चुनाव होते हैं तो चुनाव सरकारी बल पर लड़ा जाता है। आप मुझसे बताइये, भूतपूर्व मंत्री के बेटे को एक अपैक्स बॉडी का अध्यक्ष बनाने के लिए सारे राजस्थान की सरकार लग जाएगी, मुख्य मंत्रीजी की प्रतिष्ठा का दांव बन जाएगा तो वहां पर काहे की सहकारिता होगी, काहे का वोलेंटरी आर्गेनाइजेशन होगा। वह तो ऐसा है That is as good Govt. institution as others. सारा अमला आपका वहां लगा हुआ है। आप उन पर छोड़िये, यह कोआपरेटर्स का काम है कि वह उस संस्था का किस प्रकार से चलाते हैं। आपको क्या फिक्र हो गयी उस संस्था को चलाने के लिए ? लेकिन आप उसका पालिटिकल गेन लेना चाहते हैं। उसको आप पालिटिक्स में क्यों उलझाते हो ? चलने दीजिए। अगर वह को-आपरेटिव में एक्टिव रहकर के राजनीति में आते हैं, प्रवेश करते हैं तो आप उनको उधर से अलग कर दीजिये। यह कानून बना सकते हैं आप। उनको उधर से अलग कर दीजिये। लेकिन कहीं न कहीं काम करके किसी न किसी माध्यम से राजनीति में आना तो हर आदमी का समाज के अन्दर, इस भारत के अन्दर हर आदमी की लास्ट एंबिशन है। आज एक आई.ए.एस. अफसर है, आज राजस्थान का भूतपूर्व चीफ सैक्रेटरी कोई भी हो उनकी भी पालिटिकल एंबिसन है कि वह एक बार असेम्बली में आ जाए या पार्लियामेन्ट्र में चला जाए। क्या यह सही नहीं है ? एंबिशन है। कौनसा काम उसका बाकी रह गया था राजस्थान का चीफ सैक्रेटरी रहकर ? कोई उसका बाकी नहीं रहा लेकिन एम.एल. ए. बनने की उनकी भी इच्छा है क्योंकि एम.एल.ए. एक सीढ़ी है। उससे वह चीफ मिनिस्टर बनता है, मिनिस्टर बनता है, उसको तो आप रोक नहीं सकते लेकिन आपने इन संस्थाओं का गला घोंट दिया। सुजान सिंहजी बहुत मेहनत करते हैं लेकिन क्या मेहनत करेंगे, उनके हाथ में क्या है, सारा गवर्नमैंट मशीनरी के पास है। यह सहकारिता के बारे में है।

कृषि के बारे में शिवनाथ सिंहजी बोल रहे थे हमने कोई ऐसा रिसर्च नहीं किया। मान्यवर, शर्म आती है यह बात कहते हुए कि आप राजस्थान के रिसर्च पर कुछ तो बताइये। आज हिसार की यूनिवर्सिटी है उसका एक प्रोडक्ट है, आज पूसा इंस्टीट्यूट

(श्री रामनारायण चौधरी)

है उसका एक प्रोडक्ट है, आज गोविन्द बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय का एक प्रोडक्ट है, सारे देश को अभिमान है, गौरव है और आप झगड़ते हैं उदयपुर के नाम पर, बीकानेर के नाम पर। क्यों झगड़ रहे हैं, किससे लड़ रहे हो, फोर वाट ? क्या दे रहे हैं दोनों ही ? न तो उदयपुर विश्वविद्यालय ने कुछ दिया, न बीकानेर विश्वविद्यालय ने कुछ दिया, न जोबनेर ने दिया। ठीक है पढ़कर के आपने एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स निकाल दिये। उससे क्या हो गया ? वह भी नौकरी कर रहे होंगे। लेकिन रिसर्च बर्क में आपकी यूनिवर्सिटी ने या आपकी कालेज ने कोई भी प्रोडक्ट दिया हो, मोठ में, ग्वार में, मूंग में, बाजरे में, मक्का में, ज्वार में जो पैदावार इस प्रदेश की है उसमें कहीं भी कुछ भी रिसर्च वर्क में राजस्थान की कृषि यूनिवर्सिटी का, कृषि मंत्रालय का कोई योगदान नहीं है। बड़ी शर्मनाक बात है हमारे प्रदेश के लिए कि जहां राजस्थान आज सरसों के अन्दर प्रमुख प्रोडक्शन करने वाला प्रदेश है, आज प्रथम स्थान पर है लेकिन आप बीज किसका काम में ले रहे हैं? पूरा इंस्टीट्यूट का, हरियाणा का और पंत कृषि विश्वविद्यालय का। तो आपका तो कुछ है ही नहीं। आप यहां बाजरे का एक अच्छा बीज नहीं दे सकते। बीज तो दूर रहा, आप सर्टिफाइड बीज का वितरण नहीं करवा सकते। न आज करवाया न पहले करवाय और न आगे करवा सकेंगे। सर्टिफाइड बीज आज देखिये, आन्ध्र प्रदेश में बाजरे का उपयोग नहीं होता, मद्रास में नहीं होता, महाराष्ट्र में बाजरा नहीं खाया जाता, गुजरात में नहीं खाया जाता लेकिन बाजरे की बीज का उत्पादन कहां हो रहा है ? इन चारों प्रदेशों में रिसर्च होकर के वहां हो रहा है। वहां पर इसके फार्म बने हुए हैं। वहां से थैलियां बनकर आती है और राजस्थान में आकर बिकते हैं। मान्यवर, वह सारा नकली आता है। उन थैलियों के अन्दर यहां के व्यापारी, वह जो रिसर्च वर्क की आयी थैलियां है उन पर जो मोहर लगी हुई है उसके अन्दर यहां का बाजरा भरकर धड़ल्ले से बेच रहे हैं। शिवनाथ सिंहजी कहते हैं कि वह फसल डूब जाएगी, फसल नहीं डूबेगी तो वैसी फसल कैसे होगी जब यहां के लोकल बीज को उसमें भर दिया। वो जैसा ओरों के होता है उस तरह का ही उसके वहां होगा। जो असली बीज है वह तो पहले ही बिक गया, उसकी नकली थैलियां, नकली स्टेम्पिंग से बिक रही है। तो इसकी व्यवस्था कृषि मंत्री महोदय आप करायें। इसकी मुझे उम्मीद है।

सभापति महोदया, कृषि विपणन बोर्ड ने जो अब की बार महत्पवूर्ण काम किया है उसके लिए मैं बधाई देता हूं। मैं दो मिनट

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

में खतम कर रहा हूं। मैं बधाई देता हूं कि उन क्षेत्रों में जहां पर मण्डियां कमजोर थीं उनको आपके विपणन बोर्ड ने, उपेक्स बॉडी ने सम्भाला है। यह प्रथम बार हुआ है और उन इलाकों में जहां बहुत कमजोर थीं उनको

(श्री रामनारायण चौधरी)

सम्भाला है। मैं बोर्ड को बधाई देना चाहता हूं।

हमारे पशुपालन मंत्री महोदय का मैं व्यक्तिशः और सरकारी, दोनों रूपों में उनके काम का प्रशंसक हूं, प्रशंसा करना चाहता हूं कि उनको जितना काम सीमित में दिया गया है उसमें वह कभी कमी नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन वह क्या करें, बजट उनके पास है नहीं। मान्यवर, मंत्री महोदय, जितना बजट आपके पास है, आप कम्पाउण्डर्स, आपके डाक्टर्स और दवाइयां हैं, इनकी आप अपने स्तर पर अस्पतालों में व्यवस्था करवाइये। मैं एक मिनट में खतम कर रहा हूं। आज राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां कृषि और पशुपाल दो मुख्य धन्धे हैं। इस प्रदेश में दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं। जितना कृषि में हैं उतना ही पशुपालन में भी है। तो आप इन दोनों को प्रोत्साहन दीजिए। पशुपालन की तरफ भी आप अत्यधिक ध्यान दीजिये।

सभापति महोदया, सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं, कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, सहकारिता मंत्रीजी को मैं यही कहना चाहता हूं कि आपके पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, सिरफोड़ी का महकमा आपके पास है उससे आप सिर भले ही फोड़ लें। उसमें आप सुधार नहीं कर सकते। जब तक नेशनल पॉलिसी में यह बदलाव नहीं आयेगा, राष्ट्रीय लेवल पर इस बात का विचार नहीं आएगा कि सहकारी संस्थाओं में सरकारी हस्तक्षेप नहीं हो तब तक आप इसमें बदलाव नहीं ला सकते। सरकारी हस्तक्षेप बना रहेगा तो दो पक्ष बने रहेंगे। हावी पक्ष जीत जाएगा, वह मनमानी करेगा। सरकारी एजेन्सी में जो कोई भी वहां पर है उसके हाथ से वह लुटती रहेगी और सहकारिता लुटती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री उगमराज मेहता।

श्री भीमसेन चौधरी : अब कांग्रेस की बारी थी।

श्री सभापति : क्या बात कर रहे हैं, आप रामनारायणजी को कांग्रेस में नहीं मानते क्या ? अब चौधरी साहब, विचार कर लो।

श्री रामनारायण चौधरी : मेरे को तो आपका कृपापात्र मान रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : जैसी भाषा में बोले वह सत्ता पक्ष की भाषा थी।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : सभापति महोदया, मैं सर्वप्रथम कृषि विपणन बोर्ड से सम्बन्धित माननीय सहकारिता मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं। ब्यावर कृषि उपज मण्डी में सहकारिता के आधर पर उन धुलाई का संयंत्र लगा हुआ है। आज दो साल हो गये, काम चल रहा है। ऊन धोने के बाद में ऊन सुखाने के लिए या ऊन रखने के लिए 48 गोदाम बनाये हुए हैं, बार-बार उनके लिए आपको निवेदन किया, शिष्टमण्डल भी आया कि जो 48 गोदाम हैं

(श्री उगमराम मेहता)

उनको लाटरी सिस्टम से अलॉट किया जाए, आप किराया लीजिये। परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ रह है कि इस प्रकार के कृषि उपज मण्डी को जो किराया आना चाहिए वह किराया अभी मिल नहीं रहा है और गोदाम बन्द पड़े हैं। इनका कहना है कि हम नीलाम करेंगे। वह दुकान नहीं है वह गोदाम है और उनके लिए बनाये हुए हैं। नीलामी में दूसरे व्यक्ति भी बोली में आएंगे तो उन गोदामों पर दूसरे कब्जा करेंगे। उन ऊन व्यावसायियों के लिए यह गोदाम बनाये हुए हैं। मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहूंगा कि उन 48 गोदामों को आप लाटरी सिस्टम से अलाट करने की व्यवस्था करें।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका यह भी आभार प्रकट करना चाहूंगा कि कृषि उपज मण्डी द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत सारी सड़कें बनीं और हर साल मुझे 70-80 लाख रुपये सड़कों के लिए मिलते हैं। इस बार भी अभी 70 लाख रुपये की तीन सड़कें पास होकर आयी हैं। मैं एक बात यह जरूर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक करोड़ रुपये सड़कों के लिए और उन सड़कों के लिए एक करोड़ रुपये हैं तो आप कम से कम उसमें 3-4 सड़कें और दे सकते हैं ताकि आने वाले समय में वह काम पूरी रफ्तार से चल सके। आपने पिछली बार जो सड़कें बनायी, देवखेड़ा शोनगरी सम्पर्क सड़क, देवखेड़ा से शोनगरी मीसिंग सड़क को स्वीकृत कर कार्य करें। उसको आपने देवखेड़ा तक बनाकर छोड़ दिया वह आगे सोमनगरी सड़क जानी चाहिए

(17.00 बजे)

थी, वहां तक बननी चाहिए थी, सोमनगरी भी राजस्व ग्राम है। वहां की जनसंख्या भी, जिस प्रकार की आप चाहते हैं, वह जनसंख्या है और यह भी कि आपके विभाग को और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि 500-700 की जनसंख्या तक भी सड़क बन गयी।

अब मैं आपको नई सड़कों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। अभी फण्ड है। भीम से आपोतो का बाड़िया, बंजारी पंचायत हैडक्वार्टर तक एक सड़क मैंने मांग की है, उस सड़क की मंजूरी दें। सूरजपुर से डंड, एक किलेमीटर। पानी-पानी भरा रहता है, बरसात में आने-जाने का रास्ता नहीं रहता है, इसलिए उस सड़क को भी आप उसमें लें। कृषि मण्डी द्वारा बहुत साल पहले जो सड़कें बनीं उनमें टूट-फूट भी हो गयी खड्डे भी पड़े हुए हैं। बार-बार उनको निवेदन किया जा रहा है, कृषि उपज मण्डी समिति को लिखते हैं तो जवाब आता है कि हमने पी.डब्ल्यू.डी. को दे दी। पी.डब्ल्यू. डी. वाले कहते हैं कि हमारे पास इसका कोई फण्ड नहीं दिया गया। जो जितनी भी सड़कें हैं आज, वे आप उनको, आपके पास में 57 लाख रुपया अभी स्पेशल रिपेयरिंग फण्ड के पड़े हुए हैं और मैं चाहता हूं कि 57 लाख

(श्री उगमाराज मेहता)

रुपये का उपयोग आप इन सड़कों की रिपेयरिंग के लिए, जहां टूट-फूट हुई है ज्यादा सड़कों की उनकी रिपेयरिंग के लिए हाथ में लें ताकि वहां पर सड़कों की देखभाल हो सके या आपको पी.डब्ल्यू.डी. को देना है तो पी.डब्ल्यू.डी. को देकर उसके मार्फत ठीक करवाई जाए।

एक कृषि उपज मण्डी में मीटिंग हाल के लिए जहां के व्यापारियों ने एक मीटिंग करके सचिव के साथ में, मैं भी वहां था, उन्होंने वहां एक जमीन डिमाण्ड की है, उनको आप जमीन दे दीजिए ताकि वे मीटिंग हाल के लिए काम चालू कर सकें। ताकि वहां पर व्यापारी बैठ करके विचार विमर्श करें तो एक जमीन आप उनको वहां अलाट कर दीजिये। उसमें बेचान की दृष्टि से नहीं, जमीन उनको मुफ्त दें और वहां पर एक हाल बनाया जाएगा और वहां पर उनके बैठने के लिए, मीटिंग करने के लिए वह जगह मीटिंग हाल के लिए उनको उपलब्ध कराई जाए।

मैं डेयरी मंत्रीजी से एक ही बात निवेदन करना चाहूंगा। अजमेर जिले में जो प्रमोशन हुए हैं, वह आप आंकड़ें लाकर देखें, फाइल मंगाकर देखें। जिस व्यक्ति का प्रमोशन होना था, इन्क्रीमेन्ट मिलना था, उसके नीचे वाले को पहले प्रमोशन कर दिया गया। आप कृपया उसकी फाइल मंगाकर, कागज मंगाकर देखिये, फाइल मंगाकर देखिये।

मैं कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जवाजा पंचायत समिति के सारे ग्राम डार्क जोन में हैं। इस डार्क जोन का अब काला शब्द तो हटा दीजिये । वहां पर अब इस प्रकार से पानी ऊपर आ गया है सारे कुओं में कि आप बाल्टी भरकर पानी निकाल सकते हैं। ऐसा एरिया है, उस डार्क जोन शब्द को हटा दीजिये। ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में ...

श्री अमराराम चौधरी (पचपदारा): यह पी.डब्ल्यू. डी. से संबंधित है।

श्री उगमराज मेहता : मैं तो कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी। पी.डब्ल्यू.डी. की जब डिमाण्ड आएगी तो आप मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं, वे भी सुन रहे हैं, उनके डार्क जोन शब्द हटा दें।

पशुपालन मंत्रीजी से मेरा तो एक ही निवेदन है और आपको एक मांग की थी कि कोटड़ा में एक चल इकाई खोलने की स्वीकृति की हां भरी है। इस सम्बन्ध में स्वीकृति प्रदान करें। इसके साथ ही आपने जो समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री भीमसेनजी। (व्यवधान)

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : माननीय चेयरमैन महोदया, आप कृषि, पशु

(श्री भीमसेन चौधरी)

पालन, सहकारिता के सम्बन्ध में मैं अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में थोड़ी बात रखना चाहता हूं। सबसे पहले कृषि से संबंधित अपनी मांग के सम्बन्ध में कटमोशन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) : मेरा भी नाम था। मैं तो कभी बोलता ही नहीं हूं।

श्री सभापति : आपका नाम नहीं है लिस्ट में। मैं एक-एक को जवाब नहीं दूंगी। जिन्होंने पूछा है उनको कह दिया। अपने सचेतकजी से पूछिये कि किस-किस का नाम है ? (व्यवधान) ऐसा है, भीखा भाई ने पूछ लिया तो उनको बता दिया कि आपका नाम नहीं है। मैं सबको कैसे कहूं किसका है किसका नहीं। (व्यवधान) बिराजिये आप।

श्री भीखा भाई : सभापति महोदया, मेरा नाम नहीं है तो मैं तो बोल ही नहीं सकता जबकि मैंने कटमोशन दिये हैं।

श्री भीमसेन चौधरी : सभापति महोदया, अभी एक माननीय सदस्य ने इस बात की तरफ ध्यान इंगित किया था कि हमारे कृषि विश्वविद्यालय में कोई रिसर्च वर्क नहीं किया मैं माननीय चेयरमैन महोदया यह निवेदन करना चाहूंगा कि रिसर्च वर्क होगा कहां से ? हमारे कृषि के संबंध में जो छात्रों के एडमिशन होते हैं, उसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के या किसान जो खेती करते हैं उनके बच्चों को अगर आप एडमिशन में आरक्षण देंगे तो बच्चे, ऐसे संस्कार वाले बच्चे आयेंगे जो आगे रिसर्च वर्क में ध्यान देंगे तो मैं समझता हूं कि सरकार को इस संबंध में ध्यान देने की आवश्यकता है, नीतिगत निर्णय लेने की आवश्यकता है।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारा कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर का है। यह कृषि विश्वविद्यालय नाम का है, वहां कोई फैकल्टी है ही नहीं। सारी फैकल्टी तो आपकी उदयपुर में पड़ी हुई है। यह कैसा विश्वविद्यालय है जो वहां वर्क कर रहा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उदयपुर की जो मांग है, उनकी मांग है कि कृषि विश्वविद्यालय की पूर्ति होनी चाहिए। लेकिन हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर का है, उसमें सारी फैकल्टी वहां कायम की जानी चाहिए। एक बात की तरफ मैं ध्यान देना चाहता हूं कि अभी इंस्टीट्यूट आफ फूड टैक्नोलोजी और दूसरा, सेन्टर आफ एक्सीलेंस, ये दो यूनिट्स कृषि विश्वविद्यालय में कायम करनी थी इसके लिए वर्ल्ड बैंक की टीम को यह काम सुपुर्द किया गया कि ये दोनों संस्थाएं कहां कायम की जानी चाहिए। इसके बारे में वर्ल्ड बैंक की टीम ने रिपोर्ट दी कि ये दोनों संस्थाएं कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में स्थापित की जानी चाहिए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह वर्ल्ड बैंक की टीम की रिपोर्ट के होते हुए भी और बिना मंत्रिमण्डल के निर्णय के ये सारे संस्थान दूसरी जगह कैसे स्थापित

(श्री भीमसेन चौधरी)

किये गये ? मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं।

दूसरा, कृषि विश्वविद्यालय में वेटेरिनरी कालेज हैं, वहां पर पशु नस्ल सुधार करने के लिए आपने विदेशों से बुल्स मंगवाये, लाखों रुपये बुल्स मंगाने पर आपने खर्च किये और उन बुल्स के मेंटीनेंस पर क्या हुआ ? यह सरकार के ध्यान देने की आवश्यकता है। लाखों रुपयों की कीमत के ए.आई. सर्विसेज के पशु नस्ल सुधार करने के लिए जो वेटेरिनरी कालेज में बुल्स मंगाये विदेशों से, उन बुल्स को आपने पूरी खुराक नहीं दी। उनकी खुराक तो कोई खा गया और सारे बुल्स मरने की हालत में है, तो मैं सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस बात की जांच की जाए कि उन बुल्स आज को जितनी उनकी आवश्यकता थी, उतनी डाइट दी गयी ? अगर डाइट दी गयी तो उन बुल्स की हालत आज ऐसी क्यों हो गयी ? यह एक जांच का विषय है और इस तरफ भी सरकार के ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदया, हमारे बीकानेर में कई मोबाइल यूनिट पशुपालन विभाग में था पूगल में मोबाइल यूनिट थी, लूणकरणसर में मोबाइल यूनिट थी और बीकानेर में एक मोबाइल यूनिट थी ए.आई. सर्विसेज के लिए, उनका क्या हाल है आज ? वे मोबाइल यूनिट आपके कागजों में है, उनकी गाड़ियों का क्या हुआ ? और उनके बारे में जनता को सर्विसेज मिलनी चाहिए थीं, वह सर्विसेज आज नहीं मिल रही है, इसके लिए ध्यान देने की आवश्यकता है।

इस तरह, हमारी जो बीकानेर की डेयरी है या हमारे आर.सी.डी.एफ. की जो फंक्शनिंग हैं जिसके बारे में बराबर आलोचना की जा रही है। एन.डी.बी.बी. ने जो फायदा किया था, जो अनुबन्ध किया था, वह अनुबन्ध के आधार पर इन्होंने हमारे यहां के जिला समूहों की जो कार्य प्रणाली है और जिला संघ लाभ में चल सकते थे उन्होंने वहां पर...

(समय -समाप्ति -सूचक घण्टी)

एन.डी.बी.बी. ने व्हाइट एलिफेंट्स हर जिला संघ में बैठा दिये जिनकी तनख्वाहें इतनी बड़ी बड़ी हैं और इन्होंने हमारे दूध की कीमत, हमारा दूध पानी से भी सस्ता है। आज पानी की क्लीन वाटर बोतल 12 रुपये में मिलती है एक लीटर और हमारे किसानों का दूध आप केवल 6 रुपयें में ले जा रहे हैं, क्योंकि यह एन.डी.डी.बी. के हाथ में जो डेयरी है दिल्ली की, यह सारा उनके हाथ में है, वह दूध वहां जाता है। वे दूध की कीमत नीचे रखते हैं, कम रखते हैं, हमारे यहां का शोषण करने के लिए। आप वकालत कीजिये। आज गुजरात में गाय के दूध का क्यां भाव है और हमारे यहां के

(श्री भीमसेन चौधरी)

गाय का दूध का भाव क्या दे रहे हैं, इसके बारे में जांच करने से आपको यह मालूम हो जाएगा कि हमारा कितना शोषण किया जा रहा है।

इसी तरह से मेरी खाजूवाला मण्डी है, 100 करोड़ रुपये की उसकी आमदनी होती है। वहां पर किसानों को, उस मण्डी में वेयरहाउस की फेसेलिटी होनी चाहिए। किसानों की फसल वेयरहाउस में रखकर और उसकी उचित कीमत मिले, उस समय वे अपनी फसल बेच सके, इसलिए यह सुविधा की जानी चाहिए लेकिन इसकी तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। वहां उस मण्डी के अन्दर किसानों की लोनिंग की व्यवस्था के लिए हमने भूमि विकास बैंक की शाखा खोलने की मांग की थी और इसके बारे में मैं माननीय सहकारिता मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि नाबार्ड के अन्दर हमारा यह मसला गया हुआ है। मैं समझता हूं कि इस बांध की खाजूवाला में खोलने के लिए आप शीघ्र स्वीकृति दिलाएंगे। इसी तरह से, माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे छत्तरगढ़ में मार्केटिंग सोसायटी थी, उस मार्केटिंग सोसायटी को...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मेरी ओर भी ध्यान दें, समय पूरा हुआ, समापन करें आप।

श्री भीमसेन चौधरी : मैं दो मिनट में अपनी बात खतम करना चाहता हूं। हमारे क्रय-विक्रय सहकारी समिति, छत्तरगढ़ है, वहां उस सहकारी समिति में आठ-नौ साल से जो मैनेजर था, वह अपने तरीके से उसमें आठ-दस लाख रुपये का गबन कर गया। अब वह सहकारी समिति, हमारे वहां के किसानों का क्या हाल होगा, लोनिंग की, उनकी मार्केटिंग की, तो मैं समझता हूं कि यह मार्केटिंग सोसायटी, जो नुकसान में कर दी गयी एक जनरल मैनेजर की वजह से, उसकी जांच की जाए और जो पैसा वह खा गया उससे रिकवर किया जाए। यह समिति कैसे दुबारा पनप सके, इसके बारे में सहकारिता विभाग को ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : **श्री कन्हैयालाल पाटीदार।**

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : माननीय सभापति महोदया, आज कृषि सहकारिता एवं पशुपालन के ऊपर जो चर्चा हो रही है इन तीनों डिमाण्डों का सीधा सम्बन्ध किसानों से है, यह किसानों से सम्बन्धित है।

आज हमारे प्रदेश का ही नहीं, बल्कि देश का किसान, देश की रीढ़ है लेकिन हमारे इस किसान के सामने कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनकी वजह से वह अपनी ध्यान में समुचित पैदावार नहीं कर सकता और उन समस्याओं के रहते हुए किसान की

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

माली हालत भी पूर्ववत चली आ रही है। मुख्य समस्या जो किसान के सामने हैं, विद्युत की है। किसान पूरी तरह से विद्युत के ऊपर आधारित हैं चाहे उसको कुओं से पानी लेना हो, नदी से सिंचाई करनी हो या अपनी फसल को गाही के लिए थ्रेसर की आवश्यकता हो, बिना विद्युत के वह अपनी फसल को सही समय पर और अधिक मात्रा में पैदा नहीं कर सकता। मेरा सरकार से अनुरोध है कि हमें चाहे जो करना पड़े लेकिन किसान को सस्ती और शीघ्र विद्युत आपूर्ति करायी जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे राजस्थान में तीन चार जिले झालावाड़, कोटा, बारां, बूंदी, चित्तौड़, इन जिलों में धनिये की पैदावार होती है। इस वर्ष धनिये की पैदावार अधिक होने की वजह से बाजार में भाव मात्र सात आठ सौ रुपये प्रति क्विंटल था। किसान बड़े चिंतित थे। किसानों ने काफी खर्चा किया, काफी मेहनत की, धनिया पैदा किया लेकिन उनको बाजार में समुचित भाव नहीं मिल रहा था। किसानों ने अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई और सरकार ने 1250 रुपये प्रति क्विंटल धनिये का भाव दिलाना किसानों के हित में किया, इसके लिए मैं सरकार का अत्यन्त आभारी हूं। साथ ही एक और महती योजन किसानों के पक्ष में जो हमारी सरकार ने दो वर्षों से चला रखी है, किसानों को ट्रेक्टर लोन के ऊपर 30,000 की सब्सिडी हमारी राजस्थान सरकार देती है। मैं सम्पूर्ण किसान वर्ग की ओर से सरकार का अत्यन्त आभारी हूं।

माननीय सभापति महोदया, मेरे झालावाड़ जिले में संतरे, मौसमी की पैदावार बहुतायत से होती है। झालावाड़ जिले की भवानी मण्डी संतरे की बहुत बड़ी मण्डी है जिसका राजस्थान में जयपुर के बाद दूसरा नम्बर है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि भवानी मण्डी में एक ज्यूस फैक्ट्री डालें ताकि किसानों को अपनी फसल का समुचित मूल्य मिल सके और सरकार को भी इसकी रेवेन्यू प्राप्त हो सके।

इसी तरह से, सभापति महोदय, राजस्थान के दो या तीन जिले अफीम की काश्त करते हैं जिनमें हमारा झालावाड़ जिला भी सम्मिलित हैं। मैं राजस्थान सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह केन्द्र सरकार से अनुरोध कर जो-जो किसान अफीम को फसल बोने के इच्छुक हैं, उन सब को, चाहे कम मात्रा में ही सही, अफीम की काश्त करने के लिए पट्टे जारी करवाये जाएं।

माननीय सभापति महोदय, कृषि के बारे में मेरा एक और निवेदन है। अभी हमारे यहां कृषि सब्जैक्ट को पढ़ाने की पूरी व्यवस्था नहीं है। हमारे झालावाड़ जिले में केवल एक स्कूल में कृषि सब्जैक्ट पढ़ाया जाता है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि कृषि को और बढ़ावा देने की दृष्टि से हर तहसील स्तर के ऊपर किसी एक स्कूल में कृषि सब्जैक्ट पढ़ाया जाए।

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि विपणन बोर्ड के द्वारा मेरे क्षेत्र की तीन रोड्स स्वीकृत हुई हैं। कड़ोदिया- दुबलिया, चचलाव और सामरिया। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि एक रोड का एलाइनमैंट चेंज करने का कष्ट करें। कड़ौदिया-दुबलिया वैसे ही पी.डब्ल्यू.डी. से स्वीकृत है डामरीकरण तक, तीन किलोमीटर है। इस दुबलिया रोड को हम चाहते हैं कि सलोटिया से दुबलिया के लिए इसका एलाइनमैंट चेंज हो। यह भी तीन किलोमीटर की दूरी है। इस बाबत मैंने विपणन बोर्ड को पत्र लिखा है, कृषि उपज मण्डी के सैकेटरी को भी लैटर लिखा है। कृपया इसको चेंज करवाएं। दूसरा, चचलाव पंचायत मुख्यालय है उसके लिए आपने रोड स्वीकृत की है लेकिन मिस प्रिंटिंग की वजह से चचलवा की बजाय चचलाई छप गया है। चचलाई एक बहुत छोटा सा गांव है इसलिए उस चचलाई की बजाय उसको चचलाव पंचायत मुख्याल की रोड किया जाए। मेरे क्षेत्र में दो पुरानी रोड्स काफी वर्षों से कृषि उपज मण्डी से स्वीकृत हैं- उड़िया खेड़ी और रोशनवाड़ी। रोशनवाड़ी पर तो बिलकुल भी कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ और उड़िया खेड़ी के ऊपर काम चला है लेकिन चार-पांच वर्षों से यह रोड अधूरी पड़ी है। इसके ऊपर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि इन दोनों सड़कों के कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराने का कष्ट करें।

इस अवसर पर मैं माननीय सहकारिता मंत्री महोदय से भी अनुरोध करना चाहूंगा। सहकारिता के ऊपर भी हमारा किसान पूरी तरह से निर्भर है। उसको खाद, बीज, नकद राशि, यहां तक कि राशन भी हमें सहकारी समितियों से प्राप्त होता है लेकिन मेरे क्षेत्र में कोई-कोई सहकारी समितियां तो चार-चार पंचायतों को मिलाकर बनाई गयी है। मैं चाहूंगा कि यदि हर पंचायत में एक-एक सहकारी समिति दें तो निश्चित रूप से किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। इस दिशा में भी माननीय सहकारिता मंत्रीजी अवश्य सोचेंगे।

पशुपालन मंत्री महोदय से मेरा छोटा सा अनुरोध है कि हमारे यहां दस-दस पन्द्रह-पन्द्रह किलोमीटर तक कोई पशु चिकित्सा उपलबध नहीं है। इस दृष्टि से मैं निवेदन कर रहा हूं कि ग्राम सिरपोई एवं ग्राम माथनिया में मेरे क्षेत्र में सब सेंटर स्वीकृत करने का कष्ट करें ताकि पशु को उपचार मिल सके। माननीय सभापति महेदय, आपने समय दिया, धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री राधेश्यामजी।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : माननीय सभापति महोदया, जो डिमाण्डस को-आपरेटिव की एग्रीकल्चर की, पशुपालन की , डेयरी की आज चर्चा में हैं उसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुए कुछ

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

सुझाव देना चाहूंगा। कोआपरेटिव एक ऐसा इश्यू है, कोआपरेटिव समाज में एक ऐसी चीज है कोआपरेटिव हमें भली-भांति मालूम है कि महराष्ट्र और गुजरात के कोआपरेटिव सैक्टर ने जो हमारे हिन्दुस्तान में अपना एक अलग स्थान प्राप्त किया है उसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाऊंगा कि इसमें ऐसा प्रयास किया जाए, ऐसी खोज की जाए, ऐसी टीम तैयार करके उन इलाकों में भेजी जाए और मालूम की जाए कि महाराष्ट्र और गुजरात जो हमसे आगे क्यों हैं आखिर हमारी ऐसी कौन सी कमी है हमारे मंत्री बहुत नेक हैं, ईमानदार हैं पर इस मामले में रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं या अधिकारी जो हैं वे इनके वंश में नहीं है ?

मैं आपसे निवेदन करूंगा, बहुत अच्छा मौका है इसमें मूल परिवर्तन की गुंजाइश हैं। पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने जिस दिन कोआपरेटिव को शुरू किया था उस दिन उन्होंने कुछ सपना देखा था और वह सपना आपको मालूम है कि कई प्रदेशों में पूरा हो रहा है। ऐसे-ऐसे प्रदेश हैं जो पूरी गवर्नमेंट अपने साधनों से चला सकते हैं। बड़ी बिडम्बना है कि हमारा राजस्थान का कोआपरेटिव सैक्टर को जिस तरह से उसको कार्य करना चाहिए, बहुत बड़े-बड़े अधिकारी यहां गैलरी में मौजूद हैं, इसके ऊपर हमें बहुत बारीकी से विचार करना चाहिए और हमारा अग्रणी स्थान हो हिन्दुस्तान में तब तो हम इस बात को मानें कि नेहरूजी ने जो सपना देखा था वह पूरा हुआ। वैसे तो इसमें बहुत सारे सुझाव हैं पर इतनी ज्यादा कमी है, मेरे ख्याल में मंत्रीजी को खुद मालूम है और मंत्रीजी चाहते हुए भी उन कमियों को दूर नहीं कर पाते। यह कोई एक्ट इस तरह का है कि मैं कहता हूं कि जो पता ही नहीं चलता कमाल की बात है लूट हो रही है, खा रहे हैं लोग दबा-दबा कर लूट रहे हैं इस डिपार्टमेंट को और कोई पूछने वाला नहीं है। एक आर्डर सुबह होता है तो शाम को नया आर्डर हो जाता है और शाम को होता है तो दूसरे दिन कोई नया आर्डर हो जाता है। इसलिए सुचारू रूप से हमें अगर एक्ट में भी तब्दीली करनी पड़े, दूसरे प्रदेशों से कुछ मार्गदर्शन भी लेना पड़े, क्योंकि दूसरे प्रदेश भी कई मामलों में हमसे मार्गदर्शन लेते हैं, तो इसलिए कोई बुराई नहीं है। यह तो मामला है कोआपरेटिव का है।

अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो बात है माननीय मंत्रीजी अपनी बात तो मानते ही है। ऐसी बात नहीं है, मेरे को तो कोई शिकायत इनसे नहीं है। लेकिन मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमारे जो नये बने हैं, बहुत विद्वान हैं, पढ़े-लिखे हैं, एडवोकेट हैं। इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया 600 करोड़ रुपये का नरमा-कपास गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में बरबाद हो गया। क्यों हुआ ? यह आपको जानकारी होनी चाहिये। आपकी टीम गयी थी वहां सैन्ट्रल

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

टीम भी गयी, राजस्थान गवर्नमेंट ने भी अपनी टीम भेजी। किसान बरबाद हो गये उसके लिए आपने एक शब्द यहां नहीं कहा। 142 करोड़ रुपये नेचुरल कैलेमिटी के लिए राजस्थान को मिलते हैं। आपने किसानों को अभी तक एक पैसा तक नहीं दिया। ऐसे सरकार कैसे चलेगी ? आप खुद ही मन में बैठकर सोचो कि आप तो जा रहे हो लेकिन हमारे लिए इतना बड़ा कुआं खोदकर नहीं जाओ कि आने वाली सरकार रोती रहे। मंत्री महोदय आज किस कारण से वह हुआ? यह कारण आपके सामने आया है, क्योंकि बीज सही नहीं है, खाद सही नहीं है, आपके पेस्टिसाइड सही नहीं है, वह प्रमाणित नहीं है। जिन लोगों को आपने लाइसेंस और ठेके दे रखें हैं। इन चीजों को चैक करने के लिए, वो बिलकुल नकली है और काफी पंजाब से नकली दवाइयां ला करके करोड़ों रुपयों की दवाइयां जो गरीब किसान मारा-मारा फिरता है, 6-6 बीघा जमीन, उस व्यक्ति की क्या हालत होती है, वह रोता है और कई बार कहता है कि मैं खुदकशी करूंगा। इसी कपास को लेकर आन्ध्र प्रदेश में बहुत सारे लोगों ने, मजाक की बात नहीं है माननीय सदस्य ये आपके और हमारे सारों की बात मैं कहता हूं, प्रश्न इधर-उधर का नहीं है आपको भी चिन्ता है और आपको करनी भी चाहिए ..(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : एक मिनट, माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता रहा हूं कि आन्ध्र प्रदेश में जो हुआ उसका कारण यह था कि वहां पर 48% ब्याज लेते हैं और वह भी पहले। इसीलिए उनको वहां सुसाइड करना पड़ा, क्योंकि इतनी उनकी पैदावार नहीं हुई। अपने यहां ऐसी बात नहीं है कि ब्याज इतना हो 2% से ज्यादा ब्याज नहीं होगा, सहकारी में तो और भी कम है उस हिसाब से उन लोगों से दुगुने ज्यादा तो ब्याज लिया जा रहा है उनकी पैदावार का ..

श्री राधेश्याम गंगानगर : आप विराजिये, आप इकट्ठा जवाब दे देना।

श्री अमराराम चौधरी : इसीलिए उनके ऐसा हुआ। अपने यहां ऐसा नहीं है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : नहीं, आप इकट्ठा जवाब देना। मैं आपको बार-बार तकलीफ नहीं देना चाहता हूं क्योंकि आप तो अभी नये-नये आये हैं डिपार्टमेंट में।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी घंटी बजेगी तो फिर तो काम चल गया। फिर आप कह दो मैं बैठ जाता हूं।

श्री सभापति : देखिये, मेरे सामने समय की सीमा है और मैं बिलकुल आसन के साथ न्याय कर रही हूं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : सभापति महोदया, आप मेरे साथ भी न्याय करो आसन के साथ भी करो।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : दोनों काम आप तराजू तोलो...

श्री सभापति : समापन पर आ जाइये आप।

श्री राधेश्याम गंगानगर : अभी मैंने बोला ही नहीं। शुरू ही नहीं किया।

श्री सभापति : सब कुछ जरूरी है, सबका बोलना जरूरी है आप भी समापन पर आ जाइये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : सम्मानीय सभापति महोदया, मैं कोई लम्बा बोलने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। मैं दो-चार सुझाव देकर बैठ जाऊंगा। आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आप +++ है सभापति हैं।

निवेदन यह है कि बीज जो आते हैं, आप तो कह रहे हो कि कोई मिसाल है तो लावो। सैकड़ों आदमी वहां बीज हमारे सामने थैलियों में भरते हैं यह आपके कपास का जो बीज है, नरमा का प्राइवेट जिनको आपने लइसेंस दे रखे हैं क्यों नहीं वह लाइसेंस खतम करते ? करोड़ों रुपये 10 रुपये किलो का बीज 80 रुपये किलो, वो का वो ही ग्रेडिंग करके थोड़ा-सा उसमें लगा करके वे बाजार में बेचते हैं, यह प्रमाणित आप करते हो। आपका डिपार्टमैंट क्यों करता है ऐसा ? जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके अन्दर पूरी जांच होनी चाहिए। हमारे पास लुधियाना कृषि विश्वविद्यालय है मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने कहा है हिसार में है, पटियाला में है और इसी तरह यू.पी. में कई जगह है वहां से लोग बीज मंगाते हैं। मंत्री महोदय, आपको यह भी ध्यान होना चाहिए कि मस्टर्ड का सबसे बड़ा एरिया, हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा मस्टर्ड आप पैदा करते हो। राजस्थान में केवल गंगानगर से पांच सौ करोड़ रुपये का तेल जाता है बंगाल को और आज वह सरसों जमींदारों ने जब किसानों से ली उस वक्त रेट थी 900-1000-1100 रुपये और आज उसकी रेट है 1900 रुपये लेकिन इसकी चिन्ता आपने कभी नहीं की। 20 रुपये किलो जो तेल गरीब लोग खाया करते थे आज वह 50 रुपये किलो उनको खाना पड़ रहा है, क्योंकि फसल नहीं हुई। आपने इसके लिए कभी रिसर्च नहीं करवाई। आपने कभी यह नहीं सोचा कि डिपार्टमेंट...

श्री सभापति : आप सुझाव देने वाले थे।

[redacted]

श्री सभापति : सुझाव देने वाले थे।

श्री राधेश्याम गंगानगर : सुझाव दे रहा हूं। यह सुझाव है कि मस्टर्ड के ऊपर हमें रिसर्च करनी चाहिए कि उसकी पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं ? एक बीघा में तीन क्विंटल या ढाई क्विंटल होती है और अबके हुई है एक क्विंटल और डेढ़ क्विंटल। बीमारी खा गयी उस बीमारी का कोई इलाज नहीं

---

xxx अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

हुआ। अब मुझे तो यह बहुत दुःख हो रहा है कि जो फैक्ट्री चलती थी जनवरी, फरवरी तक दूसरे सीजन तक, वे फैक्ट्रियां अब घाटे में आ जाएंगी और वे चल नहीं पाएंगी। क्योंकि माल नहीं है मार्केट में। सरसों (मस्टर्ड) है नहीं। आपके सामने बहुत भारी प्रोब्लम आने वाली है, क्योंकि बाहर से मलेशिया से पॉम ऑयल आता है। उसकी उन्होंने रेट्स बढ़ा दी गरीब आदमी के खाने के लिए एक मस्टर्ड आयल था। और उसको आज मजबूर होना पड़ेगा पानी के

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

साथ रोटी खाने को। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, पंजाब हमारे बिलकुल पास पड़ता है ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब पूरा करें आप पूरा करिये ।

श्री राधेश्याम गंगानागर : ... हरियाणा पास पड़ता है मैं सुझाव दे रहा हूं ।

श्री सभापति : अब पूरा करिये ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आप पांच मिनट घंटी न बजाएं मैं पूरा कर दूंगा।

श्री सभापति : नहीं-नहीं, अभी आप पूरा करिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : केवल पांच मिनट ।

श्री सभापति : नहीं, एक मिनट भी नहीं, पांच मिनट कहां से होगा ? आप पूरा करिये ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ऐसा निवेदन है मेरे सुझाव तो दो-तीन जरूरी है जिनसे फायदा होगा ।

श्री सभापति : नहीं, आप लिखित में दे दीजिये । आप अपने सुझाव लिखित में दे देना ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : हरियाणा और पंजाब में जो टैक्स है और राजस्थान में जो टैक्स है वहां तो है मान लो 4% यहां है 12% किसी चीज में वहां है 1% यां है 8% और एक किलोमीटर पर पंजाब है वहां से लोग बीज, खाद और पेस्टिसाइड लाते हैं इस लालच में कि हमें सस्ता मिलेगा लेकिन वहां उन गरीब किसानों को नकली माल मिलता है जो बिलकुल नकली है जिसका कोई फाइदा ही नहीं होता। अगर आप रिसर्च करके किसानों को खाद बीज और दूसरी चीजें देंगे तो निश्चित तौर पर राजस्थान इतनी प्रोग्रेस करेगा । मेरी एक डिमाण्ड और है आपसे कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी श्रीगंगानगर में होनी चाहिये । क्यों होनी चाहिए इसलिए 30 लाख एकड़ भूमि वहां सिंचित होती है, 30 लाख एकड़ भूमि, हिन्दुस्तान में ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसमें चार सिस्टम हो सिंचाई के । चार- सिस्टम-भाखड़ा, इन्दिरा गांधी केनल, बीकानेर कैनल और हमारे जो नाली से पानी आता है इन चार सिस्टमें में पानी आकर 30 लाख एकड़ भूमि वहां सिंचित होती है, जो अपने आप में राजस्थान का एक गौरव है ।

श्री सभापति : अब मैं अगला नाम पुकार रही हूं, माननीय सदस्य । मैं अलगा नाम पुकार रही हूं ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ऐसा है, जब आपको नहीं बुलाना था तो आप वैसे ही...

श्री सभापति : मैंने पूरा समय आपको दिया है और मैं समय से पाबन्द हूं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : एक पशुपालन वाला डिपार्टमेंट बचा है।

श्री सभापति : अब आप जो भी हो लिखकर दीजिए, मैं अगला नाम पुकारूंगी।

श्री राधेश्याम गंगानगर : कृषि उपज मण्डियों वाला पड़ा है।

श्री सभापति : उससे क्या होगा, सबको समय देना है मुझे। मैं अगला नाम पुकारुंगी।

श्री राधेश्याम गंगानगर : अच्छा, चलो, दो मिनट तो और दीजिये।

श्री सभापति : दो मिनट नहीं, आप आधे मिनट में अपनी बात करेंगे। नहीं तो मैं दूसरा नाम बुलाऊंगी।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं आदरणीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर महोदय से, मुझे ऐसा विश्वास है क्योंकि मेरे पर यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि मैं बोल तो सकता नहीं। आधा मिनट कह दिया, अब आधे मिनट में क्या बात करूं। मैं यह चाहूंगा कि 142 करोड़ रुपया जो आपको नेचुरल कैलेमिटी के लिये मिला है, क्या उसमें आप गंगानगर और हनुमानगढ़ के लोगों को नरमे कपास की 6 सौ करोड़ रुपये की जो बरबादी हुई है उसमें कुछ देने का मन बनाया है अथवा नहीं ? ओलावृष्टि जो अभी-अभी हुई है, जिससे तबाही हो गयी कई गांवों में, क्या उसके लिये कोई मन बनाया आपने ? जो बीमारी अभी लगी है रतनगढ़ से लेकर ठेट गंगानगर तक, चूरू, लूणकरणसर और सारी जगह, मूंगफली या जो भी फसल है, वह टोटल बरबाद हो गयी, आपके पास आंकड़े होंगे, तो उसके लिये आपके पास कुछ सुझाव आये होंगे, कोई आपने टीम भेजी होंगी। उन टीम ने क्या किया, उसकी कुछ रिपोर्ट और आगे के लिये जब नरमा-कपास गंगानगर में नहीं होगा तो कौनसी फसल का आपने विचार किया, आप कौनसा सुझाव देंगे वहां के लोगों को कि कौनसी फसल बोई जाय। क्या इन बातों का आप जवाब देंगे ? क्योंकि मेरे को अब टाइम नहीं मिल रहा है, मेरे पास बड़े इश्यू थे, मैं बड़े सुझाव देना चाहता था, अमूल्य सुझाव देता आपको। मैं नहीं कर रहा हूं, थोड़ा-सा पशुपालन मंत्री महोदय...

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री जयन्ति लाल कोली– (अनुपस्थित) । श्री ओमप्रकाश शर्मा। धन्यवाद बिराजिये। बिलकुल नहीं, अब आप बिराजें। आप पशुपालन मंत्रीजी से मिल लेना।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आप पशुपालन मंत्रीजी का धन्यवाद तो करने दें।

श्री सभापति : आप लिखित में सुझाव दे देना।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : सभापति महोदया, आज पशुपालन कृषि, सहकारिता पर चर्चा हो रही है। मैं भी इस चर्चा में अपने आप को सम्मिलित कर रहा हूं। पशुपालन विभाग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा, पशुपालन मंत्रीजी यहां बिराजमान हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि मारवाड़ से हर वर्ष भेड़ें, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, झालावाड़, सवाईमाधोपुर जिले में आती है और यह भेड़ें 1958-60 से आ रही हैं। उस समय यहां पर, जो मैंने ऊपर जिले बतायें, वहां पर जमीन अच्छी थी, काफी जमीन थी। उस समय वहां खेती कम हुआ करती थी, माइन्स कम थीं। आज वहां पर जमीन नहीं है, सिवाय चक की भूमि नहीं रही। लोगों ने जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं, बाड़ाबन्दी हो रही है। वन विभाग ने भी बाड़ाबंदी कर रखी है। वहां जंगल लगा रखे हैं। परन्तु जब यह गाडरें वहां आती हैं, भेड़ें आती हैं, जिस प्रकार आतताई आते हैं, आतंकवादी आते हैं उसी प्रकार यह भेड़ों के रेवड़ आकर के खेतों में घुसते हैं, फसलें नष्ट करते हैं, कई बार यहां झगड़े हुए और कई बार मर्डर हो गये। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस समय भेड़ें आई थीं उस समय उनकी संख्या कितनी थीं। आज बताया जाता है कि 50 हजार गाडरें गयी हैं, 40 हजार भेड़ें गयी हैं जबकि वह होती हैं 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख और वहां रुकती हैं। यह कहते हैं कि वे चल रही हैं, जा रही हैं, जाती नहीं है, पड़ाव पड़ते हैं। वहां पर पुलिस कानून व्यवस्था संभाल नहीं पाती है। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि जो इन्दिरा गांधी नहर है वहां पर जमीन सिवाय चक की, की जाए, चरागाह की, की जाए और वहां इन गाडरों को चारा चरने की घोषणा की जाए जिससे जो इधर की व्यवस्था बिगड़ती है वह व्यवस्था नहीं बिगड़े। आज हालात यह है कि बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर वहां पर गाडरें और भेड़ें लाखों की संख्या में पड़ी हुई हैं। आज वहां स्थिति यह बनी हुई है कि कलेक्टर कहता है कि 80 हजार गाडरें हैं, मौके पर 5 से 10 लाख के बीच गाडरें हैं। वहां कोई गिनती ही नहीं होती हैं। मैंने जो निवेदन किया है, इस पर अवश्य ध्यान दें। क्योंकि पहले बिजौलिया में झगड़ा हुआ उस समय श्री शिवचरणजी माथुर मुख्य मंत्री थे, उनके सामने झगड़ा हुआ। मेरे बूंदी में गदड़ा में झगड़ा हुआ, खड़ीपुर में झगड़ा हुआ, माननीय सदस्य, श्री रामगोपाल जी बैरवा बैठे हैं, उनके वहां झगड़ा हुआ और कई लोग मरे हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह बहुत बड़ी समस्या है। केवल बात ही नहीं है, समस्या है और इसका समाधान करना चाहिये। यह मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा।

दूसरा मेरा कृषि के बारे में निवेदन है, कृषि मंत्रीजी यहां बिराज रहे हैं। चावल,

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

सोयाबीन, गन्ना कृषि पर आधारित बूंदी जिला है। अभी गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे, गंगानगर के बाद कृषि में दूसरा नम्बर बूंदी का आता है परन्तु हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम उत्पादन करते हैं, फसल पैदा करते हैं, वह चावल जो राजस्थान में बूंदी के अलावा कहीं नहीं होता है, जो बासमती चावल है और वह विदेशों में बिकता है, हमको वहां से विदेशी मुद्रा मिलती है, परन्तु नहरें अच्छी नहीं है। जिस केपेसिटी के लिये नहरें बनी थीं उस केपेसिटी से दुगुनी मात्रा में आज पानी पहुंच रहा है खेतों में। इसलिए नहरें और धोरे खराब हो गये हैं। कृषि मंत्रीजी तो उनको ठीक नहीं करा सकते, परन्तु यह चंबल कमांड मंत्री महोदय से मिलकर उनकी व्यवस्था कराये, तो उत्पादन ज्यादा होगा। कृषि मंत्रीजी उत्पादन करना चाहते हैं, कृषि में अच्छी पैदावार हो यह चाहते हैं, तो उसके लिये जब तक नहरें ठीक नहीं होंगी, वहां धोरे ठीक नहीं होंगे तब तक फसल पैदा नहीं होगी और फसल पैदा नहीं होगी तो वहां पर किसानों को पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं मिलेगा।

इसके साथ ही किसान जब अपना माल लेकर धान मण्डी में आते हैं; बूंदी जैसी जगह पर जहां धान मण्डी दो भागों में बंटी हुई है और बीच में से सड़क निकल रही है। कई बार निवेदन किया कि बाहर से एक तरफ अगर ट्रेफिक हो जाए और दोनों मण्डियों को एक कर दिया जाए, वरना क्या होता है, गाय आती है, सूअर आते हैं, कुत्ते आते हैं और जो किसान रोटी लेकर आता है उसकी रोटी कुत्ते ले जाते हैं। एक तरफ किसान खिंचता है दसूरी तरफ कुत्ता खिंचता है, सूअर खिंचता है। ऐसी स्थिति में कुछ सुधार होना चाहिये और वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये चाहे कर्मचारी लगाने पड़े, कर्मचारी लगा कर ऐसी व्यवस्था सुधारी जाए।

इसके साथ ही बूंदी जिले में कृषि उपज मण्डी में कुछ सड़कें पहले बनायी थीं, परन्तु दुर्भाग्य से जो बनाने वाले थे उन्होंने सड़कें अधूरी बना दीं। वह सड़क न गांव में पहुंचाती हैं और न उधर पहुंचाती है। एक किलोमीटर दूर गांव से सड़क बनी हुई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो सड़क जिस गांव के लिये बनी है वहां तो पहुंचे। मैं उदाहरण देना चाहता हूं ठीकरिया चारना पंचायत मुख्यालय है, परन्तु एक किलोमीटर दूर तक वह सड़क छोड़ रखी है। इसी प्रकार जलौदी में डेढ़ किलोमीटर दूर सड़क छोड़ दी है और वह सड़क किसी काम में नहीं आती है, वह भी पूरी की जाए।

जितनी अधूरी सड़कें हैं, जो कृषि उपज मण्डी से बनायी गयी थीं उनको पूरा करना चाहिये। इसके साथ 1991 की आबादी जहां पर हैं उनको भी लेना चाहिये। 1991 की आबादी में मेरा ठीकरिया चारना, तलराय और जलौदी ये दो गांव आते हैं जो 1991 की आबादी में है। इसके साथ ही मैंने जैसा

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

निवेदन किया कि बूंदी कृषि की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है वहां पर कृषि विषय खोला जाना चाहिये। प्रत्येक हायर सैकण्डरी स्कूल में, सैकण्डरी स्कूल में कृषि विषय आवश्यक हो। जो वहां का विद्यार्थी है, किसान है वहां पर वह आकर पढ़ता है तो कहां पढ़ने जाएगा ? सब लोग मांग कर रहे हैं, उनकी मांग वाजिब है इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां पर कृषि विषय हो।

इसी के साथ, मैं सहकारिता मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा व्यवस्थापकों की स्थिति यह है कि सारे काम व्यवस्थापक के माध्यम से किये जाने चाहिए, परन्तु व्यवस्थापक किस डिपार्टमेंट का है, तनख्वाह कितनी मिलती है उसको, उसकी पेंशन होगी या नहीं होगी। यह सारी व्यवस्थाएं अगर जिस व्यक्ति को नौकरी दी जाती है उसको रोजगार पूरा नहीं मिलेगा तो वह चोरी करेगा, वह भ्रष्टाचार करेगा इसलिए उस व्यवस्थापक को यह मालूम होना चाहिए कि मैं नौकरी कर रहा हूं और मैं स्थायी नौकर हूं। उससे जब बात करते हैं तो उसको पता ही नहीं हैं, मैं कहां जाऊंगा, तनख्वाह पूरी मिलती नहीं है इसलिए उनको व्यवस्थित किया जाए।

बूंदी में एक शुगर मिल है। शुगर मिल में गन्ना पैदा होता है, उसके बारे में कई बार मीटिंग हुई, मैंने सुझाव दिये कि गन्ना जहां पर पैदा करना है उसकी जमीन निश्चित की जानी चाहिए, उसके पास एरिया कर दिया 40 किलोमीटर तक कोई फैक्टरी नहीं लगेगी जबकि गन्ना 20 किलोमीटर में ही नहीं होता है। वहां चावल पैदा होता है, वहां सोयाबीन पैदा होता है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन करना है कि केशवरायपाटन की शुगर मिल जहां पर है उसके पास की सीमा रेखा तय की जाए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदया, एक मिनट में ख़तम कर रहा हूं। वहां पर सीमा रेखा तय की जाए कि यहां पर 20 एकड़ में या 20 किलोमीटर के आसपास गन्ना पैदा होगा और गन्ने के अलावा कुछ नहीं होगा तो उससे शुगर मिल भी चलेगी और दूसरे प्राइवेट फैक्टरी डालने वाले वे भी डाल सकेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा और उसकी मानीटरिंग की जानी चाहिए। मानीटरिंग हर विभाग की हो। वहां हमारे मंत्री महोदय भी जाएं और देखें, चैक करें कि हमारा विभाग काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप आदेश जारी कर देते हैं वहां पर जिला कलेक्टर को सुपुर्द कर रखा है। जिला कलेक्टर मीटिंग बुलाये तो बुलाये, नहीं बुलाये तो नहीं बुलाये। वह क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, अगर वे गलती करते हैं तो जिम्मेदारी सरकार की होती है, आपकी होती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, और एक उदाहरण देना चाहता हूं, सहकारी मंत्री महोदय जब बूंदी पधारे थे तो मैंने निवेदन किया था। एक बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के अन्दर कोऑपरेटिव बैंक और

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

राजस्थान रोडवेज भी है। दोनों विभाग के अधिकारियों में लड़ाई है, मुकदमे चलते रहे हैं और बिल्डिंग 35 लाख की बन गयी, परन्तु उस बिल्डिंग के अन्दर आज तक सहकारी विभाग नहीं आया। रोडवेज के कर्मचारी और सहकारी विभाग के कर्मचारी आपस में मिले हुए हैं, वह झगड़ा कर रहे हैं लेकिन न रोडवेज का कार्यालय अच्छी तरह चल रहा है और न कोआपरेटिव बैंक का अच्छी तरह चल रहा है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उसकी भी व्यवस्था की जाए और मानीटरिंग के बारे में पुन निवेदन करूंगा और सहकारी मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि आप आपके विभाग के अधिकारियों की मानीटरिंग करें और क्रप्शन होते हैं उनको वे रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अधिकारी पांच-पांच साल तक सांप की कुण्डली की तरह बैठे हुए हैं और वे मनमर्जी आवे जो करते हैं। इसीलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वह वहां जाकर देखेंगे। आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री शंकरलालजी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सुरेन्द्र गोयल (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए और बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : सदन का समय एक घंटे बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे बढ़ाया गया।

मांग संख्या 36, 37 एवं 39 पर विचार

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : माननीय सभापति महोदया, आज कृषि, पशुपालन और सहकारिता मांगों पर विचार किया जा रहा है।

सभापति महोदया, भारत एक कृषि प्रधान देश है। जब हमने आजादी प्राप्त की थी उस समय हमें वसीयत के हिसाब से कुछ नहीं मिला था, परन्तु भारतवर्ष के किसान ने कृषि क्षेत्र में धीरे-धीरे अपने आप में तरक्की की और प्रगति की ओर अग्रसर होता रहा। आज भारत का किसान हरित क्रांति की ओर आया और हम कह सकते हैं कि हमने जो अनाज पैदा किया उससे हम अपने आप में आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े हैं। हमने विकास किया, तरक्की की, उन्नति की और उसी का ही परिणाम है कि आज हम दूसरे देशों के सामने हाथ नहीं पसारते हैं अनाज के लिए। आपको मैं याद दिलाता हूं कि हम एक समय दूसरे देशों पर अनाज के लिए मोहताज थे, मांगना पड़ता था परन्तु श्रीमती इन्दिरा गांधीजी ने देश में

(श्री शंकरलाल अहारी)

आमूलचूल परिवर्तन करके किसानों की हरित क्रांति की ओर अग्रसर किया। मैं कृषि मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कृषि मंत्री जी, हम लोग बाहुल्य राजस्थान के उस क्षेत्र से चुनकर आते हैं, जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, डूंगरपुर, बांसवाड़, उदयपुर वह क्षेत्र पहाड़ियों का क्षेत्र है जहां हमारी कृषि की भूमि है, कृषि की जोत की जो भूमि है वह कम है। अधिकांश हम मेहनत तो जरूर करते हैं, 6 महीने तक हम खायें इतना कमा लेते हैं लेकिन उसके बाद तो हमको मजदूरी पर ही निर्भर होना पड़ता है। हमारा पड़ौसी गुजरात राज्य है। हम राजस्थान और गुजरात राज्य की सीमा पर ही रहते हैं। अब उनकी फसल और हमारी फसल में जो उत्पादन होता है उसमें क्या डिफरेंस हैं वह मैं बताना चाहता हूं। हम अगर 20 किलो गेहूं परचेज करते हैं, और उसी 20 किलो को वह लोग जमीन में बोते हैं तो उसका वह 4 1/2 क्विंटल लेते हैं अर्थात लगभग 22 मन अनाज तैयार करते हैं 20 किलो में और उसी को 20 किलो हमने प्रयोग किया है। हमने भी 20 किलो अनाज लेकर डाला तो 20 मन हुआ मतलब, 40 सेर के हिसाब से हम गिनते हैं, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों की चूंकि जमीन कम है इसलिए हमारे लिए ऐसी तकनीक होनी चाहिए, कृषि के क्षेत्र में ऐसी तकनीक दी जानी चाहिए जिससे कि हम कम जमीन होने के बावजूद भी अच्छी उपज कर सकें। जब उपज अच्छी करेंगे तो निश्चित ही हम आगे हमारा भरण-पोषण अच्छा कर सकेंगे। इसलिए मैं आपका ध्यान मैं इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमको अच्छा खाद मिले, अच्छा बीज मिले और अच्छी व्यवस्था जो हमको फसल के समय दूर दराज जाना पड़ता है। परचेजिंग करने के लिए, कोई ऐसी व्यवस्था की जाए, वहां बीज गौदाम खोले जाएं जो पास में हों। हम जब भी जाएं तो हमको आसानी से मिल जाएं। हमारा जब सीजन आता है उस समय आपका जो बीज है वह महंगा हो जाता है। आदिवासी जो लोग हैं वे उस महंगे बीज को परचेज करने में बड़े असफल रहते हैं इसलिए मैं माननीय कृषि मंत्रीजी का ध्यान दिलाता हुआ निवेदन करना चाहता हूं कि उस पर आप सब्सिडी दीजिए। आप जैसे अभी यूरिया है, यूरिया बहुत महंगा हो गया, हम कैसे पर्चेज करेंगे, अभी जो खाद हमको मिल रहा है वह बहुत महंगा है और डी.ए.पी. तो और महंगा हो गया।

श्री अमराराम चौधरी : क्या भाव है यूरिया ?

श्री शंकरलाल अहारी : 475 है डी.ए.पी.।

श्री अमराराम चौधरी : यूरिया क्या भाव है ?

श्री शंकरलाल अहारी : यूरिया तो ढाई सौ है इसलिए हमको सब्सिडी दी जानी चाहिए। वैसे तो हम किसी प्रकार से पर्चेजिंग करके अनाज का ज्यादा से ज्यादा

(श्री शंकरलाल अहारी)

खाद डालकर, अनाज का उत्पादन कर रहे हैं पर नई तकनीक के हिसाब से हमको अच्छी सुविधा मुहैया करायी जानी चाहिए।

मैं माननीय पशुपालन मंत्री महोदय का ध्यान दिलाता हूं कि पशुपालन के क्षेत्र में हमारे यहां के जो पशु हैं वे दूध तो ज्यादा देत नहीं, आप ऐसे पशु हमको दीजिए, देते भी रहे हो और आगे हम मांग करते हैं कि ऐसे पशु दीजिए जिससे वे हमारी आजीविका का हिस्सा बनकर हमारी गृहस्थी का पहिया चलता रहे। पशुपालन के क्षेत्र में मैं माननीय मंत्रीजी की तारीफ करता हूं कि पशुपालन के क्षेत्र में आपका डिपार्टमेंट, आपका विभाग अच्छी तरह से चल रहा है उसमें कोई शंका नहीं है। अभी टीकाकरण अभियान इनका चल रहा था तो डाक्टर लोग कह रहे थे कि साहब यहां पशु सारे इकट्ठे किये हैं आप चलो, मैंने वास्तव में देखा आपका निरन्तर काम चल रहा है। इस सम्बन्ध में पशुपालन मंत्रीजी की हम तारीफ करते हैं कि जब से आपने डिपार्टमेंट सम्भाला है तब से उसमें अच्छी तरह से काम चल रहा है।

सहकारिता के ऊपर इतना कहना चाहता हूं कि कृषि के लिए जो हमको बीज मिलता है, जो पैसा हमको मिलता है, अभी फसली ऋण का जो पैसा मिलता है उसमें हम आदिवासी लोग हैं, आदिवासियों के हिसाब से हमारी नाप तौल करते हैं और फसली ऋण है वह कम मिलता है, हमको कम देते हैं, जबकि आपके यहां नियम हैं ज्यादा देने का है परन्तु हमको 5 हजार, 2 हजार या एक हजार देकर समझा देते हैं । एक हजार-पांच हजार से हम क्या करेंगे, कौनसा अनाज खरीदेंगे, कौनसा खाद खरीदेंगे और हमको तो वह वापस देना ही है, सीजन निकलते ही सीजन के अन्दर वापस जमा कराना है, तो हमको ज्यादा ऋण दिलवाइये आप। उस 4 महीने के पीरियड में हमको ऋण कम मिलता है। तो ऐसी व्यवस्था करें कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऋण मिल सकें।

मैं अन्त में इतना ही कहना चाहता हूं कि जो सहकारिता क्षेत्र में आपके लैम्प्स हैं, बैंक्स हैं, आपने जो व्यवस्था हमको दी है उसमें जो कपड़ा है, नियंत्रण और बिना नियंत्रण की दुकान है उसमें सरकार का कहना क्या और करना क्या। हम चाहते हैं कि हमको सस्ता कपड़ा मिले। सस्ते कपड़े की कोई व्यवस्था नहीं है और व्यवस्था है तो अनियंत्रित दुकानें वहां चलती हैं। अनियंत्रित दुकानें तो वही बाजार रेट का, और इधर का बराबर, इक्वल हो जाता है। मैं माननीय सहकारिता मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में आप पूरा ध्यान दें। आपके विभाग ने पिछली जो वसूलियां हैं वे वास्तव में वसूलियां की हैं, आपने यहां से बिलकुल ध्यान दिया है,

(श्री शंकरलाल अहारी)

सारे राजस्थान में, यह मैं कह सकता हूं। जैसे डूंगरपुर में हम लोग नहीं दे सकते हैं। उस क्षेत्र से भी आपने वसूलियां की हैं। यह बहुत बड़ी तारीफ की बात है क्योंकि हमारा रोटेशन चलाने के लिये परम आवश्यक है कि पिछली वसूलियां होनी चाहिए। यह निश्चित है, जो आपने व्यवस्था की है, हम तारीफ करते हैं आपकी। उस व्यवस्था के अनुसार हमको पैसा भी मिल रहा है। यह भी तारीफ करते हैं, परन्तु पैसा कम मिल रहा है। आदिवासी उप योजना के अन्तर्गत भी हम आते हैं। हर प्रकार से इसमें इन्वाल्व हैं। हम लोगों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देकर के, ज्यादा से ज्यादा ऋण, सब्सिडी उपलब्ध कराते रहना चाहिये। यह तो आपका परम-कर्तव्य बन जाता है। हम मांगकर के लेंगे क्या, हम कहें क्या, वह तो आपका दायित्व है। हमको और हमारे लोगों को, आपको किसी न किसी प्रकार से जिन्दा रखना अत्यन्त आवश्यक है। इतना कह दें। आपने समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हरिनारायण बैरवा– (अनुपस्थित)। श्री किशन गोपाल कोगटा।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय सभापति महोदया, आज मांग संख्या 36 सहकारिता, 37-कृषि और 39-पशुपालन पर चर्चा हो रही है। आपने मुझे समय दिया इसलिए मैं भी इसमें मेरे विचार आपके सामने रखूंगा।

अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है वह कृषि पर, कृषि उत्पादन पर निर्भर है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब इसकी जितनी भूमि थी उसके 73 प्रतिशत पर कृषि होती थी। लेकिन आज स्थिति यह है कि 1991 में यह भूमि घटकर 47 प्रतिशत रह गयी है और पापुलेशन बढ़ गयी। पापुलेशन बढ़ी है और कृषि उत्पादन के लिये जो कृषि की भूमि है उसका क्षेत्र कम हुआ है। लेकिन इसके साथ-साथ आधुनिकतम साधन अपनाने से, उत्पादन के साधन, रासायनिक खाद वगैरह, अच्छे बीज उत्पादन से, यह जो कमी आयी क्षेत्र की वह गुणवत्ता की दृष्टि से वापस बढ़ी है। इसी का परिणाम है कि राजस्थान में भी, जब से माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत की सरकार 1990 में आयी, कृषि पर विशेष जोर दिया।

मैं आपको इसकी तुलना बताता हूं कि जहां सातवीं पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्नों का औसत उत्पादन 77 लाख टन था वह आठवीं पंचवर्षीय योजना में 103 लाख टन हुआ। इसी प्रकार तिलहन का औसत उत्पादन जहां 13 लाख टन था सातवीं पंचवर्षीय योजना में वह आठवीं पंचवर्षीय योजना में 30 लाख टन हो गया। कपास की गांठों का औसत जहां पहले सातवीं पंचवर्षीय योजना में 6 लाख गांठ था वह

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 11 लाख गांठ का लक्ष्य प्राप्त किया। इसी प्रकार रासायनिक खाद का जो उपभोग है, खपत है, वह सातवीं पंचवर्षीय योजना में 28 लाख टन था वह बढ़कर आठवीं पंचवर्षीय योजना में 61 लाख टन हो गया। मेरा कहना यह है कि इतना ही नहीं 1991-92 की तुलना में 1998-99 की जो बजट व्यवस्था है, उसमें ढाई गुना वृद्धि की गयी है। वर्ष 1998-99 में 120 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का और 35 लाख मैट्रिक टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ-साथ इस बजट में 1998-99 में 750 कृषि उत्पादन वितरण केन्द्रों की स्थापना की, जिससे काश्तकारों को सुविधा मिले। इसके साथ-साथ जो कमजोर कृषि विपणन मण्डियां हैं उनके लिये कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मण्डी विकास समिति की जो व्यवस्था की उसका भी मैं स्वागत करता हूं।

सभापति महोदया, राजस्थान में कृषि उत्पादन अगर बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। राज्य सरकार की तरफ से कृषकों को जितनी सुविधाएं मिलेंगी, उनके उत्पादन में जो सुविधाएं मिलेंगी, अच्छे बीज मिलेंगे और उसके लिये ऋण मिलेगी उनकी आर्थिक स्थिति मज़बूत होगी तो निश्चित रूप से कृषि उत्पाद भी बढ़ेगा। इस लक्ष्य की ओर अपन बढ़ते जा रहे हैं। खाद्यान्नों की औरत वार्षिक जहां 77 लाख टन थी, 103 लाख टन का जो लक्ष्य रखा उसको प्राप्त करने के लिए सतत् प्रयत्नशील है।

मेरे क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी, विजयनगर पिछले समय से कपास की एक बहुत बड़ी मण्डी स्थापित हुई है। पिछले वर्ष 34 लाख गांठें बांधी। आसपास के एरिये में कृषि उत्पादन में कपास का उत्पादन और वहीं नहीं मण्डी का इतना आकर्षण है कि मारवाड़ से भी कपास आती है और हमारे इधर से भी। लेकिन जो सड़कों में व्यवस्था है, वह बहुत दयनीय है, कच्ची सड़कें हैं। काश्तकार कृषि उत्पाद करता है लेकिन उसको लाने में बहुत समस्या होती है। इसके साथ-साथ मिर्चियों की बहुत बड़ी मण्डी हैं। छोटे-छोटे काश्तकार, मगरार पड़ता है, पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है तो वहां से लाने में उनको परेशानी होती है।

कृषि उपज मण्डी के टैक्स से जो इनकम होती है उससे कृषि क्षेत्र के विस्तार में कृषकों की सुविधा के लिये सड़कें बनायी जाती हैं लेकिन राज्य सरकार ने उसमें भी नियम और नीति बना दी कि आबादी के हिसाब से बनेंगी। होना यह चाहिए कि जहां काश्तकार है, जहां कृषि उत्पादन होता है वह मण्डी तक लाने की सुविधाएं मिलनी चाहिए जिससे वह अपने उत्पादन को आसानीपूर्वक, अपने पास जो साधन हैं उससे वह ला सकें। मेरा आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

को सह सुझाव है कि यह जो सड़क बनाने की नीति बनी है, जो नीति जनसंख्या के आधार पर है उसको कृषि उत्पादन क्षेत्र के आधार सुविधाएं मुहैया कराये जाने के लिए बनायी जाए, इसमें परिवर्तन किया जाए। इसके साथ-साथ विजयनगर कृषि उपज मण्डी में बाहर के काश्तकार बड़ी संख्या में आते हैं तो उनकी सुविधा के लिये भी व्यवस्था हो, शेड बनें। बड़ी व्यापारिक मण्डी है तो वहां जो दुकानें हैं वह अब कम पड़ने लगी है। इसलिये आपके माध्यम से मैं कृषि मंत्रीजी से कहूंगा कि कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से वहां सौ दुकानें और बनायी जाएं।

सभापति महोदया, पशुपालन पर चर्चा हो रही है। मेरा एक ही कहना है कि डेयरी की जो स्थिति है वह बहुत चिंतनीय है। जो पशुपालक हैं वह अपना दूध बेचना चाहते हैं लेकिन डेयरी प्रबन्धक अपनी मनमर्जी करते हैं। मैं पूर्व में मंत्री महोदय से भी मिला हूं और वहां जो दूध उत्पादक हैं, वह डेयरी को दूध देना चाहते हैं लेकिन अजमेर डेयरी मैनेजमेंट लेना नहीं चाहता है। बहुत प्रयत्न किया, एम. डी. साहब से भी बात की। माननीय मंत्री महोदय से भी बात की लेकिन वह इस बात पर अडा हुआ है। यह दूध ऐसी चीज है कि मना कर दें तो उसको वहां ले जाएं। इसलिए पशुपालक को यह गारण्टी होनी चाहिए कि उसका जितना दूध इकट्ठा हो वह डेयरी ले और उसके साथ-साथ जो दूध की कीमत है वह निश्चित रूप से राजस्थान में बहुत कम है। माननीय पशुपालन मंत्रीजी को ध्यान होगा कि गुजरात के बार्डर पर इनका क्षेत्र है। गुजरात में दूध की रेट और राजस्थान में दूध की रेट में बहुत अन्तर है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मेरा यह कहना है कि इस दूध की रेट पर भी ध्यान दें जिससे पशुपालक इसमें और विस्तार करें।

इसके साथ-साथ मेरे क्षेत्र में पशु चिकित्सालय बहुत कम हैं और इस बजट में 25 पशु चिकित्सालय खोलने की घोषणा की है। उसमें से निश्चित रूप से मेरे क्षेत्र में भी खुलेंगे।

इसके साथ-साथ सहकारिता क्षेत्र में मैं माननीय सहकारिता मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि उनके कार्यकाल में सहकारी क्षेत्र में, सहकारी संस्थाओं में जो सुधार हुआ जिसके कारण से गुणवत्ता की दृष्टि से वेस्ट मैनेजमेंट की वजह से व्यवस्थाएं ठीक हुई। उसके लिये मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

गुणवत्ता की दृष्टि से यह जो सबसे बड़ा लाभ सहकारिता में काश्तकारों को हैं, राजस्थान में जितना भी लोन काश्तकार लेता है, उका 92 परसेंट तो कोआपरेटिव व्यवस्था, सहकारिता क्षेत्र से, लघु दीर्घकालीन और मध्यकालीन ऋण के माध्यम से होता है और 8 परसेंट केवल व्यावसायिक बैंकों से

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

ही ऋण मिल पाता है इसलिये कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग में सहकारिता का विशेष महत्व है। उसके माध्यम से जो ऋण दिये गये हैं, उसकी भी पिछले वर्षों से तादाद बढ़ रही है। फसली ऋण का मैं उदाहरण दूं 1996-97 में 508 करोड़ रुपये दिये वहां 1997-98 में 640 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया है। 25.98 परसेंट वृद्धि हुई है। इसी प्राकर वसूली...

श्री सभापति : अब आप समापन करें।

श्री किशन गोपाल कोगटा : नहीं, माननीय सभापति महोदया, मैं एक बात के लिये सहकारिता मंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि राजस्थान सहकारी संस्थाओं को राष्ट्रीय लेवल पर जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला सहकारिता के क्षेत्र में...

श्री सभापति : आप शांति रखें।

श्री किशन गोपाल कोगटा : तीन-चार पुरस्कार जो राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान सहकारी संस्थाओं को जो मिले उसके लिये भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। जयहिन्द।

श्री सभापति : आपका भी धन्यवाद। श्री बनवारीलाल बैरवा– (अनुपस्थित)। श्री शैलेन्द्र जोशी– (अनुपस्थित)। श्रीमान् भीखा भाई।

श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) : सम्माननीय सभापति महोदया, यह बहुत खुशी की बात है कि मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं और जिन मंत्रियों को धन्यवाद के पुलिन्दें दिये हैं, वे सब धन्यवाद के पात्र हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने दो कटमोशन इसमें दिये हैं। एक कट मोशन दिया है, वह तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना के बारे में है। हमारे दोनों तरफ के विपक्ष और पक्ष के सदस्य, जो उदयपुर से आते हैं, उदयपुर देहात से आते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा से आते हैं। उन सभी ने इस बात का समर्थन दिया है कि आदिवासी जो क्षेत्र है, उसकी एक प्रकार की विशेष भौगोलिक स्थिति है। वहां पर पथरीली जमीन है। जोहट बहुत कम है और पहाड़ी जमीन है, पर्वती जमीन है, ऊबड़-खाबड़ जमीन है, खेती योग्य जमीन बहुत कम है इसलिए वहां पर एक विशेष प्रकार की रिसर्च की आवश्यकता होती है। आज तक इस बात का कोई जवाब हुआ नहीं। अगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्थापित की जाए उदयपुर में तो निश्चित रूप से, मैं तो यह कहता हूं कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा में की जाए। मेरा तो यह अनुरोध रहा है लेकिन आप मत मानिये।आदिवासी उप योजना में जैसे कि रांची वगैरह में यूनिवर्सिटी बनी, आदिवासियों के नाम पर बनी है, आपने क्या किया आदिवासियों का ? कौन उस यूनिवर्सिटी का अध्यापक है ? आज इतने समय से, दोनों तरफ के सदस्य विराजे हुए हैं मैं यह पूछना चाहता हूं कि इतनी उपेक्षा आदिवासी क्षेत्रों की क्यों की है ? और 72 से लगाकर के आज तक हमारा जो परसेंट आफ इन्वेस्टमेंट है, राजस्थान के

(श्री भीखा भाई)

दलितों पर और आदिवासियों पर, वह बिलकुल जीरो है। चाहे मुख्य मंत्री हरदेव जोशी रहे हों, हमारा इन्फ्रास्ट्रकचर बहुत नीचे गिरा दिया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं, वास्तव में दक्षिणी राजस्थान में त्राहि-त्राहि है। मैं यह कह रहा हूं कि दक्षिणी राजस्थान में The percentage of infrastructure has decreased. हमारे उदयपुर सम्भाग में इधर के पक्ष में या उधर के पक्ष का आज तक कोई ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ है, जिसने हमारी रक्षा की हो। हमारे आदिवासियों की रक्षा नहीं हो पायी है और न हो रही है। आदिवासी उप योजना है, उस पर मुख्य मंत्रीजी का किस प्रकार का वरदहस्त लगा हुआ है कि उसका पैसा खर्च नहीं होता और हमको कुछ भी नहीं मिलता है। आज अरबों-खरबों रुपये खर्च हो चुके हैं। मगर आदिवासियों की हालात वैसी ही है। फिर आदिवासियों को कैसे कहते हैं मारो आप। आदिवासी शेर हैं कहां ? जंगल में ? हमारे वहां पर तो आपने जंगल रहने ही नहीं दिया। आदिवासी शहर में बिल्ली है, वृक्ष पर बन्दर है और पानी के अन्दर वह मछली और कछुआ हैं। आज वे सारे साधन ले लिये गये हैं। आज वह सारे साधनों से रहित हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासी उप योजना की जाए, उसके बारे में तो अलग बोलेंगे लेकिन यूनिवर्सिटी स्थापित की जाए। उसका समर्थन करता हूं। आपने समय दिया इसके लिये मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि हम तो कृषि जानते ही नहीं है। हमारे वहां अगर जाकर खड़े हो जाएं, और कोई भी आदमी खड़ा हो जाए, मेरे घर में साधारण आदमी खड़ा हो जाए तो यह खेत भील का है। एक खेत बरनेल का है तो दोनों खेत मालूम पड़ जाएंगे। उसको देखते ही मालूम पड़ जाएगा कि यह तो भील का खेत है। और यह उसका खेत है। इस प्रकार की खेती की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हमारे को अभी एडाप्ट नहीं हुई है। न कर सकता है। करना नहीं है। पैसा नहीं है,कोई काम के लिये पैसा नहीं । मेरे को दे दो, अब नहीं चलेगा। मैं कहता हूं कि हमारे सारे पेट्रोल पम्प हैं जिनको हम चला नहीं सकते। खेती है, पर खेती वहां पर कर नहीं सकता। मेरा फार्म है तो फार्म चला नहीं सकता। बोलो आप क्या कहना चाहते हो ? ईमानदारी की बात है। मैं ईमानदारी की बात कह रहा हूं। ईमानदारी ऐसी ही होती है और आज हमारे फार्म काहे के रहे? खाने-पीने के मोहताज रहते हैं। खैर, जो अपने को पैसा रहता है, पेंशन मिलती है, तनख्वाह मिलती है, हम गुजारा करते हैं मेरे जैसे आदमी के लिये जिसने साठ साल तक यहां बिताये हैं, राजनीति में काम किया। छत्तीस से मैं बराबर काम करता आ रहा हूं आज हमारी स्थिति यह है तो साधारण आदमी की स्थिति क्या हो सकती है ? एक गरीब आदिवासी की आज यह स्थिति है। इसलिए

(श्री भीखा भाई)

हमारी आर्थिक स्थिति की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया है। यह मेरा कहना है। 23 पंचायत समिति हमारे यहां पर है। हमारे यहां पर 23 पंचायत समिति में जो स्थिति है वह बहुत गंभीर स्थिति है और इसीलिए मैंने यह निवेदन किया है कि आदिवासी उप योजना के अन्तर्गत यह जो कुकुटशाला है, हमारे तो मुर्गे ही खा गये। मुर्गे चले गये जंगल से। माउंट आबू से चले गये, सोम से चले गये, जहां भी देखो, वह मुर्गा चला गया, चला गया ,कौन खा गया पता नहीं। लोग कहते हैं कि हरजिया भील खा गया। हरजिया भील तो मर गया + + + पच्चीस साल हो गये। इसलिए हमको जंगल में रहने के लिये अधिकार मिले। जंगल में बीज का अधिकार नहीं है। जंगल में बीज बोने का अधिकार नहीं है। जमीन का अधिकार नहीं है, जमीन पर बैठ भी नहीं रहे, क्यों साहब? क्यों साहब, पागल होकर आ गये बैठ गये। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि कुकुटशाला बन्द कर दी, क्यों कुकुट तो हम खाते हैं और हमको क्या मिलता है ? खाने के लिये क्या मिलता है, तेल नहीं मिले, आटा नहीं मिले, मिर्च नहीं मिले, कुछ नहीं मिले तो फिर करें क्या ? अब हमको वह भी नहीं मिलता इसलिए मैं यह कहता हूं कि कम से कम कुकुट के अड्डे हटवायें, वे तो जलाकर हमको खाने दें। उसके लिये कुकुटशाला, मैं पशुपालन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कुकुटशाला क्यों बंद की है ? जबकि बजट हमको इस बात पर ज्यादा मिलता है। दिल्ली से पैसा मिलता है। भारत दर्शन सिद्धान्त जो दिल्ली में बना है, सब योजनाएं लेकिन सबको धो डाला है, धो डाला है। ये खा गये , उस भारत सरकार के सिद्धान्त को खा गये और धन को भी खा गये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसलिये मेरा निवेदन है, पशुपालन मंत्रीजी से कि कुकुटशाला की योजना आदिवासियों के लिये बहुत लाभदायक है, मछली की योजना बहुत लाभदायक है। उसके भी ठेके दे दिये और अब आप सब हमारा पैसा खा गये। तो यह दो-तीन बातें हैं, उसमें एक तो यूनिवर्सिटी स्थापित करने का, दूसरा कुकुटशाला, हमारी जो 23 पंचायत समितियां हैं, सिरोही दिशा में हैं चित्तौड़ दिशा में, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उसके अन्दर कुकुटशालाएं पुनर्जीवित की जाएं।

दूसरी बात मैंने कहा कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्थापित की जाए। वेटिनरी कॉलेज खोले जाएं और उसके साथ एग्रीकल्चर भी खोले। आदिवासी वैसे अनभिज्ञ हैं इसलिए सभी आने वाली बात, आप गलत बात कह रहे हैं।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सभापति : श्री कालूलाल गूजर । (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : कृषि क्षेत्र में मानते हैं क्या कि उत्पादन बढ़ाया है ?

श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : माननीय सभापति महोदया, आज कृषि, पशुपालन, सहकारिता की मांगों पर विचार हो रहा है मैं भी अपने विचार इन पर रखना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदया, राजस्थान की कृषि मानसून पर आधारित है और यह कहा गया है कि राजस्थान का मानसून एक जुआ है। यदि मानसून आता है तो कृषि अच्छी होती है ओर यदि मानसून नहीं आता है तो राजस्थान के अन्दर अकाल पड़ता है, कोई खेती नहीं होती है, कोई अनाज नहीं होता इसलिए सरकार ने इस आपदा से निपटने के लिए जो बारिश होती है उसके पानी को संग्रह किया जाए, इसके लिए जो योजनाएं चला रखी हैं जिसमें एक जल ग्रहण योजना कृषि विभाग के माध्यम से भी है और पंचायत समितियों के माध्यम से भी चल रही है। लेकिन इन जल ग्रहण योजनाओं के बारे में मैं इतना ही माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह योजनाएं आपने अच्छी शुरू की हैं, इसका लाभ भी मिलेगा परन्तु इसमें जो यूजर्स कमेटियां बना रखी हैं, वह यूजर्स कमेटियां धन का काफी दुरुपयोग करती है और काफी उसमें अनियमितताएं की जा रही हैं। उसमें काफी भ्रष्टाचार भी है। मेरा सुझाव यह है कि एक बार उनके बारे में सम्पूर्ण जानकारी और सारी जांच करायी जाए तो इससे बहुत बड़ा फायदा सरकार को होगा, जो काम नहीं हो रहे हैं वह काम भी पूरे हो सकेंगे और जो जल ग्रहण योजना है, उसका लाभ किसानों को मिलेगा।

मैं ज्यादा नहीं कहकर मेरी बात पाइंटवाइज बता रहा हूं। दूसरा, मेरा निवेदन है कि आज राजस्थान में जो भी काम कोई आदमी करता है चाहे वह उद्योग लगाता है या कोई ट्रांसपोर्टेशन का धन्धा करता है, उद्योग का भी बीमा होता है। यदि किसी उद्योग में आग लग जाए, नुकसान हो जाए तो उसका बीमा होता है और बीमा कम्पनियां उसको हर्जाना दे देती है, वाहनों का बीमा होता है। ट्रांसपोर्टेशन में काम आने वाले भारी वाहनों का बीमा होता है। आदमी का बीमा होता है। जानवरों का बीमा होता है। सबका बीमा होता है। लेकिन इन किसानों ने क्या अन्याय किया कि इनकी फसल भगवान के भरोसे है ? यदि वर्षा हुई तो खराब हो गयी और कोई रोग लग गया फसल नष्ट हो गयी। बरसात नहीं हुई तो फसल नष्ट हो गयी। इसी प्रकार की और बीमारियां हो गयीं और तो रोजड़े खा गए, वह भी एक बीमारी है तो उससे भी उनको नुकसान होता है। लेकिन फसल के लिए बीमा की कोई योजना नहीं है। इसलिए किसान मारा ही इसलिए जाता

(श्री कालूलाल गूजर)

है कि उसकी फसल की कुछ गारण्टी नहीं है। महंगे भाव का बीज लिया, खाद ली और डाल दिया और मेहनत भी की। इतनी महंगी कृषि है जो पैसा आज कृषि के विपणन बोर्ड द्वारा बेचने के बाद कृषि जिंस का मिलता है उससे कई गुणा ज्यादा पैसे कृषि की कास्ट के आते हैं। इतनी महंगी कृषि, इतनी महंगी खेती की उपज करते हैं और उपज मे अगर घाटा लग जाए, नुकसान हो जाए तो किसान की कमर तोड़ देता है और इसी कारण से राजस्थान के किसानों में गरीबी है। मैं, माननीय सभापति महोदया, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से फसल बीमा योजना लागू की जाए ताकि राजस्थान के सारे किसानों को इसका बड़ा लाभ मिल सके। यह मेरा सुझाव है।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि विभाग द्वारा जो बीज उपलब्ध कराया जाता है वह बीज समय पर उपलब्ध नहीं होता है। कई बार बरसात आ गयी और बीज एक महीना, डेढ़ महीना लेट आता है तो उससे भी किसानों को भारी नुकसान होता है।

इसी तरह से खेती की बुवाई के समय सबसे ज्यादा कमी राजस्थान में रहती है और वह रहती है यूरिया खाद की, क्योंकि किसान अभी फर्टिलाइजर काम में लेते हैं और खाद बीज के साथ जमीन में बोते हैं लेकिन कई बार खाद नहीं मिलती है तो इसकी व्यवस्था अगर समय पर करायी जाए तो बहुत बड़ा फायदा किसानों को हो सकता है।

अन्त में, मैं कृषि विभाग के बारे में एक और निवेदन करना चाहता हूं, जो कृषि विपणन बोर्ड बना हुआ है, इस बोर्ड के द्वारा कृषि मण्डियां हैं और कृषि मण्डियों में रोड बनायी जा रही है। मैं माननीय कृषि मंत्रीजी को यह धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने अभी काफी स्वीकृतियां जारी की हैं सड़कों के बारे में, लेकिन इनमें कुछ स्वीकृतियां ऐसी जारी हुई हैं जिनमें सड़कें मौके पर हैं या नहीं है इनकी पूरी जांच नहीं करायी और शायद पुराने प्रस्ताव थे, उनके आधार पर जारी की हैं। जैसा मेरे से पूर्व वक्ता माननीय ओम प्रकाशजी ने भी कहा, मेरे यहां पर यही मामला है कि एक सड़क भीलवाड़ा जिले में कारोस से सांगवा के लिए स्वीकृति की है, उसमें 32 लाख रुपये की स्वीकृति है लेकिन वह रोड पहले पी.डब्ल्यू. डी. से स्वीकृत हो चुकी है और उस पर काम भी चल रहा है। मैं कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इस रोड के बजाय दूसरी रोड, मैंने एक तो रामपुरिया एप्रोच रोड और सांगवा से गूंदली रोड, यह दो रोड सुझाए हैं तो इनकी स्वीकृति जारी करावें और राजस्थान में एक बार इसको वापस दिखवा लें कि जो रोड स्वीकृत हो गयी हैं उनको दूसरी रोड स्वीकृत कर दें।

मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि कृषि विपणन

(श्री कालूलाल गूजर)

बोर्ड के अन्दर काफी अनियमितताएं हो रही हैं और काफी भ्रष्टाचार भी हो रहा है। अभी कृषि विपणन बोर्ड के तहत जो कृषि मण्डियां हैं, उनमें एक फल-सब्जी मण्डी, जयपुर में एक कार खरीदी गयी और सभापति महोदया, यह कार भी ए.सी. कार खरीदी गयी जबकि 1993 में माननीय मुख्य मंत्रीजी और राज्य सरकार का यह आदेश था कि कोई निगम, बोर्ड कोई नयी कार खरीदे तो उसमें ए.सी. कार नहीं खरीदी जाएगी। यहां सैक्रेटरी लेवल के अफसरों को ए.सी. कार नहीं दी जाती लेकिन यह कार फल-सब्जी मण्डी के नाम से खरीदी गयी और इसका उपयोग कृषि विपणन बोर्ड के डायरेक्टर महोदय कर रहे हैं। अब आश्चर्य की बात यह है कि कितने गरीबों का पैसा टैक्स के रूप में कृषि मण्डियों में आता है, खरी कमाई का पैसा है और उससे ए.सी. कारें, कृषि मण्डी में और कोई डिपार्टमेंट हो, उद्योग विभाग हो तो समझ में आवे कि उद्योगपतियों को डील करने के लिए...

(समय -समाप्ति -सूचक घण्टी)

सभापति महोदया, मैं तो आज पहली बार बोल रहा हूं इसलिए मुझे थोड़ा समय दें। मेरा निवेदन यह है कि कृषि के कामों में जो अफसर देखरेख करते हैं, कृषि विपणन बोर्ड का काम देखते हैं, किसानों की फसल को बिकवाने के लिए अच्छी मण्डियों का आयोजन करते हैं और वही अफसर ए.सी. गाड़ियों में घूम रहे हैं और वह फल-सब्जी मण्डी की तो गाड़ी और चला रहे हैं कृषि विपणन बोर्ड के निदेशक महोदय। इसकी जांच करायी जाए कि यह गाड़ी कैसे खरीदी गयी। मुख्य मंत्रीजी का आदेश कार खरीदने का नहीं था, उसके बावजूद आदेशों की अवहेलना कैसे की ? किस तरह से यह सरकारी धन का दुरुपयोग किया और गाड़ी कितने किलोमीटर चल गयी, उस पर कितना पैट्रोल ज्यादा लगा, उनसे वसूल किया जाए और मैं कहता हूं कि जो अनियमितता की उसके लिए उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

इसी तरह से रामगंजमण्डी और ब्यावर, दो कृषि मण्डियां हैं। इन दोनों में एक-एक ए.सी. खरीदा गया आफिस में लगाने के लिए। उन दोनों ए.सी. को उन दोनों जगह रामगंजमण्डी और ब्यावर में नहीं लगाकर के वह कृषि विपणन बोर्ड के निदेशक महोदय ने अपने आफिस में यहां लगा रखे हैं। अब बड़े आश्चर्य की बात यह है कि एक तरफ तो कहते हैं कि कृषि उपज मण्डियों के पास पैसा नहीं है इसलिए हम किसानों के लिए रोड की स्वीकृतियां जारी नहीं करवा सकते, हमको रोड की स्वीकृतियां में दिक्कत आती हैं। हम जाते हैं, कई बार कहते हैं कि यह रोड बनवाइए तो कहते हैं कृषि उपज मण्डी के पास पैसा नहीं है और दूसरी तरफ कृषि उपज मण्डियों के माध्यम से ए.सी. खरीदे जाते हैं और वह ए.सी. यहां निदेशक महोदय के घर पर लग रहे हैं। यह आश्चर्य का विषय है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय सदस्य, कोई किसान का बेटा होगा, लाभ उठाने दीजिए।

श्री कालूलाल गूजर : अब के आपको बनवाएंगे जब आप ध्यान रखना। वहां निदेशक बनाएंगे अगली बार। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि आप इन सब बातों पर ध्यान दें और कृषि मण्डियों की जो हालत है उस पर ध्यान दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

पूरे राजस्थान में जितनी कृषि मण्डियां बनी हैं उनमें से मेरे ख्याल से 10 प्रतिशत या 20 प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा होंगी, जो कृषि मण्डियां ठीक चल रही हैं, बाकी सारी कृषि मण्डियां ऐसी बनायी हैं जिनकी बिल्डिंग्स क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और वह कोई काम की नहीं हैं। उनको तो कम से कम किसी न किसी काम में लें कभी। उनमें कोई जिंस का व्यापार शुरू करावें क्योंकि कई कृषि मण्डियों गांवों के अन्दर बना-बनाकर छोड़ रखी हैं।

इसी तरह से मैं माननीय सहकारिता मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा क्योंकि सहकारिता मंत्रीजी...

श्री सभापति : अब आप सुझाव दें।

श्री कालूलाल गूजर : हां, सुझाव ही दे रहा हूं। अच्छा काम किया है इसके लिए इनको धन्यवाद। लेकिन अभी जो सहकारिता का आन्दोलन हमारे राजस्थान में कम चला है इसका कारण मैं बता रहा हूं कि जितनी भी ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, चाहे बैंक हो उनमें जितना पैसा लोन के रूप में दिया गया, उनमें से कई पैसों में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र की ग्राम करेड़ा की जो ग्राम सेवा सहकारी समिति है उसमें तीन-चार लाख रुपये का लोन विभिन्न काश्तकारों के नाम लिख दिया गया। उन्होंने कभी लोन ही नहीं लिया, कभी दस्तखत नहीं किए, जो अंगूठा लगाता है उसके भी फर्जी दस्तखत कर रखे हैं और वह पैसे खा गए। उसकी जांच करायी इसके लिए माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद। परन्तु उनकी जांच होने के बाद में अभी तक दोषियों से वह पैसा वसूल नहीं हुआ और आश्चर्य की बात है कि जिन लोगों के नाम वह लोन लिखा हुआ है उनको अभी भी नोटिस जाते रहते हैं। मैं माननीय सहकारिता मंत्रीजी, आपसे निवेदन करूंगा कि आप कम से कम उन लोगों का, जिन्होंने लोन लिया नहीं, आपका डिपार्टमेंट मान रहा है, आपके जिन्होंने ऑडिट की है, जिन्होंने जांच की, वह भी मान रहे हैं, उनका लोन तो माफ करें। उनके नाम पर नोटिस निकालना तो कम से कम बन्द करवाएं आप। उन गरीबों का कोई दोष भी नहीं है, उन्होंने कोई ऋण लिया भी नहीं है और उनके नाम पर गलत लोन लिखा है।

(श्री कालूलाल गूजर)

इसी तरह से सी.सी. बैंक में आपने अच्छी कार्यवाही की है, गलत कार्यवाही करने वालों के खिलाफ इसलिए इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद तो दूंगा, परन्तु यह जरूर निवेदन करूंगा कि पिछले चार-पांच सालों से जिन लोगों के खिलाफ जांचें चल रही हैं, उनके खिलाफ जांचें चलती रहेंगी क्या ? उन जांचों में कोई फैसला करो, उनको कोई सजा दो। जिनसे पैसा वसूल करना है, आप करिए।

इसी तरह से मांडल में जो क्रय-विक्रय सहकारी समिति है उसमें चार लाख रुपए का घोटाला किया। आपने उन कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रखा है पर उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराओ। उनसे पैसे वसूल करो। क्रय-विक्रय सहकारी समिति में अगर पैसा उनसे वसूल होकर वापस लगेगा, पूंजी आएगी तो वापस उस क्रय-विक्रय समिति का काम चलेगा। सारा काम इसलिए ही ठप पड़ा रहता है कि पैसा लोग खा जाते हैं। उनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही होकर के उनसे वसूली नहीं होती इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप वसूली करावें।

इसी तरह से मैं थोड़ा पशुपालन मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि पशुपालन के मामले में आपने अखबार में छपवाया था। अखबार में हमने पढ़ा भी था कि हर पंचायत मुख्यालय पर कोई न कोई पशु चिकित्सा की दृष्टि से व्यवस्था की जा रही है और उसमें यह भी शर्त थी कि जो पंचायत जगह उपलब्ध करा देगी या और खर्चा उठा लेगी तो उनमें स्टॉफ पशुपालन विभाग की ओर से लगा दिया जाएगा लेकिन अभी तक उस योजना का क्या हुआ ? मंत्री महोदय अपने जवाब में बतायें कि उस योजना को लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ? कर रहे हैं तो कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? क्या उससे हर पंचायत हैडक्वार्टर पर कोई न कोई व्यवस्था आप देंगे या नहीं करेंगे ? यह जरा आप अपने रिप्लाई में जरूर बतायें। पशु जो बोल नहीं सकता, ऐसा जानवर है जिसकी हम भाषा समझ नहीं सकते, उनका गांव में इलाज कराना बहुत जरूरी है। मैं विशेष तौर से कहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पशु हैं और एक-दो अस्पताल की जरूरत है जो कि मैंने आपसे मांग की है गुरला और बावड़ास में। तो वहां पर आप अस्पताल खुलवाएं। जहां पशु चिकित्सालय संभव नहीं हैं वहां उप स्वास्थ्य केन्द्र खोल सकते हैं पशु चिकित्सालय की दृष्टि से तो निश्चित रूप से वह उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलकर ही हर पंचायत हैडक्वार्टर पर जो आपने योजना बनायी उसको क्रियान्वित करेंगे तो बहुत बड़ा लाभ किसानों को मिलेगा। आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

(234)

श्री सभापति : श्री रतनलालजी ताम्बी। ताम्बीजी, आप अब सुझाव ही देंगें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : ऐसा ही करने की कोशिश करता हूं। समय के अभाव में मैं सुझाव ही देना चाहूंगा।

श्री बनवारी लाल बैरवा : सभापति महोदया, मेरा नाम भी है।

श्री सभापति : आपका नाम था, पुकारा था लेकिन आप नहीं थे।

श्री रामस्वरूप मीणा : हम तो थे।

श्री सभापति : आप शांति रखो।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदया, कोआपरेटिव की मांग के सम्बन्ध में निवेदन है। सभापति महोदया, ग्राम सेवा सहकारी समितियां सहकारी आन्दोलन की रीढ़ की हड्डी है और इन समितियों के जो हालात हैं वह काफी दयनीय हैं। यदि बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो आन्दोलन मज़बूत नहीं होगा। सबसे पहले तो जैसा माननीय बूंदी से आने वाले सदस्य ने कहा कि व्यवस्थापक इन सहकारी समितियों के जो हैं उनकी सेवाएं सुनिश्चित नहीं हैं, उनकी पेंशन, ग्रेजूएटी, वे किस के नौकर हैं, यह ही पता नहीं लग रहा है। बैंक वाले कहते हैं समिति के हैं, समिति वाले कहते हैं कि सरकार के हैं। पता नहीं किसके नौकर हैं। इसलिए सबसे पहली तो यह समस्या है, स्थानीय उनका हल होना चाहिए ताकि वे सुनिश्चित तरीके से काम कर सकें। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरा, मेरा यह निवेदन है कि जैसे पंचायत राज या स्वायत्तशासी संस्थाओं के चुनाव समय पर सुनिश्चित हैं वैसे ही सहकारी समितियों के चुनाव भी समय पर सुनिश्चित होने चाहिये। कई वर्षों तक चुनाव नहीं होते हैं। अभी सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक तक के चुनाव नहीं हुए सोसायटी के हो गये। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में भी सरकार एक सुस्पष्ट नीति संवैधानिक रूप देकर करे ताकि कोई भी सरकार हो, समय पर चुनाव करा सके।

नेशनल डेयरी वाला मामला बार-बार आ रहा है। इसको भी सरकार को गम्भीरता से लेना चाहिये। उसको आपने इसलिए दिया कि दूध की रेट्स अच्छी उपलब्ध करेंगी, गुजरात की तरह अच्छी रेट्स मिलेंगी लेकिन दुर्भाग्य से इससे कोई लाभ नहीं हो पा रहा है। आपने जिला सहकारी दुग्ध संघों के अधिकारी भी छीन लिये। पहले रेट्स वो तय करते थे, उस आधार पर ठीक प्रकार से काम होता था। वह भी सारा बंद हो गया। मैं चाहता हूं कि इस मामले में भी सरकार पुनर्विचार करे। डेयरी फैडरेशन के चक्कर में राजस्थान में जो डेयरी का अच्छा आन्दोलन चल रहा था वह गतिशीलता से रुक गया है, उसको ठीक किया जाना चाहिये।

एक अंकेक्षण के बारे में मुझे कहना है

(श्री रतनलाल ताम्बी)

कि रिपोर्ट्स बहुत बड़ी-बड़ी बनी हुई हैं, मंत्री महोदय बहुत चिंतित हैं, भ्रष्टाचार की बात भी बहुत कर रहे हैं पर मुझे ऐसा लगता हैं कि यह मामला इतना गम्भीर हो गया है और वर्षों से पुराने आडिट रिपोर्ट और वसूली के मामले आपके यहां हर स्तर पर लम्बित हैं। कहीं कोर्ट में जाकर स्टे हो जाएगा, कहीं और कुछ हो जायेगा। करोड़ों रुपये राजस्थान में सहकारिता आन्दोलन में इस तरह से फंसा हुआ है। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी भी पधार गये। सुबह यह प्रश्न काफी गम्भीर आया था कृषि विश्वविद्यालय वाला। यह राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है। इस बड़े प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय एक दक्षिणी राजस्थान में, एक पश्चिमी राजस्थान में हो ताकि पूरे राजस्थान के लोग नये अनुसंधान, नयी खोज के साथ कृषि क्षेत्र में काफी योगदान दे सकते हैं। मैं समझता हूं उदयपुर डिवीजन का अधिकांश हिस्सा आदिवासी, गरीब, कृषि आधारित है इसलिए इस मामले में जैसे अन्य प्रदेशों मे दो-दो, तीन-तीन हैं इसी तरह कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में स्थापित हो। इसके लिए मुख्य मंत्रीजी, उदयपुर में विशेष रूप से जो हालात पैदा हो रहे हैं, आन्दोलन हो रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है उस सब को आप ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्ध में जल्दी निर्णय करेंगे ताकि लोगों में एक विश्वास पैदा हो।

सभापति महोदया, कृषि कार्यकर्ता प्रत्येक पंचायत हैडक्वार्टर पर हो। इसको भी आप सुनिश्चित करें। कुछ पंचायतों में हैं कहीं नहीं है। यह आवश्यक है ताकि कृषि उत्पादन की दृष्टि से कार्यक्रम आगे बढ़ सके। अभी मांडल से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सुझाव दिया था कि वाटरशेड, भू-जलग्रहण क्षेत्र का जो कार्यक्रम है, इसमें सारा पैसा भारत सरकार से आता है और राजस्थान में इस पैसे का अच्छा उपयोग हो और किसानों को सही ढंग से लाभ मिलें। मेरा खुद का अनुभव है कि अधिकारी यूजर्स कमेटी जो बनाते हैं उसका न तो गांव वालों को मालूम होता है, चुपचाप पता नहीं कहां यह कमेटियां बनती हैं और कौन लोग इसमें आ जाते हैं। आने के बाद मौके पर कोई थोड़ा बहुत कामकाज होता है बाकी कागजों में ज्यादा काम होता है। पिछली बार यहां से जांच हेतु टीम भी गयी थी भीलवाड़ा जिले में कोटड़ी क्षेत्र में और कुछ और जगह की भी काफी शिकायतें आयी थीं। तो उन्होंने भी यह माना है कि वास्तव में गड़बड़ घोटाला काफी है। मैं समझता हूं कि इसका भी सही उपयोग होना चाहिए।

कृषि उपज मण्डी की सड़कों के सम्बन्ध में भी काफी जिक्र आया। हमारे यहां कृषि उपज मण्डी पिछले कई वर्षों से

236

(श्री रतनलाल ताम्बी)

चल रही थीं। एक सैक्रेटरी ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा था और उसने काफी भ्रष्टाचार पैदा कर दिया। सीमाओं से माल काफी इधर-उधर जाने लग गया। उसकी आय कम मानकर उसको दूसरे जिले की सोसायटी से संबद्ध कर दिया और जहाजपुर जैसा उत्पादक क्षेत्र कृषि क्षेत्र में आज कृषि की गौण मण्डी, देवली के साथ लगा दिया। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा अन्याय है। पिछले वर्षों की आय को देखते हुए आप इस कृषि उपज मण्डी को वापस स्वतंत्र रूप देंगे, यह मेरा आपसे अनुरोध है।

अब मैं पशुपालन के क्षेत्र में निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम आधार योजना एक अच्छी योजना थी। वह योजना कुछ क्षेत्रों में लागू होने के बाद यह योजना आगे नहीं बढ़ रही है, मैं समझता हूं कि कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, भेड़ विकास प्रजनन केन्द्र पशुपालन की दृष्टि से बहुत आवश्यक हैं क्योंकि हमारे राजस्थान का किसान कृषि, सहकारिता और पशुपालन पर बहुत आधारित है, राजस्थान की इकानामी भी इस पर आधारित है इस दृष्टि से मेरा निवेदन है कि कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, भेड़ विकास प्रजनन केन्द्र जहां काफी आवश्यक हैं वहां वापस स्थापित किये जाएं।

इसके अलावा पशु चिकित्सालय कई मुख्यालयों पर नहीं हैं। मैंने अपने कटौती प्रस्ताव में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया है, मैं उतने नाम नहीं बोल रहा हूं, मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में आप गम्भीरता से विचार करेंगे।

सभापति महोदया, यह वेब सेंटर की योजना बहुत अच्छी है। उन्नत किस्मों के पशु, उसमें ज्यादा ठीक प्रकार से हमारा पशुधन विकसित हो सके उसके लिये कार्यक्रम अच्छा है। वेब सेंटर के मामले में भी जो प्राइवेट एजेंसी है उसने उदयपुर में, भीलवाड़ा में, अच्छा काम किया है। इस वेब सेंटर को आप अधिक से अधिक ग्रामों में स्थापित करें। किसान इससे काफी लाभ उठा रहे हैं। उन्नत पशुओं से किसानों को ज्यादा लाभ मिलता है, दूध भी अच्छा देते हैं।

कृषि का उद्योग का दर्जा देने की बात भी कई वर्षों से चल रही है लेकिन इसको अभी तक हमने गम्भीरता से नहीं लिया है। मैं समझता हूं कि कृषि को उद्योग का दर्जा और कृषि आधारित उद्योगों की योजनाएं वर्तमान में जो हमारी आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत आवश्यक हो गयी हैं क्योंकि कृषि की जमीनें सिमटती चली जा रही हैं, आबादी बढ़ती चली जा रही है। हम गरीबी रेखा से नीचे वाले कितने ही परिवारों को ऊंचा लाने के लिए कई कार्यक्रम चलाते हैं पर कुल मिलाकर इसमें अन्तर नहीं आता है इसलिए मेरा राजस्थान सरकार से सुझाव है कि कृषि को उद्योग का दर्जा देकर कृषि आधारित उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा

(श्री रतनलाल ताम्बी)

विकसित किया जाय जिससे लोगों को उसमें लाभ मिल सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री रामस्वरूपजी।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : सभापति महोदया, आपके माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्रीजी का ध्यान राजस्थान की डेयरी की तरफ दिलाना चाहता हूं और आपके यहां जो कुछ कमियां हैं, उनके लिए मैं आपको कुछ सुझाव दे रहा हूं उन पर ध्यान देंगे।

सभापति महोदया, राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 139 के तहत नियम (10) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के कार्यकाल में बढ़ोतरी की मांग करता हूं। दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का कार्यकाल पांच साल किया जाए। लोक सभा, विधान सभा, पंचायत समिति और नगरपालिका सब के कार्यकाल पांच साल हो गये हैं। सभापति महोदया, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इनके कार्यकाल को पांच साल क्यों नहीं करते ? क्या कारण है कि इनका कार्यकाल पांच साल नहीं किया जा रहा है? क्योंकि आप इस बात से डर रहे हो कि ऊपर इनका कार्यकाल हमने पांच साल कर दिया तो इनके जो चुनाव मंडल हैं या उनके जो चेयरमैन बनेंगे वो सारे कांग्रेसी बनेंगे। अगर हमने इसको बना दिया तो यह सारे कांग्रेसी राजस्थान में आ जाएंगे और यह कांग्रेस का भला करेंगे। इस डर के कारण इसके पांच साल नहीं कर रहे हो। इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि आप इससे नहीं डरें कि कांग्रेसी आ जाएंगे, कांग्रेस तो आनी ही है आखिर में, क्योंकि कांग्रेस ने भला किया है राजस्थान का। इसलिए कांग्रेस तो अगली बार आ रही है निश्चित। आप तो यह भला कर जाओ जैसे कि आपने यह चुंगी खतम कर दी, ऐसे ही भला और कर जाओ। घोषणा तो कर दो अच्छी-अच्छी। यह समय जा रहा है। आगे आपका समय आना नहीं। यह मेरा निवेदन है।

दूसरा मेरा सुझाव है कि सहकारी समितियों के चुनावों में एकरूपता लावें। आपने सहकारी समितियों के 50 प्रतिशत तो चुनाव करा दिये माननीय मंत्री महोदय। 50 प्रतिशत चुनाव आपने अभी तक कराये नहीं। माननीय सभापति महोदया, मेरा निवेदन है कि आप उसमें एकरूपता लायें। सारे राजस्थान के अन्दर आप एक साथ चुनाव करायें। यह अलग-अलग चुनाव करा देते हैं। जहां आपको आशा हो कि भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है वहां तो आप जाकर चुनाव की घोषणा कर देते हैं। जहां आशा होती है कि कांग्रेस जीतेगी वहां आप चुनाव करवाते नहीं हो। सब जगह वही भेदभाव। मुझे तो आपसे बहुत उम्मीद है। आप बुजुर्ग हो, अनुभवी हो। आपमें ऐसी

2-38

(श्री रामस्वरूप मीणा)

बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप इसमें एकरूपता जरूर लायें।

तीसरा मेरा निवेदन है कि दुग्ध संघ जितने भी हैं, इनके मण्डल हैं। उन्होंने जब से राजस्थान में काम किया। इनके टाइम में दुग्ध संघ को लाभ मिला है। इन मण्डलों द्वारा दुग्ध संघ को 8-9 माह तक लगातार लाभ मिल रहा है। उसके बावजूद भी आप उसी प्रकार से उनके कार्यकाल को भी पांच वर्ष करें ताकि इनका लाभ जब आपको मिल रहा है तो आप क्यों इनकी महत्ता खतम करते हो ? क्यों इनके अधिकारों को पहले ही खतम कर देते हो ? जबकि पूरे राजस्थान में इनके द्वारा आपको लाभ प्राप्त हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है कि पांच साल बढ़ाइये।

मेरे दो निवेदन और हैं। हमारे जो दुग्ध संघ के निर्वाचन मण्डल हैं इनके अन्दर जितने लोग लगे हुए थे सारे कांग्रेस के थे इसलिए आपने कईयों को भंग कर दिया और इनकी बातों को आपने नहीं माना। इसका सबसे ज्यादा नुकसान अगर राजस्थान में कहीं पर हुआ है तो किसानों को हुआ है जो + + + दूध बेचने के लिए जानवर रखते हैं। उनके साथ आपने अन्याय किया है। उनको लाभ मिल रहा था किसानों को आज आप उचित मूल्य नहीं दे रहे हैं। उनके दूध के भाव पानी के भाव के बराबर भी नहीं है।

श्री सभापति : सुझाव।

श्री रामस्वरूप मीणा : पानी की बोतल के बराबर भी आज दूध की बोतल की कीमत नहीं है, माननीय सभापति महोदया। ये मंत्री बने बैठे हैं। कभी किसानों का भला इन्होंने सोचा नहीं। कभी इस प्रकार के निर्णय नहीं लिये ताकि किसानों को लाभ हो जाए।

श्री सभापति : सुझाव।

श्री रामस्वरूप मीणा : दूसरा मेरा सुझाव है, पशुपालन मंत्री बिराजमान हैं। खैर, आप तो बहुत अच्छे मंत्री हैं। आप तो हमारी बहुत सी बातों को मान भी लेते हो। इस बात के लिए तो आपको धन्यवाद। लेकिन अब आपको मेरा एक सुझाव है। माननीय मंत्री महोदय, छोटी सी बात है। गांवों में ग्राम पंचायत लेवल पर आप कम से कम पशुओं के लिए लोहे का कटघर जो बनता है, इस कटघरे के अभाव में आपके डाक्टर्स जो भी इलाज करने जाते हैं गांवों के अन्दर। जानवरों को नीचे गिराना पड़ता है। पांच-सात आदमी चाहिये गिराने के लिए। उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर ये लोहे के कटघरे बनवा दिये जाएं, ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा, कम से कम ग्राम पंचायत लेवल पर बनवा दें, हर गांव में तो आप नहीं बनवा सकते,

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

ताकि आपके डाक्टर्स को भी लाभ मिलेगा और जनता को भी लाभ मिलेगा।

दूसरा मेरा निवेदन है, सुझाव है माननीय मंत्री महोदय, कि आपने जो कृत्रिम गर्भाधान खोल रखे हैं, कृत्रिम गर्भाधान करने जो आपके डाक्टर्स जाते हैं वे कहते हैं कि हमको सवारी लाइये, जीप लाइये तब हम जाएंगे। क्योंकि हमारा बड़ा बर्तन है वह जिसके अन्दर वह रखा हुआ रहता है। उसको हम वैसे नहीं ले जा सकते। अब एक गरीब किसान क्या जीप लाएगा ? 400-500 रुपये जीप में खर्च करेगा तब आपके डाक्टर साहब वहां पधारेंगे और तब वे कृत्रिम गर्भाधान करेंगे। वह भी लेट जाएंगे जब तक गाय या भैंस का समय निकल जाता है तो कृपया कम से कम साधन की व्यवस्था तो आप कर दें जब आप कृत्रिम गर्भाधान में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। मेरा आपसे यह विनम्र निवेदन है कि आप कम से कम इनको हिदायत दें कि किसी भी गरीब किसान से आप साधन न मांगे और कृत्रिम गर्भाधान सरकारी खर्चे पर किया जाए और वह भी उचित समय पर किया जाए।

यहां पर कृषि मंत्रीजी बैठे हुए हैं। उनसे भी मैं निवेदन करूंगा। माननीय कृषि मंत्रीजी, आपको तो कृषि के बारे में किसी प्रकार का ज्ञान ही नहीं, क्योंकि आपने तो अभी नया-नया विभाग संभाला है। मैं तो आपको इस बात के लिए दोष भी नहीं दूंगा। आप तो यह बता दो कि बाजरा और बरू में क्या फर्क है बता दो खड़े होकर। बाजरा और बरू में क्या फर्क है ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अपनी बात रखें। आप आर्डर नहीं दे सकते।

श्री रामस्वरूप मीणा : खैर, आप तो बहुत अच्छे मंत्री हैं वे समझते हैं इस बात को लेकिन बाजरा और बरू में फर्क नहीं बता सकते। कोई बात नहीं। मेरा तो आपसे निवेदन है कि कृषि मंत्री तो ऐसे बनाये जो कृषि के बारे में जानकारी रखते हों। यह भारतीय जनता पार्टी का राज जब से आया है तब से राजस्थान का किसान तो तबाह हो गया, साहब। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : मुख्य मंत्रीजी से पूछो।

श्री रामस्वरूप मीणा : मुख्य मंत्रीजी तो बता देंगे क्योंकि वे बहुत चतुर हैं।

श्री सभापति : आप अपने सुझाव दीजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदया, मेरे दो-तीन सुझाव हैं। कृषि के अन्दर, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी ___ (व्यवधान)

श्री शंकरलाल अहारी : मुख्य मंत्रीजी चले गये।

श्री रामस्वरूप मीणा : कोई बात नहीं चले जाने दो। ये अन्यायी सरकार आयी है, या तो देश के अन्दर अतिवृष्टि हुई है, प्रदेश में अतिवृष्टि से पिछली बार सरसों की

(श्री रामस्वरूप मीणा)

फसल नष्ट हो गयी। +++ किसान बरबाद हो गया। इनके टाइम में अकाल पड़ा है। मुख्य मंत्रीजी तो चले गये। ये मंत्रीजी बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि "जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी वे नृप अवश्य नरक अधिकारी" +++ ईमानदार होंगे इस हिसाब से तो।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा आखिर में एक सुझाव है। माननीय सभापति महोदया, मेरा यह सुझाव है कि जब बार-बार प्रकृति हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है और प्रकृति के आधार पर सारी फसल पैदा होती है क्यों नहीं बीमा योजना लागू कर दी जाए? अगर बीमा योजना लागू होगी तो हमारे किसान जो प्रकृति के अधीन रहते हैं। कितनी बार उसकी फसल नष्ट हो गयी थी उस पर कर्जा हो जाता है। आज किसान का बाजरा 250 बिक रहा है और वही बीज में बाजरा किसान 100 रुपये किलो खरीद रहा है। ढाई रुपये किलो का बाजरा 100 रुपये किलो में। कितना भारी फर्क है। तो इस फर्क को मिटाने के लिए हमारे किसान की फसल जो कि बीज टाइम पर उसके पास होना चाहिए। तो कम से कम उसका ऋण दिया जाए। फसली ऋण अगर उनको दिये जायेंगे तो वक्त पर वह पैसे को काम में ले लेगा।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय रामस्वरूपजी, मैं दूसरा नाम पुकारती हूं। कृपया सहयोग करें।

श्री रामस्वरूप मीणा : अन्त में एक सुझाव देते हुए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों को फसल के लिए ऋण देवें। सहकारिता मंत्री महोदय, किसानों को ऋण देवें। यह आपसे मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि किसानों को एक लाख रुपये ऊपर ऋण मिले।

(18.37 बजे)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

वे बनियों के चक्कर में नहीं रहें, सेठों के चक्कर में नहीं रहें। कोई पासबुक जारी करें ताकि ऋण मिल जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। श्री रामरिछपाल नुवाल। इसके बाद जवाब होगा। सरकार की तरफ से तैयार रहें।

श्री बनवारीलाल बैरवा : उपाध्यक्षजी, मेरा कट मोशन था।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पहले तो आप गायब हो गये।

श्री बनवारीलाल बैरवा : कहां गायब हो गया ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर आ जाएगा।

श्री बनवारीलाल बैरवा : मान्यवर, उत्तर

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री बरवारीलाल बैरवा)

नहीं आ जायेगा। मुझे और बात कहनी है। आप इनको बुलवा दीजिए फिर दो मिनट...

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर आ जायेगा।

श्री रामरिछपाल नुवाल (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज के कटमोशन के अन्दर सारे विचार किसानों से संबंधित है और अपना देश किसान प्रधान देश है। मैं इसके लिए हमारे कृषि मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि वाकई आपने मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर दो बहुत बड़ी सड़कें स्वीकृत की हैं। एक सड़क हैं 26 लाख रुपये की और दूसरी सड़क है 16 लाख रुपये की। वास्तव में आपने शहर को गांव से जोड़ने का बहुत बड़ा काम किया है। यह बधाई के पात्र हैं। मैं इस विषय पर इनसे निवेदन करूंगा कि दो सड़कें और रह गयी हैं। अगर आपके पास में बजट है तो उन दो सड़कों को और जोड़ देंगे तो मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 75 प्रतिशत काम हो जाएगा। किसानों को गांवों से सब्जी, फल वगैरह लाने में काफी सुविधा हो जाएगी। यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि पशुपालन मंत्रीजी से। कई माननीय सदस्यों ने इस सदन के अन्दर आपकी सबसे ज्यादा प्रशंसा की है। मैं भी इतना कह सकता हूं कि आपका जो विभाग हैं वाकई में बहुत सत्यता और ईमानदारी से काम कर रहा है इसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं। मेरा आपसे बार-बार एक ही निवेदन रहा है। भीलवाड़ा नगर के अन्दर पशु पालन का जो अस्पताल है। मैन सैन्टर में है, तीन बीघा जमीन के अन्दर है। अभी वह साधारण अस्पताल है। मैंने कितनी ही बार आपसे निवेदन किया कि इसको क्रमोन्नत करिये। इससे भीलवाड़ा जिले के सारे पशुओं को काफी लाभ मिलेगा। परन्तु आपने मुझे बार-बार यही विश्वास दिलाया कि अबकी बार बजट में कर देंगे।

आज मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि यह भीलवाड़ा जिले का जो अस्पताल है यह कम से कम क्रमोन्नत हो जाए जिससे ग्रामीण जनता को बहुत बड़ा लाभ मिल सके। मैं आपका हृदय से आभारी रहूंगा। इसी ढंग से तीन-चार पंचायतें और हैं वहां पर भी उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। वहां पर पशु ज्यादा हैं, पशुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर पशुधन अच्छा होगा, उनकी देखरेख अच्छी होगी तो हमारे देश के अन्दर दही दूध की नदियां बहेंगी। दही-दूध की नदियां जब ही बह पाएंगी जब पशुओं की रक्षा होगी, पशुधन अच्छा होगा। आपके माध्यम से मुझे पक्का विश्वास है कि हमारे इधर के बंधु यह बोलते हैं अबकी बार हमारी बारी। इनकी बारी अबकी बार नहीं होगी। हमारी लाइन बढ़ते-बढ़ते यहां तक आएगी। इनकी

(242)

(श्री रामरिछपाल नुवाल)

बारी में अभी दस वर्ष की देर है, दस वर्ष पता नहीं कब होंगे। हमारे ठाकुर साहब यह कहते हैं कि जब तक मैं हूं तब तक तो मैं इनको इधर नहीं आने दूंगा। मेरा भी पूरा पक्का विश्वास है। किसानों के साथ मेरा गांवों में बहुत बढ़िया सम्बन्ध है। वहां के किसान कहते हैं कि हमने लोक सभा के अन्दर थोड़ी सी नाराजगी प्रकट की है। हमने नेताओं से थोड़ी सी नाराजगी प्रकट की है। कुछ सिद्धान्तों में मतभेद हो सकता है। हम कोई कांग्रेस से खुश नहीं है। हमने कांग्रेस से खुश होकर आपको नहीं हरवाया है। अबकी बार यह आपकी होगी। मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं कि अबकी बार हमारी सीट यहां तक आएगी इसमें कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है।

मेरा निवेदन है, हमारे पशुपालन मंत्री जी बीफ के बारे में मेरा आपको सुझाव है। बीफ के बारे में मुझे जानकारी मिली कि यह बीफ को जो कार्यक्रम है किसी प्राइवेट संस्था को आपने दे रखा है। मैंने कलेक्टर से और डी.आरडी.ए. के अधिकारियों से भी डिटेल में लिखकर पत्र लिखा कि इस बीफ के बारे में जो कार्यकर्ता गांवों में जाते हैं, इनको बहुत कम तनख्वाह मिलती है। हिसाब पूछने पर वहां के जो प्राइवेट कर्मचारी हैं उनका ट्रांसफर कर दिया। भीलवाड़ा वाले कर्मचारी का ट्रांसफर कर दिया बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के कर्मचारी का ट्रांसफर कर दिया जैसलमेर। यह थोड़ा सा आप देख लें और इनका हिसाब किताब पता लगाएं। वास्तव में इनको हजार, बारह सौ, पन्द्रह सौ रुपया मिलता है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अगर यह इस तरफ ध्यान देंगे तो वहां के कर्मचारी हैं देर तक काम करने वाले ज्यादा अच्छा काम करेंगे। किसानों को ज्यादा लाभ मिलेगा। यही मेरा आपसे निवेदन है। मुझे सहकारिता मंत्रीजी के बारे में तो कुछ कहना नहीं है। हमारे कालूलालजी गूजर ने सारी बातें बता दीं। मैं सारी बातों का ध्यान दिलाता हुआ सारे मंत्रियों को धन्यवाद देता हूं कि अभी थोड़े समय के अन्दर इनके मन में कुछ शंकाएं हैं। शंकाएं निकाल दें आप और कार्यकर्ताओं को और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट अधिकारियों के लिये आपको हम कभी भी टेलीफोन नहीं करेंगे। भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट कार्यकर्ता कोई भी है आप उसके खिलाफ कार्यवाही करें। आपने मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : कृषि मंत्री महोदय।

श्री बनावारीलाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं दो मिनट का समय चाह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृषि मंत्री महोदय। आपके पास जवाब आ जाएगा मैं निवेदन करता हूं।

श्री बनवारीलाल बैरवा : सिर्फ दो ही मिनट का समय दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : दो-दो मिनट सभी चाहेंगे फिर।

श्री बनवारीलाल बैरवा : दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। इतनी देर में तो मैं अपनी बात कह ही चुकता।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत समय हो गया। तीन माननीय मंत्रियों को जवाब देना है। कई घंटे लगने की सम्भावना है।

श्री बनवारीलाल बैरवा : मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री बनवारीलाल बैरवा : मेरा बहुत रेलेवेंट सवाल है। माननीय सहकारिता मंत्री जी खड़े हो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें बनवारी लाल जी। कभी-कभी तो आप मेरी बात का थोड़ा अहसास करें।

श्री बनवारीलाल बैरवा : मेरी अर्ज तो सुन लें आप।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। सहकारिता मंत्री महोदय। (व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सुरेन्द्र गोयल (उप मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं मांग संख्या - 36, 37 और 39 मंत्रीगण के जवाब आने और पारण होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से सदन का समय बढ़ाना गया।

मांग संख्या 36, 37 एवं 39 पर विचार

श्री बनवारीलाल बैरवा : जब समय ही बढ़ा दिया तो दो मिनट देने में क्या फर्क पड़ता है। मुझे समय दीजिये, साहब। मैं अपनी बात दो मिनट में पूरी करना हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट में आप समाप्त कर दें। दो मिनट तो आपने ले लिये। अब आप बोलिए न।

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : उपाध्यक्ष जी, मैंने जो कटमोशन दिया है वह कटमोशन यह दिया और उस पर आप गौर फरमाएं। मेरे निवाई क्षेत्र के अन्दर चार सड़कों का एक पैकेज डील तैयार किया 1994 के अन्दर। किसी शिव कंस्ट्रक्शन को इन्होंने काम दिया उसका। जब मैंने पूछा विभाग से कि कौन ठेकेदार है, किसने काम किया है जरा उनसे कहिये कि जल्दी कर दीजिये। चूंकि लोगों का बड़ा प्रेशर रहता है। बोले कि आप चिन्ता मत कीजिये बहुत बड़ा ठेकेदार है और वह विदिन टाइम सब काम पूरा कर देगा। दो महीने इन्तजार कर लिया कि काम तो चालू कराओ। तो पता लगा कि उन्होंने एक दिन काम चालू किया।

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

कुछ दिन बाद तीन महीने गुजरे होंगे थोड़ा सा काम किया। बीस लाख रुपये उसने सरकार से ले लिये। बीस लाख रुपये तीन किश्तों में उन्होंने सरकार से ले लिये। फिर पता लगा एक रात को सब सामान लेकर गायब हो गया। उनसे पूछा कि क्या हुआ, कहां गायब हो गया वह ठेकेदार तो बोले कि जानकारी करते हैं। अब जानकारी में यह हुआ उपाध्यक्षजी, कि वह ठेकेदार का नाम फर्जी, उसका काम फर्जी, उसकी जो कंस्ट्रक्शन कम्पनी थी वह फर्जी, बैंक का अकाउंट फर्जी। यह सब फर्जीवाड़ा करके ठेका कैस ले लिया और ठेका ले लिया, बीस लाख रुपये सरकार के लेकर चला गया। तो वह जिम्मेदारी किसी पर तो आयद करो। उसका जिम्मेदार कौन है ? उस बात की जिम्मेदारी तो आयद करो। मेरा बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है।

उपाध्यक्षजी, हमारे यहां पर कोआपरेटिव बड़ी अच्छी संस्था है। चूंकि श्रम और शक्ति दोनों का समन्वय है इसमें। यह काश्तकार के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। हमारे यहां पर क्या हो रहा है, उपाध्यक्षजी, कोआपरेटिव का चुनाव कितने साल से नहीं हुआ, सी.सी.बैंक का चुनाव नहीं हुआ, मार्केटिंग का चुनाव नहीं हुआ, भूमि विकास का चुनाव हुआ तो उसके अध्यक्ष को हटा दिया और अध्यक्ष को हटा करके वहां का सैक्रेटरी उसको बना रखा है। वह काश्तकारों को लूटे जा रहा है, खून पिये जा रहा है और हमारी कोई सुन नहीं रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें माननीय सदस्य।

श्री बनवारीलाल बैरवा : मेरा निवेदन करना यह है कि जो संस्था हमारे काश्तकारों के हित में होनी चाहिए थी, अब माननीय मंत्रीजी की बहुत तारीफ की है माननीय सदस्यों ने पर मैं किस बात की तारीफ करूं। तारीफ तो उस बात की की जाती है, कोआपरेटिव के अन्दर नया सोच उभरना चाहिये। नयी व्यवस्थाएं आनी चाहिए। आपने पुरानी व्यवस्थाओं को ही कर दिया। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, उपाध्यक्षजी, कि इन तमाम व्यवस्थाओं को सही किया जाए।

जल संग्रहण के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र के अन्दर चैनपुरा के नाम से योजना तैयार हुई और वह इसलिये हुई कि वहां कटाव बहुत होता था। हरिजनों का गांव था। पूरा गांव ही बहने की स्थिति में आ गया। मैंने इनसे कहा कि इसकी योजना तैयार करो। अब वह योजना तैयार हो गयी। उसमें काम भी चालू हुआ, उपाध्यक्षजी, तो उसकी वह स्थिति बनी कि वहां जहां खड्डा पहले हुआ करते थे वहां तो वह खड्डा समाप्त हो गया दूसरी तरफ हो गया। यह क्या जल ग्रहण हुआ। आप कोई काम करो तो ऐसी मजबूती से तो करो जिससे लोगों को लाभ हो, काश्तकारों को.

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

लाभ हो, हमारी खेती के अन्दर इजाफा हो। तुआडे के अन्दर एक नयी योजना थी...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री बनवारीलाल बैरवा : उसके अन्दर वह गांव ही गर्त में आ रहा है। उसके अन्दर जो पेड़ उगा रहे हैं, गड्ढे खोद रहे हैं, आप उसमें ट्रेन्वेज लगा रहे हैं, उसमें पेड़ लगा रहे हैं तो पेड़ों को जिन्दा रखने की व्यवस्था तो करो। उनके स्थायी जल की व्यवस्था करो। स्थायी जल की व्यवस्था नहीं करोगे तो सब बेकार हो जाएगा। सब, करोड़ों रुपया जो काश्तकार के हित में आप लगाना चाहते हो वह सब बेकार हो जाएगा। इसलिए, उपाध्यक्षजी, मेरा निवेदन करना यह है कि सरकार जो काम करे उस पर सोच करे, विचार करे और इस ढंग से काम करे जो जनहित में हो। जनहित में नहीं करोगे तो जनता आपको देख लेगी, चारों तरफ से आवाज तो आ रही है। अब आप कहें भले ही कि ठाकर साहब यह कह रहे हैं, ठाकर साहब यह कह रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। सहकारिता मंत्री महोदय।

श्री भीमराज भाटी : मैं दो मिनट बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं नहीं ऐसा नहीं। आप बिराजें माननीय सदस्य। कृपया कभी-कभी तो मेरी बात माना करें भाटी साहब।

श्री भीमराज भाटी : मैं तो हमेशा मानता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप हमेशा नहीं मानते हैं।

श्री भीमराज भाटी : मैं हमेशा अनुशासन में रहता हूं-

श्री उपाध्यक्ष : आपके उप नेता कह रहे हैं। आप बिराज जाएं। कृपया बैठें। कृपया आसन पैरों पर है। आप विवाद न करें। सहकारिता मंत्री महोदय।

श्री सुजानसिंह यादव (सहकारिता मंत्री) : सम्मानीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या - 36, 37 पर वाद विवाद चल रहा है और लगभग 25 माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया है। उनके जो सुझाव, उनके जो विचार सदन में रखे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। उनका स्वागत करते हुए इसके साथ मैं उन माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन पौने पांच वर्षों से मेरे विभाग से सम्बन्धित नाना प्रकार के प्रश्न पूछे गये हैं और उन प्रश्नों के आधार पर मैंने इस विभाग की गतिविधियों को जाना है। मैं कभी कोआपरेटिव नहीं रहा और न कभी मेरा कोआपरेटिव से सम्बन्ध रहा। मैं उन सम्मानीय सदस्यों का नाम लेना चाहता हूं सबसे पहले हमारे सम्मानीय सदस्य श्री रामपालजी उपाध्याय, जो

(श्री सुजानसिंह यादव)

लोकसभा सदस्य बन गये हैं। दूसरे, चौधरी शिवनाथ सिंहजी का नाम लेना चाहूंगा। तीसरे, श्रीमती कमलाजी का नाम लेना चाहूंगा। चौथे, बुरड़क साहब का नाम लेना चाहूंगा। इन माननीय सदस्यों ने बार-बार मुझे इस बात के लिये प्रेरित किया है कि आप इस विभाग का पूर्ण तरह से अध्ययन करें और इसी प्रकार से प्रश्न पूछें।

मैं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जिसमें श्री कालूलाल गूजर, श्री रघुवीर सिंहजी कौशल, श्री किशन गोपाल कोगटा, इन्होंने भी समय-समय पर मेरा साथ दिया है और उसी के आधार पर मैंने विभाग को कुछ गति दी है। इतना मैं बुद्धिमान नहीं हूं। मेरे विचार बिल्कुल शुद्ध हैं, इस विभाग को शुद्ध करना चाहता हूं और करने की कोशिश भी की है।

इसके साथ ही साथ मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने समय-समय पर मेरी पीठ पर हाथ रखा है और मुझे पूर्ण स्वतंत्रता दी कि इस विभाग में आमूलचूल परिवर्तन करने की कहीं गुंजाइश हो, तो आप करें।

मैं एक स्मरण सुनाता हूं। मेरी उनकी कभी-कभी गुप्त बात होती है तो उनके निवास पर इस बात की (व्यवधान) सुनिये तो सही। व्यवधान मत डालिये। मैं दिल से बात कर रहा हूं। मैं फर्जी बात नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान) सुनिये, हरिसिंहजी। हरिसिंहजी, व्यवधान नहीं डालें। नहीं- नहीं, व्यवधान नहीं डालो। जब मैं बोलूं तब तक व्यवधान नहीं डालो। मैं दिल से बात करना चाह रहा हूं, ऊपर की बात मेरे पास नहीं है, मैं अन्दर से बोल रहा हूं। और मैं करना चाहता हूं कि इस विभाग में कुछ और गलतियों का सुधार हो।

एक मर्तबा इस बात की चर्चा चली। मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा कि सुजान सिंहजी कोआपरेटिव विभाग आपको इसलिये दिया है कि उसमें कुछ सुधार हो। मैंने उसको स्वीकार किया। इस पौने पांच साल के बीच में मैंने खट्टे-मीठे अवसर देखे हैं। कुछ मेरे साथियों ने मेरे से दोस्ती भी की है। किसी साथी ने मेरे से दुश्मनी भी भारी की है। मेरी उन्नति का देखना उनको अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने एक दिन यह कहा कि मैं एक किसान का बेटा हूं। मैं एक छोटा किसान हूं और किसानों के दुख-दर्द को देखना चाहता हूं सुजान सिंह। इस बात की चर्चा की कि आप बहरोड ही बहरोड जाते हो, आपको बहरोड के लिये मंत्री नहीं बनाया, आपको राजस्थान के लिये मंत्री बनाया है। उनकी भाव भंगिमा को देखकर, उनके विचारों को देखकर मैंने राजस्थान के कोने-कोने को छाना जहां इन 50 सालों में कोई मंत्री नहीं गया वहां मैं गया हूं और लोगों की स्थानीय समस्याओं के सम्बन्ध में तत्काल उसी वक्त मेरे अधिकारियों के साथ मैंने मीटिंग की है और समस्याओं का हल किया है।

आज इस अवसर पर मैं यह कहना

(श्री सुजानसिंह यादव)

चाहता हूं कि आपका सहयोग है, बगैर सहयोग के मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे साथ माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह भी उपकार किया है अधिकारी मेरे साथ बहुत बढ़िया लगाये उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया है और बार-बार इस बात को सोचा है कि सहकारिता में कुछ आमूलचूल परिवर्तन होने चाहिये।

आज मैं इस अवसर पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसी के आधार पर आपके विचारों से और सहयोग से, माननीय सदस्यों के सहयोग से इस विभाग में कुछ सुधार हुआ है और वह सुधार की तरफ कल्पना मैं इस बात की कर सकता हूं, अभी मेरे से पूर्व वक्त कह रहे थे कि मेरे विभाग को देखने के लिये गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब के व्यक्ति यहां आए। यहां हमने उन चीजों का उन गांवों का अध्ययन कराया। उन्होंनें हमारी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। इस बात की प्रशंसाएं की हैं, हमारा विनियोजन कम हो सकता है मगर हमारी नीतियां जो स्पष्ट हैं और उन नीतियों के आधार पर हम आगे बढ़े हैं।

एक अवसर ऐसा था इस कोआपरेटिव विभाग में कोई जाना पसन्द नहीं करता था और कहते थे कि कोआपरेटिव विभाग में और बैंक में गये तो कहीं गलत पैसा तो नहीं लिख देंगे। इसलिये लोग विभाग से डरते थे और आज विभाग की स्थिति है कि लोगों की लाइन लगी हुई है और लाइन लगने के बाद लोग यह कहते हैं कि हमको पैसे दो, हमको पैसे दो।

मैं आज मुख्य मंत्री की पुनः प्रशंसा करता हूं। उन्होंने पैसे की छूट दी है और उस छूट के आधार पर इस विभाग ने कुछ गति पकड़ी है।

मैं आपके सामने मेरे विभाग का ढांचा बताता हूं। ढांचे से आपको पूरा ज्ञान होगा - अतिरिक्त रजिस्ट्रार 10.... (व्यवधान) सुनिये आप। आप सुनिये, तरीके से। रजिस्ट्रार अतिरिक्त रजिस्ट्रार 10... (व्यवधान) सुनिये बात तो सुनिये। देखो आप परसादीलालजी, बात सुनो जो मैं पूरी आपको बताऊं।

संयुक्त रजिस्ट्रार 38, उप रजिस्ट्रार 35, सहायक रजिस्ट्रार 202, निरीक्षक कार्यकारी 1145, वरिष्ठ लिपिक 195, कनिष्ठ लिपिक 254 अन्य 166 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 229, आडिट विंग में चीफ आडिटर 1, डिप्टी चीफ आडिटर 2, क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी 7, स्पेशल आडिटर 22, निरीक्षक आडिट 627, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे (व्यवधान) आप बीच में नहीं बोलें। व्यवधान मत डालिये...

श्री परसादीलाल मीणा : व्यवधान नहीं, क्या सुधार किया है क्या करना चाहते हैं, वह बताइये।

श्री सुजानसिंह यादव : आगे बताऊंगा, दो घंटे बताऊंगा।

श्री परसादीलाल मीणा : यह तो लिखा हुआ है आपका। इसमें कौनसी नयी बात है। आप क्या करना चाहते हैं, क्या किया, क्या करने की आपकी कामना है ?

श्री सुजानसिंह यादव : सुनने की चेष्टा करिये आप...

श्री रामस्वरूप मीणा : यह तो अधिकारियों की मेहरबानी है जो अच्छे अधिकारी बैठें हैं आपके यहां। आर.के.मीणा वगैरह यहां आए हैं तब से सुधार हुआ है। आपने तो + + + बैठा रखा था इसका।

श्री सुजानसिंह यादव : आप सुनना नहीं चाहते हैं। विभाग की उपलब्धियां, आप सुनना नहीं चाहते। मेरे साथ दोषारोपण कर रहे हैं। मेरी बात को नहीं सुन रहे हो।

श्री परसादीलाल मीणा : आपके आरोपों को सुनना चाहते हैं हम। आपका विभाग कैसा रहा, कैसा चला, चुनाव के बारे में आपके क्या विचार हैं, यह कहो आप। यह तो लिखा हुआ है...

श्री सुजानसिंह यादव : एक-एक बात बताऊंगा। आप देखों, आपकी आदत सुधारो। आप अपनी आदत सुधारो। मैं बीच में नहीं बोलता हूं।

श्री परसादीलाल मीणा : सुधारी हुई है। मैं जाकर यहां बैठा हूं और आप यहां से (व्यवधान) वहां चले गये हमको ज्ञान दे रहे हैं। हमको ज्ञान दे रहे हैं।

श्री सुजानसिंह यादव : 1980 से आज तक मैं विधायक रहा हूं, मैंने किसी को इंटरवीन नहीं किया है (व्यवधान) आप मानते ही नहीं। आपकी आदत खराब है, बैठ जाइये आप। नहीं, आदत खराब है। आपकी सुनने की हैसियत नहीं है। आपकी सुनने की हैसियत नहीं है। आप सुनना नहीं चाहते। नहीं सुनना चाहते हैं आप। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आप बताइये कि चुनाव कब करा रहे हो।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, हमारे पास लिखा हुआ है। मैं यह कह रहा हूं कि यह जो कह रहे हैं यह तो हमको लिखा हुआ दिया है।

श्री सुजानसिंह यादव : क्या मैं बैठ जाऊं ?

श्री परसादीलाल मीणा : बैठ जाओ। क्या बात करते हो आपकी आदत ठीक नहीं है किसी की बात सुनें...

श्री रामस्वरूप मीणा : आप बताइये चुनाव कब करा रहे हो। क्या आदत ठीक कराओगे आप।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं आदत की नहीं, अपनी आदत ठीक करिये आप। आप सदन का अमूल्य समय नष्ट कर रहे हैं...

श्री सुजानसिंह यादव : आप सुनने की चेष्टा करिये।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी यह बताएं कि चुनाव कब करा रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : यह तो लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूं यह जो पढ़ रहे हैं या तो लिखा हुआ है। आपने मंत्री महोदय क्या किया, वह बताओ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा) : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था कीजिये, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : फालतू समय बरबाद मत करो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया माननीय सदस्य। कृपया आप बिराजें। बिराजें-बिराजें।माननीय मंत्री महोदय जो कुछ कह रहे हैं उसको आपको सुनना चाहिये। सुनना चाहिये।

श्री परसादीलाल मीणा : अब टाइम खराब मत करो सदन का...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह बुद्धि की चीज है। यह बुद्धिमान लोगों की बुद्धि की चीज है, समझने की कोशिश करो।

श्री परसादीलाल मीणा : इनकी लड़ाई में हमारा टाइम खराब क्यों ? आपस की लड़ाई तो इनकी है... (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, कोई सुझाव है ही नहीं। कोई सुझाव हो...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराज जाएं। कृपया महेन्द्रजी, कृपया-कृपया।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप तो कह बता दो चुनाव कब करा रहे हो ? पांच साल का पीरियड कब कर रहे हो ?

श्री सुजानसिंह यादव : सब बात बताऊंगा। सब बात बताऊंगा, बैठ जाइये।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें...(व्यवधान) श्री परसादीलालजी, आप जवाब तो सुनें। माननीय सदस्य, आप बिराजें...(व्यवधान) आप बिराजें, माननीय सदस्य...(व्यवधान) रामस्वरूपजी, कृपया-कृपया। कृपया-कृपया।

श्री सुजानसिंह यादव : माननीय उपाध्यक्षजी, मेरे बुखार चढ़ा हुआ है, जुखाम ज्यादा लगी हुई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूं कि मेरा सहयोग करें आप...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया।

श्री सुजानसिंह यादव : ये शांत रहें। एक-एक बात मेरी सुनें। मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में 20,212 सहकारी समितियां हैं। 44 लाख सदस्य...

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपके क्षेत्र में कितनी हैं ?

श्री सुजानसिंह यादव : 75 लगभग।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपके विधान सभा क्षेत्र में, कमाल कर दिया।

श्री सुजानसिंह यादव : सुनिये आप बैठ जाइये ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप गलत बयानी कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सुजानसिंह यादव : 344 करोड़ की कार्यशील पूंजी, 502 करोड़ की हिस्सा राशि, ऋण वितरण में 88 प्रतिशत की भागीदारी सहकारी समितियों की, उर्वरक बिक्री में 30 प्रतिशत भागीदारी, फसली ऋण में राष्ट्रीय स्त: पर द्वितीय दीर्घकालीन वसूली में राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय, राजस्थान सरकार को 2 करोड़ का लाभांश दिया है हमने।

(19.00 बजे)

50 साल के अवसर में सबसे ज्यादा लाभांश हमने दो करोड़ का दिया है, यह एक उपलब्धि नहीं है तो क्या है ?

श्री परसादीलाल मीणा : आप भी इधर ही थे पहले।

श्री सुजानसिंह यादव : यह उपलब्धि नहीं है तो क्या है ?

श्री परसादीलाल मीणा : आप भी इधर ही थे पहले। हमको क्या उपदेश दे रहे हो? आप मंत्रिमण्डल में थे। (व्यवधान) आप मंत्री रहे कांग्रेस में 50 साल बाद डुबो गये हमको और अब हमको उपदेश दे रहे हो उलटे। (व्यवधान)

श्री सुजानसिंह यादव : यह 2 करोड़ का लाभांश... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बार-बार नहीं।

श्री सुजानसिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, इनका + + +

श्री परसादीलाल मीणा : + + +

श्री सुजानसिंह यादव : + + + (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : + + + इधर डुबोकर के उधर चले गये। (व्यवधान)

श्री सुजानसिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, इनके + + + (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूपजी। कृपया बिराजें। + + + आप बिराजें (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : एक बार उधर चले गये__ (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : + + + (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : जिम्मेदारी से अब वहां डुबोकर के इधर आने की कोशिश कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : समर्थन नहीं किया__ (व्यवधान) मंत्री नहीं बनाया।

श्री सुजानसिंह यादव : मैं बता रहा हूं सब बात धीरे-धीरे__ (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : कोई करेक्टर है क्या, इस देश का यह करेक्टर है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : वह मंत्री के हिसाब से जवाब दे रहे हैं, आप सुनें। सरकार बोल

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

रही है। माननीय रामस्वरूप जी, आप थोड़ा कब बैठना है, कब उठना है, कब बोलना है यह तो कम से कम— (व्यवधान)

श्री सुजानसिंह यादव : बड़े शर्म की बात है। मेरी बात को तो सुनें। (व्यवधान) यह आप लोगों की गलती थी मेरी गलती नहीं थी। मैं आपके लिए असेट्स था लायबिलिटी नहीं था कांग्रेस में। आप ईमानदार आदमी को नहीं चाहते थे। आप यहां— (व्यवधान) नहीं चाहते थे। इसलिए दुःखी होकर के मैं यहां आया हूं। आप ईमानदार की कद्र नहीं चाहते। मैं चैलेंज देता हूं हाउस को, कोई व्यक्ति इस बात को साबित कर दें कि मैंने पैसा खाया हो तो मैं इस्तीफा दे सकता हूं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आप वहां भी दुःखी हो— (व्यवधान) यहां से दुःख होकर के गये वहां भी दुखी हो, आपको तो वहां भी जुकाम हो गया— (व्यवधान)

श्री सुजानसिंह यादव : आप ईमानदार को नहीं चाहते थे —(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाटी साहब कृपया बिराजें। माननीय सदस्य, भाटी साहब— (व्यवधान) कृपया आसन पैरों पर है। (व्यवधान) आदरणीय मंत्री महोदय, आप केवल कटौती प्रस्ताव हैं उनका जवाब दीजिए। आप मेरी तरफ देखें। आसन की तरफ।

श्री सुजानसिंह यादव : सबसे भारी उपलब्धि, विभाग की चार संस्थाओं को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिया है यह सबसे भारी उपलब्धि है। राज्य का भूमि विकास बैंक राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम आया है। उसको पांच लाख और एक शिल्ड मिली है, गंगानगर, सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक प्रथम आया, पांच लाख और एक शिल्ड मिली है। राजस्थान का अपैक्स बैंक, जिसको पांच लाख और एक शिल्ड—

श्री परसादीलाल मीणा : उधर की तरफ देखें।

श्री सुजानसिंह यादव : नहीं, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं। व्यवधान आप डाल रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें।

श्री सुजानसिंह यादव : व्यवधान आप डाल रहे हो। उपाध्यक्ष महोदय, व्यवधान नहीं डाल रहे हैं। यह— (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : हमारी, उनकी नजर नहीं मिल सकती— (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : उधर देखें आप।

श्री सुजानसिंह यादव : अब ऐसे खड़ा हो जाऊं मैं। आप कहें जैसे खड़ा हो जाऊं (व्यवधान) ऐसे खड़ा हो जाऊं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। कृपया शांति से सुनें। मंत्री महोदय की तबियत ठीक नहीं है।

श्री सुजानसिंह यादव : मेरे बुखार है, जुकाम है। मेरा सहयोग करें। मैं विभाग

252

(श्री सुजानसिंह यादव)

की एक-एक गतिविधियों का ज्ञान यहां बैठकर आपको कराऊंगा।

श्री हरिसिंह (महुवा) : इधर ना देखें, रोहिताश्व जी... (व्यवधान)

श्री सुजानसिंह यादव : जिसका ज्ञान नहीं है आपको। जिस चीज का ज्ञान नहीं है वह ज्ञान मैं आपको बताऊंगा... (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : मेहरबानी करके ... (व्यवधान)

श्री सुजानसिंह यादव : चौथी उपलब्धि, राजफैड को मिली है और राष्ट्रीय स्तर पर हमको सम्मानित किया है। राजफैड प्रथम 50 साल में...

श्री उपाध्यक्ष : बहुत बढ़िया।

श्री सुजानसिंह यादव : नाना प्रकार की हमने योजनाएं चलायीं। सबसे पहले कृषि मित्र योजना, इसके लिये सबसे पहले हमारी योजना यह है कि पांच साल के लिए हम किसानों को 75 हजार से एक लाख रुपये तक का ऋण देते हैं, एक दफे देते हैं। बार-बार उसकी रजिस्ट्री नहीं होती है, वह एक लाख रुपये किसान को अपने कृषि संबंधी संसाधन के लिये उपलब्ध कराते हैं और उससे 16 प्रतिशत ब्याज हम लेते हैं।

दूसरी, कृषक ज्योति योजना हमने चालू की है इसमें एक व्यक्ति को पांच लाख रुपये एक मुश्त देंगे और एक ही खिड़की पर देंगे। एक ही दफे रजिस्ट्री कराएंगे और रजिस्ट्री कराने के बाद वह ट्रेक्टर भी खरीद सकता है, घर का सामान भी खरीद सकता है, कुआं भी खोद सकता है। आदि-आदि के लिये हम पांच लाख रुपये एक मुश्त देते हैं। जिन किसानों के चेहरे पर खून आया है। आज किसानों के चेहरे पर खून नजर आता है, ललाई आ गयी है। मेरे जैसा चेहरा हो गया किसानों का।

श्री परसादीलाल मीणा : आपके चेहरे पर रौनक आ गयी है। (व्यवधान)

श्री सुजानसिंह यादव : ग्रामोन्मुख योजना। हमने एक योजना चलायी मिनी बैंक की, जो हमारे मिनी बैंक हैं ग्रामों में, उनमें हमने इस बात के लिये दी कि 60 प्रतिशत जो आपका धन इकट्ठा होगा मिनी बैंक में सोसायटी गांवों में हैं, उनको हमने मिनि बैंक का दर्जा दिया है। उनको हमने यह हिदायत दी कि 60 हजार तक का कर्जा आप दे सकते हैं और सीधे उनसे वसूल कर सकते हैं। इसी प्रकार माननीय अचलाराम जी के क्षेत्र में मैं पिछले साल गया था। इनके यहां एक सोसायटी बहुत बढ़िया है। मंत्री महोदय ने मेरे से निवेदन किया था कि आप हमारे क्षेत्र में पधारें। मुझे इस बात का सबसे ज्यादा दुःख है कि इनका क्षेत्र बहुत गरीब है। गांव का किसान एक खपरैल के मकान में रहता है और खपरैल का मकान की भी यह दशा है कि दिन भर उसमें चांदना रहता है। उन मकानों को मैंने स्वयं जाकर देखा है। वहां के किसानों ने मुझसे एक निवेदन किया कि हमारे यह मिनी बैंक है और हम काश्तकार हैं। हम तीन-तीन किलोमीटर तक खेती करने जाते हैं पीछे से

(श्री सुजानसिंह यादव)

हमारे घरों में चोरी हो जाती है तो उन्होंने डिमाण्ड की कि वहां हमको यह लाकर्स दे दिये जाएं। मैंने तत्काल लाकर्स की व्यवस्था की, करने के बाद आज किसान और अचलाराम जी.... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : किसानों के पास क्या था लाकर्स में रखने के लिए ..(व्यवधान)

श्री सुजानसिंह यादव : किसान गरीब हैं। किसान तिरंगा राष्ट्रीय झंडा है। मैं राष्ट्रीय झंडा मानता हूं। किसान का सिर का रंग अलग है, छाती का रंग अलग है, पैरों का रंग अलग है। किसान एक तिरंगा राष्ट्रीय झंडा है। आप किसान होकर किसानों की बुराई कर रहे हैं। मैं किसान हूं और किसान के दु:ख-दर्द को अच्छी तरह जानता हूं ..(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आप कहते हैं कि किसान गरीब हैं फिर लॉकर की क्या जरूरत पड़ गयी गरीब को ?

श्री सुजानसिंह यादव : इसी प्रकार से जालौर जिले में भी गया। उन लोगों ने इसी तरह की डिमाण्ड की, मैंने उनको लॉकर्स उपलब्ध कराये और किसानों का जितना भी पैसा था, चाहे गरीब हों, चाहे अमीर हों सब आज मिनी बैंक लाकर्स में है। तीसरे, दफे माननीय सांवरमल जी जाट के गांव भी गया, वहां भी लाकर्स की जरूरत थी वहां भी उपलब्ध कराये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : लाकर्स में कमीशन कितना खाया ?

श्री सुजानसिंह यादव : सुनो। इसी प्रकार से कन्हैयालाल जी मीणा, इनके क्षेत्र में भी पिछली दफा गया था। वहां भी लाकर्स की डिमाण्ड की थी, मैंने उस डिमाण्ड को वहां भी पूरा किया। मैं किसान हिमायती हूं और किसान की बात कर रहा हूं और आपको सुननी पड़ेगी किसान सही बात, यदि गलत हो तो नहीं सुनेंगे ?

श्री परसादीलाल मीणा : अबी, इधर बोलें। इधर क्यों बोलते हैं ? आसन की तरफ।

श्री सुजानसिंह यादव : अभी हमने एक योजना हाथ में ली है। हमारे किसान, हमारे ऋणी कहीं मर नहीं जाएं। दमे की बीमारी है, क्षय रोग की बीमारी है, हार्ट अटैक की बीमारी है, रक्तचाप की बीमारी है, इस तरह का कार्यक्रम भी हमने हाथ में लिया है। अभी कैथून से आने वाले माननीय सदस्य, फागी से आने वाले माननीय सदस्य के क्षेत्र में हमने एक कैम्प रखा और माननीय चिकित्सा मंत्री से रिक्वेस्ट करके एक चल इकाई हम उस क्षेत्र के ग्रामों में ले गये, 800 के लगभग किसान वहां उपस्थित हुए। उनका उपचार करवाया और उपचार करवाने के बाद वहां उन्नत बीज की थैलियां आधी कीमत पर बांटी। इस तरह के कार्यक्रम हमने सहकारिता में लिए। पहले कभी इन लोगों ने सोचा ही नहीं इस बात के लिए,

(श्री सुजानसिंह यादव)

कभी नहीं सोचा किसानों के हमदर्द बनना चाहते हैं, झूठे हमदर्द हैं, सही हमदर्द नहीं है। (व्यवधान)

हमने किसानों के लिए पांच लाख की योजना चलाई, उस किसान के लिए हमने बीमा योजना चालू की, उससे हम 25 रुपये लेते हैं और दस साल का एक दफा पैसा लेते हैं, एक लाख रुपये की बीमा योजना हमने चालू की है। दूसरी तरफ किसान जो हमारे यहां ऋणी है, हम यह चाहते हैं कि हमारा ऋणी कहीं दूसरी जगह नहीं जाए, कहीं मर न जाए दुर्भाग्य से, हम उसी वक्त बीमा उनका करते हैं और बीमे की रकम तत्काल दिलवाते हैं यदि उनको अनहोनी हो जाती है।

अब मैं आपके सामने तुलना करूंगा 1990-91 से 1997-98 में हमने क्या किया। 1990-91 में हमारी क्या स्थिति थी और 1997-98 में हमारी क्या स्थिति होगी इसको सुनने की चेष्टा करें। सहकारी फसली ऋण, मेरा मुख्य मंत्री किसान विरोधी है या किसान पक्षी है, यह बात आपको अब मैं बताऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, 1990 में 103 करोड़ रुपये हम बांटते थे किसानों को, अब 640 करोड़ रुपये बांटते हैं, 521 प्रतिशत उपलब्धि हमारी रही है। अभी मुख्य मंत्रीजी ने इस काम के लिए 1998-99 में हमको एक हजार करोड़ रुपये बांटने की इजाजत दी है। किसानों को कहां 103 करोड़ रुपये और कहां एक हजार करोड़ रुपये, हम किसानों को बांट रहे हैं। हमारा मुख्य मंत्री किसान विरोधी हैं या किसानों का हमदर्द है?

उपाध्यक्ष महोदय, शीर्ष बैंकों का लाभ था 0.27 करोड़ रुपये और अब 490 करोड़ रुपये और शीर्ष बैंकों को शुद्ध लाभ हुआ है। भूमि विकास बैंक द्वारा ऋण वितरण का लक्ष्य 35 करोड़ रुपए था और 191 करोड़ रुपये हमने ऋण वितरण किया है। भूमि विकास बैंक का लाभ 1990-91 में 2.59 करोड़ था अब 13.41 करोड़ लाभ हुआ है। सर्वाधिक लाभ हुआ है भूमि विकास बैंक को। राजफैड ने यह कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं पहले ही कह चुका हूं, मेरे जितने अधिकारी हैं, वे सभी यह चाहते हैं कि कोआपरेटिव मूवमेंट हिन्दुस्तान में हमारा प्रथम मूवमैंट रहे। मैं उनका सौभाग्य अपने साथ समझता हूं कि उन्होंने समय-समय पर मुझे रास्ता बताया और उस रास्ते के अनुसार मैं आगे बढ़ रहा हूं। राजफैड का कारोबार 4.29 करोड़ रुपये, 144 करोड़ रुपये टर्न ओवर है राजफैड का, इसकी उपलब्धि है 23.57 प्रतिशत।

उपभोक्ता संघ की चर्चा कर रहे थे। उसकी उपलब्धि बताता हूं। 132.85, 1990-91 में 310.68, 134 प्रतिशत वृद्धि। तिलम संघ की आप चर्चा कर रहे थे। यह तिलम संघ का पाप आपका बोया

(श्री सुजानसिंह यादव)

हुआ है, यह पाप आपके टाइम तिलम संघ चालू हुआ है, हमारे टाइम में तिलम संघ चालू नहीं हुआ है, + + + साफ कर गए।

श्री हरिसिंह (महुवा) : साढ़े चार करोड़ रुपए का घाटा था, अब दो सौ करोड़ रुपये का घाटा है।

श्री रतनलाल ताम्बी : उस मंत्रिमण्डल में आप भी सदस्य थे।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप भी थे उस कांग्रेस में, बाद में कांग्रेस की बुराई करते हैं। + + +

श्री सुजानसिंह यादव : 1990-91 में 10.62, 100.96, 493 पाइंट पर लाभ मायनस, मायनस लाभ 1.09, नुकसान 20.40.

केशवरायपाटन की चर्चा कर रहे थे बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य। इनको ज्ञान नहीं है इस बात का कि क्या हो रहा है केशवरायपाटन में। हमारा कारोबार 1990-91 में 4.57 करोड़ रुपए, हमारा अब कारोबार है 12.64 करोड़ रुपये लाभ 0.66, 1991 में अब की दफा 2.31 करोड़ रुपए हमने कमाये हैं। यह मिल कभी फायदे में नहीं रही, अब मेरे विभाग सम्भालने के बाद निरन्तर फायदे में आ रही है।

अब आप स्पिनिंग मिल की बात सुनिए। 1985 से 1993 तक स्पिनिंग मिल, ये दोनों अलग थी, स्पिनफैड बाद में बना है, 1993 में, हमारा कारोबार था, 1990-91 में 3.50 और अब कारोबार है 84.84, 1997-98 में 13.14 करोड़ रुपये अब है 140.32 करोड़ रुपये।

श्री हरजीराम बुरड़क : यह किस ने पूछा कि आपका कारोबार क्या है ? फालतू टाइम खराब कर रहे हैं बिना मतलब।

श्री रामस्वरूप मीणा : दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का कार्यकाल क्यों बढ़ा रहे हो ?

श्री सुजानसिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, एक लम्बी चौड़ी भ्रांति यह थी, भूमि विकास बैंक में कुछ दुकानदार ठेकेदारी करते थे और फाइल के नाम से किसान से दो हजार, तीन हजार रुपये से ठगते थे, उसके आधार पर ही फाइल बनाया करते थे। फाइल के नाम से पैसा लेते थे। उस व्यवस्था को मैंने उनको दुकानदारों को चैक न देकर केवल किसान को, नकद पैसे दिए और मैंने उनको छूट दी कि राजस्थान के किसी भी कोने से हमको माल लाकर दिखा दो कुएं पर, हम उसकी बात मान लेंगे, रसीद मान लेंगे। नकद भुगतान मैंने 10 जिलों में चालू किया है, इसके परिणाम बढ़िया आए। आज वे दुकानदार बार-बार मेरे से लड़ने के लिए आ जाते हैं कि

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री सुजानसिंह यादव)

आपकी यह स्कीम कामयाब नहीं होगी। मैंने कहा कि स्कीम को कामयाब करने के लिए या तो आप रहेंगे या मैं रहूंगा। आज उनकी हालत यह हो रही है, तीन हजार, चार हजार रुपए लेकर पहले किसान को वहां ठगते थे, फिर कहते थे कि मेरी दुकान से सौदा लेना पड़ेगा, वहां ठगाई होती थी, इस व्यवस्था को सुधारने के लिए मैंने नाबार्ड से 10 जिलों की इजाजत ली और अब की दफा मैंने लिखा है पूरे राजस्थान के कोने-कोने में इस पद्धति को चालू किया जाए, समूचे राजस्थान के लिए लिखा है। (व्यवधान)

विफल कूप योजना, एक नई योजना है। पश्चिमी राजस्थान में, खेतसिंहजी, आप सुनिए, आपके दुःख दर्द की बात ही कह रहा हूं, वहां यदि किसान कुआं खोदता है तो दो-तीन लाख से कम कुआं खुदता नहीं है, यदि किसान का कुआं फेल हो जाए या तो ढह जाए या उसमें पानी नहीं निकले और अगर पानी निकले तो सिंचाई योग्य न हो, जमीन को खराब करने वाला हो तो उसको विफल कूप हम मानते हैं और दिनांक 1.4.94 से इस बात की व्यवस्था की है कि आधा हम वहन करेंगे और आधा किसान वहन करेगा।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : किसानों ने जो ऋण लिया है वह तो माफ कर दीजिए, 10-10 साल पुराने केस पड़े हैं भूमि विकास बैंक के।

श्री सुजानसिंह यादव : बैठ जाइए, जवाब दे रहा हूं, आप सांचौर में सोते रहते हो इसलिए मोटे हो रहे हो, हमको खबर की होती तो इन्क्वायरी करते और पैसे देते। 79 मामले चिंहित हुए, 25 किसानों को 6.20 लाख का हमने मुआवजा दिया। (व्यवधान) अभी सुने जाओ, दो घण्टे बोलूंगा। मैं पिछली दफा श्रीगंगानगर गया था। उस साल कपास की फसल खराब हो गयी। पूरा श्रीगंगानगर जिला और हनुमानगढ़ जिला बड़ा दुःखी था और मैं भी उनके दुःख में शामिल हुआ। मेरे से एक शिकायत की कि मंत्री महोदय जब हम कीटनाशक दवाई बाजार से लाते हैं तो यह नरमा और कपास पर असर नहीं करती। मैंने कहा कि आप गलत जगह से दवाई लाते हो। मैंने आकर मेरे अधिकारियों को बुलाया और झोटवाड़ा फैक्टरी में कीटनाशक दवाइयों का एक कारखाना चालू कराया और कारखाना ही चालू नहीं कराया बल्कि किसानों के लिए 30 और 40 परसेंट उसमें कीमत कम करवा दी। आज मेरे पास इतना भारी स्टाक है कि पूरे राजस्थान का किसान भी यदि कपास बोए तो उस कपास को मरने नहीं दूंगा। यह मेरी एक उपलब्धि है।

एक उपलब्धि यह है— (व्यवधान) एक पशु आहार फैक्टरी के सम्बन्ध में स्वर्गीय श्री मथुरादास जी माथुर की इस बात की रिपोर्ट थी कि झोटवाड़ा में पशु आहार फैक्टरी है इसको बंद कर दिया जाना राजहित में रहेगा। लेकिन मैं भी एक जिद्दी

(श्री सुजानसिंह यादव)

आदमी, मैंने कहा यह फैक्टरी कैसे नहीं चलेगी, किस तरह नहीं चलेगी। पहले मेरे माननीय सदस्य जसवंत सिंहजी विश्नोई, जाट साहब, हम तीनों की एक कमेटी बनी। उस कमेटी ने उस फैक्टरी का इंस्पेक्शन किया। जो 15 साल से अधिकारी बैठे हुए थे पहले हमारी निगाह उन पर गयी कि ये खोटे हैं, ये अच्छे नहीं है। आप लोगों ने उनको बिठा रखा था। तत्काल उनको अलग करे उस फैक्टरी में इंतजाम करके, आज पशु आहार की फैक्टरी हमारे राजस्थान में तो है ही हिन्दुस्तान में उस फैक्टरी का नाम है और आज फायदे में है। उस फैक्टरी से मेरी गाय के लिये खाद्य मंगाता हूं। आज मेरी गाय न तो पांच साल से बीमार हुई_

श्री रामस्वरूप मीणा : आप अपनी गाय के लिए ही मंगाते हो और किसी के लिए नहीं मंगाते। मंगाए जाओ अपनी गाय के लिए.... (व्यवधान)

श्री सुजानसिंह यादव : गुणवत्ता के आधार पर यह बात कर रहा हूं। (व्यवधान) हमने एक बेबी बैंक्वट योजना चालू की है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : गाय का फोडर खरीदा उसका बिल मंगाया आपने ?

श्री सुजानसिंह यादव : + + +

श्री मदन दिलावर : माननीय मंत्री महोदय, पाडों के लिए भी भेज देना।

श्री सुजानसिंह यादव : बेबी बैंक्वट योजना। एक नयी योजना हमने चालू की।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मंत्री महोदय, डरने-वरने की बात तो छोड़ो आप। बूंदी में कुछ लोगों ने + + + उसमें आपने अपना बयान ही बदल दिया था। (व्यवधान)

श्री सुजानसिंह यादव : आप कोआपरेटिव के मामले में कुछ समझते नहीं। आप + + + में समझते हो। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार कुमार धारीवाल : आप उनसे इतना डरे, ऐसा डरे आप_

श्री सुजानसिंह यादव : आप नहीं समझते कोआपरेटिव में। बैठ जाइए आप। इस योजना को हमने, बहुत से राज्य कर्मचारी है.... (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : + + + बूंदी में और इन्हीं के कार्यकर्ता ने। डिप्टी सी.एम.भी इनके साथ थे। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : इनके कार्यकर्ताओं ने + + +

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमान राजस्वरूप जी, शांतिकुमारजी धारीवाल, आप बिराज जाएं। कृपया बिराज जाएं आप। बैठ जाए। बैठिए, बैठिए। एक बात को कितनी बार कहेंगे। कह दिया आपने। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इनसे पूछो_

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी साहब, आप तो बहुत वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं। बार-बार नहीं।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री सुजानसिंह यादव : यह योजना हमने उन लोगों के लिए चालू की जो फैक्ट्रियों में नौकरी करते हैं, दफ्तरों में नौकरी करते हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जिन +++ उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की? (व्यवधान)

श्री सुजानसिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से सहयोग नहीं करेंगे तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष :आप भी बिराजें माननीय सदस्य। आप भी बिराजें।

श्री किशन गोपाल कोगटा : आपका कितनी बार +++ कोटा में।

श्री सुजानसिंह यादव : यह योजना राज्य कर्मचारियों के लिए हमने चालू की। राज्य कर्मचारियों को थोड़ी तनख्वाह मिलती है, वह अपने मकान को सुधार नहीं सकता, टूट-फूट ठीक नहीं कर सकता, अदल-बदल नहीं कर सकता। उस मकान में बिजली और पानी की लाइनें खराब हो जाती हैं उसके लिए पांच साल के लिए 50 हजार रुपया देना हमने स्वीकार किया। उसका माहवारी किस्तों में, सस्ते ब्याज में हमने 50 हजार रुपया पांच साल के लिए दिया। उन लोगों के लिए हमने यह उपलब्धि की। इसके निमित्त 35 लाख रुपया हम बांट चुके हैं। 14 लाख रुपये के ऋण वितरित किए हैं।

एक बात और कही गयी कि कोंआपरेटिव पर सरकारीकरण है। जबसे मैं सन 80 से इस विधान सभा में आया हूं सभी माननीय सदस्यों ने इस बात की चर्चा की है कि यह सरकारीकरण होगा सहकारीकरण नहीं। इस बात को सुनते-सुनते मैंने एक्ट में एक प्रावधान करके हमने उन संस्थाओं को स्वतंत्र कर दिया जहां राज्य सरकार की कोई गारंटी न हो राज्य सरकार का कोई विनियोजन न हो। हमने उन संस्थाओं को सबको छूट दे दी कि आप ही चुनाव कराओगे, आप ही मेम्बर बनाओगे, आप ही आडिट कराओगे, आप ही लाभांश बांटोगे। हमने इस तरह की 82 समितियों को स्वायत्तता दी है, राजस्थान में दी है। जो हमारे पास आया है और नियमित रूप से दरखास्त के साथ आए हैं उनको तत्काल स्वायत्तता दे रहे हैं कि आप अपना काम संभालो और अपने तरीके से करो। राजफैड की बात तो आपको बता ही दी।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संभालने के तत्काल बाद मैंने एक बात की व्यवस्था की। किसान एक हजार रुपया कर्जा लेता है और उसका ब्याज पहली जुलाई से जून तक लगता था। यह बड़ी भारी विसंगति थी और किसान बीज में 500 रुपया जमा कर देता तो भी उसका ब्याज लगता था। मैंने तत्काल आर्डर निकाले कि यह अकाउंट

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयीं ।

(श्री सुजानसिंह यादव)

पद्धति के खिलाफ है। जब किसान ने ... (व्यवधान) मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, आप कभी हंस तो लो।

श्री रामनारायण चौधरी : आप तो हंसो।

श्री सुजानसिंह यादव : मैं हंस रहा हूं। इस तरह से मैंने आदेश निकाले, किसान को 500 रुपया जमा कराने के बाद उसके 500 रुपये का ब्याज लगेगा, आगे नहीं लगेगा।

मैंने दूसरी व्यवस्था यह की कि जो डाकुमेंट होते थे मोर्टगेज के, किसान के मोर्टगेज के कागजात शीर्ष बैंक के पास होते थे। किसान दो-दो, तीन-तीन साल तक रोता रहता और डाकुमेंट मिलते नहीं थे। मैंने इस बात के तुरन्त आदेश निकाले कि यदि ब्रांच में पैसा जमा हो गया या डिस्ट्रिक्ट में पैसा जमा हो गया तो तत्काल अधिकारी को कहा आप एप्लीकेशन लेकर जाओगे और तहसीलदार से कहोगे कि इसकी जमीन को मुक्त कर दो इसके डाकुमेंट हम वापस करते हैं। इस तरह की मैंने व्यवस्था की है।

एक व्यवस्था इस बात की कि माननीय सदस्य अचलाराम जी के क्षेत्र में गया था और मैं जैसलमेर में भी गया था। (व्यवधान) वहां के किसानों की हालत देखकर मैं द्रवित हो गया और उनसे यह कहा कि हिन्दुस्तान की 50 साल की आजादी के बाद भी किसान अपना पक्का मकान नहीं बना सके तो धिक्कार है इस आजादी को। मैंने उन किसानों को जिसके पास छह बीघा सिंचित भूमि थी उसको एक लाख से तीन लाख तक मकान बनाने के लिए कर्जे की स्वीकृति दी। मैं चाहता हूं कि मेरा किसान पक्के मकान में रहे, कच्चे मकान में नहीं रहे। आप रह सकते हो पर मेरा किसान नहीं रहेगा, मैंने इस तरह की व्यवस्था की है।

श्री रामस्वरूप मीणा : आपके हम किसान नहीं है ?

श्री सुजानसिंह यादव : कई माननीय सदस्यों ने इस बात पर चर्चा की कि किसानों को भ्रमण के लिए नहीं ले जाते। मेरा हर साल का प्रोग्राम है। किसान आते हैं, 3-4 गाड़ियों में मैं किसानों को ले जाता हूं। गुजरात महाराष्ट्र, गोवा_

श्री रतनलाल ताम्बी : आप भी जाते हैं उनके साथ ?

श्री सुजानसिंह यादव : मैं तो घूम आया पहले ही। इसके आधार पर जैसे पंजाब है, हम 3-4 गाड़ियों में किसानों को अपने खर्चे से ले जाते हैं। खाना, रहने की हम व्यवस्था करते हैं और उनके किसानों से उनका वार्तालाप करवाते हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : घरवाली भी ले जाते हैं ?

श्री सुजानसिंह यादव : घरवाली भी ले जाते हैं। आप भी ले जाना। आपकी घरवाली की व्यवस्था मैं कर दूंगा आप जाओगे तो। मैं कर दूंगा। यह आदमी आपकी सेवा के लिए तो है। इस तरह की हमने व्यवस्था की है।

(260)

(श्री सुजानसिंह यादव)

अब हमने फाइलों को शिविर लगाकर देहातों में, आदेश करके, वहीं पटवारी होगा, वहीं कानूनगो होगा, वहां अन्दर बैंकों के अधिकारी होंगे, वह फाइल तैयार करके एक महीने के अन्दर मेरा अधिकारी उस किसान के दरवाजे जाएगा और खटखटायेगा कि मैं आपको लोन देने के लिए आया हूं। यह व्यवस्था मैंने की है। आज इस तरह की व्यवस्था की है। आप कर सकते हो क्या? इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे महाराष्ट्र में बुलाया गया, मुझे गुजरात में बुलाया गया, मुझे केरल में बुलाया गया, वहां हिन्दुस्तान के तमाम मंत्री केरल में इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि आपने राजस्थान में कोआपरेटिव में क्या भू-चाल ला दिया जो पूरे हिन्दुस्तान में इस बात की चर्चा हो रही है।

श्री परसादीलाल मीणा : सब ने मजाक किया होगा।

श्री सुजानसिंह यादव: मजाक तो आपकी करे मेरी क्यों करे। मैं ऐसा पासिंग चोर नहीं हूं कि मेरा मजाक करे।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय आप बोलते रहें उनकी बातों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। उनका जवाब देने की जरूरत नहीं है।

श्री सुजानसिंह यादव : इसमें इनकी आदत ठीक करो आप। आसन ही इनकी आदत ठीक कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। आसन को अधिकार भी है कि इनकी आदत में सुधार लाये।

श्री हरजीराम बुरड़क : अभी तक मंत्री महोदय ने जवाब शुरू किया नहीं और यह दूसरी बात कर रहे हैं। अब तक एक भी मैम्बर की बात का जवाब नहीं दिया है। वह आप देख रहे हैं फिर यह कब शुरू करेंगे जवाब ? यह तो भूमिका बना रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों के चुनाव का कार्यकाल कब बढ़ा रहे हो ? कब चुनाव करा रहे हो? दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों के जो मण्डल हैं उनको आपने भंग कर दिया। इन चुनावों को कब करा रहे हो आप ? कब इनका कार्यकाल को बढ़ा रहे हो ? 5 साल कर दो इनका कार्यकाल। यह जवाब दो। (व्यवधान) अपनी घरवाली को गुजरात साथ ले गये, बच्चों को ले गये सब को ले गये और गुजरात में जाकर राजस्थान का नाम बदनाम किया आपने। इससे बुरी बात और क्या होगी।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रगति प्रतिवेदन पढ़ना बन्द कीजिये। माननीय सदस्यों ने जो पाइंट्स रेज किये हैं उनके जवाब दीजिये।

श्री सुजानसिंह यादव : 114 कटौती प्रस्ताव कृषि विभाग के हैं और 67 कटौती प्रस्ताव मेरे विभाग के हैं। उपाध्यक्षजी, आप व्यवस्था करें उनका जवाब मेरे पास है।

श्री उपाध्यक्ष : आप उनका जवाब भेज देना।

श्री सुजानसिंह यादव : मेरे पास जवाब है सुनने की हैसियत रखो। मैं एक एक का जवाब दैने के लिए तैयार हूं। आपकी इजाजत है.(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय, आप जवाब भेज देना। आप अपने स्वास्थ्य की तरफ भी देखें कम से कम।

श्री सुजानसिंह यादव : स्वास्थ्य की कोई बात नहीं है।

श्री रतनलाल ताम्बी : ये यहीं शहीद होना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों के कार्यकाल को कब बढ़ा रहे हो ? इनका पांच साल का कार्यकाल किया जाए। दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों का कार्यकाल पांच साल कर दिया जाए। उनके जो मण्डल हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप जी, बार बार नहीं। वह दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : ये जवाब ही नहीं दे रहे हैं। यह बात ही दूसरी करते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : लिखित क्या भिजवा देंगे ? (व्यवधान)

श्री सुजानसिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, 10 साल में चुनाव भूमि विकास बैंक के नहीं करा सके। मैंने एक हिम्मत की और 10 साल में भूमि विकास बैंकों के राजस्थान में सभी नीचे से ऊपर तक चुनाव कराये। आपकी हिम्मत नहीं हुई।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : अब कब करा रहे हो ?

श्री सुजानसिंह यादव : और मैंने चुनावों की व्यवस्था ऐसी की। अभी कह रहे थे कि चुनाव नहीं होते, ढंग से चुनाव नहीं होते। मैंने एक जिल से दूसरे जिले के अधिकारियों को लगाकर चुनाव कराये। यह पारदर्शिता रही मेरे चुनाव की। सुनिये, आपके टाइम में चुनाव कैसे होते थे। इंस्पैक्टर गांव में जाता था, वहीं कागज पर नाम लिखकर, चुनाव कुछ नहीं, फर्जी कार्यवाही होती थी। यह फर्जी कार्यवाही मैंने नहीं होने दी।

श्री रतनलाल ताम्बी : उस समय ये भी उसमें शामिल थे। ये मंत्री थे।

श्री कालूलाल गूजर : आपने ऐसे ही कराये थे।

श्री सुजानसिंह यादव : अब चुनाव की बात आपके सामने आयी। मैं प्रजातंत्र में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं। मैंने इस 1993-94 से 1998-99 तक कई प्रयास किये पर आपकी दुर्भावना थी उसके आधार पर चुनाव नहीं करवा सका। मेरे पास कागज नहीं मिल रहा है, सबसे पहले

(श्री सुजानसिंह यादव)

प्रतिपक्ष के नेता के दस्तखत हैं कि चुनाव नहीं कराये जाएं। वह कागज मेरे पास है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : असत्य बोल रहे हैं। बताओ कागज..... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह गलत बयानी है।

श्री सुजानसिंह यादव : यह किसी में हिम्मत हो तो आकर मेरे पास पढ़ ले और या मैं यहां पढ़ दूं। कृषि ऋणदात्री सहकारी समिति के चुनाव मई, 1994 में कराये जाने का प्रोग्राम प्रसारित किया गया है। मेरे द्वारा प्रसारित किया गया था। सुनिये। माह अप्रेल एवं मई ऋण वसूली का समय और इस समय में चुनाव कराने से वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और ऋण वसूली अच्छी नहीं होने पर अल्पकालीन ऋण वितरण में भारी कठिनाई होगी अतः ये चुनाव माह जुलाई में या उसके पश्चात् कराये जाने चाहिए। यह दस्तखत किये हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (बल्लभनगर) : इसमें मना कहां किया है ? (व्यवधान) सुझाव दिया कि वसूली के शिड्यूल में चुनाव मत करावें। (व्यवधान) यह क्या है ? अपनी अक्ल लगाओ। (व्यवधान)

श्री सुजानसिंह यादव : पहले परसराम जी मदेरणा...(व्यवधान)

श्री वृजेन्द्र सिंह सूपा : यह क्या है, इसमें मना कहां किया है ? जुलाई में आपने चुनाव क्यों नहीं करवाये ? (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जुलाई में चुनाव करवाने के लिए कहा है। (व्यवधान)

श्री सुजानसिंह यादव : आपके सुनने की ... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों के चुनाव कब करवा रहे हो यह बता दो आप तो।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : मंत्री महोदय, आपको अंग्रेजी नहीं आती। लेकिन आपको हिन्दी भी समझ में नहीं आती। यह बड़े दुःख की बात है।

श्री वृजेन्द्र सिंह सूपा : चुनाव के लिए मना कहां किया है इसमें ?

श्री सुजानसिंह यादव : हमने दूसरा प्रयास अब यह किया ... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : बड़े अफसोस की बात है मंत्री महोदय, हिन्दी की चिट्ठी को भी नहीं समझ सकते। (व्यवधान)

श्री सुजानसिंह यादव : दिसम्बर, 1994 एवं जनवरी, 1995 में...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जुलाई में करवाने का सुझाव दिया था।

श्री हरिसिंह (महुवा) : जुलाई में करवाने का सुझाव दिया था। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : दूसरी जुलाई आ गयी, एक जुलाई चली गयी।

श्री सुजानसिंह यादव : पंचायत चुनाव होने के कारण ... (व्यवधान)...

श्री रामस्वरूप मीणा : आप जवाब दें पहले हमारी बातों का । (व्यवधान)

श्री सुजानसिंह यादव : मैं जवाब दे रहा हूं। चुनाव कैसे नहीं करायें। सुनिये आप । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : जवाब दो।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : एक जुलाई से दूसरी जुलाई आ गयी । (व्यवधान) आप क्या कहना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री सुजानसिंह यादव : चुनावों की घोषणा हो गयी पंचायत के, इसलिये ये चुनाव छोटे थे इसलिए स्थगित किये गये। तीसरे...(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : जुलाई में कोई पंचायत चुनाव नहीं हुए।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जुलाई में कोई पंचायत चुनाव नहीं हुए। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : पंचायतों के चुनाव जनवरी, 1995 में हुए थे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सदन में गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : जुलाई, 1994 में क्यों नहीं कराये। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मई में वसूली की सूचना है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। मंत्री महोदय को सुनें। आप सुनें। माननीय ताम्बी साहब। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : तथ्यों को गलत बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को जवाब नहीं देने दे रहे हैं। (व्यवधान) समय जाया कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी सदन में माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि प्रतिपक्ष के नेता ने यह लिखा है चुनाव नहीं कराने का। यह जो चिट्ठी पढ़ी है.... (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : मंत्रीजी का जवाब सुनने की हिम्मत रखो।

श्री भीमराज भाटी : क्यों सदन को गुमराह किया गया ? क्यों सदन को जान-बूझकर गलत सूचना दी गयी ? प्रतिपक्ष के नेता नाम से क्यों सदन को गुमराह किया ? (व्यवधान)

श्री सुजानसिंह यादव : आपने मुझ पर लांछन लगाया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने बताया कि चुनाव क्यों स्थगित किये हैं।

श्री सुजानसिंह यादव : उसके कारण बता रहा हूं मैं।

श्री भीमराज भाटी : उसमें यह लिखा है कि जुलाई में कराये जाए। (व्यवधान) उसमें यह लिखा है। क्या बात कर रहे हैं,

(श्री भीमराज भाटी)

बिलकुल ही उलटी बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : इसलिए जुलाई में चुनाव कराने का सुझाव दिया गया है। मई और जून के लिए कहा गया है (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : क्यों मिसगाइड करते हैं ये ? (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : उपाध्यक्ष महोदय, उस लैटर में यह लिखा हुआ है कि अभी वसूली चल रही है कि इसलिए नहीं कराए जाए और स्थगित रखा जाए और चुनाव मई महीने के बाद कराए जाए यह साफ लिखा है कि फिर यह कह रहे हैं कि कहां लिखा है ? (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने मात्र यह सुझाव दिया था कि अप्रेल, मई में किसान खेती करते हैं और वसूली का सीजन है इसलिए चुनाव नहीं कराये जाए। इन्होंने तो जुलाई में भी नहीं कराये। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : ये सुनना ही नहीं चाहते हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के चुनाव आप कब करा रहे हो, यह बताओ आप तो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। मंत्री महोदय। रामस्वरूप जी, रामस्वरूप जी, आप बिराजिये। आप आसन को बार-बार बाईपास कर रहे हैं। रामस्वरूप जी।

श्री सुजानसिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही यह कहा है कि मैं प्रजातंत्र में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं। तीसरी दफा प्रयास सितम्बर, 1995 में किया। हमारे अधिकारी गुजरात और महाराष्ट्र में गये, गुजरात-महाराष्ट्र के आई.ए.एस. अधिकारी को मैंने यहां बुलाया, अध्ययन कराया और उनके अध्ययन के उपरान्त हमने यह सोचा कि उनके पैटर्न पर चुनाव कराये जाए। फरवरी-मार्च, 1997 में लोक सभा के चुनाव आ गये। इसके उपरान्त इन चुनावों की डेट फिक्स कर चुके थे, इस आधार पर वह चुनाव नहीं कराये गये।

श्री उपाध्यक्ष : पर्याप्त कारण है, अब आप आगे चलिए।

श्री सुजानसिंह यादव : अब मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है करना चाहता हूं मेरा विचार अगस्त और सितम्बर में चुनाव कराने का है यदि उचित टाइम मिला, चुनाव कराने का है।

श्री रामस्वरूप मीणा : अब तो हम ही करायेंगे । (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : मंत्री महोदय मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 20 अगस्त से समस्या समाधान का अभियान चल रहा है गांवों में एक महीने तक, 20 अगस्त से 20 सितम्बर तक, फिर आप "पोस्टपोन" कर दोगे। ऐसी क्या तारीख देते हो बार-बार ?

श्री सुजानसिंह यादव : इस तरह से चुनावों की बात भी मैंने आपके सामने अर्ज कर दी।

श्री रामनारायण चौधरी : अगस्त और सितम्बर में तो मुख्य मंत्रीजी का अभियान है, उसको पोस्टपोन कर रहे हो क्या ?

श्री सुजानसिंह यादव : उस अभियान में क्या होगा ? मुख्य मंत्रीजी अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे।

श्री रतनलाल ताम्बी : समस्या समाधान शिविर पंचायतवाइज होगा, रेगुलर प्रोग्राम चलेगा, सब अधिकारी/ कर्मचारी उसमें लगेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : आप जो क्वेश्चन करोगे उसका जवाब देना जरूरी है क्या यहां ? और अगर आप यही आदत रखते हैं कि मंत्री को नहीं बोलने देना, आपको कौन बोलने देगा । (व्यवधान) इसलिए यह तरीका ठीक नहीं है।

श्री सुजानसिंह यादव : नहीं मेरे बुखार है। मेरा तबियत खराब है इसलिए मैं रिक्वेस्ट आसन से कर रहा हूं, मेरा सहयोग करिये।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय मुख्य मंत्री, क्या बोलने दें मंत्रीजी को। उपाध्यक्ष महोदय, रिक्वेस्ट यह की गयी है कि मई और जून के अन्दर चुनाव नहीं कराये जाए क्योंकि यह रिकवरी का सीजन है। यह सहकारी समितियों के हित में नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन रामनारायणजी, एक बात सुनिये। रामनारायणजी, आप जैसा वरिष्ठ सदस्य, मैं खड़ा हूं और बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, इसका मतलब अगर आप की यही मंशा हो किसी को नहीं बोलने देना तो फिर दूसरा तरीका है।

श्री रामनारायण चौधरी : यह कौन कहता है ? नहीं, दूसरा क्या तरीका है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आप बोलने ही नहीं देते। ये बोल रहे हैं। अब आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : दूसरा क्या, कोई लाठी उठाओगे या गोली उठाओगे?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, लाठी-वाठी नहीं चलानी है। हम बैठ जाएंगे, आप बोलते रहो।

श्री रामनारायण चौधरी : क्या है तो दूसरा तरीका ? नहीं, तो क्या तरीका है उपाध्यक्ष महोदय ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप इस बात में मत रहो कि हम मंत्रीजी को जवाब नहीं देने दें।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं तो क्या तरीका है, उपाध्यक्ष महोदय, लाठी उठाएंगे कि गोली चलवाएंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं गोली कहां चलाऊंगा । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सदन आप चलाएंगे क्या ? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : हां, हम चलाएंगे, आज नहीं, चार महीने बाद हम चलाएंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : रामनारायणजी।

श्री रामनारायण चौधरी : हम चलाएंगे, लिख लो, चार महीने बाद हम चलाएंगे। चार महीने बाद चलेगा और आपका कहीं अता-पता नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ...आप यहीं चाहते हो तो करिये। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : चलेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी शर्तों पर नहीं चलेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : हां, चलेगा । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : सदन की मर्यादा है, सदन की परम्परा है, सदन की प्रक्रिया है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : ...सदन चलेगा तो तरीके से ही चलेगा नहीं तो नहीं चलेगा। यह कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सपने देखो सपने । (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : तर्क के आधार पर चलेगा सदन तो । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह जिम्मेदारी आपकी है कि हमारी ? सदन चलाने की जिम्मेदारी हमारी है। (व्यवधान) आपने जो प्रक्रिया और नियम बनाये हैं, और आप ही उनको + + + उड़ा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य यदि इस तरह से बाधा डालेंगे तो हम भी इन्हें नहीं बोलने देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या बवाल लगा रखा है। ये किसी का कहना ही नहीं मानते। (व्यवधान) + + + नेता विहीन हो रहा है प्रतिपक्ष... (व्यवधान) नेता विहीन विपक्ष हो रहा है। मर्जी हो सो बोल रहे हैं। (व्यवधान) आपको भी नहीं बोलने दिया जाएगा। अगर ऐसा करोगे तो।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय, समाप्त करें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप तो देर से पधारे हैं। एक घंटे से मंत्रीजी का भाषण हो रहा है... अपने विभाग का ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : परम्परा बिगाड़ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें। श्री शांतिकुमारजी धारीवाल, माननीय सदस्य, किधर निगाह है आपकी। आप आसन को बाई पास कर रहे हैं। आप विराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आसन को बाईपास नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया अब विराजिये। अब आप बैठिये। मंत्रीजी का उत्तर सुनें। आप बैठ जाइये। विराजिये।

श्री मदन दिलावर : धारीवाल जी विराजिये।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया मंत्री महोदय।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री सुजान सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ज्ञात हुआ है कि ये लोग मेरी बात सुनना नहीं चाहते । अब मैं बीमार हूं और मैं पूरी बात नहीं कह सकता। (व्यवधान) अब मैं यह चाहता हूं, जहां तक किसानों का सवाल है। हमने राजफैड से सबसे पहले इस बात की व्यवस्था की है कि राजस्थान बीज निगम से हम एम. ओ. यू. करके उनसे बीज उपलब्ध करवाकर राजस्थान क्रय-विक्रय सहकारी समिति 180 में, जिसमें 30-35 क्रय-विक्रय सहकारी समिति कार्यशील नहीं है, बाकी क्रय-विक्रय सहकारी समिति में हमने खाद और बीज ग्राम सेवा सहकारी समिति तक उपलब्ध करा रखे हैं। कोई व्यक्ति यह कह दे कि क्रय विक्रय सहकारी समिति में खाद नहीं, तो मेरी जिम्मेदारी है। मेरी प्रबल जिम्मेदारी है। खाद-बीज नहीं पहुंचे, बाकी की मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। दूसरी, इस बात की भी मैंने व्यवस्था की है कि बीज, मुझे सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कृषि विभाग दिया था, मुझे इस बात की (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उनका आपने क्या एक्शन लिया, यह बताओ ना आप। बात कायदे की है, वह तो बतानी होगी।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप विराजिये, माननीय सदस्य ।

श्री मदन दिलावर : धारीवालजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैंने यह किया, मैंने यह किया, मैंने यह किया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : धारीवालजी, बार-बार नहीं।

श्री सुजान सिंह यादव : इस बात की मुझे खबर मिली कि तिजारा, मुंडावर, बानसूर, बहरोड आज माननीय सदस्य अभी कह रहे थे कि ढाई रुपये किलो का बीज 90-100 में बिकता है। मैंने अपने चार अधिकारियों को यहां से भेजा और उन चार अधिकारियों से मैंने जांच कराई और 51 नमूने लेकर ये आये मगर मुझे क्षेत्र से इस बात की जानकारी मिली कि उन अधिकारियों ने यह कहा, हम तो आना नहीं चाहते थे मगर मंत्रीजी ने हमको जबरदस्ती करके भेजा है। मैंने अपने सेक्रेटरी को तत्काल आदेश इस बात के दिये लेबोरेट्री में नमूने गये, उनका तो रिजल्ट आने के बाद उनको पनिशमेंट किया जाएगा मगर चार अधिकारियों को वहां से स्थानान्तरण करवाने के आदेश कर दिये। मंत्री सुधार चाहे और अधिकारी जाकर कह दें कि हमें जबरदस्ती भेजा है। मंत्री के लिए यह बात अशोभनीय थी, मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि तत्काल इनका ट्रांसफर कर दो, इस तरह की व्यवस्था मैंने की है। मैं यह चाहता हूं कि सहकारिता में किसी तरह से गबन घोटाला नहीं हो। अभी एक माननीय सदस्य ने यह कहा, बिलाड़ा के बारे में चर्चा की। बिलाड़ा में हमारी बहुधंधी सहकारी समिति है। (व्यवधान)

श्री भैरों सिंह शेखावत : नहीं, ये तो बैठ जाएंगे, आपका टाइम हो गया है तो वैसे कह दो।

श्री खेत सिंह राठौड़ : हमारी आदत नहीं है, वह आपमें है।

श्री भैरों सिंह शेखावत : आदत है कि नहीं है लेकिन आप यह समझे ही क्यों, इससे लगता है कि आदत आपकी है।

श्री खेत सिंह राठौड़ : आपकी आदत वर्षों से रही है इसलिए समझते तो हैं ।

श्री सुजान सिंह यादव : और बिलाड़ा का मालूम पड़ा, सुबह अखबार 5 बजे पढ़ा। तत्काल मैंने रजिस्ट्रार को यह कहा कि तुरन्त टीम भेज दीजिए। गबन हुआ है, किस कारण से हुआ है। उधर से डिप्टी रजिस्ट्रार, स्पेशल आडिटर, इधर से जयपुर से टीम भेजकर उनके नाक से पैसा 22 लाख 80 हजार रिकवर किये और बैंक में जमा कराये। आज उन तीनों अधिकारियों को सस्पैण्ड कर दिया।

श्री रामनारायण चौधरी : कंठ से नहीं नाक से।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप भाव समझ जाइये। भाव क्या है, वह समझ जाइये।

श्री सुजान सिंह यादव : इसी तरह की व्यवस्था हमने तत्काल की। अब आप कहेंगे कि इन पौने पांच साल की अवधि में, हालांकि मेरे पास चार्ट नहीं हैं, मैंने 143 आदमियों को इधर-उधर किया। पैनल्टी हैवी, 16-17 के अन्तर्गत पैनल्टी लगाई, 14 आदमियों को डिस्मिस किया, बाकी तो नोटिस दिये। इस तरह 143 व्यक्तियों के पीछे पड़कर विभाग से उनका पीछा छुड़वाया।

एक बात और मुझे कहनी है। मेरे विभाग के कुछ अधिकारी ऐसे थे जैसा सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि टाइम हो गया आपका । टाइम हो गया, मैं भी समझ गया, सब समझ गये। यह बात छिपी नहीं रही। मेरे विभाग के कुछ अधिकरी ऐसे थे, शाम को 6 बजे ही अपना धंधा चालू कर लेते थे और उनकी गतिविधियां ऐसी थीं, वे काबू में नहीं आये। मैंने अलग से दफ्तर में बुलाया, तुम्हारे खिलाफ चार्जेज है। या तो अपनी रीति-नीति को सुधार लो नहीं तो मेरा नाम भी सुजान सिंह है, मैं ठीक कर दूंगा। मैंने क्या किया, उनकी सर्विस तो मैं बिगाड़ नहीं पाया, मैंने उनको डी.आर.डी.ए. में भेज दिया और डी.आर.डी.ए. में संबंधित कलेक्टर को मैंने यह कहा कि आभूषण आ रहे हैं इनको देख लेना। इसलिए मैं यह चाहता हूं, मेरी शक्ति से, माननीय मुख्य मंत्रीजी का मेरी पीठ पर हाथ था, मैं इनके सामने कहता हूं, मेरे विभाग में इनकी कोई दखलंदाजी नहीं थी। इन्होंने हमेशा मेरे को प्रोत्साहित किया और प्रोत्साहित यह कह कर किया कि किसानों का भला करो, गांवों में जाकर भला करो और गांव की चौपाल पर जाकर किसानों को पैसा बांटो।

(श्री सुजान सिंह यादव)

आज मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, यह मांगें आप पारित कराने की कृपा करेंगे, हालांकि मांगें और भी हैं कृषि उपज मण्डियों की, मेरा स्वास्थ्य खराब है, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, 123 करोड़ की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने नीति निर्धारित की, 11.3.96 को 123 करोड़, पूरे राजस्थान में ग्राम पंचायत क्षेत्र जुड़ेंगे, 123 करोड़ मैंने मंजूर किये। यदि आपकी कोई मिसिंग लिंक रह गयी हो, एक-दो किलोमीटर की सड़कें हों, आप मुझे दे दें और मण्डियों से मैं पूछ कर उनके पास यदि द्रव्य होगा तो मैं इस पक्ष के लोगों की और आपकी तरफ हाथ कर रहा हूं, दोनों को समान दृष्टि से, दोनों आंखों को देखते हुए आपकी सड़कें बनाने की कोशिश करूंगा। यही मेरा आपसे अनुरोध है, यही मेरा आपसे विनय है, मैं पुनः निवेदन करता हूं कि इन मांगों को भी पारित कराने की कृपा करेंगे।

श्री रामस्वरूप मीणा : अभी हमारा तो जवाब ही नहीं दिया। दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का तो कोई जवाब नहीं दिया आपने।

श्री उपाध्यक्ष : पशुपालन मंत्री महोदय।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (राज्य मंत्री, पशुपालन) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या - 39 पशुपालन एवं स्वास्थ्य के बारे में आज सदन में चर्चा हुई। मैं हृदय से आभारी हूं उन सभी माननीय सदस्यों का, जिन्होंने आज की चर्चा में भाग लिया और जो पशुपालन के सुधार के सुझाव दिये, मैं प्रयत्न करूंगा कि उनकी आकांक्षाओं के अनुसार इसमें सुधार ला पाऊं।

साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्ताव के रूप में, 45 माननीय सदस्यों के मेरे पास कटौती प्रस्ताव 87 प्राप्त हुए, उनका भी मैं उत्तर जल्दी भिजवा रहा हूं। साथ में आज सदन में जो-जो बातें आयीं मैंने नोट की है और मैं उनका भी जवाब यहां पर अभी आपको दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति को यदि हम देखें तो यहां पर अधिकांश भाग रेगिस्तानी है, पहाड़ी है जहां पर पशुपालन के बिना पशुपालक का जीवन काफी कठिनाई से गुजरता है। यहां पर बरसात कभी होती है, कभी नहीं होती है और ज्यादातर समय यहां पर अकाल रहता है और ऐसे समय में जो हमारे किसान भाई हैं वह इस पशुपालन के माध्यम से ही अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ राजस्थान का भू-भाग रेगिस्तानी है, पहाड़ी है लेकिन पशुधन के मामले में राजस्थान भाग्यशाली है और यहां पर जो भी पशुओं की नस्लें हैं उनमें काफी कुछ नस्ल ऐसी हैं जो काफी अच्छी हैं। हमारे यहां की नागौरी नस्ल, गिर, थारपारकर, कांकरेज, राठी यह जो गायों की

(श्री अर्जुन सिंह देवड़ा)

नस्ल हैं इनमें अलग-अलग विशेषताएं हैं। नागौरी गाय का बछड़ा सिर्फ न हमारे राजस्थान में बल्कि आसपास के राज्यों में, वह भी बड़े उत्साह से उसको खरीद कर ले जाते हैं। जो हमारी कांकरेज की, गिर की, थारपारकर की गायें हैं, वह दूध देने में अच्छी हैं। कांकरेज की जो गाय की नस्ल है वह दूध भी देती है और उसका बछड़ा खेती के लिए भी अच्छा होता है। इस प्रकार से पशुधन के मामले में हम काफी धनी हैं। न सिर्फ गायों में, भैंसों की भी हमारे यहां पर अच्छी नस्ल है। हमारे यहां पर भेड़ों में कुछ नस्ल तो ऐसी हैं जिनकी ऊन काफी अच्छी है। बाकी जो नस्ल हैं उनकी ऊन गलीचों में भी काम में ली जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से देखा जाए तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में लगभग 19 प्रतिशत पशुपालन का योगदान है और दूध की दृष्टि से देश का 10 प्रतिशत दूध राजस्थान में होता है, 30 प्रतिशत मांस राजस्थान में होता है और इसी प्रकार से 40 प्रतिशत ऊमर का उत्पादन भी राजस्थान में होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां कहना चाहूंगा कि बार-बार एक सवाल खड़ा किया जाता है कि राजस्थान में पशुओं की जो संख्या है वह निरन्तर गिरती जा रही है जो चिंता का विषय है। प्रश्नों के माध्यम से भी इसका जिक्र किया गया, पत्र-पत्रिकाओं में भी इस बात को उठाया गया। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन में कहना चाहूंगा कि जो बात कही जाती है वह बात बिलकुल सही नहीं है। मैं, कुछ आंकड़ों के माध्यम से कहना चाहूंगा। हर चार साल बाद में पशुओं की गणना की जाती है और जो पिछली पशु गणना 1992 में हुई थी उसमें गौ वंश की संख्या 115.95 लाख थी जो अब बढ़ कर 121.98 लाख हुई। इसी प्रकार से जो हमारे शंकर नस्ल के पशु हैं उनकी पहले संख्या 1.16 लाख थी जो अब बढ़कर 2.12 लाख हो गयी है। इस प्रकार लगभग करीब 82 प्रतिशत वृद्धि हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, भैंसों संख्या भी जो पहले 77.46 लाख थी वह बढ़कर 97.56 लाख हो गयी। इसी प्रकार भेड़ों की संख्या जो पूर्व में 121.68 लाख थी, आज 142.12 लाख हुई है । बकरियों की संख्या भी, जो पूर्व में 150.62 लाख की, आज 169.36 लाख हो गई है। उपाध्यक्ष महोदय, इनमें तो जरूर बढ़ोतरी हुई है लेकिन कुछ में, ऊंटों में, घोड़ों में जरूरी कमी हुई है जो एक सोचने का विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि पिछली जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं और उनमें किस प्रकार से पशुपालन को महत्व दिया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो हमारी योजना थी

(श्री अर्जुन सिंह देवड़ा)

वह लगभग 14.43 करोड़ की थी और सीएसएस में 1.57 करोड़ इस प्रकार लगभग 16 करोड़ की हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना थी। सातवीं की तुलना में आठवी पंचवर्षीय योजना में हमारा योजना मद का 84.44 करोड़ और 5.20 करोड़ सीएसएस से और एडीपी. से 23.33 करोड़, इस प्रकार सातवीं योजना पंचवर्षीय योजना 16 करोड़ और आठवीं पंचवर्षीय योजना 112.57 करोड़ की हुई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं नवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में भी कहना चाहूंगा कि नवीं पंचवर्षीय योजना में 109.38 करोड़ का हमारा योजना मद है। इसी प्रकार से सीएसएस का 58.02 करोड़ और एडीपी. का 8.23 करोड़ इस प्रकार 175.64 करोड़ की व्यवस्था है जिससे मैं ऐसा मानता हूं कि राजस्थान में जो पशुपालन का विकास होना चाहिए था और जो माननीय सदस्यों ने गांव-गांव में इसके विकास की बात कही है, निश्चित तौर पर इसमें काफी विकास हो सकेगा। हालांकि काफी विकास हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन यह भी बात सही है कि अभी भी इस विभाग में और प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि आने वाले विषय में राजस्थान के लिए यह पशुपालन और इससे संबंधित लोगों को और भी इससे लाभ प्राप्त हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, जब पशुओं की हम बात करते हैं तो यह देखा जाता है कि राजस्थान की अमुक पशुओं की नस्ल तो अच्छी है लेकिन जब भी कभी इनकी प्रतियोगिता होती है तो उनमें क्या उनका स्तर रहता है, यह तभी मालूम किया जा सकता है जब हमारे पशु दूसरे राज्यों में जाएं और जो भी राष्ट्रीय पशु प्रतियोगिता है वहां पर हमारा क्या स्थान रहता है, उसी से इस चीज की जानकारी मिलती है कि हमारे पशुपालक किस प्रकार से पशुओं को रखते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि पिछले आठ सालों में विभाग की ओर से जो हमारी राष्ट्रीय पशु प्रतियोगिता होती थी, वहां पर हमारे राजस्थान के पशु नहीं जा पाये लेकिन पिछले साल, उपाध्यक्ष महोदय, हमने हमारे पशुओं को भेजा। मुझे यह बताते हुए खुशी

(20.00 बजे)

है कि हमने 8 पशुओं को भेज अर 9 इनाम जीतकर आये। एक जानवर हमारा दो इनाम जीतकर आया। इसी प्रकार से कुक्कुट के क्षेत्र में जो भी इनाम वहां पर दिये गये उनमें 75% हमारे अजमेर के कुक्कुट पालकों को मिले तो नस्ल के सुधार की दृष्टि से काफी अच्छी नस्ल हमारी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर कुछ विवरण हमारी विभागीय चिकित्सा संस्था के बारे में कहना चहूंगा कि 7वीं पंचवर्षीय योजन में हमारे यहां पर 6 पॉली क्लिनिक थे और 8 वीं में हमने 6 और खोले। इस प्रकार लगभग जो पूर्व में 6 पॉली क्लिनिक थे हमने 8वीं पंचवर्षीय योजना में नगण्य और अब संख्या 12 पाली क्लिनिक की हो

(272)

(श्री अर्जुन सिंह देवड़ा)

गयी, इसी प्रकार से पशु चिकित्सालय जो 7वीं पंचवर्षीय योजना में 785 थे, 8वीं पंचवर्षीय योजना में 1180 हुए। 7वीं पंचवर्षीय योजना में अजमेर, बीकनेर, जोधपुर कोटा एवं उदयपुर में पॉली क्लिनिक थे। 8वीं पंचवर्षीय योजना में हमने अलवर, बांसवाड़ा, सीकर, भरतपुर, पाली और श्रीगंगानगर में नये पॉली क्लिनिक खोलें। इसी प्रकार से हमने उप खंडीय चल पशु चिकित्सा इकाई की स्थापना की और हमने लगभग 45 संस्थाएं पिछले सालों में खोली।

मैं यहां पर एक बात कहना चाहूंगा अभी काफी माननीय सदस्यों ने हमारे पशु चिकित्सकों के बारे में कहा कि जो हमारे मेडिकल हैल्थ के डाक्टर होते हैं उनके पास में कोई भी रोगी जाता है तो वह बताता है कि क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ नहीं है। लेकिन जो हमारे पशु चिकित्सक हैं उनको तो हर चीज जानवर को देखकर और उसके जो साथ में आया है उससे पूछकर ही मालूम करते हैं कि इसके क्या बीमारी है या इसके क्या लक्षण हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि विभाग में पिछले काफी समय से एक स्थिरता-सी आ गयी थी। जैसा कि उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा काफी लम्बे समय से कुछ मांगें भी चली आ रही थीं उनकी पे-स्केल के बारे में 9,18,27 का तो लाभ मिल चुका है लेकिन जहां उनकी नियुक्ति हुई थी, उसी पद पर उनका रिटायरमेंट हुआ और एक तरह से लोगों में यह भावना थी कि जो इसी विभाग में जिनका सलेक्शन हो गया और उनके साथ से पढ़ने वाले जो उनके साथी कॉलेज में थे और उनका दूसरे विभाग में सलेक्शन हुआ तो वे तो काफी आगे बढ़ गये और ये पीछे रह गये।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सालों में लगभग 408 पशु चिकित्सा अधिकारी, जिनमें पशु चिकित्सा अधिकारी वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला पशुपालन अधिकारी, सहायक निदेशक, उप निदेश्क, संयुक्त निदेशक एवं निदेशक के पदों हेतु पदोन्नति की गयी। इस प्रकार लगभग 579 पशुधन सहायकों और कर्मचारियों को भी पदोन्नति दी गयी। मैं यहां पर इस चीज को मानता हूं कि एक सवाल यह भी उठाया गया कि काफी पद हमारे यहां पर रिक्त थे। मैं मानता हूं कि पिछले इन सालों में पद रिक्त होने के कई कारण थे जिनमें एक कारण तो यह था कि हमारे यहां पर जो पे-स्केल थी वह काफी कम थी जिसके कारण से यहां पर जो लोग आते थे और यदि उनको अपने स्टेट में वापस नौकरी मिल जाती थी तो वह इस करण से यहां से नौकरी छोड़कर चले जाते थे। हमने काफी प्रयत्न किये। हमारे काफी प्रयत्न करने के बावजूद जब भी हम उनको नियुक्ति देते थे, बाहर के व्यक्ति आते थे।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की

(श्री अर्जुन सिंह देवड़ा)

भौगोलिक परिस्थितियों को आप जानते हैं कि ये किस प्रकार की हैं वो जब यहां आता था तो पूछता था कि उस गांव में कितने पिक्चर हॉल हैं, कितने होटल हैं और जब वह वहां जाता था तो मुझे बड़ा दुःख होता था कि एक दिन तो वह जोइन करता था और दूसरे ही दिन इस्तीफा देकर वापस रवाना हो जाता था तो जितनी भी हम मेहनत करते थे वह हमारी मेहनत बेकार चली जाती थी लेकिन इस बार इनके पे-स्केल में वृद्धि होने के बाद में अभी वापस आज से हमारे यहां पर पशु चिकित्सकों की भर्ती चल रही है और जिसमें हमरे यहां पर मांग जैसे 8 की थी तो लगभग वहां पर सो-पचास आदमी आये हैं। इससे ऐसा लगता है कि हम काफी भर्ती कर पाएंगे और जो रिक्तियों हैं, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि आज लगभग दो सौ पदों पर हम भर्ती कर देंगे। इसी प्रकार से पिछले सालों में हमने लगभग 964 पश चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति प्रदान की। इसी प्रकर से 651 पशुधन सहायकों व कर्मचारियों को नियुक्ति दी।

उपाध्यक्ष महोदय, इससे पशुपालन विभाग में मैं समझता हूं कि इन पदों को भरने से काफी गति मिलेगी। यहां पर भीलवाड़ा से आने वाले सदस्य ने एक बात का जिक्र किया कि निजी क्षत्रों में पशु चिकित्सालय खोले जाएंगे उसके बार में उन्होंने जो बात बताई कि पंचायतों के माध्यम से हर पंचायत मुख्यालय पर पशु चिकित्सालय खोला जाएगा। यह बात मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि गलत है, ऐसी कोई बात नहीं थी। हमने एक प्रयास किया कि जिस प्रकार से शिक्षा विभाग में गांवों के विकास में अपना काम अपना गांव योजना के तहत लोगों की भागीदारी बनी। इसी प्रकार से कई लोग मेरे पास में आते थे और जो बड़े दुःखी मन से यह बात कहते थे कि हमने हमारे गांव में दानदाताओं द्वारा गांव के सहयोग से पशु चिकित्सालय का निर्माण तो करा दिया लेकिन वह स्वीकृत नहीं हुआ। 4-4, 5-5 लाख की बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं लेकिन वह आज काम में नहीं आ रही है। हमने भी इसी के तहत एक योजना शुरू की जिसके तहत यदि कोई ग्राम पंचायत या संस्था वहां चाहे कि हमारे यहां पर पशु चिकित्सालय हम खोलना चाहते हैं तो वहां पर 50 हजार रुपये वह हमें दें। हमें देने का मतलब है वह अपने ही गांव में उस पैसे का फिक्स डिपॉजिट करे और उसका ऑपरेट भी वे ही करेंगे। विभाग उनके गांव में पशु चिकित्सक भेजेगा जिसका सब सामान विभाग की ओर से दिया जाएगा, उसकी तनख्वाह भी विभाग की ओर से दी जाएगी और जो 50 हजार रुपये हैं उनके

(श्री अर्जुन सिंह देवड़ा)

वहां पर फिक्स डिपॉजिट में रखे जाएंगे, उन पैसों के इन्टरेस्ट से दवा की व्यवस्था वे गांव वाले ही करेंगे। विभाग की ओर से फ्री टीके आदि दिये जाते हैं वे तो विभाग वैसे ही देगा। इससे एक प्रकार से जनता की भागीदारी उसमें बनेगी और जो हमारा सोच है कि हर काम सरकार करे, हमने यह चीज देखी है कि जहां-जहां गांवों में जनता का पैसा लगा है वहां-वहां उनमें कुछ जागरूकता भी बढ़ी है। वे देखते हैं कि कहीं हमारे पैसे व्यर्थ खर्च नहीं हो तथा जो चिकित्सा संबंधित उनको दवाइयां लेनी हैं वह सब काम उनको ही करना है तो ऐसे लगभग 50 प्रार्थना-पत्र हमारे पास आये थे जिनको हमने स्वीकृति दी और कई जगह वह फिक्स डिपॉजिट जमा कराके उन्होंने हमको इसका फोटो स्टेट दे दी।

अभी, उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि क्या हो रहा है? अभी चिकित्सकों की भर्ती हो रही है? उसके बाद में उन संस्थाओं पर भी हम डाक्टर लगा देंगे। एक योजना, अभी जैसा बांसवाड़ा से आने वाले सदस्य ने बताया कि हमारे यहां पर पशुओं की जो नस्ल है, वह ठीक नहीं है और इसके लिए पहले भी डी.आर.डी.ए. के माध्यम से जो गरीब व्यक्ति हुआ करते थे उनकी अच्छी नस्ल के पशु खरीद कर दिये जाते थे लेकिन कई बार यह देखा गया कि पशुओं की जो खरीद-फरोख्त होती थी वह मात्र कागजों पर ही होती थी और वास्तव में कोई वहां उसका सुधार नहीं हो या, तो उसको और सुधारने के लिए हमने एक कामधेनु योजना जो पिछले साल लागू की। इसमें गैर-सरकारी संस्था एवं गौशालाओं के माध्यम से उन्नत किस्म की बछड़ियां पैदा करने हेतु राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष यह योजना प्रारम्भ की है जिसके तहत 50 उन्नत किस्म के पशुओं की इकाई पर अधिकतम दो लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा और इससे पैदा होने वाली बछड़ियों को चयनित परिवारों को जिला विकास अभिकरण के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा जिससे उन लोगों के पास में अच्छी नस्ल के जानवर पहुंच पाएंगे ताकि उनको आर्थिक लाभ मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय सदस्यों ने जो हमारी प्रजनन नीति है उसके बारे में बताया है 1984 में बनायी गयी प्रजनन नीति में शंकर प्रजनन पर अधिक जोर दिया गया था। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा मैं भी इस बात से सहमत हूं कि हमको, हालांकि तो व्यक्ति शंकर नस्ल के बच्चों का उत्पादन चहते हैं वे निश्चित तौर पर जो उनकी सोच है, वैसा करें लेकिन हमारे यहां पर जो हमारी देशी नस्ल है यह बहुत ही अच्छी है और अब हमने यह प्रयत्न किया कि हम हमारी उन नस्लों को ही सुधारें ताकि इनमें एक तो बीमारियां कम आती हैं और इनका दूध उत्पादन भी ठीक है। मैं माननीय सदस्य के विचारों से सहमत हूं और अब हमने उपाध्यक्ष महोदय, पहली

(श्री अर्जुन सिंह देवड़ा)

बार राजस्थान में पशु धन विकास बोर्ड का गठन किया है और जिसका मुख्य पशु कारण यही है कि हम जो अभी देशी नस्ल है इनको भी सुधरें और जो हमारी शंकर नस्ल हैं दोनों ही कार्यक्रम को हमने एक साथ हाथ में लिया हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, केंद्रीय पर्वतीय परिवर्तित परियोजना के तहत गाय एवं भैंस विकास हेतु एक विस्तृत परियोजना बनायी गयी है जिसमें 50 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। इसके तहत चार हजार नये कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, दो हिमकृत वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। साथ ही समस्त जिलों में हिमकृत वीर्य तथा तरल नाइट्रोजन गैस के भंडार व वितरण की व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी। इस कार्य में लगे हुए तकनीकी अधिकारी पशुधन सहायक व गोपालों को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस परियोजना के अंत में 50 प्रतिशत प्रजनन योग्य पशुओं को प्रजनन सुविधा पशुपालकों के दरवाजे पर ही उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है। इन सभी गतिविधियों के सुचारू रूप से चलाने हेतु राज्य में पशुधन विकास बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है तथा भारत सरकार द्वारा पहली खेप के रूप में 4 करोड़ 45 रुपये की राशि बोर्ड की मद में जमा करा दी गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर हमने एक और स्कीम हाथ में ली है। पूर्व में पंचायत और पंचायत समितियों के माध्यम से सांडों की 50 प्रतिशत राशि पर हम वितरित करते थे जिससे जो दूर-दराज के गंव हैं जहां पर ए.आई की व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो पाती तो वहां पर हम उत्तर किस्म के सांडों को उपलब्ध कराते थे। उस समय उनसे 50 प्रतिशत कीमत ली जाती थी। अब हमने निःशुल्क सांडों का वितरण करने की व्यवस्था की है ताकि जहां जहां पंचायत समिति में इसकी मांग करेंगे वहां पर हम उत्तम नस्ल के इन पशुओं को उपलब्ध करा सकेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, उन्नत नस्ल के सांड पैदा करने हेतु विभागीय प्रजनन फार्म का पुनर्गठन किया गया है। जिसके तहत अच्छे किस्म के बछड़े पाले जाएंगे तथा सांड बनने पर उन्हें निःशुल्क वितरित किया जाएगा। यहां पर नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, उन्होंने काफी प्रश्नों के माध्यम से मेरा ध्यान आकर्षित किया और बातें भी सही थी कि नसीराबाद और आस-पास के क्षेत्र की जो गिर नस्ल है वह वाकई काफी अच्छी नस्ल है और कुछ समय पूर्व में रामसर फार्म पर इस नस्ल की गायों को रखा जाता था। उन गायों को डग, झालावाड़ में शिफ्ट कर दिया गया था जिससे काफी लंबे अर्से से यहां के पशु-पालकों की मांग थी और माननीय सदस्य बार-बार मेरा ध्यान आकर्षित करते थे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां कहना चाहूंगा

(श्री अर्जुन सिंह देवड़ा)

कि मार्च, 1996 में हमने गिर नस्ल के जो जानवर डग, झालावाड़ में थे उनको हम पुनः नसीराबाद ले आये और लगभग 46 जानवर डग, झालावाड़ से रामसर फार्म पर आये हैं। मैं यहां पर इस बात को बताना चाहूंगा कि मैंने स्वयं डग, झालावाड़ और उसके बाद में जब नसीराबाद में इन पशुओं के बारे में जानकारी ली तो जानवर डग में दो लीटर दूध देते थे और जैसे ही यहां पर आये कुछ दिनों बाद में ही इनका दूध लगभग दुगुना हो गया। मैंने इससे ऐसा महसूस किया कि वाकई में इस गिर नस्ल के लिये जो जलवायु है वह यहां पर उपयुक्त है। ऐसे में हमने अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में पशुपालकों को 1996 से 1997 में 7 बछड़े बांटे, 1998 में 12 और अब तक लगभग तीन और बांट दिये। इस प्रकार हमारा यह प्रयास है कि दूसरे उत्तम नस्ल के जो हमारे सांड हैं उनके सांडों को पशुपालकों से लेकर उनको यहां पर रखकर निःशुल्क बांटेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व में हमारे यहां पर जो सूचनाएं एकत्रित करते थे वह काम इतना कठिन था कि सही समय पर हमको सूचनाएं प्राप्त नहीं हो सकती थीं ।

(20.15 बजे)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

इस बार हमने एक अलग से सूचना प्रणाली लागू की है जिसमें विभाग की नई सूचना प्रणाली प्रारम्भ की गयी जिसके तहत विभाग की कार्यरत समस्त संस्थाओं से सभी प्रकार की सूचनाएं चार प्रकार के प्रपत्रों में एकत्रित की जाएंगी। समस्त उप केन्द्र पशु औषधालय एवं पशु चिकित्सालय, कृत्रिम गर्भाधान एवं विकास सम्बन्धी सूचनाएं सहायक निदेशक, पशुधन निदेशक को प्रेषित करेंगे जिसे प्रपत्र-संख्या तीन में संकलित कर संबंधित सहायक निदेशक पशुधन, विकास उप निदेशक क्षेत्र एवं निदेशालय को प्रेषित करेंगे। इसी प्रकार से समस्त उप केन्द्र पशु औषधालय एवं पशु चिकित्सालय सेवा एवं उनकी सूचना एकत्रित कर संबंधित जिला पशुपालन अधिकारी को भेजेंगे जिसे जिला पशुपालन अधिकारी संकलित कर उप निदेशक क्षेत्र, निदेशक को प्रेषित करेंगे। सभापति महोदय, प्राप्त सूचना द्वारा समस्त गतिविधियों का सूक्ष्म मूल्यांकन एवं पशुपालकों को योजनाओं का कितना लाभ मिल सका इसका आकलन प्रतिमाह हो सकेगा।

सभापति महोदया, विभाग के द्वारा पशु पालकों को जानकारी देने के लिये पूर्व में हमारे कुछ प्रदर्शनी वाहन थे। लेकिन कुछ काल के बाद वह बंद हो गये। अब हमारे दो प्रदर्शनी वाहन हैं जो टी.वी व फिल्म को गांवों-गांवों में ले जाएंगे, बनाएंगे और जो नई जानकारी पशुपालन से संबंधित है, वह पशुपालकों को बताएंगे ताकि उनसे पशु-पालकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके।

सभापति महोदया, पशुपालन में

(श्री अर्जुन सिंह देवड़ा)

महिलाओं का विशेष योगदान रहता है। यदि देखा जाए पशुपालन का तो 60 प्रतिशत काम महिलाएं ही करती है। महिलाओं की पशुपालन में विशेष भागीदारी है। ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 60 प्रतिशत महिलाएं पशुपालन कार्य से जुड़ी हुई है। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य योजना एवं कृषि विकास परियोजना के तहत गत 5 वर्षों में लगभग 12 हजार महिलाओं को पशुपालन गतिविधियों हेतु प्रशिक्षण दिया गया। सभापति महोदया, इस प्रकार राज्य में लगभग एक हजार महिला दुग्ध समिति गठित की गयी जिसमें करीब 40 हजार महिलाएं सदस्य हैं। विभाग भविष्य में अधिक से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रयत्न करेगा।

सभापति महोदया, मैं यहां पर जो हमारी उपलब्धियां हैं, जिनको मैं यहां बताना चाहूंगा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमारा कृत्रिम गर्भाधान 8.28 लाख था जो आठवीं पंचवर्षीय योजना 26.68 लाख हो गया। बंध्याकरण भी, जो सातवीं पंचवर्षीय योजना में 39.31 लाख था, वह आठवीं पंचवर्षीय योजना में 54.34 लाख हो गया। पशु चिकित्सा के क्षेत्र में सातवीं पंचवर्षीय योजना में 352.30 लाख थे जो आठवीं पंचवर्षीय योजना में 345.47 लाख रहा। बांझ निवारण शिविर सातवीं पंचवर्षीय योजना में 21836 हमने लगावे वहीं आठवीं पंचवर्षीय योजना में 40998 शिविर लगाये। इसी प्रकार से 252 लाख पशुओं को लाभान्वित किया गया।

सभापति महोदया, यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य, श्री रामस्वरूप जी मीणा ने यह बात बताई कि हमारे यहां पर ए.आई. के लिये यदि कोई व्यक्ति पशु चिकित्सक के पास आता है तो वह यह कहता है कि आप गाड़ी लाओ, हम जार रखेंगे, फिर हम चलेंगे। तो इसे पशुपालक पर काफी आर्थिक भार पड़ता है। इससे बचने के लिए हमने गोपालों को विशेष ट्रेनिंग के माध्यम से जो व्यक्ति दसवीं तक पढ़े-लिखे हैं, और बेरोजगार हैं उनको व्यवसाय भी मिलता है और वह अपने क्षेत्र में, जिनको हम एक किट देते हैं जो उसके आसपास के 8 किलोमीटर में जो ए.आई. का काम करते हैं, बंध्याकरण का काम करते हैं, जिससे कई गोपाल आज अपने पांव पर खड़े हो गये हैं और वह काफी अच्छा काम कर रहे हैं ।

सभापति महोदया, पशु चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं सुधार के फलस्वरूप राज्य में पशु महामारी पर पूरी तरह नियन्त्रण पा लिया है । प्रदेश को पशुमाता रोग से अस्थायी रूप से मुक्त कर दिया गया है । पशुओं के स्वास्थ्य की समूचित देखभाल के साथ-साथ उन्हें विभिन्न प्रकार की घातक संक्रामक बीमारियों जैसे खुरा खुरापाक, मुंहपाक, लंगड़ बुखार, फिडकिया एवं गलघोटू आदि रोगों से बचाने हेतु रोग -प्रतिरोधक टीकों वितरण करने के

278

(श्री अर्जुन सिंह देवड़ा)

लिए प्रदेश में पशु चिकित्सा जैविक ईकाई कार्यरत है । सभापति महोदया, सातवीं पंचवर्षिय योजना में पशुमाता रोग की गंभीरता को देखते हुए केन्द्र सरकार के निर्देशन में इस कार्यक्रम को आपरेशन का 'रिंडरप्रेस जीरो' नाम दिया गया एवं इस रोग का शून्यीकृत करना इसका उद्देश्य रखा गया था । यह रोग महामारी के रूप में अंतिम बार वर्ष 1987 में मिल्कमैन कालोनी, जोधपुर में रेकार्ड किया गया एवं उसका सफलतापूर्वक नियंत्रण भी कर लिया गया। राजस्थान को वर्ष 1994 में 'पशुमाता रोग' से अस्थायी रूप से मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है एवं अनुमान है कि इस वर्ष के अन्त में राजस्थान को पशुमाता रोग से मुक्त घोषित कर दिया जाएगा।

सभापति महोदया, जैसा कि माननीय सदस्यों का कुछ मूड है, मैं कुछ बातें जो माननीय सदस्यों ने कही, उनके बारे में कहना चाहूंगा। सभापति महोदया, झालावाड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कहीं कि यहां पर डाक्टरों के काफी रिक्त पद हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि आज ही डाक्टरों की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू लिये हैं और लगभग 200 डाक्टर मेरे ख्याल से इंटरव्यू में सलैक्ट हो गये होंगे, जल्दी से जल्दी हम इन 200 डाक्टरों को लगा देंगे।

सभापति महोदया, नये पशु चिकित्सालय खोलने के बारे में भी माननीय सदस्यों ने कहा। अभी इसके बाद में मैं आपको कुछ घोषणाएं करूंगा उसमें इसका प्रावधान रखा है कि जैसी आपकी भावना है उसके अनुरूप मैं कुछ कार्य कर सकूं। यहां पर विकास अधिकारियों के बारे में भी चर्चा हुई। इस विभाग के काफी विकास अधिकारी जो प्रतिनियुक्ति पर ग्रामीण विकास में गये हुए हैं। हमने जो भी विकास अधिकारी, जिनको चार साल पूरे हो गये हैं हमने उनको वापस विभाग में बुलाना शुरू कर दिया है और अब हर रोज कुछ विकास अधिकारी रिलीव होकर आ रहे हैं, मेरे स्वयं का भी यह मानना है कि विभाग में इनकी जो कमी है, जो ज्यादा अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं तो ऐसे में एक भी विकास अधिकारी को हमने वहां ग्रामीण विकास अभिकरण में नहीं भेजा है।

सभापति महोदया, यहां पर भेड़ों के चरागाह के विकास के बारे भी माननीय सदस्यों ने चिन्ता जताई। भेड़पालक जो पूर्व में जिस रास्ते से जाते थे आज भी वे उस रास्ते से जाते हैं लेकिन पूर्व में जमीन पड़ी रहती थी, वहां पर चरने की भी कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन अब बार-बार समस्याएं अभी सामने आ रही हैं, कई बार लड़ाई-झगड़े भी होते हैं, कई बार वे फसल को भी नष्ट कर देते हैं। जैसा माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया, वैसे यह काम फोरेस्ट विभाग का और कृषि विभाग का है लेकिन मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा

(श्री अर्जुन सिंह देवड़ा)

कि मैं इसके बारे में दोनों विभागों से चर्चा कर, इसके बारे में क्या कर सकते हैं, कोई उपाय ढूंढ़ने की कोशिश करूंगा।

सभापति महोदया, बांसवाड़ा में पशु नस्ल सुधार के बारे में माननीय सदस्य ने कहा। मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं स्वयं बांसवाड़ा गया था और मैंने वहां पर देखा कि वास्तव में वहां का जो हमारा पशुधन है, वह काफी कमजोर है और वह एक लीटर, डेढ़ लीटर से ज्यादा दूध भी नहीं देता, वहां पर नस्ल सुधार की बहुत आवश्यकता है। मैंने माननीय सदस्यों को भी इसके बारे में कहा है। मैंने वहां पर यह भी देखा कि एक विशेष जाति के लोग अपने बैलों का बंध्याकरण नहीं करने देते। इसके लिए जब तक हम उनको प्रेरित नहीं करेंगे, क्योंकि जोर जबरदस्ती काम कर नहीं सकते, प्रयत्न करता है विभाग कि हम नस्ल सुधार का कार्यक्रम वहां पर करें, ए.आई. के माध्यम से नस्ल सुधारें, लेकिन इस दिक्कत के कारण से अभी तक वहां पर जैसा सुधार होना चाहिए था वैसा सुधार नहीं हुआ, तो भी मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि विभाग प्रयत्न करेगा कि वहां पर भी नस्ल हम सुधार सकें ताकि वहां के लोगों को उससे लाभ मिल सके ।

माननीय सभापति महोदया, आदिवासी क्षेत्र में कुक्कुटशाला को बन्द करने की माननीय सदस्य श्री भीखाबाईजी, ने विशेष ध्यान आकर्षित किया। मैं यहां कहना चाहूंगा कि वैसे तो हमने बैल प्रोजेक्ट को यह काम दे दिया लेकिन उसके बावजूद भी यह बन्द करने की जरूरत इसलिए महसूस की गयी थी कि इनके पास में इस समय कोई काम नहीं था और हमारे यहां पर पूर्व में जैसा अजमेर में है, जयपुर में है, हमारे पाल्ट्री फार्म चल रहे हैं तो हम इनके माध्यम से इन चूजों को जो दूसरे राज्यों की मांग आती है, हम उनको भी भेजते हैं । इसके अलावा, यदि वहां पर मांग है और उपयुक्त है तो सरकार का कतई विचार नहीं है किसी संस्था को बन्द करने का। सरकार यह सोचती है कि यदि वहं जो खर्चा किया जाता है, वास्तव में उसक उपयोग नहीं हो तो वह भी राजस्थान की जनता का खर्च है।यही सोचकर उसको बन्द किया गया था। यदि वहां पर उसकी कोई डिमाण्ड होगी तो उसके बारे में सोचा जा सकता है। यह कोई अन्तिम निर्णय नहीं है कि इसके बाद में कुछ भी नहीं किया जा सकता।

सभापति महोदय, यहां पर माननीय तम्बी साहब ने 'ग्राम सुधार योजना' का नाम लिया। पहले हमारी कई योजनाएं थीं, जैसा कि ग्राम सुधार योजना, दूसरी योजनाएं तो एक-एक योजनाएं, एक-एक डिस्ट्रिक्ट में, एक-एक, दो-दो योजनाएं, वहां पर कार्यरत थीं। अब हमने पूरे जिले को दो भागों में बांटा है और उसमें जो हमारा जिला पशुपालन अधिकारी है, जो भी स्वास्थ्य सम्बन्धी जितने भी काम हैं वह उनकी

280

(श्री अर्जुन सिंह देवड़ा)

देखरेख में कराये जाएंगे और वह उसकी पूरी की पूरी मानीटरिंग करेंगे और सभापति महोदया, जो नस्ल सुधार कार्यक्रम है यह हमने ए.डी., एल.एस.डी. को दिया है ताकि वह पूरे जिले में एल.एण्ड टू भेजनी है, सीमन देना है, देशी सांडों के विवरण की व्यवस्था करनी है वह पूरा का पूरा उनका काम कि किस प्रकार से नस्ल को सुधार जाए, वह काम करेंगे। इस प्रकार से हर जिले को हमने दो भागों में बांटा है।

सभापति महोदया, मैं आभारी हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी का, माननीय वित्त मंत्रीजी का, जिन्होंने इस बार पशुपालन को विशेष महत्व दिया और जो माननीय सदस्यों की काफी लम्बे समय से मांग थी उन मांगों को पूरा करने में काफी सहयोग दिया। मैं सभापति महोदया, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वित्तीय वर्ष में जैसा कि बजट में माननीय वित्त मंत्रीजी ने 25 नये पशु चिकित्सालयों को खोलने की इजाजत दी है तो इस प्रकार से राजस्थान में 25 नये पशु चिकित्सालय खुलेंगे।

सभापति महोदया, मैं यहां पर एक चीज और कहना चाहूंगा। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे यहां पर 12 जिलों में पॉली क्लिनिक और 5 जिलों में ए-क्लास हास्पिटल हैं, बाकी के जितने हें उन जिला मुख्यालयों पर और जो हमारे दूसरे हास्पिटल में को विशेष फर्क नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि कम से कम जिला मुख्यालयों पर यदि सीनियर डाक्टर रहेंगे, तो निश्चित तौर पर उनका अनुभव भी काफी होगा और वे वहां पर सही ढंग से जो जानवर लेकर आते हैं उकी बीमारियों के बारे में इलाज भी कर सकेंगे क्योंकि अपने अनुभव के आधार पर वे वहां पर अच्छा काम कर सकेंगे और इसके तहत, सभापति महोदया, आज तो जिला हैडक्वार्टर पर एक ही डाक्टर है, अब हम लगभग 16 जिलों में तो पूर्व में साधारण पशु चिकित्सालय थे अब हम वहां प्रथम श्रेणी के चिकित्सालय इसी वित्तीय वर्ष से, हास्पिटल खोल रहे हैं। जिसमें बाड़मेर, चूरू, दौसा, जालौर, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, करौली, हनुमानगढ़, बारां, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, झालावाड़, झुंझुनूं, सिरोही तथा धौलपुर। सभापति महोदया, अब राजस्थान के सभी जिले ए-क्लास हास्पिटल में क्रमोन्नत हो जाएंगे। इसी प्रकार से हमारे यहां पर जो उप खण्डीय मुख्यालय हैं वहां पर भी अभी तक वी.ए.एस. बैठते थे। हमने इस साल 29 ऐसे जो हमारे सब-डिवीजनल हास्पिटल हैं, उनको हम क्रमोन्नत करने जा रहे हैं और वहां पर, सभापति महोदया, हम वेटेरिनरी सर्जनों को लगाएंगे ताकि उनके अनुभव भी वहां पर काम आ सके। सभापति महोदया, इस वित्तीय वर्ष में विभिन्न विभागीय योजनाओं का पुनर्गठन कर लगभग ढाई सौ पशु चिकित्सालयों उप केन्द्रों की स्थापना होगी, इससे गांव गांव में इसका विस्तार हो

(श्री अर्जुन सिंह देवड़ा)

जाएगा। गांवों में जो कम्पाउण्डर होता है उसको ही लोग डाक्टर मानते हैं तो यदि ये 250 सब सेण्टर खोले जाएंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि इसका राजस्थान में विस्तार हो सकेगा।

सभापति महोदया, पशु चिकित्सकों की कमी के स्थाई समाधान हेतु हमने निजी क्षेत्र में वेटरिनरी कॉलेज की स्थापना हेतु नीति निर्धारण कर दी है, जिसके तहत 3 प्रार्थना पत्र राज्य सरकार को प्राप्त हो चुके हैं। जिस पर हम विचार कर रहे हैं और वेटरिनरी कॉलेज की जो हमारे यहां पर कमी है उसको देखते हुए यह आवश्यक है कि राजस्थान में और वेटरिनरी कॉलेज खोले जाएं। यदि ये वेटरिनरी कॉलेज खुल जाते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे सामने पशु चिकित्सकों की जो कमी है वह दूर हो पाएगी। आज हमारे वेटरिनरी कॉलेज से मात्र 60 पशु चिकित्सक ही मिलते हैं जिससे हमारे राजस्थान में बार-बार महाराष्ट्र गुजरात, यू.पी. से डाक्टर आते हैं और जब वे दूसरी स्टेट के यहां पर आते हैं तो खुद के स्टेट में जब कोई नियुक्तियां निकलती हैं तो वे वापस चले जाते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि यदि ये वेटरिनरी कॉलेज यहां पर स्थापित हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर राजस्थान के लिये यह भी एक सही कदम होगा जिससे पशु चिकित्सकों की हमारी जो कठिनाइयां होती हैं वे नहीं हो पाएं।

सभापति महोदया, यही कहते हुए मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस मांग को पारित करने में अपना सहयोग दें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री महावीरजी भगोरा। (व्यवधान) शांति रखें।

श्री महावीर भगोरा (राज्य मंत्री, मत्स्य पालन) : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से हालांकि मत्स्य पालन में मात्र एक कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और चर्चा में दो या तीन माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं सुझाव रखे हैं मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उनके बहुमूल्य सुझावों को लागू करने में विभाग तत्पर रहेगा, यह आश्वासन देता हूं।

सभापति महोदया, हालांकि राजस्थान राज्य मरू प्रदेश में नाम से जाना जाता है परन्तु जो भी हमारे पास बहुमूल्य जल के स्रोत हैं उन स्रोतों के माध्यम से हम राज्य में 3.30 लाख हैक्टेयर में मत्स्य पालन का काम करते हैं। मत्स्य पालन से राजस्व आय, क्योंकि इस विभाग को इसलिए भाग नहीं लिया, यह समझता हूं कि इस विभाग से राजस्व आय कम होती है परन्तु मेरा यह कहना है कि कम नहीं होती है। इसको हम इस स्तर पर पहुंचाएंगे कि इस विभाग का भी राजस्व आय में एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। वर्ष 1992-93 में हमारा जो मत्स्य

(श्री महावीर भगोरा)

राजस्व था वह 1.6 करोड़ था जिसे हमारे देवड़ाजी जैसे मंत्री ने और विभाग के अधिकारियों ने अथक प्रयास करके 1997-98 तक बढ़ाकर के 8.30 करोड़ के राजस्व आय की बढ़ोतरी की है। इसी तरह से मत्स्य बीज उत्पादन है। अब तक हम बाहर से बीज मंगवाकर के तालाबों में डालते थे। अब यहीं पर यह उत्पादन हुआ है उसका आंकड़ा मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारे राज्य में मत्स्य बीज की जो आवश्यकता है वह 400 मीलियन की थी और विभागीय स्तर पर हेचरिज विकसित करके मत्स्य बीज का जो उत्पादन किया है वह 1991-92 में 154 मीलियन फ्राइ मत्स्य बीज था। उसको बढ़ाकर के 1997-98 में 220 मीलियन फ्राइ किया गया। इतनी बड़ी उपलब्धि अर्जित की गयी जो 43 प्रतिशत है। इसी तरह से मत्स्य उत्पादन में जो प्रोमेस की है उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। 1991-92 में कुल 8360 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन होता था जिसे बढ़ाकर 1997-98 में 15100 मीट्रिक टन किया गया, जो 81 प्रतिशत की वृद्धि है।

योजना परिव्यय में मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना का आकार 299.77 लाख रुपये का था जिसे आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 619.48 लाख किया और नवीं पंचवर्षीय योजना में इसका आकार 944.40 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो सातवीं पंचवर्षीय योजना से 52.45 प्रतिशत अधिक है। माननीय सभापति महोदया, इसी तरह से मत्स्य उत्पादन का जो 5 वर्षीय कार्यक्रम तय किया है उसमें हमारी जो प्रभावी योजना है उसमें मत्स्य उत्पादन में 23,500 मीट्रिक टन तथा मत्स्य राजस्व आय 43.58 करोड़ प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य है।

माननीय सदस्यों ने चर्चा के दौरान यह बात की थी कि इस व्यवसाय के माध्यम से लोगों को रोजगार मुहैय्या कराया जाए। राजस्थान राज्य में 1974 में करीब 15 जिलों में मत्स्य पालक विकास अभिकरण प्रारम्भ किये गये थे। दुर्भाग्य कहें कि पिछले 22 वर्षों में इसमें जो माकूल व्यवस्था होनी चाहिए और जो उसका उद्देश्य था उसकी पूर्ति होनी चाहिए थी उसमें कमी रहने से इन अभिकरणों को बंद करना पड़ा है। परन्तु इस क्षेत्र में जो भी विकास अभी तक हुआ है वह अब विभाग के माध्यम से आगे काम किया जाएगा, यह मैं आपको आश्वासन देता हूं। बिंदु माननीय सदस्यों ने यह भी उठाया था।

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय सभापति, अभिकरणों में जो 20-20 साल से कर्मचारी कार्यरत थे उनका क्या हुआ। उनको सरप्लस घोषित किया है।

श्री सभापति : बिराजिए, बिराजिए।

श्री बनवारीलाल बैरवा : सुनिये, साहब, बात सुनियें। वहां बहुत सारे गरीब मजदूर लोग काम कर रहे थे, 20 साल हो गये उनको।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : पूरा हो जाने दीजिए।

श्री महावीर भगोरा : माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि विभाग ने यह निर्णय लिया है कि जो कर्मचारी इन अभिकरणों में सेवारत थे उनको सरप्लस किया है उन्हें स्थानीय निकायों में समायोजित किया जाएगा और अब तक 58 में से 5 को समायोजित कर दिया गया है और जी.ए.डी. डिपार्टमेंट से लेटेस्ट आदेश दिया है कि इन सबको समायोजित कर दिया जाएगा। यह निर्णय ले चूके हैं, आदेश जारी हो चुके हैं। मैं आपको बता देता हूं। अभी लेटेस्ट आदेश जारी कर दिया है।

इस अवसर पर मैं एक और निवेदन कर देना चाहता हूं कि पिछले 5-7 वर्षों में राज्य सरकार के सिंचाई विभाग और अन्य माध्यमों से जो नये जल स्रोत विकसित हुए हैं उनमें भी इस कार्यक्रम को लागू करने का हम प्रयास कर रहे हैं। जिस माननीय सदस्यों के क्षेत्रों में अगर ऐसे कोई जल स्रोत हों तो आप अपने क्षेत्र के ऐसे निर्धन परिवारों के लोगों को प्रशिक्षण के लिये, ट्रेनिंग के लिये, हमने एडवर्टाइज किया है, उसमें प्रशिक्षण दिलावें। उन्हें हम रोजगार में लगाकर के उन तालाबों को उनको आबंटित करेंगे। यही बात कह कर मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि हमारे पशुपालन विभाग की जो मांग है उसको पारित कराने की कृपा करें, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री नसरू खां।

श्री नसरू खां (राज्य मंत्री, डेयरी विकास) : माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करना चाहूंगा जिन्होंने डेयरी से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है। 5 कटमोशन आये हैं।

माननीय सभापति महोदया, राजस्थान को-ओपरेटिव डेयरी फैडरेशन, संघों की स्थापना पशुपालकों, विशेषकर भूमिहीन मजदूरों, छोटे तथा सीमान्त कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु की गयी थी। आज मुझे कहते हुए यह खुशी है कि यह संस्था अपने उद्देश्यों में काफी हद तक सफल हुई है। माननीय सभापति महोदया, 1991-92 में राजस्थान को-ओपरिटिव डेयरी फैडरेशन सम्बन्धित संघों का घाटा करीब 60 करोड़ रुपया हो गया।

श्री हरजीराम बुरड़क : यह सुजानसिंह के पास है, आप कहां से बोल रहे हैं ?

श्री नसरू खां : दुग्ध उत्पादकों को समय पर दुग्ध का भुगतान करने में कठिनाई महसूस होने लग कार्यशील पूंजी का भी नितान्त अभाव था। फैडरेशन एवं

(श्री नसरू खां)

संघ अपने ऋणीय ब्याज की देनदारियां चुकाने में विफल रहने लगे। इन गम्भीर आर्थिक परिस्थितियों के चलते हुए राज्य सरकार ने...

श्री हरजीराम बुरड़क : माननीय सभापति महोदया, मेरा एक प्रश्न है। मेरी व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कोओपरेटिव डेयरी फेडरेशन आज को-आपरेटिव एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है। जब तक वह को-आपरेटिव एक्ट उस पर लागू है तब तक वह अलग नहीं हो सकता। यह सहकारिता में सम्मिलित है और सहकारिता का उत्तर माननीय सुजानसिंह ने दे दिया। इसलिए अलग कहां से आ गयी। यह डेयरी, अगर कोओपरेटिव फैडरेशन को छोड़कर के अगर इनके पास कोई अलग से डेयरी है तो उसका उत्तर दें।

श्री सभापति : आप बिराजिए। रिजेक्ट।

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या बिराजें ? कोई बताये तो सही, कोई उत्तर तो दें।

श्री सभापति : व्यवस्था का प्रश्न पूछा, व्यवस्था का प्रश्न रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट किया। कर दिया, बैठिये।

श्री हरजीराम बुरड़क : जो सवाल पूछा है, उसका उत्तर तो दें। सुनकर खड़ा हो जाता है कोई भी।

श्री सभापति : बैठिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : यह मंत्रियों के जो अधिकार हैं, उनको खतम कर दिया इन्होंने और इनका कार्यकाल पांच साल करो। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : यह +++ मत करो आप।

श्री राजेन्द्र चौधरी : जब आप उपाध्यक्ष बनने जा रही हैं और स्वयं ने कह दिया कि निरस्त कर दिया। कैसे निरस्त कर दिया ?

श्री हरजीराम बुरड़क : आप कोई उत्तर तो दें। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : कैसे निरस्त कर दिया ग्राउण्ड बताइये।

श्री सभापति : आपको उत्तर मिल रहा है न बैठिये आप। बैठिये आप।

श्री हरजीराम बुरड़क : व्यवस्था वाली बात का कहां पर मिल रहा है ?

श्री सभापति : बैठिये मिल रहा है।

श्री हरजीराम बुरड़क : आज को-आरेटिव का डिस्कशन था। को-आपरेटिव मंत्री ने उत्तर दे दिया और यह को-आपरेटिव एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड संस्था है ...

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या बिराजें ? आप कोई बात तो बताइये। टाल गये। यह कोई बात नहीं हुई, यह कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : सभापति महोदया, इन्होंने बहुत सब्स्टेंस की बात कही है और उसको ...

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री सभापति : आप भी बिराजिये।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आप कोई कंसल्टेशन करके उस पर उचित व्यवस्था दीजिये।

श्री सभापति : आपको जवाब दिया जा रहा है, बिराजिये।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आपकी व्यवस्थाएं आगे के लिए गाइड लाइन बनती हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप तो बिराजिये। व्यवस्था का प्रश्न हरजीरामजी का था, आपका नहीं, आप बिराजिये।

श्री हरजीराम बुरड़क : जवाब कौन दें? जब को-आपरेटिव संस्था है...

श्री सभापति : अब आप बिराजिये।

श्री हरजीराम बुरड़क : को-आपरेटिव मिनिस्टर से दिलवाइये जवाब, अगर अलग से दिलाना हो तो। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (सिंचाई मंत्री) : किस रूल के तहत बोल रहे हैं आप, यह भी बता दें। यह किस रूल के तहत हैं ?

श्री हरजीराम बुरड़क : रूल क्या है ? रूल यह सीधा पड़ा हैं। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : हर वक्त रूल के तहत ही आप उठाते हैं। रूल के तहत बताइये न आप। बताइये तो सही कि यह किस रूल के तहत है।

श्री हरजीराम बुरड़क : काहे का रूल?

श्री महावीर प्रसाद जैन : इस पर कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। दो मिनट में अपनी बात कह दो। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजिये।

श्री नसरू खां : परिस्थितियों के चलते राज्य सरकार द्वारा आन्दोलन एवं पशुपालकों के हितों को सुरक्षित करने हेतु एक साहसिक निर्णय लेते हुए राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन संघों का प्रबन्धन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को सौंपने का निर्णय लिया। इस व्यवस्था के तहत दिनांक 1-4-1992 से पूर्व घाटे में घिसावट की राशि को छोड़ते हुए शेष राशि का पचास प्रतिशत हिस्सा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा व पचास प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा दिया जाना तय हुआ। इसी प्रकार डेयरी विकास बोर्ड के प्रबन्धन के दौरान जो हानि होगी, उसमें से घिसावट की राशि को छोड़कर शेष राशि का भुगतान भी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड करेगा। यद्यपि अभी तक औपचारिक समझौता राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से नहीं हुआ है, लेकिन आपसी सहमति के आधार पर प्रबन्धन की व्यवस्था पिछले छह वर्ष से चली आ रही है। इस व्यवस्था में प्रारम्भ के तीन वर्ष शुद्ध नहीं रहे और घाटे में भी वृद्धि हुई लेकिन पिछले दो वर्षों से स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यदि पिछले छह वर्ष की

(श्री नसरू खां)

उपलब्धियों की वर्ष 1991-92 की तुलना की जाए तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। दुग्ध संग्रह प्रतिदिन 1991-92 में 2 लाख 99 लीटर था जो अब बढ़कर 6 लाख 60 हजार लीटर है। स्थानीय दुग्ध बिक्रि जो एक लाख चालीस लीटर, जो शहरों में होती थी, वह अब तीन लाख पैंतालीस हजार है। चारा वितरण जो 1991-92 में 1678 क्विंटल था वह 2905 क्विंटल है। 73 पसरेंट फालतू है। दुग्ध उत्पादकों को भुगतान, करोड़ों में 1991-92 में 45 करोड़ था, जो अब 192 करोड़ है। पशु आहार वितरण मैट्रिक टन, 32710 टन था, जो 54624 टन है। प्राकृतिक गर्भाधान की संस्था, जो 126 थीं वह 753 है। दुग्ध संघ लाभ में संख्या 1991-92 में 4 थे जो इस समय 13 लाभ में है। पशु आहार लाभ में पहले एक था, अब चारों लाभ में है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : पहले प्रति लीटर चार पैसे मुनाफा लेते थे, अब एक रूपया छह पैसे प्रति लीटर मुनाफा ले रहे हैं।

श्री नसरू खां : माननीय सदस्यों को— (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये आप।

श्री हरिसिंह (महुवा) : अब एक रूपया चल रहा है ...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : गुजरात के और यहां के, दोनों स्टेटों के भाव में क्या फर्क है? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय रामस्वरूपजी, बिराजिये।

श्री नसरू खां : उसका भी जवाब दे दूंगा। माननीय सभापति महोदया, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि नवीं पंचवर्षीय योजना में डेयरी विकास के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस वर्ष निष्क्रिय पड़े तीन सौ कृत्रिम गर्भाधानों का पुनः चालू किया जाएगा। दो सौ लघु दुग्ध समितियों में मोबाइल कृत्रिम गर्भाधान यूनिट स्थापित किये जाएंगे। पांच सौ नई दुग्ध समितियों का गठन, 700 बंद पड़ी समितियों को पुनर्जीवित करने का एवं ...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : उनका कार्यकाल पांच साल कर रहे हो क्या ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं डालें।

श्री नसरू खां : 75 हजार दुग्ध उत्पादकों को जोड़ने का लक्ष्य भी रखा गया है। सरकारी दुग्ध विपणन को बढ़ाकर छह लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य है। एवं योजना के अन्त तक दुग्ध संकलन को बढ़ाकर औसतन आठ लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य है। दुग्ध उत्पादन में प्रतिस्पर्धा को देखते हुए गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कम से कम दो सेंटर्स को, जो आई.एस.आई. हो, 2002 के अन्तर्गत पंजीकृत किये जाने की योजना है। मुझे पूरा

(श्री नसरू खां)

विश्वास है कि यदि विकास की वर्तमान दिशा बरकरार रहती है तो आने वाले दिनों में यह व्यवस्था गरीब दुग्ध उत्पादकों के लिये और भी अधिक लाभकारी सिद्ध होगी।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : गुजरात में पड़ोस में क्या देते हैं प्रतिदिन और आप क्या दे रहे हो, यह बता दो ?

श्री नसरू खां : एक मिनट और बोल लेने दो। वह तो मैं जवाब दे रहा हूं। और एक नयी, एक हजार बेरोजगार युवकों को नये बूथ खोलने का विचार है। एक हजार बूथ खोलने से, जो बूथ खुलेंगे...

श्री हीरालाल विश्नोई : काहे के बूथ...

श्री नसरू खां : बूथ खोलेंगे। शहरों में दूध बेचने के लिये और घी बेचने के लिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी। माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री हीरालाल विश्नोई : बूथ खुलेंगे, बूथ क्या खुलेंगे ?

श्री नसरू खां : बूथ खुलेंगे। दूध और घी बेचेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय अब बिराजिये। श्री अमरारामजी चौधरी।

श्री रामस्वरूप मीणा : यह तो कार्यकर्ताओं के खोलोगे।

श्री सभापति : श्री अमराराम चौधरी।

श्री हीरालाल विश्नोई : सभापति महोदया, गुजरात में और राजस्थान में कितना फर्क है, वह तो बताइये ? गुजरात में कितना फर्क है ? (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल विश्नोई : बाद में क्या बता देंगे ?

श्री नसरू खां : इनको जवाब देने के बाद में। माननीय सदस्यों ने जो कटमोशन रखे हैं, उनमें राजेन्द्रजी चौधरी ने बताया है कि हमारा घाटा 92 तक 45 लाख था, जबकि 60 करोड़ है अगर इसमें कहीं कोई गलती निकलेगी तो उसकी जांच करवाऊंगा। ब्यावर से आने वाले माननीय विधायक ने बताया कि वहां पर अधिकारियों के गलत प्रमोशन किए गए हैं, अगर वे गलत पाए गए तो उनकी जांच करके उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। श्री भीमसेन ने कम रेट पर दूध के लिये कहा और श्री ताम्बीजा ने भी कम रेट के लिये कहा है। मैं और प्रांतों की रेटों के बारे में पता करवाता हूं कि वहां पर क्या रेट है ? मुझे पता नहीं है। अगर यहां पर कम रेट है, वहां पर ज्यादा रेट है तो इस पर विचार किया जाएगा बिलकुल यहां पर रेट कम क्यों है। श्री रामस्वरूपजी ने जो चुनाव के बारे में कहा है, आपको वंचित नहीं रखेंगे आपकी बात पर पूरा विचार किया जाएगा। आपने मेरी बात सुनी, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री अमरारामजी।

श्री अमराराम चौधरी (राज्यमंत्री, कृषि) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-37 के लिए माननीय सदस्यों ने अपने सचनात्मक सुझाव यहां सदन में दिस हैं, मैं उनका आभारी हूं और उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनको किसानों के प्रति चिन्ता है। किसान देश का अन्नदाता है, उनके प्रति जो आज उन्होंने चिन्ता व्यक्त की है उनके लिए मैं उनका बहुत-बहुत आभारी हूं। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि सन 1993 के बाद में और आज तक कृषि विभाग ने कितने अच्छे-अच्छे कार्य किये हैं और जिसकी साख है,हमारे राजस्थान में ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान भर में हमारे विभाग की साख रही है। राजस्थान, जो हिन्दुस्तान का दूसरा बड़ा प्रान्त है, इसका क्षेत्रफल है वह 3 लाख 42 हजार वर्ग किलोमीटर है। इतना बड़ा अपना राजस्थान प्रान्त है। इसकी भौगोलिक परिस्थितियां अलग-अलग हैं। अनावृष्टि, ओलावृष्टि और अतिवृष्टि के कारण किसानों को कई बार बहुत ही नुकसान होता है और ओलावृष्टि से फसल नष्ट हो जाती है और कभी ओलावृष्टि से भी किसानों को बहुत नुकसान होता है।

मोटे रूप में निवेदन करना चाहता हूं कि यहां की लगभग तीन चौथाई आबादी कृषि और सम्बन्धी कार्यों से अपना जीवनयापन करती है। सभापति महोदया, राजस्थान देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसमें देश की पांच प्रतिशत जनसंख्या रहती है तथा 11 प्रतिशत भू-भाग क्षेत्र में फैला हुआ है। राज्य का करीब 61 प्रतिशत क्षेत्र शुष्क और अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों की श्रेणी में आता है तथा राज्य में राष्ट्रीय जल संसाधनों का मात्र एक प्रतिशत भाग ही प्राप्त है। राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों में भी काफी विभिन्नता पायी जाती हैं। इस पर कम और असमय वर्षा कृषकों की कृषि उत्पादन की समस्याओं को और जटिल कर देती है।

आठवीं योजना की हमारी क्या उपलब्धियां हैं, वह मैं आपको बतलाना चाहता हूं। इन सभी विपरीत परिस्थितियों के होते हुए....

श्री रामस्वरूप मीणा : आपकी उपलब्धियां कहां से हो गयीं ? आप कल तो मंत्री बने हो।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह सरकार का जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय रामस्वरूपजी आप बिराजिये। माननीय रामस्वरूपजी बिराजें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : क्या उपलब्धियां हुई हैं ? ___ (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजें। आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : इनके मंत्री बनते ही उपलब्धियां हो गयीं क्या ? (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : वह तो जो नीचे आदमी बैठे हैं, जो उपलब्धियां हो रही हैं, क्या जाएंगे उपलब्धियां करके_(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिए। (व्यवधान) आपको इतनी समझ तो होनी चाहिए कि सरकार की उपलब्धियां हैं। बिराजें। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : कृषि क्षेत्र में जो उपलब्धियां अर्जित की हैं, उनमें से कुछ प्रमुख उपलब्धियां आपके समक्ष रखना चाहता हूं। कृषि एवं सम्बद्ध प्रवृत्तियों में सातवीं पंचवर्षीय योजना में 205 करोड़ रूपये के विनियोजन के तुलना में आठवीं पंचवर्षीय योजना में यह विनियोजन 1,287 करोड़ रूपये हो गया। नवीं पंचवर्षीय योजना में माननीय सभापति महादया, यह प्रावधान 1900 करोड़ रूपये का किया गया है जो सातवीं पंचवर्षीय योजना से लगभग 10 गुना ज्यादा है।

माननीय सभापति महोदया, सातवीं योजना में कृषि कार्यक्रम का राज्य योजना में पांच प्रतिशत से भी कम हिस्सा था जबकि आठवीं योजना में यह हिस्सा ग्यारह प्रतिशत से भी अधिक हो गया है। अधिक विनियोजन के फलस्वरूप राज्य के कृषि उत्पादन में स्थायित्व आया है। जहां सातवीं योजना में औसतन 78 लाख टन खाद्यान्नों क वार्षिक उत्पादन हुआ था वहीं आठवीं योजना में औसतन वार्षिक उत्पादन 105 लाख टन रहा है, जो पिछली योजना के औसत वार्षिक उत्पादन से 35 प्रतिशत अधिक है। परिणामस्वरूप राजस्थान खाद्यान्नों के उत्पादन में देश में नवें स्थान से छठे स्थान पर आ गया है।

सातवीं योजना में, सभापति महोदया, जहां तिलहनों का औसतन उत्पादन 14 लाख टन प्रतिवर्ष होता था वहां आठवें योजना में यह उत्पादन 29 लाख टन हो गया है। यह राष्ट्रीय स्तर पर राज्य में जहां छठे स्थान पर था अब हमारा जो स्थान है, माननीय सभापति महोदया, दूसर स्थान हो गया है।

राज्य का देश में सरसों के उत्पादन में आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि हम प्रथम हैं तथा तिलहन तथा सोयाबीन के उत्पादन में हमारा तृतीय स्थान है।

माननीय सभापति महोदया, राज्य में रायायनिक खाद की खपत में कीर्तिमान वृद्धि हुई है। सातवीं योजना की तुलना में आठवीं योजना में रासायनिक खाद की खपत में 115 प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि मात्र 30 प्रतिशत रही है। यह बात विशेष उल्लेखनीय है कि राज्य में पिछले छह वर्षों से निरन्तर रासायनिक उर्वरकों में उपयोग की वृद्धि पर पूरे भारत में सर्वाधिक रही है। यूरिया उर्वरक में राज्य का देश में 17वां स्थान रहा है, जो हरियाणा राज्य से भी अधिक है।

माननीय सभापति महोदया, राज्य में भूमिगत जल की कमी के दृष्टिगत रखते हुए उसके कुशलतम उपयोग हेतु जल बजट कार्यक्रम के तहत पिछले आठ वर्षों में 100 करोड़ रूपये का अनुदान कृषकों को उपलब्ध

(श्री अमराराम चौधरी)

कराया गया। इससे 3 लाख 20 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा सम्भव हुई है तथा एक लाख 30 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया है।

पाइप लाइन सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 90 मीटर पाइप लाइन बिछाकर एक लाख हैक्टेयर क्षेत्र को लाभान्वित किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान राज्य बीज निगम घाटे से उबरकर निरन्तर लाभ की ओर अग्रसर हो रहा है। बीज निगम में 1991-92 तक लगभग 7.5 करोड़ रूपए का घाटा था लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में कुशल प्रबन्धन के सतत् प्रयास से शुद्ध हानि में क्रमिक कमी करते हुए निगम में संचित घाटे को उबारकर वर्ष 1997-98 में 2.21 करोड़ के शुद्ध लाभ की स्थिति में पहुंच गया है।

माननीय सभापति महोदय, निगम की प्रति कर्मचारी उत्पादकता वर्ष 1990-91 के मुकाबले में 1996-97 में तीन से भी अधिक वृद्धि हुई है।

(20.59 बजे)

(श्री समर्थलाल मीणा)

(उपाध्यक्ष पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में कृषि एवं सम्बद्ध कार्यक्रमों के सतत् प्रयास, कुशल प्रबन्धन, विशिष्ट विनियोजन एवं राज्य सरकार द्वारा इस ओर विशेष ध्यान दिये जाने का ही यह सुपरिणाम है।

राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इन्हीं उत्कृष्ट उपलब्धियों की सराहनास्वरूप राजस्थान के कृषि विभाग को 1995-96 का राष्ट्रीय उत्पादकता पुरस्कार प्रदान किया गया। राजस्थान राज्य बीज निगम को वर्ष 1994-95 के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता का द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जल ग्रहण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत एक-एक उत्कृष्ट कार्य के फलस्वरूप विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर 1991-92 से 1995-96 तक छह पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम को भी वर्ष 1995-96 में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। इस अवधि में देश भर में राज्य के सर्वाधिक नौ पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव हमको प्राप्त हुआ है। यह उपलब्धि प्रदेश के कृषकों की कर्मठता व राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की ही सुपरिणाम है।

(21.00 बजे)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं हमारे क्या भावी कार्यक्रम हैं, उनके बारे में बताऊंगा। प्रदेश में लगभग 10 लाख हैक्टेयरा क्षेत्र क्षारीय एवं लवणीय समस्याओं से ग्रस्त हैं, इनके सुधार हेतु जिप्सम प्रयोग व अन्य श्रेष्ठ क्रियाओं द्वारा भूमि सुधार का एक वृहद कार्यक्रम लिया जा रहा है। 1998-99 में 11 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में

(श्री अमराराम चौधरी)

भूमि को सुधारने के लिए 85 हजार टन जिप्सम विवरण करने हेतु चार करोड़ रूपये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

इसी तरह से जल बजट योजना अन्तर्गत किसानों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए फव्वारा संयंत्र स्थापना हेतु 21 हजार संयंत्रों का लक्ष्य रखा गया है। बूंद-बूंद सिंचाई योजना के तहत आठवीं पंचवर्षीय योजना में जहां 1800 हैक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप संयंत्र स्थापित किये गये वहीं वर्ष 1998-99 में 2200 ड्रिप संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में उद्यानिक विकास की दृष्टि से विपुल संभावना एवं क्षमता को ध्यान में रखकर के विभिन्न उद्यानिक फसलों, फल, सब्जी, मसाले, औषधि आदि के क्षेत्रफल उत्पादन एवं उत्पादकता में सुनियोजित ढंग से वृद्धि कर राज्य के कृषकों की आर्थिक दशा में सुधार हेतु उद्यान निदेशालय सतत् प्रयत्नशील है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमारे यहां जयपुर में, जोधपुर में मशरूम, की खेती उद्यान विभाग कर रहा है । मशरूम, जिसके बारे में आप जानते हैं कि इसमें बहुत से प्रोटीन होते हैं और धुम्बी जिसे कहते हैं, प्रोटीन के अलावा जिनको मधुमेह रोग हो, हृदय का रोग हो, मोटापा हो तो...

श्री राजेन्द्र पारीक : मशरूप पर तो एक्सपर्ट ओपीनियन आ रही है।

श्री अमराराम चौधरी : और खास तौर से जो आप जैसे मौटे हो रहे हो न उनके लिए इनकी सब्जी खाना बहुत जरूरी है।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय मंत्री महोदय, मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि इसमें तो आपकी एक्सपर्ट ओपीनियन आ रही है।

श्री अमराराम चौधरी : जो यह काश्तकार पैदा करते हैं यह 100 रूपये प्रति किलो बाजार में जाती है और इसको वो लोग खाते हैं तो वेजिटेरियन हैं। नोन-वेजिटेरियन को तो प्रोटीन मीट वगैरह में मिल जाता है लेकिन जो मांसाहारी नहीं है उनके लिए प्रोटीन की बहुत आवश्यकता है। और खास तौर से पारीकजी, आपके लिए हैं, इसको आप जरूर उपयोग कीजिए, आप मोटे हो, ठीक हो जाओगे और आपको कोई बीमारी नहीं होगी।

शुरू में राज्य में 12 जिलों में संघन उद्यानिक विकास शुरू किया गया परन्तु वित्तीय प्रावधानों की वृद्धि एवं विभिन्न विकास योजनाओं का समावेश करते हुए अब राज्य में 20 जिलों में उद्यानिक विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर से संबद्ध श्री नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय में शस्य विज्ञान, उद्यानिक कीट विज्ञान एवं कृषि कार्य के विषय में पी.एचडी. पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया है एवं इस सत्र में पौध व्याधि विषय में भी पी.एचडी. पाठ्यक्रम लागू करने पर विचार किया जा रहा है।

(श्री अमराराम चौधरी)

पशु चिकित्सा एवं पशु महाविद्यालय, बीकानेर में वेटरिनरी पैथोलोजी, वेटरिनरी पैरासाइकोलोजी, वेटरिनरी गायनाकोलोजी, एबोस्ट्रोलोजी और वेटरिनरी मेडिसिन एवं वेटरिनरी सर्जरी एवं रेडियोलोजी आदि विषय में भी पीएचडी. पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। सात नये डिप्लोमा पाठ्यक्रम अगले वर्ष में प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। वर्ष 1999-2000 में दो नये संकाय कृषि व्यावसायिक प्रबंध एवं खाद्य तकनीकी, फूड टेक्नोलोजी कार्य प्रारम्भ करने का भी विचार है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम राज्य में पिछले 40 वर्षों से कार्यरत है एवं यह एक ऐसा राजकीय उपक्रम है जो निरन्तर लाभ की ओर बढ़ रहा है। निगम के 81 स्थानों पर भण्डारगृह कार्यरत हैं। जिनकी भण्डार क्षमता 5.50 लाख मैट्रिक टन है। उपाध्यक्ष महोदय, 1998-99 में 10,800 मैट्रिक टन भण्डार क्षमता का निर्माण किये जाने का लक्ष्य है। वर्तमान में ब्यावर, निम्बाहेड़ा, हिण्डौनसिटी, जालौर एवं सुमेरपुर में भंडार क्षमता निर्माणाधीन है और बाड़मेर और बालोतरा में भी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

माननीय श्री हरजीरामजी बुरड़क ने जो यहां विचाररखे थे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमने एग्रो के मार्फत जो ट्रेक्टर दिये हैं, जिन पर सब्सिडी दी गयी है उसमें जयपुर डिवीजन में 107 में से डिलीवरी 53, इसी प्रकार से भरतपुर डिवीजन में 63 में से 36 हमने डिलीवरी दे दी है, इसी प्रकार जोधपुर डिवीजन में 72 में से 40 और इसी प्रकार से श्रीगंगानगर में 133 में से 73 दी है, कोटा के अन्दर 147 में से 50। आप यह फरमा रहे थे कि यह ट्रेक्टर गंगानगर और हनुमानगढ़ को ही दिये गये हैं, यह अलग-अलग डिवीजनवाइज हमारा कोटा फिक्स है।

श्री हरजीराम बुरड़क : गंगानगर और हनुमानगढ़ में कितने दिये और नागौर में कितने दिये ?

श्री अमराराम चौधरी : बता दिया न वह मैंने।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर पूरा आने दीजिये।

श्री अमराराम चौधरी : नागौर डिवीजन, डिवीजनवाइज है। डिवीजनवाइज जो डिलीवरी हुई है.(व्यवधान)...

श्री हरजीराम बुरड़क मैं डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : आप जो बता रहे हैं वह सही है।

श्री हरजीराम बुरड़क : डिवीजन हैडक्वार्टर पर रजिस्ट्रेशन होता है क्या ?

श्री अमराराम चौधरी : लेकिन पहले आओ और पहले पाओ, इसी सिद्धांत में अगर कोई अर्जी नहीं आती है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बुरड़कजी, बिराजें।

श्री हरजीराम बुरड़क : आप एक मिनट सुनिये। आपने जो कोटा अलॉट किया है वह डिस्ट्रिक्टवाइज किया है या डिवीजनवाइज किया है ? आप एप्लीकेशन डिवीजनवाइज ले रहे हैं या डिस्ट्रिक्टवाइज ले रहे हैं ? आप फालतू की बात कर रहे हैं बिना मतलब की। आपकी एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्टवाइज है फिर यह डिवीजन कहां से आ गया और कहां आपने नोटिफाई किया कि यह एप्लीकेशन देओ ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। बुरडकजी।

श्री अमराराम चौधरी : माननीय सदस्य ने एक और प्रश्न उठाया था कि उन्होंने ट्रेक्टर का कोटेशन तो डी.आई.-1 दिया और इन्होंने वह ट्रेक्टर हमें नहीं दिया और रकम ले ली। (व्यवधान) जो हमारा कोटेशन था वह डी.आई.-1 का था, यह बात सही है कि आपका कोटेशन डी.आई.-1 का था लेकिन जो ट्रेक्टर आपको दिया, उसकी रकम जो ली गयी है वो रेगुलर है उसी की रकम ली गयी है, डी.आई.-1 की रकम नहीं ली गयी है।

श्री हरजीराम बुरड़क : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट बताऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : पहले उत्तर सुन लें, माननीय सदस्य।

श्री हरजीराम बुरड़क : वह कह रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह परम्परा बड़ी गलत हो जाएगी, मैं बता दूं। पहले उत्तर न लें। फिर कोई सवाल हो आप पूछ लेना लेकिन उत्तर तो पूरा आने दें। बाद में कर लेना।

श्री हरजीराम बुरड़क : इसका तो आ गया न उत्तर। एक सैकण्ड, बाद में कुछ नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बाद में कर लेना।

श्री हरजीराम बुरड़क : डी.आई.- का बिल है, डी.आई.- का पैसा लिया है, डी.आई.- का उस बिल से रजिस्ट्रेशन हुआ है और उसका पुलिस में केस दर्ज हुआ है। यह फालतू, साफ असत्य बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय, आदरणीय मंत्री महोदय, आप बीच-बीच में सवालों का जवाब नहीं दे, आप अपना उत्तर पूरा करें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : लिख कर दे दिया अधिकारियों ने, वह सुना रहे हो, चुप बैठो।

श्री अमराराम चौधरी : मैं निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, कि हमने जगह-जगह निरीक्षक लगा रखें हैं और मिलावट के या घटिया क्वालिटी के बीज वगैरह होते हैं उसके लिए हमारे उड़नदस्ते भी हैं। जहां कोई भी माननीय सदस्य या और भी कोई किसान भाई हमें जानकारी देगा तो हम वहां उड़नदस्ते को भी भेजते हैं। इसके अलावा हमने जयपुर में किसानों

(श्री अमराराम चौधरी)

के लिए डायरेक्टर आफिस में भी एक इस प्रकार का पक्ष कायम किया है। जिसमें कोई भी किसान अपनी दिक्कत बता सकता है। हमने टी.वी. के माध्यम से, हमने रेडियो के माध्यम से, हमने साहित्य के माध्यम से किसानों को खेती के बारे में जानकारी का पूरा प्रबंध किया है ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मेरे पास में बहुत सारे डेलीगेशन आये। किसानों की जो लड़कियां हैं वे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में और कालेज में पढ़ना चाहती हैं लेकिन उनको मैरिट के अनुसार कहीं दूसरी जगह जहां विभाग चाहता है वहीं उनको प्रवेश दिया जाता है। उनकी च्वाइस के अनुसार नहीं दिया जाता है। जब हमारी इकानोमी कौंसिल की बैठक होगी उसमें इन बातों का ध्यान रखा जाएगा क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से यह सरकार, माननीय भैरोंसिंहजी और भारत सरकार महिलाओं और लड़कियों के लिए उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखती है। हम यह निर्देश देंगे कि उनकी च्वाइस के अनुसार ही उनको प्रवेश दिया जाए। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय गृह मंत्रीजी का भी इस बारे में यही खयाल है।

श्री अमराराम चौधरी : माननीय सदस्यों ने मेरी बात को सुना। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारी मांग संख्या-37 जो है, उसको स्वीकार किया जाए।

सूचना

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय मंत्रिमण्डीय समिति के गठन की घोषणा

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (उच्च शिक्षा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर में नया कृषि विश्वविद्यालय खोलने की मांग माननीय सदस्यों द्वारा काफी समय से उठायी जा रही है। अभी-अभी आज जब मैं बैठा था, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य, नाथद्वारा से आने वाल माननीय सदस्य और भीम से आने वाले माननीय सदस्यों ने जब चर्चा की और यहां तक कि जनजाति क्षेत्रों से आने वाले सम्माननीय विधायकों ने इस विषय को सदन में बहुत जोर से उठाया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया व्यवधान नहीं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकर इस बारे में गम्भीरता से लगातार विचार करती आयी है। इतना ही नहीं यहां तक कि राज्य सरकार ने इस मांग के सन्दर्भ में केन्द्र सरकार का अभिमत प्राप्त करने का प्रयास भी किया था और इस बारे में राज्य सरकार के तत्कालीन कृषि सचिव ने केन्द्र वालों को एक पत्र भी अपनी ओर से दिया

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 27 जुलाई, 1992 के दिन एम.एल., मेहता जो हमारे यहां उस समय कृषि सचिव थे, उन्होंने एक पत्र श्री बी.एल. चौपड़ा, डायरेक्टर जनरल, इण्डियन कौंसिल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च, न्यू देहली को लिखा।

"Dear Dr. Chopra,

As you are aware we had a composite mulri-faculty University at Udaipur comprising facultries of agriculture, humanities and Physical Sciences. In 1987, a separate University was carved out with headquarters at Bikaer. Rajasthan Agriculture University, Bikaner has agricultural Research Stations and teaching campuses at Jobner and Udaiour because of KVKs and FTCs located at various places. About 60% of teaching staff is located at Udaipur alongwith the Directorate of Extension and faculries of Dairy Engineering. and agricultural engineering Udaipur has all the necessary facilities existing for a separate agriculture University. There is strong demand from Udaipur for establishing a second Agriculture University at Udaipur, I shall be grareful if you could kindly let us have views of ICAr in this regard."

यह 27 जुलाई, 1992 को आई. सी. ए. आर. के जो डायरेक्टर जनरल थे उनको यह पत्र लिखा गया। जब इस पत्र का कोई उत्तर नहीं आया तो तत्कालीन महामहिम राज्यपाल महोदय डाक्टर एम. चेन्ना रेड्डी थे, उनका पुराना समय कांग्रेस से भी रहा था। राजस्थान में तो सरकार बीजेपी. की थी और केन्द्र में सरकार कांग्रेस की थी इसलिए हमने यह चाहा कि हमारी जो स्ट्रोंग बिल है, उदयपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोलने की है, शायद एम.एल. मेहता मे पत्र से काम नहीं चलेगा इसलिए डा एम.चेन्ना रेड्डी से निवेदन किया कि आप सभी कृपया एक पत्र इस बारे में लिखें। उन्होंनें बड़ा स्ट्रोंग पत्र लिखा, किन्तु मैं आपके माध्यम से इसलिए कहना चाहता हूं कि उस पत्र के उत्तर में जो पत्र तत्कालीन मंत्री, श्रीमान बलराम जाखड़ थे, उनका प्राप्त हुआ है, जो मैं आपके समक्ष सदन की जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। यह 23 नवम्बर, 1992 का है।

"Dear Dr. Reddy,

kindly refer to your d.o. letter no.---dated 4.10.92 regarding establishment of a

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

second agricultural University in Rajasthan and Central Assistance from the ICAR.

In view of the recommendations of the high power Committees including the Standing policy planning committee of the Indian Council of Agricultural Research and constrainst of financial resources, it has been decided that no additional State Agricultural Universities be supported in VIII plan except Central Agricultural University for the NEH Region. As such, in the budget of the Council for the VII-Five year plan period, no provision has been made for the establishment of new State Agricultural Universities. The State Government may strengthen the existing Agricultural University...."

उन्होंने सुझाव दिया कि आप खोलो मत, आप तो स्ट्रेंथन करो उसी को।" and

its constituet units to enhance their capacity for greater relevance and excellence in their educational programmes.

In response to your do. letter No. dated 20th July, 1992 the ICAR nominee (Dr.I.P. Abrol, Deputy Director General) has been advised to attend meetings of University's Board of Management as well as Selection Committee regularly."

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि केवल मात्र उदयपुर में माननीय सदस्य, उदयपुर की जनता और मैं अगर अपने बारे में बताऊं, मेरा तो उदयपुर में साथ भावात्मक लगाव है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि 13 वर्ष की नौकरी प्रोफेसर के नाते मैंने की। तत्कालीन सरकार की कृपा से उन्होंने 11 जगह मुझे रखा। अगर आप देखेंगे तो पहले बांसवाड़ा, दूसरा जोधपुर, तीसरा एम.बी. कालेज, उदयपुर, चौथा सरदारशहर, पांचवां फतेहपुर शेखावाटी और छठा एग्रीकल्चर कालेज, उदयपुर जहां मैं पांच वर्ष रहा और उसके बाद सातवां डीडवाना, आठवां कोटा, नवां गर्ल्स कालेज, गंगानगर, दसवां भरतपुर और ग्यारहवां बूंदी। 13 वर्ष में 11 स्थानों पर, तत्कालीन सरकार की कृपा से केवल पांच साल ऐसे थे जिनमें एग्रीकल्चर कालेज, उदयपुर में रहने का मौका मिला, और यह कहना चाहता हूं कि मेरे समय में ही एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय की निर्मिति वहां हुई और इसीलिए जहां तक आज शिक्षा मंत्री के नाते मेरा लगाव

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

उदयपुर के साथ और उदयपुर यूनिवर्सिटी के साथ है और इसीलिए आपके मन की भावनाओं में मैं मेरी भावना मिलाने के बाद कहना चाहता हूं कि जो यह स्थिति बनी है आई.सी.ए.आर. की, और इसीलिए आठवीं योजना में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने नीतिगत निर्णय लिया था, जैसा जाखड़ साहब के पत्र में लिखा है, कि नये विश्वविद्यालयों को अब कोई सहायता उपलब्ध नहीं होगी। नये विश्वविद्यालय के वित्तीय भार को अलग से देखने के बजाय इस मांग को कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर, सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के सम्पूर्ण प्रतिप्रेक्ष्य में देखना होगा। वर्तमान में उदयपुर में उपलब्ध सुविधाएं बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय के भी उपयोग में आती हैं। उदयपुर में अलग विश्वविद्यालय स्थापित करने पर दोनों विश्वविद्यालयों में समानान्तर व्यवस्थाएं करनी होगी।

उदाहरणार्थ, बीकानेर में नया विश्वविद्यालय स्थापित करना पड़ेगा। इसी तरह उदयपुर में अनुसंधान निदेशालय स्थापित करना पड़ेगा। साथ ही परिषद ने अगर परिषद तैयार कर लेती कि नवीं पंचवर्षीय योजना की दिशा तय कर दी है। साथा ही आई.सी.ए.आर. ने अभी तक नवीं पंचवर्षीय योजना में सहायता सम्बन्धी नीति की घोषणा नहीं की है। यह कारण स्पष्ट नहीं है कि परिषद नये विश्वविद्यालय के लिए...

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी क्या कहना चाहते हैं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं बोल रहा हूं। बैठो।

श्री रामस्वरूप मीणा : इन + + + का कहां तक सुनेंगे हम? कोई उपलब्धि बताओ आप। क्या उपलब्धि हैं ? खोलना चाहते हैं या नहीं खोलना चाहते हैं ? क्या कहना चाहते हैं आप ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया अपना रवैया सुधारें। यह ठीक नहीं है आपके लिए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इस कारण यह स्पष्ट नहीं है कि आई.सी.ए.आर. नये विश्वविद्यालय के लिये कोई सहायता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। राज्य सरकार इस बारे में परिषद के निर्णय की प्रतीक्षा कर रही है। परिषद की सहायता के बिना नये विश्वविद्यालय बनाने के लिये जो वित्तीय भार पड़ेगा उसका भी आकलन किया जा रहा है। यह बजट है, सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के लिये नये प्रशासनिक भवन इत्यादि के निर्माण व स्वायतत्ता पर होने वाले वित्तीय भार को भी आंका जाना आवश्यक है। किन्तु इन सबके बावजूद भी राज्य सरकार ने निश्चय किया है। इस पूरे प्रश्न के विभिन्न आयामों पर विचार करने एवं उचित निष्कर्ष निकालने के लिये एक उच्च स्तरीय मंत्रिमण्डल समिति का गठन किया गया है। माननीय उप मुख्य

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

मंत्री महोदय की अध्यक्षता में वह काम करेगी। कृषि मंत्री और मैं उसका सदस्य रहूंगा। मेरी व्यक्तिगत राय आपने जान ली किन्तु मैं बंधा हुआ हूं मंत्रिमण्डल राय से इसलिए राज्य सरकार ने वर्तमान प्रकार का निर्णय लिया...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : +++ (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न तो रह गया।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : वहां उपलब्ध है, कोई नहीं आएगा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री बुरडक साहब।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : बीकानेर से उदयपुर से जाने-आने में टी.ए.डी.ए. का खर्चा लगता है...

श्री उपाध्यक्ष : मैंने श्री बुरड़क साहब को समय दिया है।

श्री हरजीराम बुरड़क : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया...

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक स्पेसिफिक निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं श्री शिवकिशोर सनाढ्य, आप बैठिये पहले।

श्री हरजीराम बुरड़क : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर जो माननीय मंत्री महोदय ने दिया, पहला तो यह कि जो ट्रेक्टरों का अलाटमेंट है उन्होंने वह डिवीजनवाइज करके इस बात को घुमा दिया। जबकि वास्तविकता यह है कि इनके लक्ष्य जो अलाट किये गये हैं वह डिस्टिक्टवाइज हैं और डिस्ट्रिक्टवाइज में नागौर को दे दिये गये हैं पांच ट्रेक्टर और हनुमानगढ़ और गंगानगर को सैकड़ों ट्रेक्टर दिये हैं। इसका आधार क्या था? आपने बता दिया कि हमने डिवीजनवाइज...

श्री उपाध्यक्ष : आपका अभिप्राय वह समझ गये।

श्री हरजीराम बुरड़क : दूसरा मेरा यह था, एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन में जो ट्रेक्टर दिया, आपने कह दिया वह तो हमने कोटेशन दिया था और ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बुरड़क साहब, माननीय परसादीलालजी मीणा साहब बोलेंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क : आपने कीमत ली है डी.आई., की बिल दिया है डी.आई. का, रजिस्ट्रेसन उस बिल से डी.आई. का और ट्रेक्टर है सादा।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें।

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से पूछना चाह रहा हूं।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं होगा।

श्री परसादीलाल मीणा : सवाल तो पूछ सकते हैं मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं। आप कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव जो लम्बे समय से नहीं हुए, क्या कृषि मंत्रीजी आप चुनाव कराने का विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा मंत्रीजी ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में जो वक्तव्य अभी दिया और एक कमेटी गठन करने की जो घोषणा की उसका तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन जो बहाना बनाया गया कि वहां बिल्डिंग नहीं है, आई.सी.ए. आर. पैसा नहीं देगा। मैं कहना चाहता हूं आई.सी.ए.आर. के फण्ड से वहां सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। वेटरिनरी कालेज का प्रश्न आता है उसके लिये बल्लभनगर में फार्म बना हुआ है। उसके लिये बिल्डिंग के इन्फ्रास्ट्रक्चर के पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है केवल आपके प्रशासनिक कार्यान्वयन के लिये चाहिये जो भी आलरेडी पहले से वहां बन हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अगर उसको खाली करा लें, सब काम चल सकता है। इस पर विचार किया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : उप नेता महोदय, कृपया बिराजें।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, आप पहले तो पूछने नहीं देते हैं- (व्यवधान) आप पहले कह देते हैं कि बाद में पूछ लेना। उपाध्यक्ष महोदय, आप पहले तो प्रश्न पूछने नहीं देते हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप भाषण मत दीजिये। जो पूछना है पूछिये आप।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उच्च शिक्षा मंत्रीजी ने यह कहा कि आप कृपया बताएंगे कि कितना एडीशनल बर्डन आता है फाइनेंशियल ? आपका बीस लाख रूपये से ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन नहीं आता है। बीकानेर से उदयपुर और उदयपुर से बीकानेर जाने-आने में जो टी.ए.डी.ए. का खर्चा होता है उसमें बचत हो जाती है और बिल्डिंग वहां बनी हुई है। इसलिए आप मिसगाइड कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें।

श्री भीमराज भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं-

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : उपाध्यक्ष महोदय, विस्तार निदेशालय की बिल्डिंग बीकानेर में बन चुकी है और उदयपुर में पहले थी।

श्री भीमराज भाटी : उपाध्यक्षजी, आपने मुझे इजाजत दी है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने भाटी साहब को समय दे दिया आप इसके बाद पूछ लेना। श्री शिवकिशोर सनाढ्य। श्री भाटी साहब। (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं पाली जिले की रोहिट पंचायत समिति और माननीय कृषि मंत्रीजी के स्वयं के इलाके के जो रंगाई-छपाई के उद्योग हैं उन उद्योगों के कृषकों की जो जमीन खराब हुई है और उनके जो कुएं खराब हुए हैं, उनके मुआवजे के लिये क्या राज्य सरकार कुछ प्रावधान कर रही है ? उनको कुछ सहायता, उनको कुछ राहत दिलाने के लिये क्या कुछ कार्यवाही कर रही है ? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को तो इतना ही पूछना है कि कृषि मंत्री जी ने घोषणा की है कि फव्वारा सैट के लिये इक्कीस हजार का टारगेट रखा और जनरल बजट में मैंने कहा था उस दिन भी, उसमें लिखा हुआ है कि केवल भूमि विकास बैंक को इक्कीस हजार फव्वारा सैट का टारगेट दिया है तो पहले जिन किसानों ने ले रखा है, जिन्होंने लोन ले रखा है अगर वह फव्वारा सैट लेंगे तो उनको तो उसी से लेना पड़ेगा तो उनके लिये क्या टारगेट हैं वह मंत्री महोदय बता दें, स्पष्ट करें।

सहकारिता मंत्री माननीय श्री सुजानसिंह जी यह कह रहे थे कि कोई सैट पिछली साल जिस किसान ले लिया है, रजिस्ट्रेशन कराया है उनमें सहकारी भूमि विकास बैंक और कृषि विभाग में, 143 कृषि विभाग में और कुल 601 पिछली साल के, जिन किसान की सब्सिडी बकाया है। वह कब तक दे देंगे ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं डेयरी मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो कार्यकाल है निर्वाचित बोर्डों का, क्या वह पांच वर्ष आप करेंगे ? आप से प्रश्न है डेयरी मंत्रीजी से मेरा प्रश्न है कि इसमें जो निर्वाचित बोर्ड हैं उनका पांच वर्ष का कार्यकाल आप रखेंगे या नहीं रखेंगे ?

पशुपालन मंत्रीजी से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि हमारे यहां सभी माननीय सदस्यों ने काफी बातें कही। उपाध्यक्ष महोदय, आज गायों की स्थिति बहुत दयनीय हो गयी है और आज गांवों में हजारों की संख्या में गायें हैं, उनका कोई मालिक नहीं है, उनकी बहुत दुर्गति हो रही है। तो पशुपालन मंत्रीजी उप गायों के बारे में कोई विचार करेंगे कि नहीं करेंगे ?

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, पशुपालन विभाग का काम यह नहीं

(श्री अर्जुन सिंह देवड़ा)

है कि वह उन गायो को रखे। इनके इलाज का काम और नस्ल सुधार का काम पशुपालकों का है। यह तो स्वयं सेवी संस्थ है और माननीय सदस्य यदि आगे आएं तो काफी कुछ अच्छा काम हो सकता है।

श्री अमराराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पोटेंशियलिटी, जो ट्रेक्टरों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वह पोटेंशियल के अनुसार हमने ट्रेक्टरों का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। दूसरा, जो आप यह बता रहे थे जो पत्रावली है, पंजीकृत है और जो पेंडिंग रह गयी हैं और जिन्होंने फिजिकल वेरीफिकेशन के बाद हमारे पास धन उपलब्ध होने पर सब्सिडी दी जाएगी। आपके लिये सर्वे कराया जाएगा। उसके बाद विचार होगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : ओनली वन क्वेश्चन।

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी, आपने तो अपनी प्रश्नावली पूरी खतम कर दी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : प्रतिपक्ष के माननीय उप नेता महोदय ने, भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने और उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह चर्चा की अपने प्रश्न पर कि यहां पर भवन बन रहा है, वहां यह भवन बन रहा है। कुछ बल्लभनगर में है। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बजट, फाइनेंशियल इम्पिलेकेशंस का सवाल है। आज समय मिल जाता कैलकुलेट करने का, सब बातें ध्यान में आने का तो विचार कर लिया जाता क्योंकि इनका फाइनेंशियल कैलकुलेशन करना आवश्यक है। कितना बर्डन राज्य सरकार पर आएगा इसका विचार करना आवश्यक है। उसकी कहां से भरपाई की जाएगी इसका भी विचार करना आवश्यक है। इसीलिए इस हाई पावर कमेटी का निर्माण किया गया है कि वह जल्दी से जल्दी इस बारे में निर्णय लेगी। (व्यवधान)

श्री भीमसेन चौधरी : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननयी राजेन्द्रजी पूछ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय ये चुप हों तब पूछूं न।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि भारत सरकार द्वारा पलसाना में ट्रेक्टर ट्रेनिंग सेंटर की भूमि आबंटन हो गयी। उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल सेंक्शंस भी जारी हो गयी। वह ट्रेक्टर ट्रेनिंग सेंटर आज तक चालू नहीं हुआ है। आप यह बताने की कृपा करें कि पलसाना में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत जो ट्रेक्टर ट्रेनिंग ट्रेनिंग सेंटर है, वह कब तक चालू हो जाएगा? दूसरा मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि कृषि उपज

302

(श्री राजेन्द्र पारीक)

मण्डी का पुरा भवन बनकर तैयार हो गया है, वह कब तक चालू हो जाएगा ? (व्यवधान)

मांग संख्या 37 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पारीक साहब, इधर देखें।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-37 कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,75,73,44,000/- (दो अरब पिचहत्तर करोड़ तिहत्तर लाख चवालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-39 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-39 पशुपालन एवं चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,08,92,44,000/- (एक अरब आठ करोड़ बानवे लाख चवालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-36 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-36 सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 89,17,91,000/- (नवासी करोड़ सत्रह लाख इकरानवे हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 21 जुलाई, 1998 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.34 बजे मंगलवार, दिनांक 21 जुलाई, 1998 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

363

परिशिष्ट - 1

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न और उनके उत्तर)

जयपुर में आटोरिक्शा संचालन की दर

146. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

जयपुर तथा दिल्ली में संचालित आटोरिक्शाओं के लिये निर्धारित दर का विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या यह सही है कि जयपुर में संचालित आटोरिक्शाओं की दरें अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक निर्धारित हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

जयपुर एवं दिल्ली में आटोरिक्शाओं के निर्धारित किराये की दरों का तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट - 1 पर है।

जहां तक अन्य राज्यों में आटोरिक्शाओं की निर्धारित किराये की दरों का प्रश्न है इस सम्बन्ध में अन्य राज्यों से सूचना प्राप्त की जा रही है।

जयपुर एवं दिल्ली में आटोरिक्शाओं के निर्धारित किराये की दरों का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है

	जयपुर (दिनांक 3.12.97 से लागू)		दिल्ली (दिनांक 5.10.97 से लागू)
1. यात्री किराया–	प्रथम एक किलोमीटर तक	6.25 रु.	5.50 रु.
	प्रत्येक पश्चातवर्ती किलोमीटर	3.60 रु.	2.50 रु.
2. यात्री सामान	10 किग्रा. तक के पैकिंग के लिए कोई प्रभार नहीं 10 किग्रा. से अधिक प्रत्येक पैकेज के लिए 1/- रु. प्रति पैकेज		20 कि. ग्रा. भार तक एक पैकेज तक कोई प्रभार नहीं इसके बाद प्रत्येक 5 किग्रा. या उससे अधिक के पैकेज के लिये 50 पैसे प्रति पैकेज
3. रोके रखना (वेटिंग चार्जेज)	संपूर्ण अवधि के लिए 10 पैसे प्रति मिनट		6 रु. प्रति घण्टा
4. रात्रि प्रभारी	रात्रि 10.30 बजे से प्रातः 5.30 बजे तक 25 प्रतिशत अधिक किराया		रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक 20 प्रतिशत अधिक किराया

पूर्व सैनिकों की पेंशन के लम्बित प्रकरण

147. **श्री भीमराज भाटी (पाली)** : क्या सैनिक कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि द्वितीय महायुद्ध के सैनिकों व उनकी विधवाओं को पेंशन देने की केन्द्र सरकार की योजना है? यदि हां, तो उसका क्या मानदण्ड है ?

(2) क्या राज्य में इस योजना को लागू किया गया है ? यदि हां, तो जिला सैनिक बोर्ड पाली को इस पेंशन बाबत कितने आवेदन पत्र कब-कब प्राप्त हुए हैं ? नाम व दिनांक सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जिला सैनिक बोर्ड, पाली द्वारा समस्त आवेदनों का निस्तारण कर पेंशन देना शुरू कर दिया है ? यदि नहीं, तो किन-किन कमियों के कारण कौन-कौन से प्रकरण लम्बित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) अब जिला सैनिक बोर्ड, पाली द्वारा कब तक लम्बित प्रकरणों का निस्तारण कर दिया जायेगा ?

(5) उक्त सैनिक बोर्ड द्वारा उपरोक्त योजनान्तर्गत कितनी-कितनी राशि पेंशन के रूप में दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, हां। राज्य में यह योजना 1-4-96 से अनुदान स्वरूप लागू की गयी है, जिला सैनिक कल्याण कार्यक्रम पाली में प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण निम्नानुसार है : –

प्रथम चरण - 11.12.96 तक	241
द्वितीय चरण - 5.2.97 तक	64
तृतीय चरण - 4.6.97 तक	68
चतुर्थ चरण- 30.3.98 तक	62
	435

(3) सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में दिनांक 30.3.98 तक प्राप्त 435 आवेदन पत्रों को जिला कलेक्टर द्वारा गठित समिति द्वारा स्वीकृत कर अनुदान की राशि जरिये चैक संबंधित को भुगतान की जा चुकी है। शेष 12 प्रकरण अभी विचाराधीन है। सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(4) जिला कलेक्टर द्वारा गठित कमेटी द्वारा शीघ्र ही लम्बित प्रकरणों को स्वीकृत कर दिया जायेगा।

(5) स्वीकृत अनुदान राशि (पेंशन) प्रत्येक 6 माह पश्चात् जरिये बैंक वितरित की जाती है। वितरित की गयी राशि का विवरण निम्नानुसार है : –

वित्तीय वर्ष	राशि
1996-97	1,90,600-00
1997-98	9,77,400-00
1998-99	4,18,800-00

सूची प्रश्न संख्या 2 के अनुसार संलग्न है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र फागी के विकास कार्य

148. **श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा** (फागी) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र फागी में जनवरी, 1994 से जून, 1998 तक क्या-क्या कार्य किस-किस योजना के अन्तर्गत कितनी-कितनी राशि के कब-कब करवाये गये ?

(2) वर्तमान में उक्त स्वीकृत कार्यों की क्या स्थिति है ? उक्त स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं ? कार्यों के अपूर्ण रहने के क्या कारण है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त कार्यों को पूर्ण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फागी में जनवरी, 1994 से जून, 1998 तक विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जितनी राशि के कार्य स्वीकृत किये गये उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी है। (परिशिष्ट - 1)

(2) कुल स्वीकृत 566 कार्यों में से 442 कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं, 124 अपूर्ण है। विवरण सदन के पटल पर दिया गया है। (परिशिष्ट -1)

(3) अपूर्ण कार्यों में से 64 कार्य विभिन्न अभिकरणों द्वारा वर्तमान में करवाये जा रहे हैं।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

प्रवर्तन निरीक्षक लाडनूं के विरुद्ध जांच प्रकरण

149. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) लाडनूं जिला नागौर में वर्तमान प्रवर्तन निरीक्षक के पद पर कौन कब से पदस्थापित हैं ? क्या यह सही है कि इनका स्थानान्तरण भी हुआ था ? यदि हां, तो कब और क्यों तथा उक्त स्थानान्तरण के निरस्त होने के क्या कारण रहे ?

(2) क्या यह सही है कि इनके विरुद्ध कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं और उनकी जांच की गयी थीं ? यदि हां, तो शिकायतें क्या थीं और जांच किस अधिकारी ने की? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्राप्त शिकायतों/जांच रिपोर्ट के आधार पर उक्त निरीक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तहसील लाडनूं में प्रवर्तन निरीक्षक के पद पर श्री जयलाल इन्दलिया दिनांक 20.1.96 से पदस्थापित है। इनका स्थानान्तरण आदेश दिनांक 20.8.97 द्वारा सामान्य स्थानान्तरण प्रक्रिया के अन्तर्गत जैसलमेर जिले में किया गया था जिसे

(राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति) आदेश दिनांक 27.10.97 द्वारा प्रशासनिक कारणों से निरस्त कर दिया गया।

(2) प्रवर्तन निरीक्षक के विरुद्ध सिर्फ एक शिकायत प्राप्त हुई थीं जिसकी जांच अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना द्वारा की गयी थी। शिकायत भ्रष्टाचार में लिप्त होने, पुत्री की शादी में राशन डीलर्स से भारी राशि वसूलने के संबंध में थी। जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(3) उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण जिला कलेक्टर, नागौर के यहां विचाराधीन चल रहा है।

जांच रिपोर्ट की प्रति

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर डीडवाना

क्रमांक/शिकायत

1/97/(18)/जि/96/1465 दिनांक 23.7.97

सेवा में,

श्रीमान् जिला कलेक्टर (रसद),

नागौर।

विषय : - श्री जीयाराम प्रवर्तन निरीक्षक लाडनूं के विरुद्ध शिकायत की जांच बाबत।

प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक/ रसद/ अभि/ जांच/ 97/41 दिनांक 6.1.97 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्री जियाराम प्रवर्तन निरीक्षक लाडनूं की शिकायत श्री हरजीराम बुरड़क सदस्य विधान सभा क्षेत्र लाडनूं द्वारा की गयी प्राप्त होने पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ जांच/ 1-97/291 दिनांक 9.1.97 के द्वारा तहसील लाडनूं के रिटेलरों की सूची मांगी गयी जो तहसीलदार लाडनूं ने अपने पत्र क्रमांक/रसद/97/13 दिनांक 18.1.97 के द्वारा रिटेलरों की सूची उपलब्ध करायी गयी जिस पर तहसीलदार लाडनूं को सभी रिटेलरों को पटवार मीटिंग पर बुलाये जाने ~~पर~~ हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/जांच/रीडर/ 97/436 दिनांक 15.2.97 के द्वारा लिखा गया। जिस पर तहसीलदार लाडनूं द्वारा सभी रिटेलरों के दिनांक 5.3.97 के पटवार मीटिंग पर तहसील कार्यालय लाडनूं में उपस्थित होने हेतु व्यवस्थापक होलसैल भण्डार लाडनूं को पाबन्द किया जाकर इस कार्यालय को अपने पत्र क्रमांक/रसद/97/93 दिनांक 21.2.97 से मुझे अवगत कराया गया।

तत्पश्चात् मैं उक्त जांच हेतु दिनांक 5.3.97 को लाडनूं में निम्न रिटेलरों के बयान मेरे द्वारा लिए गये।

खूमाराम दुकानदार वार्ड नं. 12 के अपने बयानों में निमंत्रण पत्र प्राप्त होने पर सिर्फ बच्ची की शादी में 21/- भात भरना स्वीकार किया है और किसी भी प्रकार के सामान का दिया जाने बाबत साफ इंकार किया है।

इसी प्रकार असलम वार्ड नं. 1 के रिटेलर ने सिर्फ 101/- की भात भरना ही स्वीकार किया है तथ गुलाम रसूल वार्ड नं. 6 में रिटेलर ने भात 101/- की भरनी मंजूर

की है और श्री नाथराम ग्राम पंचायत लाबंड़ी ने अपने बयानों में 21/- भात भरना ही स्वीकार किया है और नथू खां पुत्र जपरदीखा कायमखानी नि. रोड़ू ने किसी प्रकार की सामग्री या भात भरना स्वीकार नहीं किया है। इसी प्रकार श्री देवीलाल रिटेलर के बयान है श्री सरवर अली वार्ड नं. 14 के रिटेलर ने सिर्फ 101/- की भात भरना मंजूर किया है, श्री रछिपाल सिंह रिटेलर सांवरशद ने 51/- भात भरना मंजूर किया श्री रामवतार वार्ड नं. 24 के रिटेलर ने 51/- को भात भरना मंजूर किया, श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद रिटेलर वार्ड नं. 8 ने 51/- की भात भरना मंजूर किया, श्री नाथूराम रिटेलर रींगण ने 21/- की भात भरना मंजूर किया, श्री शिवधन राम शर्मा रिटेलर ने भात व सामग्री से मना किया और श्री गंगाराम पुत्र मोटाराम रिटेलर ने सिर्फ 51/- भात भरना ही मंजूर किया है।

उक्त शिकायत के बाबत पूर्ण रूप से जांच की गयी । विवाह शादी में भात भरा जाना कोई नयी बात नहीं है यह एक सामाजिक रीति रिवाज है जो सदियों से चली आ रही है।

किन्तु लोगों से पूछताछ व जानकारी लेने से यह स्पष्ट है कि एक निरीक्षक स्तर का आदमी अल्प वेतन से इतने खर्चे से शादी विवाह नहीं कर सकते।

संलग्न : मूल शिकायत

ह.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर,

डीडवाना (नागौर)

कामां क्षेत्र की वक्फ समिति का राजस्व रिकार्ड

150. **श्री तैयब हुसैन** (कामां) : क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला भरतपुर के कामां क्षेत्र में कितनी ऐसी वक्फ समिति हैं जो मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों एवं खान का तकियों के रूप में प्रयुक्त हो रही है ?

(2) उक्त में से कितनी जायदाद ऐसी है जिनका वक्फ एवं राजस्व रिकार्ड में अंकन है तथा कितनी ऐसी हैं जिनका अंकन नहीं है ? उक्त सम्पत्ति के रिकार्ड में अंकन हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? गत पांच वर्षो में सरकार द्वारा कितनी ऐसी सम्पत्ति का रिकार्ड राजस्व में अंकन किया तथा कितनी सम्पत्तियों का इन्द्राज किस कारण शेष है ? विवरण सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) जिला भरतपुर की तहसील कामां क्षेत्र में 163 वक्फ सम्पत्तियां मस्जिद, मरदसे, कब्रिस्तान एवं खान का तकियों के रूप में प्रयुक्त हो रही है।

(2) जिला भरतपुर की तहसील कामां में 193 वक्फ समितियां वक्फ दर्ज है जिनमें 70 जायदादों का राजस्व रिकार्ड अंकन है और 123 सम्पत्तियों का अंकन राजस्व रिकार्ड में नहीं है। राज्य सरकार द्वारा परिपत्र संख्य 10 (4) राज/7/देव/87 दिनांक 19-12-92 जारी कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाया गया है।

(राज्य मंत्री, वक्फ)

गत पांच वर्षों का विवरण निम्नानुसार है : –

कुल वक्फ सम्पत्तियां	193
राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया	70
शेष	123
आबादी में होने के कारण शेष	92
खातेदारी में दर्ज होने के कारण शेष	31

तारांकित प्रश्न संख्या - 151

(स्थगित)

तहसील उनियारा एवं देवली के विकास कार्य

152. श्री जगदीश प्रसाद मीणा (उनियारा) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) तहसील उनियारा एवं देवली जिला टौंक में विभिन्न कार्यों हेतु गत पाचं वर्षों में वर्षवार कितनी-कितनी राशि आबंटित की गयी एवं किन-किन कार्यों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों में से कितने पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने पूर्ण होना लम्बित हैं ?

उत्तर

(1) तहसील उनियारा एवं देवली जिला टौंक में विभिन्न वन विकास कार्यों हेतु विगत पांच वर्षों में आबंटित बजट एवं खर्चे की गयी राशि का कार्य स्थलवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) संलग्न विवरण अनुसार समस्त कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं।

विगत पांच वर्षों (वर्ष 1993-94 से 1997-98 की अवधि) में तहसील उनियारा एवं देवली में कराये गये कार्यों हेतु आबंटित बजट एवं व्यय की गयी राशि का विवरण

तहसील का नाम	वर्ष	नाम कार्य	आबंटित बजट	व्यय राशि
1.	2.	3.	4.	5.
1. उनियारा	1993-94	ककोड़ बालाजी	0.95	0.94
		हाथीभाटा पर्यटक स्थल	0.92	0.91
		ठीकरिया	0.96	0.87
		रामपुरा ककोड़	0.80	0.80
		सुरेली	0.96	0.91
	1994-95	कुम्हारिया	1.00	0.76
		बंजारी	1.20	1.20
		देवपुरा	1.20	1.20

1.	2.	3.	4.	5.
	1995-96	शाहीपुरा	2.18	2.18
		हरिपुरा	2.62	2.62
		सुरेली	1.25	1.25
		कुम्हारिया-II	1.40	1.38
		कुम्हारिया-III	1.40	1.39
		कुम्हारिया-IV	1.40	1.40
		कुम्हारिया-V	1.40	1.40
		महमूदनगर	1.40	1.39
		इसलामनगर	1.40	1.38
		सिन्दोली	1.40	1.39
		खातोली-III	0.70	0.70
	1996-97	मोहम्मदपुरा-I	1.24	1.23
		करवाडिया	3.49	3.49
		मोहम्मपुरा-II	2.40	2.40
		देवली	2.40	2.40
		चारनेट	0.77	0.76
		रामपुरा ककोड़	0.77	0.76
		रामपुरा	0.77	0.76
		कोटड़ी	1.25	1.25
		एनीकट निर्माण महुवा	2.90	2.90
		एनीकट निर्माण सलावटीका नाला	4.50	4.50
		एनीकट देवलीग्राम	4.50	4.24
		एनीकट मोहम्मद पुरा	4.50	4.50
	1997-98	मो.पुरा III	3.43	3.29
		रूपवास	0.7[illegible]	[illegible]

310

1.	2.	3.	4.	5.
		एनीकट मोहम्मदपुरा	1.95	1.95
2. देवली	1993-94	चन्दवाड	0.95	0.94
		जलसेना	0.50	0.50
		देवाडावास	0.96	0.89
		घाड	0.58	0.57
		जरेली	1.11	1.09
		आबांदहड्ू	0.83	0.83
		दूनी	1.29	1.29
		देवडावास भेरूजी	0.92	0.92
	1994-95	नोन्दपुरा	0.80	0.80
		दूनी	0.92	0.92
		चांदली	1.20	1.19
		धुवाकला	1.20	1.19
	1995-96	नोगजा	2.18	2.18
		देवपुरा	1.75	1.75
		राजकोट	2.18	2.18
		नयागांव गोठडा-I	1.00	1.00
		नया गांव गोठडा-II	0.75	0.75
		दोकरवास	0.75	0.75
		उन्नत शवदासह ग्रह	0.24	0.24
	1996-97	सरदारपुरा	3.49	3.47
		राजकोट गोपालपुरा	3.49	3.49
		आवां-I	2.40	2.40
		आवां-II	0.77	0.77
		आवां-III	2.40	2.40

1.	2.	3.	4.	5.
		देवाडावास	0.77	0.77
		चांदली	1.25	1.25
		एनीकट गांधीग्राम	2.90	2.90
		एनीकट चांदली	0.78	0.78
		एनीकट गांधीग्राम	4.50	4.48
		एनीकट निर्माण कल्याणपुरा	4.50	4.50
		एनीकट निर्माण सीतापुरा	4.50	4.50
		" चांदली	4.50	4.50
		" चांदनीमाता	4.50	4.50
		" नसियां आंवा	4.50	4.50
		" इन्दोदा	1.95	1.89
	1997-98	सरदारपुरा-II	3.49	3.48
		कवरपुरा-I	2.40	2.39
		कवरपुरा-II	0.77	0.74
		चांदली अर्थनडेम	0.78	0.78
		एनीकट संग्रामपुरा	2.90	2.90

कास्ट आइरन पाइप क्रय प्रकरण

153. **श्री रामकिशन वर्मा** (रामगंजमण्डी) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) गत तीन वर्षों में सिंचित क्षेत्रीय विकास विभाग चम्बल (कोटा) में कितने कास्ट आइरन पाइप खरीदे गये ?

(2) उक्त पाइपों का उपयोग कहां-कहां किया जाना था ? क्या उनकी स्वीकृति सरकार से प्राप्त कर ली गयी थी ?

(3) किन-किन कार्यों में कास्ट आयरन पाइप लगाये जाते हैं ? क्या पुलियाओं व कलवर्ट में भी इनका उपयोग किया जाता है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1996-97 व 1997-98 में कास्ट आइरन के पाइप क्रय नहीं किये गये। वर्ष 1995-96 में 150 मिलीमीटर व्यास के 380 पाइप, 200 मिलीमीटर व्यास के 200 पाइप, 300 मिलीमीटर व्यास के 280 पाइप तथा 600 मिलीमीटर व्यास के 72 पाइप क्रय किये गये थे।

(2) इन पाइपों का उपयोग दायीं नहर खण्ड प्रथम, कोटा दायीं नहर खण्ड द्वितीय अन्ता एवं बाई नहर खण्ड, कोटा में किया जाना था। इन पाइपों के उपयोग के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी।

(3) 150 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर व्यास के कास्ट आइरन के पाइपों का उपयोग आउटलेट रेक्टीफिकेशन एवं ड्रेनेज क्रासिंग कार्यों में किया जाता है। पुलिया व कलवर्ट के निर्माण के लिए सामान्यतया कास्ट आइरन पाइप का उपयोग नहीं होता है।

विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर की पेयजल योजनाएं

154. **श्री हरिसिंह (कुम्हेर)** : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर में पेयजल सुविधा बढ़ाने हेतु कितनी व कौन-कौन सी योजनाएं सहायक अभियन्ता बोर्ड और राज्य स्तर पर स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं तथा कौन-कौनसी स्वीकृत योजनाओं पर कार्य पूर्ण नहीं हुआ है और अब कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

(2) क्या उक्त क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु बाण गंगा नदी के बहाव क्षेत्र से पानी लाने की योजना भी बनाई गई है ? यदि हां, तो उसकी स्वीकृति क्यों नहीं दी गयी ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर में पेयजल सुविधा बढ़ाने हेतु 5 योजना स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं व 4 स्वीकृति योजनाओं में से 2 योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है तथा 2 योजनाओं की क्रियान्विति जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा धनराशि उपलब्ध कराने के उपरान्त सम्भव हो सकेगी। योजनाओं का विवरण प्रपत्र "अ" पर संलग्न है।

(2) जी, हां। विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर व डीग तहसील के 26 ग्राम व कुम्हेर तथा डीग शहर की खारे पानी की समस्या से ग्रस्त क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु बाण गंगा नदी से पानी लाने की योजना की प्रारम्भिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनायी गयी है जिसकी जांच के पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर की पेयजल सुविधा बढ़ाने हेतु योजनाओं का विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	तहसील	गांव का नाम	कोड सं.	लागत लाखों में	स्वीकृत है या नहीं	स्वीकृति सं./दि.	किस स्तर पर लम्बित है	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	पम्प एवं टैंक कुम्हा	कुम्हेर	कुम्हा	31	6.83	हां	10527/11.8.97		स्रोत व जलाशय का कार्य पूर्ण विद्युत संबंध शेष है। डिमाण्ड नोटिस जमा हो चुका है। दिसंबर 98 तक पूर्ण होने की संभावना है।
2.	पम्प एवं टैंक बावेन	""	बावेन	115	6.57	हां	""	""	
3.	पम्प एवं टैंक सिकरोरी	""	सिकरोरी	38	6.50	हां	""		वित्त समिति द्वारा स्वीकृति जारी की जा चुकी है। समिति के निर्णयानुसार योजना के लिए धन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा धन उपलब्ध कराने पर ही योजना की क्रियान्विति की जायेगी।

4.	पम्प एवं टैंक महरावर	“”	महरावर	41	5.30	नहीं	” ”	” ”	बोर्ड विभाग के मानदण्डों के अनुरूप स्वीकृत की जावेगी।
5.	पाइप्ड जल योजना सांतरूक	“”	सातरूक	63	35.00	नहीं	” ”	” ”	अति. मु.अजयपुर तकनीकी जांच की जा रही है।
6.	पाइप्ड जल योजना गुनसारा	“”	गुनसारा	22	34.00	नहीं	“”	“”	
7.	क्षेत्रीय जल योजना पडोला चिमनी	“”	पडोला चिमनी	92 94	8.30	नहीं	7968/2.5.98		
8.	पम्प एवं टैंक मूढांता	भरतपुर	मुढ़ोता	17	1.00	हां			स्रोत का निर्माण प्रगति पर है। कार्य माह अक्टूबर, 1998 में पूर्ण हो जावेगा।
9.	कुम्हेर क्षेत्र के खारे पानी के ग्रामों की योजना (26 ग्राम व 2 शहरी जल योजनाएं)	कुम्हेर	–	–	1765.00	नहीं			प्रारम्भिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट की तकनीकी जांच उपखण्ड स्तर से क्षेत्रीय स्तर तक विचाराधीन है।

सरपंच ग्राम पंचायत आसपुरा के विरुद्ध अनियमितता प्रकरण

155. श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) एवं श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत आसपुरा पंचायत समिति श्रीमाधोपुर (सीकर) के विरुद्ध अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई ? यदि हां, तो शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त शिकायतों की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी द्वारा कब की गई ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जांच में क्या उक्त सरपंच को दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही कब की गई ? अब क्या कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) शिकायत की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी, हां। शिकायत की प्रारंभिक जांच पंचायत प्रसार अधिकारी जिला परिषद से करायी गयी। जांच अधिकारी ने मौके पर जांच दिनांक 24.11.96 को की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी को विस्तृत जांच हेतु नियुक्त किया गया है, जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।

(3) सरपंच द्वारा आरोप का खण्डन करने पर आरोप की विस्तृत जांच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीकर से कराई जा रही है। जांच प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सेवानिवृत्त कर्मियों का संशोधित पेंशन प्रकरण

156. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या उप मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि नये वेतनमान पर 13 प्रतिशत महंगाई भत्ता 1-7-97 से देने के आदेश राज्य सरकार द्वारा 30-12-97 को जारी कर दिये गये थे ? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा सेवानिवृत्त कर्मियों को नये वेतनमान के आधार पर पेंशन संशोधन व बढ़े हुये महंगाई भत्ता देने के आदेश भी जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) यदि नहीं, तो अब कब तक जारी कर एरियर का भुगतान कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी, हां। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(उप मुख्य (वित्त) मंत्री)

(2) जी, हां। पेंशन संशोधन के आदेश दिनांक 21.3.98 एवं बढ़ी हुई महंगाई राहत के आदेश दिनांक 21.3.98 एवं 16.5.98 की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

(3) प्रश्न के भाग दो में दिए गए उत्तर के अनुसार।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

उदयपुर राशमी मार्ग पर बसों का संचालन

157. **श्री अर्जुनलाल जीनगर** (गंगरार) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा-कपासन मार्गों पर पथ परिवहन निगम की बसें संचालित की जा रही है ? यदि हां, तो अब तक कितनी बसें चालू की है और शेष बसें कब तक चालू कर दी जाएंगी विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उदयपुर राशमी मार्ग पर भी बसें चलाई जा रही हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। वर्तमान में भीलवाड़ा से कपासन मार्ग पर निगम द्वारा दैनिक 5 एकल परिचक्र संचालित किये जा रहे हैं। वर्तमान सेवाओं को उपलब्ध हो रहे कम यात्रीभार को देखते हुए इस मार्ग पर और परिचक्र संचालित किये जाने का कोई विचार नहीं है।

(2) जी, हां। उदयपुर से राशमी के बीच वर्तमान में दैनिक 4 एकल परिचक्र निम्न समयानुसार संचालित किये जा रहे हैं : –

उदयपुर	राशमी	राशमी	उदयपुर
15.30	19.15	06.30	10.15
16.45	20.30	07.30	11.00

देवस्थान सम्पत्ति का रख-रखाव

158. **श्री अर्जुन दास मदान** (लाडपुरा) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1994-95 से 1997-98 की अवधि में देवस्थान के स्वामित्व/नियंत्रण के मंदिर/सम्पत्तियां राज्य/ राज्य के बाहर वाणिज्यिक संस्थानों/न्यासों को रख-रखाव हेतु दी गयी है? यदि हां, तो सूची मय सुपुर्दगारों के नाम व डाक के पते के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस प्रकार उक्त संस्थानों को लाभान्वित किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित निम्नलिखित राजकीय

(राज्य मंत्री, देवस्थान)

मंदिरों की वर्ष 1994-95 से 1997-98 की अवधि में निम्नांकित प्रन्यासों की मंदिर मर्यादा एवं परम्परानुसार सेवा पूजा किये जाने हेतु सुपुर्दगी में दिये गये हैं। सुपुर्दगारों के नाम व डाक के पते निम्नानुसार प्रस्तुत है : –

	नाम मंदिर व श्रेणी	सुपुर्दगी दिनांक	सुपुर्दवार का नाम व पता	वि.वि.
1.	रा. प्र. प्र. मं. श्री करणी माताजी, हाथीपोल, उदयपुर।	1-3-94	श्री केसरीमल लोढ़ा हस्ते श्री राजलोढ़ा लोढ़ा ब्रदर्स, हाथीपोल, उदयपुर।	राज्य सरकार के पत्र क्र. एफ 9 (2) देव/92 दिनांक 20.6.96 की पालना में विभाग द्वारा मंदिर का कब्जा दिनांक 31-3-97 को पुनः प्राप्त कर लिया गया है।
2.	रा. प्र. पं. मं. श्री मदारेश्वर महादेव, बांसवाड़ा	9-5-94	श्री दंतमदारेश्वर जन सेवा संस्थान, बांसवाड़ा।	
3.	रा.आनि. मं. श्री विनोदी लालजी, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर।	6.5.98	श्री चैतन्य प्रेम संस्थान, वृन्दावन	

(2) जी नहीं।

तहसील लालसोट के अग्नि पीड़ितों को सहायता

159. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मार्च, 1997 से जून, 1998 तक दौसा जिले की लालसोट तहसील में अग्नि काण्ड की कितनी घटनाएं हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी पीड़ित परिवारों को सहायता राशि स्वीकृत करा दी गयी है? यदि हां, तो किस-किस परिवार को कितनी-कितनी राशि दी गयी सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मार्च, 1997 से 2 जुलाई, 98 तक 124 स्थानों पर अग्निकाण्ड की घटनाएं हुई। इनमें 220 परिवार प्रभावित हुए विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-1)

(2) जी हां। परिवार को दी गयी सहायता का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशष्ट-1)

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

केन्द्रीय अनुदान की उपयोगिता

160. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत तीन वर्षों में केन्द्र सरकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कितना-कितना अनुदान किस-किस रूप में मिला ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अनुदान जनता के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) गत 3 वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत निम्न प्रकार अनुदान उपलब्ध करवाया गया :-

(राशि लाख रुपये में)

		1995	1996	1997
चल वाहन हेतु		52.00	-	-
गोदाम निर्माण हेतु	(I)	8.28	15.00	21.00
	(II)	48.60		

(2) यह गलत है। उक्त अनुदान जनता के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने एवं इसका लाभ सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने में मदद मिली है।

पशुआहार की कीमतों का निर्धारण

161. **श्री पूनमचन्द विश्नोई** (फलौदी): क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

(1) क्या यह सही है कि जून, 1997 से जून , 1998 की अवधि में पशु आहार बनाने के अवयवों की कीमतों में कमी आई ? यदि हां, तो गत एक वर्ष में अवयवों की प्रति माह खरीद की कीमत का तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में पशु आहार की प्रति किलो लागत कितनी आती है और पशुपालकों को किस भाव से विक्रय किया जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि पशुआहार की लागत में प्रति किलो 90 पैसे की गिरावट आई है ? क्या इस गिरावट का पूर्ण लाभ दुग्ध उत्पादकों को दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि कुछ अवयवों को छोड़ कर कीमतों में कमी आई है। गत एक वर्ष में कीमतों का तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट "क" पर प्रस्तुत है।

(2) वर्तमान में पशुआहार की औसत लागत लगभग रुपये 3.50 प्रति किलो आ रही है। दुग्ध संघों द्वारा पशुपालकों को विक्रय मूल्य की सूचना परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) जी, नहीं। फरवरी, 1998 से 15 पैसे प्रति किलो कीमत में कमी की गयी है। क़ीमतों की समस्त गिरावट का लाभ उत्पादकों को निम्न कारणों से नहीं दिया जा सकता : -

1- राजस्थान डेयरी फैडरेशन द्वारा ऋण एवं ब्याज की अवधि पार राशि का भुगतान करना है।

2- कर्मचारियों को पांचवे वेतन आयोग के वेतन भत्तों पर करीब 1 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार है।

3- अवयवों के भाव सदैव स्थिर नहीं रहते, घटते बढ़ते रहते हैं।

4. संयंत्र पुराने हैं। इनके रखरखाव हेतु अधिक धनराशि की आवश्यकता है। घाटे के कारण रिजर्व मनी उपलब्ध नहीं है। चालू लाभ में ही यह खर्चा वहन करना है।

5- डेयरी फैडरेशन में आवश्यकता से अधिक स्टाफ कार्यरत है। उनके वेतन भत्तों के खर्चे हेतु धनराशि चाहिये।

जून, 1997 से जून, 1998 की अवधि में पशुआहार बनाने के अवयवों की प्रतिमाह खरीद की कीमत का तुलनात्मक विवरण (रुपये प्रति क्विंटल)

क्रम संख्या	पशुआहार अवयव	जून, 1997	जुलाई, 1997	अगस्त, 1997	सितम्बर, 1997	अक्टूबर, 1997	नवम्बर, 1997	दिसम्बर, 1997
1	डी.ओ. र. आर. बी.	233-268	211-231	189-206	178-189	178-194	175-186	164-177
2	राईस ब्रान	393.93-434	381-404	367-275	327-370	331-355	321-348	318- 339
3	ज्वार साउण्ड	473-478	419-432	437-447	407-419	394-401	380-387	374-407
4	माल्ट स्प्राउट	256	2-214	206-214	178	178-179	175-179	168-177
5	ग्वार कोरमा	531.25-578	461-513	481-510	438-470	478-501	528-547	481-545
6	डी.ओ.एम.सी.	364-370	310-352	290-306	288-313	333-339	329-338	395-402
7	खाण्डसारी मोलासिस	300-320	197-220	184-221	179-247	200-246	277-275	283-296
8	व्हीट ब्रान	-	-	-	411	429	428	-
9	मक्का	-	-	-	-	-	421	411-417
10	ग्वार चूरी	-	-	-	-	-	-	-
11	सनफ्लावर केक	-	-	-	-	-	-	-
12	मस्टर्ड केक एक्सप्लर	-	-	-	-	-	-	
13	वारले साउण्ड	-	-	-	-	-	-	--
	माह मई 1997 में							

क्रम संख्या	पशुआहार अवयव	जनवरी, 1998	फरवरी, 1998	मार्च, 1998	अप्रेल, 1998	मई, 1998	जून, 1998
1	डी.ओ.आर.बी.	148-166	137-164	133-154	131-151	114-135	100-121
2	राईस ब्रान	301-325	297-320	280-307	256-299	268-30[illegible]	263-307
3	[illegible]र साउण्ड	397-443	393-418	358-368	348	3[illegible]3	363-374
4	[illegible] ब्राउन	180-187	179-190	193-194	191.20	198.70	[illegible]88
5	[illegible]	558-618	521-564	431-496	465-496	468-481	468-[illegible]
6	डी.ओ.एम.सी.	393-396	324-353	254-281	278-284	276-288	225-248
7	खाण्डसारी मोलासिस	307-322	424.60	-	-	440-590	470
8	[illegible]ट ब्रान		447	415.71	374.382	388	-
9	[illegible]	454	427-443	417	397-416	394.70	-
10	[illegible] चूरी	448	435	-	-	-	-
11	[illegible] केक	-	-	254	-	-	-
12	[illegible] केक	-	-	-	-	440	
13	[illegible]	-	-	-	-	-	445

322

परिशिष्ट - 'ख'

दुग्ध संघों द्वारा पशुपालकों को विक्रय की जाने वाली पशुआहार की प्रति किलो दर का विवरण

क्रम संख्या	दुग्धसंघ का नाम	पशुपालकों को पशुआहार विक्रय दर (रुपये प्रतिकिलो)	प्रभावी दर माह
1	अजमेर	4.05	मई,98
2	अलवर	4.30	जून, 98
3	बांसवाड़ा	4.70	जून, 98
4	भरतपुर	4.20	जुलाई, 98
5	भीलवाड़ा	4.20	जुलाई, 98
6	बीकानेर	4.00	जुलाई, 98
7	चूरू	4.10	जून, 98
8	श्रीगंगानगर	4.20	मई, 98
9	जालौर-सिरोही	4.25	जुलाई, 98
10	जयपुर	4.40	जुलाई, 98
11	जोधपुर	3.90 से 4.15 (औसतन 4.10)	जुलाई, 98
12	कोटा	4.30	अप्रेल, 98
13	पाली	4.05	मई, 98
14	सीकर	4.30	मई, 98
15	टौंक-सवाईमाधोपुर	4.40	जुलाई, 98
16	उदयपुर	4.30	जुलाई, 98

कोटा थर्मल पावर स्टेशन पर फ्लाई मिशन की स्थापना

162. **श्री शांतिकुमार धारीवाल** (हिण्डौली) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटा थर्मल पावर स्टेशन से प्रतिदिन निर्गमित होने वाली राख से भंयकर वायु प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो सरकार ने इस समस्या के निराकरण के लिए क्या-क्या कदम उठाये हैं?

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

(2) क्या सरकार केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय के निर्देशों की पालनार्थ उक्त समस्या के निराकरण के लिए भारत सरकार के विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग की शांति फ्लाई मिशन की स्थापना करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) कोटा थर्मल पावर स्टेशन से प्रतिदिन निर्गमित होने वाली राख से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के सम्बन्ध में कोई अधिकृत सूचना इस विभाग को नहीं है।

(2) फ्लाई एश मिशन की स्थापना करने का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

लूणखां वितरिका का असिंचित क्षेत्र

163. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर): क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या लूणखां वितरिका के काश्तकारों ने मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्रीय विकास के समक्ष आरडी. 71 से प्रस्तावित माइनर को बनाने के संबंध में अपनी समस्याओं के समाधान न होने तक विरोध प्रकट किया है ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त क्षेत्र के काश्तकारों की समस्या समाधान हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

(2) क्या सरकार लूणखां वितरिका के असिंचित क्षेत्रों का सर्वे कराकर व उन क्षेत्रों को सिंचित क्षेत्र घोषित करने के बाद ही उपरोक्त प्रस्तावित माइनर की योजना क्रियान्वित करेगी ?

उत्तर

(1) जी, हां। लूणखां वितरिका के काश्तकारों ने दिनांक 7/12/97 को एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर माइनर बनाने का विरोध प्रकट किया था लेकिन वर्तमान में राज्य सरकार के पास नया माइनर बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) लूणखां वितरिका के अनकमाण्ड क्षेत्रों का चकवार सर्वे कराया जा रहा है तथा वितरिका में उपलब्ध पानी की अतिरिक्त क्षमता (5 प्रतिशत) की सीमा तक अनकमाण्ड भूमि को कमाण्ड क्षेत्र घोषित किया जाकर सिंचाई सुविधा प्रदान की जाएगी। नया माइनर बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में सांसद/विधायक कोटे से हैण्ड पम्प

164. **श्री मोहनलाल मोदी** : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सीकर के विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में सांसद/विधायक कोटे से वर्ष 1994-95 से 1997-98 तक कितने हैण्ड पम्प किस-किस ग्राम में स्वीकृत किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत हैण्ड पम्पों में कितने हैण्ड पम्प कहां-कहां लगा दिये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

324

(श्री मोहनलाल मोदी)

(3) उक्त लगाये गयें हैण्ड पम्प की गहराई कितनी-कितनी है और कितनी-कितनी पाइप कौन-कौन सी साइज का लगाया गया तथा उन पर कितनी-कितनी राशि खर्च की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(4) स्वीकृत हैण्ड पम्प अब तक नहीं लगने के क्या कारण है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला सीकर के विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1994-95 से 1997-98 तक सांसद तथा विधायक कोटे में 106 हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये। ग्रामवार सूची परिशिष्ट "क" पर है।

(2) लगाये गये हैण्ड पम्पों के स्थान का विवरण परिशिष्ट "क" पर है।

(3) सूचना परिशिष्ट "क" पर है।

(4) स्वीकृत 14 हैण्ड पम्प न लगने के निम्न कारण रहे हैं : -

1.	रास्ता न होने के कारण	2
2.	स्ट्रेटा कठिन/बोल्डर अधिक होने के कारण	1
3.	खोद गये परन्तु सूखे होने के कारण	4
4.	खोदे जा चुके, स्थापना कार्य शेष	5
5.	स्थान परिवर्तन की स्वीकृति न होने के कारण	2
		14

विवरण परिशिष्ट "क" पर है।

(सूची/सूचना/विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र बामनवास में प्राथमिक विद्यालय

165. **श्री हीरालाल** (बामनवास) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें : —

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ऐसे कितने राजस्व ग्राम व ढाणियां हैं, जिनमें प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं ? क्या सरकार उक्त ग्राम/ढाणियों में प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में भवन रहित विद्यालय कितने हैं ? क्या सरकार भवन रहित विद्यालयों में भवन बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास के अन्तर्गत पंचायत समिति, बामनवास एवं पंचायत समिति, बौंली में राजस्व ग्राम/ढाणियों जहां प्राथमिक विद्यालय नहीं है, उनकी संख्या निम्न है : -

	विद्यालय विहीन	
नाम पं.स.	**राजस्व ग्राम**	**ढाणियां**
बामनवास	20	13
बौंली	15	2

निर्धारित मानदण्ड में आने वाले विद्यालय विहीन ग्राम/ढाणी/मजरों में उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए

328

(राज मंत्री, पंचायती राज)

प्राथमिक विद्यालय खोलने की कार्यवाही विचाराधीन है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बामनवास के अन्तर्गत पंचायत समिति, बामनवास में 12 एवं पंचायत समिति, बौंली में 1 प्राथमिक विद्यालय भवन रहित है। पंचायत समिति, बामनवास के 7 प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण की स्वीकृति जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से प्राप्त हो चुकी है एवं पंचायत समिति, बौंली के एक प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण के प्रस्ताव जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को भिजवाये गये हैं। प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण का कार्य जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा कराया जाता है।

जिला उद्योग केन्द्र बांसवाड़ा द्वारा स्वीकृत अनुदान का दुरुपयोग

166. **श्री भवानी जोशी** (बांसवाड़ा) : क्या उप मुख्य (उद्योग) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला उद्योग केन्द्र बांसवाड़ा द्वारा जिले में वर्ष 1996-97 व 1997-98 में विभिन्न उद्योगों को कब अनुदान स्वीकृत किया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा अनुदान के दुरुपयोग की सी.आई.डी. से जांच करवाई गयी थी ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन दोषी पाये गये और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। जिला उद्योग केन्द्र, बांसवाड़ा द्वारा जिले में वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में 49 उद्योगों को राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान स्वीकृत/वितरित किया गया है।

(2) सरकार द्वारा अनुदान के दुरुपयोग की सी.आई.डी. से जांच नहीं करवायी गयी है अपितु उद्योगों को गलत अनुदान स्वीकृत करने की शिकायत प्राप्त होने पर प्रारम्भिक जांच विभाग द्वारा ही करायी गयी थी। इसके पश्चात् प्रकरण की पूर्ण जांच वर्तमान में राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जा रही है। ब्यूरो की प्राथमिक जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये अधिकारी, कर्मचारियों एवं उद्योगपतियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

परिशिष्ट "क"

राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो का प्राथमिक जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये अधिकारियों एवं उद्योगपतियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण

1. श्री जी.एस. त्रिवेदी, सहायक निदेशक, उद्योग विभाग के विरुद्ध गम्भीर शिकायतें प्राप्त होने पर राज्यय सरकार द्वारा दिनांक 1-6-1998 को ही निलम्बित किया जा चुका है।

2. श्री सुनील कुमार जैन, शाखा

प्रबन्धक, राजस्थान वित्त निगम, बांसवाड़ा के विरुद्ध कार्यवाही हेतु उनके अनुशासनिक अधिकारी- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान वित्त निगम, जयपुर को लिखा जा चुका है।

3. सर्वश्री लालसिंह पारंगी, उद्योग प्रभार अधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र, बांसवाड़ा एवं जोगेश कुमार जाटव, वरिष्ठ लिपिक के निलम्बन की कार्यवाही राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो से पूर्ण रिपोर्ट प्राप्त होने पर की जा सकेगी।

4. अन्य दोषी उद्योगपतियों, श्री इकबाल भाई, श्रीमती जमीलाबेन, श्रीमती नलिनी बेन एवं श्रीमती सिम्मी बैन के विरुद्ध राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्राथमिक सूचना रिपोर्ट संख्या 150/97 से 154/97 दिनांक 26-7-1997 को दर्ज कराया है तथा अनियमितता/अधिक अनुदान भुगतान की वसूली की कार्यवाही हेतु आयुक्त उद्योग विभाग द्वारा दिनांक 27-6-1998 को महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, बांसवाड़ा को निर्देशित किया गया।

परिवहन आगार डूंगरपुर द्वारा संचालित वाहन

167. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डूंगरपुर आगार में कुल कितने वाहन हैं ? इन वाहनों में से कितनी चालू हालत में है और कितनी खराब हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1995 से जून, 1998 तक कितनी नई वाहन डूंगरपुर आगार को दी गयी ? वाहनों की संख्या वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जयपुर से डूंगरपुर जाने वाली सिलवर लाइन वाहन बहुत पुरानी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पुरानी गाड़ी की जगह नई गाड़ी लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वर्तमान में डूंगरपुर आगार को संचालन हेतु 5 अनुबन्धित वाहनों सहित 99 वाहनें आबंटित की हुई हैं, इन वाहनों में 96 वाहनें चालू हालत में तथा 3 वाहनें खराब होने के कारण संचालन योग्य नहीं हैं। आबंटित वाहनों का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(2) डूंगरपुर आगार को वर्ष 1995 से जून, 1998 की अवधि में 46 वाहनें नई आबंटित की गयी हैं। जिसका विवरण निम्नानुसार है : -

वर्ष	नई वाहनें आबंटित
1995	18
1996	06
1997	12
1998	10
योग	46

(3) जी, नहीं। जयपुर-डूंगरपुर मार्ग पर वाहनों की यांत्रिक स्थिति, बॉडी एवं सीटों
संचालित वाहनें वर्ष 1995 मॉडल की हैं की स्थिति सही है।

डूंगरपुर आगार को आबंटित वाहनों की सूची

क्र.सं.	वाहन	रजिस्ट्रेशन नम्बर	मॉडल
1.	RJ-14 P	1029	1991
2.	-do-	1340	-do-
3.	-do-	1638	1992
4.	-do-	1672	-do-
5.	-do-	1736	-do-
6.	-do-	1841	-do-
7.	-do-	2137	-do-
8.	-do-	2145	-do-
9.	-do-	2148	-do-
10.	-do-	2165	-do-
11.	-do-	2165	-do-
12.	-do-	2179	-do-
13.	-do-	2191	-do-
14.	-do-	2230	-do-
15.	-do-	2283	-do-
16.	-do-	2286	-do-
17.	-do-	2292	-do-
18.	-do-	2336	-do-
19.	-do-	2341	-do-
20.	-do-	2344	-do-
21.	-do-	2345	-do-
22.	-do-	2347	-do-
23.	-do-	2349	-do-
24.	-do-	2350	-do-

328

क्र.सं.	वाहन	रजिस्ट्रेशन नम्बर	मॉडल
25.	Rj-14P	2351	1992
26.	-do-	2428	-do-
27.	-do-	2443	-do-
28.	-do-	2446	-do-
29.	-do-	2488	-do-
30.	-do-	2549	-do-
31.	-do-	2573	-do-
32.	-do-	2578	-do-
33.	-do-	2580	-do-
34.	-do-	2600	-do-
35.	RJ-12P	0220	1994
36.	-do-	0221	-do-
37.	-do-	0226	-do-
38.	-do-	0227	-do-
39.	-do-	0228	-do-
40.	-do-	0229	-do-
41.	-do-	0231	-do-
42.	-do-	0232	-do-
43.	-do-	0233	-do-
44.	-do-	0235	-do-
45.	-do-	0236	-do-
46.	RJ-19-P	1991	1994
47.	RJ-18-P	0400	-do-
48.	RJ-06-P	0304	-do-
49.	RJ-06-P	0448	1995
50.	RJ-12-P	0283	-do-
51.	-do-	0284	-do-

क्र.सं.	वाहन	रजिस्ट्रेशन नम्बर	मॉडल
52.	Rj-14P	0287	1991
53.	-do-	0297	-do-
54.	-do-	0298	-do-
55.	-do-	0299	-do-
56.	-do-	0302	-do-
57.	-do-	0305	-do-
58.	-do-	0314	-do-
59.	-do-	0318	-do-
60.	-do-	0319	-do-
61.	-do-	0320	-do-
62.	-do-	0321	-do-
63.	-do-	0322	-do-
64.	-do-	0323	-do-
65.	-do-	0324	-do-
66.	-do-	0325	-do-
67.	-do-	0395	1996
68.	-do-	0406	-do-
69.	-do-	0408	-do-
70.	-do-	0411	-do-
71.	-do-	0413	-do-
72.	-do-	0414	-do-
73.	-do-	0518	1997
74.	-do-	0527	-do-
75.	-do-	0530	-do-
76.	-do-	0534	-do-
77.	-do-	0536	-do-
78.	-do-	0537	-do-

क्र.सं.	वाहन	रजिस्ट्रेशन नम्बर	मॉडल
79.	RJ-14P	0579	1991
80.	-do-	0582	-do-
81.	-do-	0583	-do-
82.	-do-	0584	-do-
83.	-do-	0588	-do-
84.	-do-	0589	-do-
85.	-do-	0720	1998
86.	-do-	0721	-do-
87.	-do-	0732	-do-
88.	-do-	0733	-do-
89.	-do-	0739	-do-
90.	-do-	0740	-do-
91.	-do-	0743	-do-
92.	-do-	0758	-do-
93.	-do-	0763	-do-
94.	-do-	0764	-do-

अनुबंधित वाहनों की सूची

क्र.सं.	वाहन रजिस्ट्रेशन नम्बर	मॉडल
1.	RJ-14-P 7550	1998
2.	RJ-14-P 4645	1994
3.	RJ-14-P 0797	1997
4.	RJ-14-P 0726	1998
5.	RJ-14-P 0727	1998

तहसील शेरगढ़ के अभावग्रस्त ग्राम

168. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) तहसील शेरगढ़ में कितने गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है ?

(2) उक्त गांवों में क्या-क्या कार्य शुरू किए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री खेतसिंह राठौड़)

(3) अभावग्रस्त गांवों में पीने के पानी की क्या व्यवस्था की गयी है ?

(4) उक्त गांवों की घोषणा कब की गयी और उन गांवों में कार्य कब प्रारम्भ किये गये हैं ?

(5) क्या इन गांवों में धान की भी कोई व्यवस्था की गयी है ?

उत्तर

(1) तहसील शेरगढ़ के 98 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) आवश्यकता होने पर टैंकरों द्वारा पीने के पानी की व्यवस्था की गयी।

(4) दिनांक 6.4.98 को ग्रामों को अभावग्रस्त करने की अधिसूचना जारी की गयी तथा अभावग्रस्त गांवों में दिनांक 25.5.98, 26.5.98, 1.6.98 एवं 29.6.98 को कार्य प्रारम्भ किये गये।

(5) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ही सामान्य प्रक्रिया से ही वितरण हुआ है।

संवत् 2054 में तहसील शेरगढ़ के अभावग्रस्त गांवों में राहत कार्यों की सूची

क्र.सं.	राहत कार्य का नाम
1	2
1.	पंचायत भवन गुमानसिंह पुरा की चारदीवारी निर्माण
2.	पंचायत भवन चाबा की चारदीवारी
3.	रा.प्रा.वि. भीमसागर एक हॉल मय बरामदा
4.	रा.प्रा.वि. गजसिंहपुरा में एक हॉल मय बरामदा
5.	रामावि सोमेसर एक हॉल मय बरामदा निर्माण
6.	उप स्वास्थ्य केन्द्र पुंगलिया की चारदीवारी निर्माण
7.	उप स्वास्थ्य केन्द्र कनोडिया महासिंग की चारदिवारी
8.	रा.प्रा.वि. मेघवालों की ढाणी कलाऊ की चारदिवारी
9.	शिक्षाक्रमी वि. आडागला (साई) की चारदिवारी निर्माण
10.	शिक्षाकर्मी वि. जबर का नाथ सुवालिया का एक हॉल मय बरामदा
11.	रा.प्रा.वि. नाथ की बेरी दासानिया में एक हॉल मय बरामदा
12.	रा.प्रा.बेरड़ों की ढाणी एक हॉल मय बरामदा निर्माण
13.	रा.प्रा.वि. भूगड़ारैला की चारदीवारी
14.	पशु चिकित्सालय, शेरगढ़ भेड़ एवं चारीदीवारी (अधूरे कार्य)

1	2
15.	राप्रावि. दासानिया एक हॉल मय बरामदा
16.	राप्रावि. अचलसिंह का बेरा धड़ा में दो हॉल मय बरामदा
17.	राप्रावि. रायसर की चारदिवारी
18.	राप्रावि. सावलों की ढाणी (चांदसमा) एक हॉल मय बरामदा
19.	पंचायत भवन देचू की चारदिवारी
20.	राउप्रा. गुमानपुरा की चारदिवारी
21.	रामावि. ढाढणिया सांसण में दो कमरा मय बरामदा निर्माण
22.	राप्रावि. टिकड़ों की ढाणी (अगोलाई) में एक हॉल मय बरामदा
23.	शिक्षाकर्मी वि. उदयपुर में एक कमरा मय बरामदा
24.	राप्रावि. ढाढणिया भायला में एक हॉल मय बरामदा
25.	शिक्षाकर्मी वि. नारायण नगर में एक हॉल मय बरामदा
26.	राउप्रा. वि. जुडिया में एक हॉल बरामदा
27.	राउप्रा. वि. बिलाकौर में एक हॉल मय बरामदा निर्माण
28.	राप्रावि. देवानिया में एक हॉल मय बरामदा
29.	राप्रा. ढाडिया में एक हॉल बरामदा
30.	राप्रावि. बाचों का बास में एक हॉल मय बरामदा
31.	राप्रावि. हटीधरो (गोगादेवगढ़) में एक हॉल मय बरामदा
32.	राप्रावि. लोड़ता अचलावत्ता में एक हॉल मय बरामदा निर्माण
33.	राशिक्रर्मी रावि का नाणी की ढाणी दासनियो में दो कमरा मय बरामदा निर्माण
34.	राशिप्रा. वि. खेतसिंह नगर चोरडिया में दो कमरा मय बरामदा
35.	राशिप्रावि. कंडेलों की ढाणी में दो कमरा मय बरामदा
36.	राशिप्रावि. धोलिया बाबा की बेरी चाबा में दो कमरा मय बरामदा
37.	राशिक प्रा. वि. चौहानों की ढाणी सुवालिया में दो कमरा मय बरामदा
38.	राशिक प्रावि. भवरानी खानिया गुमानपुरा में दो कमरा मय बरामदा
39.	राशि प्रावि मेघवालों की ढाणी सिहादा में दो कमरा मय बरामदा
40.	राशिक प्रावि. भीलों की ढाणी में गजसिंह पुरा में दो कमरा मय बरामदा

दुग्ध संघों का घी विक्रय प्रकरण

169. **श्री रामचन्द्र रावत** (कोटपूतली) : क्या दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) अजमेर, भीलवाड़ा एवं जयपुर जिला संघों के पास घी का कितना-कितना स्टॉक है ? क्या यह सही है कि उक्त डेयरियों में खराब घी नये पैक में भरकर बाजार में बेचा जा रहा है ?

(2) घी की समय पर बिक्री नहीं होने के लिए कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) अजमेर, भीलवाड़ा एवं जयपुर जिला दुग्ध संघों के पास घी का दिनांक 10.7.98 अन्तिम स्टॉक का विवरण निम्नानुसार है : -

अजमेर दुग्ध संघ	280 मै. टन
भीलवाड़ा दुग्ध संघ	152 मै. टन
जयपुर दुग्ध संघ	311 मै. टन

जी नहीं।

(2) घी की बिक्री समय पर की जा रही है, अतः किसी की जिम्मेदारी का प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय पक्षी विहार भरतपुर में आगजनी

170. **श्री आर.पी. शर्मा** (भरतपुर) एवं **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राष्ट्रीय पक्षी विहार भरतपुर में गत 5 वर्षों में कितनी बार आग लगी तथा आगजनी से कितना नुकसान हुआ ?

(2) क्या आग लगने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई जांच कराई है ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे और आग किन कारणों से लगी ?

(3) क्या सरकार ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम हेतु कारगर कदम उठाये हैं ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में गत 5 वर्षों की अवधि में (1993-94 से 1997-98) तक 19 बार आग लगी। इन सभी आग की घटनाओं में कुल 66.43 हैक्टेयर क्षेत्र में डाब, घास, सूखे पत्ते, झाड़ियां तथा गिरी सूखी लकड़ियों के जलने का नुकसान हुआ।

(2) प्रत्येक आग लगने की घटना की जांच स्थानीय अधिकारियों द्वारा की जाती है। आम तौर पर पर्यटकों, घास एकत्रित करने वालों एवं मछली पकड़ने वालों द्वारा जलती बीड़ी सिगरेट दियासलाई डालना तथा ग्रीष्म ऋतु में बाहरी समीपवर्ती क्षेत्र से आग की चिन्गारी हवा से क्षेत्र में आना आग लगने के प्रमुख कारण रहे हैं। जांच के आधार पर किसी भी घटना में किसी व्यक्ति विशेष के लिप्त होने की पुष्टि नहीं हुई है।

(3) आग की घटनाओं की रोकथाम हेतु उद्यान में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को

(राज्य मंत्री, वन)

धूम्रपान न करने की हिदायत दी जाती है। फायर लाइन बनाई जाती है, फायर वाचमैन तथा विशेष गश्तीदल कार्य करते हैं, पानी का टैंकर भरकर रखा जाता है तथा वायर लैस सैट्स के द्वारा संपूर्ण क्षेत्र से संपर्क बनाये रखा जाता है।

श्री गंगानगर की कच्ची बस्तियों का नियमन

171. **श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) :** क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार जिला श्री गंगानगर की कच्ची बस्तियों तथा कृषि भूमि पर बनी कॉलोनियों को स्लम स्कीम के अन्तर्गत लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त बस्तियों में पानी, बिजली तथा टेलीफोन कनेक्शन दिए हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पूर्व की भांति 5/- रुपये प्रतिवर्ग गज की दर से पट्टे जारी करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार शहर में रेड़ी, रिक्शा तथा मजदूरी करने वाले लोगों के रहने के लिए कोई कालोनी बसा कर उन्हें मकान देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर जिले की समस्त नगर परिषद/पालिकाओं को उनके क्षेत्र में स्थित 1981 की चिन्हित कच्ची बस्तियों के विकास के लिए केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय कच्ची बस्ती विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त सहायता में से धनराशि आबंटित की जा चुकी है। केन्द्र सरकार के उक्त कार्यक्रम में कच्ची बस्तियों के कृषि भूमि पर स्थित होने तथा अन्य भूमि पर होने का कोई विभाजन नहीं किया गया है। अभी तक इस योजना में वर्ष 1981 में चिन्हित कच्ची बस्तियां शामिल हैं।

(2) जी, हां। वर्ष 1981 में सर्वेक्षित कच्ची बस्तियों में पट्टे जारी करने के लिए राशि वसूली के निर्धारण हेतु राज्य सरकार द्वारा परिपत्र जारी किया हुआ है, जिसमें आवेदक की मासिक आय तथा भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर राशि वसूली का प्रावधान निहित है। इसलिए सरकार द्वारा पूर्व की भांति 5/- रुपये प्रति वर्ग गज की दर से पट्टे जारी करने के संबंध में पुनः विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

(3) जी, नहीं। क्योंकि सरकार को राज्य की नगरपालिकाओं/परिषदों/निगमों से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जोधपुर जिले की पंचायतों के विरुद्ध जांच प्रकरण

172. **श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) :** क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जिले में वर्तमान में

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

निर्वाचित किन-किन पंचायतों के विरुद्ध क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई हैं और किन-किन के द्वारा की गयी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन शिकायतों की जांच की जा रही है ? यदि हां, तो किस-किस के द्वारा कब कब से और इसके क्या-क्या परिणाम रहे ? क्या जांच में विलम्ब तो नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है।

(3) क्या ग्राम पंचायत रामदावास (पंचायत समिति भोपालगढ़) एवं पटेल नगर (पंचायत समिति बिलाड़ा) के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच की गयी है ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे ? दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में विलम्ब क्यों हो रहा है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) प्रश्न के भाग सं. 1 में संलग्न सूची में कालम संख्या 1 से कालम संख्या 8 तक सम्पूर्ण सूचना अंकित है।

(3) (I) जी, हां। ग्राम पंचायत, रामडावास पंचायत समिति, भोपालगढ़ में दोषी सरपंच के विरुद्ध पुलिस में एफ.आई.आर दर्ज कराई गई है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी से आरोप पत्र चाहा गया है।

(II) सरपंच ग्राम पंचायत, पटेलनगर से आरोपों का स्पष्टीकरण चाहा गया है। स्पष्टीकरण प्राप्त होते ही नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

भिवाड़ी-करौली मार्ग पर शराब की अवैध दुकानें

173. **श्री हरिसिंह** (महुवा) : क्या उप मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर एवं स्टेट हाईवे नं. 22 भिवाड़ी करौली के बसे कुछ कस्बे एवं गांवों में देश में निर्मित विदेशी शराब एवं देशी शराब की अधिकृत दुकानें स्वीकृत कर रखी है ? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर मुख्य दुकाने एवं किस-किस स्थान पर उनकी सहायक दुकानें स्वीकृत की गयी हैं ? ऐसी दुकानें कब-कब स्वीकृत की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि शराब के ठेकेदारों ने सरकारी नियमों की अवहेलना करके नेशनल हाइवे पर अपेक्षित दूरी से कम दूरी पर दुकानें खोल रखी है ? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर नियमों की अवहेलना कर स्वीकृति प्रदान किये जाने का क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि आबकारी

(श्री हरिसिंह)

विभाग द्वारा शराब की बिक्री संबंधी विज्ञापन एवं होर्डिंग्स लगाये जाने पर रोक लगा रखी है ? यदि हां, तो क्या नियमों की अवहेलना कर ठेकेदारों ने सूचियां एवं होर्डिंग्स लगा रखे हैं ? क्या सरकार निर्देशों की अनुपालना करवाये जाने में विफल रहे जिला आबकारी अधिकारियों एवं ठेकेदारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या 11 एवं स्टेट हाईवे नं. 22 भिवाड़ी करौली मार्ग पर नियमों में शिथिलता देते हुए अधिकृत दुकानें स्वीकृत कर रखी हैं। दुकानें निम्नानुसार हैं : -

1.	देशी मदिरा दुकान	भिन्डूसी
2.	""	मटिला
3.	""	बलियावास
4.	""	टपूकडाबाईपास
5.	""	चिकानी
6.	""	किथूर
7.	""	पाटोली
8.	""	फेलीकापुरा

(2) जी, नहीं। नियमों की अवहेलना कर कोई दुकान स्वीकृत नहीं की गयी है।

(3) जी, हां। विभाग द्वारा शराब की बिक्री हेतु विज्ञापन एवं होर्डिंग्स लगाने हेतु रोक लगा रखी है। नियमों अवहेलना कर विज्ञापन, सूचियां एवं होर्डिंग्स लगने बाबत कोई अवहेलन पायीं गयी तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

तहसील मुख्यालय डेगाना हेतु निगम बस सेवा

174. **श्री रिछपाल सिंह (डेगाना)** : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में तहसील मुख्यालय होते हुए भी अभी तक निगम की कोई बस का संचालन नागौर आगार द्वारा नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्राइवेट बस मालिकों द्वारा उक्त क्षेत्र के यात्रियों को बेहतर परिवहन सेवाएं नहीं दी जा रही है तथा परेशान किया जा रहा है ? क्या निगम अपनी बसें इस क्षेत्र में संचालित करने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) डेगाना से 15 विभिन्न मार्गों की 79 बसों की 78 सेवाएं संचालित हैं। यात्रियों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध न कराने के संबंध में एक शिकायत विचाराधीन है, जिसकी जांच करवायी जा रही है।

(राज्य मंत्री, यातायात)

जहां तक इस क्षेत्र में निगम वाहन संचालन का प्रश्न है, नागौर से डेगाना वाया रोल-तरनाउ-सांजू होते हुए वाहन संचालन दिनांक 16-7-98 से प्रारम्भ कर दिया गया है।

कुशलगढ़ के विकास कार्यों का शिकायत प्रकरण

175. **श्री पूंजालाल** (बागीडोरा) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वन मण्डल बांसवाड़ा की रेंज कुशलगढ़ में कराये गये विकास कार्यों के संबंध में कोई शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

(2) क्या उक्त शिकायतों की जांच के समय शिकायतकर्ता को भी स्थिति स्पष्ट करने हेतु बुलाया गया ? यदि हां, तो किस-किस को और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। वन मण्डल, बांसवाड़ा की रेंज कुशलगढ़ तथा अरावली वृक्षारोपण परियोजना वन मण्डल बांसवाड़ा की रेंज कुशलगढ़ में कराये गये वन विकास कार्यों के सम्बन्ध में एक-एक शिकायत प्राप्त हुई है। वन मण्डल, बांसवाड़ा की रेंज कुशलगढ़ के वन विकास कार्यों के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच कराये जाने पर शिकायत में वर्णित तथ्य निराधार पाये गये। अरावली वृक्षारोपण परियोजना वन मण्डल, बांसवाड़ा की रेंज कुशलगढ़ के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच विचाराधीन है।

(2) वन मण्डल, बांसवाड़ा की रेंज कुशलगढ़ से सम्बन्धित शिकायत की जांच के समय शिकायतकर्ता श्री कोदर लाल लबाना को बुलाया गया। अरावली वृक्षारोपण परियोजना, वनमण्डल, बांसवाड़ा की रेंज कुशलगढ़ के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत की जांच विचाराधीन है।

परिशिष्ट - 2

(अतारांकित प्रश्न संख्या -188 की प्रति)

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक पं. 13 (48) एमई/ग्रुप-1/97

जयपुर, दिनांक 20.02.98

समस्त प्रधानाचार्य,

मेडिकल कॉलेज,

राजस्थान।

विषय : सेवानिवृत्त कर्मचारियों (पेंशनर्सों) के एन्जियोग्राफी परीक्षण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, राज. स्टेट पेंशनर्स मेडिकल कन्सेशन स्कीम (निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स वैल्फेयर) राज. जयपुर के पत्र क्रमांक एफ. 50/पी.एम.एफ/94/1392 दिनांक 26.7.97

तथा एफ. 95/पी.एम.एफ/97/1604 दिनांक 12.9.97 की प्रतियां संलग्न कर निदेशानुसार लेख है कि इन पत्रों में उल्लेखित व्यवस्था की अनुपालना सुनिश्चित करायें। कृपया की गयी कार्यवाही से इस विभाग को भी अवगत करावें।

संलग्न : दो

भवदीय

उप शासन सचिव

परिशिष्ट - 3

(अतारांकित प्रश्न संख्या-189 की प्रति)

GOVRNMENT OF RAJASTHAN

FINANCE DEPARTMENT

(RULES DIVISION)

ORDER

No. F 1(5) FD (Rules)/98 Jaipur, dated May 12, 1998

Subject : Scheme for grant of Medical Concession to State Government Pensioners.

The Government has been pleased to make the following amendments in the Rajasthan State Pensioners Medical Concession Scheme, Namely -

in the said scheme -

(i) the existing words and figures " Rs. 1,500/-" in item (i) of the 'Clarification' appearing below sub-para (6) of para 4 (ii), shall be substituted by the words and figures "Rs. 2000/-"

(ii) the existing words and figures "Rs. 1,500/-" and Rs. 8,500/-" in item (ii) of the 'Clarification' appearing below sub-para (6) of para 4 (ii), shall be substituted by the words and figures "Rs. 2,000/-" and "Rs. 8,000/-" respectively.

(iii) after existing item (iii) of the 'Clarification' appearing below para 4, the following proviso shall be inserted, namely-

"Provided that the District Collector may permit medicines costing above Rs. 10,000/- but upto Rs. 12,500/- in a year in special cases subject to the condition of obtaining ex-post-facto approval of the Sub-committee".

(iv) After existing sub-para (7) of para 4 (ii), the following new sub-para (8) shall be inserted namely-

"(8) In case of indoor treatment if it is certified by the authorised medical attendant that

prescribed medicines are not available/stocked in the hospital, the same also be permitted to the pensioner on the pensioner's medical diary."

(v) the existing words and figures "@ 80% of hospital expenditure or Rs. 50,000/- whichever is less" appearing in sub-para (1) of para 4A, shall be substituted by the words and figures" @ 80% of hospital expenditure of Rs. 1.20 lacs whichever is less."

(vi) after para 4C, the following new para 4 D shall be inserted, namely -

" 4 D (i) In cases where pensioner is residing in a remote area where adequate medical facility of free medicines is not available, such a pensioner shall have an option either to continue to avail medical facility on the basis of diary or in lieu of it he may get fixed midical allowance of Rs. 100/- per month for outdoor treatment. The payment shall be made by the Treasury Officer or Sub-Treasury Officer by making entry in the pernsioner's medical diary.

(ii) For the aforesaid purpose a 'remote area' will be declared by the respective District Collector considering that within a sphere of 10 kms from the place of residence (village). there is no authoresed medical shop for pensioners.

(vii) At the end of existing para 11, the following new para 11 A and 11 B shall be inserted, namely :-

" 11A. Issuance of non-availability certificate to the pensioners in respect of medicines not available at cooperative medical shop.

(i) In case the medicines prescribed by the Authorised Medical Attendant in the medical diary of the pensioner are not available with the cooperative medical shop, the incharge of the shop shall issue a non-availability certificate to the pensioner.

(ii) The respective cooperative institution will authorise private shops for

making available medicines without charging any amount from the pensioners on production of non-availability certificate issued by the cooperative medical shop.

(iii) The authorised private shop-keeper will claim charges of the medicines made available by him free of cost to the pensioner on the basis of NAC issued by the coopertive medical shop. There shall be an arragnement between the authorised private shop keeper and the respective cooperative institution for payment of the cost of medicines supplied free of cost to the pensioner on production of NAC.

(iv) The cooperative institution shall claim reimbursement from the Rajasthan Pensioners Medical Fund of the cost of medicines supplied by the coopertive medical shop including cost of medicine supplied by the authorised private medical shop form the concerned District Collector who shall make payment after usual scrutiny.

Note :- Cooperative medical shop means shops run by :-

1. Rajasthan Sahakari Upbhokta Sangh.

2. Upbhokta wholesale Bhandar.

3. Kraya-Vikraya Sahakari Samiti.

"11B (i) The pensioner/family pensioner shall have an option either to avail himself of medical facility under Allopathic or Ayurvidec or Homeopathic system of treatment under the Scheme. The pensioner shall be required to exercise his/her option for Ayurved or Homeopathy in writing otherwise it will be deemed that he/she has opted for treatment under Allopathy.

(ii) For the purpose of treatment under Ayurved or Homeopathy, only such medicines shall be made available to the pensioners free of cost which are included in the list of reimbu rsable medicines (positive list) under the Rajasthan Civil Serv ices (Medical Attendance) Rules,

(341)

1970. The Authorised Medical Attendant shall be as per the Rajasthan Civil Services Medical Attendance Rurel, 1970. In cases where Cooperative Ayurvedic shopes are alre:dy functioning for Government Servants, these shops shall supply free medicines to persioners also, For supply of Ayurvedic or Homoeopathic medicines to pensioners, where there are no cooperative shops, respective Collectors shall authorised private shops for supply of free medicines to the pensioners.

These orders shall come into force with immediate effect.

By Order of the Governor,

(Dr. Adarsh Kishore)

Principal Secretary to the Government)

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या - 192 की सूची)

औद्योगिक क्षेत्र कुशलगढ़ में आबंटित भूखण्डों की सूची

क्र. सं.	इकाई का नाम	भूखण्ड सं.	आबंटन दिनांक	क्षेत्रफल	विशेष विवरण
1.	श्री मनोज कुमार जैन एण्ड कमलेश कुमार जैन	जी-1,2	6.11.96	2000 वर्ग.मी.	निर्माणाधीन
2.	मै. जैन मसाला उद्योग	जी-3	30.12.95	1000 " "	
3.	श्रीमती कमलेश	जी-4	19.3.98	1000 " "	
4.	मै. अम्बर इलैक्ट्रीकल्स	जी-6	24.9.84	1000 " "	उत्पादन के बाद बंद हो गई।
5.	मै. राजा पेंट्स	जी-7	24.9.93	1000 " "	निर्माणाधीन
6.	मै. पायोनीयर्स	जी-8	9.9.93	1000 " "	
7.	मै.चामण्डा पैल्डिग वर्क्स	जी-9	19.9.97	700 " "	
8.	मै. सैफी फ्लोर एण्ड सा मिल	एच-10	10.6.98	700 " "	निर्माणाधीन

342

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या - 200 की सूची)

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा नम्बर
1.	मनवा खेड़ा	27 से 29
2.	मनवा खेड़ा	861/3 से 2116
3.	मनवा खेड़ा	192, 200, 201
4.	मनवा खेड़ा	707
5.	मनवा खेड़ा	202
6.	पानेरिया की मादडी	897से899
7.	सवीना खेड़ा	37 से 39
8.	सवीना खेड़ा	44
9.	शहर	1335-36
10-10ए	आयड़(पाठो की मगरी)	2292 आदि
11.	आयड़(डोरे नगर)	2485-86
12.	पानेरियो की मादडी	1475, 1476
13.	पानेरियो की मादडी एवं शहर	43 से 55, 1163 से 1185, 1188/1156, 1189/1162
14.	शहर	1217,1563 से 1565,1567
15.	पानेरियो की मादडी	307/10(1105)
16.	पानेरियो की मादडी	307/8(331)
17.	सुन्दरवास	42
18.	सवीना खेड़ा	381 से 385,391,392
19.	पानेरियो की मादडी	851,852(1157)
20.	मनवा खेड़ा	697 नये 1470,1472 से1474

(अतारांकित प्रश्न संख्या 204 का विवरण)

विधान सभा क्षेत्र मकराना में वर्ष 1995 से जून 98 तक स्वीकृत नलकूपों का विवरण

क्र.सं.	ग्राम/ढाणी का नाम	स्वीकृति वर्ष	तहसील	स्वीकृत नलकूप की संख्या	सफल/असफल	पानी की गुणवत्ता	असफल नलकूप की जगह प्रस्ताव
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	धांधन्ता	1994-95	मकराना	1	असफल(सूखा)	-	भूजल वैज्ञानिक से नये जलस्रोत हेतु राय प्राप्त की जा रही है तत्पश्चात् राय के अनुसार नया नलकूप निर्मित किया जायेगा।
2	सरगोठ	1994-95	नावां	2	सफल	विभागीय मापदण्डों के अनुरूप	नलकूप चालू कर दिये गये।
3.	मिठड़ी	1994-95	" "	1	सफल	" "	" "
4.	ठठाना	1994-95	" "	1	सफल	" "	" "
5.	रसाल	1994-95	" "	1	सफल	" "	" "
6.	जिलिया	1994-95	" "	1	सफल	" "	" "
7.	रूपपुरा	1995-96	" "	1	सफल	" "	" "
8.	नगवाड़ा	1995-96	मकराना	1	सफल	" "	" "

343

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
9.	जुसरी	1995-96	मकराना	2	सफल	विभागीय माप दण्डों के अनुरूप	" "
10.	जुसरिया	1995-96	" "	1	सफल	" "	" "
11	भिवावा	1995-96	" "	1	असफल	" "	नलकूप में पानी की आवक कम होने के कारण असफल है। अतःखुला कुआं चालू करने हेतु विद्युत कनेक्शन का आवेदन किया गया है। शीघ्र ही कुआं चालू करने के प्रयास जारी हैं।
12.	रायथलिया	1995-96	" "	1	सफल	" "	नलकूप चालू कर दिये गये।
13.	परनावडा	1995-96	" "	1	सफल	विभागीय मापदण्डों के अनुरूप	" "
14.	झाडवाडी	1995-96	" "	1	सफल	" "	" "
15.	कवोलया	1995-96	" "	1	सफल	" "	" "
16.	कांसिया बेरा की ढाणी	1995-96	मकराना	1	असफल(सूखा)		भूजल वैज्ञानिक से नये जलस्रोत हेतु राय प्राप्त की जा रही है तत्पश्चात् राय के अनुसार नया

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
							नलकूप निर्मित किया जायेगा।
17.	खारडिया	1995-96	मकराना	1	असफल		स्थानीय कुआं चालू कर दिया गया है।
18.	गुणावती	" "	" "	1	असफल (कम पानी)	-	भूजल वैज्ञानिक से नये जलस्रोत हेतु राय प्राप्त की जा रही है तत्पश्चात् राय के अनुसार नया नलकूप निर्मित किया जायेगा।
19.	बुडसू	" "	" "	1	सफल	-	नलकूप चालू कर दिया गया।
20.	बिणजारी	1996-97	" "	1	सफल	" "	" "
21.	भलमलिया	" "	" "	1	सफल	" "	" "
22.	जिवादिया(बांसडा)	" "	" "	1	(खोदा जाना शेष है)	" "	स्थानीय खुला कूआं चालू कर दिया है नलकूप निर्माण आवश्यक नहीं है।
23.	मांगलवा	1997-98	" "	1	सफल	-	नलकूप चालू कर दिया गया।
24.	कालवा बड़ा	" "	" "	2	एक सफल	-	भूजल वैज्ञानिक से नयेजल स्रोत

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
							हेतु राय प्राप्त की जा रही है तत्पश्चात् राय के अनुसार नया नलकूप निर्मित किया जावेगा।
25.	मनानी	1997-98	मकराना	1	असफल	-	-“”-
26.	बिल्लू	“ ”	“ ”	2	एक सफल	-	एक अन्य खोदा जाना है। 3/99 तक खोदा जाना प्रस्तावित है व चालू कर दिया जायेगा।
27.	बुडसू	“ ”	“ ”	1	सफल	-	नलकूप चालू कर दिया गया।
28.	आसरवा(नगवाडाखुर्द)	“ ”	“ ”	1	खोदा जाना शेष	-	3/99 तक खोदा जाकर चालू करना प्रस्तावित है।

347

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न सं. 205 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में नकारा हैण्ड पम्पों की सूची

(परिशिष्ट - क)

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	नकारा है. पं. की सं.	नकारा है.पं.के विरूद्ध लगाये गये है.पं.की संख्या
1.	2.	3.	4.	5.
1.	मोठूका	99	4	1
2.	कांथली	100	4	-
3.	रामपुरा	101	2	-
4.	खुर्दिया	102	3	-
5.	ढाणी अहिरान	104	3	-
6.	हरीपुरा	105	4	-
7.	रामसिंहपुरा	107	6	1
8.	बेगा की नांगल	108	3	-
9.	झामावास	109	2	-
10.	बल्लुपुरा	110	4	1
11.	छाजा की नांगल	111	1	-
12.	बोपिया	112	2	-
13.	हसामपुर	113	4	-
14.	उदयसिंपुरा	116	1	-
15.	भण्डाला	117	3	-
16.	कोला की नांगल	118	2	-
17.	काचरडा	119	7	1
18.	घासीपुरा	122	1	-
19.	रैया की बास	123	3	-
20.	काला खेड़ा	127	1	1

348

1.	2.	3.	4.	5.
21.	गाडराटा	128	2	-
22.	लादी का बास	129	5	-
23.	कुण्डाला	130	2	1
24.	जैतपुरा	131	1	-
25.	टोडा	132	3	1
26.	लुहारवास	134	1	-
27.	गांवली	36	5	3
28.	बिहारीपुर	37	1	1
29.	डाबला	38	4	1
30.	कंवर की नांगल	39	2	-
31.	सालोदडा	40	3	1
32.	बिहार	42	4	-
33.	दरीबा	85	2	-
34.	मोकलवास	86	1	-
35.	झरिण्डा	84	1	1
36.	दीपावास	82	3	-
37.	मोकलवास झरिण्डा	83	4	-
38.	खड़गबीजपुर	60	1	-
39.	पाटन	52	3	-
40.	महावा	55	2	1
41.	किशोरपुरा	51	3	1
42.	श्यामपुरा	46	1	-
43.	रामसिंह की ढाणी	47	1	-
44.	खोरी	50	2	1
45.	करबो	94	3	1
46.	मोहनपुरा	93	4	-
47.	राजपुरा	92	4	-
48.	घाघेला	91	3	1
49.	न्यौराना	90	6	-
50.	रायपुर पाटन	89	1	-

1.	2.	3.	4.	5.
51.	मोकलवास दरीबा	86	1	-
52.	दलपतपुरा	98	8	-
53.	मीणा की नांगल	97	1	-
54.	पांचू खरकडा	96	5	1
55.	पुराना बास	14	5	1
56.	कोटडा	17	1	1
57.	मण्डोली	19	1	-
58.	लाख का नांगल	30	1	-
59.	जीलो	34	4	-
60.	नीमकाथाना (ग्राव)	66	4	-
61.	रामल्यावास	133	1	-
62.	सिरोही	12	9	-
63.	राणासर	13	4	-
64.	खादरा	61	3	-
65.	गुवार	63	1	-
66.	घाटा गुवार	81	6	-
67.	लादिया	76	1	-
68.	भोजमैड	80	3	-
69.	सैदाला भगवानपुरा	78	2	-
70.	सांवलपुरा(तवंरान)	136	3	-
71.	किशनपुरा	135	3	-
72.	अजमेरी	143	1	-
73.	किशोरपुरा	145	9	-
74.	खटखड	144	6	-
75.	टटेरा	146	3	-
76.	रायपुर जागीर	143	3	-
77.	पीथलपुर	139	1	-

350.

1.	2.	3.	4.	5.
78.	ब्यौर	140	1	-
79.	सांवलपुरा(शेखपतान)	141	2	-
80.	झिराना	69	3	-
81.	कुरबडा	67	2	-
82.	बरसिंहवास	65	1	-
83.	चक मण्डोली	21	2	-
84.	नापावाली	24	1	-
85.	माकडी	22	1	-
86.	श्यामावाली	23	1	-
87.	मावण्डा खुर्द	25	4	1
88.	मावण्डा(आर.एस.)	26	2	-
89.	रूपावास	27	4	-
90.	मावण्डा कलां	54	5	-
91.	रामनगर	32	1	-
92	नाथा की नांगल	29	2	-
93.	झालरा	31	2	-
94.	दयाल की नांगल	35	5	-
95.	गोडावास	57	6	-
96.	चूंडला	137	3	-
97.	गणेश्वर	64	8	-
98.	चीपलाटा	77	4	-
99.	सकराय	79	3	-
100.	गांवडी	62	4	-
101.	आगवाडी	67	2	-
102.	भूदोली	70	1	-
103.	कुण्डाला	130	2	1
104.	जुगलपुरा	138	1	-

1.	2.	3.	4.	5.
105.	भगेश्वर	59	1	-
106.	डोकन	53	1	-
107.	नीमकाथाना(शहर)	(शहर)	3	-
108.	चक कोला की नांगल	118	2	-
	योग	308	24	

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या -207 का विवरण)

परिशिष्ट-"क"

1 जनवरी, 1997 से जून, 1998 तक स्वीकृत हैण्ड पम्प का विवरण

तहसील लालसोट

क्र.सं.	गांव का नाम/स्थान		स्वीकृति क्रमांक दिनांक	कार्यकी वर्तमान स्थिति	विशेष वि
1.	रानोली	गांव के अन्दर	3449/1.3.97	चालू कर दिया गया	-
2.	श्यामपुरा	गांव के अन्दर	3450/1.3.97	" "	-
3.	दौसाडा	गांव के अन्दर	3451/1.3.97	" "	-
4.	गडलाई	गांव के अन्दर खुम्हार बस्ती	3472/1.3.97	" "	
5.	डाबर कलां	गांव के अन्दर	3474/1.3.97	" "	
6.	बाडा	गांव के अन्दर	3473/1.3.97	" "	आवश्यकता नहीं है। पुराना हैण्ड पम्प को चालू कर दिया गया है।
7.	गूजरहेडा	गांव के अन्दर	3475/1.3.97	" "	-

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-213 का विवरण)

जिला नागौर में वन भूमि का तहसीलवार विवरण

क्र.सं.	नाम तहसील	वन भूमि (हैक्टेयर्स में)
1.	मेड़ता	70.22
2.	डेगाना	115.00
3.	लाडनूं	546.72
4.	डीडवाना	151.71
5.	नागौर	1807.76
6.	जायल	313.36
7.	नावां	10262.40
8.	परबतसर	10319.85
		23593.02

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-217 का विवरण)

कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, टौंक

क्रमांक प. 13 जरोयी रक्षित/96-97/592 दिनांक 20-6-96

कार्यालय-आदेश

शासन सचिव, वि.ग्रो.एंव एग्राविविभाग, राज.-जयपुर के आदेश क्रमांक 13293-365 दिनांक 23.6.94 के द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसरण में विकास अधिकार पंचायत समिति, टोडारायसिंह के पत्रांक स्पे-1 दिनांक 15.5.96, 6533 दि30.5.96, मालपुरा के पत्रांक : 137 दिनांक 13.5.96, 143 दि. 21.5.96, देवली के पत्रांक : 308 दि. 22.5.96, निवाई के पत्रांक 243 दिनांक 22.5.96, टोंक के पत्रांक : 4090 दि. 15.5.96, अलीगढ़ के पत्रांक : स्पे-2 दिनांक 16.5.96 एवं स्पे-3 दि. 16.5.96 द्वारा प्राप्त प्रस्तावों एवं की गई अनुशंषा के आधार पर जे.आर.वाई. रक्षित राशि योजनान्तर्गत निम्न कार्यों के क्रियान्वयन करवाये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

(लाख रु.)

क्र.सं.	कार्य का नाम एवं ग्राम	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	अनुमानित लागत
1.	राउप्रावि. दो हाल एवं बरामदा, खोलनिया	खोलिनया	अलीगढ़	1.65
2.	राउप्रावि. दो हाल एवं बरामदा बिन्जारी	बन्जारी	"	1.40
3.	खरन्जा, पट्टी-फर्शी एवं नाली निर्माण गोविंददेवजी के मन्दिर से स्कूल वाले रास्ते में सुरेली	सुरेली	"	1.45
4.	खरन्जा एवं नाली निर्माण, चौहानों का मोहल्ला चौरू	चौरू	"	1.40
5.	आयुर्वेदिक औषधालय भवन आमली	आमली	"	1.25
6.	खरन्जा पट्टी-फर्शी एवं नाली निर्माण मन्दिर से पंचायत भवन तक, पाटोली	पाटोली	"	1.50
7.	खरन्जा, सीमेन्ट कंकरीक एवं नाली निर्माण मुख्य बाजार, ककोड़	ककोड़	"	1.45
8.	राप्रावि. खेडीमानपुर एक कमरा बरामदा	बस्सी	निवाई	0.70
9.	-"- टोरडी एक कमरा बरामदा	बड़ागांव	निवाई	0.85
10.	-"- श्रीसरतपुरा एक कमरा बरामदा	सैदरिया	"	0.70
11.	-"- गंगपिरों एक कमरा	ललवाडी	"	0.60
12.	-"- अभयपुरा एक कमरा बरामदा	खाण्डवां	"	0.70
13.	-"- भगवानपुरा एक कमरा बरामदा	ढाणी जुगलपुरा	"	0.85
14.	-"- धतूरी एक कमरा बरामदा	भैरथला	"	0.70
15.	राउप्रावि. दो कमरे निर्माण रजवास	रजवास	"	0.85
16.	-"- एक कमरा निर्माण गनसी	गनसी	"	0.60
17.	-"- एक कमरा निर्माण लुहारा	लुहारा	"	0.60
18.	-"- बिड़ौली एक कमरा बरामदा	बिड़ौली	"	0.85
19.	-"- (कन्या) वहड़ एक हाल बरामदा	बहड़	"	0.85
20.	मुख्य बाजार में खरन्जा निर्माण, झिलाय	झिलाय	"	0.50

355

1	2	3	4	5
21.	राप्रावि. बालापुरा में कमरा, बरामदा	बावडी	टोडा.	0.82
22.	राउप्रावि. गोपालपुरा कमरा, बरामदा	गोपालपुरा	"	0.82
23.	-"- बासखारोलान कमरा, बरामदा	हमीरपुर	"	0.82
24.	-"- लाम्बाकला कमरा, बरामदा	लाम्बाकला	"	0.82
25.	सार्व तालाब पर घाट निर्माण उनियाराखुर्द	उनियाराखुर्द	"	0.60
26.	काली डूंगरी बंधे के पास पुलिया निर्माण	मूण्डियाकलां	"	0.40
27.	नाली निर्माण, बगड़ी	बस्सी	"	0.50
28.	नाली व पुलिया निर्माण, रामपुरा	बोटून्दा	"	0.78
29.	सार्वजनिक कप पर खोल कोठा निमार्ण बासेड़ा	बासेड़ा	"	0.64
30.	यात्री प्रतीक्षालय निर्माण, कोटड़ी	कुहाड़ातुजुर्ग	"	1.00
31.	मुख्य सड़क से मन्दिर तक खरंजा, दावड़दूम्बा	दाबड़दूम्बा	"	0.80
32.	रघुनाथपुरा आबादी क्षेत्र में खरन्जा	खरेड़ी	"	0.50
33.	राप्रावि. में दो कमरा बरामदा, करीमपुरा	हाडीकलां	टौंक	1.66
34.	-"- एक कमरा निर्माण अल्लापुरा चाण्डोला	ताखोली	"	0.60
35.	-"- एक कमरा बरामदा निर्माण घांस	घांस	"	0.85
36.	-"- एक कमरा बरामदा झिराना	झिराना	"	0.85
37.	-"- (संस्कृत) एक कमरा बरामदा देवपुरा	पीपल	"	0.85
38.	-"- एक कमरा, बरामदा नयागांव रहीमपुरा	नानेरी	"	0.85
39.	रास्ता सुधार कार्य मय रिटेनिंग वाल निर्माण अलीमपुरा	लाम्बा	"	0.80
40.	कातला खरन्जा कार्य स्कूल से आगे महाजनों के मोहल्ले तक डारडातुर्की	डातुर्की	"	1.00
41.	नइ पालडी से पुरानी पालडी तक ग्रेवल सड़क मय कोस ड्रेनेज वर्क	डारडाहिंद	"	1.50
42.	धाकड़ो के मोहल्ले में नाली एंव कातला खरन्जा, बगड़ी	बगड़ी	"	1.11

(355)

1	2	3	4	5
43.	राप्रावि. राजपुरा में एक कमरा बरामदा	राजपुरा	मालपुरा	0.85
44.	राउप्रावि. रीण्डल्याबुजुर्ग एक कमरा बरामदा	रीण्डल्याबु.	"	0.85
45.	कहावा एक कमरा बरामदा	आंटोली	"	0.85
46.	खुर्रा निर्माण लाम्याजुनारदार	झाडली	"	0.75
47.	नाला निर्माण टोरडी	टोरडी	"	1.00
48.	मुख्य बाजार से सड़क निर्माण पचेवर	पचेवर	"	0.95
49.	मुख्य बाजार में सड़क निर्माण, कलमण्डा	केलमण्डा	"	0.95
50.	उप स्वा. केन्द्र भवन, गनवर	गनवर	"	1.00
51.	सार्व. तालाब विजयसागर की पाल, निर्माण डिग्गी		डिग्गी"	1.226
52.	सार्व. तालाब की पुख्ता पाल निर्माण, बावड़ी	सोडाबावड़ी	"	1.226
53.	राप्रावि. में एक हाल एक कमरा बराम. आविका नगर	चांदरोन	"	1.20
54.	-"- दो हाल, एक कमरा बरामदा बैरवा दोराई	सिंधीलिया	"	1.635
55.	-"- दो हाल एक कमरा बरामदा, द्वारिकापुरी उर्फ बदी	किरावल	"	1.635
56.	राप्रावि. नया गांव सुजरान एक कमरा बरामदा	कांखेली	"	0.85
57.	मालियों के दरवाजे से बावड़ी तक ग्रेवल सड़क व पुलिया निर्माण पनवाड़	पनवाड़	देवली	1.50
58.	माताजी की खल्ली पर पुलिया निर्माण निवारिया	निवारिया	"	1.50
59.	गजर मोहल्ला से पंचायत भवन होकर मीणा मोहल्ला तक खरन्जा निर्माण मालेड़ा	मालेड़ा	"	0.95
60.	वर्षाती पानी से बचाव हेतु आम बाजार में पक्का खरन्जा, रघुनाथपुरा	हिसामपुरा	"	1.00

1	2	3	4	5
61.	पक्का खरन्जा मय नाली निर्माण राजकोट	राजकोट	"	1.365
62.	जी.एल.आर.निर्माण आंवा	आंवा	"	1.30
63.	खरन्जा एवं रपट निर्माण ढाणी संग्रामपुरा	बीजवाड़	"	0.878
64.	खरन्जा निर्माण संग्रामपुरा	बड़ोली	"	0.90
65.	रा.उ.प्रा.वि. जूनिया में एक हाल निर्माण	जूनिया	"	0.589
योग	अक्षरे बासठ लाख सत्यानवें हजार चार सौ रु. मात्र			62.974

स्वीकृति की शर्ते निम्नानुसार रहेगी :-

1. जे.आर.वाई. रक्षित राशि योजनान्तर्गत कार्य एस.एस. ओ. के उपवर्णित निर्देशपत्र में दिये गये निर्देशानुसार/समय-समय/पर भारत/राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों एवं नवीनतम गाइड लाइन के अनुसार कराया जायेगा।
2. स्वीकृत कार्यों को 31 दिसम्बर, 97 तक पूर्ण करवाना होगा एवं कार्य समाप्ति के तत्काल बाद व्यय के लेखे (नियमावली के निर्देशानुसार) अभिकरण में भिजवाने होंगे।
3. इस योजना में करवाये जाने वाले कार्यों का लेखा-जोखा पृथक से संधारित किया जावेगा तथा प्रतिमाह किये गये व्यय का विवरण पूर्व में भेजे गये निर्धारित प्रारूप में प्रतिमाह की अन्तिम तारीख को प्रस्तुत करना होगा।
4. पक्का कार्यों पर श्रम-सामग्री का अनुपात 35:65 का रहेगा एवं कच्चे कार्यों पर 60:40 का रहेगा।
5. उक्त निर्माण कार्य ठेके पर नहीं करवाये जावे ।
6. कार्य स्वीकृत राशि की सीमा में पूर्ण करवाने होंगे, स्वीकृत राशि से अधिक व्यय किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा।
7. सक्षम तकनीकी अधिकारी के द्वारा तकनीकी स्वीकृति जारी करवाने के पश्चात् ही कार्य प्रारंभ करें, एस्टीमेट एवं तकनीकी स्वीकृति का एक-एक प्रति अभिकरण में भेजें अन्यथा किया जाने वाला व्यय मान्य नहीं होगा।
8. उक्त शर्तों के अनुरूप कार्य करवाने में सक्षम नहीं हो तो तत्काल अवगत करावें, एवं कार्य आरम्भ नहीं करावें।

ह.

अतिरिक्त कलक्टर विकास

टौंक

382

परिशिष्ट - 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या - 218 की सूचियां)

वर्ष 1996-97 में खोले गये प्राथमिक विद्यालय के नामों की पंचायत समितिवार सूची

नाम पंचायत समिति	स्वीकृत शाला का नाम
नादौती	1. जगन का पुरा
हिण्डौन	2. मेडे का पुरा
	3. नई बस्ती खेडली गूर्जर
	4. लोंगठी पुरा
सपोटरा	5. माडा गूर्जर
	6. कोडरी
	7. मिजोरा
करौली	8. जगतपुरा
	9. कोलीपुरा
टोडाभीम	10. बिचपुरी

वर्ष 1997-98 में खोले गये प्राथमिक विद्यालय के नामों की पंचायत समितिवार सूची

नाम पंचायत समिति	स्वीकृत शाला का नाम
नादौती	1. मिल्की का पुरा
	2. कैमा
हिण्डौन	3. शंकर का पुरा लहसोड़ा
	4. ताली का पुरा जाटव बस्ती सुरोठ
	5. बुर्जावाला कांचरोली
	6. कल्याणपुरा घोसला
सपोटरा	7. खूबपुरा एकट
	8. गढ़ी का गांव करणपुर
	9. डागड़ा हाडोती
करौली	10. पाटोरण
	11. फकीरपुरा पिपरानी
	12. बाबू का पुरा नारायणपुर
टोडाभीम	13. हररूप का बेड़ा

गत 5 वर्षों में (1993-94 से 1997-98 तक) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में खोले गये प्राथमिक विद्यालयों की वर्षवार सूची

नाम पंचायत समिति	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत शाला का नाम
नादोती	1993-94	1. नयापुरा
		2. नया बास
		3. खेड़ली
	1994-95	4. ककरा
		5. महता का पुरा
		6. इब्राहिमपुर
	1995-96	7. गड़खेड़ा
		8. केमरी
	1996-97	9. जगन का पुरा
	1997-98	10. मिल्की का पुरा
		11. कमां
टोडाभीम	1993-94	1. मोनापुरा
		2. रणमलपाड़ा
		3. नन्दपुरा
	1994-95	4. वालावास
		5. सरसेना
		6. पाडला जागीर
		7. फौजीपुरा
		8. ताजपुर
		9. चंदवाड़ा
		10. मकबरा
		11. कमाल परियों का पुरा
	1995-96	12. निसूरा
		13. कोलियों का पुरा
		14. झूत्या पुरा

नाम पंचायत समिति	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत शाला का नाम
		15. बोल
		16. भोलू की कोठी
		17. जाटव बस्ती बोल
	1996-97	18. बिचपुरी
		19. हररूप का बेड़ा

परिशिष्ट - 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या – 221 की सूची)

कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत करौली जिला करौली

क्रमांक/पसक/संस्थापन/98/ दिनांक 16-6-98

कार्यालय -आदेश

श्रीमान् उप शासन सचिव महोदय, (प्रशासन-2) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ. 26 (5) ग्राविप/ प्रशासन- 2/92/5999 दिनांक 12-11-97 की अनुपालना में इस पंचायत समिति के प्रधान महोदय की सहमति के अनुसार वर्तमान में" ग्राम पंचायतों में अपने अध्ययन कार्य के अतिरिक्त ग्राम पंचायत के सचिवों के पद पर कार्यरत अध्यापकों से ग्रुप सचिव का कार्य तुरन्त प्रभाव से वापस लेने के निमित उनको आवंटित पंचायतों का अतिरिक्त कार्य ग्राम सेवक एवं पदेन सचिवों का तत्काल प्रभाव से सौंपा जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि संबंधित अध्यापकगण अपनी-2 ग्राम पंचायतों का चार्ज उनके समक्ष अंकित ग्राम सेवक एवं पदेन सचिवों को 7 दिवस के अन्दर-2 सौंप कर चार्ज लिस्ट अनिवार्य रूप से पंचायत समिति कार्यालय में पेश करें। आदेशों की पालना नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है।

360

क्र.	नाम अध्यापक मय पदस्थापन विद्यालय	सौंपी गई पंचायतें	ग्रुप सचिव का नाम	आवंटित पंचायतें
1.	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा राजप्रावि. भड़क्या	जहांगीरपुर चैनरपुरबर्रि	श्री श्यामसुन्दर शर्मा	चैनरपुरबर्रि कुशीपुरा, जहांगीपुर वरीता
2.	श्री चतुर्भुज शर्मा क.शा. कलादेवा	लोहर्रा	श्री संजयकुमार जैन	लोहर्रा, चैनपुर (गा) खूबनगर, खोड़िया
3.	श्री सुरेश चन्द्र शर्मा प्रावि. लखनीपुर	सीलौती कंचनपुर	श्री छुट्टनलाल शर्मा	मांची सीलौती, कंचनपुर
4.	श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा राप्रावि. कसारा	मासलपुर, गुबरेड़ा	श्री रामजीलाल शर्मा	कोंडर, हरनगर, कोटाछा, मासलपुर गुबरेड़ा
5.	श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा प्रावि.गूलरचट्टा	रामपुर	राजेन्द्र सिंह जादौन	गरेंई, ससेड़ी, रामपुर, राजौर
6.	श्री कल्याण लाल मीना	गुनेसरा	श्री भंवरलाल शर्मा	बीजलपुर, गुनेसरा गुनेसरी
7.	श्री प्रदीप भारद्वाज राप्रावि. मेंगराखु	इन्हें ग्रा.पं. खेड़िया का चार्ज श्री संजय कुमार जैन को संभलाना है ।		
8.	श्री कपूर चन्द जैन सचिव, सिहौली अंतेला	श्री श्याम सुन्दर शर्मा से, सैएटा का चार्ज कपूर चन्द जैन को सम्भालना है ।		
9.	श्री लक्ष्मणसिंह को अब श्री कपूर के स्थान पर श्री श्यामसुन्दर शर्मा को परीता ग्रा. पं. का चार्ज संभालाना है।			

विकास अधिकारी

पंचायत समिति करौली

परिशिष्ट - 13

(विशेष उल्लेख की सूचनाएं जो सदन में पढ़ी हुई मानी गयी)

तिलहन मिलों को कृषि उपज मण्डियों में दुकानों का आवंटन

[श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर)]

महोदय, राजस्थान में हजारों तेल मिले हैं और राजस्थान में भारी मात्रा में सरसों, तिलहन इत्यादि की अच्छी पैदावार होती है लेकिन सरकार की नीतियों के कारण इस तिलहन का अधिकतर भाग राजस्थान से बाहर के प्रदेशों को निर्यात कर दिया जाता है जिससे यहां की मिलों को पर्याप्त तेल पिलाई का रोजगार नहीं मिल पाता जिसके कारण राजस्थान की हजारों तेल मिलें बन्द होने के कगार पर है। इस सब का मूल कारण बिचौलियों द्वारा राजस्थान में तेल मिलों को महंगा तिलहन उपलब्ध कराया जाता है। श्रीमान् शुरू में तिलहन किसान से कृषि उपज मण्डी में आता है जहां पर कृषि उपज मण्डी आदि के अनेक प्रकार के टैक्स इस पर लग जाते हैं और बिचौलियों का खर्चा भी इस पर लग जाता है जिसके कारण तिलहन मिलों को महंगा मिलता है जिसके कारण राजस्थान की मिलें काम्पीटीशन में नहीं टिक पाती है।

मेरा इस संदर्भ में निवेदन है कि तेल मिलों को कृषि उपज मण्डियों में तिलहन आदि की खरीद के लिये दुकानें उपलब्ध कराई जावें तथा राजस्थान से बाहर निर्यात की जाने वाली तिलहम, सरसों इत्यादि पर रोक लगाई जावे ताकि राजस्थान को मिलों को सस्ता तिलहन उपलब्ध हो सके और वे राजस्थान से बाहर काम्पीटीशिन के बाजार में तेल का निर्यात कर सके। साथ ही निवेदन है कि सरकार तेल मिलों की समस्याओं को देखते हुए टैक्स आदि में उचित परिवर्तन करे।

श्रीमान् उक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सदन में बोलने की अनुमति प्रदान करें।

मालपुर (डूंगरपुर) में अस्पताल हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

[श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)]

महोदय, डूंगरपुर नगरपालिका क्षेत्र में मालपुर गांव में नये अस्पताल के लिये जमीन अवाप्त की गई थी उसमें कई आदिवासी काश्तकार आ गये जिसमें खाते की जमीनें, मकानात कुएं आदि हैं। वर्ष 1994-95 में इन काश्तकारों ने अपनी जमीन का उचित मुआवजा लेने के लिये निवेदन किया था तथा मैंने भी विधान सभा में (इस समस्या को हल करने के लिये प्रश्न किया था) सरकार ने मुआवजा भी निर्धारित किया है लेकिन इस जमीन का जो मुआवजा तय किया है वह बहुत ही कम रेटों में किया गया है जबकि इस मौके की जमीन का बाजार भाव बहुत ही ज्यादा है। सरकार ने जो मुआवजा तय किया है वह नहीं के बराबर है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि मौके पर किसी कमेटी को भेजकर बाजार भाव के अनुसार मुआवजा तय किया जाये और अतिशीघ्र मुआवजे की रकम का पैमेन्ट किया जाए।

कुम्हेर स्थित स्टेट हाईवे पर बाईपास रोड

[श्री हरिसिंह (कुम्हेर)]

महोदय, भरतपुर से अलवर जाने वाले स्टेट हाईवे पर कुम्हेर कस्बा भरतपुर से 16 किलोमीटर दूर स्थित है और यह हाईवे कुम्हेर कस्बे के मध्य होकर गुजरता है। कस्बे के अन्दर सड़क के दोनों तरफ दुकानात बनी हुई है व रिहायशी मकान हैं। फल सब्जी वालों की ढकेल लगती है तथा बस स्टॉप भी कस्बे में इस सड़क के ठीक ऊपर है। बिजली का सब-स्टेशन भी है। इस कारण इस सड़क पर जो यातायात कस्बे में होकर गुजरता है वह घंटों तक रुका रहता है। न केवल अत्यधिक असुविधा यात्रियों को व वाहनों को गुजरने में होती है बल्कि दुर्घटनाएं भी घटित होती रहती हैं जिनमें जाने भी गई हैं।

इस समस्या के निराकरण हेतु कुम्हेर कस्बे के उक्त हाईवे पर बाई पास बनना निहायत

ही जरूरी है। कई वर्षों से इस बाई-पास निर्माण की मांग चली आ रही है किन्तु सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है।

अतः सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से आग्रह है कि शीघ्र ही कुम्हेर कस्बे के बाई-पास का निर्माण किया जावे।

पीपल्दा की गणेशगंज लिफ्ट स्कीम की बैड कटिंग व सफाई

[श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)]

महोदय, विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में जो राइट मेन कैनाल से गणेशगंज लिफ्ट निकाली गई है उसमें समय पर बैड कटिंग कार्य व सफाई बजट के अभाव में नहीं होने व आउटलेट(धोरे) नहीं बनने के कारण अन्तिम छोर पर पानी नहीं पहुंचने से फसल बरबाद हो जाती है।

इस वर्ष भी विभाग द्वारा इस लिफ्ट स्कीम पर किसी तरह की बैड कटिंग व सफाई नहीं करने से नहर की हालत खराब है व सितम्बर माह में पिछले वर्ष की तरह पानी अन्तिम छोर तक नहीं पहुंच सकता जिसके कारण किसानों की हालत खराब हो जायेगी तथा फसल बरबाद हो जायेगी।

अतः किसानों के हितों को मद्देनजर रखते हुए शीघ्र ही इस लिफ्ट स्कीम की सफाई व बैड कटिंग का कार्य करवाने का कष्ट करें।

डेगाना (नागौर) के कतिपय माध्यमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों की क्रमोन्नति

[श्री रिछपाल सिंह (डेगाना)]

महोदय, विधान सभा क्षेत्र डेगाना के अन्तर्गत 210 राजस्व ग्राम एवं करीब 300 ढाणियां एवं मगरे आते हैं परन्तु शिक्षा की दृष्टि से यह अत्यन्त पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। पूरे विधान सभा क्षेत्र में मात्र 55 उच्च प्राथमिक विद्यालय कार्यरत हैं जिनमें मात्र 8 कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय है जबकि कन्याओं की संख्या में पिछले 8 वर्षों में काफी बढोतरी हुई है। माध्यमिक विद्यालय की संख्या पूरे क्षेत्र में केवल 14 हैं जिनमें मात्र एक कन्या माध्यमिक विद्यालय कार्यरत है। प्राथमिक विद्यालयों की संख्या पूरे विधान सभा क्षेत्र में 161 है जबकि गांवों एवं ढाणियों की संख्या इसके अनुपात में अधिक है। पिछले 10 वर्षों में केवल 2 माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया तथा पिछले तीन चार वर्षों में एक भी उच्च प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत नहीं किया गया है जिससे विशेष तौर से बालिका शिक्षा पर अत्यन्त बुरा असर पड़ा है। 250 से अधिक जनसंख्या के अनेकों ग्राम और ढाणियां अभी तक विद्यालय विहीन है तथा 1963 से लेकर 1968 तक के करीब 8-10 उच्च प्राथमिक विद्यालय अभी तक क्रमोन्नत होने का इन्तजार कर रहे हैं जिनमें मुख्यतया निम्न उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रमुख है : -

(1) राउप्रावि. पालडी कलां वर्ष 1960 से कार्यरत है। ग्राम की जनसंख्या 9000 तथा छात्र-छात्राओं की संख्या 525 है।

(2) राउप्रावि.हिरणी ढाणी 1975 से कार्यरत है तथा छात्रों की संख्या 350 है।

(3) राउप्रावि.ढागीपुरा 1980 से कार्यरत है तथा छात्रों की जनसंख्या 350 है।

(4) राउप्रावि.भंवरला 1979 से कार्यरत है तथा छात्रों की संख्या 335 है।

(5) राउप्रावि. चुई, 1979 से कार्यरत है तथा छात्रों की संख्या 259 है।

इसी प्रकार रा.मा.वि. आलनियावास, वर्ष 1980 से कार्यरत है तथा छात्रों की संख्या 450 है। रा.मा.वि.डोडियाना, वर्ष 1977 से कार्यरत है तथा छात्रों की संख्या 350 है। रा.मा.वि.खूडीकलां 1982 से कार्यरत है रा.मा.वि.भेरून्दा वर्ष 1977 से कार्यरत है तथा छात्रों की संख्या 400 है। इन सभी कस्बों की आबादी 6000 से अधिक है।

आजादी के स्वर्ण जयन्ती वर्ष के समाप्त हो जाने और राजस्थान में सम्पूर्ण साक्षरता के संकल्प को मद्देनजर रखते हुए एवं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के सरकार के मानस को मद्देनजर रखते हुए मैं माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करता हूं कि वर्तमान शिक्षा सत्र 1998-99 में रा.उ.प्रा.वि. एवं रा.मा.वि.को क्रमोन्नत करने एवं नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलकर डेगाना विधान सभा भेज दे । गरीब ग्रामीण बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधा उपलब्ध करावें ।

जोधपुर शहर की सड़कों की दयनीय स्थिति

[श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)]

मान्यवर, जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र के कई इलाकों की सड़कों की हालत बिलकुल खस्ता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं नगर निगम की ओर से इन सड़कों को अनदेखा कर दिया गया है जिससे राहगीरों को बहुत परेशानी हो रही है। इन खराब सड़कों के कारण जोधपुर में आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

शहर की मुख्य सड़क जो पूरे शहर को जालौरी गेट से जोड़ती है, जगह-जगह पर खुदी पड़ी है। सीवरेज के नाम पर खोदी गई इस सड़क की वर्तमान में यह हालत है कि बड़े-बड़े पत्थर और मिट्टी मुख्य सड़क पर अस्त-व्यस्त पड़ी है। जालौरी गेट से मेहरानगढ़ दुर्ग को जोड़ने वाली यह सड़क शहर के लोगों के आवागमन की मुख्या सड़क है। शादियों के इस मौसम में आम-जनों को यहां अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर मानसून भी सर पर है। यदि समय रहते इस सड़क को ठीक नहीं किया गया तो साधारण सी वर्षा के पानी से ही पूरी सड़क के बह जाने की आशंका है।

इसी प्रकार का हाल शहर की अन्य सड़कों का भी है जिनमें मुख्य रूप से चान्दपोल-सिवांची गेट सड़क, सिवांची गेट-नृसिंहदड़ा सड़क, जालौरी गेट से सोजती गेट की नई सड़क शामिल है।

मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री एवं

स्थानीय निकाय मंत्री से मेरी ओर से निवेदन किया जाय कि जोधपुर शहर की इन सड़कों की स्थिति सुधारने हेतु युद्ध स्तर पर कार्यवाही की जाय जिससे आम नागरिकों को राहत मिल सके।

खण्डेला मोड़ पर 132 के.वी.ग्रिड स्टेशन की स्थापना

[श्री महादेव सिंह (खण्डेला)]

महोदय, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने खण्डेला मोड़ पर 132 के.वी. का ग्रिड स्टेशन स्थापित करने की स्वीकृति दी है किन्तु काफी समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भी अभी तक इसका कार्य चालू नहीं करवाया गया है। इससे यहां के आसपास के किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यदि खण्डेला मोड़ पर 132 के.वी. का ग्रिड स्टेशन बनता है तो इससे पी.पी.सी.एल. सलैदीपुरा की भी समस्या दूर हो जायेगी क्योंकि इसी लाइन से एक 33 के.वी. का ग्रिड स्टेशन सलैदीपुरा में बन सकेगा जिससे उन्होंने 1000 के.वी.ए. का जो विद्युत कनेक्शन लिया है जिसका न्यूनतम विद्युत खर्च 1,10,000 यूनिट होता है किन्तु बार-बार पावर कट के कारण विद्युत खर्च का उपभोग भी नहीं कर पाने से बहुत अधिक नुकसान होता है।

श्रीमान् बार-बार पावर कट के कारण सलैदीपुरा कारखाना चलाना मुश्किल हो गया है जिससे राष्ट्र की प्रगति में रुकावट पैदा होती है।

अतः मेरा आग्रह है कि खण्डेला मोड़ पर 132 के.वी. का ग्रिड सब स्टेशन कायम किया जाय एवं साथ ही इसमें से 33 के.वी. का एक ग्रिड सलैदीपुरा में लगा कर वहां पर ट्रांसफार्मर में ओ.सी.बी. लगवाई जाय ताकि रासायनिक खाद का कारखाना अबाध रूप से चल सके।

कृपया इस लोक महत्व के मामले में सर्वोच्च प्राथमिकता देकर तत्काल कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भरतपुर स्थित जनरल इंजीनियरिंग वर्क्स फैक्टरी के मालिकों द्वारा लॉक आउट

[श्री आर.पी.शर्मा (भरतपुर)]

मान्यवर, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय का उल्लेख करना चाहता हूं।

यह कि भरतपुर के स्थित जनरल इंजीनियरिंग वर्क्स फैक्टरी मालिकों ने 6 माह पूर्व से इस उद्योग को गैर कानूनी, अवैधानिक व नियम विरुद्ध लॉक आउट कर रखा है तथा मजदूरों की तनख्वाह का भी भुगतान नहीं किया गया है। इसका समझौता जो कि 1995 में समाप्त हो गया है उसके स्थान पर 1995 में ही नवीन समझौता होना था वह भी अभी तक नहीं किया गया है। उनके आश्रितों को जीवन निर्वाह करने में बहुत असुविधा हो रही है और भरतपुर शहर की शांति व्यवस्था बिगड़ रही है। उद्योग के मालिकों को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मजदूरों के खिलाफ बढ़ावा दिया जा रहा है तथा राजकीय संरक्षण दिया जा रहा है। अतः इस बात का विशेष उल्लेख कर सरकार से आग्रह है कि मजदूरों एवं भरतपुर के हितों हो ध्यान में रखकर इस उद्योग को शीघ्र ही चालू कराकर मजदूरों के वेतन का भुगतान करवाया जाये तथा समझौता कराकर उद्योग को चलाये जाने की कार्यवाही की जावे।

पीलवा (नागौर) उप तहसील में चिकित्सालय भवन हेतु भूमि का आवंटन

[श्री राकेश मेघवाल (परबतसर)]

महोदय, उप तहसील पीलवा (परबतसर) जिला नागौर का करीब पांच हजार की आबादी वाला पीलवा गांव है। इसके आस-पास में 50 किलोमीटर के घेरे में करीब 100 छोटे बड़े गांव हैं जिनकी आबादी 50-60 हजार है। इतनी बड़ी आबादी वाले गांव में कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण गांव वालों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। छोटी-मोटी बीमारी के लिये गांववासियों को अजमेर या परबतसर भागना पड़ता है जो करीब 50-60 किलोमीटर की दूरी पर है।

यह ऐरिया ग्रामीण क्षेत्र है तथा परबतसर विधान सभा क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्रामीण क्षेत्र है। इस क्षेत्र की अधिकांश आबादी गरीब किसानों व अनुसूचित जनजाति लोगों की है। यह चिकित्सालय नागौर जिले का सबसे बड़ा, सबसे पहले चिकित्सालय होगा। जो कि ट्रस्ट द्वारा बनाया जाएगा इससे पहले नागौर जिले में इतना बड़ा चिकित्सालय किसी अन्य ट्रस्टी द्वारा नहीं बनाया गया है। 3 करोड़ की लागत से चिकित्सालय बनवाने के लिए ट्रस्टी वचनबद्ध है। ट्रस्टी द्वारा 3 करोड़ बैंक में जमा करा दिया गया है।

ग्रामवासियों में नित्य प्रतिदिन की बीमारी की परेशानियों से तंग आकर इसी ग्राम में जन्मे एक बड़े दानदाता श्री प्रसन्न मल लोढा, जिन्होंने गांव में वेटरिनरी हॉस्पिटल कन्या मिडल स्कूल के भवन बनवाये हैं। गांव वालों की व्यथा समझाकर मेरे अनुरोध पर श्री प्रसन्न मल लोढा ने गांव पीलवा में एक बड़ा चिकित्सालय अपने नाम से "प्रसन्न चैरिटी" हॉस्पिटल खोलना स्वीकार कर लिया है। इस हॉस्पिटल में सभी प्रकार के रोगों के ईलाज के लिये विशेष प्रकार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। डाक्टर्स, नर्स तथा सहायक कर्मचारी भी विशेष तौर से प्रशिक्षण प्राप्त उपलब्ध होगें। सभी सुविधाएं ट्रस्ट द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। श्री प्रसन्न मल लोढा राजस्थान सरकार से विशाल हॉस्पिटल के लिये 50 बीघा जमीन चाहते है।

इस सम्बन्ध में पूर्व में माननीय मुख्य मंत्री महोदय, को 21.4.97 को तथा कई बार निवेदन किया जा चुका है। गांव के पास ही एक उबड़-खाबड़ ज़मीन खसरा नं. 533 करीब

50 बीघा बेकार पड़ी है इस पर कोई काबिज नहीं है। इस जमीन पर प्रसन्न चेरिटी ट्रस्ट हॉस्पिटल का नक्शा ग्राम पटवारी व तहसीलदार की रिपोर्ट्स पूर्व में माननीय मुख्य मंत्री जी को भिजवायी जा चुकी है। ट्रस्टीज सम्बन्धी कागजात भी सलंग्न थे। उप खण्ड अधिकारी, परबतसर जिला कलेक्टर, नागौर द्वारा भी इसकी अभिशंषा की गयी है। गांव पीलवा में निम्न कार्यालय स्थित है : -

(1) पंचायत मुख्यालय है (2) यह उप तहसील मुख्यालय है (3) थाना पीलवा है (4) स्वश्रीमती प्रसन्नलता लोढा राजकीय कन्या मिडल स्कूल है (5) राजकीय सैकेन्डरी विद्यालय है (6) अरावली वन क्षेत्र का कार्यालय स्थित है (7) राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्थित है (8) स्व. मोहब्बत मल लोढा राजकीय पशु चिकित्सालय स्थित है (9) कृषि पर्यवेक्षक का कार्यालय स्थित है (10) पोस्ट आफिस स्थित है एवं (11) ग्रामीण आंचलिक बैंक की शाखा स्थापित है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर राजस्थान प्रक्रिया के नियम 295 की ओर ध्यान आकर्षित कराकर अनुरोध है कि ग्राम पीलवा में चिकित्सालय भवन हेतु 50 बीघा का आवंटन शीघ्र ही आवंटित करवाया जावे ताकि चिकित्सा भवन का निर्माण शीघ्र ही कराया जा सके। राज्य सरकार की नीति के अनुरूप राजस्थान के ट्रस्टियों को प्रोत्साहित करें। चिकित्सा के क्षेत्र में यह एक विशाल चिकित्सालय निर्माण करवाना महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। चिकित्सालय निर्माण से 50-60 किलोमीटर क्षेत्र की जनता लाभान्वित होगी। शीघ्रताशीघ्र से प्रसन्न चैरिटी ट्रस्ट हॉस्पिटल को 50 बीघा भूमि आवंटित करवाया जावे।

जैतसीसर (सरदारशहर) रा.सी.सै.स्कूल में रिक्त पदों की पूर्ति

[श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर)]

महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली

370

के नियम 295 के तहत राजस्थान सरकार और शिक्षा मंत्री का ध्यान राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल, जैतसीसर (सरदारशहर) में काफी लम्बे समय से चल रहे रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं। वर्तमान में राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल, जैतसीसर में अध्यापकों/कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के 21 पद स्वीकृत है जिनमें से 14 पद रिक्त चल रहे हैं। इन रिक्त पदों का कारण भी वहां पर अध्यापकों/ कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं करना है। जैतसीसर का उक्त स्कूल बहुत पुराना स्कूल है और आसपास के ग्रामों से भी विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। एक तरफ तो सरकार शिक्षा के प्रसार की बातें करती है और हर साल बजट में शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च करती है और दूसरी तरफ स्वयं सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की स्कूलों में लम्बे समय से चल रहे रिक्त पदों को नहीं भरकर खुद ही शिक्षा के प्रसार में बाधा उत्पन्न करती है एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकता से वंचित करती है। यह एक अत्यन्त ही शर्मनाक स्थिति है। ग्रामीण क्षेत्रों की स्कूलों में इस प्रकार की स्थिति रहेगी तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और क्या हो सकती है।

अतः नियम 295 के तहत मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार और शिक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल, जैतसीसर (सरदारशहर) में काफी लम्बे समय से चल रहे अध्यापकों/कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के पदों को तुरन्त भरे जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पाठ्य पुस्तकें बदलने से कथित नुकसान

[श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम)]

महोदय, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा इस शिक्षा सत्र से पाठ्य पुस्तकें बदले जाने की कहावत दोधारी तलवार साबित हुई है, जिसने बोर्ड प्रशासन की नीति और नीयत दोनों को कटघरे में ला खड़ा किया है। अतार्किक निर्णय के कारण बोर्ड को परिवर्तित प्रक्रिया से अंदाजन बीस से पच्चीस लाख रुपये की सालाना चपत लगी है, वहीं विद्यार्थियों को भी पुस्तकें औसतन डेढ़ गुना कीमत पर उपलब्ध हो रही है।

भारतीय संस्कृति एवं परिवेश के अनुरूप पाठ्यक्रम का परचम लेकर बोर्ड ने विभिन्न विषयों में पुस्तकें बदली है। परिवर्तन प्रक्रिया और उसके क्रियान्वयन में जैसा आम सांस्कृतिक माहौल रहा, उसके चलते पाठ्यक्रम समितियों की बंदरबांट और चंद चेहेते प्रकाशकों को उपकृत करने के खिलाफ आवाजें मुख्य मंत्री तक पहुंचकर भी नक्कार खाने में तूती बनकर रह गयी। अब उसके कुछ और दुष्प्रभावों का खुलासा हुआ है। अधिकारिक सूत्र मान रहे है, उनके कर्णधारों ने अपनी सम्पादा निजी हाथों को सौंपकर आर्थिक दृष्टि से बोर्ड को बड़ा झटका दे डाला है। विडम्बना यह है कि बोर्ड अपनी करतूतों पर लोक लाज तक का निर्वहन कर पाने में नाकाम साबित हुआ है। कुछ विषयों में उसने बिना पाठ्यक्रम बदलाव के पुस्तकें बदल दी हैं। लेखकों ने बोर्ड प्रशासन को शिकायतें की तो उसने जवाब देने तक की नैतिकता नहीं निभाई।

अधिकारिक सूत्रों के अनुसार विगत सत्र तक बोर्ड पाठ्य पुस्तक स्वीकृति के लिए तीन माध्यम अपनाता रहा है। पहली प्रकार की राष्ट्रीयकृत पुस्तकें होती है। जिनकी तादाद मौजूदा सत्र में 33 है। इनका लेखन, प्रकाशन एवं वितरण का दायित्व बोर्ड निभाता है। दूसरी निविदा पुस्तकें होती है। इन पुस्तकों का लेखन बोर्ड द्वारा करवाया जाता है, लेकिन प्रकाशन एवं वितरण पंजीकृत प्रकाशकों को निविदा के आधार पर सौंपा जाता है। निविदा आधारित पुस्तकों की संख्या विगत गत वर्ष तक करीब सवा सौ थीं। तीसरी प्रकार की सबमिशन पुस्तकें हैं, जिनमें पुस्तक लेखन प्रकाशन वितरण सभी प्रकाशकों के भरोसे होता है। विगत सत्र में ऐसी पुस्तकें दो दर्जन थी। मौजूदा सत्र में बोर्ड ने कक्षा नौ व दस के आ भाषा विषयों तथा कक्षा ग्यारह, बारह के हिन्दी , अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, इतिहास, राजनीति विज्ञान, हिन्दी, संस्कृत साहित्य, लेखाशास्त्र एवं व्यावसायिक संगठन विषयों में राष्ट्रवाद का मुलम्मा चढ़ाने के नाम पर पाठ्यक्रम पर पाठ्य पुस्तकें बदल दी। विगत सत्र तक इन विषयों की किताबें निविदा आधारित होने के कारण बोर्ड की सम्पादा थी लेकिन मौजूदा सत्र के लिए सबमिशन को आधार बनाकर निजी हाथों में प्रकाशकों को सौंप दी।

अधिकारिक सत्र बताते हैं कि निविदा आधारित पुस्तकों पर बोर्ड को प्रकाशक पच्चीस

फीसदी रॉयल्टी अदा करते थे। बोर्ड इस रॉयल्टी को अदा करते थे। बोर्ड इस रॉयल्टी में से, प्रकाशक के 75 फीसदी हिस्से का तीन फीसदी अपने अनुबंधित लेखक को देता था। बिक्री हुई पुस्तकों की कुल राशि पर लेखक की राशि सवा दो फीसदी बैठती है। सबमिशन की नई व्यवस्था के अनुसार बोर्ड की सिर्फ दस फीसदी रॉयल्टी मिलेगी। सबमिशन के लिए बोर्ड की ओर से प्रकाशकों को पहली चिट्ठी गई थी। बोर्ड के दस्तावेजों के मुताबकि सत्र 1996-97 में उसे निजी प्रकाशकों से रायल्टी अथवा कमीशन के 42 लाख 61 हजार 372 रुपये की आय हुई थी। यह आय इस खुले तथ्य के बावजूद है कि अधिकांश प्रकाशक पुस्तकों की बिक्री संख्या सही प्रस्तुत नहीं करते है। विगत सत्र 1997-98 में बोर्ड ने रॉयल्टी के जरिए चालीस लाख रुपये की आय का अनुमान लगाया था। अधिकारिक सूत्र बताते है कि पुराने आय के आंकड़े के मद्देनजर मौजूदा सत्र की दस फीसदी रायल्टी से बोर्ड को बीस पच्चीस लाख रुपये की सीधी चपत लगेगी। कई विषयों में दो अथवा तीन पाठ्य पुस्तकें लगाने से बोर्ड पुस्तक बिक्री के आंकड़ों का सत्यापन तक नहीं कर पाएगा।

बोर्ड प्रशासन को इस बाबत शिकायती पत्र भी मिले लेकिन उसने अपनी करतूत के खुलासे के भय से कोई कार्यवाई नहीं की। कोढ में खाज यह है कि बोर्ड के कर्णधारों को संस्था का अहित करके चंद प्रकाशकों को फायदा पहुंचाने की स्वार्थी नीयत और नीति का खामियाजा विद्यार्थियों को भी भुगतान पड़ रहा है। लेखकों नें शिकायती चिठ्ठियों में बोर्ड द्वारा उनसे किए अनुबंध के उल्लंघन और रायल्टी के नुकसान पर ध्यानाकर्षित किया है। पाठ्यक्रम नहीं बदलने पर भी पुस्तकें बदल दिए जाने का खुलासा इस तथ्य से भी होता है कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को पुरानी ही पाठ्य पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी। बोर्ड अपनी कारस्तानी पर जवाब देने तक की स्थिति में नहीं है।

माही कमाण्ड क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

[श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा)]

मान्यवर, निवेदन है कि माही कमाण्ड क्षेत्र में माही परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि के

आवंटन एवं विक्रय नियम, 1984 के नियम 14 में किये गये प्रावधानुसार 1.5.98 से पूर्व के अतिक्रमण का बाजार दर पर नियमन करने का निर्णय हुआ है। सरकार द्वारा आवंटन दर एवं अतिक्रमणित भूमि के नियमन सम्बन्धी दरों में भारी अन्तर है यह सर्वविदित तथ्य है।

बांसवाड़ा जिला जनजाति बाहुल्य युक्त जिला है जहां पर अधिकांशतः आबादी कृषि पर निर्भर है और अधिकतर कृषक भूमिहीन होने से सरकारी भूमि पर कृषि कर रहे हैं। जिले में 20 हजार से अधिक अतिक्रमणकारियों ने 22 हजार एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। इनमें से आधे से ज्यादा अतिक्रमण 1.5.98 से पूर्व के है जिन्हें कानून के अनुसार नियमित करवाने पर जनजाति क्षेत्र के गरीब लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

मेरी मंशा अतिक्रमणकारियों का पक्ष लेने की नहीं है अपितु अतिक्रमित भूमि के नियमन संबंधी नियमों को कुछ शिथिल कर दिया जावे और आबंटन की दर पर ही अतिक्रमित भूमि के नियमन आदेश जारी किये जावे, तो जनजाति क्षेत्र के लोगों का भला हो सकता है। क्योंकि आवंटन की दर 250 से 600 रुपये प्रति बीघा है एवं अतिक्रमण को नियमित करने की दर दस हजार से अस्सी हजार रुपये के बीच है। ऐसी स्थिति में नियमानुसार नियमन करना जिले के निवासियों के लिये उचित नहीं होगा। इस मामले में जबरन नियमन करने के प्रयासों से जन आक्रोश बढ़ सकता है और सरकार ऐसे नियमन को बढ़ावा देने अभियान चलाने के पक्ष में है। अतः इस मामले में व्यावहारिक एवं जनहित का दृष्टिकोण अपनाते हुए आवंटन की दर पर ही नियमन करवाने के आदेश प्रसारित करवाने का कष्ट करें।

कृपया इस प्रकरण को गंभीरता से लेकर उचित निर्णय करें।

---

(374)

बिलाड़ा में बिजली की अव्यवस्था से ग्रामीणों को परेशानी

[श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा)]

महोदय, उपरोक्त विषय में लेख है कि जोधपुर जिले के बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति एवं वोल्टेज की कमी के कारण ग्रामीणों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में मेरी पूर्व मांग के अनुरूप पीपाड़ शहर में 132 के.वी. जी.एस.एस. की स्वीकृति विद्युत मण्डल ने जारी की परन्तु अभी तक उसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही कर निर्माण कार्य शुरू करवाएं। बिलाड़ा क्षेत्र के छापर, (जेलवा जेतीवास) में 33 के.वी. सब स्टेशन के निर्माण के सम्बन्ध में दूसरा बिजवाड़िया में 33 के.वी. सब-स्टेशन के निर्माण में, (3) ग्राम खांगटा में 33 के.वी. सब-स्टेशन के निर्माण के संबंध में विद्युत मण्डल को बारम्बार अनुरोध किया गया है। ग्राम शेखनगर पंचायत मदार की ढाणियों में जैसे अमलों की ढाणी आदि में वोल्टेज की भारी समस्या है इसमें सुधार के लिये अविलम्ब सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये।

आशा है इस सम्बन्ध में अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही कर आम जनता को इसका लाभ पहुंचाने का अनुरोध करता हूं।

शिवगंज में पैट्रोल पम्प नहीं होने से जनता को असुविधा

[श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही)]

महोदय, सिरोही जिले का शिवगंज नगर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर है। यह नगर सिरोही जिले का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है तथा शिवगंज कपड़े की सबसे बडी मण्डी के रूप में राजस्थान में विख्यात है। शिवगंज में कपड़े, मिठाई एवं दवाई को खरीद ने न केवल सिरोही जिले से बल्कि जालौर, पाली, जोधपुर, ब्यावर आदि दूर-दूर के शहरों के व्यापारी एवं जनता आती है।

इस सबके अलावा शिवगंज पंचायत समिति मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय होने के कारण तहसील भर की जनता एवं जनप्रतिनिधि भी अपनी समस्याएं लेकर आते रहते हैं।

ऐसे प्रमुख नगर में जिसकी आबादी 25 हजार से ज्यादा है। नगरपालिका एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र भी है परन्तु नेशनल हाईवे पर बसे इस नगर में एक भी पेट्रोल पम्प नहीं होने से यहां की जनता एवं यहां आने व जाने वाले लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार को अनुरोध है कि शिवगंज नगर में पेट्रोल पम्प खुलवाने हेतु शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जावे तथा केन्द्र सरकार को पुरजोर रूप में इसका औचित्य बताकर पेट्रोल पम्प खुलवाया जावे।

माण्डलगढ़ में महाविद्यालय की स्थापना

[श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी (माण्डलगढ़)]

महोदय, उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि माण्डलगढ़ उप खण्ड मुख्यालय है। तहसील मुख्यालय है उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय है माण्डलगढ़ क्षेत्र बहुत लम्बा चौड़ा क्षेत्र है इस क्षेत्र के छात्रों को पढ़ने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है कईयों को माण्डलगढ़ में उच्च शिक्षा की व्यवस्था न होने से पढ़ने से वंचित रहना पड़ता है इसके क्षेत्र में कई हायर सैकण्डरी स्कूल लगते है जिनके छात्रों को भी उच्च शिक्षा के लिए काफी दूर जाना पड़ता है जिससे उनको काफी खर्चा होता है।

आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हजारों छात्रों को उच्च शिक्षा का लाभ देने के लिए सरकार उप खण्ड कार्यालय माण्डलगढ़ स्थान पर कॉलेज खोलने की क्षेत्रवासियों की मांग को अविलम्ब पूरा करेगी।

---

(376)

केशवरायपाटन में निजी विद्युत इकाइयों की स्थापना हेतु निविदाओं की स्वीकृति

[श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी)]

महोदय, राजस्थान में विद्युत विभाग द्वारा निजी क्षेत्र में राजस्थान में विद्युत ईकाइयां स्थापित करने हेतु निविदाएं आमंत्रित की गयी है।

राजस्थान विद्युत मण्डल ने बूंदी जिले में केशवरायपाटन के लिये भी विद्युत इकाई लगें निविदाएं मांगी गयी परन्तु केशवरायपाटन की निविदाओं का अब तक क्या हुआ और कहां परेशानी आ रही है। इन परेशानियों को दूर कर इकाई कब तक लगा दी जायेगी।

यह कि राजस्थान में अन्य स्थानों पर भी निविदाएं आंमत्रित की गयी हैं। उन निविदाओं में आ रही परेशानियों को तत्काल दूर करें ताकि राजस्थान वासियों को पर्याप्त बिजली मिल सकें।

हमारी सरकार से 4 वर्ष 6 माह में वर्षों से राजस्थान में बिजली उत्पादन करने की कोशिश की लेकिन तत्काल बिजली उत्पादन पर्याप्त मात्रा में हो इसकी शीघ्र कार्यवाही की जाये और केशवरायपाटन की इकाई को तत्काल चालू करने में आ रही परेशानियों को तत्काल दूर कर बिजली पैदा हो एक ऐसी व्यवस्था हो।

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा से जुड़ी सभी एजेन्सीज का बीकानेर में स्थानान्तरण

[श्री नन्दलाल व्यास (बीकानेर)]

महोदय, बीकानेर स्थित शिक्षा निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के कार्यों का धीरे-धीरे यहां से विभाजन कर दोनों शिक्षा निदेशालयों के कार्यों को संभाग मुख्यालयों पर उप निदेशक कार्यालयों को कार्य स्थानान्तिरत किये जा रहे हैं। इसके

377

साथ-साथ कुछ कार्यों को जिला स्तर पर भी विभाजन के आधार पर अथवा कुछ कार्य पूरी तौर पर अन्यत्र स्थानान्तिरत करने की प्रक्रिया लम्बे समय से चल रही है। जिससे शिक्षा निदेशालय का महत्व धीरे-धीरे नगण्य होने की स्थिति में पहुंच रहा है।

उदाहरणस्वरूप कार्य जैसे-तृतीय श्रेणी शिक्षक से प्रथम श्रेणी शिक्षकों तक के स्थानान्तरण, अन्तर जिला स्थानान्तरण, अन्तर मण्डल स्थानान्तरण एवं प्रारम्भिक से माध्यमिक शिक्षा में परिवर्तन आदि कार्य।

उपरोक्त के अलावा निजी शिक्षण संस्थाओं के मान्यता कार्य, पैनल जांच कार्य, अनुदान कार्य, आदि भी निदेशालयों से जिला मुख्यालयों पर स्थानान्तिरत कर दिये गये हैं।

लोक जुम्बिश परिषद, साक्षरता मिशन, शिक्षा कर्मी बोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा आदि के राज्य स्तरीय संचालन के कार्य भी जयपुर से हो रहा है जबकि ये संस्थाएं प्राथमिक शिक्षा के संबंध में ही कार्य कर रही है।

कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा सम्बन्धी कार्यों का राज्य बीकानेर मुख्यालय ही होना चाहिये था लेकिन शिक्षा निदेशालय की गरिमा को ठेस पहुंचा कर उन्हें स्वतन्त्र रख कर परोक्ष रूप से शिक्षा निदेशालय को कमजोर बनाया जा रहा है।

शासन सचिवालय जयपुर में एक समन्वय कक्ष शिक्षा का पिछले वर्षो में स्थापित किया गया, वह उचित नहीं है। क्योंकि निदेशक महोदय अधिकतर शिक्षा निदेशालयों का संचालन उक्त कक्ष से ही करते हैं। इस कारण सरकार को टी.ए. व डी.ए. के रूप में जयपुर व बीकानेर वाहनों द्वारा अधिकारियों के आने व जाने व कर्मचारियों के यात्राओं के कारण लाखों रुपये की सरकारी खर्च के रूप में हानि होती है। जबकि मुख्यालय (शिक्षा) बीकानेर में ही है अतः उक्त उपरोक्त अपव्यय को रोकने की दिशा में कदम उठाएं जाएं ताकि सम्बन्धित पक्षकारों व आम जनता को आने-जाने की परेशानी व अपव्यय न हो।

उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर मेरा सरकार से अनुरोध है कि शीघ्र राज्यहित में सचिवालय के शिक्षा समन्वय कक्ष को समाप्त करने का निर्णय लिया जावे। साथ ही प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा से जुड़ी सभी एजेन्सियों को बीकानेर में स्थानान्तिरत किया जावे। निदेशालय के कार्यों के विभाजन से अनुभाग कमजोर हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में

धीरे-धीरे शिक्षा निदेशालय मात्र कर्मचारियों को भुगतान देने तक ही सीमित रह जाएगा जो राज्य हित में नहीं होगा।

अतः शिक्षा निदेशालय के महत्व को कायम रखने के लिये सकारात्मक कदम उपरोक्तानुसार उठाएं जावे ताकि बीकानेर के हितों की रक्षा हो सके।